35वीं वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(एक महारत्न पीएसयू)

हरित भविष्य के उत्प्रेरक

हरित भविष्य के उत्प्रेरक

भविष्य पर्यावरण अनुकूल हो। भारत एक ऐसे भविष्य की शुरुआत करने में सबसे अग्रणी है जो जीवाश्म ईंधन पर न्यूनतम निर्भर हो, और भारत द्वारा 2022 तक 175 GW की नवीकरणीय क्षमता और 2030 तक 450 GW प्राप्त करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसे-जैसे वैश्विक महामारी की पृष्ठभूमि में मानव प्रगति कई वर्षों से आगे बढ़ रही है, हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) में देश के पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा भविष्य को उत्प्रेरित कर रहे हैं। हमारी भूमिका सरकार के कार्यनीतिक साझेदार के रूप में केवल विद्युत क्षेत्र के सुधारों और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि हम ई-मोबिलिटी क्षेत्र में विशेष रूप से ऊर्जा भंडारण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में उभरते अवसरों की भी तलाश कर रहे हैं ।

हम भारत के विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के क्षेत्र में भी अपने नेतृत्व को सुदृढ़ कर रहे हैं । इस तरह के विघटनकारी वर्ष में हमारा शानदार वित्तीय प्रदर्शन हमारी अंतर्निहित शक्ति यों और दक्षता को दर्शाता है, और बाहरी प्रभावों को सहने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान और आगे निधीयन मिश्रण का विविधिकरण पर हमारा ध्यान हमारे तुलन-पत्र को और भी सुदृढ़ता प्रदान करता है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, हम महामारी से निपटने के लिए राष्ट्र और समाज के साथ एकजुटता से खड़े थे।

जैसा कि भारत और दुनिया न्यू नॉर्मल में लौट रही है, हम देश की महत्वाकांक्षी यात्रा को पर्यावरण अनुकूल और अधिक टिकाऊ भविष्य में सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की मुख्य विशेषताएं*

₹ 52,363 करोड़
नेट वर्थ
↑ 16%

₹ 12,951 करोड़
निवल ब्याज आय
↑ 28%

2.09%
एनपीए
↓ 171 बीपीएस

25%
दबावग्रस्त ऋण बही का समाधान

अब तक का सर्वाधिक

₹ 88,302 करोड़
ऋण संवितरण
↑ 30%

₹ 8,444 करोड़
निवल लाभ
↑ 49%

*सभी तुलना वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर

विषय-सूची

निगमित सिंहावलोकन

निदेशक मंडल	02
वरिष्ठ प्रबंधन	03
निगमित सिंहावलोकन	04
कार्य-निष्पादन एक नजर में	09
कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख संकेतक	11
अध्यक्ष महोदय का अभिभाषण	14

सांविधिक रिपोर्ट

निदेशक प्रोफाइल	20
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	22
प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	38
एकीकृत रिपोर्टिंग	44
निगमित शासन पर रिपोर्ट	48
निगमित शासन संबंधी प्रमाण-पत्र	63
व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट	64
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	73
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	76

वित्तीय विवरण

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	86
एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	95
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	97
तुलन-पत्र	98
लाभ और हानि विवरण	99
नकदी प्रवाह विवरण	102
समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	192
समेकित वित्तीण विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	199
समेकित तुलन-पत्र	202
समेकित लाभ और हानि विवरण	204
समेकित नकदी प्रवाह विवरण	209
संदर्भ सूचना	बैक इनसाइड कवर

22 जून, 2007 को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया

12 अक्तूबर, 2021 को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया

निदेशक मंडल

श्री रविन्द्र सिंह ढ़िल्लों
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री प्रवीण कुमार सिंह
निदेशक (वाणिज्यिक)

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा
निदेशक (वित्त)

श्री तन्मय कुमार
सरकारी नामिती निदेशक

श्री आर. सी. मिश्रा
स्वतंत्र निदेशक

वरिष्ठ प्रबंधन*

श्रीमती सिम्मी आर. नाकरा
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री सुबीर साहा
कार्यपालक निदेशक

श्री मनोज शर्मा
कार्यपालक निदेशक

श्री राजीव रंजन झा
कार्यपालक निदेशक

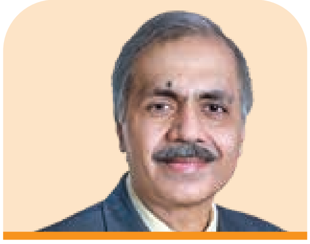

श्री आर. के. भारद्वाज
कार्यपालक निदेशक

श्री पी.के. सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

श्री संदीप कुमार
कार्यपालक निदेशक

श्री राम किशोर तल्लूरी
कार्यपालक निदेशक

श्री रिज़वानुर रहमान
कार्यपालक निदेशक

श्री अमरजीत सिंह नंदा
कार्यपालक निदेशक

श्री बी. एस. बिष्ट
कार्यपालक निदेशक

श्री सौरव कुमार शाह
कार्यपालक निदेशक

श्री मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

*30.08.2021 तक

निगमित सिंहावलोकन

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) भारतीय विद्युत क्षेत्र को निधि उपलब्ध कराने वाली भारत की सरकारी स्वामित्वाधीन सबसे बड़ी एनबीएफसी है। हम संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के लिए नोडल एजेंसी और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक भी हैं। हम कार्यनीतिक, वित्तीय, विनियामक तथा क्षमता निर्माण में परामर्शी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं।

हम लगभग 20% बाजार हिस्सेदारी सहित एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित, लघु और पेशेवर रूप से प्रबंधित एनबीएफसी हैं। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, हम ई-मोबिलिटी, ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में उभरते अवसरों का पता लगाते हैं और उनका विनिर्माण करते हैं।

हमने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक सहायक कंपनी - पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड - और कई अन्य व्यावसायिक यूनिटें, जैसे कि पावर एक्सचेंज, की स्थापना की है।

पीएफसी समूह संरचना

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन

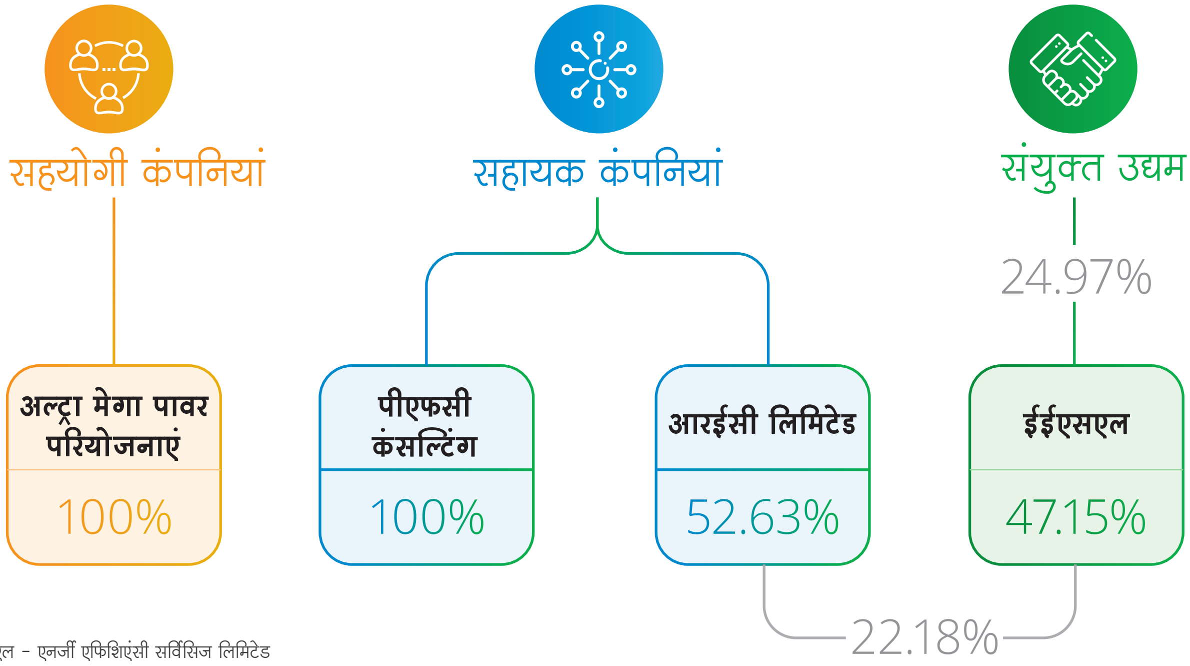

1. ईईएसएल - एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड

2. ईईएसएल में 47.15% हिस्सेदारी पीएफसी (24.97%) और आरईसी (22.18%) की समेकित हिस्सेदारी है।

हमारा विज़न

भारत और विदेश में विद्युत एवं उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की प्रत्येक आयामीय श्रृंखला में एक अग्रणी संस्थागत भागीदार बनना।

हमारा मिशन

पीएफसी सर्वाधिक अधिमान्य वित्तीय संस्थान होगा और इसके लिए उसका साध्य है दक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय रूप से एकीकृत स्रोतीकरण तथा सेवा प्रदान करने के साथ-साथ वहनीय और प्रतियोगी उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करना, भारतीय विद्युत क्षेत्र में होने वाले सुधारों में अपनी भागीदारी करना और अपने स्टेकधारकों का मूल्य संवर्धन करना; भारत एवं विदेश में विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यक्षम निवेश को बढ़ावा देना।

हम यह लक्ष्य सिद्धि कर सकेंगे क्योंकि हम एक ऊर्जस्वित, समंजनीय, अग्रदृष्टा, विश्वस्त, सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन हैं, अपने स्टेकधारकों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं, अपने कार्यों में पारदर्शिता एवं एकनिष्ठा के कारण सदा-सर्वदा लाभप्रद एवं चिरस्थायी हैं।

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी वित्तपोषक

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन

भारतीय विद्युत क्षेत्र में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला वित्तपोषण प्रदाता समूह

दो कंपनियों - पीएफसी और आरईसी का सामंजस्य

1. अधिकांशतः
   भारत सरकार के स्वामित्वाधीन
2. विद्युत क्षेत्र में
   सरकार का महत्वपूर्ण वित्तीय भागीदार
3. सर्वोच्च दीर्घावधि घरेलू रेटिंग
   क्रिसिल, इकरा और केयर द्वारा 'एएए'
4. **#33**
   फॉर्च्यून 500 इंडिया 2020 में

कार्यनीति संबंधी पहलें

विद्युत क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी के रूप में, हमने स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, वर्तमान बाजार परिदृश्य के लिए हमारी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को संरेखित करने हेतु कई कार्यनीतिक पहलें की हैं। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करना और अधिक सामाजिक रूप से वांछनीय परियोजनाओं में सरकार के साथ साझेदारी करना जारी रखना है।

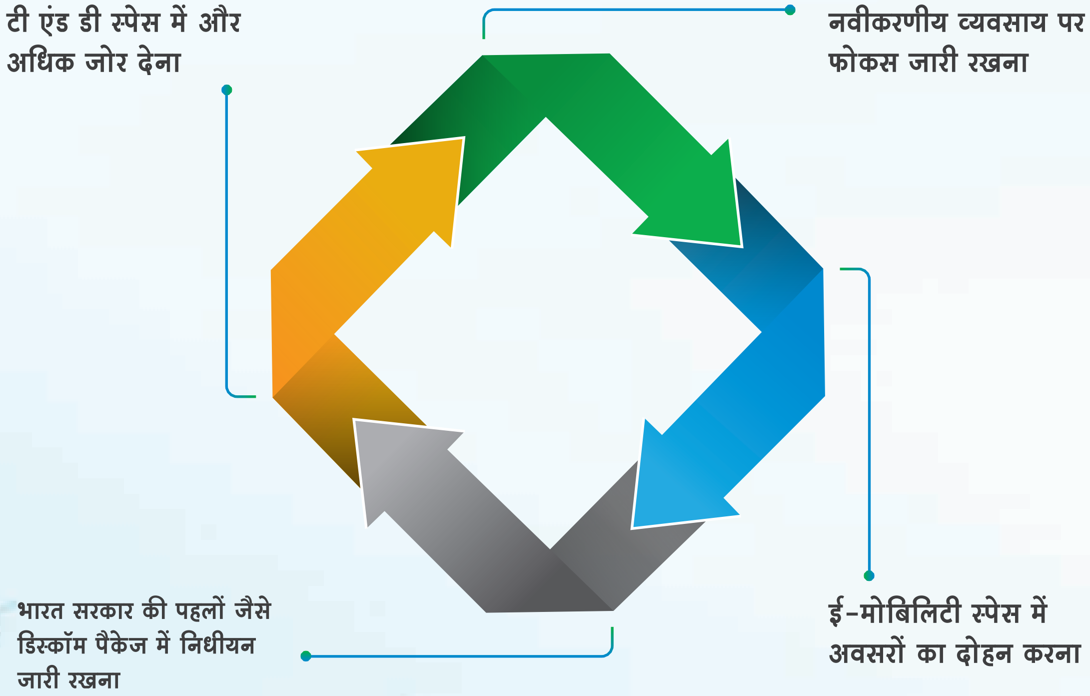

हमारे उत्पाद एवं सेवाएं

हमारे पास भारतीय विद्युत क्षेत्र को ऋण देने का 3.5 दशकों से अधिक का अनुभव है। हमारे ग्राहकों के वित्तीय प्रोफाइल के साथ-साथ देश की वित्तीय स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर हमारी पेशकशों को अनुकूलित किया जाता है।

निधि आधारित उत्पाद

- परियोजना सावधि ऋण (रुपए और विदेशी मुद्रा)
- अध्ययन/परामर्श के लिए अनुदान/ब्याज मुक्त ऋण
- बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट
- उपकरण की खरीद के लिए पट्टा वित्तपोषण
- निगमित ऋण
- पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पट्टा वित्तपोषण
- उपकरण विनिर्माताओं के लिए लघु/मध्यम अवधि ऋण
- कोयले के आयात के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट
- ऋण पुनर्वित्तपोषण
- विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत खरीद के लिए क्रेडिट सुविधा

गैर-निधि आधारित उत्पाद

- आस्थगित भुगतान गारंटी
- ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के संदर्भ में संविदा/दायित्वों के कार्य-निष्पादन हेतु गारंटी
- चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)
- क्रेडिट संवर्धन की गांरटी के लिए नीति

50,000+ करोड़
नेट वर्थ

सशक्त प्रगति की ओर

एसेट्स फोर्ब्स ग्लोबल 2021 के अनुसार विश्व में 365वीं रैंक

फॉर्च्यून इंडियाज़ 500 कंपनीज़ 2020 में 33वीं रैंक

कार्य-निष्पादन एक नजर में

	विवरण	वित्तीय वर्ष 17	वित्तीय वर्ष 18	वित्तीय वर्ष 19	वित्तीय वर्ष 20	वित्तीय वर्ष 21
I.	**संसाधन** (वर्ष के अंत में) (₹ करोड़ में)					
	इक्विटी पूंजी	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640
	आरक्षित और अधिशेष निधि	33,830	34,316	40,648	42,524	49,753
	ऋण राशियां (बकाया मूलधन)					
	(i) घरेलू ऋण राशियां	1,94,144	2,11,278	2,59,601	2,55,751	2,75,259
	(ii) विदेशी मुद्रा ऋण राशियां	8,444	18,260	28,827	47,701	49,836
II.	**वित्तपोषण संबंधी प्रचालन** (वर्ष के दौरान)(₹ करोड़ में)					
	संस्वीकृतियां	1,00,603	1,16,233	95,230	1,11,089	1,66,370
	संवितरण	62,798	64,414	67,678	67,997	88,302
III.	**कार्यकारी परिणाम** (वर्ष के लिए)(₹ करोड़ में)					
	कुल आय	27,019	25,980	28,766	33,371	37,767
	कुल व्यय	21,909	20,135	18,951	25,179	27,559
	कर पूर्व लाभ	5,110	5,845	9,816	8,193	10,207
	कर संबंधी व्यय	2,983	1,458	2,863	2,537	1,763
	कर पश्चात लाभ	2,126	4,387	6,953	5,655	8,444
IV.	**कार्मिकों की संख्या**	499	498	498	484	483

टिप्पणियां: 1. उपर्युक्त विवरण वित्तीय वर्ष 2016-17 को छोड़कर इंड एएस फ्रेमवर्क के अनुसार हैं जो कि पूर्ववर्ती लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसार है
2. आर-एपीडीआरपी/आईपीडीएस को छोड़कर संस्वीकृतियां और संवितरण

सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए

संवितरण

क्षेत्र-वार
(%)

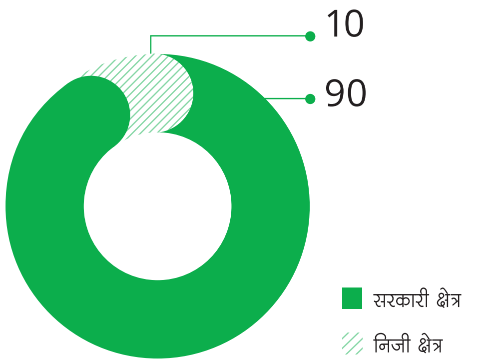

योजना-वार
(%)

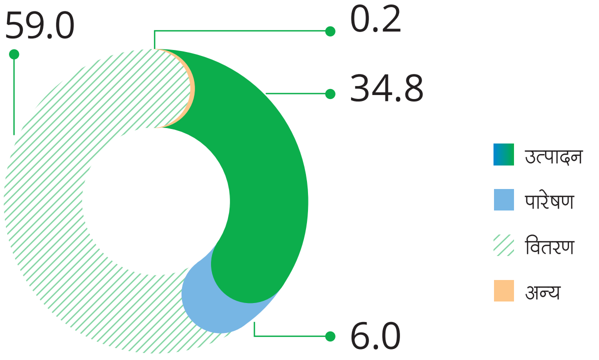

ऋण परिसंपत्तियां

क्षेत्र-वार
(%)

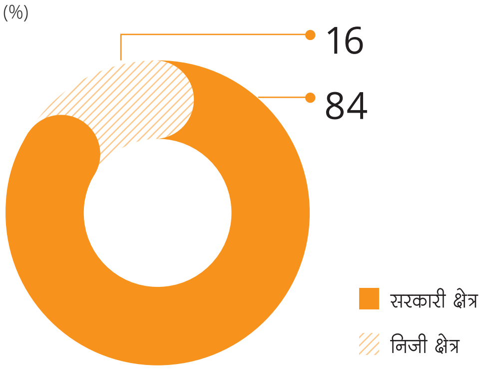

योजना-वार
(%)

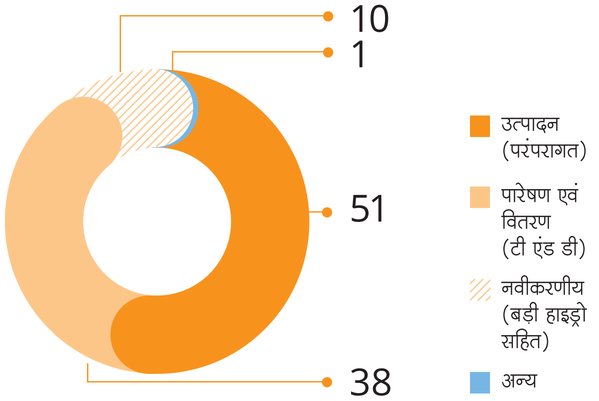

रेटिंग

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी

एजेंसी	रेटिंग
• मूडीज	बीएए3
• फिच	बीबीबी(-)

घरेलू रेटिंग एजेंसी

एजेंसी	रेटिंग
• क्रिसिल	एएए
• इकरा	एएए
• केयर	एएए

कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख संकेतक

प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

संस्वीकृत ऋण

(₹ करोड़ में)

49.76% ↑

वर्ष-दर-वर्ष

13.4% (सीएजीआर)

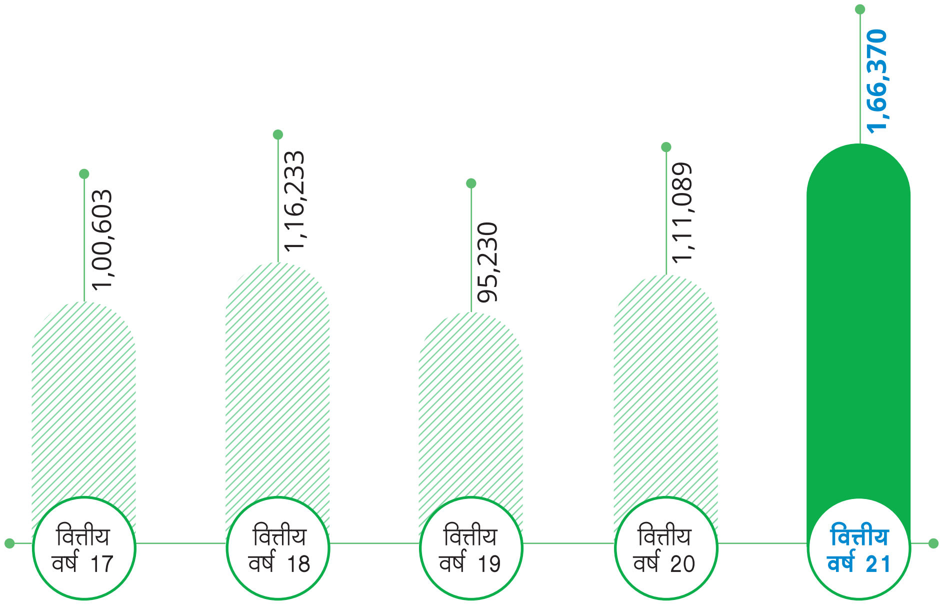

संवितरित ऋण

(₹ करोड़ में)

↑29.86%

वर्ष-दर-वर्ष

8.89% (सीएजीआर)

कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख संकेतक

प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन जारी

ऋण परिसंपत्ति बही (31 मार्च के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

↑ 7.49%
वर्ष-दर-वर्ष

10.85% (सीएजीआर)

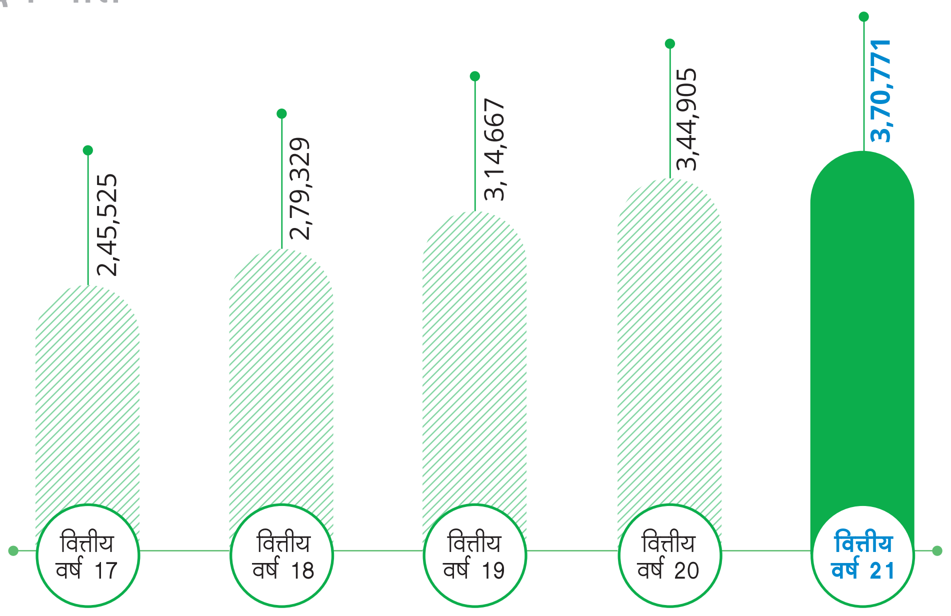

वित्तीय कार्य-निष्पादन

कुल आय

(₹ करोड़ में)

↑ 13.17%
वर्ष-दर-वर्ष

8.73% (सीएजीआर)

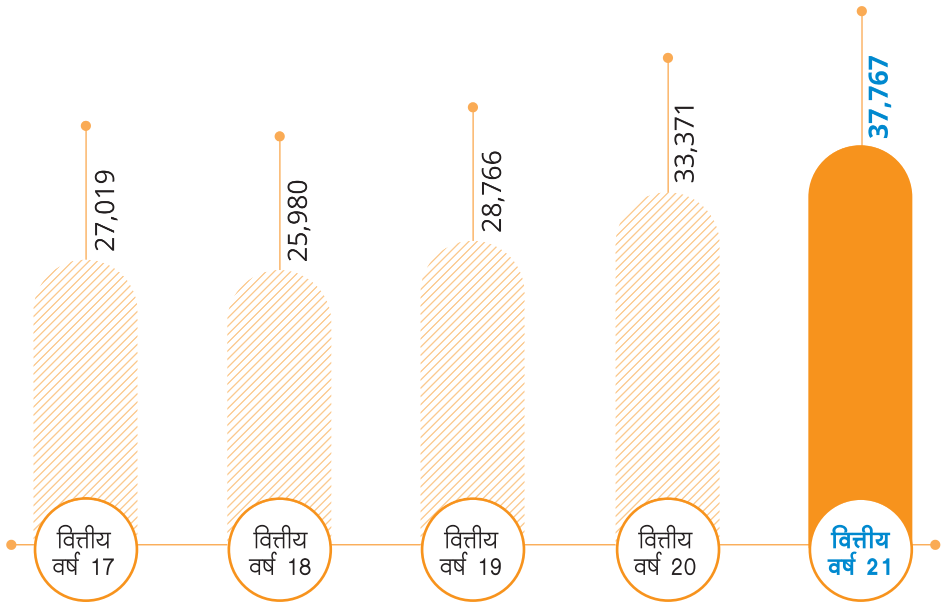

कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख संकेतक

वित्तीय कार्य-निष्पादन जारी

निधियों की लागत
(%)

↓ 31बीपीएस
वर्ष-दर-वर्ष

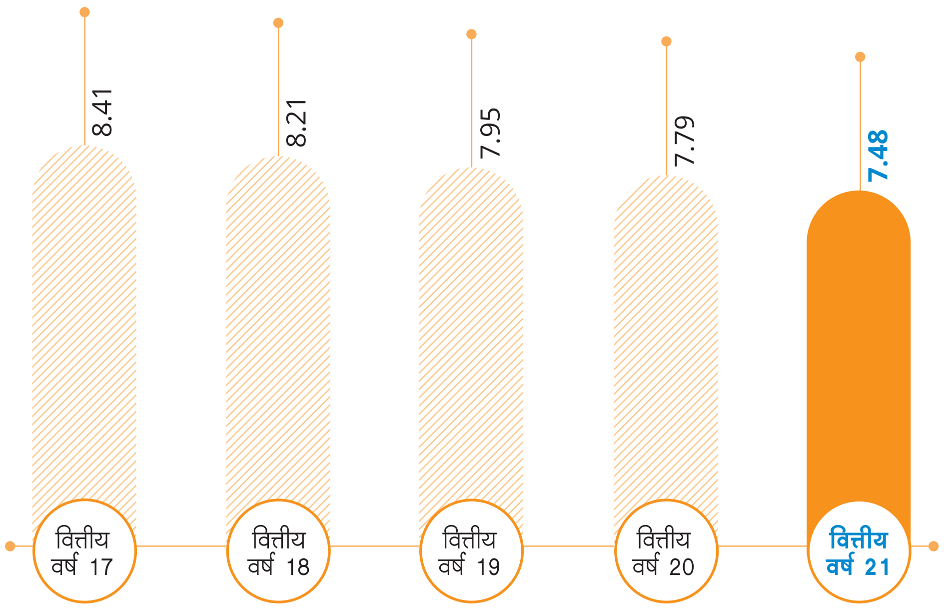

कर पश्चात लाभ
(₹ करोड़ में)

↑ 49.32%
वर्ष-दर-वर्ष

41.17% (सीएजीआर)

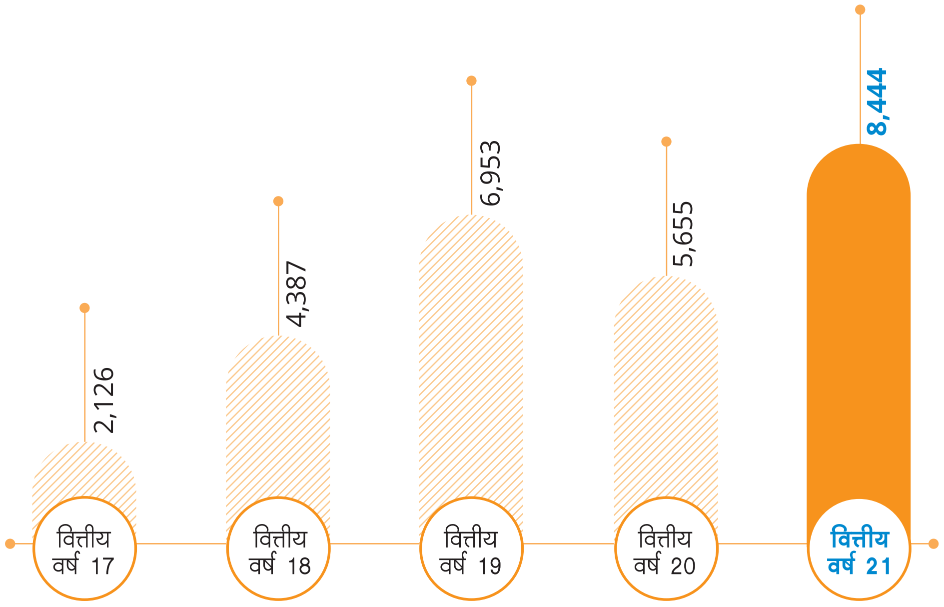

अध्यक्ष महोदय का अभिभाषण

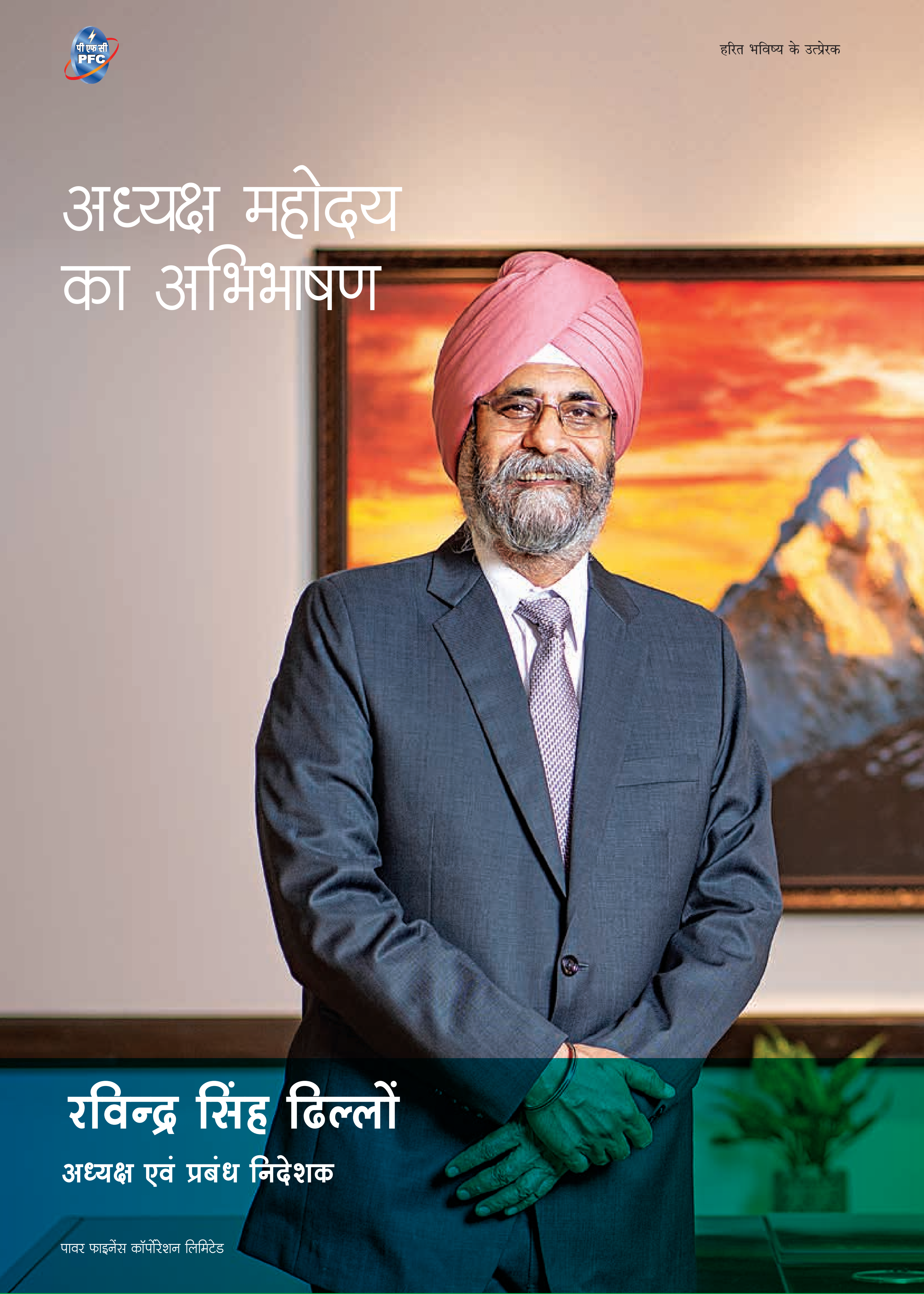

रविन्द्र सिंह ढिल्लों

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

देवियो और सज्जनो,

कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत है। पिछले वर्ष, पूरी दुनिया एक अप्रत्याशित वैश्विक जन स्वास्थ्य और आर्थिक संकट के दौर से गुजकर एकजुट हुई थी। चूंकि हमारा देश दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव से उबर चुका है, अत: अब भरोसा हो गया है कि भारत के व्यापक पैमाने पर शुरू किए गए टीकाकरण कार्यक्रम से हमें कोविड के प्रभाव का उपयुक्त तरीके से सामना करने में मदद मिलेगी। इन असाधारण परिस्थितियों में, मैं आप सभी और आपके प्रियजनों के उत्तम स्वास्थ्य और इस महामारी से सुरक्षित रहने की कामना करता हूं।

पिछले वित्तीय वर्ष में, इस महामारी के चलते अत्यधिक बाधाएं आई थीं और इससे अनेक क्षेत्रों एवं उद्योगों पर प्रभाव पड़ा था। विद्युत क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा था। लॉकडाउन की शुरुआत में, विद्युत की मांग में 25% से भी अधिक की गिरावट दर्ज की गई थी, जो पहले कभी नहीं सुनने में आई थी। नई क्षमताओं को बढ़ाने की गति भी धीमी हो गई और निर्माणाधीन परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। हालांकि आपकी कंपनी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ थी और उत्कृष्ट वित्तीय निष्पादन दर्ज किया।

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में, आपकी कंपनी ने ₹8,444 करोड़ का लाभ दर्ज किया है, जो कि शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे अधिक वार्षिक लाभ है। साथ ही, वर्ष के दौरान, पीएफसी की नेट वर्थ ₹50,000 करोड़ के लक्ष्य को पार कर गई, जिससे कंपनी की स्थिति भारतीय विद्युत क्षेत्र में सबसे बड़े ऋणदाता के तौर पर मजबूत हो गई है। फोर्ब्स 2021 रैंकिंग के अनुसार, अब आपकी कंपनी का स्थान परिसंपत्तियों के संदर्भ में 365वां और समग्र वैश्विक सार्वजनिक कंपनियों में 730वां है।

प्रचालनात्मक मोर्चे पर भी, आपकी कंपनी ने उल्लेखनीय निष्पादन करके दिखाया है, जिसमें अब तक के सर्वाधिक वार्षिक ऋण के रूप में ₹1.66 लाख करोड़ संस्वीकृत किए गए हैं और ₹88,300 करोड़ की राशि का संवितरण किया है। पीएफसी की ऋण परिसंपत्तियां वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में ₹3.71 लाख करोड़ रही। इस कठिन दौर में यह शानदार उपलब्धि पीएफसी की मानवीय पूंजी, प्रणाली और प्रक्रियाओं की आंतरिक मजबूती और उनके आर्थिक झटकों को सहन करने की इसकी क्षमता को दर्शाती है। आपकी कंपनी अपनी उन्नति में अपने शेयरधारकों की भूमिका की सराहना करती है और अपनी सफलता को आपके साथ साझा करते हुए खुशी व्यक्त करती है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीएफसी ने 100% के कुल लाभांश अर्थात ₹10 प्रति शेयर की घोषणा की है।

वर्ष के दौरान परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार आया है, जिसमें ₹6,844 करोड़ की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान कर लिया गया है, जो हमारी दबावग्रस्त परिसंपत्ति बुक का करीब 25% है। जिन प्रमुख परिसंपत्तियों का समाधान कर लिया गया है, उनमें आरकेएम पावरजेन, एस्सार ट्रांसमिशन, सुज्लोन एनर्जी और जल पावर शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप पिछले 5 वर्ष में एनपीए का स्तर सबसे कम हो गया है, जिसमें सकल एनपीए अनुपात 5.70% और निवल एनपीए अनुपात 2.09% है। दो अन्य बड़ी परियोजनाओं के समाधान की कार्रवाई अंतिम चरण में है और शीघ्र ही इनका समाधान कर लिए जाने की संभावना है।

वर्ष के दौरान, पीएफसी की नेट वर्थ ₹ 50,000 करोड़ के लक्ष्य को पार कर गई, जिससे कंपनी की स्थिति भारतीय विद्युत क्षेत्र में सबसे बड़े ऋणदाता के तौर पर मजबूत हो गई है।

आपकी कंपनी हरित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और भारत के इस ऊर्जा बदलाव में सबसे आगे है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के भाग के रूप में अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों में वर्ष 2030 तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तरों से 33-35% तक कम करने और अपनी 40% संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से पूरा करने की सहमति दी है। हमारा देश इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है और आपकी कंपनी इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रथम आरई-इन्वेस्ट के दौरान, वर्ष 2015 में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में वैश्विक निवेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पीएफसी ने वर्ष 2019 तक 3,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने हेतु सहायता की प्रतिबद्धता की थी। आपकी कंपनी ने इस लक्ष्य को पार करते हुए इस अवधि के दौरान 9,000 मेगावाट के करीब नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने में सहायता की। विगत 5 वर्ष के दौरान, पीएफसी की नवीकरणीय ऊर्जा ऋण बुक में उल्लेखनीय गति से बढ़ोतरी हुई है और 46% का सीएजीआर दर्ज किया है।

जलवायु परिवर्तन से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सभी स्टेकधारकों से अतिरिक्त प्रयास किए जाने की अपेक्षा होगी। इसे देखते हुए, भारत सरकार ने पेरिस समझौते के अंतर्गत अपेक्षा से अधिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जो वर्तमान स्तर से करीब पांच गुणा है। ग्रिड में इतने बड़े पैमाने पर विभिन्न उत्पादकों को समेकित करने से इसकी अपनी चुनौतियां सामने आती हैं। इससे निपटने के लिए, सरकार ने समर्पित हरित ऊर्जा निकासी कॉरिडोर, कृषि फीडरों के सौरीकरण, पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं को बढ़ावा देने और चौबीस घंटे अथवा सुनिश्चित पीक समय पर विद्युत आपूर्ति की प्रतिबद्धता के साथ बड़े सौर पार्क विकसित करने जैसी विभिन्न पहलें शुरू की हैं। घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन उपकरण, भंडारण बैटरियों आदि के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।

आपकी कंपनी ऊर्जा क्षेत्र को कार्बनमुक्त करने के लिए सरकार के विजन के अनुसार कार्य कर रही है। विगत वित्तीय वर्ष के दौरान, सौर और पवन परियोजनाओं के लिए अधिक ऋण सीमा बढ़ाने सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न नीतिपरक उपायों की शुरुआत, एक ऐसे गैर-निधि आधारित उत्पाद, अर्थात वचनबद्धता-पत्र की शुरुआत की गई, जिसका उपयोग टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपरों द्वारा बैंक गारंटी के स्थान पर किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माताओं के लिए परियोजना विशिष्ट वित्तपोषण और अधिक घरेलू सामग्री के साथ सौर परियोजनाओं के लिए विशेष छूट शामिल है। आगे भी चलकर आपकी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण पर ध्यान देना जारी रखेगी और देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संवर्धन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

विगत 5 वर्ष के दौरान, पीएफसी की नवीकरणीय ऊर्जा ऋण बुक में उल्लेखनीय गति से बढ़ोतरी हुई और 46% का सीएजीआर दर्ज किया है।

श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आलोक कुमार (सचिव) विद्युत, और विद्युत मंत्रालय एवं पीएफसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण की मौजूदगी में माननीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह को ₹1182.63 करोड़ के अन्तरिम लाभांश की बैंक एडवाइस सौंपते हुए।

माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी को प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करते हुए।

वर्तमान संधारणीय ऊर्जा बदलाव किए जाने से ई-मॉबिलिटी, यूटिलिटी स्केल ऊर्जा भंडारण आदि जैसे नए और उभरते वित्तपोषण अवसरों की शुरुआत हुई है। इन क्षेत्रों में कारोबार करने के लिए पीएफसी ने अपने संस्था-ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों में संशोधन किया है, जिससे ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं, इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को विद्युत क्षेत्र से जोड़कर वित्तपोषण करने में सुविधा मिली है। हाल ही में, आपकी कंपनी ने फेम II योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 700 इलेक्ट्रिक बसों के परिनियोजन के लिए वित्तीय सहायता संस्वीकृत की है। पीएफसी ने आंध्र प्रदेश में एक सौर पवन हाइब्रिड पंप युक्त भंडारण परियोजना के लिए वित्तपोषण किया है, जो विश्व में सबसे बड़ी ऐसी एकीकृत परियोजनाओं में शामिल होगी। आपकी कंपनी अपने परिसंपत्ति आधार का भौगोलिक रूप से विविधीकरण कर रही है और इसने हाल ही में, भूटान में 600 मेगावाट खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए वित्तीय सहायता संस्वीकृत की है, जिसे एसजेवीएन और ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन ऑफ भूटान द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास लाने के एक प्रयास में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बाजार में काफी लिक्विटी प्रदान की है और अपनी बैंचमार्क ब्याज दरों को कम किया है। कम ब्याज दरों की व्यवस्था का लाभ उठाने और इसके ऋण आधार में परिवर्तन करने के लिए आपकी कंपनी ने ₹4,429 करोड़ जुटाते हुए कर-योग्य बॉण्डों का अपना प्रथम पब्लिक इश्यू शुरू किया। विगत दशक में किसी सीपीएसयू द्वारा कर-योग्य बॉण्डों का यह पहला पब्लिक इश्यू था और विद्युत क्षेत्र में किसी सीपीएसयू द्वारा कर-योग्य बॉण्डों का अब तक का पहला पब्लिक इश्यू था। पीएफसी ब्रांड में निवेशकों का भरोसा होने का साक्ष्य यह है कि इश्यू को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें करीब नौ गुणा सब्सक्रिप्शन मिला और इसके लिए निर्धारित समय से 11 दिन पहले ही सब्सक्रिप्शन लेना बंद करना पड़ा। अपनी विविधीकरण की कार्यनीति के भाग के रूप में, आपकी कंपनी ने विदेशी बाजार में यूएस $ 900 मिलियन भी जुटाए। आपकी कंपनी को आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के अंतर्गत पूंजीगत लाभ बॉण्डों के जरिए धनराशि जुटाने की अनुमति भी दी गई, जो इसकी कम लागत के कारण पीएफसी के लिए निधियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, हमारी निधियों की लागत वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 बीपीएस तक घटकर 7.48% हो गई। हमने इस हितलाभ को अपने ऋणकर्ताओं को प्रदान किया है, जिससे ऋण की ब्याज दरें समान रूप से 65 बीपीएस से 200 बीपीएस तक घटी हैं।

यह तथ्य कि आपकी कंपनी के समक्ष घरेलू या अंतरराष्ट्रीय बाजारों से निधियां जुटाने में कोई चुनौतियां नहीं आईं, यह पीएफसी के कारोबारी मॉडल और इसके ऋण प्रोफाइल में बाजार का भरोसा होना दर्शाता है। हमारे सुदृढ़ वित्तीय निष्पादन के कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों ने पीएफसी के सशक्त कारोबारी आधारों को दर्शाते हुए हमारी क्रेडिट रेटिंग की पुन: पुष्टि की है।

आपकी कंपनी भारतीय विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भारत सरकार का एक कार्यनीतिक भागीदार है। महामारी के इस दौर में पीएफसी विद्युत क्षेत्र में लिक्विडिटी लाने में महत्वपूर्ण रहा है। आपकी कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी, आरईसी के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में लिक्विडिटी इंफ्यूजन योजना के अंतर्गत डिस्कॉमों को ₹1.34 लाख करोड़ संस्वीकृत किए हैं और ₹79,000 करोड़ का संवितरण किया है। पीएफसी राज्य विद्युत संस्थाओं के संबंध में वार्षिक आधार पर निष्पादन रिपोर्ट प्रकाशित करता रहा है और विद्युत वितरण कंपनियों की वार्षिक एकीकृत रेटिंग को भी प्रकाशित किया है। ये रिपोर्टें नीति निर्माताओं, डेवलपरों, ऋणदाताओं, इक्विटी विश्लेषकों, विनियामकों, व्यापक रूप से जनता इत्यादि सहित स्टेकधारकों द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है और निर्णय लेने में मदद करती है।

विद्युत वितरण कंपनियों की कमजोर वित्तीय स्थिति भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए लगातार ध्यान दिया जाने वाला मामला रहा है। वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में एक प्रमुख सुधार पहल, सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य, आपूर्ति अवंसरचना को सुदृढ़ करने के लिए सुधार संबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करके डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना है। कुल ₹3.04 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ यह योजना वर्ष 2025-26 तक उपलब्ध रहेगी। मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी है कि आपकी कंपनी और इसकी सहायता कंपनी आरईसी ऐसे दो संगठन हैं, जो इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में सुविधा के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में नामित हैं।

आपकी कंपनी आर्थिक क्षमता और विकास में सुधार लाने के लिए तथा साथ ही अपने स्टेकधारकों का भरोसा निर्मित करने के लिए निगमित शासन को एक मुख्य तत्व के रूप में देखती है। एक सूचीबद्ध कंपनी के रूप में, पीएफसी, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, डीपीई दिशानिर्देशों, इत्यादि के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट निगमित शासन संबंधी इसके क्षेत्राधिकार के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन करता है। आपकी कंपनी उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही और पर्याप्त प्रकटीकरण करती है।

एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्था होने के नाते, आपकी कंपनी ने महामारी के विरूद्ध पहली और दूसरी लहर के दौरान राष्ट्रीय जंग में सहायता प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर गतितिविधियों के लिए संवितरित किए गए ₹217 करोड़ में से ₹210 करोड़ पीएम केयर्स फंड में अंशदान करने सहित कोविड राहत उपायों पर व्यय किए गए। पीएफसी ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने के लिए कोल्ड चेन उपस्कर की खरीद करके विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित किए। पीएफसी ने देश के विभिन्न भागों में एम्बुलेंस, चिकित्सा उपकरण और उपभोज्य वस्तुएं भी वितरित की और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पैक्ड लंच वितरित किए। पीएफसी परिसर में हमारे कार्मिकों और विद्युत मंत्रालय के अन्य सीपीएसयू के कार्मिकों के लिए विविध टीकाकरण शिविर लगाए गए। पीएफसी पहला सीपीएसयू था, जिसके अपने सभी पात्र कार्मिकों को टीके की पहली खुराक लगवाई गई। महामारी के विरूद्ध जंग अभी लंबी है और आपकी कंपनी इस जंग में समाज के साथ दृढ़ता से खड़ी है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए संवितरित किए गए ₹217 करोड़ में से ₹210 करोड़ पीएम केयर्स फंड में योगदान करने सहित कोविड राहत उपायों पर व्यय किए गए। पीएफसी ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने के लिए कोल्ड चेन उपस्कर की खरीद करके विभिन्न राज्यों ओर संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित किए।

पीएफसी के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर 16 जुलाई, 2021 को श्री आर. के. सिंह, माननीय केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के साथ श्री कृष्ण पाल, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, श्री आलोक कुमार, सचिव (विद्युत) और श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 'राज्य के स्वामित्वाधीन विद्युत वितरण संस्थाओं की रैंकिंग और नौवीं एकीकृत रेटिंग पर पीएफसी की रिपोर्ट' का विमोचन करते हुए।

भारत सरकार द्वारा पीएफसी को 'महारत्न' का दर्जा दिए जाने पर बधाई देते हुए माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा कैबिनेट मंत्री श्री आर.के. सिंह । इस अवसर पर श्री आलोक कुमार, सचिव (विद्युत), श्री आर.एस. ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एस.के.जी. रहाटे, अपर सचिव (विद्युत), श्री आशीष उपाध्याय, अपर सचिव (विद्युत), श्री विशाल कपूर, संयुक्त सचिव (विद्युत), श्री पी.के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) एवं परियोजना (अतिरिक्त प्रभार), श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, निदेशक (वित्त) और श्री वाई. वेणुगोपाल, मुख्य महाप्रबंधक, पीएफसी उपस्थित थे।

मैं अपने सभी शेयरधारकों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने हम पर पुनः भरोसा जताया है। माननीय केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, माननीय विद्युत राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। मैं निदेशक मंडल, निवेशकों और मूल्यवान ग्राहकों का भी उनके समर्थन के लिए आभारी हूं।

मैं वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, नीति आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सांविधिक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, रजिस्ट्रार, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों एवं केंद्र और राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों/ एजेंसियों का उनके निरंतर समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे सहयोगियों द्वारा निरंतर और अटूट समर्थन किए जाने की भी सराहना करता हूं।

मैं हमारे सभी कार्मिकों को भी धन्यवाद करता हूं कि आपकी कंपनी ने पिछले वर्षों के दौरान जो सफलता देखी हैं, वह आपकी कड़ी मेहनत और उत्साह के बिना संभव ही नहीं होती।

मैं आगामी वर्षों में आपके निरंतर समर्थन की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्टेकधारकों की निरंतर प्रतिबद्धता के साथ, पीएफसी और अधिक ऊंचे आयाम स्थापित करना जारी रखेगी।

रविन्द्र सिंह ढिल्लों
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक प्रोफाइल

श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 00278074

58 वर्षीय श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों, पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। पीएफसी के सीएमडी के रूप में वे पीएफसी के संपूर्ण प्रचालनों का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत सरकार की विद्युत क्षेत्र में की जा रही प्रमुख पहलों अर्थात संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र को लिक्विडिटी पैकेज, डिस्कॉमों के निजीकरण, एकीकृत विद्युत विकास योजना, सभी के लिए 24X7 विद्युत, अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

श्री ढिल्लों के पास विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य शृंखला में लगभग 36 वर्षों का समृद्ध और विविधतापूर्ण अनुभव है। इनके विविध कार्य अनुभवों में 3 वर्ष का अनुभव भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में विद्युत उत्पादन उपकरण डिजाइन करने में, 6 वर्ष का अनुभव केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में विद्युत प्रणालियों के मैक्रो लेवल पर योजनाएं बनाने में और 27 वर्षों का अनुभव पीएफसी में रहा है जिसमें परियोजना अप्रेजल, फाइनेंशियल मॉडलिंग, परियोजना मॉनीटरिंग एवं दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

पीएफसी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति से पूर्व श्री ढिल्लों पीएफसी में निदेशक (परियोजना) के पद पर कार्यरत थे और इस पद पर रहते हुए इनके पास व्यवसाय विकास और परिसंपत्ति गुणवत्ता क्षेत्र की जिम्मेदारी थी। इनके नेतृत्व में, पीएफ़सी ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय और प्रचालनरत परिसंपत्तियों के पुनर्वित्तपोषण पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने सीमापारीय वित्तपोषण और नए बाजार क्षेत्रों में व्यापार विस्तार जैसे ईवी फ्लीट्स, हाईब्रिड पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं आदि के वित्तपोषण दोनों के साथ पीएफ़सी के व्यवसाय विविधीकरण प्रयासों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

श्री ढिल्लों के पास थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) डिग्री एवं आईआईटी, दिल्ली से पावर सिस्टम्स में एम.टेक की डिग्री है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, श्री ढिल्लों के पास कंपनी के 27050 इक्विटी शेयर थे।

प्रवीण कुमार सिंह

निदेशक (वाणिज्यिक) एवं

निदेशक (परियोजना) - अतिरिक्त प्रभार

डीआईएन: 03548218

59 वर्षीय श्री प्रवीण कुमार सिंह के पास आईआईटी-बीएचयू से बी. टेक. (इलेक्ट्रिकल) और आईआईटी, दिल्ली से ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन में एम. टेक. की डिग्री हैं। इन्होंने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए के बेयर कॉलेज ऑफ बिजनेस से "वैश्विक ऊर्जा एमबीए कार्यक्रम" भी पूरा किया है। निदेशक (वाणिज्यिक) का प्रभार ग्रहण करने से पहले श्री सिंह ने पीएफसी में ही कार्यपालक निदेशक (परियोजना) के रूप में कार्य किया है। इन्होंने पीएफसी के परियोजना प्रभाग की विभिन्न यूनिटों में 24 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया है। इससे पहले इन्होंने 9 वर्ष तक बीएचईएल और सीआईआई के लिए भी कार्य किया है। ये भारत सरकार की विभिन्न समितियों में पीएफसी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। श्री सिंह 18 जून, 2019 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में पीएफसी के नामिती निदेशक भी हैं। श्री सिंह के पास इनके वर्तमान पोर्टफोलियो के साथ दिनांक 1 जून, 2020 से निदेशक (परियोजना), पीएफ़सी का अतिरिक्त प्रभार भी है। ये पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड और यूएमपीपी के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए एसपीवी के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं। इन्होंने पीएफसी में आरटीआई के प्रयोजन से अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य किया है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार श्री प्रवीण कुमार सिंह के पास कंपनी के 32,194 इक्विटी शेयर थे।

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा

निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 08530587

54 वर्षीय श्रीमती परमिंदर चोपड़ा के पास वाणिज्य में स्नातक डिग्री है और ये योग्य कॉस्ट एकाउंटेंट एवं एमबीए हैं। इन्होंने 1 जुलाई, 2020 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया। इनके पास विद्युत क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जिसमें नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनएचपीसी) और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) जैसी महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र संस्थाएं शामिल हैं। इन्होंने वर्ष 2005 में पीएफ़सी में अपना कार्यभार ग्रहण किया तथा निदेशक (वित्त), पीएफ़सी के रूप में नियुक्ति से पूर्व कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थीं। इन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से संसाधन जुटाव, बैंकिंग एवं ट्रेजरी, परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन, दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान आदि कई वित्त पोर्टफोलियो को संभाला है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार श्रीमती परमिंदर चोपड़ा के पास कंपनी के 2,000 इक्विटी शेयर थे।

श्री तन्मय कुमार

सरकारी नामिती निदेशक

डीआईएन: 02574098

श्री तन्मय कुमार 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और आईआईटी, दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक और आईआईटी, दिल्ली से मृदा यांत्रिकी और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में एम.टेक किया है। ये वर्तमान में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

इन्होंने लगभग 27 वर्ष तक राजस्थान सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। इन्होंने भरतपुर, अलवर और कोटा के कलेक्टर और जिला-मजिस्ट्रेट के रूप में लगातार 6 वर्ष से अधिक समय तक, मुख्यमंत्री कार्यालय में पहली बार उप सचिव, विशेष सचिव और फिर माननीय मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में 3 वर्ष तक और फिर बाद में दूसरी बार 5 वर्ष (2013-2018) के लिए माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में सेवाएं प्रदान कीं। इन्होंने 5 वर्ष के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (आरआरईसी) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इन्हें 4 नवंबर, 2020 से बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

31 मार्च, 2021 तक श्री तन्मय कुमार के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर थे।

श्री आर. सी. मिश्रा

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 02469982

श्री आर. सी. मिश्रा ने वर्ष 1977 में पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षु (मैनेजमेंट ट्रेनी) के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। तत्पश्चात इन्होंने 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) ज्वॉइन की। इनके पास भौतिक विज्ञान (एम.एस.सी.) और व्यवसाय प्रबंधन (एमबीए) में स्नातकोत्तर की डिग्री है। अपने लगभग चार दशकों के लंबे कार्यकाल के दौरान इन्होंने विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/संस्थानों, मणिपुर की राज्य सरकार और भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यपालक निदेशक, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (प्रसार भारती), संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव (वित्त), मणिपुर सरकार, सचिव (विद्युत), मणिपुर सरकार, सचिव/निदेशक (उद्योग), मणिपुर सरकार, सचिव (शिक्षा), मणिपुर सरकार, सचिव (पर्यटन), मणिपुर सरकार इत्यादि पद शामिल हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन के लिए अपीलीय प्राधिकरण (एआईएफआर) के सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री मिश्रा को अकादमिक कार्यों, विशेष रूप से लोक नीति और सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में बड़ी रुचि है। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त संगठनों के लिए विभिन्न रिपोर्टें/पेपर तैयार किए। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के साथ वरिष्ठ विजिटिंग फैलो के रूप में कार्य किया। ये कई अंतरराष्ट्रीय निकायों में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए उनसे जुड़े रहे, जिनमें यूएनईपी, यूनेस्को और यूनीसेफ इत्यादि शामिल हैं।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार श्री आर. सी. मिश्रा के पास कंपनी के शून्य शेयर थे।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2020-21

सेवा में,

सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन पर अपनी 35वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

1.0 वित्तीय और प्रचालनात्मक विशेषताएं

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्राप्त आय 13% बढ़कर ₹37,767 करोड़।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निवल ब्याज आय 28% की वृद्धि के साथ ₹12,951 करोड़।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹8,444 करोड़ की अब तक की सबसे अधिक निवल आय।
- निदेशक मंडल ने ₹8 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त ₹2 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की, जिसका भुगतान मार्च, 2021 में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश पिछले वर्ष हेतु भुगतान किए गए ₹9.50 प्रति इक्विटी शेयर की तुलना में ₹10 प्रति इक्विटी शेयर रहा। अंतिम लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में आपके अनुमोदन के बाद किया जाएगा। अत: वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भुगतान किया गया कुल लाभांश ₹2,640 करोड़ (टीडीएस सहित) रहा जो कर पश्चात लाभ का 31.27% है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय ₹27,559.26 करोड़ रहा। इसमें वित्तीय लागत ₹23,194.49 करोड़ थी। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल व्ययों का 84.16% है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कार्मिक हितलाभ व्यय और अन्य व्यय, जिसमें प्रशासनिक व्यय और कार्यालय व्यय शामिल हैं, ₹265.42 करोड़ (कुल व्यय का 0.96% और वित्तीय लागत का 1.14%) रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹282.73 करोड़ (कुल व्यय का 1.12% और वित्तीय लागत का 1.29%) था।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य, केंद्र, निजी और संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों को ₹1,66,370 करोड़ के ऋण की अब तक की सबसे अधिक संस्वीकृतियां। इसी अवधि के दौरान ₹88,302 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक संवितरण किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 तक सकल ऋण परिसंपत्तियां बही ₹3,70,771 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक बकाया ऋण ₹3,25,095 करोड़ रहा।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक चरण-।।। की ऋण परिसंपत्तियों के निमित्त ₹13,416 करोड़ का कुल प्रावधान था। 31 मार्च, 2021 तक चरण-।।। की निवल परिसंपत्तियां ₹7,734 करोड़ थीं, जो कुल सकल ऋण परिसंपत्तियों का 2.09% है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, 31 मार्च, 2021 तक चरण-। ऋण परिसंपत्तियों और चरण-।। ऋण परिसंपत्तियों पर क्रमश: ₹1,236 करोड़ और ₹1,945 करोड़ का प्रावधान किया गया था।
- 31 मार्च, 2021 तक, भारत सरकार की शेयरधारिता 55.99% थी।
- पीएफसी की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति ने आपकी कंपनी में निवेशकों, विनियामकों और अन्य स्टेकधारकों का भरोसा बढ़ाया है।

नई दिल्ली में आयोजित 35वीं वार्षिक आम बैठक में श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ श्री विशाल कपूर, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (सरकारी नामिती निदेशक), श्री प्रदीप कुमार मील, निदेशक, विद्युत मंत्रालय (भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रतिनिधि), श्री पी. के. सिंह, निदेशक, (वाणिज्यिक) एवं परियोजना (अतिरिक्त प्रभार), श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, निदेशक (वित्त)।

1.1 वित्तीय कार्य-निष्पादन सिंहावलोकन

1.1.1 लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

विवरण	एकल		समेकित	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
कुल आय	**37,766.57**	**33,371.06**	**71,700.51**	**62,275.36**
कर पूर्व लाभ	10,207.31	8,192.54	19,890.73	14,092.67
कर व्यय	1,763.30	2,537.40	4,174.53	4,615.42
कर पश्चात लाभ	**8,444.01**	**5,655.14**	**15,716.20**	**9,477.25**
कंपनी के स्वामी	-	-	11,747.83	7,122.13
गैर-नियंत्रणकारी ब्याज	-	-	3,968.37	2,355.12
कुल व्यापक आय	**8,534.21**	**5,320.51**	**16,264.09**	**8,588.64**
कंपनी के स्वामी	-	-	12,078.90	6,495.85
गैर-नियंत्रणकारी ब्याज	-	-	4,185.19	2,092.79

1.1.2 आरक्षित और अधिशेष निधियां (रिज़र्व और सरप्लस)

(₹ करोड़ में)

विवरण	एकल		समेकित*	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
अधिशेष निधियों का प्रारंभिक शेष	**6,042.40**	**6,202.53**	**8,080.18**	**9,029.56**
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ	8,444.01	5,655.14	11,747.83	7,122.13
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(3.13)	(5.01)	(8.75)	(6.14)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(VIIक)(ग) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिज़र्व के निमित्त अंतरण	(609.83)	(304.81)	(761.49)	(481.94)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(VIII)के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व में अंतरण	(2,534.77)	(1,350.13)	(3,883.87)	(2,151.40)
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ग (1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व में अंतरण	(1,688.80)	(1,131.02)	(2,569.38)	(1,645.79)
डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व में अंतरण	-	-	-	(25.87)
सामान्य रिज़र्व में अंतरण	-	-	(516.40)	-
ब्याज डिफरेंशियल रिज़र्व - केएफडबल्यू ऋण (निवल) में अंतरण	(1.25)	(1.40)	(1.25)	(1.40)
लाभांश	(2,112.07)	(2,508.08)	(2,112.07)	(2,508.08)
लाभांश वितरण कर	-	(264.79)	-	(514.99)
उपयोग के आधार पर डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व से अंतरण	-	-	-	-
ओसीआई-इक्विटी उपकरण से अंतरण	6.98	(249.96)	134.73	(295.33)
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	-	-		(0.20)
ओसीआई पर मापित इक्विटी उपकरण की बिक्री से लाभ/हानि का पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-
सामान्य नियंत्रण व्यवसाय समन्वय के लिए ब्याज लेखांकन की पूलिंग	-	-	-	-
क्षतिग्रस्तता रिज़र्व (इम्पेयरमेंट रिज़र्व)	-	-	-	(417.55)
समायोजन	(339.68)	(0.07)	(349.01)	(22.82)
अधिशेष निधियों का अंतिम शेष	**7,203.86**	**6,042.40**	**9,760.52**	**8,080.18**

* कंपनी (पीएफसी) के स्वामियों पर आरोप्य

1.2 प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन सिंहावलोकन

1.2.1 परिसंपत्ति गुणवत्ता

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
सकल ऋण परिसंपत्तियां	3,70,771	3,44,905
चरण III परिसंपत्तियां	21,150	27,872
चरण III परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	13,416	14,749
सकल ऋण परिसंपत्तियों के % रूप में सकल चरण III	5.70%	8.08%
सकल ऋण परिसंपत्तियों के % रूप में निवल चरण III	2.09%	3.80%

'कोविड गतिविधियों' के लिए 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पीएसयू' हेतु श्री समीर कोचर, अध्यक्ष, स्कॉच समूह से प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड प्राप्त करते हुए श्री आर. एस. ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी

1.2.2 संस्वीकृतियां/संवितरण (आर-एपीडीआरपी/आईपीडीएस को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2019-20	
	संस्वीकृतियां	संवितरण	संस्वीकृतियां	संवितरण
राज्य क्षेत्र	1,15,170	73,016	84,395	55,848
केंद्रीय क्षेत्र	9,172	3,912	6,550	1,006
संयुक्त क्षेत्र	8,907	2,123	1,873	2,326
निजी क्षेत्र	33,121	9,251	18,270	8,817
कुल	**1,66,370**	**88,302**	**1,11,089**	**67,997**

1.2.3 ऋण

1.2.3.1 जमा राशियां

आपकी कंपनी गैर-जमा राशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी है और इसलिए इसने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं की। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी ने कोई बेमियादी ऋण लिखत (पीडीआई) जारी नहीं की।

1.2.3.2 घरेलू बाजार से ऋण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान घरेलू बाजार से लिए गए प्रमुख ऋण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्रोत	राशि
1	बॉण्ड	40,965.60
2	रुपया सावधि ऋण	20,400.00
3	कमर्शियल पेपर (परिपक्वता मूल्य)	3,120.00
	कुल	**64,485.60***

*उपुर्यक्त के अतिरिक्त, कमर्शियल पेपर के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,775 करोड़ की राशि जुटाई गई और पुनर्भुगतान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कंपनी को, बिना किसी प्रतिबद्धता शुल्क के, अल्पावधि वित्तपोषण के लिए 31 मार्च, 2021 तक ₹10,930 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए गए।

एनसीडी(यों) का पब्लिक इश्यू

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रतिभूत, मोचनयोग्य, करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी(यों)) के पब्लिक इश्यू का पहला ट्रांच जारी किया, जिसमें ₹4,500 करोड़ तक के ओवर सब्सक्रिप्शन को मिलाकर ₹5,000 करोड़ के साथ ₹500 करोड़ का आधार मूल्य आकार था। यह पीएफसी का अब तक का पहला करयोग्य एनसीडी था और भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए किसी केंद्रीय पीएसयू का भी पहला करयोग्य एनसीडी था। इस पब्लिक इश्यू का उद्देश्य ऋण प्रदान करने, वित्तपोषण/मौजूदा ऋणग्रस्तता के लिए पुनर्वित्तपोषण करने और/अथवा ऋण सर्विसिंग (ब्याज का भुगतान और/या ब्याज का पुनर्भुगतान/पूर्व-भुगतान करने और मौजूदा ऋण के मूलधन का भुगतान करने) तथा सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजनों के लिए निधियां जुटाना था।

निवेशकों की विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, पीएफसी ने 3 वर्ष से 15 वर्ष तक अवधि के एनसीडी के साथ विभिन्न विकल्पों का प्रस्ताव किया। श्रृंखला-I में 3 वर्षीय अवधि के एनसीडी में निवेशक की श्रेणी के आधार पर प्रतिवर्ष 4.65% से प्रतिवर्ष 4.80% के निर्धारित कूपन दर का प्रस्ताव किया गया, जबकि श्रृंखला-II में 5 वर्षीय अवधि के एनसीडी में निवेशक की श्रेणी के आधार पर प्रतिवर्ष 5.65% से प्रतिवर्ष 5.80% की निर्धारित कूपन दर का प्रस्ताव था। 10 वर्षीय अवधि के एनसीडी में निर्धारित और परिवर्तनीय दोनों ब्याज दरों के विकल्प का प्रस्ताव था। निर्धारित कूपन दर प्रतिवर्ष 6.63% (तिमाही) से प्रतिवर्ष 7.00% थी तथा दूसरी ओर परिवर्तनीय कूपन दर बेंचमार्क एफआईएमएमडीए 10 वर्षीय जी-सेक (वार्षिकीकृत) + 55 बेस प्वाइंट से 80 बेस प्वाइंट तक का स्प्रेड (फ्लोर और कैप दरों के अध्यधीन) निवेशकों की श्रेणी

के आधार पर था। 15 वर्षीय अवधि के एनसीडी में अधिकतम प्रतिवर्ष 7.15% की दर के साथ अनेक निर्धारित कूपन दरों का प्रस्ताव किया गया था।

एनसीडी (ट्रांच-I) का उक्त पब्लिक इश्यू दिनांक 15 जनवरी, 2021 को सब्सक्रिप्शन के लिए खोला गया था और अंतिम तारीख से पहले ही 18 जनवरी, 2021 को बंद कर दिया गया था। इस इश्यू को भारी सफलता मिली, जिसका आधार इश्यू ₹500 करोड़ का था, जिसमें करीब 9 गुणा अधिक सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, जिसमें ₹4,428.99 करोड़ जुटाए गए। उक्त पब्लिक इश्यू के ट्रांच-I के अंतर्गत एनसीडी के आवंटन की तारीख 22 जनवरी, 2021 है और उसे बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध भी किया गया है। उक्त एनसीडी की मूलधन राशि और उसपर अर्जित ब्याज, पीएफसी के ऋण/प्राप्त राशियों के हाइपोथिकेशन के माध्यम से प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किए गए हैं, (बही ऋण/प्राप्त राशि को छोड़कर, जिसपर एक विशिष्ट प्रभार पहले ही सृजित किया गया है)। इसके अतिरिक्त, मैसर्स बीकोन ट्रस्टीशिप लिमिटेड को उक्त एनसीडी के डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है।

31 मार्च, 2021 तक, पीएफसी ने 11 जनवरी, 2021 के ट्रांच-I विवरणिका में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुसार एनसीडी के पब्लिक इश्यू के पहले ट्रांच की समग्र निवल प्राप्तियों का उपयोग कर लिया है।

1.2.3.3 बाह्य ऋण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग ऋण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्रोत	राशि
1	जीएमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत बॉण्ड	3,641.08
2	सिंडिकेटिड ऋण	2,962.30
	कुल	**6,603.38**

हरित बॉण्ड

पीएफसी ने अक्तूबर 2017 में जलवायु बॉण्ड पहल (सीबीआई), लंदन, यूके से यथानुमोदित अपना हरित बॉण्ड फ्रेमवर्क शुरू किया। इस संबंध में, पीएफसी और जलवायु बॉण्ड पहल के बीच एक करार निष्पादित किया गया था।

आपकी कंपनी ने अपना पहला यूएसडी ग्रीन बॉण्ड दिसंबर, 2017 में जारी किया और 3.75% के कूपन पर 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि जुटाई तथा ये बॉण्ड लंदन शेयर बाजार के नए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। बॉण्डधारकों के जलवायु बॉण्ड प्रमाणन के लिए किए गए करार के अंतर्गत यथापेक्षित, सामान्य वार्षिक अपडेट इस प्रकार है:-

ग्रीन बॉण्ड के अंतर्गत जुटाई गई राशि का उपयोग पीएफसी ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया गया था। 31 मार्च, 2021 तक पीएफसी से वित्तपोषित सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं का बकाया ऋण शेष क्रमशः ₹10,945 करोड़ और ₹8,696 करोड़ था। तदनुसार, पीएफसी का ग्रीन बॉण्ड पोर्टफोलियो, हरित बॉण्ड के अंतर्गत बकाया ऋण से अधिक है।

1.3 क्रेडिट रेटिंग

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, दीर्घावधि और अल्पावधि दोनों में कंपनी के घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) की रेटिंग सर्वोच्च बनी रही।
- **क्रिसिल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा दी गई घरेलू रेटिंग**
  - दीर्घावधि घरेलू ऋण कार्यक्रम रेटिंग-क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए और सीएआरई एएए
  - अल्पावधि घरेलू ऋण कार्यक्रम रेटिंग-क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+ और सीएआरई ए1+
- **अंतरराष्ट्रीय रेटिंग**
  - कंपनी की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज और फिच द्वारा क्रमशः प्रदत्त बीएए3 और बीबीबी- पर बनी हुई है।

1.4 भारत सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन

केवल वित्तीय वर्ष 2004-05 को छोड़कर आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 1993-94 से ही भारत सरकार द्वारा लगातार 'उत्कृष्ट रेटिंग' प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, आपकी कंपनी को 'उत्कृष्ट रेटिंग' प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 की रेटिंग अभी दी जानी है।

1.5 सहायक कंपनियां

1.5.1 आरईसी लिमिटेड

भारत सरकार से आरईसी (पूर्ववर्ती रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में 28 मार्च, 2019 को अधिकांश स्टेक अधिग्रहित किए जाने के परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी आरईसी की धारक कंपनी तथा प्रमोटर बन गई। तदनुसार 31 मार्च, 2021 तक आरईसी की निम्नलिखित सहायक कंपनियां भी पीएफसी की सहायक कंपनियां बन गईं:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य-निष्पादन आधारित 'समझौता-ज्ञापन' (एमओयू) पर हस्ताक्षर करते हुए श्री एस. एन. सहाय, पूर्व सचिव (विद्युत), भारत सरकार और श्री आर.एस. ढिल्लों, सीएमडी, पीएफसी । इस अवसर पर विद्युत मंत्रालय एवं पीएफसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में पीएफसी द्वारा वित्तपोषित 20.9 मेगावाट अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्र।

i) आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड#

ii) कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड

iii) मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड

iv) डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड

v) चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड

vi) डुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

vii) कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड

viii) सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड

ix) बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

x) गड़ग ट्रांसमिशन लिमिटेड

xi) राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

xii) फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड

xiii) एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-। लिमिटेड

xiv) एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-।। लिमिटेड

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के रूप में दिनांक 16 जुलाई, 2021 को नया नाम दिया गया।

आरईसी भी एक महत्वपूर्ण (गैर-जमा राशि स्वीकार करने वाली या धारक) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसकी व्यावसायिक गतिविधि में विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में चाहे उत्पादन, पारेषण या वितरण हो, परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। आरईसी राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्रीय/राज्य विद्युत संस्थाओं, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरईसी की कुल आय ₹35,410 करोड़ थी और इस दौरान आरईसी का निवल लाभ ₹8,362 करोड़ था।

आरईसी के प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन के बारे में अधिक ब्यौरा इसकी वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है।

1.5.2 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

आपकी कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को परामर्शी सेवा उपलब्ध करा रही है, जो इसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है।

पीएफसीसीएल मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराती है:

लेनदेन संबंधी परामर्श (एड्वाइजरी)

- 'केस-1' और केस-2' के माध्यम से विक्रेताओं/डेवलपरों का चयन;
- दिशानिर्देश एवं एसबीडी - अल्पावधि, मध्यावधि, दीर्घावधि (केस '1', केस '2' और यूएमपीपी), हाइड्रो, सौर, पवन, पायलट योजना 1 और 2
- सुधार और पुनर्गठन
- स्वतंत्र पारेषण परियोजना
- संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत वितरण का निजीकरण

परियोजना विकास

- अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपी)
- अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत पार्क (यूएमआरईपीपी)
- स्मार्ट मीटरिंग
- स्वामी के इंजीनियर, ऋणदाता का स्वतंत्र इंजीनियर; ऋणदाता का बीमा सलाहकार

वितरण क्षेत्र में पीएमए/पीएमसी

- आईपीडीएस
- डीडीयूजीजेवाई
- स्मार्ट मीटरिंग
- स्मार्ट ग्रिड
- एनएसजीएम
- आर-एपीडीआरपी

स्मार्ट सोल्यूशंस

- जीआईएस और स्मार्ट मीटरिंग
- स्मार्ट ग्रिड
- एनर्जी पोर्टफोलियो प्रबंधन
- विद्युत की खरीद: दीप पोर्टल
- शक्ति योजना के अंतर्गत कोल लिंकेज बोली
- पायलट योजना । और ।।
- 'प्राप्ति' (पीआरएपीटीआई) पोर्टल

अन्य सेवाएं

- टैरिफ और विनियामक
- ईपीसी ठेकेदार का चयन
- संसाधन जुटाव
- नए विद्युत संयंत्र के लिए परियोजना परामर्श
- कार्यनीति
- अनुबंध, वाणिज्यिक और कानूनी
- व्यापार
- परियोजना आकलन
- प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण
- लेखांकन प्रणालियां
- नीति
- ऊर्जा लेखापरीक्षा

पीएफसीसीएल ने अब तक 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 74 ग्राहकों को परामर्शी सेवा उपलब्ध कराई है। अब तक पूरे किए गए कुल कार्यों की संख्या 150 है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पीएफसीसीएल की कुल आय ₹74.90 करोड़ थी और अर्जित निवल लाभ ₹28.11 करोड़ था। 31 मार्च, 2021 तक पीएफसीसीएल की निवल आय ₹88.18 करोड़ थी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पीएफसीसीएल के सांविधिक लेखापरीक्षक ने व्यावसायिक प्रोन्नतियों, शासकीय आतिथ्य और सहायक कंपनियों/उनकी सहायक कंपनियों को व्यय के संगत आवंटन के संबंध में पीएफसीसीएल के कुछ कार्यों में कतिपय संदिग्ध अनियमितताओं का उल्लेख किया है। पीएफसीसीएल के सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपने दिनांक 25.06.2020 के पत्र द्वारा मामले की सूचना पीएफसीसीएल के निदेशक मंडल तथा एमसीए को दी थी। पीएफसीसीएल के सांविधिक लेखापरीक्षक के इस पत्र के आधार पर, कुछ कार्मिकों के विरूद्ध लागू नियमों और विनियमों के अंतर्गत जांच शुरू की गई थी। जांच के अनुसार, पीएफसीसीएल के एक कार्मिक को बड़ी पेनल्टी प्रदान की गई है और आगामी जांच चल रही है।

- आपकी कंपनी को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास के लिए 'नोडल एजेंसी' बनाया गया है और इसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी अर्थात पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' बनाया गया है। उक्त के लिए 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की सहायक/मानित सहायक कंपनी के रूप में निम्नलिखित विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) शामिल किए गए हैं।

i) छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (पूर्ववर्ती अकलतारा पावर लिमिटेड)

ii) कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

iii) कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

iv) कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

v) ओडिशा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड

vi) साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड

vii) घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड

viii) तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड

ix) देवघर मेगा पावर लिमिटेड

x) चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड

xi) ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड

xii) देवघर इंफ्रा लिमिटेड

xiii) बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड

xiv) बिहार मेगा पावर लिमिटेड

xv) झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड

xvi) टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*

xvii) बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड*

xviii) शोंगटाँग करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड*

xix) कोप्पल-नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड*

xx) करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड*

xxi) अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड*

xxii) सीकर-।। अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड*#

xxiii) भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड*

xxiv) खेतड़ी नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड*

xxv) किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड**

xxvi) खवड़ा-भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड**

xxvii) नांगलबिबरा-बोंगइगांव ट्रांसमिशन लिमिटेड**

xxviii) मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड**

*पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी
**पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन और वित्तीय वर्ष 2020-21 में निगमित
#8 जून, 2021 को अंतरित

2.0 जोखिम प्रबंधन

2.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

आपकी कंपनी ने लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति के अनुरूप एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है। लिक्विडिटी जोखिम का मापन और मॉनीटरिंग नकदी प्रवाह के माध्यम से तथा ब्याज दर जोखिम की मॉनीटरिंग पारंपरिक अंतराल

बीकानेर, राजस्थान में पीएफसी द्वारा वित्तपोषित भारत का सबसे बड़ा 600 मेगावाट (900 एमडबल्यूपी) सोलर पीवी संयंत्र।

विश्लेषण तकनीक के माध्यम से की जाती है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों में विस्तार से दिया गया है। यह विश्लेषण विभिन्न समयावधि (बकेट) में किया जाता है और इसका उपयोग ऋणों के समय, मात्रा और परिपक्वता तथा समयावधि (अल्प, मध्यम, दीर्घ) और निर्धारित एवं परिवर्तनीय (फ्लोटिंग) ब्याज दर के आधार पर परिसंपति और देयताओं के मिलान संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए किया जाता है। परिसंपत्ति देयता परिपक्वता पैटर्न का विवरण, इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल एकल वित्तीय विवरणों की लेखांकन टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 53 में दिया गया है।

2.2 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा ऋणों से संबंधित जोखिम के प्रबंधन के लिए आपकी कंपनी ने मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति लागू की है। कंपनी ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम को कवर करने के लिए विभिन्न लिखतों के माध्यम से ऑप्शन, फॉरवर्ड और स्वैप जैसे कई हेजिंग लेन-देन किए हैं।

31 मार्च, 2021 तक कुल बकाया विदेशी मुद्रा देयताएं 6,309 मिलियन यूएसडी, 50,892 मिलियन जेपीवाई और 11 मिलियन यूरो हैं, जिसमें 2,800 मिलियन यूएसडी और 459 मिलियन जेपीवाई हेज्ड हैं। इसके अतिरिक्त, 5 वर्ष तक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो का 86% हेज कर लिया गया है।

2.3 एकीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन

कंपनी में संभावित जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, एकीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति (आईआरएम नीति) लागू की गई है। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए, आपकी कंपनी ने निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है। आईआरएम नीति के अंतर्गत, कंपनी को उन मुख्य जोखिमों की पहचान करनी होती है, जिसका असर कंपनी के लाभ/राजस्व पर पड़ सकता है। इस संदर्भ में, कंपनी ने 11 महत्वपूर्ण जोखिम पैरामीटरों की पहचान की है, जिनके उभरने की आशंका कंपनी के व्यवसाय मॉडल और वित्तीय लिखतों में संभव हो सकती है। इन जोखिम पैरामीटरों में कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले बड़े प्रचालनात्मक जोखिम, वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, विनियामक जोखिम इत्यादि आते हैं तथा इनका मूल्यांकन जोखिम मूल्यांकन मानदंड पर नियमित रूप से किया जाता है।

3.0 पीएफसी और सरकार की भागीदारी

3.1 स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं (आईटीपी)

विद्युत मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से पारेषण प्रणाली के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू की है।

इस पहल का उद्देश्य भारत में पारेषण क्षमता विकसित करना है और ऐसी परियोजनाओं को आरंभिक सर्वेक्षण कार्य, रूटों की पहचान, सर्वेक्षण रिपोर्ट की तैयारी, सब-स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरूआत, यदि कोई हो और यदि आवश्यक हो तो वन संरक्षण मंजूरी प्रक्रिया की शुरूआत के चरण तक ऐसी परियोजनाओं को विकसित कर संभावित निवेशकों को आकर्षित करना है।

31 मार्च, 2021 तक, आईटीपी के लिए 36 विशेष प्रयोजनीय वाहनों (एसपीवी) की स्थापना की गई, 2 पीएफसी द्वारा और अन्य 34 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) द्वारा। इसके अतिरिक्त, माह अप्रैल और मई 2021 में पीएफसीसीएल ने पारेषण योजनाओं के विकास के लिए 3 नए विशेष प्रयोजनीय वाहन निगमित किए हैं। कुल 39 एसपीवी में से, 26 एसपीवी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिए गए और 9 एसपीवी के लिए बोली प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय द्वारा योजनाओं के डिनोटिफिकेशन के बाद, 2 एसपीवी बंद कर दिए गए हैं और अन्य 3 एसपीवी बंद होने की प्रक्रिया में है।

3.2 अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपी)

सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए लगभग 4,000 मेगावाट क्षमता वाली प्रत्येक अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं का विकास विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की पहल है, जिसके लिए मंत्रालय ने आपकी कंपनी को 'नोडल एजेंसी' और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को तकनीकी भागीदार के रूप में नामित किया है।

बोली प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक समुचित विनियामक और भूमि, जल, कोयला ब्लॉक, पर्यावरण संबंधी अन्य मंजूरी के लिए पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) विद्युत मंत्रालय और सीईए के साथ मिलकर आवश्यक आरंभिक साइट जांच और भूमि अधिग्रहण तथा स्थल अध्ययन गतिविधियां संचालित करती है। सफल बोलीदाता से इन परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन की अपेक्षा की जाती है।

आपकी कंपनी ने यूएमपीपी के लिए कुल 19 पूर्ण स्वामित्वाधीन विशेष प्रयोजनीय वाहन स्थापित किए हैं। इनमें से 4 यूएमपीपी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं और विद्युत मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों के निर्देश पर पीएफसी/पीएफसीसीएल 4 यूएमपीपी को बंद करने की प्रक्रिया में है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) को संशोधित कर रहा है। यूएमपीपी का विकास कार्य चल रहा है।

3.3 एकीकृत विद्युत विकास योजना (इसमें पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के शामिल होने सहित)

क) शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण तथा डिस्कॉम/विद्युत विभागों के संसाधन बढ़ाने के लिए उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क तथा मीटरिंग के अंतराल को पाटने के पूंजी व्यय पर वित्तीय सहायता के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 3 दिसंबर, 2014 को एकीकृत विद्युत विकास योजना लागू की। इस योजना को 3 प्रमुख शीर्षों में संस्वीकृत किया गया है:

i. नए सब स्टेशनों, नई लाइनों, पुरानी लाइन/केबल हटाने, एरियल बंच्ड और भूमिगत केबलिंग, मीटरिंग इत्यादि के साथ शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क सुदृढ़ करना।

ii. छोटे शहरों के लिए आईटी समर्थता और ईआरपी जैसी आईटी आधारित प्रौद्योगिकी।

iii. गैस इन्सुलेटिड सब स्टेशन (जीआईसी) और वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटी-डीएएस) परियोजना जैसी नई प्रौद्योगिकी।

पूर्ववर्ती आर-एपीडीआरपी योजना आईपीडीएस स्कीम में शामिल है।

योजना का अनुमानित परिव्यय ₹32,612 करोड़ है, जिसमें पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार की ₹25,354 करोड़ की बजट सहायता शामिल है।

₹32,612 करोड़ के परिव्यय के अतिरिक्त, सीसीईए से पहले ही अनुमोदित ₹44,011 करोड़ (₹22,727 करोड़ की बजटीय सहायता सहित) की आर-एपीडीआरपी योजना लागत को भी आईपीडीएस की योजना के लिए आगे ले जाया गया है।

ख) आईपीडीएस (आर-एपीडीआरपी योजना सहित) के अंतर्गत संस्वीकृतियों/संवितरण का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

योजना	वित्तीय वर्ष 2020-21		मार्च 2021 तक संचयी	
	अनुमोदित परियोजना लागत	संवितरण	अनुमोदित परियोजना लागत	संवितरण
आर-एपीडीआरपी	(2,749)*	300	31,965	13,194
आईपीडीएस	(745)#	3,210	31,314	15,661

टिप्पणीयां: *आर-एपीडीआरपी के लिए 2020-21 में नकारात्मक संस्वीकृति आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं को अंतिम रूप से बंद किए जाने पर लागत में कमी को दर्शाती है।

#आईपीडीएस परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत परियोजना लागत में कमी का कारण 3 अगस्त, 2020 को हुई 16वीं मॉनीटरिंग समिति की बैठक द्वारा परियोजना को निरस्त किया जाना है, जिसमें विद्युत संस्थाओं द्वारा परियोजनाएं प्रदान करने में विलंब और आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी के लिए मार्च, 2022 तक वर्तमान निर्णायक तारीख तक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समय की कम उपलब्धता पर विचार किया गया। 18 मार्च, 2021 को 18वीं मॉनीटरिंग समिति की बैठक हुई, जिसमें विद्युत संस्थाओं के अनुरोध पर कुछ परियोजनाओं का निरस्तीकरण हटाने का निर्णय लिया गया।

कवलधरा, महाराष्ट्र में पीएफसी द्वारा वित्तपोषित 76 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना

श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने श्री पी.के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) एवं अतिरिक्त प्रभार निदेशक (परियोजना) और श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, निदेशक (वित्त) की उपस्थिति में त्राशी यांग्त्से, भूटान में 600 मेगावाट की जल-विद्युत परियोजना के लिए सावधि ऋण प्रदान करने हेतु खोलोंग्छू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड (केएचईएल) के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

ग) अन्य विकास

- योजना के अंतर्गत आईटी और तकनीकी इंटरवेंशन से बिलिंग/वसूली दक्षता में सुधार लाने में मदद मिल रही है। इससे कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि में कमी आएगी। अनेक आर-एपीडीआरपी नगरों में प्रशासनिक और अन्य उपायों के साथ आईटी प्रणाली और भाग-ख पूरा हो जाने के साथ एटी एंड सी हानि में कमी भी नजर आ रही है।
- नेशनल पावर पोर्टल के अंतर्गत शहरी वितरण मॉनीटरिंग प्रणाली पर आईटी समर्थ नगरों में 36,000 (11 केवी) शहरी फीडर से डाटा संग्रह में पारदर्शिता भी बढ़ी है।
- इन पहलों से डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति मिली है। यह इस बात से स्पष्ट है कि आईपीडीएस वेबसाइट पर संग्रहीत डाटा के अनुसार आईटी समर्थ नगरों मे 50% से अधिक राजस्व का संग्रहण डिजिटल माध्यम से हुआ।
- बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में पहली बार गैस इन्सुलेटिड सब-स्टेशन (जीआईएस) चालू किए गए।
- देश में 3.5 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।
- सभी डिस्कॉमों में अब 'बिजली संबंधी शिकायतों' के लिए '1912' लघु कोड काम कर रहा है।
- आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके विद्युत संस्थाओं के कार्मिकों की एटी एंड सी हानि में कटौती, स्मार्ट मीटरिंग, परियोजना प्रबंधन, दिशानिर्देश, श्रेष्ठ पद्धतियों इत्यादि पर कार्यशालाओं/वेबिनारों के माध्यम से उनके कौशल संवर्धन के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण भी चलाया गया है।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

केंद्र सरकार ने 'संशोधित वितरण क्षेत्र योजना - सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध योजना' अनुमोदित की है, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से मजबूत और प्रचालन की दृष्टि से सक्षम वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाना है। योजना का लक्ष्य अखिल भारत स्तर पर एटी एंड सी हानियों को 12-15% तक कम करना और औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) - औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) अंतराल को 2024-25 तक शून्य पर लाना है। योजना में ₹3,03,758 करोड़ का परिव्यय है। योजना के अंतर्गत पात्र डिस्कॉमों को वितरण अवसंरचना और नेटवर्क के लिए स्मार्ट मीटरिंग प्रणालियों के साथ उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणालियों को उन्नत बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग के अतिरिक्त, अन्य कार्यों के लिए वित्तपोषण, डिस्कामों द्वारा पूर्व-अर्हता मानकों की पूर्ति करने और हानि में कमी लाने के लिए कार्य-योजनाओं के आधार पर तथा भारत सरकार द्वारा सहमति, डिस्कामों की कार्य योजनाओं के आधार पर निर्मित परिणाम मूल्यांकन मेट्रिक्स के संबंध में कम-से-कम 60% अंक हासिल करने पर निर्भर करेगा।

आपकी कंपनी को इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के साथ उक्त योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस प्रकार, आपकी कंपनी प्रचालनात्मक क्षमता में सुधार और वितरण संस्थाओं की वित्तीय हालत में सुधार के लिए योगदान दे रही है।

4.0 संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनी और अन्य प्रमुख निवेश (31 मार्च, 2021 तक)

4.1 एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल), 10 दिसंबर, 2009 को निगमित की गई थी। भारत और विदेशों में ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इसे संयुक्त रूप से पावरग्रिड, एनटीपीसी, आरईसी और पीएफसी द्वारा प्रत्येक के 25% इक्विटी स्टेक के साथ बढ़ावा दिया गया।

31 मार्च, 2021 तक, कंपनी की अपनी सहायक कंपनी आरईसी के साथ ईईएसएल के इक्विटी शेयर पूंजी में 47.15% का स्टेक (24.97% सीधे और 22.18% अपनी सहायक कंपनी आरईसी के माध्यम से) है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ईईसीएल के अनंतिम वित्तीय आंकड़ों के आधार पर, वर्ष के लिए इसका टर्नओवर ₹1,471.85 करोड़ (एकल आधार पर) था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः ₹43.96 करोड़ और ₹32.87 करोड़ था।

4.2 पीटीसी इंडिया लिमिटेड

पीटीसी इंडिया लिमिटेड को संयुक्त रूप से पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी और पीएफसी द्वारा प्रमोट किया गया। पीएफसी ने पीटीसी में ₹12 करोड़ का निवेश किया था, जो पीटीसी की कुल इक्विटी का 4.05% है। पीटीसी भारत में पावर ट्रेडिंग का समाधान उपलब्ध कराने वाली एक अग्रणी कंपनी है। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी शुरू की गई। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में वाणिज्यिक रूप से सक्रिय विद्युत बाजार विकसित करना है।

4.3 पीएफसी ने पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) में निवेश किया था। पीएक्सआईएल के इक्विटी शेयर में पीएफसी का निवेश 31 मार्च, 2021 तक ₹3.22 करोड़ था। पीएक्सआईएल का निवल मूल्य गिरने के कारण निवेशों का उचित मूल्य शून्य हो गया क्योंकि कोई प्रमुख राशि प्राप्त होने की संभावना नहीं थी।

5.0 सुधार और पुनर्गठन संबंधी पहलें

5.1 विद्युत संस्थाओं का श्रेणीकरण

निधीयन के प्रयोजन से, आपकी कंपनी राज्य विद्युत उत्पादन और पारेषण संस्थाओं को ए++, ए+, ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। राज्य विद्युत उत्पादन और पारेषण संस्थाओं का यह श्रेणीकरण (अर्द्धवार्षिक रूप से) पीएफसी की श्रेणीकरण नीति के अनुसार विशिष्ट पैरामीटरों की कसौटी पर कंपनी की विनियामक परिवेश, लेखापरीक्षित लेखाओं के उत्पादन सहित प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन के आकलन पर होता है।

राज्य विद्युत वितरण संस्थाओं (एकीकृत प्रचालन के साथ एसईबी/कंपनियों सहित) के संबंध में आपकी कंपनी की श्रेणीकरण नीति में रेटिंग/ग्रेडिंग को पीएफसी की मानक श्रेणियों ए+, ए, बी और सी से जोड़कर विद्युत मंत्रालय की एकीकृत रेटिंग अपनाने का प्रावधान किया गया है। यह वर्गीकरण पीएफसी को राज्य विद्युत संस्थाओं के लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा, ऋण के मूल्य निर्धारण और सुरक्षा नियम तय करने में सक्षम बनाती है।

5.2 राज्य विद्युत संस्थाओं की वार्षिक कार्य-निष्पादन अनुसंधान रिपोर्ट

पीएफसी ने 3 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 2016-17 से 2018-19 तक, जिसमें वर्ष 2018-19 के लिए 104 विद्युत संस्थाएं शामिल हैं, राज्य विद्युत संस्थाओं के कार्य-निष्पादन पर रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट एक विश्वसनीय डेटाबेस प्रदान करने के लिए पीएफसी के प्रयासों का एक भाग है, जिससे क्षेत्र में सुधारों से जुड़े परिणामों को निर्धारित करने में मदद मिल सकती है। रिपोर्ट को विभिन्न स्टेकधारकों द्वारा राज्य विद्युत क्षेत्र के संबंध में सूचना का एक उपयोगी स्रोत माना गया है। रिपोर्ट में वित्तीय और प्रचालनात्मक निष्पादन अर्थात लाभप्रदता, औसत आपूर्ति लागत व औसत राजस्व के बीच अंतराल, निवल आय, नियोजित पूंजी, प्राप्य राशियों, भुगतानयोग्य राशियों, एटी एंड सी हानियों इत्यादि तथा विद्युत संस्थाओं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र की खपत पद्धति का विश्लेषण किया गया है।

वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की तीन वर्षीय अवधि के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और एक मसौदा रिपोर्ट मार्च, 2021 में विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

5.3 राज्य वितरण संस्थाओं की वार्षिक एकीकृत रेटिंग

विद्युत मंत्रालय ने राज्य वितरण क्षेत्र में सुधार लाने के लिए विभिन्न सुधार पहलें शुरू की हैं और राज्य वितरण संस्थाओं के कार्य-निष्पादन का उद्देश्यपरक मूल्यांकन करने के लिए एकीकृत रेटिंग पद्धति शुरू की है। राज्य सरकारों/ डिस्कॉमों की विद्युत क्षेत्र सुधार पहलों को शामिल करने के अतिरिक्त, विद्युत संस्थाओं के वास्तविक निष्पादन से संबंधित मापदंडों सहित एकीकृत रेटिंग पद्धति के भाग के रूप में अनेक वित्तीय, प्रचालनात्मक और सुधारों से जुड़े मापदंडों की पहचान की गई है। ये रेटिंग प्रतिष्ठित स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा और आपकी कंपनी के समन्वय से की गई हैं।

इन रेटिंग से राज्य सरकारों और विद्युत संस्थाओं के लिए उनकी मजबूती और उनकी प्रचालनात्मक क्षमता तथा वित्तीय स्व-संधारणीयता में सुधार के लिए एक नैदानिक उपकरण के रूप में काफी लाभकारी हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नौवीं एकीकृत रेटिंग, जिसमें 22 राज्यों में 41 विद्युत संस्थाएं शामिल हैं और विद्युत संस्थाओं की परस्पर रैंकिंग 16 जुलाई, 2021 को माननीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा निर्मोचित की गई थी।

डॉ. के.बी. हेडगेवार उच्च माध्यमिक स्कूल, बम्बोलिम, गोवा में एक्सटेंशन बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान डॉ. प्रमोद पी. सावंत, मुख्यमंत्री, गोवा के साथ श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

पीएफसी कार्यालय, नई दिल्ली में कोविड-19 टीकाकरण कैंप। पीएफसी द्वारा अपने कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पीएफसी कार्यालय में कई टीकाकरण कैंप आयोजित किए गए।

6.0 राष्ट्रपति जी के निर्देश

पिछले 3 वर्ष के दौरान, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के 03 अगस्त, 2017 के कार्यालय-ज्ञापन और 04 अगस्त, 2017 के कार्यालय-ज्ञापन के अनुसरण में निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के लिए 01 जनवरी, 2017 से वेतनमान संशोधन करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने 10 मई, 2018 के पत्र द्वारा राष्ट्रपति जी के निदेश जारी किए। राष्ट्रपति के निर्देश के अनुरूप निदेशक मंडल स्तर और निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालकों का वेतनमान तथा अनुलब्धियां और भत्ते इत्यादि 1 जनवरी, 2017 से संशोधित कर दिए गए हैं।

7.0 निगमित सामाजिक दायित्व

पीएफसी के निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति (सीएसआर और संधारणीयता नीति) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी निगमित कंपनी बने जो सतत विकास, मुख्य रूप से समाज की विद्युत और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान देकर लोगों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हो।

पीएफसी ने अपनी सीएसआर और संधारणीयता नीति को जोर-शोर से और तत्परता के साथ कार्यान्वित किया है। सीएसआर क्रियाकलापों को देखने के लिए पीएफसी में स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में निदेशकों की एक बोर्ड स्तरीय सीएसआर और एसडी समिति है।

पीएफसी ने पर्यावरणीय संधारणीयता, स्वास्थ्य देख-रेख, स्वच्छता और पेयजल तथा कौशल विकास के क्षेत्र में व्यापक सीएसआर और एसडी क्रियाकलापों को कार्यान्वित किया है। इसके अतिरिक्त, डीपीई मेंडेट के अनुसार, पीएफसी ने आकांक्षी जिलों को तरजीह देते हुए, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित विषय क्षेत्रों के लिए भी योगदान दिया है।

कंपनी (सीएसआर नीति), नियमावली के अंतर्गत निगमित सामाजिक दायित्व रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।

8.0 मानव संसाधन संबंधी पहलें

विकास और प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, निगमित लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए विभागीय कार्यक्रमों के आयोजन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा गया। बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों के लिए कार्मिक प्रायोजन के अतिरिक्त, अनुकूलित जरूरत पर आधारित वर्चुअल इन-हाउस कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल 254 कार्मिकों को वर्चुअल कार्यक्रम के लिए प्रायोजित किया गया।

कल्याण के उपाय

आपकी कंपनी ने उद्योग की श्रेष्ठ प्रबंधन पद्धतियों को अपनाया।

कार्यबल की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी उपायों का प्रभावकारी पैकेज उपलब्ध है, जिसमें व्यापक बीमा, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जिनसे स्वस्थ कार्यबल मौजूद है। इस अवधि के दौरान, कार्मिकों के कल्याण के लिए कई नई पहल शुरू की गई जैसे चिकित्सा परिचर्या नियमावली, ईपीएफ ट्रस्ट नियमावली में संशोधन और कोविड से बचाव के उपाय आदि।

आपकी कंपनी ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य करना लागू किया है, ताकि सभी स्थितियों में सुचारु और कागज रहित कार्य हो सके। आवश्यक प्रावधान जैसे रिमोट वर्किंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा प्रदान की गई ताकि लॉकडाउन के दौरान घर से काम हो सके। महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए कार्यालय में वास्तविक रूप से मौजूदगी वाली बैठकें न्यूनतम की गई। कार्मिकों की टेस्टिंग और टीकाकरण के लिए इस अवधि के दौरान कार्यालय परिसर में कई शिविर आयोजित किए गए। महामारी के दौरान कार्मिकों के बीच तनाव-प्रबंधन सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए।

मनोरंजन संबंधी गतिविधियां

पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (पीएससीबी) का संस्थापक सदस्य होने के कारण, आपकी कंपनी ने कार्मिकों में टीम भावना को बढ़ावा देने के लिए फरवरी,

2021 में अपने कार्मिकों के लिए इंटर डिविजन टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया तथा इसके अतिरिक्त, कार्मिकों ने वर्ष के दौरान पीएससीबी सदस्य संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न इंटर-सीपीएसयू खेल प्रतियोगिताओं में पूरे उत्साह और जोर-शोर से हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में महिला टीमों की भागीदारी भी देखी गई।

मानव संसाधन प्रबंधन

आपकी कंपनी ने मानव संसाधनों के अधिग्रहण और उन्हें संगठन में बनाए रखने के लिए प्रभावी तंत्र लागू किया है, जिसे संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ निगमित प्रक्रियाओं के साथ बेंचमार्क के रूप में माना जाता है। यह अन्य कार्यनीतिक हस्तक्षेपों के अतिरिक्त, मानव संसाधन प्रबंधन का प्रभावी नेतृत्व करती है, जिससे उच्च स्तर की उत्पादकता सुनिश्चित होती है।

कंपनी के भीतर कार्मिकों के साथ औद्योगिक संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहे और सामंजस्य बना रहा, इसके फलस्वरूप कार्मिक पूरी तरह से कंपनी के उद्देश्यों के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक भी कार्यदिवस का नुकसान नहीं हुआ। 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान कार्य दिवस हानि की दर 0.42 % रही।.

पदों का आरक्षण

भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

समूह	31 मार्च, 2021 तक कुल कार्मिक	एससी	एससी %	एसटी	एसटी %	ओबीसी	ओबीसी %	ईडब्ल्यूएस	ईडब्ल्यूएस %
क	461	84	18.22	29	6.29	85	18.44	1	0.22
ख	5	1	20.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00
ग	17	2	11.76	1	5.88	3	17.65	0	0.00
घ	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
कुल	**483**	**87**	**18.01**	**31**	**6.42**	**88**	**18.22**	**1**	**0.21**

पीएफसी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/ईएसएम/ दिव्यांग कार्मिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के सभी प्रयास करती है। उठाए गए कदमों में यथालागू आरक्षण और विभिन्न निदेशों के अंतर्गत छूट शामिल हैं, जो सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के मामलों में भी लागू होती है। आरक्षण के मामले को देखने के लिए अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

महिला कार्मिकों का प्रतिनिधित्व

आपकी कपंनी में महिलाएं महत्वपूर्ण तथा जटिल कार्यात्मक (फंक्शनल) दोनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं। महिलाओं ने पदानुक्रमित स्तरों पर भी सभी पदों का प्रतिनिधित्व किया है। आपकी कंपनी अपनी महिला कार्मिकों को इस विषय पर भारत सरकार की नीति और सिद्धांत के अनुसार उन्नति के समान अवसर प्रदान करती है। कंपनी के कार्यबल में महिला कार्मिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है और कुल कार्यबल में 20.29% महिलाएं हैं।

समूह	31 मार्च, 2021 तक कुल कार्मिक	महिला कार्मिकों की संख्या	कुल स्टाफ क्षमता का
क	461	95	20.61%
ख	5	0	0.00%
ग	17	3	17.65%
घ	0	0	0.00%
कुल	**483**	**98**	**20.29%**

पीएफसी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में महिला कार्मिकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव प्रयासरत है।

आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थल पर महिला कार्मिकों का यौन शोषण (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिला कार्मिकों के

'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' कार्यक्रम में पीएफसी की महिला कार्मिकों के साथ श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, निदेशक (वित्त), पीएफसी।

माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशिथ प्रामाणिक और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह वर्ष 2019-20 के लिए राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी को सर्वोच्च एवं प्रतिष्ठित 'राजभाषा कीर्ति' प्रथम पुरस्कार प्रदान करते हुए।

यौन शोषण से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों का निपटान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

क) 1 अप्रैल, 2020 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या: 01

ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दाखिल शिकायतों की संख्या: शून्य

ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या: 01

घ) 31 मार्च, 2021 तक लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य

9.0 सतर्कता

सतर्कता यूनिट ने प्रबंधन के प्रभावी तंत्र के रूप में सक्रिय रूप से कार्य किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सतर्कता यूनिट ने निवारक सतर्कता का कार्य किया है। विभिन्न यूनिटों के आवधिक और आकस्मिक निरीक्षणों के माध्यम से इस पहलू पर निरंतर बल दिया गया। इस अवधि में सतर्कता यूनिट ने आदेश/कारगर दिशा-निर्देश भी जारी किए ताकि रोजमर्रा के कार्यों में अंतराल दूर करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया जा सके। सभी स्टेकधारकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने और संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल एक प्रभावी टूल के रूप में किया गया। सतर्कता यूनिट ने इस अवधि के दौरान पंजीकृत शिकायतों के संबंध में विस्तृत जांच की।

सतर्कता यूनिट ने कंपनी के प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और जवाबदेही लाने के लिए व्यवस्थित सुधारों हेतु निरंतर कार्य किया। इस प्रकार, इसने आपकी कंपनी की कार्यप्रणाली में समग्र रूप से सुधार की दिशा में अपना योगदान दिया है।

10.0 राजभाषा

यह बड़े गर्व का विषय है कि आपकी कंपनी को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में किए गए अपने समन्वित प्रयासों के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए 'क' क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी में 'राजभाषा कीर्ति' प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। पीएफसी द्वारा लगातार सातवीं बार पुरस्कार प्राप्त किया गया है।

14 सितंबर, 2020 को हिंदी दिवस और 14 सितंबर, 2020 से 13 अक्तूबर, 2020 तक हिंदी माह मनाया गया ताकि हिंदीमय वातावरण सृजित किया जा सके। कोविड-19 के चलते हिंदी माह के दौरान पांच ऑनलाइन प्रतियोगिताएं जैसे 'राजभाषा हिंदी प्रश्नोत्तरी', 'लिखें कहानी-अपनी जुबानी', 'निबंध लेखन' आदि आयोजित की गई। 'हिंदी माह' के समापन समारोह पर पीएफसी के कार्मिकों ने पीएफसी गीत और कविता पाठ सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

वर्ष के दौरान, 9 हिंदी कार्यशालाएं और 1 'संगोष्ठी' आयोजित की गई, जिनमें 297 कार्यपालकों ने भाग लिया। राजभाषा विभाग और पीएफसी के संयुक्त तत्वावधान में, एक तकनीकी कार्यशाला/'कंठस्थ' पर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें केंद्र सरकार के दिल्ली में स्थित विभिन्न कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों और अर्ध-सैनिक बलों के 50 से अधिक कार्मिकों ने भाग लिया। 'राजभाषा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता' नामक एक हिंदी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें 75 से अधिक कार्मिकों ने भाग लिया। आपकी कंपनी के मुख्यालय (दिल्ली) और क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम) मुंबई का संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण किया गया और माननीय समिति ने पीएफसी में हिंदी में किए जा रहे कार्य की सराहना की।

'ऊर्जा दीप्ति' गृह पत्रिका के 'राजभाषा विशेषांक' सहित चार अंक प्रकाशित किए गए और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए।

11.0 निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) की अपेक्षा के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि:

(क) वार्षिक लेखाओं की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया और महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया;

(ख) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया गया और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए जो उचित एवं सार्थक थे, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि लेखा की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया गया;

(घ) वार्षिक लेखे अनवरत सतत सरोकार आधार पर तैयार किए गए;

(ड.) कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया है, जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत हैं;

(च) कंपनी ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और इस प्रकार तैयार की गई प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत हैं।

12.0 लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और किसी अर्हता, संदेह, प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण (डिसक्लेमर) के बिना अपनी रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि इसके साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

सचिवालयी लेखापरीक्षक

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ सचिवालयी लेखापरीक्षक की टिप्पणियों और उन टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर की प्रतिलिपि इसके साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने यह उल्लेख किया है कि लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कोई भी मामला उनकी जानकारी में नहीं आया है जिस पर कोई टिप्पणी दी जा सके या जिस पर सांविधिक लेखापरीक्षक की कोई रिपोर्ट के पूरक के तौर पर कोई रिपोर्ट दी जा सके। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की रिपोर्ट की प्रतिलिपि इसके साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

पीएफसी द्वारा वित्तपोषित 35 मेगावाट बबसर साइट

13.0 सांविधिक प्रकटीकरण

13.1 ऊर्जा का संरक्षण/ प्रौद्योगिकी आमेलन

ऊर्जा के संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है।

13.2 विदेशी विनिमय अर्जन और बहिर्गमन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विदेशी विनिमय बहिर्गमन की कुल मिलाकर ₹5,096.27 करोड़ की राशि ऋण सर्विसिंग, वित्तीय और अन्य प्रभारों के संबंध में की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विदेशी विनिमय अर्जन शून्य था।

13.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेशों के विवरण

आपकी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत छूट प्राप्त है।

तथापि, निवेशों के ब्यौरे इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में एकल वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 11 में दिए गए हैं।

13.4 वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता संबंधी विवरण

हमारी कंपनी के आउटसोर्स किए गए आंतरिक लेखापरीक्षक अर्थात मैसर्स एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने यह प्रमाणित किया है कि कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्त प्रणाली कायम की है जो कंपनी अधिनियम, 2013 और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटेंस ऑफ इंडिया के मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करती है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक अर्थात् गांधी मिनोचा एडं कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और दास गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि कंपनी के पास सभी वास्तविक संदर्भों में पर्याप्त आतंरिक वित्तीय नियत्रंण प्रणाली उपलब्ध है और कंपनी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिर्पोटिंग पर आतंरिक वित्तीय नियत्रंणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आतंरिक नियत्रंण के सभी अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आतंरिक नियत्रंण के आधार पर 31 मार्च, 2021 तक वित्तीय रिपोटिंग पर ऐसे आतंरिक वित्तीय नियत्रंण प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत थे।

13.5 सचिवालयी मानकों का अनुपालन

कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सभी यथालागू अनिवार्य सचिवालयी मानकों का अनुपालन करती है।

13.6 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अंतर्गत पारिश्रमिक के विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत प्रावधान और उसके अंतर्गत बने नियम एक सरकारी कंपनी होने के कारण आपकी कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

13.7 वार्षिक विवरणी लिंक

पीएफसी की वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक विवरणी https://pfcindia.com/Home/VS/10256 लिंक पर उपलब्ध है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यह आपकी कंपनी की वेबसाइट www.pcfindia.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

13.8 लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा और न ही सचिवालयी लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12)

के अंतर्गत लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के अधिकारियों अथवा कार्मिकों द्वारा कंपनी के विरुद्ध की गई कोई धोखाधड़ी की कोई ऐसी घटना रिपोर्ट की गई।

13.9 डिबेंचर ट्रस्टी

आपकी कंपनी द्वारा बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टियों के विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

13.10 विनियामकों अथवा न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा जारी किए गए ऐसे महत्वपूर्ण और जरूरी आदेशों के विवरण, जिनसे भविष्य में कंपनी का लाभकारी संस्था का दर्जा और कंपनी का प्रचालन प्रभावित हो सकता है

किसी भी विनियामक अथवा न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण और जरूरी आदेश जारी नहीं किए गए, जिनसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का लाभकारी संस्था का दर्जा और कंपनी का प्रचालन प्रभावित हुआ हो।

13.11 वर्ष के दौरान, दिवाला ओर शोधन अक्षमता कोड, 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन अथवा लंबित कार्यवाही का ब्यौरा तथा साथ ही वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति और एकबारगी निपटान के समय किए गए मूल्यांकन व बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का ब्यौरा तथा साथ ही तत्संबंधी कारण।

वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 के अंतर्गत पीएफसी के विरुद्ध कोई भी आवेदन नहीं किया गया अथवा कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त, एकबारगी निपटान समय किए गए मूल्यांकन व बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों के ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का ब्यौरा लागू नहीं है।

13.12 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसई) से खरीद का विवरण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत यथावश्यक प्रकटीकरण के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) से की गई खरीद के विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21 (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लक्ष्य (₹ करोड़ में)
I	कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में)	42.30	141.86*
II	एमएसई से प्राप्त की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य (अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	21.63	35.47
III	केवल अजा/अजजा के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	0.04	5.67
IV	कुल खरीद में एमएसई (अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीद का %	51%	25%
V	कुल खरीद में से अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का %	0.1%	4%
VI	एमएसई हेतु वेंडर विकास कार्यक्रम की कुल संख्या	2	2
VII	हाइपरलिंक द्वारा आपकी वेबसाइट पर वार्षिक एमएसई खरीद प्रोफाइल को अपलोड करने की पुष्टि	https://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/Statutory_Requirements/Codes_and_Policies/Public_Procurement_Policy_for_MSME/Procurement_Target_2021_22.pdf	

*₹95.34 करोड़ की राशि सहित, जो पीएफसी में एमएस यूनिट की एकबारगी अपेक्षा के रूप में है (नई आईटी अवसंरचना के संबंध में - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नियोजित)

14.0 सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार है। आरटीआई अधिनियम नागरिकों के जानकारी के अधिकार के आधार पर एक प्रगतिशील विधान है, जो भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदान किया गया एक मूलभूत अधिकार है। अधिनियम का प्रयोजन कार्यपालकों को जवाबदेह बनाना और योजनाओं व नीतियों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अधिनियम के अंतर्गत, किसी सार्वजनिक प्रावधान से, अधिनियम के अंतर्गत यथानिर्दिष्ट सूचना मांगी जा सकती है। सूचना का अधिकार में दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार शामिल है। अधिनियम के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि एक जागरूक नागरिक शासन के तंत्रों के संबंध में आवश्यक रूप से सतर्क रहने के लिए समस्त जानकारी रखता है और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है। सूचना मांगने वाले के पास कुछ अपवादों के अध्यधीन, अधिनियम के अंतर्गत एक अधिभावी अधिकार होता है कि वह लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना प्राप्त करे।

बदायूं, उत्तर प्रदेश में पीएफसी द्वारा वित्तपोषित 50 मेगावाट (71 एमडबल्यूपी) सौर विद्युत परियोजना

पीएफसी में आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र स्थापित किया गया है। आपकी कंपनी ने भारत के नागरिकों को सूचना प्रदान करने और साथ ही जवाबदेही रखने तथा कंपनी के कार्यों में पारदर्शिता रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को कार्यान्वित किया है।

कंपनी ने आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने पंजीकृत कार्यालय में एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और एक प्रथम अपील अधिकारी (आरटीआई) नामित किया है। कंपनी की शासकीय साइट (www.pfcindia.com) पर संगत सूचना प्रकटीकरण भी उपलब्ध कराया है। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के दौरान, सभी 136 आवेदनों, जो आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं, पर विधिवत कार्यवाही की गई है और उनका उत्तर दिया गया है। पीएफसी ने इस अवधि के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के पोर्टल पर ऑनलाइन तिमाही विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा को भी पूरा किया है।

इसके अतिरिक्त, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 में निहित प्रकटीकरण के प्रावधानों की अनुपालना को सुदृढ़ बनाने के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अपने दिनांक 15.04.2013 के का.ज्ञा.सं.1/6/2011-आईआर के अंतर्गत निम्नलिखित पर दिशानिर्देश जारी किए हैं:-

(i) धारा 4 के अंतर्गत अन्य मदों का स्वत: प्रकटीकरण

(ii) धारा 4 के अंतर्गत सक्रिय प्रकटीकरण के डिजीटल प्रकाशन के लिए दिशानिर्देश

(iii) प्रकटीकरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए धारा 4(1)(ख) के कतिपय खंडों के लिए दिशानिर्देश

(iv) आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्वत: प्रकटीकरण (सक्रिय प्रकटीकरण) के लिए अनुपालना तंत्र

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए पीएफसी के कंपनी की वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में, दिशा-निर्देशों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष तृतीय पक्षकार से अपनी सक्रिय प्रकटीकरण लेखापरीक्षा कराने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं निर्दिष्ट हैं। तदनुसार, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) (विद्युत मंत्रालय के अधीन केवल एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान) के पीएफसी सहित विद्युत कंपनियों के आरटीआई प्रकटीकरण की तृतीय पक्षकार लेखापरीक्षा कराने के लिए नामित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एनपीटीआई द्वारा पीएफसी आरटीआई प्रकटीकरण की तृतीय पक्षकार लेखापरीक्षा की जाएगी और वह रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर डाली जाएगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, पीएफसी भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (https://rtionline.gov.in) के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल से भी लिंक हैं, जिसमें भारत के नागरिकों को आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील ऑनलाइन दाखिल करने और भुगतान गेटवे के लिए सुविधा है। एसबीआई और उसके सहायक बैंकों की इंटरनेट, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड मास्टर/ वीजा और रुपे कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

15.0 शिकायत निवारण

कंपनी में व्यापक स्तर पर जनता की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद हैं। यह प्रणाली विधिवत रूप से अधिसूचित है और नोडल अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करते हैं। कंपनी ने अपने कार्यकलापों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक चार्टर भी अधिसूचित किया है। लोगों की पहुंच सुगम बनाने के लिए यह चार्टर कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

16.0 सांविधिक और अन्य सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देश और अन्य लागू सांविधिक/ प्रावधान के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक सूचना इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है जो निम्नानुसार दी गई हैं:

विवरण	अनुलग्नक
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	क
एकीकृत रिपोर्टिंग	ख
निगमित शासन पर रिपोर्ट	ग
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	घ
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	ङ
सीएसआर गतिविधियों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट	च
संबंधित पक्षकार (एओसी-2) के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण	छ
डिबेंचर ट्रस्टियों का ब्यौरा	ज

17.0 आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, नीति आयोग, दीपम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और केंद्र तथा राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों/ एजेंसियों के साथ-साथ विभिन्न घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों/ बैंकों, एजेंसियों इत्यादि द्वारा कंपनी को दिए गए मार्ग-दर्शन, सहयोग और प्रोत्साहन के लिए तहेदिल से उनकी प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और भारतीय बैंकों/ बहुपक्षीय एजेंसियों/ वित्तीय संस्थानों/ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के प्रति उनके द्वारा पीएफसी पर लगातार व्यक्त किए गए विश्वास और भरोसे के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आपके निदेशक उपभोक्ताओं और ग्राहकों के प्रति भी उनके सतत विश्वास और सहायता के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

कंपनी, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों और सचिवालयी लेखापरीक्षकों का भी उनके सृजनात्मक सुझावों और सहयोग के लिए धन्यवाद करती है।

आपका निदेशक मंडल कंपनी का चहुंमुखी उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए इसके कार्मिकों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदान को भी स्वीकार करता है और इसके लिए उनकी तहेदिल से प्रशंसा करता हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन:00278074

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26 अगस्त, 2021

प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी (पीएफसी) प्रबंधन को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के कार्य-निष्पादन सहित औद्योगिक परिदृश्य पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

(क) औद्योगिक संरचना और विकास

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कोविड-19 महामारी के कारण ऐसा संकट आया है, जो 'सदी में एक बार' आता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं और उसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ा। एक वैश्विक महामारी के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरुआत हुई, जिसका प्रबंधन करने के लिए देशों को अप्रत्याशित उपाय करने पड़े, जिससे अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे बंदी के कगार पर चली गई। लॉकडाउन और उसके कारण लोगों की तथा आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर, वस्तुओं व सेवाओं की स्थानीय और वैश्विक आवाजाही पर प्रतिबंध लगना एक बाहरी आघात था, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौतियां आईं, अनिश्चितता उत्पन्न हुई और जीविका को व्यापक नुकसान हुआ तथा लोगों को विस्थापित होना पड़ा।

₹36,439 करोड़

भारत सरकार द्वारा घोषित पैकेज के अंतर्गत राज्य विद्युत डिस्कॉमों को 31 मार्च, 2021 तक संवितरित किए।

तथापि, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अत: आर्थिक गतिविधि की वापसी शुरू हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, कारोबारी चिंताओं का निराकरण और जीविकाओं के लिए सहायता पर लक्षित विभिन्न सुधार संबंधी उपायों पर आधारित है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित सुधार संबंधी उपायों, सुधारों और प्रोत्साहन के पैकेज से औद्योगिक गतिविधियों की तेजी से बहाली होने से अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने में मदद मिली है।

विद्युत क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ गहन संबंध स्थापित हुआ है। आर्थिक गतिविधि को शक्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अनिवार्य है और यह आराम के समय में भी आवश्यक है। पर्याप्त विद्युत न होने के कारण, अर्थव्यवस्था न्यून अनुकूल स्तर पर प्रचालन करती है और अपने संभावित और सीमांत विकास पथ से दूर रहती है। अत: विद्युत क्षेत्र में निवेश करना अधिक तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है।

नई चुनौतियों के अनुसार बदलाव के साथ सतत विकास करना भारतीय विद्युत क्षेत्र की विशेषता रही है। मांग (सार्वभौमिक विद्युतीकरण) और आपूर्ति पक्ष (हरित ऊर्जा का आगमन), दोनों से पर्याप्त बदलाव देखने में आया है। भारत में विद्युत के उत्पादन और पारेषण में सराहनीय प्रगति हुई है।

पीएफसी पर कोविड-19 का प्रभाव

कंपनी ने दिनांक 27.03.2020, 17.04.2020 और 23.05.2020 के कोविड-19 नियंत्रण पैकेज के संबंध में आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.03.2020 और 31.08.2020 के बीच पात्र ऋणकर्ताओं के लिए बकाया किश्तों के भुगतान के संबंध में ऋण स्थगन का प्रस्ताव किया है।

भारत सरकार ने, कोविड-19 पैकेज के एक भाग के रूप में, दिनांक 13.05.2020 को विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है, जिसमें विद्युत क्षेत्र में वितरण कंपनियों के लिए लिक्विडिटी प्रदान करना शामिल है। लिक्विडिटी प्रदान करने के संबंध में पैकेज में पीएफसी और आरईसी द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए अत्यावश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कुल मिलाकर ₹90,000 करोड़ की वित्त व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत लिक्विडिटी योजना का प्रयोजन सीपीएसयू जेनको और ट्रांस्को, आईपीपी तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की 30 जून, 2020 तक बकाया देय राशि को पूरा करना था।

पीएफसी ने 31 मार्च, 2021 तक भारत सरकार द्वारा घोषित लिक्विडिटी पैकेज के अंतर्गत विभिन्न राज्य डिस्कॉमों के लिए ₹64,585 करोड़ संस्वीकृत किए और ₹36,439 करोड़ संवितरित किए हैं।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी की सुदृढ़ आईटी अवसंरचना और डिजीटल संचार प्रौद्योगिकी के साथ इसके कार्यबल को रिमोट प्रौद्योगिकी के ज़रिए कार्य करने में समर्थ बनाया गया है ताकि निरंतर कारोबार सुनिश्चित हो सके। कंपनी ने ऋणों के विविध स्रोतों के सुलभ होने के कारण इसकी लिक्विडिटी की स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा है।

पीएफसी की उच्च ऋण साख पर विचार करते हुए और ऋणदाताओं के साथ सुस्थापित संबंधों के चलते, पीएफसी अपनी वित्तपोषण संबंधी जरूरत को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पर्याप्त रूप से व्यवस्थित करने में समर्थ होगी।

उत्पादन

संस्थापित क्षमता

31 मार्च, 2021 तक भारत की कुल संस्थापित क्षमता 3,82,151 मेगावाट की थी। इसमें ताप विद्युत का हिस्सा अधिक अर्थात लगभग 61% (2,34,728 मेगावाट) रहा था, जल विद्युत क्षेत्र का हिस्सा लगभग 12% (46,209 मेगावाट), नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा लगभग 25% (94,434 मेगावाट) और नाभिकीय ऊर्जा का हिस्सा लगभग 2% (6780 मेगावाट) था। संस्थापित क्षमता राज्य क्षेत्र में लगभग 27% (1,03,869 मेगावाट), निजी क्षेत्र में लगभग 47% (1,80,775 मेगावाट) और केंद्रीय क्षेत्र में लगभग 26% (97,507 मेगावाट) रही।

देश में कुल विद्युत उत्पादन (ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित सहित) वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 1110 बिलियन यूनिट से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1174 बिलियन यूनिट, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1242 बिलियन यूनिट, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1308 बिलियन यूनिट, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1376 बिलियन यूनिट, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1389 बिलियन यूनिट और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान यह 1382 बिलियन यूनिट हो गया।

श्रेणी-वार उत्पादन (बिलियन यूनिट)

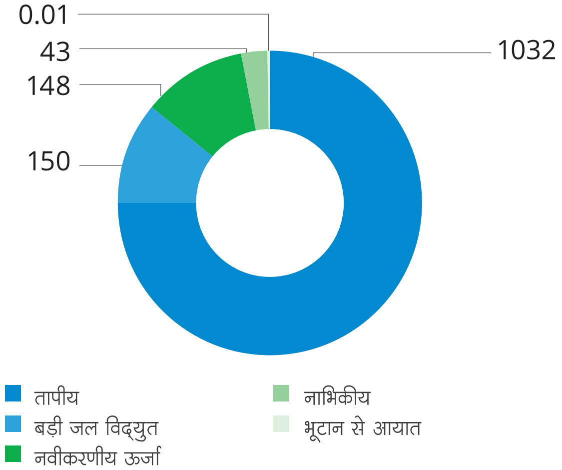

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान श्रेणी-वार उत्पादन निम्नानुसार था:

पारेषण

भारत में विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण है और यह कुछ ही पॉकेटों में संकेंद्रित है। पारेषण, विद्युत डिलीवरी वेल्यू चेन में एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जो उत्पादन केंद्रों से विद्युत की निकासी और भार केंद्रों तक इसकी डिलीवरी में सुविधा प्रदान करता है। कमी वाले क्षेत्रों तक विद्युत के कारगर वितरण के लिए, पारेषण प्रणाली नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, अंतर राज्य विद्युत पारेषण प्रणाली में वृद्धि और राष्ट्रीय ग्रिड का संवर्धन तथा पारेषण प्रणाली नेटवर्क की वृद्धि आवश्यक है। पारेषण लाइनों का एक व्यापक नेटवर्क विभिन्न विद्युत उत्पादन केंद्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की निकासी के लिए और उपभोक्ताओं को उसके वितरण के लिए वर्षों के दौरान विकसित किया गया है।

फरवरी, 2021 के अंत तक, हमारे देश में 4,41,821 सर्किट किमी (220 केवी और अधिक के वोल्टेज स्तर पर) का व्यापक पारेषण नेटवर्क विस्तार था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 15,791 सर्किट किमी पारेषण लाइन जोड़ने के लक्ष्य की तुलना में 1,64,642 सर्किट किमी लाइन बढ़ाई गई है।

वितरण

समग्र विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला (वेल्यू चेन) में वितरण क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है। विद्युत संस्थाओं (यूटिलिटी) और उपभोक्ताओं के बीच संपर्क के एक माध्यम रूप में समग्र क्षेत्र के लिए नकदी रजिस्टर होता है। भारत सरकार ग्रामीण और शहरी वितरण क्षेत्र के विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के माध्यम से सभी घरों तक चौबीसों घंटे बिजली पंहुचाने के लिए आवश्यक वितरण प्रणाली को मजबूत करने में राज्यों के साथ सहयोग कर रही है। साथ ही, सरकार ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश में घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है।

सौभाग्य योजना का उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी अविद्युतीकृत परिवारों के लिए और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के शेष सभी अविद्युतीकृत गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना है यद्यपि इस योजना में गैर-गरीब परिवारों को शामिल नहीं किया गया है तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में और ऐसे दुर्गम गांवों/बस्तियों में स्थित अविद्युतीकृत परिवारों के लिए, जहां पर ग्रिड का विस्तार व्यवहार्य नहीं है अथवा किफायती नहीं है, वहां सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) आधारित एकल प्रणाली प्रदान की गई है।

क्षेत्र को अधिक सक्षम बनाने के लिए सुधार करने के अतिरिक्त, वितरण क्षेत्र में भी देश के दूर-दराज के कोने-कोने तक विद्युत की पहुंच और प्रवेश में अप्रत्याशित वृद्धि देखने में आई है। देश में सभी आबाद गांवों तक सफल ग्रामीण विद्युतीकरण करने के साथ घरेलू विद्युतीकरण के लिए महत्वांकांक्षी सौभाग्य योजना का अनुसरण करके वितरण क्षेत्र ने वास्तव में काफी उन्नति की है।

(ख) अवसर और जोखिम

अवसर

आपकी कंपनी भारत में विद्युत क्षेत्र के लिए अग्रणी वित्तीय संस्थान है। यह भारत में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की विभिन्न पहलों में भी कार्यनीतिक भूमिका निभाती है। यह भारत में विद्युत क्षेत्र के लिए नीतियों और संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक सुधारों के विकास और क्रियान्वयन के लिए सरकार, राज्य सरकारों और विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं, अन्य विद्युत क्षेत्र मध्यस्थों तथा निजी क्षेत्र के ग्राहकों के साथ मिलकर कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, यह यूएमपीपी कार्यक्रम और आईपीडीएस/(इसमें शामिल आर-एपीडीआरपी) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने सहित विद्युत क्षेत्र के लिए भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों तथा आईटीपी योजना के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्वाधीन पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से बोली प्रक्रिया के समन्वयक के रूप में भी कार्य कर रही है।

पीएफसी उत्पादन (परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा), पारेषण और वितरण परियोजना के लिए और संबंधित नवीकरण करने तथा आधुनिकीकरण परियोजनाओं सहित विद्युत क्षेत्र के हमारे ग्राहकों को परियोजना की संकल्पना से लेकर परियोजना के चालू हो जाने के बाद की अवस्था तक वित्तीय उत्पादों और संगत परामर्शों तथा अन्य सेवाओं की एक व्यापक रेंज प्रदान करता है। पीएफसी दीर्घावधि परियोजना वित्त, अल्पावधि ऋणों, क्रेताओं के लाइन ऑफ क्रेडिट, ऋण के जोखिम अंकन और ऋण पुनर्वित्तपोषण योजनाओं सहित विभिन्न निधि आधारित वित्तीय सहायता तथा ऋण संवर्धन गारंटियों और लेटर ऑफ कंफर्ट सहित तथा गैर निधि आधारित सहायता प्रदान करती है। आपकी कंपनी अपनीपूर्व स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के माध्यम से विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं के लिए कई शुल्क आधारित तकनीकी और परामर्शी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करती हैं।

संशोधित, सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध वितरण क्षेत्र योजना

विद्युत मंत्रालय द्वारा समयबद्ध तरीके से सुधार करने और निष्पादनों में सुधार लाने के लिए डिस्कॉमों की सहायता हेतु संशोधित, सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध से जुड़ी वितरण क्षेत्र की योजना तैयार की गई है। इसमें प्रचालनात्मक क्षमताओं में सुधार और वित्तीय स्थिरता के लिए अर्हता पूर्व मानदंडों की प्राप्ति और सुधारों में न्यूनतम बैंचमार्क हासिल करने के लिए आपूर्ति अवंसरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए डिस्कॉमों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सुधार लाना है। पीएफसी और आरईसी को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां नियुक्त किया गया है।

योजना के अन्य उद्देश्यों में, वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से सक्षम वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापरक, विश्वसनीय और किफायती विद्युत की आपूर्ति में सुधार करना, अखिल भारत आधार पर एटी एंड सी हानियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 12-15% के स्तरों तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतराल को कम करके वित्तीय वर्ष 2024-25 तक शून्य तक लाना है।

संशोधित सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध वितरण क्षेत्र योजना में, ₹97,631 करोड़ की केंद्रीय सहायता से अनुमानित जीबीएस के साथ ₹3,03,758 करोड़ का परिव्यय होगा। यह परिकल्पना की जाती है कि करीब ₹200 करोड़ की राशि परामर्श के रूप में सुधार सहायता के लिए राज्य सरकारों द्वारा व्यय की जाएगी।

पीएफसी के लिए योजना में एक नोडल एजेंसी के रूप में कारोबारी अवसर:

- ब्रांड वैल्यू बढ़ाना और कारोबारी संवर्धन/विकास करना
- वितरण अवसंरचना कार्यों और योजना के लिए पीएफसी से योजना के अन्य भाग के लिए काउंटरपार्ट ऋणों तथा अपनी निधियों के लिए सहायता
- पीएफसीसीएल के माध्यम से विद्युत संस्थाओं के लिए परियोजना प्रबंधन

आशंका, जोखिम और चिंताएं

इस तथ्य के बावजूद कि पीएफसी विद्युत क्षेत्र में एक सुदृढ़ वित्तीय भागीदार है, अत: इसका कारोबार जोखिम रहित नहीं है। कंपनी अपने प्रचालनों की प्रकृति को देखते हुए सक्रिय रूप से जोखिम की पहचान करती है और उनका सामना करने तथा उनका प्रबंधन करने के लिए समय पर कार्रवाई करती है।

(ग) खंड-वार या उत्पाद-वार कार्य-निष्पादन

कंपनी का मुख्य व्यवसाय विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है और कंपनी का कोई अलग खंड नहीं है जिसके बारे में रिपोर्ट की जाए।

आपकी कंपनी के समक्ष आ रहे कुछ जोखिम और चिंताएं निम्नलिखित हैं:

1.

आर्थिक मंदी

देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी होने का प्रतिकूल असर पीएफसी के व्यवसाय पर पड़ सकता है। पीएफसी का कार्य-निष्पादन और इसके व्यवसाय की वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर निर्भर करता है।

2.

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम में ऋणकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी आने के साथ यह आशंका भी रहती है कि उसके द्वारा ऋण या अग्रिम राशि के अंतर्गत संविदागत पुनर्भुगतान में चूक हो सकती है।

3.

लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम मुख्य रूप से, कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं से जुड़े परिपक्वता असंतुलन से जुड़े होते हैं। लिक्विडिटी जोखिम में परिसंपत्तियों के लिए निधि और वित्त स्रोतों के अनियोजित परिवर्तन का प्रावधान करना और जरूरत पड़ने पर दायित्वों को पूरा करना शामिल है।

4.

कानूनी जोखिम

हमारे ऋणकर्ताओं की बाध्यताओं से संबंधित संविदाओं की प्रवर्तनीयता की अनिश्चितता की स्थिति से कानूनी जोखिम की आशंका उत्पन्न होती है। यह स्थिति प्रक्रिया में विलंब या संविदागत बाध्यताओं के पूरा होने में कठिनाई आने के कारण आती है।

5.

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर गतिशील हैं और विभिन्न आंतरिक और बाह्य कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें ऋण की लागत, बाजार में लिक्विडिटी, प्रतिस्पर्धियों की दरें, बैंचमार्क में बदलाव जैसे एएए बॉण्ड/जीएसईसी उत्पादन और आरबीआई नीति में बदलाव शामिल हैं। बाजार की दरों में परिवर्तन से कंपनी की वित्तीय हालत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कंपनी के समक्ष आ रहे प्राथमिक ब्याज दर के जोखिम का कारण समय संबंधी भिन्नता होना है।

6.

विधान में परिवर्तन

पीएफसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक सूचीबद्ध सरकारी कंपनी और वित्तीय संस्था है। यह रिज़र्व बैंक के साथ गैर जमा राशि स्वीकार करने वाली महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसे जुलाई 2010 में आईएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसी कारण विभिन्न विधान पीएफसी पर लागू होते हैं जैसे कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, सीपीएसई के लिए डीपीई के दिशानिर्देश, आरबीआई अधिनियम और दिशानिर्देश, कर विनियम इत्यादि। इन कानूनों और विधानों में बदलाव कंपनी के परिणामों/प्रचालनों पर असर डाल सकते हैं।

पीएफसी द्वारा वित्तपोषित 40 मेगावाट भोर्दु साइट पर स्विच यार्ड

(घ) दृष्टिकोण

भारत के आर्थिक गतिविधियों में मांग और आपूर्ति पक्षों के साथ एक प्रशंसनीय उपलब्धि, बेहतर गतिशीलता और एक निरंतर टीकाकरण रोल आउट कार्यक्रम के कारण आशावाद, केंद्रीय बाजार में विकास को बढ़ाने वाले प्रस्तावों तथा तर्कसंगत अनुकूल मौद्रिक स्थितियों के साथ मजबूती आ रही है। तथापि, भारत का विकास दृष्टिकोण, बाहरी व्यापार संबंधों, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और निर्यात बाजारों में प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, वैश्विक आर्थिक उपलब्धि की ट्रेजेक्ट्री पर भी निर्भर हो सकता है।

कोविड-19 संकट के बीच, भारत सरकार ने दिनांक 13 मई, 2020 को विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें विद्युत क्षेत्र में वितरण कंपनियों के लिए लिक्विडिटी प्रदान करना शामिल है। लिक्विडिटी प्रदान करने संबंधी पैकेज में पीएफसी और आरईसी द्वारा कुल मिलाकर ₹90,000 करोड़ के वित्तपोषण की परिकल्पना की गई थी ताकि विद्युत क्षेत्र के लिए अत्यावश्यक सहायता प्रदान की जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत लिक्विडिटी योजना का प्रयोजन 30 जून, 2020 तक सीपीएसयू जेनको और ट्रांस्को, आईपीपी और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की बकाया देय राशि का भुगतान करना था।

पीएफसी ने अभी तक भारत सरकार द्वारा घोषित लिक्विडिटी पैकेज के अंतर्गत विभिन्न राज्य विद्युत डिस्कॉमों को 31 मार्च, 2021 तक ₹64,585 करोड़ की संस्वीकृति और ₹36,439 करोड़ का संवितरण किया है।

कोविड-19 के चलते 'सामाजिक दूरी' और 'घर से कार्य' के नए मानक लागू किए हैं, जिससे हमारी वर्तमान और भावी जरूरतों को पूरा करने में बिजली की केंद्रीयता पर अधिक बल दिया गया है।

पीएफसी विद्युत क्षेत्र की पहलों के कार्यान्वयन में सरकार का एक कार्यनीतिक भागीदार भी रहा है और यह ऐसी कई पहलों में से एक पहल है। हमारा विश्वास है कि यह सरकार द्वारा उठाया गया सकारात्मक कदम है क्योंकि इससे समग्र विद्युत क्षेत्र की वेल्यू चेन मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त, यह आशा की जाती है कि इस लिक्विडिटी इन्फ्यूजन से पीएफसी के ऋणकर्ताओं को बिना किसी कारोबारी अवरोध के अपने कारोबारी प्रचालनों को जारी रखने में मदद मिलेगी।

(ङ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

कंपनी में अपने प्रचालनों के आकार के अनुरूप समुचित मॉनीटरिंग प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक निरंतर आधार पर कार्य करते हैं जिसमें वित्तीय तथा अन्य मामलों को शामिल किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नियंत्रण और संतुलन उपाय कार्यरत हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां व्यवस्थित हैं, अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्मों द्वारा कंपनी के अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के निकट समन्वय से नियमित और सटीक आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समय-समय पर निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा भी की जाती है।

हमारे आउटसोर्सड आंतरिक लेखापरीक्षक, मैसर्स एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने प्रमाणित किया है कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है जो कंपनी अधिनियम, 2013 और के अंतर्गत विभिन्न अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए संतोषजनक रीति से इसकी पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन एवं मूल्यांकन करती है। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक अर्थात् गाँधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स तथा दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने भी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा है कि कंपनी के पास सभी पक्षों के लिए समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण कंपनी के निर्धारित मानदंडों के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक प्रभावशाली ढंग से प्रचालन में थे, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट की अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

पीएफसी एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी है। इन सशक्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं और क्रेडिट समीक्षा तंत्र से चूक की संभावना कम होती है और अंततः सभी स्टेकधारकों का विश्वास जीतने में मदद मिलती है।

(च) प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य-निष्पादन पर विचार-विमर्श

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समुचित वृद्धि दर बनाए रखी है। कंपनी की कुल आय ₹37,767 करोड़ रही जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह ₹33,371.06 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹8,444 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

इसके अतिरिक्त, कंपनी की नेट वर्थ (शेयर पूंजी + सभी रिज़र्व) वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16% बढ़कर ₹52,393 करोड़ हो गई जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह ₹45,164 करोड़ थी और कंपनी की ऋण परिसंपत्तियां भी 31 मार्च, 2021 तक 7.5% बढ़कर ₹3,70,771 करोड़ की हो गई जबकि 31 मार्च, 2020 तक यह ₹3,44,905 करोड़ की थी।

अर्जन परिसंपत्तियों पर ब्याज वित्तीय वर्ष 2019-20 के 2.83% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3.10% था। अर्जन परिसंपत्तियों पर निवल ब्याज मार्जिन वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर 3.54% था जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह 3.17% था। ऋण इक्विटी अनुपात में वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में मामूली कमी आई है और यह 6.72 गुणा से कम होकर 6.20 गुणा पर आ गया।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी और 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) का व्यवहार्य सीमा तक अनुपालन किया है।

(छ) मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध मोर्चे पर महत्वपूर्ण विकास

आपकी कंपनी ने प्रभावी मानव संसाधन अर्जित करने और उन्हें बनाए रखने का कार्य किया है, जिनके लिए संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्धारित श्रेष्ठ कॉर्पोरेट पद्धतियों सहित मानक तय किए गए हैं। मानव संसाधनों से अन्य कार्यनीतिक हस्तक्षेपों के साथ उत्पादकता का उच्च स्तर सुनिश्चित होता है। प्रभावी कल्याणकारी उपायों से कार्यबल की प्रतिबद्धता सुनिश्चित है, जिनमें व्यापक बीमा, चिकित्सा सुविधा और अन्य सुविधा शामिल है जिनसे स्वस्थ कार्यबल की उपलब्धता संभव हो सकती

₹52,393 करोड़

31 मार्च, 2021 तक नेट वर्थ

है। आपकी कंपनी अपने कार्मिकों को अपना सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन मानती है और कौशल विकास सहित उनके लगातार समग्र विकास पर जोर देती है। मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत कंपनी ने अपने कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों के आकलन के लिए वार्षिक प्रशिक्षण योजना प्रणाली बनाई है। समुचित प्रशिक्षण के माध्यम से सभी स्तर के कार्मिकों को आवश्यक कौशल संपन्न बनाया गया है।

आपकी कंपनी ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए है। ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य करना लागू किया है ताकि सभी स्थितियों में सुचारु और कागज रहित कार्य हो सके। आवश्यक प्रावधान जैसे रिमोट वर्किंग और वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा प्रदान की गई है ताकि लॉकडाउन के दौरान घर से काम हो सके। महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए कार्यालय में वास्तविक रूप से मौजूदगी वाली बैठकें न्यूनतम की गईं। कार्मिकों की टेस्टिंग और टीकाकरण के लिए इस अवधि के दौरान कार्यालय परिसर में कई शिविर आयोजित किए गए। महामारी के दौरान कार्मिकों के बीच तनाव प्रबंधन करने सहित विभिन्न समस्याओं को देखने के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए।

कंपनी के अपने कार्मिकों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर कार्य का नुकसान नहीं हुआ। 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के कार्मिकों की कुल संख्या 483 थी।

(ज) निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास (सीएसआर और एसडी)

आपकी कंपनी का लक्ष्य अपने निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास संबंधी पहलों से समाज के प्रति उत्तरदायी कंपनी बनने का है जो बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हो। इस लक्ष्य के अनुरूप आपकी कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास नीति यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी संधारणीय विकास की परियोजनाएं पूरी कर समाज के प्रति एक उत्तरदायी कंपनी बने।

पीएफसी द्वारा वित्तपोषित घाटमपुर पारेषण लाइन

पीएफसी ने पर्यावरण संधारणीयता, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और पेयजल तथा कौशल विकास के क्षेत्र में व्यापक सीएसआर और एसडी गतिविधियों का कार्यान्वयन किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निदेशक मंडल ने ₹148.45 करोड़ का सीएसआर बजट अनुमोदित किया था।

(झ) नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ विकास तंत्र

पूरा विश्व संक्रमण के दौर में है और ऊर्जा इसके केंद्र में है। ऊर्जा सेवाओं की भारी माँग है, जिसे पूरा किया जाना जरूरी है ताकि लोगों के लिए समुचित आय और उत्तम जीवन सुनिश्चित हो सके। परिणामस्वरुप, विद्युत मंत्रालय ने घरों में प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों को बिजली देने, उपकरणों की लेबलिंग और मानकीकरण कृषि/नगरपालिकाओं, लघु और मध्यम उद्यमों और बड़े उद्योगों में मांग प्रबंधन जिनमें औद्योगिक सब सेक्टर के लिए ऊर्जा उपभोग मानक, एसडीए के क्षमता निर्माण के विकास हेतु प्रक्रिया शुरू करना शामिल है, सहित कई ऊर्जा दक्षता संबंधी पहल शुरू की हैं।

ऊर्जा क्षमता में सुधार होने से सतत् विकास को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने और सतत ढंग से तथा तर्कसंगत लागतों की विकट चुनौतियों को पहचानते हुए, क्षमता में सुधार लाना ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। इसके अतिरिक्त, हाइड्रोकार्बन के उपयोग से उत्पन्न पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी ऊर्जा क्षमता पर स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों के लिए मानवता पर दबाव डाल सकती है। समाप्त हो रहे ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करने की दृष्टि से ऊर्जा संरक्षण को भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है।

स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर सरकार के बल को ध्यान में रखते हुए पीएफसी भी स्वच्छ/नवीकरणीय उर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर अधिक से अधिक ध्यान दे रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, पीएफसी ने जल विद्युत उत्पादन (25 मेगावाट से अधिक) के लिए ₹29,261 करोड़ संस्वीकृत किए हैं और ₹161 करोड़ संवितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त, पीएफसी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹14,159 करोड़ संस्वीकृत किए हैं और ₹4,330 करोड़ की राशि इस अवधि के दौरान संवितरित की है।

सचेतक टिप्पणी:

प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श और विश्लेषण खंड में कुछ विवरण दूरदर्शिता पर आधारित हैं और लागू विधियों और विनियमों के अपेक्षानुसार बताए गए हैं। कई कारक वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते है, जो प्रबंधन की दृष्टि से भविष्य के कार्य-निष्पादन के अनुमानों से अलग हो सकते हैं। पाठकों को इन दूरदर्शी विवरणों पर अनावश्यक निर्भरता न रखने के लिए सतर्क किया जाता है।

एकीकृत रिपोर्टिंग

प्रत्येक संगठन सफलता के लिए विभिन्न प्रकार की पूंजियों पर निर्भर करता है और यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पूंजी, विशेष रूप से गैर-वित्तीय पैरामीटरों, संगठन के लिए और सभी स्टेकधारकों के लिए किस प्रकार मूल्य सृजित करती है।

एकीकृत रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपकी कंपनी को न केवल अपने गैर-वित्तीय कार्य-निष्पादन की जानकारी प्रदान करने में समर्थ बनाता है बल्कि वित्तीय और गैर-वित्तीय कार्य-निष्पादन के बीच संबंध को भी स्पष्ट करता है। यह फ्रेमवर्क अंतरराष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (आईआईआरसी) द्वारा अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क में अपनाए गए पूंजी मॉडल का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है और यह पूंजी के प्रकारों पर हमारी निर्भरता और प्रभाव को स्पष्ट करता है, जो दीर्घावधि में मूल्य सृजित करने की सक्षमता के लिए मौलिक अपेक्षाएं है।

उपर्युक्त फ्रेमवर्क में पूंजी का वर्गीकरण वित्तीय, विनिर्मित, बौद्धिक, मानव, सामाजिक एवं संबंध और प्राकृतिक के रूप में किया गया है।

वित्तीय पूंजी

वित्तीय पूंजी व्यापक रूप से किसी संगठन के पास उपलब्ध निधियों के रूप में जानी जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पूंजी है क्योंकि यह विनिमय के माध्यम के रूप में भी कार्य करती है जिससे अन्य प्रकार की पूंजी में बदलाव के माध्यम से मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।

अर्जित वित्तीय पूंजी, ऋण लिखतों पर शेयरधारकों को लाभांश और ब्याज के रूप में दी जाती है। सरकार को विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान किया जाता है और इस प्रकार देश के समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है। आपकी कंपनी की मुख्य वित्तीय पूंजियां इस प्रकार हैं:

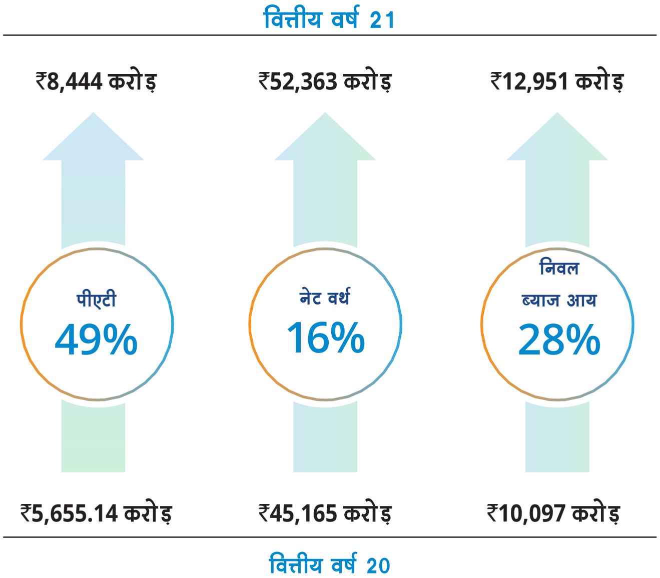

ऊपर दिए आंकड़े अपने आप ही स्थिति स्पष्ट करते हैं। पीएफसी अपनी वित्तीय पूंजी के माध्यम से विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अपने स्टेकधारकों के लिए श्रेष्ठ मूल्य सृजित कर रहा है और इस प्रकार देश के विद्युत क्षेत्र के विकास में योगदान कर रहा है। वित्तीय पूंजी के उपयोग से पीएफसी अन्य पूंजियां जैसे मानव पूंजी तथा सामाजिक एवं संबंध पूंजी भी सृजित कर रही है।

विनिर्मित पूंजी

पीएफसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है और यह केवल विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। अत: विनिर्मित पूंजी की व्यवहार्यता पीएफसी में सीमित है। तथापि, पीएफसी अपनी मूर्त और अमूर्त अवसंरचना के द्वारा विनिर्मित पूंजी के लिए योगदान करती है।

पीएफसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पास अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीनतम प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता केंद्रित प्रणाली है। पीएफसी अपने व्यावसायिक प्रचालन की सुविधा के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से भी कार्य करती है।

पीएफसी भौतिक परिसंपत्तियों में निवेश करती है जिसमें भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है ताकि क्षमता और आपूर्ति तंत्र में सुधार किया जा सके, जिससे सभी संबंधित स्टेकधारकों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित हो सकें।

विद्यमान विनिर्मित पूंजी पीएफसी को बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ बनाती है, ताकि कार्मिक दूर रहते हुए, सक्षम और निर्बाध तरीके से कार्य कर सकें, कारोबार में निरंतरता सुनिश्चित हो सकें।

विनिर्मित पूंजी पीएफसी को अन्य प्रकार की पूंजियों के सृजन, विशेष रूप से मानव पूंजी सृजन पर ध्यान केंद्रित करने में सहयोग दे रही है।

₹342 करोड़

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (114% तक वर्ष-दर-वर्ष)

बौद्धिक पूंजी

बौद्धिक पूंजी व्यापक रूप से अमूर्त पूंजी के रूप में जानी जाती है जो बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर और संगठनात्मक प्रणालियां, प्रक्रियाओं एवं नवाचारों और प्रतिष्ठा सहित प्रतिस्पर्धी लाभ उपलब्ध कराती है तथा अमूर्त पूंजी वह है जिसे समय के साथ संगठन ने प्रतिष्ठा एवं बॉण्ड के रूप में पाया है।

पीएफसी भारत सरकार, राज्य सरकारों, विद्युत कंपनियों, विद्युत क्षेत्र के अन्य मध्यस्थों और निजी क्षेत्र के ग्राहकों के साथ विद्युत क्षेत्र के लिए नीतियों और प्रक्रियागत सुधारों के विकास और इन्हें लागू करने में निकट सहयोग से कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, पीएफसी विद्युत क्षेत्र के लिए भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल है। यह यूएमपीपी कार्यक्रम और आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है तथा आईटीपी योजना के लिए हमारे पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग के माध्यम से बोली प्रक्रिया समन्वयक की भूमिका अदा करती है। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की नोडल एजेंसी के रूप में कंपनी विद्युत क्षेत्र के विकास और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने में भी योगदान कर रही है।

भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास में पीएफसी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने मजबूत संगठनात्मक प्रणालियां, प्रक्रियां, सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल विकसित किए हैं जो कंपनी को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान कर रहे हैं और बाजार में ब्रांड और प्रतिष्ठा विकसित करने में इसकी मदद कर रहे हैं।

चूंकि बौद्धिक पूंजी मुख्य रूप से मानव संसाधन से संबंधित है, इसलिए पीएफसी ने प्रभावी मानव संसाधन अर्जन और रख-रखाव प्रणाली स्थापित की है, जो संगठन की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्मित श्रेष्ठ कॉर्पोरेट पद्धतियों के अनुसार निर्दिष्ट की गई है।

इन संगठनात्मक प्रणालियों, प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल अर्थात बौद्धिक पूंजी के माध्यम से पीएफसी ने अपने प्रचालन के लिए आवश्यक जानकारी और बौद्धिक क्षमता विकसित की है। अपने गतिशील कारोबारी वातावरण को कायम रखने के लिए पीएफसी अपनी बौद्धिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि कर रही है और व्यवधानों का सामना करने, नवाचार और परिवर्तित व्यवसायी मॉडल के कारण होने वाले परिवर्तनों के साथ समायोजित होने के लिए बौद्धिक पूंजी सृजित कर रही है।

₹36 करोड़

अमूर्त और राइट-टू-यूज परिसंपत्तियां (वर्ष-दर-वर्ष कोई परिवर्तन नहीं)

मानव पूंजी

मानव पूंजी किसी संगठन के प्रोफेशनलों के कौशल तथा व्यवसाय संबंधी जानकारी के साथ-साथ उनकी प्रतिबद्धता और अभिप्रेरणा तथा बेहतर से बेहतर करने, सहयोग या नवाचार की उनकी क्षमता से संबंधित है।

आपकी कंपनी ने प्रभावी मानव संसाधन अधिग्रहण और प्रबंधन प्रणाली लागू की है जो सर्वोत्तम निगमित पद्धतियों के मानदंडों के अनुरूप है और संगठनात्मक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। समर्थ मानव पूंजी और कार्यनीतिक उपायों की मदद से प्रभावी संसाधन प्रबंधन और उत्पादकता का उच्च स्तर सुनिश्चित होता है।

पीएफसी के पास उच्च कौशल प्राप्त, पेशेवर रूप से दक्ष और अनुभवी कार्यबल है। कंपनी सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियां अपनाती हैं। पीएफसी का मानना है कि कार्मिक तभी सशक्त और सक्षम हो सकते हैं जब वे स्वयं को प्रभावित करने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं से अवगत हों। इसलिए पीएफसी ने मानव संसाधन से संबंधित प्रमुख नीतियों को लागू किया है, जिनसे कल्याणकारी उपायों के प्रभावी पैकेज के माध्यम से कार्यबल की प्रतिबद्धता सुनिश्चित होती है। इन उपायों में व्यापक बीमा, चिकित्सा सुविधाएं, शिशु देखभाल छुट्टी और अन्य सुविधाएं शामिल हैं जिनसे एक स्वस्थ कार्यबल सुनिश्चित होता है।

कंपनी के अपने कार्मिकों के साथ संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण है जो उन्हें कंपनी के उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित बनाते है। इसकी मुख्य वजह है-पीएफसी का जिम्नेजियम, विभिन्न खेल-कूदों, सांस्कृतिक और साहित्यक गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम अपने कार्मिकों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए प्रतिबद्ध होना। पीएफसी समय-समय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता और भाषायी उत्सवों का आयोजन करता है। इन गतिविधियों में भागीदारी से कार्मिकों में टीम भावना तथा फिटनेस स्तर में वृद्धि होती है।

इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी के दौरान, कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य किया गया है ताकि हर स्थितियों में सुचारु और कागज रहित कार्य हो सके। आवश्यक प्रावधान जैसे रिमोट कार्य और वीडियो कांफ्रेंस सक्षम बनाए गए ताकि लॉकडाउन की स्थिति में घर से काम हो सके। कार्यालय में फिजीकल मीटिंग कम की गई ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके, कार्यालय परिसर में टीकाकरण अभियान चलाया और कार्मिकों को मास्क, सेनिटाइजर तथा अन्य सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कार्मिकों के बीच महामारी को दौरान तनाव प्रबंधन सहित विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखने के लिए स्वास्थ्य चर्चाएं भी की गईं।

ऐसा करके पीएफसी एक सशक्त मानव पूंजी सृजित करने में सफल रही है। इसकी वजह से अभिप्रेरित कार्यबल तैयार हुआ है और कंपनी वर्ष-दर-वर्ष उत्कृष्ट वृद्धि हासिल कर सकी है। पीएफसी का विकास देश के विकास में योगदान कर रहा है और स्टेकधारकों के लिए महत्वपूर्ण उपयोगिता सृजित कर रहा है। कंपनी का अभिप्रेरित कार्यबल बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव लाने में सहयोग कर रहा है।

483

कार्मिकों की कुल संख्या

सामाजिक और संबंध की पूंजी

सामाजिक और संबंध की पूंजी का तात्पर्य संगठन और इसके सभी स्टेकधारकों के बीच संबंध द्वारा सृजित संसाधनों और मूल्य से है। इन संबंधों में समुदाय के साथ संबंध, सरकार के साथ संबंध, उपभोक्ताओं और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ संबंध शामिल है।

पीएफसी हमेशा से समाज और लोगों के जीवन में बड़े पैमाने पर बदलाव लाना चाहता है। यह समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का लगातार प्रयास कर रहा है ताकि सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल सके। पीएफसी लगातार उन गतिविधियों को सहयोग समर्थन दे रहा है जिनका उद्देश्य वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है और इसके साथ ही धरती की अपार क्षमता का भी संरक्षण करना है ताकि इसकी जैव विविधता की रक्षा हो सके।

पीएफसी ने सीएसआर एवं संधारणीयता नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी सामाजिक रूप से उत्तरदायी कॉर्पोरेट कंपनी बन सके जो सामाजिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हो। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निदेशक मंडल ने ₹148.45 करोड़ का सीएसआर बजट अनुमोदित किया है। पीएफसी ने पर्यावरण संधारणीयता, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और पेयजल तथा कौशल विकास के लिए व्यापक गतिविधियां संचालित की हैं। इसके अतिरिक्त, डीपीई के अधिदेश के अनुसार, पीएफ़सी ने विषयगत क्षेत्रों अर्थात आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य एवं पारेषण में भी योगदान दिया है।

कोविड-19 के खिलाफ बचाव की पहल के भाग के रूप में पीएफसी ने केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पीएम केयर्स फंड में अंशदान दिया, चिकित्सा सुविधाएं/ उपकरण जैसे स्वास्थ्य मास्क, सेनिटाइजर, थर्मामीटर, ग्लव्स, मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) आदि, और राशन सहित अन्य आय राहत वस्तुएं, आदि की खरीद करके वितरित किए, डॉक्टरों और कोविड-19 अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को पैक्ड लंच सुविधा प्रदान की, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में कोल्ड चेन उपकरण (सीसीई) खरीदकर वितरित किए।

पीएफसी ने अपने सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग कार्मिकों के लिए जारी निदेशों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के हर उपाय किए हैं। इन उपायों में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विभिन्न निदेशों के अंतर्गत निर्धारित यथालागू आरक्षण और छूट शामिल हैं।

₹217 करोड़

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर व्यय

प्राकृतिक पूंजी

प्राकृतिक पूंजी का तात्पर्य सभी प्रकार की नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय पर्यावरणीय संसाधनों से है जैसे पानी, भूमि और ऊर्जा, जिन पर संगठन प्रचालन के लिए निर्भर है।

पीएफसी हमेशा पर्यावरण संरक्षा के प्रति सजग रहा है और प्रयासरत रहा है। इस प्रयासों में प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग और इनकी बर्बादी को रोकना शामिल है। पीएफसी का प्रयास रहा है कि जहां तक संभव हो प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कागज का उपयोग न्यूनतम किया जाए। एक वित्तीय संस्थान होने के नाते पीएफसी में उत्पादों और अपशिष्ट को पुनः चक्रण (रीसाइकिल) का तंत्र विकसित करने की व्यवहार्यता सीमित है। तथापि, कंपनी ने एक ऑर्गेनिक कम्पोस्टिंग मशीन अपने कार्यालय परिसर में लगाई है जिससे कार्यालय भवन की रसोई/पैन्ट्री से प्रतिदिन निकलने वाले जैविक अपशिष्ट का पुनः चक्रण किया जाता है।

पीएफसी ने कागजरहित कार्य शुरू कर दिया है, जिससे वह अपने कार्मिकों को कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ कार्य करने में सशक्त बना रहा है। पीएफसी ने अपने कार्मिकों को कोविड-19 महामारी के चलते रिमोट कार्य की पद्धति का उपयोग करने को प्रोत्साहित किया है।

पीएफसी अपने व्यवसाय के संचालन के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल कदम उठाना अनिवार्य मानता है। ऋण प्रदान करने की अपनी जिम्मेदार कार्यनीति और पद्धतियों के कारण पीएफसी का नवीकरणीय व्यवसाय नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। कंपनी ने पावरग्रिड, एनटीपीसी और आरईसी के साथ भारत और विदेश में ऊर्जा दक्ष परियोजनाएं लागू करने के लिए 10 दिसंबर, 2009 को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) को शामिल किया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, पीएफसी ने हाइड्रो उत्पादन (>25 मेगावाट) के लिए ₹29,261 करोड़ की संस्वीकृति की और ₹161 करोड़ संवितरित किए। इसके अतिरिक्त, पीएफसी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ₹14,159 करोड़ संस्वीकृत किए और उसी अवधि के दौरान ₹4,330 करोड़ की धनराशि संवितरित की।

इन उपायों के साथ आपकी कंपनी प्राकृतिक पूंजी के संरक्षण और संवर्धन में योगदान कर रही है। नवीकरणीय उत्पादों में निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर, व्यवसाय में सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाई शामिल कर पीएफसी प्राकृतिक पूंजी के सृजन और ऐसा करके पूरे विश्व में अपने ब्रांड को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

₹4,491 करोड़

नवीकरणीय ऊर्जा और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए संवितरित

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन शेयरधारकों के मूल्यों में कानूनन, नैतिक और सतत् रूप से वृद्धि करने के संबंध में है। निगमित शासन दीर्घ अवधि के लिए कंपनी की पारदर्शिता, जवाबदेही और कंपनी की निरंतर सफलता पर बल दिए जाने पर आधारित होता है। पीएफसी की निगमित शासन के संबंध में धारणा में कारोबारी कार्यनीतियों को देखा जाता है और कार्मिकों, निवेशकों और व्यापक रूप से समाज सहित सभी स्टेकधारकों की वित्तीय जवाबदेही, भौतिक निगमित व्यवहार और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाती है।

आपकी कंपनी ने निगमित शासन मानकों के उच्च मापक बनाए रखने का हमेशा प्रयास किया है और शुरूआत से अब तक उत्तम निगमित शासन सिद्धांतों का पालन करती आ रही है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निगमित शासन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसरण में निगमित शासन के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र के साथ निदेशक रिपोर्ट के भाग के रूप में रिपोर्ट नीचे दी गई है:

1. निगमित शासन पर कंपनी की धारणा पर संक्षिप्त विवरण

आपकी कंपनी का निगमित शासन सिद्धांत दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। ये हैं:

i. प्रबंधन के पास उद्यम को सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी अवांछित व्यवधान के कार्यकारी स्वतंत्रता होनी चाहिए।

ii. प्रबंधन की इस स्वतंत्रता का उपयोग विनियामक रूपरेखा और प्रभावी जवाबदेही के अंतर्गत होना चाहिए।

आपकी कंपनी का कॉर्पोरेट स्वरूप, व्यवसाय संचालन और प्रकटीकरण प्रक्रियाएं तदनुसार इसके निगमित शासन सिद्धांतों से जुड़े है।

कंपनी के बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुरूप प्रशासन सिद्धांतों और दायित्वों की अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में पूरी दृढ़ता से पुष्टि की है।

2. निदेशक मंडल

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी को नेतृत्व, उद्देश्यपरक निर्णय और कार्यनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। बोर्ड चार्टर के लिए कहा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम, संगम ज्ञापन, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कंपनी की आंतरिक संहिता/प्रक्रियाओं की निर्धारित रूपरेखा से संचालित होता है।

यह निगमित नीतियों, समग्र निष्पादन, लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक तथा प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, निगमित शासन और विनियामक अनुपालन की समीक्षा करता है। कंपनी के बोर्ड में विविध अनुभव और विशेषज्ञाता के जाने माने प्रमुख व्यक्ति शामिल होते है।

संरचना

पीएफसी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तात्पर्य से सरकारी कंपनी है, 31 मार्च, 2021 तक भारत के राष्ट्रपति, कंपनी के कुल शेयर पूंजी के 55.99% के धारक है और कंपनी के संस्थागत अंतर्नियमों के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी के संस्थागत अंतर्नियमों के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी।

31 मार्च, 2021 तक कंपनी के बोर्ड में पांच निदेशक थे, जिनमें तीन पूर्णकालिक फंक्शनल निदेशक, एक अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक और एक गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक थे। इस वार्षिक रिपोर्ट में सभी निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

(i) श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 1 जून, 2020 से बोर्ड के सदस्य नहीं हैं।

(ii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों, निदेशक (परियोजना) को 1 जून, 2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया।

(iii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री पी. के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) को 1 जून, 2020 से निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

(iv) श्री एन. बी. गुप्ता, निदेशक (वित्त) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 1 जुलाई, 2020 से बोर्ड के सदस्य नहीं हैं।

(v) श्रीमती परमिंदर चोपड़ा ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जाने पर 1 जुलाई, 2020 से निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया।

(vi) कार्यकाल पूरा होने पर श्रीमती गौरी चौधरी, स्वतंत्र निदेशक 3 नवंबर, 2020 से निदेशक मंडल की सदस्य नहीं हैं।

(vii) श्री तन्मय कुमार, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीएफसी के बोर्ड में पहले नामित किए गए श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, संयुक्त सचिव के स्थान पर 4 नवंबर, 2020 से बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया।

वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव के कारण निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए जारी निगमित शासन दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी।

कंपनी पहले ही नियोक्ता प्राधिकारी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति में तेजी लाने का अनुरोध कर चुकी है ताकि पीएफसी, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय विनिमय एवं प्रतिभूति बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के व्यवहार्य प्रावधानों तथा डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए जारी निगमित शासन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में समर्थ हो सके।

31 मार्च, 2021 को कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी:

पूर्णकालिक निदेशक		
(i)	श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
(ii)	श्री प्रवीण कुमार सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक) एवं निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
(iii)	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	निदेशक (वित्त), मुख्य वित्त अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
सरकारी नामिती निदेशक		
(iv)	श्री तन्मय कुमार	निदेशक (सरकारी नामिती)
गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक		
(v)	श्री आर. सी. मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक

आपकी कंपनी ने आरबीआई के मास्टर दिशा-निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-जमा प्राप्तकर्ता कंपनी और जमा प्राप्तकर्ता कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 के अंतर्गत कंपनी के निदेशकों की उपयुक्तता और समुचित स्तर का सुनिश्चय करने के लिए एक उपयुक्त और समुचित नीति तैयार की है। कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने उपर्युक्त नीति के अनुरूप वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी बोर्ड में सभी सदस्यों को स्वस्थ और उपयुक्त माना है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय विनिमय और प्रतिभूति बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार कंपनी ने एक पेशेवर सचिव से प्रमाणपत्र प्राप्त किया है कि कंपनी बोर्ड के किसी भी निदेशक को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय/बोर्ड या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति से या पद पर बने रहने से न तो रोका गया है और न ही अयोग्य ठहराया गया है।

चूंकि पीएफसी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, चूंकि पीएफसी विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के व्यवसाय में शामिल एनबीएफसी है इसलिए विद्युत मंत्रालय सुनिश्चित करता है कि कंपनी के बोर्ड में नियुक्त निदेशकों के पास कंपनी के कार्यों के संचालन के अपेक्षित क्षेत्रों अर्थात वित्त एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों में अपेक्षित कौशल एवं विशेषज्ञता है। बोर्ड के सदस्यों के मुख्य कौशलों, विशेषता और वित्तीय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, निगमित नियोजन और रणनीति कारोबारी विकास आदि में क्षमताओं की सूची इसके बाद रिपोर्ट में प्रदान की गई है।

बोर्ड की बैठकें

बोर्ड की बैठकें आमतौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होती हैं और उनकी तैयारी काफी समय पहले की जाती है। पीएफसी बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से होती हैं। बोर्ड की बैठकें निर्धारित कार्य सूची से अभिशासित होती हैं और बोर्ड का प्रत्येक सदस्य विचारणीय विषयों की सूची में किसी विषय को शामिल किए जाने की अनुशंसा कर सकता/सकती है। सभी प्रमुख मुद्दों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्य-सूची दस्तावेज अग्रिम रूप में परिचालित किए जाते हैं ताकि बोर्ड तथ्यपरक एवं स्वतंत्र निर्णय ले सके। आपकी कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों पर जारी किए गए सचिवालयी मानक-1 का पूर्ण रूप से अनुसरण करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की 13 बार बैठकें हुईं:

(i) 11 मई, 2020 (ii) 29 मई, 2020 (iii) 24 जून, 2020 (iv) 14 जुलाई, 2020 (v) 13 अगस्त, 2020 (vi) 14 सितंबर, 2020 (vii) 8 अक्तूबर, 2020 (viii) 12 नवंबर, 2020 (ix) 30 दिसंबर, 2020 (x) 11 फरवरी, 2021 (xi) 26 फरवरी, 2021 (xii) 12 मार्च, 2021 तथा (xiii) 30 मार्च, 2021

वार्षिक आम बैठक

कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक 29 सितंबर, 2020 को हुई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों तथा पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशकों की समीक्षा तथा अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता, बोर्ड के सदस्यों के मुख्य कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षता आदि इस प्रकार है:

नाम और पदनाम	बोर्ड की बैठकें		31 मार्च, 2021* तक अन्य निदेशकों की संख्या	31 मार्च, 2021 तक अन्य कंपनियों की समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता**		29 सितंबर, 2020 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	मुख्य कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षता
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		सदस्य	अध्यक्ष		
श्री आर. एस. ढिल्लों अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (1 जून, 2020 से)	11	11	1	शून्य	शून्य	उपस्थित	• बीई (इलेक्ट्रिकल)- थापर इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला • एमटेक (विद्युत प्रणाली) - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (आईआईटी) • विद्युत क्षेत्र में 36 वर्ष से अधिक का अनुभव
	2	2					
श्री राजीव शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2	2	दिनांक 1 जून, 2020 को कार्यकाल समाप्त				
श्री प्रवीण कुमार सिंह निदेशक (वाणिज्यिक)	13	13	7[#क]	1	1	उपस्थित	• आईआईटी-बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी. टेक • आईआईटी नई दिल्ली से एम.टेक (ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रबंधन) • ग्लोबल एनर्जी एमबीए प्रोग्राम, बेयर कॉलेज ऑफ बिजनेस, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए • विद्युत क्षेत्र में 34 वर्ष से अधिक का अनुभव
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा निदेशक (वित्त)	10	10	9[#ख]	0	1	उपस्थित	• वाणिज्य में स्नातक और अर्हता प्राप्त कॉस्ट एकाउंटेंट तथा एमबीए • विद्युत क्षेत्र में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव
श्री एन. बी. गुप्ता निदेशक (वित्त)	3	2	दिनांक 1 जुलाई, 2020 को कार्यकाल समाप्त				
श्री तन्मय कुमार निदेशक (सरकारी नामिती) (4 नवंबर, 2020 से)	6	6	3[#ग]	0	1	लागू नहीं	• राजस्थान कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी और विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव • आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बी. टेक और आईआईटी दिल्ली से सॉइल मैकेनिक्स एवं फाउंडेशन इंजीनियरिंग में एमटेक
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण निदेशक (सरकारी नामिती)	7	6	दिनांक 4 नवंबर, 2020 से कार्यकाल समाप्त			उपस्थित	लागू नहीं
श्री आर. सी. मिश्रा स्वतंत्र निदेशक	13	13	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित	• भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1978 बैच के अधिकारी • इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान (एमएससी) में मास्टर डिग्री और एलजुब्लजाना, स्लोवेनिया यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री (एमबीए)
श्रीमती गौरी चौधरी स्वतंत्र निदेशक	7	7	दिनांक 3 नवंबर, 2020 को कार्यकाल समाप्त			उपस्थित	लागू नहीं

* निजी कंपनियों, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 की कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों में निदेशक पद शामिल नहीं है।
** लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति को छोड़कर बोर्ड की समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता शामिल नहीं है।

सूचीबद्ध एंटिटियों में निदेशक पद का ब्यौरा

#(क) आरईसी लिमिटेड में पीएफसी के नामिती निदेशक

#(ख) पीटीसी इंडिया लिमिटेड में पीएफसी के नामिती निदेशक

#(ग) आरईसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड और एसजेवीएन लिमिटेड में सरकारी नामिती निदेशक

बोर्ड के निदेशकों में से कोई भी निदेशक, सभी कंपनियों, जिनमें वह निदेशक है, 10 से अधिक समितियों का सदस्य और 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी रूप में एक दूसरे का रिश्तेदार नहीं हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

31 मार्च, 2021 को कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक निदेशक थे। इसीलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वतंत्र निदेशक की कोई अलग बैठक नहीं हुई।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 11 मई, 2020 को आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इस आशय की घोषणा प्रदान की कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (6), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधान और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 21 मई, 2021 को आयोजित की गई बोर्ड की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इस आशय की घोषणा प्रदान की कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधान और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। उक्त बैठक में निदेशक मंडल ने पुष्टि की कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन से अलग हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी स्वतंत्र निदेशक ने त्याग-पत्र नहीं दिया है।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतत्र निदेशकों के लिए किए गए परिचय कार्यक्रम का ब्योरा कार्यक्रम की समाप्ति के बाद कपंनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित वेब लिंक के माध्यम से वेबसाइट पर डाले गए ब्योरे देखे जा सकते हैं:

http://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/Investors/Equities/disclosure/12042019/disclosurešSEBIš46š2.pdf

3. निदेशक मंडल की समितियां

विनियामक आवश्यकताओं के अनुसरण में तथा कंपनी के कार्यों पर तेजी से विचार-विमर्श और संकेंद्रित निर्णय लेने को सुगम बनाने के उद्देश्य से बोर्ड ने भिन्न भूमिका, जवाबदेही एवं प्राधिकार के साथ बोर्ड स्तरीय समितियों का गठन किया है। बोर्ड ने संगत वित्तीय वर्ष में बोर्ड की समितियों की सिफारिशों को स्वीकार किया जो अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। बोर्ड स्तरीय समितियां इस प्रकार हैं:

i) निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

ii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

iii) स्टेकधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

iv) जोखिम प्रबंधन समिति

v) निदेशकों की सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति

vi) फंक्शनल निदेशकों की ऋण समिति

vii) निदेशकों की निवेश समिति

viii) मानव संसाधन समिति

ix) फंक्शनल निदेशकों की एएलएम समिति

3.1 निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित शासन पर आरबीआई के मानदंडों के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल नें निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है।

श्रीमती गौरी चौधरी, स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 3 नवंबर, 2020 को पूरा होने के बाद पीएफसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की ऐसी अपेक्षित संख्या की कमी थी, जिससे लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाता। स्वतंत्र निदेशक की उपलब्धता न होने के कारण, कंपनी ने वर्तमान में एक स्वतंत्र निदेशक, एक सरकारी नामिती निदेशक और एक फंक्शनल निदेशक के साथ अपनी लेखापरीक्षा समिति का गठन किया। लेखापरीक्षा समिति पीएफसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर पुनर्गठित की जाएगी।

31 मार्च, 2021 तक लेखापरीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम
श्री आर. सी. मिश्रा	अध्यक्ष
श्री तन्मय कुमार	सदस्य
श्री पी. के. सिंह	सदस्य

कंपनी सचिव ने समिति के सचिव के रूप में काम करना जारी रखा। लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, विचारार्थ विषय, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकार कंपनी अधिनियम के संगत प्रावधानों, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित शासन पर आरबीआई के मानदंडों के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार है। वर्ष के दौरान समिति की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सात बैठकें हुईं जो इस प्रकार हैं (i) 24 जून, 2020 (ii) 10 जुलाई, 2020 (iii) 13 अगस्त, 2020 (iv) 14 सितंबर, 2020 (v) 12 नवंबर, 2020 (vi) 11 फरवरी, 2021 और (vii) 30 मार्च, 2021।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति का ब्योरा निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री आर. सी. मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक	7	7
श्री तन्मय कुमार (9 नवंबर, 2020 से)	सरकारी नामिती निदेशक	3	3
श्री पी. के. सिंह (1 जून, 2020 से)	निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार	7	6
श्रीमती गौरी चौधरी (2 नवंबर, 2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	4	4

निदेशक (वित्त) उक्त समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित हैं।

इसके अतिरिक्त, समिति के सदस्यों से वार्ता करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष, स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षकों तथा सांविधिक लेखापरीक्षक(परीक्षकों) के प्रतिनिधि को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आपकी कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और तदनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के संस्था के अंतर्नियम की शर्तों के अनुसार किया जाता है। तथापि, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित शासन पर आरबीआई के मानदंडों के प्रावधानों के अनुसरण में एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

श्रीमती गौरी चौधरी, स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल 3 नवंबर, 2020 को पूरा होने के बाद पीएफसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की ऐसी अपेक्षित संख्या की कमी थी, जिससे कि लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया जाता। स्वतंत्र निदेशक की उपलब्धता न होने के कारण, कंपनी ने वर्तमान में एक स्वतंत्र निदेशक, एक सरकारी नामिती निदेशक और एक फंक्शनल निदेशक के साथ अपनी लेखापरीक्षा समिति का गठन किया। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति पीएफसी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर पुनर्गठित की जाएगी।

31 मार्च, 2021 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है :

सदस्य का नाम	पदनाम
श्री आर. सी. मिश्रा	अध्यक्ष
श्री तन्मय कुमार	सदस्य
श्री पी. के. सिंह	सदस्य

निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजना) उक्त समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित हैं।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका और विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों, सीपीएसई के लिए निगमित शासन संबंधी डीपीई के दिशा-निर्देशों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित शासन संबंधी आरबीआई के मानदंडों के अनुरूप हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की 2 बैठकें हुईं जो इस प्रकार हैं: (i) 14 जुलाई, 2020 और (ii) 12 नवंबर, 2020

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री आर. सी. मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक	2	2
श्री तन्मय कुमार (9 नवंबर, 2020 से)	सरकारी नामिती निदेशक	1	0
श्री पी. के. सिंह (9 नवंबर, 2020 से)	निदेशक (वाणिज्यिक)	1	1
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (3 नवंबर, 2020 तक)	सरकारी नामिती निदेशक	1	1
श्रीमती गौरी चौधरी (2 नवंबर, 2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	1	1

पारिश्रमिक नीति

आपकी कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जिसमें प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जो अन्य बातों के साथ ऐसे पूर्णकालिक निदेशकों के नियुक्ति आदेश/वेतन निर्धारण आदेश के माध्यम से उनका पारिश्रमिक निर्धारित करते हैं। डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी के अन्य कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है तथा पारिश्रमिक निर्धारित किए जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों के मामले में निदेशकों का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अतिरिक्त, बोर्ड के सदस्यों का कंपनी, इसके प्रोमोटरों या इसकी सहायक कंपनियों के साथ कोई महत्वपूर्ण मौद्रिक संबंध या लेन-देन नहीं है, जो बोर्ड के निर्णय में निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। चूंकि पीएफसी सरकारी कंपनी है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से अन्य बातों के साथ सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है, यदि केंद्र सरकार के ऐसे मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी स्वयं की मूल्यांकन विधि के अनुसार निदेशकों का मूल्यांकन किया जाता है जो कंपनी का प्रशासनिक रूप से प्रभारी है। तद्नुसार, सरकारी कंपनी होने के कारण पीएफसी को उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार छूट प्राप्त है क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा से संबंधित प्रावधान तथा मूल्यांकन तंत्र भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्योरा नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	वेतन (₹)	हितलाभ (₹)	बोनस/अनुग्रह कमीशन (₹)	कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (₹)	स्टॉक विकल्प (₹)	कुल (₹)	31 मार्च, 2021 तक धारित शेयरों की संख्या
श्री आर. एस. ढिल्लों	42,31,845	11,90,313	0	22,91,072	0	77,13,230	27,050
श्री पी. के. सिंह	39,50,653	13,87,292	0	25,88,884	0	79,26,829	32,194
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (1 जुलाई, 2020 से)	27,56,340	10,71,350	0	0	0	38,27,690	2,000
श्री राजीव शर्मा (31 मई, 2020 तक)	26,59,609	13,27,481	0	36,52,131	0	76,39,221	लागू नहीं
श्री एन. बी. गुप्ता (30 जून, 2020 तक)	28,73,279	7,14,186	0	27,13,349	0	63,00,814	लागू नहीं

टिप्पणियां:

1. निदेशक के पद पर कार्य अवधि के लिए वेतन और भत्तों पर भुगतान के आधार पर विचार किया गया है।
2. उपर्युक्त जानकारी में पट्टा किराया, गैर-करयोग्य भत्ता, गैर-करयोग्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अन्य गैर-करयोग्य अनुलब्धियों का अधिवार्षिता हितलाभों के लिए योगदान, सेवा अवार्ड, वाहन, वर्दी, बिजली, पानी और उपस्थिति प्रभारों के लिए प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है।
3. कंपनी की कार्य-निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) प्रणाली के अनुसार कार्य-निष्पादन संबंधी प्रोत्साहनों का भुगतान किया जाता है।
4. निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक सहित नियुक्ति की शर्तों, नोटिस अवधि, विभाजन शुल्क, यदि कोई हो, आदि का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों/स्वतंत्र तथा सरकारी नामिती निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र तथा सरकारी नामिती निदेशकों का कंपनी के साथ कोई महत्वपूर्ण मौद्रिक संबंध या लेन-देन नहीं होता है। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति के लिए ₹40,000 के बैठक शुल्क का भुगतान और निदेशकों की समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति के लिए ₹30,000 का भुगतान किया जाता है।

सरकारी नामिती निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक या बैठक शुल्क के लिए हकदार नहीं हैं।

31 मार्च, 2021 तक श्री आर. सी. मिश्रा, स्वतंत्र निदेशक और श्री तन्मय कुमार, सरकारी नामिती निदेशक की कंपनी में शेयर धारिता शून्य थी।

3.3 स्टेकधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के निवारण की जांच पड़ताल करने के लिए कंपनी ने स्टेकधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2021 तक स्टेकधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की संरचना इस प्रकार है :

सदस्य का नाम	पदनाम
श्री आर. सी. मिश्रा	अध्यक्ष
श्री पी. के. सिंह	सदस्य
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	सदस्य

श्री मनोहर बलवानी, कंपनी सचिव कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, स्टेकधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की चार बैठकें हुईं जो इस प्रकार हैं (i) 24 जून, 2020 (ii) 13 अगस्त, 2020 (iii) 12 नवंबर, 2020 और (iv) 11 फरवरी, 2021।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री आर. सी. मिश्रा (9 नवंबर, 2020 से)	स्वतंत्र निदेशक	2	2
श्री पी. के. सिंह (1 जून, 2020 से)	निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त कार्यभार	4	4
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (1 जुलाई, 2020 से)	निदेशक (वित्त)	3	3
श्रीमती गौरी चौधरी (2 नवंबर, 2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	2	2
श्री एन. बी. गुप्ता (30 जून, 2020 तक)	निदेशक (वित्त)	1	1

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निवेशकों की शिकायतों पर सूचना इस प्रकार है:

विवरण	इक्विटी	बॉण्ड
वर्ष के प्रारंभ में लंबित	0	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	1,541	5,458
वर्ष के दौरान निपटान की गई	1,525	5,458
वर्ष के अंत में अनिर्णीत	16*	0

*तिमाही के अंत में प्राप्त शिकायतों का निपटान बाद में अप्रैल, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी की जोखिम प्रबंध योजना की मॉनीटरिंग और उसकी समीक्षा करने तथा जोखिम प्रबंधन के लिए उठाए जाने वाले कदमों की निदेशक मंडल को सिफारिश करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2021 तक जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री पी. के. सिंह	अध्यक्ष
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकें हुईं जो इस प्रकार हैं : (i) 30 सितंबर, 2020 और (ii) 25 मार्च, 2021।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री पी. के. सिंह (1 जून, 2020 से)	निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त कार्यभार	2	2
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (1 जुलाई, 2020 से)	निदेशक (वित्त)	2	2

3.5 निदेशकों की सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति

कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व एवं संधारणीय विकास गतिविधियों को दिशा प्रदान करने तथा सीएसआर एवं एसडी की विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करने हेतु सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2021 तक सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति की संरचना इस प्रकार है:

नाम	पदनाम
श्री आर. सी. मिश्रा	अध्यक्ष
श्री पी. के. सिंह	सदस्य
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति की छह बैठकें हुई जो इस प्रकार हैं (i) 29 मई, 2020 (ii) 13 अगस्त, 2020 (iii) 14 सितंबर, 2020 (iv) 12 नवंबर, 2020 (v) 30 दिसंबर, 2020 और (vi) 8 मार्च, 2021।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है :

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री आर. सी. मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक	6	6
श्री पी. के. सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक)	6	6
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (9 नवंबर, 2020 से)	निदेशक (वित्त)	3	3
श्रीमती गौरी चौधरी (2 नवंबर, 2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	3	3

3.6 फंक्शनल निदेशकों की ऋण संबंधी समिति

निम्नलिखित प्रयोजन के लिए फंक्शनल निदेशकों की ऋण संबंधी समिति का गठन किया गया है:

1. व्यक्तिगत योजना अथवा परियोजना के लिए ₹500 करोड़ तक की वृद्धि सहित वित्तीय सहायता की संस्वीकृति।
2. पहले से संस्वीकृत ऋणों सहित व्यक्तिगत योजना/परियोजना के लिए ₹500 करोड़ तक की वित्तीय सहायता के संबंध में पात्रता और अन्य शर्तों में छूट।
3. ₹50 करोड़ से अधिक लेकिन ₹500 करोड़ तक की पट्टा सहायता के लिए संस्वीकृति।
4. संस्वीकृति की पात्रता और अन्य शर्तों में छूट सहित अधिकतम 10 वर्ष के समयावधि कार्यकाल के साथ ₹50 करोड़ से अधिक लेकिन ₹500 करोड़ तक के मध्यावधि ऋण की संस्वीकृति।
5. ₹500 करोड़ से अधिक के 'कोविड-19 के लिए डिस्कॉमों को विशेष दीर्घावधिक ट्रांजिशनल ऋण' के अंतर्गत सावधि ऋण ('उदय सीमा की छूट में डिस्कॉमों को विशेष दीर्घावधि संक्रमणकाल ऋण के लिए योजना' में विलय)।
6. ₹500 करोड़ तक उदय योजना के अंतर्गत सावधि ऋण (केवल 31 मार्च, 2021 तक वैध)।
7. ₹500 करोड़ से अधिक की 'प्रचालन/गैर-केपेक्स अपेक्षाओं' को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के ऋणों हेतु मध्यावधि ऋण (एमटीएल) के वित्तपोषण के लिए नीति' के अंतर्गत ऋण (केवल 31 मार्च, 2021 तक वैध)।
8. ₹500 करोड़ से अधिक की 'उदय सीमा की छूट में डिस्कॉमों को विशेष दीर्घावधि ऋण के लिए योजना'।

31 मार्च, 2021 तक फंक्शनल निदेशकों की ऋण संबंधी समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री आर. एस. ढिल्लों	अध्यक्ष
श्री पी. के. सिंह	सदस्य
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, फंक्शनल निदेशकों की ऋण संबंधी समिति की चौदह बैठकें हुई जो इस प्रकार हैं : (i) 29 जून, 2020 (ii) 3 जुलाई, 2020 (iii) 10 जुलाई, 2020 (iv) 15 जुलाई, 2020 (v) 1 अगस्त, 2020 (vi) 17 सितंबर, 2020 (vii) 30 सितंबर, 2020 (viii) 14 अक्तूबर, 2020 (ix) 28 अक्तूबर, 2020 (x) 28 दिसंबर, 2020, (xi) 1 फरवरी, 2021 (xii) 9 फरवरी, 2021, (xiii) 25 मार्च, 2021 और (xiv) 28 मार्च, 2021।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री आर. एस. ढिल्लों (1 जून, 2020 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	14	14
श्री पी. के. सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक)	14	14
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (1 जुलाई, 2020 से)	निदेशक (वित्त)	13	13
श्री एन. बी. गुप्ता (30 जून, 2020 तक)	निदेशक (वित्त)	1	1

3.7 निदेशकों की निवेश समिति

केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के आईपीओ में इक्विटी निवेश अनुमोदित करने तथा अन्य संबद्ध मामलों जैसे कि निकास/बिक्री के निर्णयों, आईपीओ के माध्यम से आवेदित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, मामला-दर-मामला आधार पर प्रत्येक कंपनी में व्यक्तिगत निवेश की सीमा आदि के लिए भी निदेशकों की निवेश समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2021 तक निदेशकों की निवेश समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री आर. एस. ढिल्लों	अध्यक्ष
श्री आर. सी. मिश्रा	सदस्य
श्री पी. के. सिंह	सदस्य
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, निदेशकों की निवेश समिति की 10 जुलाई, 2020 को एक बैठक हुई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री आर. एस. ढिल्लों (1 जून, 2020 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
श्री आर. सी. मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक	1	1
श्री पी. के. सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक)	1	0
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (1 जुलाई, 2020 से)	निदेशक (वित्त)	1	1

3.8 मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन से संबंधित सभी मामलों पर विचार करने तथा अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व, उन पर निदेशक मंडल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए मानव संसाधन समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2021 तक मानव संसाधन समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री पी. के. सिंह	अध्यक्ष
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, मानव संसाधन समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

3.9 फंक्शनल निदेशकों की एएलएम समिति

आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देश-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकारकर्ता कंपनी और जमा स्वीकारकर्ता कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुपालन में फंक्श्नल निदेशकों की एएलएम समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2021 तक फंक्शनल निदेशकों की एएलएम समिति की संरचना इस प्रकार है:

नाम	पदनाम
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	अध्यक्ष
श्री पी. के. सिंह	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, फंक्शनल निदेशकों की एएलएम समिति की 27 मई, 2020 और 31 मार्च, 2021 को दो बैठक हुईं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति
श्री एन. बी. गुप्ता (30 जून, 2020 तक)	निदेशक (वित्त)	1	1
श्री आर. एस. ढिल्लों	निदेशक (परियोजना)	1	1
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (1 जुलाई, 2020 से)	निदेशक (वित्त)	1	1
श्री पी. के. सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक) एवं निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त कार्यभार	1	1

4. अन्य समितियां

आईटी कार्यनीति समिति

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया। इसमें श्री आर. सी. मिश्रा, स्वतंत्र निदेशक, कंपनी के मुख्य सूचना अधिकारी/मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी को शामिल किया गया। उक्त आईटी कार्यनीति समिति के विचारणीय विषयों और भूमिका एवं दायित्वों के अंतर्गत आईटी कार्यनीति और नीति दस्तावेज का अनुमोदन करना, प्रबंधन द्वारा कार्यनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपेक्षित आईटी संसाधनों का निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त पद्धति पर निगरानी रखना और आईटी संसाधन जुटाने और उनके इस्तेमाल के लिए उच्च स्तरीय दिशा-निर्देश प्रदान करना; पीएफसी की वृद्धि स्थायी बनाए रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी निवेश में समुचित संतुलन सुनिश्चित करना और आईटी जोखिमों के प्रति जागरूकता और जानकारी के साथ उन पर नियंत्रण करना आदि शामिल हैं।

5. आम सभा की बैठक

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का ब्योरा इस प्रकार है:

एजीएम	दिनांक	दिन	समय	स्थान	विशेष संकल्प
32वीं	11 सितंबर, 2018	मंगलवार	पूर्वाह्न 10.30 बजे	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली -110004	• कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में 76 वर्षीय श्रीमती गौरी चौधरी को नियुक्त करना। • भारत में या भारत के बाहर प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर बॉण्डों/ डिबेंचरों/ नोट्स/ डिबेंचर प्रतिभूतियों आदि के निर्गम के माध्यम से ₹65,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने के लिए। • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत पीएफसी के साथ पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उनके शेयरधारकों एवं क्रेडिटर के समामेलन के लिए व्यवस्था योजना को अनुमोदन प्रदान करना।
33वीं	27 अगस्त, 2019	मंगलवार	पूर्वाह्न 11.00 बजे	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली -110004	• भारत में या भारत के बाहर प्राईवेट प्लेसमेंट के आधार पर बॉण्डों/ डिबेंचरों/ नोट्स/ डिबेंचर प्रतिभूतियों आदि के निर्गम के माध्यम से ₹70,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने के लिए।
34वीं	29 सितंबर, 2020	मंगलवार	अपराह्न 12.30 बजे	कॉर्पोरेशन के पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा	• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अंतर्गत ऋण सीमा बढ़ाने का अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) के अंतर्गत संशोधन करने के लिए • कंपनी के संस्था के अंतर्नियम की उद्देश्य क्लॉज को बदलना

पोस्टल बैलट

पिछले वर्ष पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, आगामी एजीएम तक पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प संचालित करने का प्रस्ताव नहीं है।

6. प्रकटीकरण

कंपनी ने ऐसा कोई सारवान रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेन-देन नहीं किया है जिसके कंपनी के हित के साथ कोई संभावित टकराव की आशंका हो। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेन-देन नहीं किया जहां उनका निजी हित था। इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में कंपनी ने संबंधित पक्षकार लेन-देन पर नीतियां तैयार की है जो इस लिंक पर उपलब्ध है -

http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1561552784406šFinal%20Policy%20on%20RPT%2017052019.pdfpath=Page

पिछले तीन वर्ष के दौरान सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर न तो कोई पेनल्टी लगाई गई है और न ही कोई निंदा की गई है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी को बोर्ड और इसकी समितियों की संरचना की आवश्यकता की गैर अनुपालना के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से पेनल्टी नोटिस प्राप्त हुए थे। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली तीन तिमाहियों के लिए पेनल्टी की माफ कर दी है। कंपनी शेष जुर्माने को भी माफ करवाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के संपर्क में है।

कंपनी ने "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के अंतर्गत यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति स्थापित की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई भी शिकायतें दर्ज नहीं की गई।

संगत नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसरण में कंपनी से अन्य बातों के साथ निदेशकों एवं कार्मिकों के लिए एक सतर्कता तंत्र/सचेतक नीति स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि वे अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में अपने वास्तविक सरोकारों या शिकायतों को दर्ज करा सकें। ऐसे सतर्कता तंत्र के अभिन्न अंग के रूप में, पीएफसी की सचेतक नीति स्थापित की गई है और इस बात की पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने से रोका न जाए। यह निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध है

http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1490188785276šWBP.pdfpath=Page

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसरण में कंपनी ने सारवान सहायक कंपनी पर नीति तैयार की है और यह निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध है:

http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1561552854274šFinal%20Policy%20for%20Material%20Subsidiary17052019.pdfpath=Page

लेखा बहियों में व्यय की ऐसी किसी मद को डेबिट नहीं किया गया जो व्यवसाय के प्रयोजनार्थ नहीं थी। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया जो निजी प्रकृति का हो और निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प/ईएसओपी जारी नहीं किया है।

आपकी कंपनी ने महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अनुपालना को छोड़कर व्यापक रूप से सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर जारी किए गए समय-समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों की सभी आवश्यकताओं का पालन किया है। गैर अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने की स्थिति इस प्रकार है:

1. **बोर्ड:** कंपनी का प्रमुख एक कार्यपालक अध्यक्ष है।

2. **शेयरधारक के अधिकार:** कंपनी के तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम, निगमित शासन रिपोर्ट के साधन और संचार' शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित अनुसार प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी दर्शाए जाते हैं।

3. **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित विकल्प:** कंपनी का हमेशा यह प्रयास रहता है कि असंशोधित लेखापरीक्षा विकल्प के साथ वित्तीय विरणों को रखा जाए।

4. **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट:** कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाता है और लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के साथ नियमित रूप से बातचीत की जाती है।

कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण के बारे में बोर्ड को सूचित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मंडल इन प्रक्रियाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा करता है ताकि सुनिश्चित हो कि समुचित रूप से परिभाषित रूपरेखा के माध्यम से जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है।

आपकी कंपनी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल शुल्क ₹1.19 करोड़ है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी ने लागू सीमा तक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का 1 अप्रैल, 2018 से अनुसरण किया है।

7. संचार के साधन

कंपनी संचार को निगमित शासन की समग्र रूपरेखा के मुख्य घटक के रूप में मानती है और इसलिए व्यापक रूप से जनता से निरंतर, दक्ष एवं प्रासंगिक संचार पर बल देती है। कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक, समाचार पत्रों तथा वेबसाइट के माध्यम से प्रकटीकरण द्वारा अपने शेयरधारकों के साथ संचार करती है। कंपनी निवेशक सम्मेलनों, सम्मेलन कॉल आदि के माध्यम से भी अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ संचार करती है। यद्यपि तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे कि द इक्नॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी), द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण (हिंदी), अमर उजाला, द इंडियन एक्सप्रेस आदि में प्रकाशित किए जाते हैं, ये कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com पर भी उपलब्ध हैं और व्यापक प्रसार के लिए स्टॉक एक्सचेंज को भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ लेखापरीक्षित लेखा, समेकित वित्तीय विवरण, निदेशक रिपोर्ट, लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निगमित शासन पर रिपोर्ट शामिल है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सदस्यों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को भेजी जाती है।

8. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार, सीईओ अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीएफओ अर्थात निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र 15 जून, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया (इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक I** के रूप में प्रतिलिपि संलग्न है)।

9. प्रयोज्य कानूनों का अनुपालन

कंपनी ने सुदृढ़ अनुपालन मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित की है। बोर्ड कंपनी पर लागू सभी कानूनों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन की स्थिति का आवधिक आधार पर समीक्षा करता है।

10. आचार संहिता

बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण एवं नैतिकता संहिता कंपनी के सभी निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू एक व्यापक संहिता है। यह मिशन एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन एवं मूल्यों के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। संहिता की प्रतिलिपि कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन के वरिष्ठ कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई घोषणा इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक II** के रूप में संलग्न है।

11. आंतरिक (इनसाइडर) ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) (संशोधन) विनियम, 2018 के अनुपालन में आपकी कंपनी ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए व्यापक संहिता अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में व्यापार के विनियमन, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचरण तथा अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचना के उचित प्रकटीकरण के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता तैयार की है। कंपनी में अपने आवंटन के दौरान प्राप्त सभी ऐसी सूचना की गोपनीयता की रक्षा करना और निजी लाभ प्राप्त करने या किसी तीसरे पक्षकार को लाभ प्रदान करने के लिए अपने पद या सूचना का दुरुपयोग न करना संहिता में उल्लिखित सभी नामित कार्मिकों तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों का दायित्व है। संहिता कंपनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं एवं दिशा-निर्देश तथा किए जाने वाले प्रकटीकरण और गैर अनुपालन के परिणाम विहित करती है। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह उक्त संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

उक्त संहिता की आवश्यकता के अनुसरण में, ट्रेडिंग विंडो को समय-समय पर बंद किया गया, जब बोर्ड को कुछ कीमत संवेदी सूचना प्रस्तुत की गई। अनुपालन अधिकारी ने ट्रेडिंग विंडो के बंद होने के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार न करने के लिए सभी कार्मिकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को रोकते हुए अग्रिम में कंपनी की वेबसाइट पर ट्रेडिंग विंडो के बंद होने के बारे में सूचना प्रदान की।

“पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता तथा अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता” की प्रतिलिपि कंपनी की वेबसाइट अर्थात http://www.pfcindia.com/Default/ ViewFile/?id=1614952208955šInsiderTradingš-mended05032021.pdfpath=Page पर उपलब्ध है।

12. शेयरधारक की सूचना

क) वार्षिक आम बैठक

तारीख	समय	स्थान
21 सितंबर, 2021	दोपहर 12.30 बजे	वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से

35वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों द्वारा किया जाएगा। कंपनी द्वारा उक्त एजीएम में उपस्थित होने के लिए शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा साथ ही, उक्त एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के उनके अधिकार का उपयोग करने का विकल्प भी शेयरधारकों को दिया जाएगा। कंपनी की 35वीं एजीएम की सूचना में उक्त एजीएम में भागीदारी और अन्य संगत जानकारी का ब्यौरा दिया गया है।

ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय कलेंडर (अनंतिम)

विवरण	तारीख
वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022
पिछली तीन तिमाहियों के लिए गैर लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणाम	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के भीतर घोषित किए जाएंगे।
लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणाम	लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणाम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों में या इससे पहले घोषित किए जाएंगे।
एजीएम (अगले वर्ष)	अगस्त/सितंबर, 2022

ग) बही बंद करने की तारीख

2 सितंबर, 2021 से 21 सितंबर, 2021 (इसमें दोनों दिन शामिल हैं) तक कंपनी के सदस्य रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां बंद रहेंगी।

घ) लाभांश का भुगतान

- **लाभांश वितरण नीति**

  कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 43क के अनुपालन में एक लाभांश वितरण नीति बनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे वित्तीय पैरामीटरों सहित बाहरी और आंतरिक विनिमय विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और जिन परिस्थितियों के अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की आशा रख सकते हैं अथवा नहीं रख सकते हैं, उन पर विचार किया जाएगा।

  यह नीति पीएफसी की वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

  http://www/pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=154600918078šDividend distribution.odfpath=Page

- **वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाभांश का ब्यौरा**

  कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर ₹2 प्रति शेयर का अंतिम लाभांश भुगतान करने की सिफारिश की है, जिसका भुगतान वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के बाद किया जाएगा। यह कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर मार्च, 2021 में पहले से भुगतान किए गए ₹8 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश की राशि ₹10 प्रति इक्विटी शेयर होगी।

  कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, निदेशक मंडल द्वारा सिफारिश किए गए इक्विटी शेयर पर अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो कंपनी के सदस्यों अथवा उनके मेन्डेट को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम फिजिकल शेयरों के संबंध में 2 जुलाई, 2021 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। डिमेटिरियलाइज शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान शेयरों के 'लाभार्थी स्वामी' को किया जाएगा, जिनके नाम 2 जुलाई, 2021 को कारोबारी समय समाप्त होने पर नेशनल सिक्यॉरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए लाभार्थी स्वामित्व विवरण में दर्ज है। यदि वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में लाभांश की घोषणा की जाती है, तो इसका भुगतान स्टेकधारकों को एजीएम में उसकी घोषणा की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जाएगा।

ड.) लाभांश का इतिहास

वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (%) में	भुगतान की तारीख (अंतरिम एवं अंतिम)
2015-16	1,320.04 (प्रथम अंतरिम)	1,161.64	88	4 जनवरी, 2016
	1,320.04 (द्वितीय अंतरिम)	594.02	45	24 फरवरी, 2016
	1,320.04 (अंतिम)	79-20	6	1 सितंबर, 2016
	कुल	**1,834.86**	139	-
2016-17	2,640.08 (अंतरिम)	1,320.04	50	7 अप्रैल, 2017
	कुल	**1,320.04**	50	-
2017-18	2,640.08 (प्रथम अंतरिम)	1,584.04	60	23 नवंबर, 2017
	2,640.08 (द्वितीय अंतरिम)	475.21	18	19 मार्च, 2018
	कुल	**2,659.26**	78	-
2018-19	2,640.08	-	-	-
2019-20	2,640.08 (अंतरिम)	2,508.07	95	12 मार्च, 2020
	कुल	**2,508.07**	95	-

- **आईईपीएफ खाता बॉण्डों को अंतरित अदावा राशि और शेयर/ लाभांश/ बॉण्डों की स्थिति**

  31 मार्च, 2021 तक कुल अदावा राशि और अदत्त राशि ₹149.45 करोड़ थी (मूलधन+ब्याज)। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आईईपीएफ को अंतरित अतिरिक्त/अदत्त बॉण्डों की राशि ₹4,87,000 है।

  इसके अतिरिक्त, कर मुक्त बॉण्डों 2013-14 (ट्रांच-I) पर आवेदन राशि पर ब्याज की अदावा/अदत्त राशि ₹1,59,232.18 थी। यह ₹1,59,232.18 की राशि आईईपीएफ खाते में अंतरित कर दी गई थी।

अदावा लाभांश - इक्विटी

31 मार्च, 2021 तक लाभांश की अदावा शेष राशि ₹3.90 करोड़ थी (राउंड ऑफ)। ₹7,86,722 करोड़ (अंतिम) की अदावा लाभांश राशि दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरण किए जाने के लिए देय थी और तद्नुसार निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित कर दी गई थी।

आईईपीएफ को अंतरित इक्विटी शेयर

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 (आईईपीएफ नियमावली) के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसे सभी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश का दावा लगातार सात वर्ष के लिए नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते को अंतरित किया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार, कंपनी ने जुलाई, 2020 में 5021 इक्विटी शेयर (₹10 प्रत्येक) और फरवरी, 2021 में 10,844 इक्विटी शेयर (₹10 प्रत्येक) अंतरित कर दिए हैं। 31 मार्च, 2021 की आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में रखे इक्विटी शेयरों की संख्या 63,516 थी। तदोपरांत 15,357 इक्विटी शेयर (₹10 प्रत्येक) थी। जिन्हें जून, 2021 में आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खातों में अंतरित कर दिए गए।

जिन सदस्यों के पास उपर्युक्त लाभांश और शेयरों पर कोई दावा है, वे आईईपीएफ प्राधिकरण से उनके लिए निर्धारित फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में, जो वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है, ऑनलाइन आवेदन करके दावा कर सकते हैं और उसकी एक फिजिकल प्रतिलिपि विधिवत हस्ताक्षर के साथ कंपनी को भेजकर, फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ भेज सकते हैं। आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित लाभांश/ शेयरों के संबंध में कंपनी पर कोई दावा नहीं होगा।

नोडल अधिकारी

आईईपीएफ नियमावली के नियम 7 (2क) के अनुसरण में, निम्नलिखित व्यक्ति कंपनी के नोडल अधिकारी हैं:

नोडल अधिकारी	श्री मनोहर बलवानी, कंपनी सचिव
बॉण्डों/डिबेंचरों के संबंध में उप नोडल अधिकारी	श्री ईश्वर सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (आरएमडी-II),

च) स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता

पीएफसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	**बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)**
एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - 400 051	25वां तल, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड: पीएफसी ईक्यू	स्क्रिप कोड: 532810
स्टॉक कोड (आईएसआईएन) : INE134E0 1011	

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एनएसई और बीएसई को वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया गया है।

छ) बाजार मूल्य डाटा

माह	उच्च (₹)		निम्न (₹)		अंतिम (₹)	
	एनएसई	बीएसई	एनएसई	बीएसई	एनएसई	बीएसई
अप्रैल, 20	97.80	97.60	85.30	85.40	95.40	95.35
मई, 20	93.85	94.95	74.15	74.20	75.20	75.10
जून, 20	91.95	91.90	75.85	76.00	84.00	84.15
जुलाई, 20	88.50	88.50	78.85	78.90	80.85	80.85
अगस्त, 20	103.95	103.90	80.55	80.60	94.05	94.20
सितंबर, 20	98.00	98.00	82.05	82.15	86.20	86.25
अक्तूबर, 20	90.90	90.90	83.50	83.55	87.10	87.10
नवंबर, 20	110.50	111.00	86.95	86.95	108.20	108.30
दिसंबर, 20	123.40	123.40	105.60	105.80	114.30	114.25
जनवरी, 21	124.40	124.45	108.90	108.90	109.80	109.90
फरवरी, 21	135.90	135.80	108.45	108.50	124.00	124.10
मार्च, 21	140.50	140.50	110.20	110.30	113.75	113.65

ज) सूचकांकों की तुलना में कार्य-निष्पादन

पीएफसी शेयर मूल्य और निफ्टी 50

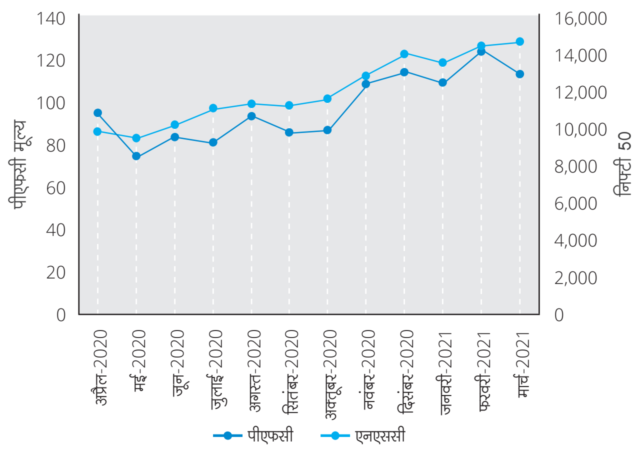

पीएफसी शेयर मूल्य और बीएससी सेंसेक्स

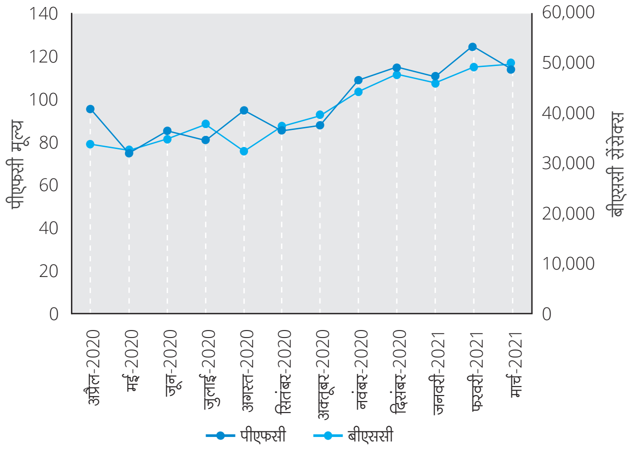

झ) इक्विटी शेयरों के लिए रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

संचार का पता

केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर- बी,
प्लॉट नंबर 31 एवं 32,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली,
हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना, भारत
टेलीफोन नंबर: 91 40 67162222
ई-मेल: einward.riskfintech.com
वेबसाइट: www-kfintech.com

ञ) शेयर अंतरण प्रणाली

डिपॉजिटरी के माध्यम से इक्विटी शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतरण किया जाता है जिसमें कंपनी की कोई भागीदारी नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों का लेन-देन सरल एवं त्वरित है। दलाल से बिक्री/क्रय लेन-देन की पुष्टि के बाद शेयरधारकों को लेन-देन के लिए खाते को डेबिट या क्रेडिट करने के अनुरोध के साथ प्रतिभागी डिपॉजिटरी से संपर्क करना चाहिए। प्रतिभागी डिपॉजिटरी खाते को अपडेट करके लेन-देन को पूर्ण करने की तुरंत व्यवस्था करेगा। अंतरण को पंजीकृत कराने के लिए कंपनी के साथ अलग से पत्राचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

1 अप्रैल, 2019 से सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के भौतिक अंतरण पर रोक लगा दी है तथा केवल डीमैट के माध्यम से अंतरण को अनिवार्य कर दिया है। तथापि, निवेशकों को भौतिक रूप में शेयर रखने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

ट) डीमैट सस्पेंस खाते का ब्योरा

31 मार्च, 2021 तक डीमैट सस्पेंस खाते में शेयरों का ब्योरा निम्नानुसार है:

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के शुरू में अर्थात 1 अप्रैल, 2020 तक सस्पेंस खाता में शेयरधारकों तथा बकाया शेयरों की कुल संख्या	3	1,432
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2020-21 के दौरान सस्पेंस खाते से शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क किया	0	0
घटाएं: ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिनको वर्ष 2020-21 के दौरान सस्पेंस खाते से शेयर अंतरित किए गए	0	0
घटाएं: ऐसे शेयरों की संख्या जो वर्ष 2020-21 के दौरान आईईपीएफ खाते में अंतरित किए गए	0	0
वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च, 2021 तक सस्पेंस खाता में शेयरधारकों तथा बकाया शेयरों की कुल संख्या	3	1,432

वैध स्वामी द्वारा ऐसे शेयरों का दावा किए जाने तक उक्त शेयरों के संबंध में मतदान के अधिकार जब्त रहेंगे।

ठ) शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2021 तक शेयरधारिता का वितरण

क्र.सं.	राशि	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	राशि (₹)	शेयरों का %
1	1-5000	2,90,262	86.87	37,06,83,180	1.40
2	5001-10000	25,132	7.52	2,02,41,1120	0.77
3	10001-20000	10,230	3.06	15,32,70,100	0.58
4	20001-30000	2,902	0.87	74,73,3140	0.29
5	30001-40000	1,342	0.40	4,86,28,620	0.18
6	40001-50000	1,003	0.30	4,76,13,070	0.18
7	50001-100000	1,744	0.52	12,63,02,720	0.48
8	100001 तथा अधिक	1,522	0.46	25,37,71,72,130	96.12
	कुल	**3,34,137**	**100**	**26,40,08,14,080**	**100**

31 मार्च, 2021 तक शेयरधारिता पैटर्न

श्रेणी	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का %
भारत के राष्ट्रपति	1,47,82,91,778	55.99
विदेशी पोर्टफोलियो - सीओआरपी	45,71,53,528	17.32
म्यूचुअल फंड	35,26,64,982	13.36
बीमा कंपनियां	15,89,85,695	6.02
निवासी व्यक्ति	12,76,24,134	4.83
अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता	2,39,31,738	0.91
निगमित निकाय	1,18,45,647	0.45
क्लीयरिंग सदस्य	83,53,467	0.32
एचयूएफ	73,60,605	0.29
बैंक	44,84,733	0.17
अनिवासी भारतीय	30,87,583	0.12
ट्रस्ट	20,01,352	0.08
अनिवासी भारतीय गैर-प्रत्यावर्तनीय	16,57,151	0.06
एनबीएफसी	11,35,056	0.04
कार्मिक	9,54,344	0.03
वैकल्पिक निवेश निधि	4,86,099	0.01
आईईपीएफ	63,516	0.00
कुल	**2,64,00,81,408**	**100**

ड) शेयरों का डिमैटीरियलाइजेशन

31 मार्च, 2021 तक डीमैट रूप में और भौतिक रूप में एनएसडीएल, सीडीएसएल के पास रखे गए शेयरों की संख्या।

विवरण	शेयरों की संख्या	जारी की गई पूंजी का %
एनएसडीएल	2,56,52,10,126	97.16
सीडीएसएल	7,48,40,285	2.83
फिजिकल	30,997	0.01
कुल	**2,64,00,81,408**	**100**

ढ) बकाया जीडीआर और एडीआर वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखित, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर और एडीआर वारंट/परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया गया है।

ण) वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम तथा हेजिंग गतिविधियां

विदेशी मुद्रा ऋणों से संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए आपकी कंपनी ने मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति स्थापित की है। कंपनी ने विभिन्न लिखतों जैसे फॉर्वर्ड, विकल्प, और स्वैप के माध्यम से विनिमय दर एवं ब्याज दर जोखिम को कवर करने के लिए हेजिंग लिखत शुरू की है।

त) पत्राचार के लिए पता

पंजीकृत कार्यालय

'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली - 110 001

कंपनी सचिव

श्री मनोहर बलवानी
टेलीफोन नंबर: + 91 11 23456020
फैक्स: + 91 11 23456786
ई-मेल: investorsgrievancepfcindia.com

थ) क्रेडिट रेटिंग

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, दीघावधि और अल्पावधि, दोनों ही ऋणों के मामले में कंपनी की घेरलू रेटिंग (बैंक ऋणों सहित) सर्वोच्च बनी रही।
- **क्रिसिल, आईसीआरए और केयर द्वारा प्रदान की गई घरेलू रेटिंग**
  - दीर्घावधि घरेलू ऋण कार्यक्रम की रेटिंग - क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए
  - अल्पावधि घरेलू ऋण कार्यक्रम की रेटिंग -क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+ और केयर ए1+
- **अंतरराष्ट्रीय रेटिंग**

  कंपनी की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग क्रेडिट रेटिंग बीएए3 और बीबीबी- बनी हुई है, जो क्रमशः अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मूडीज़ और फिच द्वारा प्रदान की गई है।

द) अधिमानी आबंटन/अर्हक संस्था नियोजन

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या अन्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के अधिमानी आबंटन/अर्हक संस्था नियोजन के रूप में कोई धन नहीं जुटाया है।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताए एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत निदेशक मंडल के लिए प्रमाण-पत्र

हम एतदद्वारा निदेशक मंडल को यह प्रमाणित करते हैं कि:

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

i) इन विवरणों में कोई सारवान रूप से असत्य विवरण नहीं है या कोई सारवान तथ्य छिपाया नहीं गया है या ऐसे विवरण नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

ii) ये विवरण एक साथ कंपनी के कार्यों का सच्चा एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा इनमें लेखांकन के मौजूदा मानकों, प्रयोज्य कानूनों एवं विनियमों का पालन किया गया है।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला है।

हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की कारगरता का मूल्यांकन किया है और हमने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन या प्रचालन में खामियों, यदि कोई हो, जिसकी हमें जानकारी है, और हमने इन खामियों को दूर करने के लिए जो कदम उठाया है या उठाने का प्रस्ताव किया है, उसके बारे में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को खुलासा किया है।

हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इंगित किया है:

i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तनः

ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन की जानकारी दी है और वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में उनका खुलासा किया गया है, तथा

iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, जिनके बारे में हमें जानकारी हो गई है और उसमें प्रबंधन अथवा वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले कार्मिक की संलिप्तता, यदि कोई हो।

हस्ता/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त) / सीएफओ
डीआईएन: 08530587

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सीईओ
डीआईएन: 00278074

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार घोषणा

"बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यवसाय आचार तथा बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नैतिकता संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।"

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

निगमित शासन संबंधी प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
'ऊर्जानिधि', 1 बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001

हमने सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद इसमें "सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015" कहा गया है) तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों में प्रावधान के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उक्त खंड एवं दिशा-निर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखापरीक्षा है ओर न ही राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसरण में हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर सेबी (एलओडीआर) विनियमों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए निगमित शासन के दिशा-निर्देशों में यथाविनिर्दिष्ट निगमित शासन की शर्तों का पालन किया है:

(i) बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, सेबी (एलओडीआर) विनिमय को डीपीई दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यथाअपेक्षित बोर्ड की कुल संख्या की आधी से कम थी, जिसके लिए कंपनी ने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की उपयुक्त संख्या नियुक्त करने के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात विद्युत मंत्रालय को नियमित रूप से लिखा है।

और

(ii) कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनिमय, 2015 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विनिमय 17, 18 और 19 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।

हम यह भी कथन करते हैं कि ऐसा अनुपालन प्रमाण-पत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है और न ही कारगरता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

कृते **अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स**
(कंपनी सचिव)

हस्ता/-
सीएस अमित अग्रवाल
(भागीदार)
एम. सं.: एफ5311
सी. पी. सं.: 3647
यूडीआईएन - एफ005311सी000838572

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26 अगस्त, 2021

व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट

भाग क: कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65910DL1986GOI024862
कंपनी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत पता	'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
वेबसाइट	www.pfcindia.com
ई-मेल आईडी	mb@pfcindia.com
रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष	2020-21
क्षेत्र जिनमें कंपनी काम करती है (कोड-वार औद्योगिक गतिविधि)	64920 (अन्य वित्तीय सेवाएं एवं गतिविधियां- अन्य क्रेडिट संस्वीकृति)
तीन प्रमुख सेवाओं के बारे में बताएं जो कंपनी प्रदान करती है	पीएफसी एक अग्रणी वित्तीय संस्थान है, जो विद्युत क्षेत्र पर केंद्रित है। यह हमारे ग्राहकों को विद्युत क्षेत्र में उत्पादन (परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा), पारेषण और वितरण परियोजनाओं सहित परियोजना की संकल्पना से लेकर उसके चालू होने की अवस्था के बाद तक व्यापक वित्तीय उत्पाद और संगत परामर्शी तथा अन्य सेवाएं प्रदान करती है। पीएफसी ऋण वृद्धि गारंटियों और लेटर ऑफ कम्फर्ट आदि सहित दीर्घावधि परियोजना वित्त, अल्पावधि ऋण, विभिन्न क्रेता ऋण तथा गैर-निधि आधारित सहायता सहित विभिन्न निधि आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह विद्युत क्षेत्र के लिए यूएमपीपी कार्यक्रम और आईपीडीएस/ (इसमें आर-एपीडीआरपी का विलय किया गया है) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने तथा यह आईटीपी योजना के लिए इसकी एक पूर्ण स्वामित्वाधीन वाली सहायक कंपनी, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से एक बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल है।
ऐसे स्थानों की कुल संख्या, जहां कंपनी द्वारा व्यवसाय की गतिविधियां संचालित की जाती है	
i. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या	कोई नहीं
ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	3
कंपनी द्वारा सेवित बाजार - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय	राष्ट्रीय

भाग ख: कंपनी का वित्तीय ब्यौरा (31 मार्च, 2021 तक)

प्रदत्त पूंजी (आईएनआर में)	₹2,640.08 करोड़
कुल टर्नओवर (आईएनआर) (प्रचालनों से राजस्व)	₹37,744.87 करोड़
कुल कर पश्चात लाभ (आईएनआर)	₹8,444.01 करोड़
कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%)	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 3.10% (₹262 करोड़)
सीएसआर की गतिविधियों की सूची जिनमें व्यय किया गया है	जिन प्रमुख क्षेत्रों पर उपर्युक्त व्यय किया गया है, उनमें पीएम केयर्स फंड के अलावा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, व्यावसायिक कौशल एवं जीविका संवर्धन, पर्यावरणीय संधारणीयता और ग्रामीण विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

भाग ग: अन्य ब्यौरे

क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां है?	जी हां
क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं?	जी नहीं
क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (उदाहरणार्थ आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं?	जी नहीं

भाग घ: बीआर सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक का ब्यौरा

क) बीआर नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक का ब्यौरा

विवरण	ब्यौरा
डीआईएन नंबर	03548218
नाम	पी. के. सिंह
पदनाम	निदेशक (वाणिज्यिक)

ख) (बीआर प्रमुख का ब्यौरा)

विवरण	ब्यौरा
डीआईएन नंबर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
नाम	श्री मनोहर बलवानी
पदनाम	कंपनी सचिव
टेलीफोन नंबर	011- 23456749
ई-मेल आईडी	mb@pfcindia.com

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी एवं एनजीआरबीसी के अनुसार) बीआर नीतियां

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों (एनवीजी) और जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) ने व्यवसाय में जिम्मेदारियों के नौ क्षेत्रों को अपनाया है। इनका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है:

पी1 - व्यवसायों में नैतिकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ स्वयं का संचालन एवं शासन करना चाहिए।

पी2 - व्यवसायों में ऐसी वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवनकाल के दौरान संधारणीय योगदान होना चाहिए।

पी3 - व्यवसायों में सभी कार्मिकों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

पी4 - व्यवसायों में सभी स्टेकधारकों, विशेष रूप से उनका जो वंचित, कमजोर एवं हाशिए पर हैं, का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

पी5 - व्यवसायों में मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

पी6 - व्यवसायों में पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए और उसकी बहाली का प्रयास करना चाहिए।

पी7 - जब व्यवसाय सरकारी एवं विनियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल हो तो उसे ऐसा जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए।

पी8 - व्यवसायों में समावेशी विकास एवं साम्यपूर्ण प्रगति को बढ़ावा देना चाहिए।

पी9 - व्यवसायों में दायित्वपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए और अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को मूल्य प्रदान करना चाहिए।

क्र. सं.	प्रश्न	व्यवसाय आचार नीति	उत्पाद उत्तरदायित्व	कार्मिकों का कल्याण	स्टेकधारक सहभागिता	मानवाधिकार	पर्यावरण	लोक नीति	सीएसआर	ग्राहक संबंध
		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास...... के लिए कोई नीति/नीतियां हैं	हां	चूंकि पीएफसी एनबीएफसी कंपनी है, इसलिए इस सिद्धांत की प्रयोज्यता सीमित है	हां	हां	यह नीति कंपनी की एचआर नीतियों एवं पद्धतियों में शामिल है	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों एवं पद्धतियों में शामिल है	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों एवं पद्धतियों में शामिल है	हां	हां
2	क्या संगत स्टेकधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय मानक की पुष्टि करती है?	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जा रही है? यदि हां, तो क्या इस पर एमडी/ स्वामी/ सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां
5	क्या इस नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए कंपनी में बोर्ड/ निदेशक/ कार्मिकों की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां

क्र. सं.	प्रश्न	व्यवसाय आचार नीति पी1	उत्पाद उत्तरदायित्व पी2	कार्मिकों का कल्याण पी3	स्टेकधारक सहभागिता पी4	मानवाधिकार पी5	पर्यावरण पी6	लोक नीति पी7	सीएसआर पी8	ग्राहक संबंध पी9
6	ऑनलाइन देखने के लिए नीति के लिंक का ब्यौरा प्रदान करें।	-	नीति आंतरिक दस्तावेज है इसलिए केवल कार्मिकों को उपलब्ध है।		-	-	-			
7	क्या नीति सभी संगत आंतरिक एवं बाहरी स्टेकधारकों को औपचारिक रूप से संप्रेषित की गई है ?	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां
8	क्या नीति/नीतियों को लागू करने हेतु कंपनी में अपनी संरचना है?	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां
9	क्या नीति/नीतियों के संबंध में स्टेकधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी में नीति/ नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां
10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यकरण की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/ मूल्यांकन कराया है?	हां	-	हां	हां	-	-	-	हां	हां

#इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में संगत स्पष्टीकरण/ सूचना/ लिंक का उल्लेख है।

(ख) यदि किसी सिद्धांत के निमित्त क्रम सं. 1 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया बताएं कि ऐसा क्यों है:

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है									
2.	कंपनी ऐसे चरण पर नहीं है जहां यह स्वयं को निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों का निर्माण करने एवं कार्यान्वित करने की स्थिति में पाए									
3.	इस कार्य के लिए कंपनी के पास वित्तीय या मैनपावर संबंधी संसाधन उपलब्ध नहीं है					लागू नहीं				
4.	अगले 6 महीनों में किए जाने की योजना बनाई गई है									
5.	अगले 1 वर्ष में किए जाने की योजना बनाई गई है									
6.	कोई अन्य कारण									

3. बीआर से संबंधित शासन

- **बताएं कि कंपनी के बीआर कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ बैठक की बारंबारता कितनी है।** फंक्शनल निदेशक द्वारा कंपनी की बीआर गतिविधियों पर नजर रखी जाती है तथा बोर्ड भी वार्षिक आधार पर निदेशक रिपोर्ट के भाग के रूप में व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

- **क्या कंपनी बीआर अथवा संधारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपर लिंक क्या है? इसके प्रकाशन की आवृत्ति क्या है?** वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद से व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित की जा रही है। वर्तमान रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का भाग होगी तथा कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर उपलब्ध होगी।

भाग ड.: सिद्धांत-वार कार्य-निष्पादन

सिद्धांत 1

1. **क्या नैतिकता, घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को शामिल करती है? क्या यह ग्रुप/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्यों पर भी लागू होती है?**

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) विद्युत क्षेत्र की एक अग्रणी सार्वजनिक वित्तीय संस्था तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो भारत के विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए निधि तथा गैर-निधि आधारित सहायता प्रदान करती है। यह विद्युत क्षेत्र में निवेश कराने में बड़ी भूमिका निभाती है और इस क्षेत्र के विकास के वाहन के रूप में काम करती है। इसके ग्राहकों में राज्य विद्युत संस्थाएं, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र संस्थाएं, विद्युत विभाग, निजी विद्युत क्षेत्र संस्थाएं, (स्वतंत्र विद्युत उत्पादक सहित), संयुक्त क्षेत्र विद्युत संस्थाएं, आदि शामिल हैं। पीएफसी ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के आधार पर अपने ऋण प्रचालन के लिए उचित प्रक्रिया संहिता (एफपीसी) विनामित की

है जिसका उद्देश्य सभी ऋणकर्ताओं को व्यवसाय लेन-देन में उचित संव्यवहार एवं पारदर्शिता के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता का आश्वासन प्रदान करना है।

पीएफसी निगमित शासन को अच्छे प्रबंधन का अभिन्न भाग भी मानता है तथा अपने सभी संव्यवहारों में व्यावसायिकता, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण एवं नैतिकता संहिता स्थापित की है।

निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण एवं नैतिकता संहिता कंपनी के सभी निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू एक व्यापक संहिता है। यह मिशन एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन एवं मूल्यों के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।

कंपनी ने एक कपटरोधी नीति भी अपनाई है ताकि कंपनी में कपट का पता लगाने एवं रोकने की व्यवस्था उपलब्ध हो सके। इसका उद्देश्य नियंत्रणों के विकास के लिए उत्तरदायित्व आबंटित करके और कपट/संदिग्ध कपट की रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करके निरंतर विधिक एवं नैतिक संगठनात्मक आचरण को बढ़ावा देना तथा संदिग्ध कपटपूर्ण व्यवहार की जांच करना है। यह नीति कंपनी में ऐसे कपट या संदिग्ध कपट की रिपोर्टिंग एवं अन्वेषण पर लागू होती है जिसमें कार्मिक (संविदा पर नियुक्त कार्मिकों सहित) तथा स्टेकधारक, परामर्शदाता, वेंडर, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता, ठेकेदार, ऋणकर्ता, ऋणदाता बाहरी एजेंसियां और/या कंपनी के साथ कारोबारी संबंध रखने वाला कोई अन्य पक्षकार शामिल है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी स्टेकधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा संतोषप्रद ढंग से समाधान की गई शिकायतों का प्रतिशत क्या है?**

   कपटरोधी नीति के अंतर्गत कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं की है।

   वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के शेयरधारकों एवं बॉण्डधारकों से कुल 6,999 शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनमें से 31 मार्च, 2021 तक 6,983 शिकायतों (99.77%) का समाधान कर दिया गया था।

   पीएफसी के नागरिक चार्टर के अंतर्गत, वर्ष के शुरू में लंबित 3 शिकायतों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राहकों/उपभाक्ताओं से कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुईं। 31 मार्च, 2021 तक इनमें से 13 शिकायतों (92.86%) का समाधान किया गया तथा 1 शिकायत लंबित हैं।

सिद्धांत 2

1. **अपने अधिकतम 3 उत्पादों एवं सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिसकी डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय सरोकारों, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।**

   पीएफसी के सावधि ऋण, क्रेता लाइन ऑफ क्रेडिट, पट्टा वित्तपोषण आदि जैसे वित्तीय उत्पाद हैं जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त-पोषण शामिल है जो संधारणीय तथा पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल हैं। ऋण संस्वीकृत करते समय, पीएफसी शर्तें निर्धारित करता है जिसमें अन्य बातों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृतियां शामिल हैं।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद के प्रति यूनिट संसाधन प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करें (ऊर्जा, जल और कच्चा माल आदि):**

   चूंकि पीएफसी विनिर्माण कंपनी नहीं है और केवल विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है इसलिए नीचे उल्लिखित निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतया विनिर्माण क्षेत्र पर लागू हैं।

   i. **पूरी मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से सोर्सिंग/ उत्पादन/ वितरण के दौरान कटौती?**

      लागू नहीं

   ii. **पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं (ऊर्जा, जल) द्वारा प्रयोग के दौरान कटौती?**

      लागू नहीं

3. **क्या संधारणीय सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कंपनी में प्रक्रियाएं है?**

   लागू नहीं

4. **क्या कंपनी द्वारा कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय एवं छोटे उत्पादकों से वस्तु एवं सेवाएं खरीदने के लिए कोई कदम उठाया गया है? यदि हां, तो स्थानीय एवं छोटे वेंडरों की क्षमता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

   चूंकि पीएफसी वित्तीय संस्था है इसलिए सामग्री इनपुट की दृष्टि से यह अपेक्षाकृत कम संसाधन सघन है। हम प्रापण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए भारत सरकार के निर्देशों का भी पालन कर रहे हैं।

5. **क्या उत्पादों एवं अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए कंपनी में कोई तंत्र है, यदि हां, तो उत्पादों एवं अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग से <5%, 5-10%, >10% के रूप में)? साथ ही, कृपया लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रदान करें।**

   चूंकि कंपनी एक वित्तीय संस्थान है इसलिए अपशिष्ट एवं उत्पादों का पुनर्चक्रण करने के लिए तंत्र की प्रयोज्यता सीमित है। तथापि, कंपनी पीएफसी परिसर में 50 किग्रा क्षमता की एक कपोस्टर मशीन लगाई गई है। यह 24 घंटे में वेट मेटीरियल को >10% में पुनर्चकित कर सकती है और 90% सामग्री को आर्गेनिक कंपोस्ट में बदल सकती है। पीएफसी द्वारा उत्पादित आर्गेनिक कंपोस्ट का उपयोग परिसर में और संयंत्रों के आस-पास पौधे लगाने में किया गया है।

   पिछले दो वर्ष से पीएफसी की रैंक एनडीएमसी पुरस्कारों में स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम रही है।

सिद्धांत 3

1. **कृपया कार्मिकों की कुल संख्या बताएं।**

   31 मार्च, 2021 तक, पीएफसी में 483 कार्मिक थे।

2. **कृपया बताएं कि कुल कितने कार्मिकों को अस्थाई/संविदा/अनियत आधार पर हायर किया गया है?**

   31 मार्च, 2021 तक, पीएफसी ने संविदा के आधार पर 64 कार्मिक काम पर रखे।

3. **कृपया बताएं कि स्थायी महिला कार्मिकों की संख्या कितनी है।**

   31 मार्च, 2021 तक, कंपनी की नामावली में 98 स्थायी महिला कार्मिक थीं।

4. कृपया बताएं कि स्थायी दिव्यांग कार्मिकों की संख्या कितनी है।

31 मार्च, 2021 तक, कंपनी की नामावली में 16 स्थायी दिव्यांग कार्मिक थे।

5. क्या ऐसा कोई कार्मिक संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?

पीएफसी में पीएफसी कार्मिक संघ, पीएफसी अजा/ अजजा/ अपिव कल्याण संघ तथा पीएफसी कार्यपालक संघ है।

6. आपके स्थायी कार्मिकों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ का सदस्य है?

100% स्थायी कार्मिक इन मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ यूनियन के सदस्य हैं।

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बंधुआ श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दर्ज हुई शिकायतों की संख्या	31 मार्च, 2021 तक लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूरी/ बंधुआ श्रमिक/ अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. पिछले वर्ष आपके निम्नलिखित कार्मिकों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया ?

- स्थायी कार्मिक 63%
- स्थायी महिला कार्मिक 62%
- कैजुअल/ अस्थायी/ संविदा कार्मिक शून्य
- दिव्यांग कार्मिक 47%

सिद्धांत 4

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाहरी स्टेकधारकों की गणना की है?

हां।

2. क्या कंपनी ने उपर्युक्त में से वंचित, कमजोर एवं साधनविहीन स्टेकधारकों को चिह्नित किया है?

आरक्षित श्रेणी के सभी कार्मिकों (अजा/ अजजा/ अपिव/ दिव्यांग एवं अल्पसंख्यक) को वंचित, कमजोर एवं साधन विहीन स्टेकधारकों के रूप में चिह्नित किया जाता है।

3. क्या वंचित, कमजोर एवं साधनविहीन स्टेकधारकों के साथ भागीदारी के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष पहल की जाती है?

इन लोगों (आरक्षित श्रेणी के सभी कार्मिकों - अजा/ अजजा/ अपिव/ दिव्यांग एवं अल्पसंख्यक) के लिए करियर प्रगति के विभिन्न स्तरों पर तैनाती के लिए भारत सरकार के सभी निर्देशों का पालन किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ के लिए अवसंरचना संबंधी विभिन्न व्यवस्थाएं की गईं। अंकों के प्रतिशत में विशेष छूट देकर अन्य बच्चों के साथ इन श्रेणियों के बच्चों को मेधावी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल कार्मिकों के कल्याण की देखभाल के लिए अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सुनिश्चित किया जाता है कि उपयुक्त स्तर के आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति को विभिन्न चयन एवं पदोन्नति समितियों में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है ताकि आरक्षित श्रेणियों के कार्मिकों के हितों की देखभाल हो सके।

सिद्धांत 5

1. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को शामिल करती है या यह ग्रुप/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्यों पर भी लागू है?

मानवाधिकारों पर पीएफसी की कोई विशिष्ट नीति नहीं है। तथापि, यह नीति कंपनी की विभिन्न एचआर नीतियों एवं प्रक्रियाओं में शामिल है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी स्टेकधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा संतोषप्रद ढंग से समाधान की गई शिकायतों का प्रतिशत क्या है?

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान स्टेकधारकों की शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	शिकायतों की संख्या			
	इक्विटी स्टेकधारक	बॉण्ड धारक	कपट विरोधी नीति के अंतर्गत	नागरिक चार्टर के अंतर्गत
शुरू में लंबित	0	0	0	3
वर्ष के दौरान प्राप्त	1,541	5,458	0	11
वर्ष के दौरान निस्तारित	1,525	5,458	0	13
वर्ष के अंत अनिर्णीत	16*	0	0	1
समाधान की गई शिकायतों का प्रतिशत	98.96%	100%	0	92.86%

*तिमाही के अंत में प्राप्त शिकायतों को बाद में अप्रैल, 2021 के प्रथम सप्ताह में निपटा दिया गया।

सिद्धांत 6

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति के अंतर्गत केवल कंपनी शामिल है अथवा ग्रुप/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्यों पर भी लागू है?**

   यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों एवं प्रथाओं में शामिल है तथा इसके अंतर्गत पूरी कंपनी शामिल है।

2. **क्या जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए कंपनी में रणनीतियां/पहलें हैं? हां/नहीं यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक प्रदान करें।**

   पीएफसी सामाजिक दृष्टि से सजग संगठन है और संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) द्वारा प्रतिपादित वैश्विक संधि के 9 सिद्धांतों का पूर्णतः समर्थन करता है, जिसके अंतर्गत मानवाधिकार, पर्यावरणीय संरक्षण तथा श्रम अधिकार के क्षेत्र शामिल हैं। वैश्विक संधि के ये सिद्धांत कंपनी की विभिन्न संगठनात्मक नीतियों में शामिल हैं जिससे प्राकृतिक ढंग से उनका कार्यान्वयन सुगम हो रहा है।

   "पीएफसी ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा पहलों को बढ़ाने के लिए, ग्रीन बॉण्ड जारी किए हैं और अनेक अंतरराष्ट्रीय बैंकों तथा वित्तपोषण एजेंसियों से भागीदारी की है। ये संस्थान ऋण प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग पीएफसी द्वारा सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है।

   पीएफसी ग्रीन बॉण्डों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार एसोसिएशन (आईसीएमए) द्वारा जारी किए गए जलवायु बॉण्डों और ग्रीन बॉण्ड सिद्धांतों के माध्यम से निधियां जुटाती है। जलवायु बॉण्ड मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप जलवायु बॉण्ड मानक बोर्ड को वार्षिक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा रहा है।"

   पीएफसी समुचित आयोजना एवं निर्णय के माध्यम से समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर प्रयास करता है जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को वास्तव में एवं स्थायी रूप से कम करने तथा पर्यावरण का संरक्षण करने में मदद मिलेगी। पीएफसी ने ऐसी गतिविधियों का समर्थन करना जारी रखा है जिनका उद्देश्य वर्तमान एवं भावी दोनों पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और साथ ही सभी विविधताओं के साथ जीवन को सहारा देने में पृथ्वी की क्षमता की रक्षा करना है।

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों को चिन्हित एवं आकलित करती है?**

   चूंकि पीएफसी कोई विनिर्माण कंपनी नहीं है तथा केवल वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है इसलिए यह प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं है।

4. **क्या स्वच्छ विकास तंत्र के संबंध में कंपनी की कोई परियोजना है? यदि हां, तो कृपया लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रदान करें। साथ ही, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?**

   उपर्युक्त प्रश्न पीएफसी पर लागू नहीं है क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, आपकी कंपनी राज्य तथा निजी क्षेत्रों में विशेष ब्याज दर पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं तथा ऊर्जा बचत परियोजनाओं को वित्त-पोषित करती है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक प्रदान करें।**

   जी हां, कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी/ ऊर्जा दक्षता/ नवीकरणीय ऊर्जा आदि की विभिन्न पहलें शुरू की हैं। ऐसी पहलें वेबसाइट https://www.pfcindi.com/DocumentRepostitory/ckfinder/files/CSR/CSR_FY_20_21_as_of_31032021.pdf. पर उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, पीएफसी के "सौर अनुप्रयोग" के अंतर्गत ₹6.66 करोड़ संवितरित किए हैं।

6. **क्या कंपनी द्वारा सृजित उत्सर्जन/ अपशिष्ट रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/ एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमा के अंदर है?**

   लागू नहीं।

7. **31 मार्च, 2021 के अंत तक सीपीसीबी/ एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/ कानूनी नोटिसों की संख्या (अर्थात जिनका संतोषप्रद समाधान नहीं किया गया है)**

   लागू नहीं।

सिद्धांत 7

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड चैंबर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो उनमें से केवल मुख्य का नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबारी संबंध है:**

   जी हां, पीएफसी निम्नलिखित एसोसिएशनों का सदस्य है:

   1. स्कोप (एससीओपीई)
   2. केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड
   3. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
   4. विश्व ऊर्जा परिषद

2. **क्या आपने जनहित में सुधार या बढ़ोतरी के लिए उपर्युक्त एसोसिएशन के माध्यम से समर्थन/एकजुटता प्रदर्शित की है?**

   पीएफसी जनहित में सुधार या उन्नति के लिए उपर्युक्त एसोसिएशनों के प्रयासों में उनके कार्यक्रमों का समर्थन करता है।

सिद्धांत 8

1. **क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम/ उपाय/ परियोजनाएं निर्दिष्ट की हैं? यदि हां, तो कृपया उसका ब्यौरा प्रदान करें।**

   पीएफसी ने सीएसआर एवं संधारणीयता नीति स्थापित की है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार निगमित संस्था बने और पूरे समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हो।

   सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार निगमित संस्था के नाते पीएफसी निम्नलिखित प्रयास करती है:

   - वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में ऐसी हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना और उनसे लाभ उठाना, जो सामाजिक और पर्यावरण संबंधी स्थायित्व में योगदान कर सकें।
   - ऐसी परियोजनाएं शुरू करना, जो समुदायों को ऊर्जा, जल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान कर सकें।

- दिव्यांग व्यक्तियों तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की सहायता के लिए गतिविधियां शुरू करना।
- ऐसे मुद्दों को उठाना जिनका राष्ट्रीय विकास एजेंडा में सर्वोपरि सरोकार है जैसे कि सबके लिए पानी की बचत करना, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालयों का प्रावधान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा आदि।
- सुविधाविहीन एवं वंचित वर्गों एवं समुदायों की शिक्षा, क्षमता निर्माण के उपायों, सशक्तीकरण के माध्यम से समाज में समावेशी विकास एवं साम्यपूर्ण विकास में योगदान देना।

पीएफसी की सीएसआर नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- अपने स्टेकधारकों के हितों पर ध्यान देते हुए आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से संपोषणीय ढंग से अपने कारोबार के संचालन के लिए संगठन में सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित करना।
- सीएसआर की गतिविधियों के माध्यम से पीएफसी लिमिटेड के लिए समाज में सद्भाव का सृजन करना और निगम के रूप में पीएफसी लिमिटेड की सकारात्मक एवं सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करना।

2. क्या परियोजनाएं/ कार्यक्रम अपनी टीम/ अपने प्रतिष्ठान/ बाहरी एनजीओ/ सरकारी संरचनाओं/ किसी अन्य संगठन के माध्यम से संचालित किए जाते हैं?

सीएसआर तथा एसडी नीति के अंतर्गत शुरू की गई सभी परियोजनाएं सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यान्वयन एजेंसियों तथा अन्य प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा निष्पादित की गईं।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?

पीएफसी का सीएसआर विभाग, सीएसआर परियोजनाओं और इसकी प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं के कार्यक्रमों का, इसकी सीएसआर नीति के अनुसार आवधिक आधार पर प्रभाव मूल्यांकन करता है। पीएफसी का सीएसआर विभाग अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों को अनुबंधित कर रहा है।

4. सामुदायिक विकास की परियोजनाओं में आपकी कंपनी का सीधा योगदान क्या है। रुपए में राशि तथा संचालित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा?

वर्ष 2020-21 के दौरान, पीएफसी ने कोविड-19 महामारी के बचावपरक उपायों के भाग के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र, पर्यावरण, खेलों और सौर अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्रों में विभिन्न समुदाय विकास परियोजनाएं संचालित कीं। संस्वीकृत एवं संवितरित राशि की दृष्टि से पीएफसी का योगदान निम्नानुसार है:

गतिविधियों की प्रकृति	संस्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	संवितरण (₹ करोड़ में)
स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	0.14	8.27
कौशल विकास एवं शिक्षा	-	17.41
सौर अनुप्रयोग	0.84	6.66
पर्यावरण	1.34	2.31
स्वास्थ्य क्षेत्र	210.51	225.07
खेल कूद	0.15	0.15
अन्य (प्रभाव अध्ययन, प्रशासन, उपरिव्यय, आदि)	4.67	10.23
कुल	**217.65**	**270.12**

सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न पहलों का प्रसार (स्वास्थ्य देख-रेख परियोजनाओं सहित) करने के लिए, पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹270.12 करोड़ (प्रशासनिक एवं उपरिव्यय सहित) की राशि संवितरित की और रिफंड के रूप में ₹1.00 करोड़ की राशि प्राप्त की।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय विकास की इस पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाए?

पीएफसी द्वारा संस्वीकृत परियोजनाएं सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यान्वयन एजेंसियों तथा अन्य प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान लगभग 70% नियोजन सुनिश्चित किया जाता है। पर्यावरणीय संपोषणीयता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसी परियोजनाओं में परिसंपत्तियां सृजित की जाती हैं, लाभार्थियों को अंतरित की जाती हैं तथा स्थल द्वारा, टूर रिपोर्ट आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पीएफसी द्वारा मॉनीटरिंग भी की जाती है।

सिद्धांत 9

1. वित्तीय वर्ष के अंत में शेयरधारकों एवं बॉण्डधारकों से शिकायतों के अतिरिक्त ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों का कितना प्रतिशत लंबित है?

पीएफसी के नागरिक चार्टर के अंतर्गत, वर्ष के शुरू में लंबित 3 शिकायतों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राहकों/उपभोक्ताओं से कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुईं। 31 मार्च, 2021 तक इनमें से 13 शिकायतों (92.86%) का समाधान किया गया तथा 1 शिकायत लंबित है।

2. क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर उससे अधिक उत्पाद सूचना प्रदर्शित करती है जो स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित है?

कंपनी एक एनबीएफसी है जो वित्तीय उत्पादों का प्रस्ताव कर रही है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण उसकी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर किया जाता है और समय-समय पर अन्य स्टेकधारक/मीडिया पत्राचार जारी किए जाते हैं।

3. क्या अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या प्रतियोगितारोधी व्यवहार के संबंध में कंपनी के विरुद्ध किसी स्टेकधारक द्वारा पिछले 5 वर्ष में कोई मामला दाखिल किया गया है और 31 मार्च, 2021 तक लंबित है?

पीएफसी कानून के फ्रेमवर्क उच्चतम स्तर की नैतिक प्रक्रियाओं और नैतिक व्यापार आचरण के प्रति प्रतिबद्ध है। 31 मार्च, 2021 तक, अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और/अथवा प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार के संबंध में पीएफसी के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था।

4. क्या आपकी कंपनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि रुझान संचालित करती है?

पीएफसी में, विद्युत संस्था के साथ आवधिक आधार पर आयोजित सुगठित बैठकों, ग्राहकों के कार्यालयों/परियोजना स्थलों के पीएफसी के कार्यपालकों द्वारा किए गए आवधिक दौरों के माध्यम से, विभिन्न परियोजनाओं/ ऋणों के मूल्यांकन, ऋण प्रलेखन एवं संवितरण के चरणों के दौरान नियमित लिखित/ टेलीफोन पर पत्राचार, ग्राहकों द्वारा पीएफसी कार्यालय का दौरा आदि के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतें प्राप्त की जाती हैं।

प्राप्त उत्तरों के आधार पर शिकायतों को दर्ज किया जाता है और प्रत्येक शिकायत के लिए सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई रिकॉर्ड (सीएपीआर) शुरू किया जाता है। शिकायत के समाधान और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदम के बारे में संबंधित ग्राहक को सूचित किया जाता है।

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संगत नीतियों के लिंक नीचे दिए गए हैं:

नीति का नाम	**वेब लिंक**	
	अंग्रेजी	**हिंदी**
सीएसआर तथा संधारणीयता नीति	http://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/CSR_Policy_26082016.pdf	http://pfcindia.com/hnsite/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/PFC_CSR_POLICY_HND_20092016.pdf
उचित पद्धति संहिता	http://www.pfcindia.com/Home/VS/62	http://pfcindia.com/hnsite/Home/VS/62
व्यवसाय संचालन एवं नैतिकता आचार संहिता	http://www.pfcindia.com/Home/VS/63	http://pfcindia.com/hnsite/Home/VS/63
कपटरोधी नीति	http://www.pfcindia.com/Home/VS/65	http://pfcindia.com/hnsite/Home/VS/65
व्हिसल ब्लोअर नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1490188785276_WBP.pdf&path=Page	http://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1490268719103_wbpHND.pdf&path=Page
संबद्ध पक्षकार लेन-देन पर नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1490186033556_Policy on Related Party Transactions.pdf&path=Page	http://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1490267088709_PFC_Policy_Hindi.pdf&path=Page
महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों पर नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1546008961743_Policyon.pdf&path=Page	http://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1490266955530_material_subsideiry_HND.pdf&path=Page
लाभांश वितरण नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1500569967022_Dividend Distribution Policy of Power Finance Corporation Limited-Final Version.pdf&path=Page	http://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1500987575423_Dividend_Distribution_Policy_of_pfc_hindi.pdf&path=Page
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना एवं संचालन के उचित प्रकटीकरण के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता	https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1614952208955_Insider_Trading_Code_Amended05032021.pdf&path=Page	https://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1561571325217_Hindi_Insider_Trading_Code26062019.pdf&path=Page
घटनाओं की तात्विकता के निर्धारण के लिए नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1472556452570_Circular%20Policy%20for%20Determination%20of%20Materiality%20of%20Events.pdf&path=Page&Name=Policy for Determination of Materiality of Events	http://pfcindia.com/hnsite/DocumentRepository/ckfinder/files/Statutory_investor/DoMEvents_hi.pdf

अन्य नीतियां आंतरिक दस्तावेज हैं तथा केवल संगठन के कार्मिकों के लिए उपलब्ध हैं।

अनुलग्नक-ङ

फॉर्म एमआर- 3

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली - 110 001

मैंने **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (इसके बाद यहां आगे 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उपयुक्त निगमित प्रथाओं के पालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई थी जिसका मुझे निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए तर्कसंगत आधार मिल सके।

कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त, बहियों, फॉर्मों एवं कंपनियों द्वारा दाखिल की गई विवरणियों तथा अन्य अनुरक्षित रिकॉर्डों और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालयी लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान मुझे प्रदान की गई सूचना के सत्यापन के आधार पर मैं एतद्बारा सूचित करता हूं कि मेरी राय में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि की लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी ने यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी ने इसमें यहां आगे की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, ढंग से और उक्त के अध्यधीन समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुपालन तंत्र स्थापित किया है:

मैंने निम्नलिखित के लिए लागू प्रावधानों के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा दाखिल बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों एवं विवरणियों तथा उसके द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप नियम;

(iv) विदेशी विनियम प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, जिस हद तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाहरी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋण का संबंध है;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश:

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का सारवान अधिग्रहण एवं लाभ) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित/कार्मिक हितलाभ विनियम, 2014 लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम, 2008 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);

(च) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निर्गम एवं शेयर अंतरण एजेंटों के पंजीयक) विनियम, 1993 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाय-बैक) विनियम, 1998 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं); और

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015।

(vi) कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू अन्य कानून:

(क) डीपीई दिशानिर्देश;

(ख) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002;

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005;

(घ) ई-कचरा (प्रबंधन एवं निपटान) नियमावली, 2011;

(ङ) यथासंभव श्रम और सामाजिक सुरक्षा कानून;

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और एनबीएफसी नियमावली और विनियम; तथा

(छ) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002।

मैंने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) बोर्ड और सामान्यतः बैठकों के आयोजन के संबंध भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानक।

(ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के साथ पठित भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के साथ कंपनी द्वारा किया गया सूचीकरण करार।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के अध्यधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियमावली, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है:

i. बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या सेबी (एलओडीआर) विनियम और डीपीई दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यथाअपेक्षित बोर्ड की कुल संख्या का आधी से कम थी, जिसके लिए कंपनी में बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशकों की उपयुक्त संख्या नियुक्त करने के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात विद्युत मंत्रालय को नियमित रूप से लिखा है।

ii. कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विनियम 17, 18 और 19 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों, जिसमें महिला निदेशक हो, का उचित संतुलन बनाकर विधिवत गठन नहीं किया है (वर्ष के आंशिक भाग के लिए) और यह बोर्ड की संरचना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है। निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन, जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किया गया, वह अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया गया था। तथापि, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में सेबी (एलओडीआर) विनियम तथा डीपीई दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यथा अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक की उतनी संख्या नही है, जिसके लिए कंपनी ने नियमिति रूप से अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय को बोर्ड में उपयुक्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए लिखा है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक तय करने के लिए पर्याप्त सूचना दी गई थी, जिसका एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणियां ऐसी कुछ बैठकों, जो अल्प समय की सूचना पर आयोजित की गई थी, को छोड़कर, अन्य बैठकों के लिए न्यूनतम सात दिन पहले भेजे गए थे और बैठक से पूर्व एजेंडा मदों पर आगे सूचना की मांग करने और प्राप्त करने तथा स्पष्टीकरण चाहने हेतु तथा बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु एक प्रणाली मौजूद है।

सभी निर्णय एकमत से लिए गए हैं इन्हें कंपनी की बैठक में कार्यवृत से देखा गया था।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों का कंपनी द्वारा अनुपालन और वित्तीय रिकार्ड तथा लेखा बहियों के रख-रखाव की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिकों के द्वारा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा के द्वारा समीक्षा के अध्यधीन रही है।

कृते **अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव,
यूडीआईएनः एफ005311सी000738813

हस्ता/-
सीएस अमित अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस नंबर: 3674
सीपी. नंबर: 5311

तारीख: 05 अगस्त, 2021
स्थान: नई दिल्ली

इस रिपोर्ट को हमारे समदिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुलग्नक-II

सचिवालयी लेखापरीक्षा के अवलोकनों के साथ उन पर प्रबंधन के स्पष्टीकरण, जिन्हें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शेयरधारकों की निदेशकों की रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है।

क्र.सं.	अवलोकन	स्पष्टीकरण
1.	बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, सेबी (एलओडीआर) विनियम और डीपीई दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यथापेक्षित बोर्ड की कुल संख्या की आधी से कम थी, जिसके लिए कंपनी ने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की उपयुक्त संख्या नियुक्त करने के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात विद्युत मंत्रालय को नियमित रूप से लिखा है।	पीएफसी के संस्था के अंतर्नियम के खंड 86 के अनुसार, पीएफसी के निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तद्नुसार, कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति की गति तेज करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है ताकि कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डीपीई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सके।
2.	कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत यथापेक्षित विनियम, 17, 18 और 19 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।	वर्ष 2020-21 के दौरान 2 नवंबर, 2020 तक, निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन व पारिश्रमिक समिति की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17, 18 और 19 के प्रावधानों के अनुपालन में थी। कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के खंड 86 के अनुसार, पीएफसी के निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तदनुसार, कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति की गति तेज करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है, ताकि कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यथापेक्षित विनियम 17, 18 और 19 के प्रावधानों का अनुपालन कर सके।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्न-च

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

क्र. सं.	विवरण

1. कंपनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूपरेखा

पीएफसी की निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति (सीएसआर संधारणीयता नीति) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगम सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी निगमित निकाय बन सके, जो मुख्य रूप से समाज की विद्युत और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देते हुए स्थायी विकास के लिए परियोजनाएं पूरी कर बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हो।

पीएफसी ने अपनी सीएसआर और संधारणीयता नीति का कार्यान्वयन पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ किया है। सीएसआर संबंधी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए कंपनी ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर पर निदेशकों की सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन किया है।

पीएफसी ने पर्यावरणीय निरंतरता, कौशल विकास, साफ-सफाई, स्वास्थ्य देख-रेख और अन्यथा सक्षम/ दिव्यांग लोगों की सहायता आदि के क्षेत्रों में व्यापक पैमने पर गतिविधियों का कार्यान्वयन किया। इसके अतिरिक्त, डीपीई के अनुदेश के अनुसार, पीएफसी ने विषयगत क्षेत्रों अर्थात स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भी योगदान दिया है, जिसमें आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी गई है।

2. सीएसआर समिति की संरचना

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक के पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की सं.	वर्ष के दौरान भाग ली गई सीएसआर समिति की बैठकों की सं.
1.	श्री आर. सी. मिश्रा	अध्यक्ष/स्वतंत्र निदेशक	6	6
2.	श्री पी. के. सिंह	सदस्य/निदेशक (वाणिज्यिक)	6	6
3.	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	सदस्य/निदेशक (वित्त)	3	3

3. सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट किए गए जाने का वेब लिंक।

(क)	सीएसआर समिति की संरचना	https://pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1614341684991_Latest_Composition_of_Committees26022021.pdf&path=Page
(ख)	सीएसआर नीति	https://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/CSRpolicy_07032019.pdf
(ग)	सीएसआर परियोजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित	https://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/CSR_FY_20_21_as_of_31032021.pdf

4. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसरण में सीएसआर परियोजनाओं के लिए किए गए प्रभाव आकलन, यदि कोई हो, का ब्यौरा (रिपोर्ट संलग्न करें)।

क्र.सं.	प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	किस क्षेत्र में परियोजना कवर होती है	वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय की गई राशि (₹ करोड़)	रिपोर्ट
1.	एएससीआई, हैदराबाद के माध्यम से श्रवण दोष वाले 100 बच्चों के लिए फिटमेंट कोक्लीयर इम्प्लांट के संबंध में प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	सफाई/ पेयजल/ स्वास्थ्य देख-रेख	0.05	https://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/ASCI.PDF
2.	आईजीआईएटी, हैदराबाद के माध्यम से 'स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय' अभियान के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में शौचालयों के निर्माण की परियोजना के संबंध में प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	सफाई/ पेयजल/ स्वास्थ्य देख-रेख	0.10	https://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/IGIAT.PDF
3.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), दिल्ली के माध्यम से 2,000 व्यक्तियों के लिए समाज के एससी/ एसटी/ ओबीसी/ महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर तबके के व्यक्तियों के लिए कौशल विकास की परियोजना के संबंध में प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	शिक्षा/ व्यावसायिक कौशल विकास	0.03	https://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/IIPA.PDF

5. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ किए जाने के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ किए जाने हेतु राशि, यदि कोई हो, का ब्यौरा।

लागू नहीं

6. धारा 135(5) के अंतर्गत कंपनी का औसत निवल लाभ।

₹7,422.31 करोड़

7. (क) धारा 135(क) के अंतर्गत कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत।

₹148.45 करोड़

(ख) पिछले वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष राशि

शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ किए गए जाने हेतु राशि, यदि कोई हो।

शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर बाध्यता (7क + 7ख – 7ग)।

₹148.45 करोड़

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अथवा व्यय न की गई शेष सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई (₹ में)	अव्ययित शेष राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर की कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
187.84 करोड़	लागू नहीं, चूंकि कोई अव्ययित शेष राशि नहीं है				

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान परियोजनाओं के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1) क्र. सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियां की सूची से मदें	(4) स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना की अवधि (माह में)	(7) परियोजना के लिए (₹ करोड़ में) राशि	(8) चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	(9) धारा 136(6) के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए अव्ययित शेष सीएसआर राशि में अंतरित राशि	(10) कार्यान्वयन माध्यम	(11) कार्यान्वयन का माध्यम – कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा	
				राज्य	जिला					प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1.	आईआईटी के माध्यम से स्मार्ट ग्रिड में प्रशिक्षण अनुसंधान एवं उद्यमिता विकास के लिए परियोजना	शिक्षा/ व्यावसायिक कौशल विकास	नहीं	अखिल भारत	नहीं	36	1.34	0.36	लागू नहीं	नहीं	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर	सीएसआर 00004774
	कुल						**1.34**	**0.36**				

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1) क्र. सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	(4) स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	(7) कार्यान्वयन का माध्यम	(8) कार्यान्वयन का माध्यम – कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा	
				राज्य	जिला		प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजी. सं.
1.	भारतीय सेना के सैनिकों के लिए 5000 एसपीवी एलईडी लैनटर्न प्रदान करना – चरण-II	पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण कचरा प्रबंधन/ ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	नहीं	अखिल भारत	लागू नहीं	0.84	नहीं	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)	लागू नहीं
2.	कोविड-19 महामारी के खिलाफ बचावपरक पहलू के भाग के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पीएम केयर्स फंड के लिए अंशदान	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य देख-रेख	नहीं	अखिल भारत	लागू नहीं	172.39	नहीं	पीएम केयर्स	लागू नहीं

(1) क्र. सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	(4) स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	(7) कार्यान्वयन का माध्यम प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	(8) कार्यान्वयन का माध्यम - कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजी. सं.
3.	कोविड-19 महामारी के खिलाफ बचाव की पहले के भाग के रूप में चिकित्सा सुविधाओं/उपकरणों जैसे हेल्थ मास्क, सेनिटाइजर, मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, निजी सुरक्षा उपस्कर (पीपीई) आदि तथा राशन सहित अन्य राहत सामग्रियों की खरीद और वितरण	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य देख-रेख	नहीं	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर	0.5	नहीं	जिला प्रशासन, सिद्धार्थ नगर	लागू नहीं
4.	कोविड-19 महामारी के खिलाफ बचाव की पहले के भाग के रूप में बुलंदशहर जिला, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं उपकरणों जैसे हेल्थ मास्क, सेनिटाइजर, मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, निजी सुरक्षा उपस्कर (पीपीई) आदि तथा राशन सहित अन्य राहत सामग्रियों की खरीद और वितरण	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य देख-रेख	नहीं	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	0.5	नहीं	जिला प्रशासन बुलंदशहर	लागू नहीं
5.	डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में विशेष कोविड-19 अस्पताल के 450 डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पैक्ड लंच प्रदान करना - चरण-I, II एवं III	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य देख-रेख	हां	दिल्ली	मध्य दिल्ली	2.29	नहीं	ताज एसएटीएस ऐयर कैटरिंग लिमिटेड	लागू नहीं
6.	कोविड-19 महामारी के खिलाफ बचाव की पहले के भाग के रूप में चिकित्सा सुविधाओं/उपकरणों जैसे हेल्थ मास्क, सेनिटाइजर, मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, निजी सुरक्षा उपस्कर (पीपीई) आदि की खरीद और वितरण	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य देख-रेख	नहीं	बिहार	आरा	0.07	नहीं	पीजीसीआईएल	लागू नहीं
7.	जिला आरा, बिहार में चिकित्सा सुविधाओं/उपस्करों की खरीद और वितरण	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य देख-रेख	नहीं	बिहार	आरा	0.04	नहीं	एनएचपीसी लिमिटेड	लागू नहीं

(1) क्र. सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	(4) स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	(7) कार्यान्वयन का माध्यम प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	(8) कार्यान्वयन का माध्यम – कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजी. सं.
8.	कोविड-19 महामारी के खिलाफ बचाव की पहले के भाग के रूप में चिकित्सा सुविधाओं/उपकरणों जैसे हेल्थ मास्क, सेनिटाइजर, मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, निजी सुरक्षा उपस्कर (पीपीई) आदि तथा राशन सहित अन्य राहत सामग्रियों की खरीद और वितरण	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य देख-रेख	नहीं	मणिपुर	कई जिलों में	0.2	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर	लागू नहीं
9.	कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में कोल्ड चेन उपस्कार (सीसीई) की खरीद और वितरण	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य देख-रेख	नहीं	दादर एवं नगर हवेली, मिजोरम और सिक्किम	-	0.48	नहीं	पीजीसीआईएल	लागू नहीं
10.	अकांक्षी जिले में कोविड-19 से संबंधित सामाजिक व्यवहार मानकों पर जन जागरूकता अभियान	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य देख-रेख	नहीं	आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मिजोरम	विशाखापत्तनम, खगड़िया, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ईस्ट सिंह भूम, वेस्ट सिंह भूम, रांची, बारामुला, कुपवाड़ा, फिरोजपुर, मोगा, नर्मदा, दाहोद, खम्मम, भूपालपल्ली, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, मामित	4.12	हां	-	लागू नहीं
11.	कोविड-19 कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 5 एंबुलेंस और 5000 पीपीई किट की खरीद और वितरण	स्वच्छता/ पेयजल/ स्वास्थ्य देख-रेख	नहीं	उत्तराखंड	कई जिलों में	1.23	नहीं	एनटीपीसी लिमिटेड	लागू नहीं
12.	नेशनल पैरालंपिक एथलीटों के लिए खेल उपस्करों के प्रावधान के लिए पैरा बोसिया स्पोर्टस वेल्फेयर सोसाइटी के लिए वित्तीय योगदान	खेल	नहीं	अखिल भारत	लागू नहीं	0.15	नहीं	पैरा बोसिया स्पोर्टस वेल्फेयर सोसाइटी	लागू नहीं
	कुल					**182.81**			

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय की गई राशि

₹4.49 करोड़

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन, यदि लागू हो, के लिए व्यय की गई राशि

₹0.18 करोड़

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख + 8ग + 8घ + 8ङ)

₹187.84 करोड़

टिप्पणी: वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय की गई कुल सीएसआर राशि ₹262 करोड़ है। इसमें से, ₹74.16 करोड़ व्यय किए गए, जो दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि के बजट के लिए संस्वीकृत की गई परियोजना से संबंधित है, जबकि शेष व्यय की गई राशि अर्थात ₹187.84 करोड़ वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के लिए संस्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित है।

(छ) सेट ऑफ के लिए अधिक्य राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विवरण	धनराशि (₹ करोड़ में)
(i)	धारा 135(5) के अंतर्गत कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	148.45
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	187.84
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अधिक्य राशि (ii) - (i)	39.39
(iv)	विगत वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष राशि	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्ष में सेट ऑफ किए जाने के लिए उपलब्ध राशि (iii) - (iv)	39.39

9. (क) पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित शेष सीएसआर राशि का ब्यौरा

लागू नहीं

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा

लागू नहीं

10. पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से सृजित अथवा अधिग्रहित परिसंपत्तियों के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति-वार ब्यौरा)।

लागू नहीं।

11. यदि कंपनी की धारा 135(5) के अंतर्गत औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है तो उसके कारण बताएं।

लागू नहीं

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हस्ता/-
(आर. सी. मिश्रा)
अध्यक्ष, सीएसआर समिति
डीआईएन: 02469982

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक - छ

फॉर्म संख्या एओसी - 2

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) और कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं, जिनमें उनके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत एक निश्चित मात्रा वाले लेन-देन शामिल हैं, के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	**ऐसी संविदाओं अथवा लेन-देनों अथवा व्यवस्थाओं के विवरण जो निकट संबंधित पक्षकारों के साथ नहीं किए गए हैं।**	
(क)	संबंधित पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के लागू प्रावधानों के संबंध में कोई लेन-देन नहीं था।
(ख)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेन-देनों का स्वरूप	
(ग)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेन-देनों की अवधि	
(घ)	मूल्य, यदि कोई है, तो संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की प्रमुख शर्तें	
(ङ)	ऐसी संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों को करने का औचित्य	
(च)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख (तारीखें)	
(छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	
(ज)	धारा 188 के पहले प्रावधान के अंतर्गत यथावश्यक आम बैठक में जारी किए गए विशेष संकल्प की तारीख	
2.	**संबंधित पक्षकारों के साथ की गई प्रमुख संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के विवरण**	
(क)	संबंधित पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के लागू प्रावधानों के संबंध में कोई लेन-देन नहीं था।
(ख)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेन-देनों का स्वरूप	
(ग)	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेन-देनों की अवधि	
(घ)	मूल्य, यदि कोई है, तो संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की प्रमुख शर्तें	
(ङ)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख (तारीखें)	
(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 26 अगस्त, 2021

विभिन्न बॉण्ड श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त बॉण्ड ट्रस्टी

1.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लिमिटेड विश्वस्थ भवन, प्रथम तल 218 प्रतापगंज पेठ, सतारा - 415 002	8.85% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला - XXVIII
		8.60% कर बॉण्ड श्रृंखला - 57 सी
		8.50% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला - 61
		8.80% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला - 62बी
		8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला - 63
		8.95% - टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला - 64
2.	पीएनबी इंवेस्टमेंट सर्विसिज लिमिटेड 10, राकेशदीप भवन युसुफ सराय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गुलमोहर इनक्लेव, नई दिल्ली - 110 049	8.7% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड - 65
		8.75% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड - 66 बी श्रृंखला
		8.85% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड - 66 सी श्रृंखला
		9.05% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड - 71 श्रृंखला
		9.18% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला - 73
		9.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला - 74
		9.61% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला - 75-सी
		9.36% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला - 76-ए
		9.46% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला - 76-बी
		9.45% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला - 77-बी
		7.51% प्रतिभूत करमुक्त पीएफसी बॉण्ड - श्रृंखला 79-ए
		7.75% प्रतिभूत करमुक्त पीएफसी बॉण्ड - श्रृंखला 79-बी
		8.09% प्रतिभूत करमुक्त पीएफसी बॉण्ड - श्रृंखला 80-ए
		8.16% प्रतिभूत करमुक्त पीएफसी बॉण्ड - श्रृंखला 80-बी
		9.26% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड - श्रृंखला 85-डी
		9.48% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड - श्रृंखला 88-सी
		इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड(2011-12) ट्रांच 1 - श्रृंखला - I
		इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड(2011-12) ट्रांच 1 - श्रृंखला - II
		इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड(2011-12) ट्रांच 1 - श्रृंखला - III
		इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड(2011-12) ट्रांच 1 - श्रृंखला - IV
		8.43% श्रृंखला I प्राइवेट प्लेसमेंट
		8.43% श्रृंखला II प्राइवेट प्लेसमेंट
		8.43% श्रृंखला III प्राइवेट प्लेसमेंट
		8.43% श्रृंखला IV प्राइवेट प्लेसमेट
3.	कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पूर्व में जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड) जीडीए हाउस, प्लॉट नं 85, भुसारी कॉलोनी (दाएं), पॉड रोड, पुणे - 411 038	7.21% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94-ए
		7.38% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94-बी
		7.22% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95-ए
		7.38% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95-बी
		8.84% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 100-बी
		9.00% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 101-बी
		8.90% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 102-ए (II)
		8.90% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 102-ए (III)
		8.94% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 103
		9.20% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 115 III
		9.37% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 117 बी
		9.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 118 बी II
		9.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 118 बी III
		8.98% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 120-ए
		8.98% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 120-बी

		8.66% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 123-सी
		8.55% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 124-बी
		8.48% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 124-सी
		8.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 125
		8.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 126
		8.20% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 128
		8.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 130-सी
		8.41% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 131-सी
		इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) ट्रांच 1-श्रृंखला - III
		इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) ट्रांच 1-श्रृंखला - IV
		8.20% करमुक्त बॉण्ड का सार्वजनिक निर्गम वि.व.2011-12
		8.30% करमुक्त बॉण्ड का सार्वजनिक निर्गम वि.व.2011-12
4.	विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड) आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट सी-22, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	जीरो कूपन बॉण्ड (2022) xix श्रृंखला
		8.19% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड श्रेणी II ऋण बॉण्ड श्रृंखला 105
		8.01% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107-ए
		8.46% करमुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107-बी
		9.65% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड श्रेणी II ऋण बॉण्ड श्रृंखला 111
		9.70% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड श्रेणी II ऋण बॉण्ड श्रृंखला 114
		7.19% 10 वर्षीय करमुक्त बॉण्ड 2012-13, ट्रांच I श्रृंखला 1
		7.69% 10 वर्षीय करमुक्त बॉण्ड 2012-13, ट्रांच I श्रृंखला 1
		7.36% 15 वर्षीय करमुक्त बॉण्ड 2012-13, ट्रांच I श्रृंखला 2
		7.86% 15 वर्षीय करमुक्त बॉण्ड 2012-13, ट्रांच I श्रृंखला 2
		6.88% करमुक्त बॉण्ड 2012-13 ट्रांच 2
		7.388% करमुक्त बॉण्ड 2012-13 ट्रांच 2
		7.04% करमुक्त बॉण्ड 2012-13 ट्रांच 2
		7.54% करमुक्त बॉण्ड 2012-13 ट्रांच 2
		8.18% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 1 ए
		8.43% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 1 बी
		8.54% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 2 ए
		8.79% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 2 बी
		8.67% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 3 ए
		8.92% करमुक्त बॉण्ड 13-14 श्रृंखला 3 बी
5.	माइलस्टोन ट्रस्टीशिप सर्विसिज प्रा. लिमिटेड 602, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा, संत ज्ञानेश्वर मार्ग, गुरूनानक अस्पताल के सामने, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 टेलीफोन: 022-67167082 फैक्स: 022-67167077	7.16% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 136
		8.40% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 141-बी
		8.05% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 146
		8.03% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 147
		7.50% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 150-ए
		7.63% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 150-बी
		7.47% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 151-ए
		7.56% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 151-बी
		7.55% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 152
		7.40% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 153
		7.27% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 154
		7.27% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 155
		7.27% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 156 - भारत सरकार के पूर्णत: चुकता बॉण्ड
		7.27% पीएफसी बाण्ड श्रृंखला 158 - भारत सरकार के पूर्णत: चुकता बॉण्ड
		7.27 पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 160 - भारत सरकार के पूर्णत: चुकता बॉण्ड
		7.28 पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 164 - भारत सरकार के पूर्णत: चुकता बॉण्ड
		7.28 पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 168ए
		7.44% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 168-बी
		7.10% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 169-ए

	7.30% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 169-बी
	7.35% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 170-ए
	7.62% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 171
	7.74% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 172
	7.73% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 173-बी
	7.75% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 175
	7.99% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 176-बी
	7.85% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 177
	7.11% करमुक्त बॉण्ड 1ए 2015-16
	7.36% करमुक्त बॉण्ड 1बी 2015-16
	7.27% करमुक्त बॉण्ड 2ए 2015-16
	7.52% करमुक्त बॉण्ड 2बी 2015-16
	7.35% करमुक्त बॉण्ड 3ए 2015-16
	7.60% करमुक्त बॉण्ड 3बी 2015-16
6. बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड 4 सी एवं डी, सिद्धिविनायक चैम्बर्स, गांधी नगर, एमआईजी क्रिकेट क्लब के सामने, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	8.95% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 178
	8.6% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 179(ए)
	8.64% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 179(बी)
	8.75% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 180
	8.45% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 181
	8.18% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 183
	9.25% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 184-ए
	9.10% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 184 (बी)
	8.98% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 185
	8.79% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 186
	8.20 % पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 187 (ए)
	8.85% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 187(बी)
	8.10% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 188
	8.15% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 189
	8.25% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 190
	7.35% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 191
	7.42% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 192
	7.93% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 193
	7.04% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 194
	7.86% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 195
	7.41% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 196 एवं 196 आर
	7.41% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 197
	6.98 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 198
	6.83 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 199ए
	7.16 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 199बी
	7.40 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 200
	7.68 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 201
	6.75 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 202ए
	7.17 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 202बी
	7.79 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 202सी
	6.72 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 203ए
	7.75 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 203बी
	5.77 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 204ए

	6.88 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 204बी
	7.05 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 205ए
	7.20 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 205बी
	5.47 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 206
	7.04 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 207 एवं 207आर
	6.50 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 208
	7.34 करयोग्य अप्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 209
	4.80 प्रतिभूत करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पब्लिक इश्यू ट्रांच I श्रृंखला I श्रेणी III-IV
	5.65 प्रतिभूत करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पब्लिक इश्यू ट्रांच I श्रृंखला II श्रेणी I-II
	5.80 प्रतिभूत करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पब्लिक इश्यू ट्रांच I श्रृंखला II श्रेणी III-IV
	6.63 प्रतिभूत करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पब्लिक इश्यू ट्रांच I श्रृंखला III श्रेणी I-II
	6.82 प्रतिभूत करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पब्लिक इश्यू ट्रांच I श्रृंखला III श्रेणी III-IV
	6.80 प्रतिभूत करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पब्लिक इश्यू ट्रांच I श्रृंखला IV श्रेणी I-II
	7.00 प्रतिभूत करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पब्लिक इश्यू ट्रांच I श्रृंखला IV श्रेणी III-IV
	10 वर्षीय जीसेक लिंक प्रतिभूत करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पब्लिक इश्यू ट्रांच I श्रृंखला V श्रेणी I-II
	10 वर्षीय जीसेक लिंक प्रतिभूत करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पब्लिक इश्यू ट्रांच I श्रृंखला V श्रेणी III-IV
	6.78 प्रतिभूत करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पब्लिक इश्यू ट्रांच I श्रृंखला VI श्रेणी I-II
	6.97 प्रतिभूत करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पब्लिक इश्यू ट्रांच I श्रृंखला VI श्रेणी III-IV
	6.95 प्रतिभूत करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पब्लिक इश्यू ट्रांच I श्रृंखला VII श्रेणी I-II
	7.15 प्रतिभूत करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पब्लिक इश्यू ट्रांच I श्रृंखला VII श्रेणी III-IV
	5.75% पीएफसी 54 ईसी बॉण्ड श्रृंखला II
	5.75% पीएफसी 54 ईसी बॉण्ड श्रृंखला III
	5.00% पीएफसी 54 ईसी बॉण्ड श्रृंखला IV

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र तथा उस समय समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसे यहां बाद में एकल इंड एएस वित्तीय विवरण कहा जायेगा) सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसरण में और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना भारत में लेखांकन के सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं ताकि 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रभावों की सही एवं उचित तस्वीर प्रदान की जा सके।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में भी किया गया है। नैतिकता की आवश्यकताओं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संगत हैं, के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसरण में हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता संहिता के अनुसरण में नैतिकता की अपनी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

विशेष ध्यान देने वाला मामला

हम एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 57 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो कंपनी पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव से संबंधित है। प्रबंधन का विचार है कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि महामारी का सतत आधार पर कंपनी की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। फिर भी, भावी अवधि में महामारी का दुष्प्रभाव अनिश्चित है और वह आने वाले वर्षों में क्षतिग्रस्तता छूट पर पड़ सकता है।

इस मामले में हमारी राय संशोधित नहीं है।

लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले

लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले ऐसे मामले हैं जो इन एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में इन मामलों पर संपूर्णता में तथा उन पर अपनी राय बनाने में ध्यान दिया गया है और हम इन मामलों पर अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे उल्लिखित मामलों को लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण मामलों के रूप में सूचित करने के लिए निर्धारित किया है:

क्र. सं.	लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले	लेखापरीक्षक का जवाब
1	**वित्तीय लिखतों की क्रेडिट क्षतिग्रस्तता-ऋण परिसंपत्तियां** कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पद्धति का अनुपालन करती है, जिसमें हानि के लिए छूट का मूल्यांकन किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाता है, जिसमें ऋण जोखिम और हानि के साक्ष्य के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करने के मानदंड/फ्रेमवर्क के संदर्भ में विभिन्न दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं को आधार बनाया जाता है। क्षतिग्रस्तता हानि के मूल्यांकन के लिए सांख्यिकीय नमूनों का इस्तेमाल करना होता है, ताकि चूक की संभावनाओं, हानि के बारे में निर्दिष्ट चूक और चूक का प्रकटीकरण किया जा सके। ये नमूनें क्षतिग्रस्तता को मापने के प्रमुख संचालक हैं। क्षतिग्रस्तता छूट के मूल्यांकन के लिए अंतर्निहित प्रमुख संकेतकों का प्रबंधन द्वारा सतत आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां हमने अधिक मात्रा में प्रबंधन के निर्णय की पहचान की है, इस प्रकार हैं:	**हमारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं:** • कंपनी ने ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य का अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ की सेवाओं का लाभ उठाया है। हमने कंपनी के आंतरिक दिशा-निर्देशों और क्षतिग्रस्तता के लिए छूट के संबंध में प्रक्रियाओं और स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ साझा किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता के साथ विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/फ्रेमवर्क का सत्यापन किया है। • मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए वसूलियां सत्यापित की गई हैं। ऋण की शेष राशि की पुष्टि की है और ऋणकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया है तथा प्रमुख नियंत्रण मानदंडों के साथ जांच की है। • हमने अंतर्निहित परिकल्पनाओं और व्यापक ईसीएल मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा की है और अपने विचार साझा किए हैं। • तृतीय पक्ष द्वारा क्षतिग्रस्तता छूट संबंधी अध्ययन के घटकों और गणनाओं की जांच की गई, प्रबंधन के साथ उन पर विचार विमर्श किया गया और उन पर भरोसा व्यक्त किया गया। इसमें हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया, ऐसी तृतीय पक्ष द्वारा गोपनीय माने जा रहे कतिपय अध्ययन मापदंडों को साझा न किए जाने को देखते हुए सीमित है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले	लेखापरीक्षक का जवाब
	क्रेडिट रिस्क में उल्लेखनीय वृद्धि (एसआईसीआर) - कंपनी ने इंड एएस में परिभाषित संकेतक के आधार पर एसआईसीआर को वर्गीकृत किया है, चूक की संभावनाओं (पीडी) और हानि निर्दिष्ट चूक (एलजीडी) का अनुमान लगाया है, तथा चरण-III के वहन मूल्य का अलग अलग मूल्यांकन किया है - यदि भावी नकदी प्रवाह और परिसंपत्ति मूल्यांकन के आधार पर अलग-अलग हानियों का समुचित अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो ऋणकर्ताओं के ऋणों और अग्रिमों में महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है। इन मामलों का प्रभाव यह है कि अपने जोखिम मूल्यांकन के भाग के रूप में हमने निर्धारित किया कि ईसीएल के मूल्य में अनुमान संबंधी उच्च स्तर की अनिश्चितता है। एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों में कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए, हमारी लेखापरीक्षा में ऋण परिसंपत्तियों की हानि लेखापरीक्षा संबंधी एक प्रमुख मामला है।	हमने मान्य क्रेडिट क्षतिग्रस्तता प्रभार और मान्य प्रावधान तथा संबंधित प्रकटीकरण को स्वीकार्य और संतोषजनक समझा है।
2	**उचित मूल्य पर डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का मूल्यांकन** कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपनी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में डेरिवेटिव संविदाएं की हैं। इन डेरिवेटिव संविदाओं को या तो एफवीटीपीएल अथवा कुछ डेरिवेटिव संविदाओं को नकदी प्रवाह हेज (हेज लेखांकन) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव्स पर बाजार लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है और हेज लेखांकन को अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता दी जाती है। महत्वपूर्ण प्रकटीकरण और इस तथ्य को देखते हुए कि इन अपेक्षाओं/ परिकल्पनाओं/ आकलन का अनुबंध से संबद्ध बैंक द्वारा अनुचित प्रयोग करने से आय के विवरण में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, हमने डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन तथा हेज लेखांकन को लेखापरीक्षा का महत्वपूर्ण मामला समझा है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नांकित शामिल हैं:** प्रबंधन की धारणा पर विमर्श और समझ तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का अध्ययन। इंड एएस 109 के संदर्भ में डेरिवेटिव के उचित मूल्य का सत्यापन। डेरिवेटिव लिखतों के वर्गीकरण पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन। कंपनी ने प्रतिपक्षी बैंकों से डेरिवेटिव का उचित मूल्यांकन प्राप्त किया। हमारी प्रक्रिया में 31 मार्च, 2021 को बकाया विभिन्न वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं के ब्यौरे और उनके उचित मूल्य का मूल्यांकन शामिल है। इसके अतिरिक्त, हम डेरिवेटिव अनुबंधों के बाजार आधारित लाभ अथवा हानि की गणना को सत्यापित करते हैं, जो डेरिवेटिव अनुबंधों के मामले में लाभ एवं हानि खाते में और हेज नकदी प्रवाह के अंतर्गत डेरिवेटिव अनुबंधों के मामले में अन्य व्यापक आय के तहत मान्य है। हमें प्रतिपक्षी बैंकों से प्राप्त डेरिवेटिव अनुबंधों के उचित मूल्यांकन में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं मिली।
3	**कोविड-19 महामारी को देखते हुए वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया** कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के परिणामस्वरूप सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा कई राज्यों में लॉकडाउन और यात्रा संबंधी प्रतिबंधों के कारण कंपनी के परिसरों में भौतिक रूप से लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संचालित नहीं की जा सकीं। चूंकि व्यक्तिगत/वास्तविक रूप में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा आई थी, इसलिए सांविधिक लेखापरीक्षा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपेक्षित दस्तावेज/ सूचना प्रदान करने की व्यवस्था के माध्यम से एक वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में की गई। हमने ऐसी वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को लेखापरीक्षा का एक महत्वपूर्ण मामला समझा है।	वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, कंपनी ने हमें निम्नलिखित सूचना/ रिकॉर्ड/ दस्तावेज/ स्पष्टीकरण ई-मेल और अपने रिमोट सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराए: क) आवश्यक अभिलेख/दस्तावेज विलेख, प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियां ई-मेल या कंपनी के रिमोट सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई गई; और ख) वीडियो कॉंफ्रेंसिंग, वार्ताओं और फोन पर विचार विमर्श, ई-मेल तथा इसी तरह के अन्य संचार माध्यमों से पूछताछ के जरिए जानकारी उपलब्ध कराई गई। प्रबंधन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराए गए आंकड़े और जानकारी सही, पूर्ण, विश्वसनीय है और सीधे कंपनी की लेखांकन प्रणाली से सृजित की गई है, जो कंपनी के रिकॉर्ड और फाइलों से निकाली गई है, जिसमें हाथ से कोई संशोधन नहीं किया गया है ताकि उनकी निष्ठा, प्रामाणिकता, पठनीयता और पूर्णता बनाए रखी जा सके। इसके अलावा, विभिन्न आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों/ निरीक्षण रिपोर्टों की हमारी समीक्षा के आधार पर, हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया है जिससे यह आशंका हो कि ऐसी वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया पर्याप्त नहीं होगी।

अन्य मामले:

कंपनी ने उसके द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज के आधार पर, इंड एएस 109 के तहत अपेक्षित ऋण परिसंपत्तियों और असंवितरित लेटर ऑफ कम्फर्ट के संदर्भ में संभावित क्रेडिट क्षतिग्रस्तता को मान्यता दी है। चूंकि गणना मापदंडों के लिए कुछ तकनीकी और पेशेवर विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने उक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा प्रदान की गई अपेक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्तता गणना पर भरोसा किया है।

हमारी राय में उपरोक्त मामलों के संदर्भ में एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरण संशोधित नहीं हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों और तत्संबंधी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी के अंतर्गत सम्बद्ध अनुबंधों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट, प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट और निगमित

शासन संबंधी रिपोर्ट शामिल है, लेकिन उसमें एकल इंड एएस वित्तीय विवरण और हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऊपर वर्णित जानकारी इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय के अंतर्गत अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर निष्कर्ष रूप में कोई आश्वासन व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर पहचान की गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर हम उसे पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है अथवा अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

अन्य जानकारी पढ़ने के बाद यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी हुई है, तो हमें ऐसे मामले की जानकारी प्रशासनिक रूप से प्रभारी अधिकारियों को देनी होगी आवश्यकतानुसार समुचित कार्रवाई करनी होगी।

एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन से सम्बद्ध प्रभारी अधिकारियों का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक नियमावली), 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रदान करने वाले इन एकल (स्टैंडअलोन) कंपनी इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, जो एकल इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने में लागू किए गए जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल सतत सरोकार के रूप में जारी रखने की कंपनी की सामर्थ्य का मूल्यांकन करने, सतत सरोकार के संबंध में यथालागू प्रकटन करने तथा लेखांकन के सतत सरोकार आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन नहीं करना चाहता है या प्रचालन बंद नहीं करना चाहता है अथवा ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलाकर इंड एएस एकल वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं, क्या जालसाजी या त्रुटि के कारण लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई मुद्दा है जिसमें हमारी राय शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसरण में संचालित लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन का पता लगाएगी जब यह मौजूद होगा। मिथ्या वर्णन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है तथा तब महत्वपूर्ण माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में उनसे तर्कसंगत रूप से इन इंड एएस एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद हो सकती है।

एसए के अनुसरण में लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद का पालन करते हैं। साथ ही हम:

- एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन के जोखिमों की पहचान करते हैं एवं इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण डिजाइन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के लिए जिम्मेदार हैं और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी ने पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली स्थापित की है और ऐसे नियंत्रणों का कारगर ढंग से प्रचालन किया जा रहा है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन के अनुमानों एवं संबद्ध प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के सतत सरोकार आधार के प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जिससे सतत सरोकार के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी के सामर्थ्य पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो इंड एएस वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटन पर हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकृष्ट करना होता है अथवा यदि ऐसा प्रकटन पर्याप्त नहीं होता है, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाओं या परिस्थितियों के कारण कंपनी का सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में काम करना बंद हो सकता है।
- प्रकटनों सहित एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह भी मूल्यांकन करते हैं कि क्या एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस इंड एएस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन एवं घटनाओं को ऐसे ढंग से दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त होती है।

एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रात्मक अहमियत होती है जो व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में यह संभव बनाती है कि इंड एएस वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने कार्य के परिणामों के मूल्यांकन में तथा लेखापरीक्षा के अपने कार्यक्षेत्र की आयोजना में और (ii) इंड एएस वित्तीय विवरणों में किसी चिह्नित मिथ्या कथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक अहमियत तथा गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन की जिम्मेदारी वहन करने वाले अधिकारियों को अन्य बातों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी, जिसकी हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में जानकारी देते हैं।

हम अभिशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता और उनके साथ सभी संबंधों एवं अन्य मामलों और जहां लागू है, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में संचार करने के संबंध में नैतिकता की संगत आवश्यकताओं का पालन किया है, जिनके बारे में तर्कसंगत रूप से विचार किया जा सकता है कि उनका हमारी स्वतंत्रता से सरोकार है।

अभिशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से हम ऐसे मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन पर रोक न लगाए या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्धारण करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में कोई मामला संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से तर्कसंगत रूप से ऐसे संचार के जनहित में लाभों पर भारी पड़ने की आशंका हो।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार और जैसा हमने उपयुक्त समझा कंपनी की बहियों और रिकार्ड की जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) की उपेक्षा के अनुसार, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर **'अनुलग्नक क'** में विवरण प्रदान किया है।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिनियम की धारा उप-धारा 5 के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुपालन का उल्लेख **'अनुलग्नक ख'** में किया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;

   (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की अपेक्षा के अनुसार समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

   (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं;

   (घ) हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट इंड एएस मानकों का अनुपालन करते हैं;

   (ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि यह सरकारी कंपनी है;

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की कारगरता के संबंध में **'अनुलग्नक ग'** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें;

   (छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि यह सरकारी कंपनी है।

   (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

      i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 46 देखें,

      ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव संविदाओं सहित कोई दीर्घावधि संविदा नहीं थी जिसके लिए कोई सारवान पूर्वाभासी क्षति हुई।

      iii. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित निधि के अंतरण में कंपनी ने कोई देरी नहीं की है।

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी	कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N	फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N
हस्ता/-	हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज	**सीए नरेश कुमार**
भागीदार	भागीदार
सदस्य संख्या: 098606	सदस्य संख्या: 082069
यूडीआईएन: 21098606AAAACR9196	यूडीआईएन: 21082069AAAABD7298

तारीख: 15 जून, 2021
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक क

एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक - क

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 देखें)

i. (क) कंपनी ने मात्रात्मक ब्यौरा तथा अचल परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर) की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड रखा है।

(ख) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि प्रबंधन वर्ष में एक बार अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करता है। हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष सत्यापन की बारंबारता तर्कसंगत है। जैसा कि हमें बताया गया है कि ऐसे प्रत्यक्ष सत्यापन पर प्रबंधन द्वारा कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई जिसके लिए किसी समायोजन की आवश्यकता है।

(ग) हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों, हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्डों के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराए गए वाहन विलेखों/पंजीकृत बिक्री विलेख की जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि स्वत्व विलेख, जिसमें भूमि एवं भवनों की सभी अचल संपत्तियां शामिल हैं जो फ्री होल्ड हैं, तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी के नाम में धारित हैं। भूमि एवं भवन की अचल परिसंपत्तियां जिन्हें पट्टे पर लिया गया है, के संबंध में पट्टा करार कंपनी के नाम में हैं।

ii. कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तद्नुसार यह किसी मालसूची (इन्वेंट्री) की धारक नहीं है। इस प्रकार कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3 (ii) लागू नहीं होता है।

iii. जैसा कि हमें बताया गया है और बहियों एवं रिकॉर्डों से सत्यापित किया गया है, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण मंजूर नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3 (iii) (क), (ख) और (ग) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऐसा कोई ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 के अंतर्गत शामिल हो सकता है।

इसके अलावा, हमारी राय में और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, अत: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 और ऋणों व गारंटियों के संबंध में कंपनी को संबंधित नियमों से छूट प्राप्त है। निवेशों के संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या किसी अन्य संगत प्रावधान तथा कंपनी (जमा राशि की स्वीकृति) नियमावली, 2014 के अंतर्गत वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा 1 के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के अनुरक्षण का प्रावधान नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 का खंड 3 (vi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

vii. सांविधिक देय राशियों के संबंध में, हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर तथा इस पर यथा लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशि सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कर रही है तथा कंपनी के लेखों के अनुसार 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार देय होने की तारीख से 6 माह से अधिक अवधि के लिए उपर्युक्त देय राशियों के संबंध में कोई अविवादित राशि बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित जानकारी के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष मामले लंबित होने के कारण 73.08 करोड़ रु. की सांविधिक बकाया राशि विवाद के कारण जमा नहीं कराई गई है/विरोध के साथ जमा कराई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

संविधि का नाम	बकाया राशि का स्वरूप	कुल विवादित बकाया राशि (रुपए)	विरोध के अधीन भुगतान की गई राशि (रुपए)	लंबित राशि (रुपए)	अवधि, जिसके लिए राशि बकाया है	फोरम, जहां विवाद लंबित है
वित्त अधिनियम 1994 का अध्याय v	सेवा कर और दंड राशि	86,55,830	5,90,170	80,65,660	1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2015 तक	सीईएसटीएटी दिल्ली
		16,91,418	शून्य	16,91,418	1 जनवरी, 2016 से 30 नवंबर, 2016 तक	आयुक्त सीई एंड एसटी एलटीयू, नई दिल्ली
		13,56,179	शून्य	13,56,179	1 दिसंबर, 2016 से 30 जून, 2017 तक	प्रधान आयुक्त सीई एंड एसटी, एलटीयू, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	71,90,76,428	71,90,76,428	शून्य	निर्धारण वर्ष 2016-17	सीआईटी (अपील)-22, दिल्ली

viii. हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने तुलन पत्र की तारीख तक किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार को ऋणों को चुकता करने या डिबेंचर धारकों की देय राशियों का भुगतान करने में चूक नहीं की है।

ix. कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर या आगे पब्लिक ऑफर के जरिए कोई राशि नहीं जुटाई। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्डों के आधार पर वर्ष के दौरान ऋण लिखतों के पब्लिक इश्यू तथा सावधि ऋणों सहित सभी प्रकार के ऋण लिखतों के माध्यम से कंपनी द्वारा जुटाए गए धन का प्रयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया है जिसके लिए यह जुटाया गया।

x. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या इसके अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नोटिस या सूचित नहीं किया गया है।

xi. हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, चूंकि यह सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 इस पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3 (xi) लागू नहीं होता है।

xii. हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। अतः कंपनी पर निधि नियमावली, 2014 लागू नहीं होती है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3 (xii) लागू नहीं होता है।

xiii. हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, संबद्ध पक्षकारों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं। जहां भी लागू हो, लेखांकन मानक की आवश्यकता के अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरणों में ब्योरों का प्रकटीकरण किया गया है।

xiv. हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्णतः अथवा अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आबंटन या निजी (प्राइवेट) प्लेसमेंट नहीं किया है।

xv. हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ ऐसा कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अंतर्गत शामिल है।

xvi. कंपनी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1क के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त किया है। कंपनी को जारी किया गया पंजीकरण संख्या B- 14.00004 दिनांक 28.07.2010 है।

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्य संख्या: 098606
यूडीआईएन:
21098606AAAACR9196

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्य संख्या: 082069
यूडीआईएन:
21082069AAAABD7298

तारीख: 15 जून, 2021
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक ख

एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) कंपनी इंड एएस वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 2 देखें)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

निर्देश	उत्तर
क्या कंपनी ने ऐसी प्रणाली कायम की है, जिससे सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस किया जा सके? यदि हां, तो कृपया बताएं कि आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन प्रोसेस करने के लेखाओं की सत्यता पर क्या प्रभाव पड़े।	हां, कंपनी ने सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने की योजना बनाई है। अपनी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला, जिसका लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका हो।
क्या ऋण को चुकता करने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए किसी मौजूदा ऋण या ऋणों/ब्याज आदि के छूट/बट्टे खाते के मामलों का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताएं। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा जोखा शामिल किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया और कंपनी ने अपने ऋणों और ऋण संबंधी राशियों का भुगतान नियमित रूप से किया है।
क्या केंद्र सरकार/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखांकित/प्रयुक्त किया गया; विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	एकीकृत विद्युत विकास कार्यक्रम (विलयित आर-एपीडीआरडीपी) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी को की गई भारत सरकार की निधियों को समुचित रूप से लेखांकित किया गया है तथा संस्वीकृति की निबंधन एवं शर्तों तथा आईपीडीएस/आर-एपीडीआरडीपी दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित लाभार्थी डिस्कामों से आगे जारी की गई हैं।

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्य संख्या: 098606
यूडीआईएन: 21098606AAAACR9196

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्य संख्या: 082069
यूडीआईएन: 21082069AAAABD7298

तारीख: 15 जून, 2021
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक ग

एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ग

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 3(च) देखें)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के साथ इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियत्रंणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी की गई मार्ग-दर्शन टिप्पणियों में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मानदंड पर आधारित थे। इन जिम्मेदारियों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय का सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से लागू किए गए। इनमें कंपनियों की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और अनुवेदन, लेखांकन के रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णताः और अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने की है। इन वित्तीय विवरणों पर हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 10 के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक निर्धारित समझे गए 'मार्गदर्शन टिप्पणी' और लेखांकन मानकों के अनुसार की है इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणियों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम नैतिकता की आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षा करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में इंड एएस वित्तीय विवरण स्थापित एवं अनुरक्षित हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणियों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम जो महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालन सक्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिमों का मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से सबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही-सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेन-देन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति की अपेक्षा के अनुसार रखा गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनाधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्रदान किया जा सके, जिनका एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

प्रबंधन की मिलीभगत अथवा उसके द्वारा नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन की आशंका सहित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से ऐसी महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है जिसका पता न लग पाए। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

हमारी राय

हमारी राय में कंपनी में सभी महत्वपूर्ण दृष्टि से वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी किए गए मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग की मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी	**कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N	फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N
हस्ता/-	हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज	**सीए नरेश कुमार**
भागीदार	भागीदार
सदस्य संख्या: 098606	सदस्य संख्या: 082069
यूडीआईएन: 21098606AAAACR9196	यूडीआईएन: 21082069AAAABD7298

तारीख: 15 जून, 2021
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ऊर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110 001

प्रिय महोदय,

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र तथा उस समय समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसे यहां बाद में एकल (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरण) सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निर्देश 2016 की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त निदेशों के अध्याय II में निर्दिष्ट मामलों पर और लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के व्यवसाय में लगी है, जिसके पास दिनांक 10 फरवरी, 1998 के पिछले प्रमाण पत्र संख्या 14.00004 के बदले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संख्या बी-14.00004 के माध्यम से जारी किए गए दिनांक 28 जुलाई, 2010 के प्रमाण-पत्र के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी के रूप में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र है। इसके अतिरिक्त, कंपनी 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय के पैटर्न के अनुसार ऐसे पंजीकरण का धारण जारी रखने के लिए हकदार है।

2. कंपनी मास्टर निर्देश-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश 2016 में निहित निर्देशों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी पर लागू निवल स्वामित्व निधियों की आवश्यकता को पूरा कर रही है।

3. कंपनी आरबीआई के यहां गैर-जमा स्वीकार करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है। निदेशक मंडल ने 26 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना भविष्य में जनता से कोई जमा राशि स्वीकार न करने के लिए संकल्प पारित किया है।

4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

5. वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के साथ पठित इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए सम्बद्ध नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं। तदनुरूप कंपनी ऋण परिसंपत्तियों और उनके वर्गीकरण में क्षतिग्रस्तता हानियों की गणना और तत्संबंधी प्रावधान की अनुमति के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति का अनुपालन कर रही है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के नियामक अनुपालन को देखते हुए कंपनी को इंड एएस 109 के अनुसार हानियों के लिए प्रावधान करना होता है और आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और

अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों आदि से संबंधित प्रूडेंशियल मानदंडों के लिए प्रावधान (आईआरएसीपी) के संदर्भ में 2016 के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में आरबीआई अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी) .सीसी.पीडी. संख्या 109/22.10.106/2019-20 दिनांक 13 मार्च, 2020 के अनुपालन में कंपनी ने आईआरएसीपी मानदंड (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान सहित) के अंतर्गत प्रावधान की गणना की है और कंपनी को क्षतिग्रस्तता रिजर्व के अंतर्गत कोई राशि समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

6. हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, पूंजी निधि, जोखिम परिसंपत्ति/एक्सपोजर तथा जोखिम परिसंपत्ति अनुपात का विवरण (एनबीएस-7 विवरणी) कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 की सभी तिमाहियों के लिए संबंधित तिमाहियों के वित्तीय परिणामों के आधार पर दाखिल किया गया है जिसे आरबीआई के मानदंडों के अनुपालन में सीआरएआर सहित निर्धारित अवधि के अंदर दाखिल करने की तारीख को तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित सीआरएआर ठीक से तैयार किया गया है तथा यह आरबीआई द्वारा न्यूनतम निर्धारित सीआरएआर के अनुपालन में है।

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी	**कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N	फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N
हस्ता/-	हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज	**सीए नरेश कुमार**
भागीदार	भागीदार
सदस्य संख्या: 098606	सदस्य संख्या: 082069
यूडीआईएन: 21098606AAAACR9196	यूडीआईएन: 21082069AAAABD7298

तारीख: 15 जून, 2021
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें बताया गया है कि उन्होंने अपनी दिनांक 15 जून, 2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी कागजातों तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है तथा प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की वर्णनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण निकल कर नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके या उसमें कुछ जोड़ा जा सके।

कृते एवं उनकी ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ता/-
(डी. के. सेकर)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा), नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
तारीख:13 अगस्त, 2021

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार एकल (स्टैंडअलोन) तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2021 को	31.03.2020 को
परिसंपत्तियां				
1	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) नकदी और नकदी समतुल्य	7	3,717.62	182.52
	(ख) नकदी और नकदी समतुल्य में बैंक शेष से अन्य राशि शमिल है	8	1,044.58	16.47
	(ग) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	9	1,251.45	1,863.42
	(घ) ऋण	10	3,60,124.77	3,34,112.60
	(ङ) निवेश	11	15,973.50	16,473.32
	(च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	5,336.77	5,339.12
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**3,87,448.69**	**3,57,987.45**
2	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	260.64	651.31
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	37	3,996.76	2,952.12
	(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	14	37.21	31.35
	(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	14	0.24	0.41
	(ङ) राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां	15	35.30	35.75
	(च) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	16	305.23	128.87
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**4,635.38**	**3,799.81**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)		**3,92,084.07**	**3,61,787.26**
देयताएं और इक्विटी				
देयताएं				
1	**वित्तीय देयताएं**			
	(क) डेरीवेटिव वित्तीय लिखत	9	494.04	599.82
	(ख) ऋण प्रतिभूतियां	17	2,42,811.54	2,21,847.67
	(ग) ऋण राशि (ऋण प्रतिभूतियों से अलग)	18	80,837.60	79,116.06
	(घ) सबॉर्डिनेटिड देयताएं	19	9,310.20	9,310.95
	(ङ) अन्य वित्तीय देयताएं	20	5,828.05	5,375.16
	कुल वित्तीय देयताएं (1)		**3,39,281.43**	**3,16,249.66**
2	**गैर-वित्तीय देयताएं**			
	(क) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	13	43.24	0.11
	(ख) प्रावधान	21	155.15	264.29
	(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	22	211.13	109.07
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)		**409.52**	**373.47**
	कुल देयताएं (1 + 2)		**3,39,690.95**	**3,16,623.13**
3	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	23	2,640.08	2,640.08
	(ख) अन्य इक्विटी	24	49,753.04	42,524.05
	कुल इक्विटी (3)		**52,393.12**	**45,164.13**
	कुल देयताएं और इक्विटी (1+2+3)		**3,92,084.07**	**3,61,787.26**

संलग्न टिप्पणियां एकल कंपनी वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
सीजीएम एवं कंपनी सचिव

हस्ता/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्य संख्या: 098606

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्य संख्या: 082069

तारीख: 15 जून, 2021
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
	(i) ब्याज आय	25	36,145.76	31,950.42
	(ii) लाभांश आय	26	1,204.21	1,289.52
	(iii) शुल्क और कमीशन आय	27	394.90	122.96
I	**प्रचालनों से कुल राजस्व**		**37,744.87**	**33,362.90**
II	अन्य आय	28	21.70	8.16
III	**कुल आय (I+II)**		**37,766.57**	**33,371.06**
	व्यय			
	i) वित्तीय लागतें	29	23,194.49	21,853.19
	ii) निवल परिवर्तन/ अंतरण विनिमय हानि/ (अभिलाभ)	30	(164.06)	2,633.42
	iii) शुल्क एवं कमीशन व्यय	31	14.28	10.76
	iv) उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल हानि/(अभिलाभ)	32	518.95	(699.05)
	v) वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता (इंपेयरमेंट)	33	3,496.40	991.22
	vi) कार्मिक हितलाभ व्यय	34	194.62	193.82
	vii) मूल्यह्रास, क्षतिग्रस्तता और परिशोधन	14/15	11.17	9.10
	viii) निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	35	222.61	97.15
	ix) अन्य व्यय	36	70.80	88.91
IV	**कुल व्यय**		**27,559.26**	**25,178.52**
V	**आपवादिक मद्दों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**10,207.31**	**8,192.54**
VI	**आपवादिक मदें**			**-**
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**10,207.31**	**8,192.54**
	कर व्यय:			
	(1) वर्तमान कर:	37		
	- चालू वर्ष		2,613.09	1,406.73
	- पूर्ववर्ती वर्षों		178.94	17.75
	(2) आस्थगित कर		(1,028.73)	1,112.92
VIII	**कुल कर व्यय**		**1,763.30**	**2,537.40**
IX	**सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**8,444.01**	**5,655.14**
X	बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (कर उपरांत)		-	-
XI	अवधि वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (सतत और बंद प्रचालनों से) (IX+X)		**8,444.01**	**5,655.14**
XII	**अन्य व्यापक आय**			
क	(i) लाभ या हानि में वर्गीकृत न की जाने वाली मद			
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन:मापन		(4.26)	(5.09)
	- इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)		137.25	(287.11)
	(ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें हितलाभ या हानि के रूप में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		1.13	0.08
	उप योग (क)		**134.12**	**(292.12)**
ख	(i) लाभ या हानि में पुन: वर्गीकृत किए जाने वाले मद			
	- नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		(27.64)	(46.74)
	- हेजिंग लिखतों की लागत			
	(ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(31.06)	-
	- नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		6.96	4.23
	- हेजिंग लिखतों की लागत			
	उप योग (ख)		**7.82**	**-**
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		**(43.92)**	**(42.51)**
XIII	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII)**		**90.20**	**(334.63)**
XIV	**प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक):**			
	पर मूल और तनुकृत	38	**8,534.21**	**5,320.51**
	(1) सतत प्रचालनों के लिए (₹ में)		31.98	21.42
	(2) बंद प्रचालनों (₹ में)		-	-
	(3) सतत और बंद प्रचालनों के लिए (₹ में)		31.98	21.42

संलग्न टिप्पणियां एकल कंपनी वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
सीजीएम एवं कंपनी सचिव

हस्ता/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्य संख्या: 098606

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्य संख्या: 082069

तारीख: 15 जून, 2021
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का एकल विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान परिवर्तन	अंतिम शेष
वित्तीय वर्ष 2019-20	2,640.08	-	2,640.08
वित्तीय वर्ष 2020-21	2,640.08	-	2,640.08

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	आरक्षित और अधिशेष										अन्य व्यापक आय			
विवरण	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viiक) (ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि	डिबेंचर मोचन आरक्षण निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर का लेखा	ब्याज विभेद आरक्षित निधि - केएफडब्ल्यू ऋण	सामान्य आरक्षित निधियां	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखित	नकदी प्रवाह हेजिंग में लिखतों पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
31 मार्च, 2019 तक शेष	**1,413.94**	**3,740.21**	**599.85**	**17,498.27**	**2,014.25**	**2,776.54**	**(769.72)**	**60.00**	**7,438.68**	**6,202.53**	**(276.49)**	**(50.15)**		**40,647.91**
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,655.14	-	-		5,655.14
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन (निवल कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.01)	-	-		(5.01)
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**(287.11)**	**(42.51)**		**(329.62)**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,650.13**	**(287.11)**	**(42.51)**		**5,320.51**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,508.08)	-	-		(2,508.08)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-		-	-	(264.79)	-	-		(264.79)
प्रतिधारित आय में/से अंतरण	1,131.02	304.81	-	1,350.13	-	-	-	-	-	(2,785.96)	-	-		-
सामान्य रिजर्व में/से अंतरण	-	-	-	-	(2,014.25)	-	-	-	2,014.25	-	-	-		-
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के निमित्त आरक्षित निधि का उपयोग	-	(1,530.85)	-	-	-	-	-	-	1,530.85	-	-	-		-
एफवीटीओसीआई इक्विटी लिखतों की बिक्री/समाप्ति पर लाभ/(हानि) का पुनःवर्गीकरण										(249.96)	249.96	-		-
अवधि के दौरान परिवर्धन/विलोपन (निवल)	-	-	-	-	-	-	(671.46)	1.40	0.03	(1.47)	-	-		(671.50)
31 मार्च, 2020 तक शेष	**2,544.96**	**2,514.17**	**599.85**	**18,848.40**	**-**	**2,776.54**	**1,441.18**	**61.40**	**10,983.81**	**6,042.40**	**(313.64)**	**(92.66)**		**42,524.05**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का एकल विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष										अन्य व्यापक आय			
	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viiक) (ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि	डिबेंचर मोचन आरक्षण निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर का लेखा	ब्याज विभेद आरक्षित निधि - केएफडब्ल्यू ऋण	सामान्य आरक्षित निधियां	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखित	नकदी प्रवाह हेजिंग में लिखतों पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
अवधि के लिए लाभ										8,444.01	-	-	-	8,444.01
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन (निवल कर)										(3.13)	-	-	-	(3.13)
अन्य व्यापक आय/(व्यय)										-	137.25	(20.68)	(23.24)	93.33
अवधि के लिए कुल व्यापक आय										**8,440.88**	**137.25**	**(20.68)**	**(23.24)**	**8,534.21**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,112.07)	-	-	-	(2,112.07)
प्रतिधारित आय में/से अंतरण	1,688.80	609.83	-	2,534.77	-	-	-	-	-	(4,833.40)	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के निमित्त आरक्षित निधि का उपयोग	-	(2,844.05)	-	-	-	-	-	-	2,844.05	-	-	-	-	-
एफवीटीओसीआई इक्विटी लिखतों की बिक्री/समाप्ति पर लाभ/(हानि) का पुनःवर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.98	(6.98)	-	-	-
अवधि के दौरान परिवर्धन/विलोपन (निवल)	-	7.30	-	332.38	-	-	806.85	1.25	-	(340.93)	-	-	-	806.85
31 मार्च, 2021 तक शेष	**4,233.76**	**287.25**	**599.85**	**21,715.55**	**-**	**2,776.54**	**(634.33)**	**62.65**	**13,827.86**	**7,203.86**	**(183.37)**	**(113.34)**	**(23.24)**	**49,753.04**

इसमें संलग्न टिप्पणियां एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
सीजीएम एवं कंपनी सचिव

हस्ता/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्य संख्या: 098606

कृते ढास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्य संख्या: 082069

तारीख: 15 जून, 2021
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
I.	**प्रचालनरत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**				
	कर पूर्व लाभ	**10,207.31**		**8,192.54**	
	निम्नलिखित के समायोजन के लिए:				
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विमान्यता के संबंध में हानि (निवल)	1.12		0.96	
	मूल्य ह्रास और परिशोधन	11.17		9.10	
	जीरो कूपन बॉण्ड और वाणिज्यिक पत्रों पर ब्याज व्यय	9.21		329.58	
	अप्राप्त विदेशी मुद्रा परिवर्तन क्षतिग्रस्तता/(लाभ)	293.25		2,908.53	
	उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	518.95		(699.05)	
	ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर का प्रभाव	(19.90)		6.50	
	वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	3,496.40		991.22	
	ब्याज सब्सिडी निधि पर ब्याज	1.41		1.35	
	आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत ब्याज के लिए प्रावधान	2.19		0.17	
	प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं	-		(0.18)	
	सेवानिवृत्ति हितलाभ आदि के लिए प्रावधान	50.16		44.44	
	ऋणों/ ऋण प्रतिभूतियों/ सबोर्डिनेटिड देयताओं पर प्रभावी ब्याज	82.28		(188.06)	
	आयकर रिफंड पर ब्याज	(9.67)		(0.66)	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ:	**14,643.88**		**11,596.44**	
	वृद्धि/कमी				
	ऋण (निवल)	(29,814.52)		(32,097.93)	
	अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	(1,174.43)		13,891.09	
	डेरिवेटिव	(95.29)		(504.95)	
	अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां देयताएं और प्रावधान	1,302.95		154.44	
	आपवादिक मदों से पूर्व नकदी प्रवाह	**(15,137.41)**		**(6,960.91)**	
	आपवादिक मदें	-		-	
	कर पूर्व प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**(15,137.41)**		**(6,960.91)**	
	भुगतान किया गया आयकर	(2,671.39)		(1,584.39)	
	आयकर रिफंड	294.12		59.03	
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(17,514.68)**		**(8,486.27)**
II.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**				
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निस्तारण से प्राप्त राशि	0.20		0.07	
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद	(17.73)		(13.11)	
	अन्य निवेश में वृद्धि/कमी	898.45		28.91	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**880.92**		**15.87**
III.	**वित्तपोषण की गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**				
	बॉण्डों को जुटाना (प्रीमियम सहित) (मोचन को घटाकर)	13,733.45		6,244.24	
	दीर्घावधिक ऋण जुटाना (चुकौतियों को घटाकर)	4,000.00		10,895.44	
	विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना (चुकौतियों को घटाकर)	2,648.62		15,293.94	
	वाणिज्यिक पत्र को जुटाना (चुकौतियों को घटाकर)	3,120.00		(10,000.00)	
	कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ ओडी/ सीसी/ लाइन ऑफ क्रेडिट जुटाना (चुकौतियों का निवल)	(1,355.32)		(11,318.82)	
	अदावा बॉण्ड (निवल)	133.76		0.59	
	अदावा लाभांश (निवल)	0.42		0.32	
	अंतरिम लाभांश का भुगतान	(2,112.07)		(2,508.08)	
	निगमित लाभांश कर का भुगतान	-		(264.79)	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर-प्रवाह		**20,168.86**		**8,342.83**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी		**3,535.10**		**(127.57)**
	जोड़ें: वित्तीय वर्ष के शुरू में नकदी एवं नकदी समतुल्य		182.52		310.09
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**3,717.62**		**182.52**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य का ब्यौरा:				
i)	बैंकों में अधिशेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति का)				
	चालू खातों में	699.48		182.52	
	सावधि जमा खातों में	3,018.14	3,717.62	-	182.52
ii)	डाक व्यय एवं पेशगी सहित हाथ में चेक, ड्राफ्ट		0.00	-	
	वर्ष के अंत में कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य		**3,717.62**		**182.52**

उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अनुसार परोक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने निगमित सामाजिक दायित्व के लिए ₹262.00 करोड़ (विगत वर्ष में ₹97.15 करोड़) की राशि खर्च की है।

वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं (बकाया मूलधन) का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	बॉण्ड/ डिबेंचर*	सावधि ऋण**	विदेशी मुद्रा ऋण	कमर्शियल पेपर	डब्ल्यूसी डीएल आदि	सबॉर्डिनेटिड ऋण	कुल
01 अप्रैल, 2020 को प्रारंभिक शेष	**1,81,112.79**	**46,203.54**	**28,826.86**	**9,715.92**	**13,357.18**	**9,211.50**	**2,88,427.80**
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	6,244.24	10,895.44	15,293.94	(10,000.00)	(11,318.82)	-	11,114.80
निम्नलिखित के कारण गैर-नकदी परिवर्तन:							
जीरो कूपन बॉण्ड पर डिस्काउंट/कमर्शियल पेपर पर वित्तीय प्रभारों का परिशोधन	45.49	-	-	284.09	-	-	329.58
विनिमय दरों मे परिवर्तन	-	-	3,579.99	-	-	-	3,579.99
31 मार्च 2020 को अंतिम शेष	**1,87,402.52**	**57,098.98**	**47,700.79**	**0.00**	**2,038.36**	**9,211.50**	**3,03,452.17**
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	13,733.45	4,000.00	2,648.62	3,120.00	(1,355.32)	(0.00)	22,146.75
निम्नलिखित के कारण गैर-नकदी परिवर्तन:							
जीरो कूपन बॉण्ड पर डिस्काउंट/कमर्शियल पेपर पर वित्तीय प्रभारों का परिशोधन	48.98	-	-	(39.77)	-	-	9.21
विनिमय दरों में परिवर्तन	-	-	(513.61)	-	-	-	(513.61)
31 मार्च 2021 को अंतिम शेष	**2,01,184.95**	**61,098.98**	**49,835.80**	**3,080.23**	**683.04**	**9,211.50**	**3,25,094.52**

* नकदी प्रवाह एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में विदेशी मुद्रा नोट्स विदेशी मुद्रा ऋण का भाग हैं।
** नकदी प्रवाह एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में विदेशी मुद्रा ऋण तथा सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण का भाग है।

यहां संलग्न टिप्पणियां एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
सीजीएम एवं कंपनी सचिव

हस्ता/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्य संख्या: 098606

हस्ता/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्य संख्या: 082069

तारीख: 15 जून, 2021
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. कंपनी के बारे में सूचना

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('पीएफसी' या 'कंपनी') का निगमन वर्ष 1986 में हुआ। कंपनी भारत में अवस्थित है और शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी है, इसका पंजीकृत कार्यालय 'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 में है।

यह कंपनी सरकारी कंपनी है जो विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा प्रणालीगत दृष्टि से एक महत्वपूर्ण (गैर-जमा राशि स्वीकार करने वाली) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पास पंजीकृत है।

कंपनी के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

2. अनुपालन का विवरण

कंपनी के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधान और अन्य लागू नियामक मानकों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन में है। एकल (स्टैंडअलोन) तुलनपत्र, लाभ व हानि का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तैयार किया गया है और गैर-बैंकिंग की कंपनियों (एन बी एफ सी) के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिजीवन III की अपेक्षाओं के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं।

3. ये एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण जारी करने के लिए 15.06.2021 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

4. जारी किए गए परंतु अभी तक प्रभावी न किए गए मानदंड/संशोधन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने मौजूदा मानदंडों में संशोधन या नए मानदंड जारी किए हैं। 30.03.2021 की स्थिति के अनुसार ऐसी कोई अधिसूचना नहीं थी जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू किया जाना हो।

5. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दी गई हैं।

5.1 तैयारी और मापन का आधार

ये एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण सतत् सरोकार के आधार पर लेखांकन को प्रोद्भूत प्रणाली का पालन करते हुए तैयार किए गए। परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन पिछली लागत या परिशोधित लागत या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर किया गया है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने या किसी देयता को बाजार प्रतिभागियों के बीच मापन तिथि पर व्यवस्थित लेन-देन में हस्तांतरित करने से प्राप्त हो सकता है, चाहे वह कीमत पालनीय हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए आकलित की गई हो।

इंड एएस अपेक्षाओं के अनुसार, उचित मूल्य मापन को लेवल 1, 2 अथवा 3 में श्रेणीकृत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

- लेवल 1 इनपुट सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए उद्धृत मूल्य (असमायोजित) है जो कंपनी को मापन तिथि पर मिल सकता है।
- लेवल 2 इनपुट लेवल 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों से अलग इनपुट है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए पालनीय है।
- लेवल 3 इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लए वैसे इनपुट है जो पालनीय नहीं है।

5.2 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में हाथ में नकदी और मांग जमा राशि शामिल है। कंपनी सभी अल्पावधि अधिशेषों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तिथि से तीन माह या कम हो), उच्च लिक्विडिटी निवेश जो नकदी की ज्ञात राशियों में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं, और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अध्यधीन हैं।

5.3 डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

(i) कंपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा और विनियम दर संबंधी किसी जोखिम के प्रबंधन के लिए कई डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का प्रयोग करती है।

(ii) हेज लेखांकन के तहत कोई संस्था नकदी प्रवाह हेज के रूप में अथवा उचित मूल्य हेज के रुप में विभिन्न डेरिवेटिव संविदाएं कर सकती है। कंपनी नकदी प्रवाह हेज के रूप में कुछ डेरिवेटिव संविदाएं करती है।

(iii) हेज लेखांकन के लिए पात्रता के लिए हेज के संबंध में निम्नलिखित सभी अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए:

- हेज मद और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध हो।
- ऋण जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता, जो उन आर्थिक संबंध का परिणाम हो।
- हेज में संबंध का हेज अनुपात नहीं, जो हेज मद की मात्रा का परिणाम है कि कंपनी वास्तव में हेज करती है और हेजिंग लिखत की मात्रा, जिसका कंपनी वास्तव में उस हेज मद की मात्रा का हेज करने के लिए प्रयोग करती है।

(iv) नकदी प्रवाह हेज

डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तनों के प्रभावी अंश जो नकदी प्रवाह हेज के रूप में नामित किए जाते हैं और अर्हक हैं, को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है। निष्प्रभावी अंश से संबंधित

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

अभिलाभ या हानि को तत्काल लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है। अन्य व्यापक आय में मान्य राशियां (जो प्रभावी अंश हैं) ऐसी अवधियों में लाभ और हानि विवरण में पुन: वर्गीकृत की जाती हैं जब हेज मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

जब हेज लिखत की अवधि समाप्त हो जाती है या कालातीत हो जाती है या प्रयुक्त हो जाती है या जब यह हेज लेखांकन के लिए अर्हक नहीं होती है, तो हेज लेखांकन बंद हो जाता है।

(v) डेरिवेटिव, हेज संबंध के अंतर्गत नामित डेरिवेटिव लिखतों को छोड़कर, को शुरू में तिथि जब डेरिवेटिव लिखत के करार किए जाते हैं, को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य पर पुन: मापा जाता है। परिणामी अभिलाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

5.4 वित्तीय लिखत

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है, जब कंपनी वित्तीय लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

शुरुआती मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य प्लस/माइनस लेन-देन लागत पर मान्य किया जाता है जो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या निर्गम पर आरोप्य है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मामले में जो लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मान्य की जाती हैं, उनकी लेन-देन लागत लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की जाती है।

5.4.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसपंत्तियों की सभी नियमित बिक्री या क्रय को निपटान की तारीख के आधार पर मान्य एवं विमान्य किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों का नियमित क्रय या बिक्री ऐसी बिक्री या क्रय है जिसके लिए बाजार स्थल में विनियम या अभिसमय द्वारा स्थापित समय सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की डिलीवरी करने की आवश्यकता होती है।

शुरुआती मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में पूर्णत: मापा जाता है।

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों (इक्विटी लिखतों से भिन्न) का वर्गीकरण एवं मापन

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:
निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

- परिसंपत्ति किसी व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों का धारण करना है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तारीखों को नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के अनन्य भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि

प्रभावी ब्याज दर विधि वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत की गणना करने तथा अपेक्षित जीवन काल में ब्याज आय आवंटित करने की विधि है। ईआईआर विधि का प्रयोग करते समय कंपनी सामान्तया किसी शुल्क, लेन-देन लागत तथा अन्य प्रीमियम या डिस्काउंट जो किसी वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग है, परिशोधित करती है।

एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज दर आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में आय को मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्ति की शुरुआती मान्यता पर ईआरआर का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रत्येक रीसेट पर ईआरआई को अपडेट किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की शर्तों पर पुन: वार्ता होने पर बाजार संचालित से भिन्न ब्याज दर मूवमेंट, संशोधन से पूर्व परिगणित पिछले ईआईआर का प्रयोग करके मापे गए किसी अभिलाभ/हानि को उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिसके दौरान ऐसी पुन: वार्ता होती है।

ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती है, तो एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्ति का मापन किया जाता है:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तिथियों को नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के अनन्य भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और रिजर्व में संचय में मान्य किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

ग) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफ़वीटीपीएल पर मापा जाता है, जब तक कि उसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्य उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर मापा न गया हो।

व्यवसाय मॉडल

किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति के वर्गीकरण के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल का निर्धारण मूल आवश्यकता है। कंपनी अपने व्यवसाय मॉडल इस स्तर पर निर्धारित करती है जिससे ये पता चल सके कि नकदी प्रवाह सृजित करने के विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितनी वित्तीय परिसंपत्तियां एक साथ व्यवस्थित की गई हैं। कंपनी का व्यवसाय मॉडल निर्धारण लिखत दर लिखत आधार की अपेक्षा समुच्चय के उच्च स्तर पर निष्पादित किया जाता है।

कंपनी का व्यवसाय विद्युत क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला में ऋण उपलब्ध कराना है और इन ऋणों का प्रबंधन ऋण अवधि के दौरान संविदात्मक नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा संविदात्मक नकदी प्रवाह संग्रह के लिए कंपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का भी उपयोग कर सकती है।

(ii) इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण, मापन एवं विमान्यीकरण

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में इक्विटी निवेश से भिन्न सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। ट्रेडिंग के लिए धारित की गई इक्विटी लिखतों को एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी लिखतों के लिए कंपनी शुरुआती मान्यता पर उसे एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अप्रतिसंहार्य चुनाव करती है। कंपनी लिखत दर लिखत आधार पर ऐसा चुनाव करती है।

एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश को शुरू में उचित मूल्य प्लस लेन-देन लागत पर मापा जाता है। उसके बाद उसे उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और आरक्षित निधि में संचित किया जाता है। निवेश की बिक्री पर भी ओ सी आई से लाभ एवं हानि विवरण में राशियों की कोई रिसाइक्लिंग नहीं होती है। तथापि, कंपनी इक्विटी के अंदर उसका अंतरण करती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखतों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

क) शुरुआती मान्यता के बाद, कंपनी इंड एएस 109 वित्तीय लिखत के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को मान्य करती है। ऋण परिसंपत्तियों से भिन्न ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों पर ईसीएल को आजीवन अपेक्षित हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है। कंपनी वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में ईसीएल प्रभार या रिवर्सल (जहां निवल विशिष्ट अवधि के लिए ऋणात्मक अधिशेष हैं) दर्शाती है।

ईसीएल की मान्यता एवं मापन के लिए क्षतिग्रस्तता की आवश्यताओं को एफवीटीओ सीआई पर ऋण परिसंपत्ति पर समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है, सिवाय इसके कि ईसीएल को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है और तुलनपत्र में वहन राशि से कटौती नहीं की जाती है।

ख) चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) के अंतर्गत ऋण परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता एवं प्रतिबद्धताएं:

कंपनी आजीवन ईसीएल के समान राशि पर ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन करती है, यदि क्रेडिट क्षतिग्रस्तता होती है या शुरुआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) हुई है। यदि शुरुआती मान्यता की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं होता है तो कंपनी 12 माह के ईसीएल के बराबर राशि पर ईसीएल मापती है। इस बात का मूल्यांकन करते समय कि शुरुआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर है, कंपनी तर्कसंगत एवं समर्थनीय सूचना पर विचार करती है जो अनुचित लागत या प्रयास के बगैर उपलब्ध होता है। यदि कंपनी पिछली अवधि में आजीवन ईसीएल के रूप में हानि छूट का मापन करती है परंतु परवर्ती अवधि में निर्धारित करती है की क्रेडिट की गुणवत्ता में सुधार के कारण शुरुआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर नहीं है, तो कंपनी पुन: 12 माह के ईसीएल के आधार पर हानि छूट का मापन करती है।

ईसीएल क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों के लिए व्यक्तिगत आधार पर मापा जाता है तथा अन्य ऋण परिसपंत्तियों पर यह सामान्यतया सजातीय समूहों का प्रयोग करके सामूहिक आधार पर मापा जाता है।

कंपनी ऋण परिसंपत्तियों की तरह समान आधार पर एलओसी के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं पर क्षतिग्रस्तता का मापन करती है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्य करती है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

हैं या जब यह किसी दूसरे पक्षकार को वित्तीय परिसंपत्ति तथा परिसंपत्ति के स्वामित्व के सारवान के रूप में सभी जोखिमों एवं इनामों को अंतरित कर देती है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की पूर्णत: विमान्यता पर, परिसंपत्ति की वहन राशि एवं प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल की रकम तथा संचयी अभिलाभ या हानि जिसे अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया था और इक्विटी में संचित किया गया था, के बीच अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है यदि ऐसे अभिलाभ या हानि को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि विवरण में अन्यथा मान्य किया गया है।

5.4.2 वित्तीय देयताएं

(i) डेरिवेटिव तथा वित्तीय गारंटी संविदाओं से भिन्न सभी वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयता की शुरुआती मान्यता पर ईआईआर का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में रीसेट की संबंधित तारीख को परिवर्तनशील ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए ईआईआर को अपडेट किया जाता है।

(ii) वित्तीय गारंटी
कंपनी द्वारा जारी की गई वित्तीय गारंटी को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है और यदि एफवीटीपीएल पर नामित नहीं है, तो बाद में निम्नलिखित के उच्चतर पर मापा जाता है:

- गारंटी के फलस्वरूप उत्पन्न किसी वित्तीय बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का सर्वोत्तम अनुमान; और
- उपयुक्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्य आय की संचयी राशि को घटाकर शुरू में मान्य की गई राशि।

(iii) वित्तीय देयताओं की विमान्यता
कंपनी वित्तीय देयताओं को तब और केवल तभी विमान्य करता है जब कंपनी की बाध्यताएं उन्मुक्त, रद्द या कालातीत हो जाती हैं। विमान्य वित्तीय देयता की वहन राशि और संदत्त एवं संदेय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

5.5 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों ओर सहयोगी कंपनियों में निवेश

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश के इक्विटी शेयरों में निवेश की लागत पर लेखांकित किया जता है।

5.6 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा मूल्यहास

(i) शुरू में पीपीई की मदों को लागत पर मान्य किया जाता है। इसके बाद फ्रीहोल्ड भूमि जिसके लिए मूल्यहास नहीं किया जाता है, को छोड़कर संचित मूल्यहास एवं संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को घटाकर लागत पर मापन किया जाता है। सक्रिय प्रयोग में निवृत्त तथा निस्तारण के लिए धारित पीपीई की मद को उसके बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य के निचले स्तर पर व्यक्त किया जाता है।

(ii) प्रयोग के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के मामले में, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनुमोदित बिलों या संविदाओं के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य जहां अंतिम बिल अभी तक प्राप्त/अनुमोदित नहीं हुआ है, के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

(iii) पीपीई की किसी मद के प्रतिस्थापित पार्ट की लागत को मद की वहन राशि में मान्य किया जाता है यदि ऐसी संभावना होती है कि पार्ट में शामिल भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे तथा उसकी लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। प्रतिस्थापित पार्ट की वहन राशि विमान्य की जाती है। पीपीई की अनुसरक्षण सर्विसिंग लागत को व्यय के अनुसार लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) निर्माणाधीन पीपीई को लागत पर अग्रेनीत किया जाता है तथा कोई मान्य क्षतिग्रस्तता हानि घटाई जाती है। पीपीई की ऐसी मदों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयुक्त श्रेणियों में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे पूर्ण और आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं। अन्य परिसंपत्तियों की तरह इन परिसंपत्तियों का मूल्यहास तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं।

(v) सेल फोनों को छोड़कर, जहां कंपनी द्वारा उपयोगी जीवनकाल 2 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है, अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में हासिल मूल्य निधि के अनुसार उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर परिसपंत्ति की लागत को बट्टे खाते में डालने के लिए मूल्यहास मान्य किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - II में निर्धारित जीवनकाल के समान है। पीपीई की मूल लागत के 5 प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(vi) वर्ष के दौरान पीपीई में वृद्धि/कटौती पर मूल्य ह्रास को उस माह से तक यथा अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है जिसमें प्रयोग के लिए परिसंपत्ति उपलब्ध है/निपटान की गई है।

(vii) निपटान पर परिसंपत्ति का प्रयोग जारी रखने में भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद न होने पर पीपीई की किसी मद को विमान्य किया जाता है। पीपीई की किसी मद की विमान्यता पर उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण बिक्री की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच उत्तर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(viii) क्रय के वर्ष में ₹5,000/- तक की लागत वाले पीपीई की प्रत्येक मद का पूर्णत: मूल्यह्रास किया जाता है।

5.7 अमूर्त परिसंपत्तियां एवं परिशोधन

(i) सीमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों जिनकी अलग से खरीद की जाती है, को लागत पर मान्य किया जाता है। लागत में परिसंपत्ति के आशयित प्रयोग के लिए उसे तैयार करने के लए कोई सीधे आरोप्य आवश्यक आनुषंगिक व्यय शामिल होता है। परवर्ती मापन लागत पर किया जाता है जिसमें से संचित परिशोधन एवं संचित क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, घटाई जाती है। परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में सीधी रेखा (स्ट्रेट लाइन) आधार पर मान्य किया जाता है।

(ii) किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण के पात्र हैं, को उनके आशयित प्रयोग के लिए तैयार रहने तक विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अग्रेनीत किया जाता है।

(iii) सीमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कंपनी द्वारा 5 वर्ष के रूप में अग्रेनीत किया गया है।

(iv) निपटान पर या जब प्रयोग अथवा निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है तब अमूर्त परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की विमान्यता से उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण निपटान की निवल आय तथ परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

5.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

(i) प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब किसी पिछली घटना के फलस्वरूप कंपनी की कोई मौजूदा कानूनी या निर्माणकारी बाध्यता होती है, यदि इस बात की संभावना होती है कि कंपनी से बाध्यता का निपटान करने की अपेक्षा होगी और बाध्यता की राशि के लिए विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है।

(ii) प्रावधान के रूप में मान्य राशि बाध्यता से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूदा बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान होती है।

(iii) जब कुछ या सभी आर्थिक लाभों का निपटान करने की आवश्यकता होती है तो तीसरे पक्षकार से प्रावधान प्राप्त होने की उम्मीद होती है, प्राप्य प्रावधान की परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है यदि आभासिक रूप में निश्चित होता है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी तथा प्राप्य प्रावधान की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है।

(iv) जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होगा अथवा विश्वसनीय ढंग से राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेखाओं पर टिप्पणियों के आकस्मिक देयता के रूप में बाध्यता का प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाह की संभावना कम न हो।

(v) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं को मान्य नहीं किया जाता है। हालांकि, आर्थिक लाभ के संभावित होने पर वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्ति का खुलासा किया जाता है।

5.9 आय एवं व्यय की मान्यता

(i) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज (ईआईआर) ऐसी दर है, जो शुरुआती मान्यता पर उस परिसंपत्ति की निवल वहन राशि के अनुसार वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल में अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को सटीक रूप में डिस्काउंट करती है।

(ii) इसके बाद वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ब्याज को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर मान्य किया जाता है।

(iii) ऋणकर्ताओं द्वारा बकाए के समय से भुगतान के लिए रिबेट को समय से संपूर्ण देय ब्याज राशि की प्राप्ति पर संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में मान्य किया जाता है और समतुल्य ब्याज आय के निमित डाला जाता है।

(iv) प्रदान की गई सेवाओं से आय को रिपोर्टिंग तिथि को संविदा की समाप्ति के चरण के संदर्भ में करारों/व्यवस्थाओं की शर्तों के आधार पर मान्य किया जाता है।

(v) निवेश से लाभांश आय को लाभ एवं हानि विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के लिए कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है और लाभांश की राशि से विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है।

(vi) बाद में परिशोधित लागत पर मापे गए ऋणों पर ब्याज व्यय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके मान्य किया जाता है।

(vii) अन्य आय एवं व्यय को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(viii) ₹1,00,000/- तक के पूर्वदत्त व्यय को शुरुआती मान्यता पर व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

5.10 शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

5.11 कार्मिक हितलाभ

(i) परिभाषित अंशदान योजना

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कपंनी के प्रदत्त/देय अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब कार्मिक ऐसी सेवा प्रदान कर चुके होते हैं, जिसके आधार पर वे अंशदान के लिए हकदार बनते हैं।

(ii) परिभाषित हितलाभ योजना

कार्मिको को उपदान तथा सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभों जैसे कि चिकित्सा, आर्थिक पुनर्वास हितलाभ तथा सेवानिवृत्ति के बाद स्थापन भत्ता के लिए कंपनी की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकक मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया जाता है। उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात परिभाषित हित लाभ योजनाओं के पुन: मापन पर बीमांकक अभिलाभ/हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है। पिछले सेवा लागत को लाभ एवं हानि विवरण में योजना संशोधन की अवधि में मान्य किया जाता है।

(iii) अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ

छुट्टी नकदीकरण, सर्विस अवॉर्ड योजना के लिए कंपनी की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकक मूल्यांकन के साथ अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया जाता है। इन बाध्यताओं को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) अल्पावधि कार्मिक हितलाभ

अल्पावधि कार्मिक हितलाभों जैसे कि वेतन एवं मजदूरी को लाभ एवं हानि विवरण में उस सेवा के बदले में भुगतान किए जाने के लिए प्रत्याशित हितलाभों की गैर बट्टाकृत (अनडिस्काउंटिड) पर उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

(v) कार्मिकों को रियायती दर पर ऋण

कार्मिकों को रियायती दर पर प्रदान किए गए ऋणों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणें के आरंभिक उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य में अंतर को ऋण के निर्गम पर आस्थगित कार्मिक लागत के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे ऋण की अपेक्षित शेष अवधि में सीधी रेखा (स्ट्रेट लाइन) के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की अपेक्षित शेष अवधि के परिवर्तन के मामले में परिवर्तन की तारीख को अपरिशोधित आस्थगित कार्मिक लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

5.12 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल होते हैं। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, सिवाय इसके कि जब यह ऐसी मद से संबंधित होता है जो ओसीआई में सीधे इक्विटी में मान्य की जाती है तथा ऐसे मामले में कर को भी ओसीआई में सीधे इक्विटी में मान्य किया जाता है।

(i) वर्तमान कर

वर्तमान कर लागू की गई या सारवान रूप में लागू की गई तथा रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में किसी समायोजन का प्रयोग करके वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन (ऑफसेट) किया जाता है जब मान्य राशि के प्रतितुलन के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय कोई अधिकार होता है और निवल आधार पर परिसंपत्ति एवं देयता का निपटान करने का इरादा होता है।

(ii) आस्थगित कर

वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर को परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशियों तथा कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त समतुल्य कर आधारों के बीच अस्थाई अंतरों पर मान्य किया जाता है। परिसंपत्तियों/देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षित विधि के आधार पर रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या सारवान रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर आस्थगित कर मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन किया जाता है जब देयताओं के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को अलग करने के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार होता है तथा वे समान कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं।

आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों के लिए उस सीमा तक मान्य किया जाता है जहां तक इस बात की संभावना होती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों काप्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को आस्थगित परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है तथा उस सीमा तक घटाया जाता है जहां तक अब ऐसी संभावना नहीं रहती है कि संबंधित कर लाभ वसूल किए जाएंगे।

5.13 पट्टा (लीज़)

पट्टे से संबंधित संविदाओं को मान्य करने, मापन करने तथा प्रस्तुत करने के लिए कंपनी इंड एएस 116 'पट्टा' के सिद्धांतों को लागू करती है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(i) कंपनी पट्टाधारक के रूप में

कंपनी कोई संविदा शुरू करते समय ये आकलन करती है कि क्या संविदा पट्टे पर है या इससे संबंधित है। कोई भी संविदा तभी पट्टे पर या इससे संबंधित होती है जब यह चिन्हित परिसंपत्ति के किसी समयावधि तक, उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार संप्रेषित करती है। यह आकलन करने के लिए कि संविदा चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार संप्रेषित कर रही है या नहीं, कंपनी यह मालूम करती है कि (क) क्या उसे पट्टे की अवधि में परिसंपत्ति के उपयोग से प्राप्त होने वाले सभी आर्थिक लाभ मिल रहे हैं या नहीं, तथा (ख) कि कंपनी के पास चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को निदेशित करने का अधिकार है या नहीं।

कंपनी पट्टा संविदा शुरू करते समय लागत पर राइट ऑफ यूज (आरओयू) परिसंपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्य करती है, केवल 12 महीने से कम अवधि (अल्पावधि) तथा कम मूल्य की परिसंपत्तियों से संबंधित पट्टों को छोड़कर, जो पट्टे की अवधि के दौरान स्ट्रेट-लाइन विधि पर प्रचालन व्यय में आते हैं।

कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टा अवधि से पहले इसे विस्तारित करने या रद्द करने का विकल्प शामिल होता है। राइट ऑफ यूज यानि आरओयू परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं में भी ये विकल्प शामिल होते हैं जब इनके उपयोग को लेकर तर्कसंगत निश्चितता हो।

आरओयू परिसंपत्तियां आरंभ में लागत पर मान्य होती हैं, जो पट्टा देयता की आरंभिक राशि, पट्टा शुरू होने की तिथि पर या पहले किए गए किसी भुगतान या किसी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत से किसी प्राप्त लीज इन्सेंटिव को घटाकर समायोजित किया जाता है। बाद में इनका मापन लागत से किसी संचित ह्रास और क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर किया जाता है। राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियों पर ह्रास का आकलन स्ट्रेट लाइन विधि का उपयोग करते हुए, लागू होने की तिथि से अल्पतर पट्टा अवधि या राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियों के जीवनकाल के आधार पर किया जाता है।

पट्टा देयता आरंभ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के मौजूदा मूल्य की परिशोधित लागत पर मापी जाती है। पट्टा भुगतानों को इसमें शामिल ब्याज दर का उपयोग करते हुए घटाया जाता है या अगर यह तुरंत निर्धारित होने योग्य नहीं हो, तो कंपनी की वृद्धिशील वृद्धि दर का उपयोग किया जाता है।

यदि कंपनी अपने निर्धारण में बदलाव करती है तो पट्टा देयताओं का पुनर्मापन संबंधित राइट ऑफ यूज परिसंपत्ति से संबंधित समतुल्य समायोजन के माध्यम से किया जाता है कि क्या यह एक्सटेंशन या टर्मिनेशन विकल्प का प्रयोग करेगी।

पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति तुलन-पत्र में अलग-अलग प्रस्तुत किए जाते हैं। पट्टा देयता पर ब्याज व्यय राइट ऑफ यूज परिसंपत्ति में किसी ह्रास से अलग, लाभ और हानि विवरणी में वित्तीय लागत के एक घटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टा भुगतानों को वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) कंपनी पट्टाकर्ता के रूप में

वे पट्टे जिनके लिए कंपनी पट्टाकर्ता है, वित्त या प्रचालन पट्टे में वर्गीकृत किए जाते हैं। वे संविदा जिनमें पट्टे से जुड़े सारे जोखिम और लाभ पट्टेदार को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, उन्हें वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्य सभी पट्टे प्रचालन में रखे जाते हैं। प्रचालन पट्टे के लिए किराए से मिलने वाली आय, स्ट्रेट लाइन आधार पर संबंधित पट्टे की अवधि पर मान्य होती है।

वित्त पट्टे के अंतर्गत पट्टेदार से बकाया राशि पट्टे में कंपनी के निवल निवेश की समान राशि पर प्राप्त के रूप में मान्य होती है। पट्टे से होने वाली वित्तीय आय लेखांकन अवधियों में आवंटित कर जाती है ताकि रिपोर्टिंग तिथि पर पट्टे के संदर्भ में कंपनी के निवल निवेश पर रिटर्न की नियत सावधि दर दर्शायी जा सके।

5.14 विदेशी मुद्रा लेन-देन और परिवर्तन

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। विदेशी मुद्रा के लेन-देन को लेन-देन की तारीख को विनिमय दरों का प्रयोग करके कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में वर्णित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके रूपांतरित किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय दर में अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। तथापि, 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व वित्तीय विवरणों में मान्य दीर्घावधि मौद्रिक मदों के लिए विनिमय दर में ऐसे अंतरों को विदेशी मुद्रा की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

5.15 सामान्य नियंत्रण के अधीन व्यवसायों का संयोजन

सामान्य नियंत्रण के अधीन संस्थाओं या व्यवसायों वाला व्यवसाय संयोजन ऐसा व्यवसाय संयोजन है, जिसमें संयोजन की सभी संस्थाएं या व्यवसाय अंततः उसी पक्षकार या पक्षकारों द्वारा व्यवसाय संयोजन के पहले और बाद में भी नियंत्रित होते हैं तथा यह नियंत्रण अस्थायी नहीं होता है।

ब्याज की पूलिंग विधि का प्रयोग करके सामान्य नियंत्रण के अधीन संस्थाओं या व्यवसायों वाले व्यवसाय संयोजनों को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है:

- संयोजक संस्थाओं की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उनकी वहन राशियों को दर्शाया जाता है।
- उचित मूल्यों को दर्शाने या नई परिसंपत्तियों अथवा देयताओं को मान्य करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। केवल

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समायोजन किए जाते हैं।

- पिछली अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में वित्तीय सूचना को ऐसे पुन: वर्णित किया गया है जैसे कि व्यवसाय संयोजन वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती अवधि आरंभ होने से पहले हुआ है, चाहे संयोजन की वास्तविक तिथि जो भी हो।

अंतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित अवधारित अर्जन के शेष को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित तदनुरूपी शेष के साथ जोड़ा गया है। रिजर्व की पहचान को कायम रखा जाता है तथा अंतरणकर्ता के रिजर्व अंतरिती के रिजर्व बन जाते हैं।

जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशि प्लस नकदी या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में किसी अतिरिक्त विवेचन और अंतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि के बीच अंतर, यदि कोई हो, को पूंजी रिजर्व में अंतरित किया जाता है तथा अन्य पूंजी रिजर्व से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

5.16 पिछली अवधि की सारवान त्रुटियां

पिछली अवधि की सारवान त्रुटियों को प्रस्तुत पिछली अवधियों जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों का पुन: वर्णन करके उत्तरभावी प्रभाव से ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत शीघ्रातिशीघ्र अवधि से पहले हुई है तो प्रस्तुत शीघ्रातिशीघ्र अवधि के लिए परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेषों, देयताओं और इक्विटी का पुन: वर्णन किया जाता है।

5.17 लाभांश

अंतिम लाभांशों को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है तथा अंतरिम लाभांशों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है।

5.18 प्रति शेयर अर्जन

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि में वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर प्रति शेयर बुनियादी (बेसिक) अर्जन की गणना की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों के भारित औसत को सभी तनुकृत योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

6. अनुमानों और प्रबंधन के निर्णयों का उपयोग

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से आकस्मिक देयताओं सहित परिसपंत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि के बारे में निर्णय लेने, अनुमान व्यक्त करने तथा धारणाएं अपनाने की आवश्यकता होती है, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट नहीं होती है। अनुमान तथा अंतर्निहित धारणाएं पिछले अनुभव तथा संगत कारकों पर आधारित होती है और सतत् आधार पर इनकी समीक्षा की जाती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

लेखांकन के अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है यदि संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है अथवा संशोधन की अवधि तथा भावी अवधियों में मान्य किया जाता है यदि वर्तमान एवं भावी दोनों अवधियों को प्रभावित करता है।

6.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

एकल वित्तीय विवरणों की समक्ष बढ़ाने के उद्देश्य से, लेखांकन की नीतियों का प्रयोग करने में अनुमान, अनिश्चितता एवं महत्वपूर्ण निर्णयों जिनका एकल वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, के महतवपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना इस प्रकार है:

(i) विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता
कंपनी ने यह बोर्ड संकल्प पारित किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का उसका कोई इरादा नहीं है। तदनुसार, सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि में रिवर्स करना संभव नहीं है। इसलिए कंपनी उक्त आरक्षित निधि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं करती है।

(ii) क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय की गैर-मान्यता
विवेकपूर्ण उपाय के रूप में क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय को उनके प्राप्त होने और/या प्रोद्भवन आधार पर मान्य किया जाता है जब अपेक्षित प्राप्ति बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।

(iii) क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर लेन-देन की लागत का ऋण परिशोधन ऋण
परिशोधन लेन-देन लागत की बकाया राशि क्रेडिट क्षतिग्रस्तता के रूप में ऋण परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर लाभ व हानि के विवरण में क्रेडिट की गई है।

(iv) निवेशों का वर्गीकरण
सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम (जेवी) या सहयोगी में निवेश के रूप में कंपनी में किसी निवेश के वर्गीकरण के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर नियंत्रण के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है।

(क) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) व एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), आरईसी लिमिटेड (आरईसीएल) और पीएफसी के संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में 2009 में निगमित किया गया। जेवी करार के अनुसरण में, संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के सीमा के बगैर लाभांश, मतदान के अधिकारों आदि सहित समान अधिकार एवं विशेषाधिकार हैं जो इंड एएस 110 समेकित वित्तीय

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

विवरणों की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित गतिविधियों की प्रकृति के हैं। इसलिए संयुक्त नियंत्रण की कंपनी होने के नाते ईईसीएल वित्तीय विवरणों के समेकन के उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी मानी गई है।

(ख) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) का प्रबंधन भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार किया जाता है तथा कंपनी में एकपक्षीय रूप में इन यूएमपीपी की संगत गतिविधियों का निर्देशन करने की व्यावहारिक योग्यता नहीं है। अत: उनकी 100 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का धारक होने के बावजूद कंपनी संबंधित यूएमपीपी में अपने निवेश को सहयोगी कंपनियों में निवेश के रूप में मानती है जिनके पास उल्लेखीय प्रभाव है।

(ग) ऋणकर्ता कंपनियों में निवेश मंडल का पद धारण किए गए जाने से या ऋणकर्ता कंपनियों में इक्विटी हिस्सा होने के कारण, पीएफसी द्वारा ऐसी कंपनियों में अधिकार का प्रयोग संरक्षात्मक प्रकृति का है। इस प्रकार, ऋणकर्ता कंपनियां वित्तीय विवरणों के प्रयोजन से सहायक कंपनी के रूप में नहीं मानी जाती।

(v) कम मूल्य परिसंपत्तियां

यदि पट्टेदार इंड एएस 116 'पट्टे' - ऐसे पट्टों के लिए जहां पर मुख्य परिसंपत्ति कम मूल्य की है, की मान्यता और मापन आवश्यकताओं के लिए आवेदन न देने का विकल्प देता है, तो आकलन आवश्यक होता है और महत्व की संकल्पना कम मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन से कंपनी ने परिसंपत्तियों की प्रकृति पर विचार किया है, में जैसा कि इंड एएस 1 'वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना' में और इंड एएस की संकल्पना के फ्रेमवर्क में, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है, उल्लेख किया गया है।

(vi) विविध देयताएं - ब्याज पूंजीकरण

वित्तपोषित ब्याज सावधि ऋण (एफ आई टी एल)/ ऋण/ इक्विटी लिखतों, जो संकल्प के तहत अर्जित की गई है, के लिए क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर अप्राप्त आय एक अलग खाते 'विविध देयता (ब्याज पूंजीकरण)' में अंतरित की गई है और इसे एफआईटीएल के पुनर्गठन पर लाभ व हानि विवरण अथवा ऋण/इक्विटी लिखतों की बिक्री/मोचन में मान्य किया गया है।

(vii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता हानि छूट के लिए संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता हानि छूट की गणना के उद्देश्य से संकेतकों की व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए अनेक बाहरी और आंतरिक कारकों का जिनके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में कमी हो सकती है, का मूल्यांकन जरूरी है। कंपनी उपलब्ध सूचना के आधार पर क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) और चूक की पहचान करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

6.2 पूर्वानुमान एवं अनुमान अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

अनुमानों और पूर्वानुमानों के बारे में जानकारी, जिनका परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, निम्नानुसार है:

(i) परिभाषित हितलाभ बाध्यता (डीबीओ)

डीबीओ के बारे में कंपनी का अनुमान अनेक अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित होता है जैसे कि मुद्रास्फीति की मानक दरें, नश्वरता, डिस्काउंट दर तथा भावी वेतन वृद्धि के पूर्वानुमान। इन मान्यताओं में विचलन से डीबीओ की राशि तथा वार्षिक परिभाषित हितलाभ व्यय महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो सकता है, जैसा टिप्पणी 44 में वर्णित है।

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता जांच (अपेक्षित क्रेडिट हानि)

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति के लिए क्षतिग्रस्तता हानि छूट के मापन के लिए सांख्यिकीय मॉडलों, भावी आर्थिक स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण धारणाओं तथा क्रेडिट व्यवहार (उदाहरण के लिए, क्रेडिट जोखिम स्कोरिंग के लिए प्रयुक्त इनपुट और भार ऋणकर्ताओं द्वारा चूक किए जाने की संभावना तथा परिणामी हानियों) के प्रयोग की आवश्यकता होती है। क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों से वसूल किए जाने के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुमान में कंपनी ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति, परियोजना की वर्तमान स्थिति, प्रतिभूतियों/कोलेटरल से निवल वसूली योग्य आदि के बारे में निर्णय लेती है।

ये अनुमान विभिन्न धारणाओं पर आधारित होते हैं, वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं जिससे क्षतिग्रस्तता हानि छूट में परिवर्तन हो सकते हैं। उल्लिखित विवरण के लिए टिप्पणी 40.1 देखें।

(iii) उचित मूल्य का मापन

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। कंपनी उचित मूल्य के मापन के लिए मूल्यांकन की उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करती है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाते समय कंपनी उद्धृत मूल्यों तथा बाजार - पालनीय डाटा का उस हद तक प्रयोग करती है जिस हद तक यह उपलब्ध होता है। इसके उपलब्ध न होने की स्थिति में, परिसंपत्तियों/देयताओं के उचित मूल्य की गणना के लिए अपालनीय इनपुट का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न परिसंपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों एवं इनपुट के बारे में सूचना का प्रकटीकरण नीचे टिप्पणी 42 में किया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(iv) आयकर

कर की अनिश्चित स्थितियों के लिए भुगतान करने/प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राशि सहित आयकर के लिए प्रावधान के निर्धारण में अनुमान शामिल होते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदत्ता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। कृपया विवरण के लिए टिप्पणी 37 देखें।

(v) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

कंपनी, परिसंपत्तियों की उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ह्रास योग्य/अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के अपने अनुमान की समीक्षा करती है। इन अनुमानों के संबंध में अनिश्चितताएं तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित हैं जो परिसपंत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है। पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल और वहन मूल्यों संबंधी विवरण के लिए कृपया टिप्पणी 14 देखें।

(vi) वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का प्रभाव

वर्तमान में, कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का अधिक प्रभाव नहीं है। तथापि, कोविड-19 महामारी का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कितना प्रभाव होना, यह एक महामारी की अवधि और विद्युत क्षेत्र तथा एनबीएफसी पर के लिए सरकार और नियामक निकायों द्वारा आगे की गई कार्रवाई के संबंध में भावी कार्रवाई पर निर्भर करेगा। कंपनी भविष्य की अनिश्चितता की स्थिति में बदलाव और वित्तीय विवरणों पर इसके संभावित प्रभाव से उत्पन्न महत्वपूर्ण की गहन मॉनीटरिंग भी करेगी।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

7. नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i)	बैंकों में शेष (नकदी और नकदी समतुल्य की प्रकृति के)		
	- चालू खाते में	699.48	182.52
	- सावधि जमा खाते में	3,018.14	-
(ii)	डाक व्यय एवं इम्प्रेस्ट सहित उपलब्ध चेक ड्राफ्ट	0.00	0.00
	कुल नकदी और नकदी समतुल्य	**3,717.62**	**182.52**

7.1 उच्च गुणवत्ता लिक्विडिटी परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) के संबंध में टिप्पणी 55.6 देखें।

8. नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i)	**बैंकों में निम्नलिखित के लिए निर्दिष्ट शेष**		
	- सावधि जमा खाते (टिप्पणी 8.2 देखें)	683.32	-
	- अदत्त लाभांश	3.90	3.48
	- अदत्त बॉण्ड/बाण्डों पर ब्याज इत्यादि	146.36	12.99
	- आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि	211.00	0.00
	नकदी और नकदी समतुलय में शामिल से भिन्न कुल बैंक शेष	**1,044.58**	**16.47**

8.1 उपयुक्त रिपोर्टिंग अवधियों के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न कुल बैंक शेष के संदर्भ में प्रत्यावर्तन संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है।

8.2 कंपनी के टिप्पणी 18 के तहत बताई गई इन सावधि जमा राशियों के लिए ऋण लिया है।

8.3 निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा कराये जाने के लिए कोई राशि बकाया नहीं है।

9. डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

कंपनी मुद्रा और ब्याज कर जोखिम से बचाव के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करती है। ये डेरिवेटिव लेन-देन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, व्यापार या सट्टेबाजी उद्देश्यों के लिए नहीं।

भाग - I

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार			31.03.2020 की स्थिति के अनुसार		
		अनुमानित राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं	अनुमानित राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं
(i)	**मुद्रा डेरिवेटिव**						
	- स्पॉट और फॉरवर्ड	2,417.38	5.33	40.53	5,371.88	182.87	20.23
	- करेंसी स्वैप	11,760.75	936.99		12,061.74	1,400.21	-
	- विकल्प	7,717.99		51.92	-	-	-
	कुल मुद्रा डेरिवेटिव	**21,896.12**	**942.32**	**92.45**	**17,433.62**	**1,583.08**	**20.23**
(ii)	**ब्याज दर डेरिवेटिव**						
	- फॉरवर्ड दर करार और ब्याज दर स्वैप	18,585.59	309.13	401.59	17,517.14	280.34	579.59
	कुल ब्याज दर डेरिवेटिव	**18,585.59**	**309.13**	**401.59**	**17,517.14**	**280.34**	**579.59**
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i+ii)	**40,481.71**	**1,251.45**	**494.04**	**34,950.76**	**1,863.42**	**599.8**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

भाग - II

उपर्युक्त (भाग ख) में वे डेरिवेटिव शामिल हैं जो निम्नानुसार हेजिंग और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए रखे गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार			31.03.2020 की स्थिति के अनुसार		
		अनुमानित राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं	अनुमानित राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं
(i)	**नकदी प्रवाह हेजिंग (निर्दिष्ट)**						
	- मुद्रा डेरिवेटिव	13,689.45	198.77	51.92	6,030.87	428.11	-
	- ब्याज दर डेरिवेटिव	8,453.04	4.10	178.32	3,769.30	-	233.57
	कुल नकदी प्रवाह हेजिंग (निर्दिष्ट)	**22,142.49**	**202.87**	**230.24**	**9,800.17**	**428.11**	**233.57**
(ii)	**अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव**	18,339.22	1,048.58	263.80	25,150.59	1,435.31	366.25
	कुल अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव	**18,339.22**	**1,048.58**	**263.80**	**25,150.59**	**1,435.31**	**366.25**
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i)+(ii)	**40,481.71**	**1,251.45**	**494.04**	**34,950.76**	**1,863.42**	**599.82**

9.1 फॉरवर्ड दर करार/ब्याज दर स्वैप का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
(i)	स्वैप करारों का अनुमानिक मूलधन	18,585.59	17,517.14
(ii)	संविदा के अंतर्गत प्रतिपक्षों के अपने दायित्व पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में होने वाली हानियां	309.13	280.34
(iii)	स्वैप में प्रवेश के लिए एन बी एफ सी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	-	-
(iv)	स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	संदर्भ टिप्पणी (क) नीचे देखें	
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य (प्रतिपक्षी बैंकों से प्राप्त)	(92.46)	(299.25)

(क) कंपनी ने आर बी आई के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल श्रेणी-। अधिकृत डीलर बैंकों (पी एस यू बैंक, निजी भारतीय बैंक व विदेशी बैंक के साथ स्वैप संविदा में प्रवेश किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार बोर्ड से अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में विनिर्दिष्ट ऋण जोखिम सीमा में हैं।

9.2 फॉरवर्ड दर करारों/ब्याज दर स्वैप की प्रकृति और शर्तों का ब्यौरा

बैंच मार्क	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	शर्तें
	अनुमानित मूलधन (₹ करोड़ में)		
जी-एसईसी दर	3,149.60	4,324.60	निर्धारित प्राप्य राशि बनाम फ्लोटिंग देय राशि
यूएसबी - एलआईबीओआर	15,435.99	13,192.54	निर्धारित देय राशि बनाम फ्लोटिंग प्राप्य राशि
कुल	**18,585.59**	**17,517.14**	

9.3 31.03.2021 (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार शून्य) की स्थिति कंपनी के पास कोई विनिमय व्यापार डेरिवेटिव नहीं है।

9.4 डेरिवेटिव में जोखिम स्पष्टीकरण के संबंध में मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि)				
	हेजिंग(ख) और (ग) के लिए	21,896.12	18,585.59(क)	17,433.62	17,517.14(क)
(ii)	बाजार की स्थिति के अनुसार निर्दिष्ट (एमटीएम)				
	क) परिसंपत्ति (+ एमटीएम)(ग)	942.33	309.13	1,583.08	280.34
	ख) देयता (- एमटीएम)	92.45	401.59	20.23	579.59
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	2,938.49	489.54	3,064.32	457.34
(iv)	अनहेज एक्सपोजर (ख)	29,254.48	3,444.15	31,232.11	6,522.56

(क) ब्याज दर डेरिवेटिव में 31.03.2021 को ₹3,149.60 करोड़ की देयताओं पर डेरिवेटिव्स शामिल (31.03.2020 को ₹4,324.60 करोड़)

(ख) 31.03.2021 को ₹940.86 करोड़ के लिए एक चरण (यू एस डी/आई एन आर) की अग्रिम दर संविदा हेज्ड जेपीवाई ऋण देयता शामिल (31.03.2020 को ₹964.94 करोड़ यूएसडी/आईएनआर को शामिल करते हुए)

(ग) इसमें ₹0.56 करोड़ रुपए के सकारात्मक एमटीएम के साथ ब्याज भुगतान के निमित्त ₹373.95 करोड़ (विगत वर्ष में शून्य) के बराबर 51 मिलियन यूएसडी के मुद्रा डेरिवेटिस शामिल हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

9.5 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए क्रमशः टिप्पणी 40.3 एवं 40.4 देखें और हेज लेखांकन से शर्तों के संबंधित स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणी 41 देखें।

10. ऋण

कंपनी ने सभी ऋणों को इंड एएस 109 'वित्तीय लिखतों' की अपेक्षानुसार परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है केवल नीचे दिए गए 'पट्टाकरण' को छोड़कर, जो इंड एएस 116 के अनुसार मापा जाता है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
(क)	**ऋणकर्ताओं को ऋण***		
(i)	- रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)	3,60,970.56	3,31,444.41
(ii)	- विदेशी मुद्रा ऋण	240.99	240.99
(iii)	- क्रेता लाइन ऑफ क्रेडिट	2,185.02	2,031.28
(iv)	- कार्यशील पूंजी ऋण	6,662.81	10,520.04
(v)	- पट्टाकरण (टिप्पणी 10.2 देखें)	223.77	223.77
(vi)	- चूक भुगतान गारंटी के लिए प्राप्य	487.84	444.09
(vii)	- ऋण पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	5,242.46	4,945.14
(viii)	- ऋण पर प्रोद्भूत परंतु देय ब्याज	736.65	147.66
(ix)	- ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	(84.58)	(101.22)
	ऋणकर्ताओं को कुल ऋण*	**3,76,665.52**	**3,49,896.16**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(16,540.75)	(15,783.56)
	ऋणकर्ताओं को निवल ऋण*	**3,60,124.77**	**3,34,112.60**
(ख)	**प्रतिभूति-वार वर्गीकरण**		
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	1,95,117.87	2,17,212.02
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
(iii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा आवृत	1,14,251.00	73,667.83
(iv)	अप्रतिभूत	67,296.65	59,016.31
	सकल प्रतिभूति-वार वर्गीकरण	**3,76,665.52**	**3,49,896.16**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(16,540.75)	(15,783.56)
	निवल प्रतिभूति-वार वर्गीकरण	**3,60,124.77**	**3,34,112.60**
(ग)	**I भारत में ऋण**		
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	3,16,893.92	2,92,140.85
(ii)	निजी क्षेत्र	59,771.60	57,755.31
	भारत में सकल ऋण	**3,76,665.52**	**3,49,896.16**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(16,540.75)	(15,783.56)
	भारत में निवल ऋण	**3,60,124.77**	**3,34,112.60**
(ग)	**II भारत से बाहर ऋण**	-	-
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-
	भारत से बाहर निवल ऋण	**-**	**-**
	भारत में और भारत से बाहर निवल ऋण	**3,60,124.77**	**3,34,112.60**

* प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋणों के ब्यौरे के लिए टिप्पणियां 17.9, 17.10, 17.11 और 18.11 को देखें।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

10.1 वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋणकर्ताओं को 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार शेष की पुष्टि के लिए पत्र भेजें हैं, सिवाय उस स्थिति के जहां ऋण अदालत/एन सी एल टी के समक्ष प्रत्याहि/लंबित हैं।

उपरोक्त शेषों के बारे में 98.94 प्रतिशत की पुष्टि मिल गई है। 3752.05 करोड़ रु. के जिन शेष ऋणों के बारे में पुष्टि नहीं मिली है उनमें से 20.99 प्रतिशत ऋण मूर्त प्रतिभूतियों से संरक्षित हैं, 78.24 प्रतिशत सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण से और 0.77 प्रतिशत अप्रतिभूत ऋण है।

10.2 पट्टा परिसंपत्तियों से संबंधित ब्यौरा

पट्टा परिसंपत्तियों में सकल निवेश और रिपोर्टिंग तारीख पर प्राप्य न्यूनतम मूल्य का मौजूदा मूल्य और अनार्जित वित्तीय आय मूल्य नीचे की तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण(क)		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार(घ)	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
(i)	कुल प्राप्य छूटरहित पट्टा भुगतान (सकल निवेश)(ख)	254.33	280.04
(ii)	वसूली योग्य पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य(ग)	223.77	223.77
	कुल अनार्जित वित्तीय आय (i-ii)(ख)	**30.56**	**56.27**
	कुल वसूली योग्य भावी अंडिस्काउंटिड पट्टा भुगतान (सकल निवेश):		
	0-1 वर्ष	25.70	25.70
	1-2 वर्ष	25.70	25.70
	2-3 वर्ष	25.70	25.70
	3-4 वर्ष	25.70	25.70
	4-5 वर्ष	25.70	25.70
	5 वर्ष के बाद	125.83	151.54
	कुल सकल निवेश	**254.33**	**280.04**

(क) विंड टर्बाइन जनरेटर के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वित्त पट्टा लीज किराया दिनांक 01.01.2012 से 25 वर्ष की अवधि में वसूला जाना है, जिसमें 18 वर्ष प्राथमिक अवधि और अधिकतम 07 वर्ष द्वितीयक अवधि है। यह खाता दिनांक 03.10.2017 से क्रेडिट क्षतिग्रस्त है।
(ख) दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार ₹63.29 करोड़ के अतिदेय ब्याज को छोड़कर (विगत वर्ष में ₹48.82 करोड़)
(ग) दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार ₹39.52 करोड़ के अतिदेय ब्याज सहित (विगत वर्ष में ₹28.28 करोड़)
(घ) वर्ष के दौरान कंपनी ने पट्टेदार आर एस इंडिया विंड एनर्जी प्रा. लि. के साथ एकबारगी समाधान (ओटीएस) किया है जिसमें समाधान की राशि किस्तों में प्राप्त की जानी है अंतिम किस्त जून 2021 में देय है । समाधान के तहत दिनांक 31.3.2021 तक प्राप्त राशि अभी ओटीएस योजना में विनिर्दिष्ट इस शर्त को देखते हुए विनियोजित की जानी है कि यदि पट्टेदार किसी किस्त का भुगतान करने में चूक करता है तो इस प्रकार से एकत्रित राशि जब्त हो जाएगी और पट्टा करार के तहत ऋणदाता का बकाया ऋण के निपटान के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

10.3 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(i) वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी प्रतिभूतिकरण लेन-देन नहीं किया है और दिनांक 31 मार्च, 2021 को प्रतिभूतिकरण से संबंधित कोई स्पष्टीकरण नहीं है (31.03.2020 को शून्य)।

(ii) कंपनी ने 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी को ऋण सौंपने की एकबारगी निपटान योजना नहीं की है (31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी को ₹1,917.44 करोड़ के मूल बकाया के ऋण आवंटन के लिए एक बार समायोजन योजना की थी)।

(iii) 31 मार्च, 2021 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई आवंटन लेन-देन नहीं किया।

(iv) 31 मार्च, 2021 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने अन्य एनबीएफसी से न तो कोई गैर-निष्पादक वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद की और न ही कुछ बिक्री की ।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

10.4 वर्ष के दौरान कार्यात्मक समाधान योजना का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ऋणकर्ता का नाम	समाधान योजना का ब्यौरा	समाधान से पूर्व बकाया मूलधन	समाधान की तिथि तक प्रदान किया गया क्षतिग्रस्तता छूट	निवेशकों पर क्षतिग्रस्तता सहित बट्टे खाते की राशि	समाधान योजना के तहत पीएफसी द्वारा प्राप्त लिखतें*
1	एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	स्वामित्व में परिवर्तन के बिना पुनर्गठन	438.20	13.15	57.63	पुनर्गठन के बाद ऋणकर्ता कंपनी के वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी)
2	सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड	स्वामित्व में परिवर्तन के बिना पुनर्गठन	915.11	518.62	448.23	पुनर्गठन के बाद ऋणकर्ता कंपनी के इक्विटी शेष वैकल्पिक परिवर्तनीय (डिबेंचर (ओसीडी) और ऋणकर्ता समूह कंपनी के अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (सीसीपीएस)
3	आर के एम पावरजेन प्रा. लिमिटेड	स्वामित्व में परिवर्तन के बिना पुनर्गठन	5,104.75	2,130.90	2,001.76	पुनर्गठन के बाद ऋणकर्ता कंपनी के इक्विटी शेयर और वैकल्पिक परिवर्तन डिबेंचर (ओसीडी)
4	रत्नागिरि गैस एंड पावर प्रा. लिमिटेड	समग्र संकल्प एकबारगी सहित योजना समझौता	207.05	66.59	66.59	शून्य
5	जल पावर कोर्पोरेशन लिमिटेड	एकबारगी समाधान	386.23	287.99	286.39	शून्य
	कुल		**7,051.34**	**3,017.25**	**2,860.60**	

* समाधान योजना के तहत प्राप्त लिखतों के अधिक ब्यौरों के लिए टिप्पणी 11 देखें ।

10.5 उपरोक्त समाधानों के अलावा कंपनी ने ₹76.63 करोड़ के ब्याज ऋण वाली ऋणकर्ता कृष्णा गोदावरी पावर यूटिलिटी लिमि. के साथ एकबारगी समाधान (ओटीएस) भी किया है। माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकार (एनसीएलटी) द्वारा पारित समाधान योजना के अनुमोदन के अनुसरण में समाधान राशि किस्तों में प्राप्त हो रही है। दिनांक 31.03.2021 तक समाधान के तहत प्राप्त राशि, समाधान योजना में विनिर्दिष्ट शर्तों को देखते हुए अभी अनुमोदित की जानी है।

10.6 कंपनी द्वारा क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर और प्रबंधन के ब्यौरे के लिए टिप्पणी 40.1 देखें।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

11. निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार					
		परिशोधित लागत(1)	एफ़वीटीओसीआई में नामित(2)	एफ़वीटीपीएल(3)	उप-योग(4)=(2)+(3)	अन्य*(5)	कुल(1)+(4)+(5)
(क)	**निवेश**						
(i)	ऋण प्रतिभूतियां			-	-		-
(ii)	इक्विटी लिखत						
	- सहायक कंपनियाँ				-	14,500.65	14,500.65
	- संयुक्त उद्यम				-	245.50	245.50
	- सहयोगी कंपनियाँ				-	0.75	0.75
	- अन्य		842.03	59.96	901.99		901.99
(iii)	अधिमानी शेयर	76.99		96.19	96.19		173.18
(iv)	डिबेंचर			151.63	151.63		151.63
(v)	अन्य		-		-		-
	कुल निवेश	**76.99**	**842.03**	**307.78**	**1,149.81**	**14,746.90**	**15,973.70**
(ख)	**भूगोल-वार निवेश**						
(i)	भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii)	भारत में निवेश	76.99	842.03	307.78	1,149.81	14,746.90	15,973.70
	सकल भूगोल-वार निवेश	**76.99**	**842.03**	**307.78**	**1,149.81**	**14,746.90**	**15,973.70**
	घटाएँ: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-	-	-	(0.20)	(0.20)
	निवल भूगोल-वार निवेश	**76.99**	**842.03**	**307.78**	**1,149.81**	**14,746.70**	**15,973.50**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार					
		परिशोधित लागत(1)	एफ़वीटीओसीआई में नामित(2)	एफ़वीटीपीएल(3)	उप-योग(4)=(2)+(3)	अन्य*(5)	कुल(1)+(4)+(5)
(क)	**निवेश**						
(i)	ऋण प्रतिभूतियां			810.05	810.05		810.05
(ii)	इक्विटी लिखत						
	- सहायक कंपनियाँ				-	14,500.70	14,500.70
	- संयुक्त उद्यम				-	245.50	245.50
	- सहयोगी कंपनियाँ				-	0.75	0.75
	- अन्य		709.85	31.74	741.59		741.59
(iii)	अधिमानी शेयर	68.28		100.58	100.58		168.86
(iv)	डिबेंचर			-	-		-
(v)	अन्य		6.12		6.12		6.12
	कुल निवेश	**68.28**	**715.97**	**942.37**	**1,658.34**	**14,746.95**	**16,473.57**
(ख)	**भूगोल-वार निवेश**						
(i)	भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii)	भारत में निवेश	68.28	715.97	942.37	1,658.34	14,746.95	16,473.57
	सकल भूगोल-वार निवेश	**68.28**	**715.97**	**942.37**	**1,658.34**	**14,746.95**	**16,473.57**
	घटाएँ: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-	-	-	(0.25)	(0.25)
	निवल भूगोल-वार निवेश	**68.28**	**715.97**	**942.37**	**1,658.34**	**14,746.70**	**16,473.32**

* अन्य में सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश शामिल है जिन्हें इंड एएस27 'अलग वित्तीय विवरण' के प्रावधानों के अनुसार लागत में किया गया है।
एफ़वीटीओसीआई -अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य-लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

निवेशों का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	निम्न पर मापित	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
			संख्या	अंकित मूल्य(₹)	राशि	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि
(i)	**ऋण प्रतिभूतियां**							
	- 10.95%यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाश्वत बॉण्ड -उद्धृत	एफ़वीपीटीएल	-	-	-	8,000	10,00,000	810.05
(ii)	**इक्विटी लिखत**							
	सहायक कंपनियाँ							
	- आरईसी लि - उद्धृत	लागत	1,03,94,95,247	10	14,500.50	1,03,94,95,247	10	14,500.50
	- पीएफ़सी कंसल्टिंग लि.- अनुद्धृत	लागत	52,246	10	0.15	52,246	10	0.15
	- पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लि - अनुद्धृत (टिप्पणी 11.3 देखें)	लागत	-	-	-	50,000	10	0.05
	संयुक्त उद्यम							
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड -अनुद्धृत	लागत	24,55,00,000	10	245.50	24,55,00,000	10	245.50
	सहयोगी कंपनियाँ							
	- अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए कंपनियां (15 कंपनियों में से प्रत्येक के लिए संख्या और अंकित मूल्य) - अनुद्धृत (टिप्पणी 11.2 देखें)	लागत	50,000	10	0.75	50,000	10	0.75
	अन्य							
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड - उद्धृत	नामित - एफ़वीटीओसीआई	1,20,00,000	10	93.30	1,20,00,000	10	46.50
	- कोल इंडिया लिमिटेड- उद्धृत	नामित - एफ़वीटीओसीआई	1,39,64,530	10	182.03	1,39,64,530	10	195.57
	- एनएचपीसी लिमिटेड- उद्धृत (टिप्पणी 11.4 देखें)	नामित - एफ़वीटीओसीआई	21,44,73,240	10	524.39	23,44,73,240	10	467.78
	- पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड - अनुद्धृत	नामित - एफ़वीटीओसीआई	32,20,000	10	-	32,20,000	10	-
	- सुज्लोन एनर्जी लिमिटेड - उद्धृत (टिप्पणी 10.4 देखें)	नामित - एफ़वीटीओसीआई	8,46,15,798	2	42.31	-	-	-
	- रत्तनइंडिया पावर लिमिटेड - उद्धृत	एफ़वीटीपीएल	23,51,27,715	10	59.96	23,51,27,715	10	31.74
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड- अनुद्धृत (टिप्पणी 10.4 देखें)	एफ़वीटीपीएल	40,39,15,920	1	0.00	-	-	-
(iii)	**अधिमानी शेयर- अनुद्धृत**							
	- रायपुर एनरजेन लिमिटेड - आरपीएस	परिशोधित लागत	59,82,371	100	10.35	59,82,371	100	9.29
	- रत्नागिरी गैस एवं पावर प्राइवेट लि-सीआरपीएस (पिछले वर्ष में 1 रुपए का मूल्य)	परिशोधित लागत	-	-	-	15,24,88,000	10	0.00
	- रत्तनइंडिया पावर लिमिटेड आरपीएस	परिशोधित लागत	7,29,49,786	10	66.64	7,29,49,786	10	58.99
	- रत्तनइंडिया पावर लिमिटेड - ओसीसीआरपीएस (टिप्पणी 42 (iii) देखें)	एफ़वीटीपीएल	10,99,93,397	10	96.19	10,99,93,397	10	100.58
	- सुज्लोन ग्लोबल सर्विसिज लिमिटेड -सीसीपीएस (टिप्पणी 10.4 देखें)	एफ़वीटीपीएल	38,161	1,00,000	-	-	-	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	निम्न पर मापित	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
			संख्या	अंकित मूल्य(₹)	राशि	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि
(iv)	**डिबेंचर - अनुद्धृत (42 (iii) देखें)**							
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - शृंखला 1 - ओसीडी - (टिप्पणी 10.4 देखें)	एफ़वीटीपीएल	9,00,92,774	10	40.88	-	-	-
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - शृंखला 2 - ओसीडी - (टिप्पणी 10.4 देखें)	एफ़वीटीपीएल	3,62,88,085	10	16.47	-	-	-
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - शृंखला 3 - ओसीडी - (टिप्पणी 10.4 देखें)	एफ़वीटीपीएल	68,79,504	10	0.00	-	-	-
	- सुज्लोन एनर्जी लिमिटेड - ओसीडी (टिप्पणी10.4 देखें)	एफ़वीटीपीएल	34,791	1,00,000	94.28	-	-	-
	- आरकेएम पावरजेन प्रा लि - शृंखला ए - ओसीडी (टिप्पणी 10.4 देखें)	एफ़वीटीपीएल	41,93,96,250	100	0.00	-	-	-
	- आरकेएम पावरजेन प्रा. लि - शृंखला बी - ओसीडी (टिप्पणी 10.4 देखें)	एफ़वीटीपीएल	1,34,71,484	100	0.00	-	-	-
	- आरकेएम पावरजेन प्रा लि - शृंखला एआई - ओसीडी (टिप्पणी 10.4 देखें)	एफ़वीटीपीएल	2,32,72,410	100	0.00	-	-	-
(v)	**अन्य**							
	- 'स्माल इज ब्युटीफूल' फंड की यूनिटें - अनुद्धृत	नामित - एफ़वीटीओसीआई	61,52,200	10	-	61,52,200	10	6.12
	कुल निवेश				**15,973.70**			**16,473.57**
	घटाएँ: क्षतिग्रस्तता (टिप्पणी 11.1 देखें)				(0.20)			(0.25)
	निवल निवेश				**15,973.50**			**16,473.32**

आरपीएस - मोचनीय अधिमानी शेयर, सीआरपीएस - संचयी मोचनीय अधिमानी शेयर, ओसीसीआरपीएस - विकल्पतः परिवर्तनीय संचयी मोचनीय अधिमानी शेयर, सीसीपीएस - अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयर, ओसीडी- विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचर

11.1 निवेशों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
प्रारंभिक शेष	0.25	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य की गई क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	0.25
घटाएँ: वर्ष के दौरान अधिक क्षतिग्रस्तता हानि छूट का रिवर्सल (टिप्पणी 11.3 देखें)	0.05	-
अंतिम शेष	**0.20**	**0.25**

11.2 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में निवेश का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निवेशक कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रधान स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्व अधिकार का अनुपात	
			31.03.2021	31.03.2020
क.	**सहायक कंपनियाँ:**			
(i)	आरईसी लिमिटेड	भारत	52.63%	52.63%
(ii)	पीएफ़सी कंसल्टिंग लिमिटेड	भारत	100%	100%
(iii)	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (टिप्पणी 11.3 देखें)	भारत	-	100%
ख.	**संयुक्त उद्यम:**			
(i)	एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसिज लिमिटेड	भारत	24.97%	24.97%

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

क्र. सं.	निवेशक कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रधान स्थान/निगमन का देश	स्वामित्व अधिकार का अनुपात	
			31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
ग.	**सहयोगी कंपनियां*:**			
(i)	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड$	भारत	100%	100%
(ii)	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(iii)	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड^	भारत	100%	100%
(iv)	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(v)	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड$	भारत	100%	100%
(vi)	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%
(vii)	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%
(viii)	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड$	भारत	100%	100%
(ix)	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(x)	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xi)	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xii)	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xiii)	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xiv)	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%
(xv)	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	भारत	100%	100%

* 31.03.2021 और 31.03.2020 को प्रत्येक सहयोगी कंपनी में निवेश ₹0.05 करोड़ है। ये सहयोगी कंपनियां बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोलीदाताओं को सौंपने के इरादे से अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास के लिए भारत सरकार से अधिदेश के अंतर्गत एसपीवी के रूप में निगमित कंपनियां हैं।

$ हटा देने की प्रक्रिया के अधीन

^ समापन की प्रक्रिया के अधीन

11.3 पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम कंपनी रजिस्ट्रार से हटा दिया गया है और उक्त सहायक कंपनी को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 30.06.2020 के नोटिस सं.- आरओसी/दिल्ली/248(2)/एसटीके-7/10148 के माध्यम से भंग कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी ने ₹0.05 करोड़ के अपने इक्विटी निवेश को बट्टे खाते में डाल दिया है और उक्त सहायक कंपनी में धारित निवेश के संदर्भ में ₹0.05 करोड़ के संचयी क्षतिग्रस्तता हानि छूट को वापस कर दिया है।

11.4 प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी ने अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया, बाद में कुछ इक्विटी लिखतों में निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन किया। कंपनी का मुख्य प्रचालन विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ एवं हानि के एकल विवरण को सुरक्षित करने के लिए प्रबंधन का यह विश्वास है कि एफवीटीपीएल पर उनके वर्गीकरण की तुलना में एफवीटीओसीआई वर्गीकरण अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान विमान्य किए गए एफवीटीओसीआई लिखतों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

निवेश का विवरण	विमान्य किए गए शेयरों की संख्या	विमान्यता की तारीख तक उचित मूल्य	विमान्यता पर संचयी लाभ/(हानि)
वित्तीय वर्ष 2020-21			
एनएचपीसी लिमिटेड*	2,00,00,000	50.54	6.98
कुल			**6.98**
वित्तीय वर्ष 2019-20			
एनएचपीसी लिमिटेड*	1,00,00,000	26.33	4.55
जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड	27,50,00,000	-	(254.51)
श्री महेश्वर हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएमएचपीसीएल)	13,18,46,779	-	-
कुल			**(249.96)**

* ये इक्विटी शेयर बाजार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान ट्रांच में बेचे गए। विमान्यता की संबंधित तारीख को मूल्य के आधार पर उचित मूल्य एवं लाभ की गणना की गई है तथा सकल आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

ऐसे निवेशों की मान्यता रद्द करने के बाद, कंपनी ने वर्ष के दौरान इक्विटी के भीतर ऐसे शेयरों पर संचयी लाभ/हानि (ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिजर्व से प्रतिधारित आय में) को स्थानांतरित कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए इक्विटी में परिवर्तन का एकल विवरण देखें।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

11.5 निवेशों के उचित मूल्यांकन के विवरण के लिए टिप्पणी 42 देखें।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एएस 109 'वित्तीय चुकता' की अपेक्षाओं के अनुरूप में परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(i)	भारत सरकार के चुकता बॉण्डों के कारण वसूलीयोग्य	5,038.21	5,038.72
(ii)	सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों को अग्रिम*	169.09	155.05
(iii)	कार्मिकों को अग्रिम	0.51	0.60
(iv)	कार्मिकों को ऋण	99.29	93.11
(v)	अन्य	52.13	72.05
	घटाएं: अन्य पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(22.46)	(20.41)
	कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**5,336.77**	**5,339.12**

* नकदी में वसूलीयोग्य

12.1 केएमपी को ऋण और अग्रिम का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
	केएमपी को ऋण और अग्रिम (अर्जित ब्याज सहित)	0.57	0.51

12.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
	प्रारंभिक शेष	20.41	10.30
	जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजन	4.92	12.22
	घटाएं: वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	(2.87)	(2.11)
	अंतिम शेष	**22.46**	**20.41**

13. वर्तमान कर परिसंपत्तियां/देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(i)	अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	197.20	461.93
(ii)	विवाद के अधीन आयकर मांग पर जमा किया गया कर	63.44	189.38
	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	**260.64**	**651.31**
(i)	अग्रिम कर को घटाकर आयकर निवल के लिए प्रावधान	43.24	-
(ii)	विवाद के अधीन आयकर मांग के लिए प्रावधान	-	0.11
	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	**43.24**	**0.11**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

14. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण							अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	भवन	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहन	कुल	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल वहन राशि								
01.04.2019 तक प्रारंभिक शेष	**3.38**	**24.92**	**16.35**	**17.60**	**11.15**	**0.09**	**73.49**	**9.47**
परिवर्धन/समायोजन	-	-	3.30	5.13	3.85	0.03	12.31	0.81
कटौतियां/समायोजन	-	-	1.78	1.63	0.46	-	3.87	-
31.03.2020 को अंतिम शेष	**3.38**	**24.92**	**17.87**	**21.10**	**14.54**	**0.12**	**81.93**	**10.28**
बढ़ोतरी/समायोजन	-	-	7.70	6.75	3.18	-	17.63	0.10
कटौतियां/समायोजन	-	-	3.09	1.87	0.57	-	5.53	-
31.03.2021 तक अंतिम शेष	**3.38**	**24.92**	**22.48**	**25.98**	**17.15**	**0.12**	**94.03**	**10.38**
संचित मूल्यहास/परिशोधन								
01.04.2019 तक प्रारंभिक शेष	**-**	**11.79**	**12.99**	**13.07**	**7.83**	**0.08**	**45.76**	**8.88**
अवधि के लिए	-	0.64	2.18	3.45	1.38	0.01	7.66	0.99
बेची गई/बही से बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर	-	-	1.51	1.21	0.12	-	2.84	-
31.03.2020 को अंतिम शेष	**-**	**12.43**	**13.66**	**15.31**	**9.09**	**0.09**	**50.58**	**9.87**
अवधि के लिए	-	0.61	3.47	4.60	1.76	0.01	10.45	0.27
बेची गई/बही से बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर	-	-	2.52	1.53	0.16	-	4.21	-
31.03.2021 को अंतिम शेष	**-**	**13.04**	**14.61**	**18.38**	**10.69**	**0.10**	**56.82**	**10.14**
निवल वहन राशि								
31.03.2020 तक	3.38	12.49	4.21	5.79	5.45	0.03	31.35	0.41
31.03.2021 तक	**3.38**	**11.88**	**7.87**	**7.60**	**6.46**	**0.02**	**37.21**	**0.24**

14.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर अनुमानित उपयोगी कार्यकाल और मूल्यहास टिप्पणी 5.6 (v) में निहित लेखांकन नीति के अनुरूप है।

14.2 कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी कार्यकाल, अवशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यहास विधि की समीक्षा करती है और अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उत्तरव्यापी प्रभाव से लेखांकित किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल का ब्यौरा निम्नानुसार है:

श्रेणी	भवन	ईडीपी उपकरण		कार्यालय उपकरण	सेल फोन	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहन	अमूर्त परिसंपत्तियां
		सर्वर और नेटवर्क	अंतिम प्रयोक्ता डिवाइस अर्थात डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि					
उपयोगी कार्यकाल (वर्ष में)	60	6	3	5	2	10	8	5
मूल लागत के % के रूप में अवशिष्ट मूल्य	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-

14.3 प्रबंधन की राय में, इंड एएस 36 'परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता' के अनुसरण में कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों पर कोई क्षतिग्रस्तता नहीं है। तदनुसार, इंड एएस 36 के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार क्षतिग्रस्तता क्षति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

14.4 कंपनी की कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को कंपनी के प्रतिभूत ऋण के निमित्त प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
सकल वहन मूल्य	4.12	4.12
निवल वहन मूल्य	3.45	3.49

जिन ऋणों के निमित्त उपर्युक्त परिसंपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया है, उनके ब्यौरे के लिए टिप्पणी 17.9 और 17.10 देखें।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

15. राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(i)	**पट्टे पर (लीजहोल्ड) भूमि का प्रारंभिक शेष**	35.75	-
(ii)	बढ़ोतरी	-	36.20
(iii)	घटाएं: मूल्यह्रास*	0.45	0.45
	पट्टे पर (लीजहोल्ड) लीजहोल्ड भूमि का अंतिम शेष	**35.30**	**35.75**

* इंड एएस 116 'पट्टा' की अपेक्षा के अनुसार राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास व्यय को लाभ और हानि के एकल विवरण में मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षतिग्रस्तता व्यय के अंतर्गत शामिल किया गया है।

16. अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(i)	पूर्व भुगतान किया गया व्यय	5.50	3.18
(ii)	आस्थगित कार्मिक लागतें	47.41	48.21
(iii)	अधिक खर्च - सीएसआर व्यय	39.39	-
(iv)	अन्य	212.93	77.48
	कुल अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	**305.23**	**128.87**

17. ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की अपेक्षा के अनुसार में परिशोधित लागत पर ऋण प्रतिभूतियों को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(i)	बॉण्ड/डिबेंचर		
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (टिप्पणी 17.3 देखें)	119.56	278.63
	- कर मुक्त बॉण्ड (टिप्पणी 17.4 देखें)	12,275.11	12,275.11
	- 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड (टिप्पणी 17.5 देखें)	2,564.18	1,918.54
	- करयोग्य बॉण्ड (टिप्पणी 17.6 देखें)	1,86,226.10	1,72,930.24
	- विदेशी मुद्रा नोट्स (टिप्पणी 17.7 देखें)	30,871.97	27,892.78
(ii)	कमर्शियल पेपर (टिप्पणी 17.8 देखें)	3,080.23	-
(iii)	उपर्युक्त पर अर्जित परंतु अदेय ब्याज	7,867.39	6,814.43
(iv)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेनदेन लागत	(193.00)	(262.06)
	कुल ऋण प्रतिभूतियां	**2,42,811.54**	**2,21,847.67**
	भूगोलवार ऋण प्रतिभूतियां		
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	2,11,821.46	1,93,872.39
(ii)	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	30,990.08	27,975.28
	भूगोलवार कुल ऋण प्रतिभूतियां	**2,42,811.54**	**2,21,847.67**

17.1 कंपनी अपरिवर्तनीय बॉण्ड इश्यू सहित विभिन्न लिखतों के माध्यम से धन जुटाती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी ऋण प्रतिभूति की सर्विसिंग में चूक नहीं की है।

17.2 अवधि के दौरान जुटाई गई निधियां का उपयोग प्रस्तुत दस्तावेज़/ सूचना ज्ञापन/ सुविधा करार में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

17.3 बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		रिडेंप्शन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	रिडेंप्शन का विवरण
			31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को			
1	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86 डी श्रृंखला	8.72%	2.40	2.40	30.03.2027	17.9	आवंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद की किसी तारीख सममूल्य पर मोचन योग्य
2	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86 सी श्रृंखला	8.72%	0.87	0.87	30.03.2027		आवंटन की तारीख से 15 वर्ष बाद की किसी तिथि को वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचन योग्य
3	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला III	8.75%	2.86	2.86	21.11.2026		आवंटन की तारीख से 15 वर्ष के बाद की किसी तारीख को सममूल्य पर मोचन योग्य
4	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला IV	8.75%	7.77	7.77	21.11.2026		आवंटन की तारीख से 15 वर्ष के बाद की किसी तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचन योग्य।
5	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला III	8.50%	5.27	5.27	31.03.2026	17.10	आवंटन की तारीख से 15 वर्ष के बाद की किसी तारीख को सममूल्य पर मोचन योग्य
6	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला IV	8.50%	19.33	19.33	31.03.2026		आवंटन की तारीख से 15 वर्ष के बाद की किसी तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचन योग्य।
7	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला I	8.43%	7.39	7.39	30.03.2022	17.9	आवंटन की तारीख से 10 वर्ष के बाद की किसी तारीख को सममूल्य पर मोचन योग्य
8	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला II	8.43%	15.47	15.47	30.03.2022		आवंटन की तारीख से 10 वर्ष के बाद की किसी तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचन योग्य।
9	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला I	8.50%	21.85	21.85	21.11.2021		आवंटन की तारीख से 10 वर्ष के बाद की किसी तारीख को सममूल्य पर मोचन योग्य
10	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला II	8.50%	36.35	36.34	21.11.2021		आवंटन की तारीख से 10 वर्ष के बाद की किसी तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचन योग्य।
11	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला I	8.30%	-	49.96	31.03.2021	17.10	आवंटन की तारीख से 10 वर्ष के बाद की किसी तारीख को सममूल्य पर मोचन योग्य
12	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला II	8.30%	-	109.12	31.03.2021		आवंटन की तारीख से 10 वर्ष के बाद की किसी तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि संचयी ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचन योग्य।
	कुल		**119.56**	**278.63**			

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

17.4 बकाया कर मुक्त बॉण्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
			31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक			
1	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) - श्रृंखला 3-ए	7.35%	213.57	213.57	17.10.2035		
2	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) - श्रृंखला 3-बी	7.60%	155.48	155.48	17.10.2035		
3	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 3-ए	8.67%	1,067.38	1,067.38	16.11.2033		
4	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 3-बी	8.92%	861.96	861.96	16.11.2033		
5	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) - श्रृंखला 2-ए	7.27%	131.33	131.33	17.10.2030		
6	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) - श्रृंखला 2-बी	7.52%	45.18	45.18	17.10.2030	17.11	
7	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 2-ए	8.54%	932.70	932.70	16.11.2028		
8	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 2-बी	8.79%	353.32	353.32	16.11.2028		
9	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107-बी	8.46%	1,011.10	1,011.10	30.08.2028		
10	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	7.04%	10.25	10.25	28.03.2028		
11	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	7.54%	58.96	58.96	28.03.2028		
12	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच-I श्रृंखला 2	7.36%	162.72	162.72	04.01.2028		
13	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच-I श्रृंखला 2	7.86%	194.28	194.28	04.01.2028		
14	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95बी	7.38%	100.00	100.00	29.11.2027		
15	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94बी	7.38%	25.00	25.00	22.11.2027	17.9	
16	कर मुक्त बॉण्ड (2011-12) सार्वजनिक निर्गम	8.30%	1,280.58	1,280.58	01.02.2027		
17	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80-बी	8.16%	209.34	209.34	25.11.2026		परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचन योग्य
18	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79-बी	7.75%	217.99	217.99	15.10.2026		
19	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) - श्रृंखला 1ए	7.11%	75.09	75.09	17.10.2025		
20	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) - श्रृंखला 1बी	7.36%	79.35	79.35	17.10.2025		
21	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 136	7.16%	300.00	300.00	17.07.2025		
22	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 1ए	8.18%	325.07	325.07	16.11.2023		
23	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 1बी	8.43%	335.47	335.47	16.11.2023	17.11	
24	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107ए	8.01%	113.00	113.00	30.08.2023		
25	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	6.88%	52.90	52.90	28.08.2023		
26	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	7.38%	43.25	43.25	28.08.2023		
27	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच I श्रृंखला 1	7.19%	197.09	197.09	04.01.2023		
28	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच I श्रृंखला 1	7.69%	145.66	145.66	04.01.2023		
29	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95ए	7.22%	30.00	30.00	29.11.2022		
30	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94ए	7.21%	255.00	255.00	22.11.2022	17.9	
31	कर मुक्त बॉण्ड (2011-12) सार्वजनिक निर्गम	8.20%	2,752.55	2,752.55	01.02.2022		
32	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80ए	8.09%	334.31	334.31	25.11.2021		
33	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79ए	7.51%	205.23	205.23	15.10.2021		
	कुल		**12,275.11**	**12,275.11**			

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

17.5 बकाया 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
			31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक		
1	श्रृंखला IV (वित्तीय वर्ष 2020-21)	5.00%	685.41	-	17.11	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान समतुल्य पर मोचन योग्य
2	श्रृंखला IV (वित्तीय वर्ष 2020-21)	5.75%	252.38	-		वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान समतुल्य पर मोचन योग्य
3	श्रृंखला III (वित्तीय वर्ष 2019-20)	5.75%	1,134.44	1,134.44		वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समतुल्य पर मोचन योग्य
4	श्रृंखला II (वित्तीय वर्ष 2018-19)	5.75%	491.95	491.95		वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समतुल्य पर मोचन योग्य
5	श्रृंखला I (वित्तीय वर्ष 2017-18)	5.25%	-	292.15		वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समतुल्य पर मोचन योग्य
	कुल		**2,564.18**	**1,918.54**		

17.6 बकाया करयोग्य बॉण्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
			31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक			
1	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VI श्रेणी I-II	6.78%	3.50	-	22.01.2036	17.11	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचन योग्य
2	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VI श्रेणी III-IV	6.97%	53.36	-	22.01.2036		
3	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VII श्रेणी I-II	6.95%	50.05	-	22.01.2036		
4	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VII श्रेणी III-IV	7.15%	1,330.05	-	22.01.2036		
5	श्रृंखला 209	7.34%	1,711.00	-	29.09.2035		
6	श्रृंखला 205ए	7.20%	1,605.70	-	10.08.2035		
7	श्रृंखला 190	8.25%	4,016.00	4,016.00	06.09.2034		
8	श्रृंखला 189	8.15%	4,035.00	4,035.00	08.08.2034		
9	श्रृंखला 186	8.79%	2,578.90	2,578.90	30.04.2034		
10	श्रृंखला 180	8.75%	2,654.00	2,654.00	22.02.2034		
11	श्रृंखला 179-बी	8.64%	528.40	528.40	19.11.2033		
12	श्रृंखला 204बी	6.88%	1,300.00	-	11.04.2031		
13	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला III श्रेणी I-II	6.63%	0.50	-	22.01.2031	17.11	
14	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला III श्रेणी III-IV	6.82%	28.74	-	22.01.2031		
15	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला IV श्रेणी I-II	6.80%	33.67	-	22.01.2031		
16	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला IV श्रेणी III-IV	7.00%	1,635.53	-	22.01.2031		
17	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला V श्रेणी I-II	6.58% (10 वर्षीय जीएसईसी लिंक)	10.35	-	22.01.2031		
18	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला V श्रेणी III-IV	6.83% (10 वर्षीय जीएसईसी लिंक)	1,250.73	-	22.01.2031		
19	श्रृंखला 207	7.04%	1,097.40	-	16.12.2030		
20	श्रृंखला 207आर1	7.04%	2,549.10	-	16.12.2030		
21	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	15.12.2030		
22	श्रृंखला 205ए	7.05%	1,610.10	-	09.08.2030		
23	श्रृंखला 202सी	7.79%	1,936.00	-	22.07.2030		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक	मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
24	श्रृंखला 201	7.68%	3,101.30	-	15.07.2030		
25	श्रृंखला 66-सी	8.85%	633.00	633.00	15.06.2030		
26	श्रृंखला 203बी	7.75%	3,318.00	-	11.06.2030		
27	श्रृंखला 197	7.41%	5,000.00	5,000.00	15.05.2030		
28	श्रृंखला 200	7.40%	2,920.00	-	08.05.2030		
29	श्रृंखला 195	7.86%	1,100.00	1,100.00	12.04.2030		
30	श्रृंखला 196	7.41%	2,500.00	2,500.00	25.02.2030		
31	श्रृंखला 196आर1	7.41%	1,500.00	-	25.02.2030		
32	श्रृंखला 193	7.93%	4,710.50	4,710.50	31.12.2029		
33	श्रृंखला 118 विकल्प बी III	9.39%	460.00	460.00	27.08.2029		
34	श्रृंखला 187 बी	8.85%	1,982.10	1,982.10	27.05.2029		
35	श्रृंखला 179-ए	8.67%	1,007.40	1,007.40	19.11.2028		
36	श्रृंखला 178	8.95%	3,000.00	3,000.00	10.10.2028		
37	श्रृंखला 177	7.85%	3,855.00	3,855.00	03.04.2028		
38	श्रृंखला 103	8.94%	2,807.00	2,807.00	25.03.2028		
39	श्रृंखला 102 ए (III)	8.90%	403.00	403.00	18.03.2028		
40	श्रृंखला 101 बी	9.00%	1,370.00	1,370.00	11.03.2028		
41	श्रृंखला 172	7.74%	850.00	850.00	29.01.2028		
42	श्रृंखला 171	7.62%	5,000.00	5,000.00	15.12.2027		
43	श्रृंखला 170-बी	7.65%	2,001.00	2,001.00	22.11.2027		
44	श्रृंखला 169-बी	7.30%	1,500.00	1,500.00	07.08.2027		
45	श्रृंखला 168-बी	7.44%	1,540.00	1,540.00	12.06.2027		
46	श्रृंखला 155	7.23%	2,635.00	2,635.00	05.01.2027		
47	श्रृंखला 152	7.55%	4,000.00	4,000.00	25.09.2026		
48	श्रृंखला 151-बी	7.56%	210.00	210.00	16.09.2026		परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचन योग्य
49	श्रृंखला 77-बी	9.45%	2,568.00	2,568.00	01.09.2026		
50	श्रृंखला 150-बी	7.63%	1,675.00	1,675.00	14.08.2026		
51	श्रृंखला 76-बी	9.46%	1,105.00	1,105.00	01.08.2026		
52	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला II श्रेणी I-II	5.65%	27.05	-	22.01.2026	17.11	
53	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला II श्रेणी III-IV	5.80%	3.50	-	22.01.2026		
54	श्रृंखला 202बी	7.17%	810.00	-	22.05.2025		
55	श्रृंखला 147	8.03%	1,000.00	1,000.00	02.05.2026		
56	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	15.12.2025		
57	श्रृंखला 141-बी	8.40%	1,000.00	1,000.00	18.09.2025		
58	श्रृंखला 208	6.50%	2,806.00	-	17.09.2025		
59	श्रृंखला 66-बी	8.75%	1,532.00	1,532.00	15.06.2025		
60	श्रृंखला 65 III	8.70%	1,337.50	1,337.50	14.05.2025		
61	श्रृंखला 199बी	7.16%	1,320.00	-	24.04.2025		
62	श्रृंखला 130-सी	8.39%	925.00	925.00	19.04.2025		
63	श्रृंखला 204ए	5.77%	900.00	-	11.04.2025		
64	श्रृंखला 64	8.95%	492.00	492.00	30.03.2025		
65	श्रृंखला 131-सी	8.41%	5,000.00	5,000.00	27.03.2025		
66	श्रृंखला 63-III	8.90%	184.00	184.00	15.03.2025		
67	श्रृंखला 128	8.20%	1,600.00	1,600.00	10.03.2025		
68	श्रृंखला 62-बी	8.80%	1,172.60	1,172.60	15.01.2025		
69	श्रृंखला 126	8.65%	5,000.00	5,000.00	04.01.2025		
70	श्रृंखला 125	8.65%	2,826.00	2,826.00	28.12.2024		
71	श्रृंखला 61	8.50%	351.00	351.00	15.12.2024		
72	श्रृंखला 124 सी	8.48%	1,000.00	1,000.00	09.12.2024		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
			31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक			
73	श्रृंखला 192	7.42%	3,000.00	3,000.00	19.11.2024		
74	श्रृंखला 120 विकल्प ए	8.98%	961.00	961.00	08.10.2024		
75	श्रृंखला विकल्प 120 बी	8.98%	950.00	950.00	08.10.2024		
76	श्रृंखला 118 विकल्प बी II	9.39%	460.00	460.00	27.08.2024		
77	श्रृंखला 117 विकल्प बी	9.37%	855.00	855.00	19.08.2024		
78	श्रृंखला 57-सी	8.60%	866.50	866.50	07.08.2024		
79	प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला I श्रेणी III-IV	4.80%	1.95	-	22.01.2024	17.11	
80	श्रृंखला 206	5.47%	3,000.00	-	19.08.2023		
81	श्रृंखला 203ए	6.72%	2,206.00	-	11.06.2023		
82	श्रृंखला 188	8.10%	691.10	691.10	04.06.2024		
83	श्रृंखला 202ए	6.75%	2,145.00	-	22.05.2023		
84	श्रृंखला 198	6.98%	3,160.00	-	20.04.2023		
85	श्रृंखला 199ए	6.83%	1,970.00	-	24.04.2023		
86	श्रृंखला 85 डी	9.26%	736.00	736.00	15.04.2023		
87	श्रृंखला 194	7.04%	1,400.00	1,400.00	14.04.2023		
88	श्रृंखला 102 ए (II)	8.90%	403.00	403.00	18.03.2023		
89	श्रृंखला 100 बी	8.84%	1,310.00	1,310.00	04.03.2023		
90	जीरो कूपन अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड 2022-XIX श्रृंखला	-	654.92	605.94	31.12.2022		
91	श्रृंखला 176-बी	7.99%	1,295.00	1,295.00	20.12.2022		
92	श्रृंखला 170-ए	7.35%	800.00	800.00	22.11.2022		
93	श्रृंखला 191	7.35%	3,735.00	3,735.00	15.10.2022		परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचन योग्य
94	श्रृंखला 92 सी	9.29%	-	640.00	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्भुगतान		
95	श्रृंखला 181	8.45%	2,155.00	2,155.00	11.08.2022		
96	श्रृंखला 169-ए	7.10%	3,395.00	3,395.00	08.08.2022		
97	श्रृंखला 168-ए	7.28%	1,950.00	1,950.00	12.06.2022		
98	श्रृंखला 187 ए	8.20%	1,605.00	1,605.00	27.05.2022		
99	श्रृंखला 88 सी	9.48%	184.70	184.70	15.04.2022		
100	श्रृंखला 183	8.18%	3,751.20	3,751.20	19.03.2022		
101	श्रृंखला 154	7.27%	1,101.00	1,101.00	22.12.2021		
102	श्रृंखला 124 बी	8.55%	1,200.00	1,200.00	09.12.2021		
103	श्रृंखला 123 सी	8.66%	200.00	200.00	27.11.2021		
104	श्रृंखला 153	7.40%	1,830.00	1,830.00	30.09.2021		
105	श्रृंखला 151-ए	7.47%	2,260.00	2,260.00	16.09.2021		
106	श्रृंखला 150-ए	7.50%	2,660.00	2,660.00	16.09.2021		
107	श्रृंखला 76-ए	9.36%	2,589.40	2,589.40	01.08.2021		
108	श्रृंखला 115 III	9.20%	700.00	700.00	07.09.2021		
109	श्रृंखला 75-सी	9.61%	2,084.70	2,084.70	29.06.2021		
110	श्रृंखला 74	9.70%	1,693.20	1,693.20	09.06.2021		
111	श्रृंखला 28	8.85%	600.00	600.00	31.05.2021		
112	श्रृंखला 146	8.05%	300.00	300.00	27.04.2021		
113	श्रृंखला 73	9.18%	1,000.00	1,000.00	15.04.2021		
114	श्रृंखला 175	7.75%	600.00	600.00	15.04.2021		
115	श्रृंखला 173-बी	7.73%	1,325.00	1,325.00	05.04.2021		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक	मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
116	श्रृंखला 173-ए	7.73%	-	505.00			परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचन योग्य
117	श्रृंखला 112-सी	9.70%	-	270.00			
118	श्रृंखला 72-बी	8.99%	-	1,219.00			
119	श्रृंखला 71	9.05%	-	192.70			
120	श्रृंखला 70	8.78%	-	1,549.00			
121	श्रृंखला 141-ए	8.46%	-	1,000.00			
122	श्रृंखला 163	7.50%	-	2,435.00			
123	श्रृंखला 182	8.20%	-	3,500.00			
124	श्रृंखला 140-बी	8.36%	-	1,250.00			
125	श्रृंखला 138	8.45%	-	1,000.00			
126	श्रृंखला 137	8.53%	-	2,700.00	वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुनर्भुगतान		
127	श्रृंखला 68-बी	8.70%	-	1,424.00			
128	श्रृंखला 167	7.30%	-	1,560.00			
129	श्रृंखला 165	7.42%	-	3,605.00			
130	श्रृंखला 66-ए	8.65%	-	500.00			
131	श्रृंखला 166	7.46%	-	1,180.00			
132	श्रृंखला 149	8.04%	-	100.00			
133	श्रृंखला 159	7.05%	-	2,551.00			
134	श्रृंखला 65-II	8.70%	-	1,337.50			
135	श्रृंखला 131-बी	8.38%	-	1,350.00			
136	श्रृंखला 130-बी	8.42%	-	200.00			
137	श्रृंखला 85 सी	9.30%	-	79.50			
138	श्रृंखला 157	6.83%	-	2,000.00			
	कुल		**1,86,226.10**	**1,72,930.24**			

17.6.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने ₹1,000 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर ट्रांच-1 के अंतर्गत प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) के 44,289,857 नंबर के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से ₹4,428.99 करोड़ की राशि जुटाई है। ये बॉण्ड बीएसई पर सूचीबद्ध हैं। एनसीडी के उक्त सार्वजनिक निर्गम के लिए डिबेंचर ट्रस्टी बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड है।

17.7 बकाया विदेशी मुद्रा नोट्स का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक	मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
1	3.35% यूएसडी बॉण्ड 2031	3.35%	3,675.23	-	16.05.2031	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचन योग्य
2	3.95% यूएसडी बॉण्ड 2030	3.95%	5,512.85	5,653.94	23.04.2030	
3	3.90% यूएसडी बॉण्ड 2029	3.90%	3,307.71	3,392.36	16.09.2029	
4	4.50% यूएसडी बॉण्ड 2029	4.50%	4,410.28	4,523.15	18.06.2029	
5	6.15% यूएसडी बॉण्ड 2028	6.15%	3,675.24	3,769.29	06.12.2028	
6	5.25% यूएसडी बॉण्ड 2028	5.25%	2,205.14	2,261.58	10.08.2028	
7	3.75% यूएसडी ग्रीन बॉण्ड 2027	3.75%	2,940.19	3,015.44	06.12.2027	
8	3.25% यूएसडी बॉण्ड 2024	3.25%	2,205.14	2,261.58	16.09.2024	
9	3.75% यूएसडी बॉण्ड 2024	3.75%	2,940.19	3,015.44	18.06.2024	
	कुल		**30,871.97**	**27,892.78**		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

17.8 बकाया कमर्शियल पेपर का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
			31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक		
1	सीपी - 115	4.03%	3,120.00	-	30 जुलाई, 2021	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचन योग्य
	घटाएं: अपरिशोधित वित्तीय प्रभार		(39.77)	-		
	कुल		**3,080.23**	**-**		

17.9 इन बॉण्ड श्रृंखला को गिंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ वर्तमान और भविष्य की प्राप्य राशियों (उन प्राप्य राशियों को छोड़कर जो विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों के लिए प्रभारित की जाती हैं, जिसका प्रतिभूति विवरण टिप्पणी 17.10 में निहित है) पर प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

17.10 इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) श्रृंखला I, II, III और IV को जंगपुरा, नई दिल्ली में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के ₹710.26 करोड़ के विशिष्ट बही ऋण पर प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

17.11 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड, कर योग्य प्रतिभूत सार्वजनिक निर्गम (2020-21) ट्रांच-I सभी श्रृंखलाएं एवं सभी श्रेणी, और अन्य सभी कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखलाओं को कंपनी की कुल प्राप्य राशियों/बही ऋणों (उन प्राप्य राशियों को छोड़कर जो वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों के लिए विशेष रूप से प्रभारित की जाती हैं, जिसका प्रतिभूति विवरण टिप्पणी 17.10 में निहित है), पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है जो ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय और अन्य सभी धन जो लेनदेन दस्तावेजों के अंतर्गत/के अनुसार कंपनी द्वारा बॉण्डधारकों और/या अन्य को देय/पुनर्भुगतान योग्य हैं, सहित बॉण्डों के भुगतान/पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।

18. ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

कंपनी ने इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की अपेक्षा के अनुसार में परिशोधित लागत पर ऋणों (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न) को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(क)	सावधि ऋण		
(i)	बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से		
	- विदेशी मुद्रा ऋण (टिप्पणी 18.1 देखें)	150.65	172.38
	- सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण (टिप्पणी 18.2 देखें)	18,813.18	19,635.63
	- रुपया सावधि ऋण (टिप्पणी 18.4 देखें)	53,598.98	49,598.98
(ii)	अन्य पक्षकारों से		
	- रुपया सावधि ऋण - भारत सरकार (टिप्पणी 18.6 देखें)	7,500.00	7,500.00
(ख)	बैंकों से अन्य ऋण		
(i)	सावधि जमा के निमित्त ऋण (टिप्पणी 18.7 देखें)	683.04	-
(ii)	कार्यकारी पूंजी मांग ऋण/ ओवरड्राफ्ट/ नकदी क्रेडिट/ लाइन ऑफ क्रेडिट (टिप्पणी 18.8 देखें)	-	2,038.36
(ग)	उपर्युक्त पर अर्जित परंतु अदेय ब्याज	283.74	375.43
(घ)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेनदेन लागत	(191.99)	(204.72)
	कुल ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	**80,837.60**	**79,116.06**
	भूगोलवार ऋण		
(i)	भारत में ऋण	62,015.73	59,448.04
(ii)	भारत के बाहर ऋण	18,821.87	19,668.02
	कुल भूगोलवार ऋण	**80,837.60**	**79,116.06**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

18.1 बकाया अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
		31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक		
1	केएफडब्ल्यू I (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	46.79	48.26	30.12.2035 तक अर्धवार्षिक किश्तें	अर्धवार्षिक किश्तों में मोचन योग्य
2	एडीबी (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	66.96	79.46	15.10. 2028 तक अर्धवार्षिक किश्तें	
3	क्रेडिट नेशनल (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	36.90	44.66	30.06.2028 तक अर्धवार्षिक किश्तें	
	कुल विदेशी मुद्रा ऋण	**150.65**	**172.38**		

18.2 बकाया अप्रतिभूत सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को		
1	एसएलएन 30	735.05	-	13.10.2025	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
2	एसएलएन 30	2,205.14	-	05.11.2025	
3	एसएलएन 29	1,837.62	1,884.65	20.12.2024	
4	एसएलएन 27	1,089.02	1,143.01	04.02.2024	
5	एसएलएन 26	1,837.62	1,884.65	26.09.2023	
6	एसएलएन 23	1,837.62	1,884.65	22.03.2023	
7	एसएलएन 22	1,837.62	1,884.65	28.02.2023	
8	एसएलएन 21	2,205.14	2,261.57	12.12.2022	
9	एसएलएन 28 यूएसडी	1,837.62	1,884.65	28.06.2022	
10	एसएलएन 28 जेपीवाई	356.30	373.97	28.06.2022	
11	एसएलएन 17	1,102.57	3,392.36	24.09.2021	28.09.2020, 26.03.2021 और 24.09.2021 को देय तीन समान किश्तों में मोचन योग्य
12	एसएलएन 18	1,931.86	3,041.47	04.11.2022	06.11.2020, 08.11.2021 और 04.11.2022 को देय तीन समान किश्तों में मोचन योग्य
	कुल सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण	**18,813.18**	**19,635.63**		

18.3 31.03.2021 तक उपर्युक्त टिप्पणी संख्या 18.1 और 18.2 में उल्लिखित विदेशी मुद्रा ऋणों को 6 माह में 60 बीपीएस से 150 बीपीएस यूएसडी/जेपीवाई लिबोर (लंदन इंटर बैंक द्वारा प्रस्तुत दर) की ब्याज दर पर जुटाया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

18.4 बकाया रुपया सावधि ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक		
1	इंडियन बैंक	500.00	500.00	02.01.2027	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
2	इंडियन बैंक	1,800.00	1,800.00	29.06.2026	ऋण को 29.09.2023 से शुरू होकर 29.06.2026 तक ₹150 करोड़ प्रत्येक की 12 तिमाही किश्तों में चुकाया जाना है
3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,800.00	-	30.09.2025	ऋण को 30.09.2022 से शुरू होकर 30.09.2025 तक ₹450 करोड़ प्रत्येक की 04 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है
4	पंजाब नेशनल बैंक	225.00	225.00	30.09.2025	ऋण को 30.09.2022 से शुरू होकर 30.09.2025 तक ₹56.25 करोड़ प्रत्येक की 04 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है
5	इंडियन बैंक	1,500.00	-	28.09.2025	ऋण को 28.03.2022 से शुरू होकर 28.09.2025 तक ₹187.50 करोड़ प्रत्येक की 08 छमाही किश्तों में चुकाया जाना है
6	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5,000.00	-	10.07.2025	ऋण को 10.07.2022 से शुरू होकर 10.07.2025 तक 7 छमाही किश्तों में चुकाया जाना है जिसमें ₹715 करोड़ प्रत्येक की 6 किश्तें शामिल हैं और इसके बाद अंतिम किश्त ₹710 करोड़ की होगी
7	बैंक ऑफ इंडिया	1,000.00	1,000.00	02.03.2025	ऋण को 02.03.2024 से शुरू होकर 02.03.2025 तक ₹500 करोड़ प्रत्येक की दो वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है
8	पंजाब नेशनल बैंक	1,500.00	1,500.00	25.02.2025	मूलधन की अदायगी पर 2 वर्ष की स्थगन अवधि है तथा संवितरण की तारीख से 2 वर्ष की स्थगन अवधि की समाप्ति के बाद ऋण को ₹375 करोड़ प्रत्येक की 04 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है, जिसकी शुरूआत 25.02.2022 से होगी और यह 25.02.2025 को समाप्त होगा।
9	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	400.00	500.00	30.09.2024	ऋण को 30.09.2020 से शुरू होकर 30.09.2024 तक ₹100 करोड़ प्रत्येक की 5 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है
10	केनरा बैंक	1,000.00	1,000.00	29.06.2024	समयावधि के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
11	केनरा बैंक	500.00	500.00	24.06.2024	
12	केनरा बैंक	500.00	500.00	21.06.2024	
13	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	600.00	800.00	15.03.2024	ऋण को 15.03.2020 से शुरू होकर 15.03.2024 तक ₹200 करोड़ प्रत्येक की 5 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है
14	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	750.00	750.00	11.03.2024	ऋण स्थगन: प्रथम संवितरण की तारीख से 2 वर्ष (8 तिमाही)। मूलधन को 12 सुगठित तिमाही किश्तों में अर्थात 9वीं से 12वीं तिमाही तक ₹18.75 करोड़ प्रत्येक की 4 किश्तों, 13वीं से 16वीं तिमाही तक ₹56.25 करोड़ प्रत्येक की 4 किश्तों में और इसके बाद 17वीं से 20वीं तिमाही तक ₹112.50 करोड़ प्रत्येक की 4 किश्तों में चुकाया जाना है।
15	केनरा बैंक	1,000.00	1,000.00	20.02.2024	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
16	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,400.00	-	15.10.2023	ऋण को ₹175 करोड़ प्रत्येक की 8 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 15.01.2022 से होगी और यह 15.10.2023 को समाप्त होगा
17	कर्नाटक बैंक	500.00	500.00	31.07.2022	ऋण को 31.07.2021 से शुरू होकर 31.07.2022 तक ₹100 करोड़ प्रत्येक की 5 तिमाही किश्तों में चुकाया जाना है
	कुल प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण	**19,975.00**	**10,575.00**		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(ii) अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में) 31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक	मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
1	केनरा बैंक	2,000.00	-	22.09.2026	ऋण को ₹100 करोड़ प्रत्येक की 20 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 22.12.2021 से होगी और यह 22.09.2026 को समाप्त होगा
2	बैंक ऑफ इंडिया	1,000.00	-	11.09.2026	ऋण को ₹250 करोड़ प्रत्येक की 4 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 11.09.2023 से होगी और यह 11.09.2026 को समाप्त होगा
3	केनरा बैंक	500.00	500.00	23.03.2026	ऋण को ₹50 करोड़ प्रत्येक की 10 छमाही किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 23.09.2021 से होगी और यह 23.03.2026 को समाप्त होगा
4	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	500.00	-	30.06.2025	ऋण को ₹250 करोड़ प्रत्येक की 2 किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 30.06.2023 से होगी और यह 30.06.2025 को समाप्त होगा
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,500.00	2,500.00	23.03.2025	ऋण को ₹625 करोड़ प्रत्येक की 4 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 23.03.2022 से होगी और यह 23.03.2025 को समाप्त होगा
6	पंजाब नेशनल बैंक	1,000.00	1,000.00	20.03.2025	ऋण को ₹333.33 करोड़ प्रत्येक की 3 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 20.03.2023 से होगी और यह 20.03.2025 को समाप्त होगा
7	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	800.00	800.00	15.01.2025	ऋण को ₹100 करोड़ प्रत्येक की 8 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 15.04.2023 से होगी और यह 15.01.2025 को समाप्त होगा
8	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3,000.00	3,000.00	19.12.2024	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
9	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,900.00	2,000.00	15.04.2024	ऋण को 15.04.2020 से शुरू होकर 15.04.2024 तक 5 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है जिसमें ₹100 करोड़ प्रत्येक की 2 किश्तें शामिल हैं और इसके बाद प्रत्येक 3 किश्तें ₹600 करोड़ की होंगी
10	केनरा बैंक	1,750.00	1,750.00	20.03.2024	ऋण को ₹218.75 करोड़ प्रत्येक की 8 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 20.06.2022 से होगी और यह 20.03.2024 को समाप्त होगा
11	बैंक ऑफ इंडिया	2,000.00	2,000.00	21.01.2024	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
12	केनरा बैंक	500.00	500.00	15.01.2024	
13	केनरा बैंक	500.00	500.00	28.12.2023	
14	पंजाब नेशनल बैंक	995.00	995.00	24.12.2023	
15	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	750.00	750.00	05.10.2023	
16	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2,999.98	5,999.98	27.09.2023	30.03.2021 को ₹3,000 करोड़ चुकता कर दिया गया है तथा शेष राशि को समयावधि के अंत में चुकता करना है
17	बैंक ऑफ बड़ौदा	3,000.00	-	15.07.2023	ऋण को 15.10.2021 से शुरू होकर 15.07.2023 तक 8 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसमें ₹250 करोड़ प्रत्येक की 4 किस्तें और इसके बाद ₹500 करोड़ प्रत्येक की 4 किस्तें शामिल हैं
18	यूको बैंक	200.00	-	26.05.2023	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
19	यूको बैंक	500.00	500.00	31.03.2023	
20	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	2,000.00	-	31.05.2022	
21	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,429.00	1,429.00	31.03.2022	
22	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1,000.00	-	31.12.2021	
23	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1,000.00	-	27.11.2021	
24	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	800.00	800.00	14.09.2021	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक		
25	यूको बैंक	1,000.00	1,000.00	23 अगस्त, 2021	समयावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
26	इंडियन ओवरसीज बैंक	-	400.00	* वित्तीय वर्ष 2020-21 में चुकाया गया	
27	इंडियन ओवरसीज बैंक	-	400.00		
28	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	-	271.00		
29	बैंक ऑफ बड़ौदा	-	700.00		
30	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	-	750.00		
31	केनरा बैंक	-	1,500.00		
32	बैंक ऑफ इंडिया	-	1,000.00		
33	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-	1,979.00		
34	बैंक ऑफ बड़ौदा	-	2,000.00		
35	पंजाब नेशनल बैंक	-	2,000.00		
36	पंजाब नेशनल बैंक	-	2,000.00		
	कुल अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण	**33,623.98**	**39,023.98**		
	कुल रुपया सावधि ऋण (अप्रतिभूत एवं प्रतिभूत)	**53,598.98**	**49,598.98**		

18.5 31.03.2021 तक उपुर्यक्त टिप्पणी 18.4 में उल्लिखित ऋण संबंधित बैंक की बेंचमार्क दर प्लस 5 से 320 बीपीएस के स्प्रैड पर लिए गए हैं।

18.6 बकाया अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण - भारत सरकार का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
		31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक		
1	नेशनल स्माल सेविंग्स फंड स्कीम (एनएसएसएफ) (कूपन दर - 8.11% प्रतिवर्ष)	7,500.00	7,500.00	27.12.2028	समयावधि के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान

18.7 सावधि जमा के निमित्त बकाया ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक		
1	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	683.04	-	02.04.2021	परिपक्वता तारीख को सममूल्य पर मोचन योग्य
	सावधि जमा के निमित्त कुल ऋण	**683.04**	-		

18.8 बकाया अप्रतिभूत डब्ल्यूसीडीएल/ ओडी/ सीसी/ लाइन ऑफ क्रेडिट का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन राशि (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का विवरण
		31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक		
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (डब्ल्यूसीएल)	-	1,200.00	वित्तीय वर्ष 2020-21 में चुकाया गया	समयावधि के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
2	पंजाब नेशनल बैंक (डब्ल्यूसीडीएल)	-	600.00		
3	पंजाब नेशनल बैंक (ओडी)	-	238.36		रनिंग फेसिलिटी
	कुल डब्ल्यूसीडीएल/ ओडी/ सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट	-	**2,038.36**		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

18.9 निदेशकों द्वारा एक भी ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।

18.10 उपर्युक्त अवधियों के दौरान ऋणों एवं ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

18.11 प्रतिभूत रुपया सावधि ऋणों के निमित्त प्रतिभूति के रूप में रक्षित प्राप्य राशि के वहन मूल्य के लिए टिप्पणी 10 देखें। प्रतिभूत रुपया सावधि ऋणों को कंपनी की प्राप्य राशियों पर ऋणदाता बैंक के पक्ष में प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है जो प्रतिभूति दस्तावेज के अंतर्गत/अनुपालन में ऋणदाता बैंक और/या अन्यों को कंपनी द्वारा देय/चुकौती योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा सभी अन्य धनराशियों सहित सावधि ऋण के भुगतान/पुनर्भुगतान तक सीमित है, ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन्हें कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पूर्ववर्ती जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड) के पक्ष में पहले प्रभारित किया जा चुका है।

19. सबॉर्डिनेटिड देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की अपेक्षा के अनुसार परिशोधित लागत पर सबॉर्डिनेटिड देयताओं को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(क)	**सबॉर्डिनेटिड देयताएं**		
(i)	सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड (टिप्पणी संख्या 19.1 देखें)	9,211.50	9,211.50
(ii)	उपर्युक्त पर अर्जित परंतु अदेय ब्याज	101.80	103.04
(iii)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेनदेन लागत	(3.10)	(3.59)
	कुल सबॉर्डिनेटिड देयताएं	**9,310.20**	**9,310.95**
(ख)	**भूगोलवार सबॉर्डिनेटिड देयताएं**		
(i)	भारत में सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड	9,310.20	9,310.95
(ii)	भारत के बाहर सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड	-	-
	कुल भूगोलवार सबॉर्डिनेटिड देयताएं	**9,310.20**	**9,310.95**

19.1 सबॉर्डिनेटिड बॉण्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(i)	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड - 8.19% बॉण्ड श्रृंखला 105	800.00	800.00
(ii)	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड - 9.65% बॉण्ड श्रृंखला 111	1,000.00	1,000.00
(iii)	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड - 9.70% बॉण्ड श्रृंखला 114	2,000.00	2,000.00
(iv)	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड - 9.25% बॉण्ड श्रृंखला 184ए	2,000.00	2,000.00
(v)	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड - 9.10% बॉण्ड श्रृंखला 184बी	2,411.50	2,411.50
(vi)	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड - 8.98% बॉण्ड श्रृंखला 185	1,000.00	1,000.00
	कुल सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड श्रृंखला	**9,211.50**	**9,211.50**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

20. अन्य वित्तीय देयताएं

कंपनी ने नीचे प्रस्तुत 'पट्टा देयता' को छोड़कर अन्य वित्तीय देयताओं को इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की अपेक्षा के अनुसार परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है, जिसे इंड एएस 116 'पट्टा' के अनुसार मापा गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(i)	भारत सरकार के चुकता बॉण्डों के कारण देय (टिप्पणी 20.1 देखें)	5,038.21	5,038.72
(ii)	सहायक कंपनियों और सहयोगी से प्राप्त अग्रिम*	176.86	168.42
(iii)	अदावी लाभांश (टिप्पणी 20.2 देखें)	3.90	3.48
(iv)	अदत्त बॉण्ड तथा उन पर अर्जित ब्याज (टिप्पणी 20.2 देखें)		
	- अदावी बॉण्ड	0.53	0.53
	- बॉण्डों पर अदावी ब्याज	148.92	15.16
(v)	अन्य		
	- बॉण्डों पर प्रतिदेय आवेदन शुल्क तथा उन पर अर्जित ब्याज	0.69	0.83
	- ब्याज सब्सिडी निधि (टिप्पणी 20.3 देखें)	18.72	17.31
	- एपीडीआरपी/आईपीडीएस योजना के अंतर्गत देय (टिप्पणी 51 देखें)	211.00	-
	- पट्टा देयता	8.81	8.81
	- अन्य देयताएं	220.41	121.90
	कुल अन्य वित्तीय देयताएं	**5,828.05**	**5,375.16**

* नकदी में देय

20.1 भारत सरकार के चुकता बॉण्डों (अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्डों) का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(i)	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 164-भारत सरकार के पूर्णत: चुकता बॉण्ड	2,000.00	2,000.00
(ii)	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 160-भारत सरकार के पूर्णत: चुकता बॉण्ड	1,465.00	1,465.00
(iii)	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 158-भारत सरकार के पूर्णत: चुकता बॉण्ड	1,335.00	1,335.00
(iv)	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 156-भारत सरकार के पूर्णत: चुकता बॉण्ड	200.00	200.00
(v)	उपर्युक्त पर अर्जित ब्याज	38.21	38.72
	भारत सरकार द्वारा कुल चुकता बॉण्ड	**5,038.21**	**5,038.72**

20.2 अदावी लाभांशों, अदावी बॉण्डों तथा उन पर ब्याज में ऐसी राशियां शामिल हैं जिनका लिखतों के धारकों/निवेशकों द्वारा दावा नहीं किया गया है या विधिक औपचारिकताओं आदि के लंबित होने के कारण रोकी गई हैं। उपर्युक्त में से, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए पात्र राशि अंतरित की गई है।

20.3 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी निधि:

(i) कंपनी ने वास्तविक पुनर्भुगतान अवधि, स्थगन अवधि तथा पुनर्भुगतान की अवधि को ध्यान में रखे बगैर भारत सरकार के दिनांक 23 सितंबर, 1997 के अर्धशासकीय पत्र सं. 32024/17/97 - पीएफसी तथा दिनांक 07 मार्च, 2003 के कार्यालय ज्ञापन सं. 32024/23/2001 - पीएफसी के अनुसरण में सांकेतिक ब्याज दरों पर परिकलित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी का दावा किया। प्राप्त तथा ऋणकर्ताओं को हस्तांतरित की जाने वाली ब्याज सब्सिडी की राशि को ब्याज सब्सिडी निधि लेखा के रूप में प्रतिधारित किया गया है। दावा के समय और वास्तविक संवितरण के समय विचारित सांकेतिक दर तथा अवधि के बीच अंतर के प्रभाव का सुनिश्चय संबंधित योजनाओं की समाप्ति के बाद ही किया जा सकता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(ii) ब्याज सब्सिडी निधि शीर्ष के अंतर्गत अन्य वित्तीय देयताओं के अंतर्गत प्रदर्शित शेष, जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि को दर्शाता है, में निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण*	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
प्रारंभिक शेष	17.31	15.96
जोड़ें: अवधि के दौरान प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान क्रेडिट ब्याज	1.41	1.35
परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण ऋणकर्ता द्वारा रिफंड	-	-
घटाएं: विद्युत मंत्रालय को लौटाई गई:		
9वीं एवं 10वीं योजना के निमित्त अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	-	-
परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण	-	-
अंतिम शेष	**18.72**	**17.31**

* वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ऋणकर्ताओं को हस्तांरित की गई ब्याज सब्सिडी ₹0.37 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹1.13 करोड़)।

21. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(i)	कार्मिक हितलाभों के लिए (टिप्पणी 44 देखें):		
	- उपदान	1.79	2.76
	- छुट्टी नकदीकरण	40.28	35.11
	- कार्मिकों का आर्थिक पुनर्वास	4.53	2.89
	- बोनस/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	34.73	28.18
	- कार्मिक कल्याण व्यय के लिए प्रावधान	16.79	14.88
(ii)	क्षतिग्रस्तता हानि छूट - चुकौती आश्वासन पत्र (टिप्पणी 21.1 एवं 21.2 देखें)	57.03	180.47
	कुल प्रावधान	**155.15**	**264.29**

21.1 चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
	प्रारंभिक शेष	180.47	186.71
	वर्ष के दौरान सृजन	12.72	0.49
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	(136.16)	(6.73)
	अंतिम शेष	**57.03**	**180.47**

21.2 ₹3,913.01 करोड़ (31 मार्च, 2020 तक ₹870.49 करोड़) की राशि का चुकौती आश्वासन पत्र ऋणकर्ताओं के लिए प्रतिबद्धता के रूप में है, इसलिए उस पर क्षतिग्रस्तता हानि को इंड एएस 107 'वित्तीय लिखत: प्रकटीकरण' की अपेक्षा के अनुसार प्रावधान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

22. अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(i)	अपरिशोधित शुल्क - असंवितरित ऋण परिसंपत्तियां	148.72	105.76
(ii)	देय सांविधिक राशि	29.71	3.31
(iii)	फुटकर देयता लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	32.02	-
(iv)	अन्य	0.68	-
	कुल अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	**211.13**	**109.07**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

23. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(क)	**अधिकृत पूंजी**				
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	11,00,00,00,000	11,000.00	11,00,00,00,000	11,000.00
	अधिमानी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	20,00.00,000	200.00	20,00.00,000	200.00
(ख)	**निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त पूंजी**				
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
(ग)	**इक्विटी शेयर पूंजी का मिलान**				
	प्रारंभिक इक्विटी शेयर पूंजी	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
	अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
	अंतिम इक्विटी शेयर पूंजी	**2,64,00,81,408**	**2,640.08**	**2,64,00,81,408**	**2,640.08**

23.1 इक्विटी शेयरों से संबद्ध अधिकार, अधिमानी और प्रतिबंध

कंपनी ने प्रति शेयर ₹10 के सममूल्य पर इक्विटी शेयर जारी किए थे। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और वे शेयरधारकों की बैठक में अपने शेयरधारण के अनुपात के अनुसार वोट देने के हकदार हैं।

23.2 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2020 तक	
		शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी का %	शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी का %
(i)	भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर)	1,47,82,91,778	55.99%	1,47,82,91,778	55.99%
(ii)	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	23,81,25,247	9.02%	24,41,49,623	9.25%
(iii)	भारतीय जीवन बीमा निगम	15,75,97,304	5.97%	15,51,78,214	5.88%

23.3 अवधि एवं राशि सहित शेयर की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प और संविदा/प्रतिबद्धता के अंतर्गत निर्गम के लिए आरक्षित शेयर: शून्य

23.4 पिछले 5 वर्ष की अवधि के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1:1 के अनुपात में 132,00,40,704 बोनस शेयर जारी किए हैं तथा किसी शेयर का पुन: क्रय नहीं किया है।

23.5 सुदूर ऐसी तारीख से आरंभ करते अवरोही क्रम में परिवर्तन की शीघ्रातिशीघ्र तारीख के साथ जारी किए गए इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय किसी प्रतिभूति की अवधियां: शून्य

23.6 अदत्त मांग राशि (निदेशकों एवं अधिकारियों द्वारा अदत्त मांग राशि के सकल मूल्य को दर्शाते हुए): शून्य

23.7 जब्त शेयर (मूलतः प्रदत्त राशि): शून्य

23.8 पूंजी प्रबंधन के लिए टिप्पणी 39 देखें।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

24. अन्य इक्विटी*

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(i)	प्रतिभूति प्रीमियम (टिप्पणी 24.1 (i) देखें)	2,776.54	2,776.54
(ii)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा (टिप्पणी 24.1 (ii) देखें)	(634.33)	(1,441.18)
(iii)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iसी के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व (टिप्पणी 24.1 (iii) देखें)	4,233.76	2,544.96
(iv)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viiक)(ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व (टिप्पणी 24.1 (iv) देखें)	287.25	2,514.17
(v)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष रिजर्व (टिप्पणी 24.1 (v) देखें)	599.85	599.85
(vi)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व (टिप्पणी 24.1 (v) देखें)	21,715.55	18,848.40
(vii)	ब्याज विभेदक रिजर्व - केएफडब्ल्यू ऋण (टिप्पणी 24.1 (vi) देखें)	62.65	61.40
(viii)	सामान्य रिजर्व (टिप्पणी 24.1 (vii) देखें)	13,827.86	10,983.81
(ix)	प्रतिधारित अर्जन (टिप्पणी 24.1 (viii) देखें)	7,203.86	6,042.40
(x)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिजर्व (टिप्पणी 24.1 (ix) देखें)	(183.37)	(313.64)
(xi)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से नकदी प्रवाह हेज में हेज लिखतों पर अभिलाभ एवं हानि के प्रभावी अंश के लिए रिजर्व (टिप्पणी 24.1 (x) देखें)	(113.34)	(92.66)
(xii)	हेजिंग रिजर्व की लागत (टिप्पणी 24.1 (xi) देखें)	(23.24)	-
	कुल अन्य इक्विटी*	**49,753.04**	**42,524.05**

* वर्ष के दौरान मूवमेंट के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का एकल विवरण देखें।

24.1 रिजर्व की प्रकृति एवं प्रयोजन

(i) प्रतिभूति प्रीमियम:

यह इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम की राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जो इक्विटी शेयरों के निर्गम पर किए गए व्यय का निवल है। इस राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

(ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा:

यह दीर्घावधि के विदेशी मुद्रा ऋणों (31 मार्च, 2018 को मौजूद) पर अपरिशोधित विदेशी मुद्रा परिवर्तन अभिलाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है और इसे संबंधित ऋणों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iसी के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व:

यह लाभ एवं हानि लेखा में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार वर्ष के लिए कर पश्चात तथा किसी लाभांश की घोषणा के पूर्व निवल लाभ के 20% की दर से प्रतिधारित अर्जन से अंतरण का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए उद्देश्य को छोड़कर आरक्षित निधि से किसी भी विनियोजन की अनुमति नहीं है और इसके अतिरिक्त इस प्रकार के किसी भी विनियोजन को भी ऐसी वापसी की तारीख से 21 दिन के भीतर आरबीआई को सूचित करना आवश्यक है।

(iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक)(ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व:

इसे कंपनी को आयकर कटौती का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए सृजित किया गया है। इस प्रकार, अनुरक्षित रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋणों या उसके भाग के समायोजन के लिए किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक)(ग) के अनुसार, कंपनी अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती का लाभ उठाने के लिए पात्र है, जो आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(v) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व:

इसका अनुरक्षण कंपनी को कर हितलाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि की वित्तीय गतिविधि से प्राप्त लाभ के 20% से अनधिक कटौती के लिए पात्र है, बशर्ते ऐसी राशि को विशेष आरक्षित खाते में स्थानांतरित और अनुरक्षित किया जाए।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(vi) ब्याज विभेदक रिजर्व - केएफडब्ल्यू ऋण:

यह ऋण करार के अनुसार केएफडब्ल्यू ऋण पर देय ब्याज और प्रदत्त ब्याज के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। केएफडब्ल्यू से विदेशी मुद्रा के ऋण की शर्तों के अनुसरण में ऋण अधिशेष के पुन: कथन पर विनिमय अभिलाभ/हानि को इस रिजर्व से समायोजित किया जाता है। कंपनी को केएफडब्ल्यू ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद रिजर्व में असमायोजित अधिशेष का पुनर्भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। केएफडब्ल्यू ऋण की पूर्ण पुनर्भुगतान के बाद रिजर्व में किसी असमायोजित अधिशेष का प्रयोग केएफडब्ल्यू से परामर्श के बाद कंपनी द्वारा अग्रेतर ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

(vii) सामान्य रिजर्व:

सामान्य रिजर्व में लाभांश की घोषणा से पहले कंपनी के लाभ से विनियोजित राशि शामिल है (जैसा कि पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आवश्यक था)। इसमें ऐसे रिजर्व के उपयोग/प्रत्यावर्तन पर सांविधिक रिजर्व से हस्तांतरित राशि भी शामिल है। इसके अलावा, कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व की पूर्ण पात्र कटौती का लाभ उठाने के लिए सामान्य रिजर्व में लाभ को विनियोजित करती है।

(viii) प्रतिधारित अर्जन:

यह लाभ और अन्य व्यापक आय के निर्दिष्ट मदों का प्रतिनिधित्व करता है जिसे कंपनी द्वारा अन्य रिजर्व में और उससे हस्तांतरण एवं लाभांश वितरण के बाद अर्जित प्रतिधारित आय में सीधे मान्य किया जाता है।

(ix) अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिजर्व:

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों में कुछ निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तनों को मान्य करने का चुनाव किया। यह अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी लिखतों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी अभिलाभों एवं हानियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है, तब रिजर्व में राशि को बाद में प्रतिधारित अर्जन में, न कि लाभ एवं हानि के एकल विवरण में अंतरित किया जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांशों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की आंशिक लागत की वसूली का प्रतिनिधित्व न करे।

(x) अन्य व्यापक आय के माध्यम से नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं हानि के प्रभावी अंश के लिए रिजर्व:

कंपनी 'नकदी प्रवाह हेज' संबंध में हेजिंग लिखतों के अंतर्भूत मूल्य को निर्दिष्ट करती है। इस तरह के रिजर्व में मान्य की गई राशि को उस समय लाभ या हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है जब हेज्ड मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

(xi) हेजिंग रिजर्व की लागत: हेजिंग

हेजिंग लिखतों के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को 'हेजिंग रिजर्व की लागत' के रूप में इक्विटी के एक अलग घटक में संचित किया जाता है और व्यवस्थित आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में परिशोधित किया जाता है।

24.2 ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों पर भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21			वित्तीय वर्ष 2019-20		
	शेयर पूंजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹ में)	राशि (₹ करोड़ में)	शेयर पूंजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹ में)	राशि (₹ करोड़ में)
अंतरिम लाभांश	80%	8.00	2,112.07	95%	9.50	2,508.08
कुल लाभांश	80%	8.00	2,112.07	95%	9.50	2,508.08

24.3 तुलन-पत्र की तारीख के बाद घटित घटनाएं:

निदेशक मंडल ने 15 जून, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 20% की दर से अर्थात् ₹10/- प्रत्येक के लिए ₹2/- प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

25. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(क)	**परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	ऋणों पर ब्याज	36,058.44	32,069.35
	घटाएं: ऋणकर्ताओं को समय पर भुगतान के लिए रिबेट	(331.27)	(401.91)
(ii)	बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	289.80	160.72
(iii)	अन्य ब्याज आय	33.91	31.86
(ख)	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	निवेश पर ब्याज	90.93	87.81
(ii)	अन्य आय	3.95	2.59
	कुल ब्याज आय ((क)+(ख))	**36,145.76**	**31,950.42**

26. लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
(क)	**एफवीटीओसीआई पर नामित इक्विटी निवेशों पर लाभांश**		
(i)	वर्ष के अंत में धारित निवेश	60.13	66.81
(ii)	वर्ष के दौरान विमान्य किए गए निवेश	0.64	0.66
	उप-जोड़	60.77	67.47
(ख)	**लागत पर इक्विटी निवेश पर लाभांश (सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम)**	1,143.44	1,220.81
(ग)	**म्यूचुअल फंड पर लाभांश**	-	1.24
	कुल लाभांश आय	**1,204.21**	**1,289.52**

27. शुल्क एवं कमीशन आय

सेवाओं की प्रकृति के आधार पर, ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी का राजस्व इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
(i)	ऋणों पर पूर्व भुगतान प्रीमियम	330.46	79.58
(ii)	ऋणों पर शुल्क आधारित आय	59.79	43.38
(iii)	भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए शुल्क (टिप्पणी 51 देखें)	4.65	-
	कुल शुल्क एवं कमीशन आय	**394.90**	**122.96**

28. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
(i)	प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं	-	0.18
(ii)	विविध आय	21.70	7.98
	कुल अन्य आय	**21.70**	**8.16**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

29. वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
(क)	**परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर**		
(i)	**ऋणों पर ब्याज**		
	- सावधि ऋण एवं अन्य	4,694.63	4,429.49
	- पट्टा देयता पर ब्याज	0.77	0.77
(ii)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
	- बॉण्ड/डिबेंचर	17,081.20	15,932.23
	- कमर्शियल पेपर	129.42	433.33
(iii)	**सबॉर्डिनेटिड देयताओं पर ब्याज**	850.04	851.51
(iv)	**अन्य ब्याज व्यय**		
	- ब्याज सब्सिडी निधि पर ब्याज (टिप्पणी 20.3 (ii) देखें)	1.41	1.35
	- आवेदन शुल्क पर ब्याज - बॉण्ड	0.04	0.06
	- सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिमों पर ब्याज	2.88	5.07
	- आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ब्याज	2.19	0.17
(v)	**- स्वैप प्रीमियम (निवल)**	431.91	199.21
	कुल वित्त लागत	**23,194.49**	**21,853.19**

30. निवल परिवर्तन/ लेनदेन विनिमय हानि/ (अभिलाभ)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
	निम्नलिखित के कारण निवल परिवर्तन/ लेनदेन विनिमय हानि/ (अभिलाभ)		
(i)	01.04.2018 को या उसके बाद मान्य की गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (एलटीएफसीएमआई) का परिवर्तन	(683.84)	1,950.69
(ii)	31.03.2018 तक मान्य की गई एलटीएफसीएमआई पर सृजित विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा का परिशोधन	519.78	682.73
	निवल परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि/(अभिलाभ)	**(164.06)**	**2,633.42**

30.1 वर्ष के अंत में प्रचलित दर पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
विनिमय दर		
अमरीकी डॉलर/रुपया	73.5047	75.3859
यूरो/रुपया	86.0990	83.0496
जापानी येन/रुपया	0.6636	0.6965

31. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
(i)	एजेंसी शुल्क	1.28	1.33
(ii)	गारंटी, सूचीबद्धता एवं न्यास शुल्क	2.31	1.57
(iii)	क्रेडिट रेटिंग शुल्क	9.36	6.23
(iv)	अन्य वित्त प्रभार	1.33	1.63
	कुल शुल्क एवं कमीशन व्यय	**14.28**	**10.76**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

32. उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(अभिलाभ)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर:		
(i)	- डरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन	542.78	(696.26)
(ii)	- निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(23.83)	(2.79)
	उचित मूल्य में परिवर्तन पर कुल निवल हानि/(अभिलाभ)	**518.95**	**(699.05)**
	उचित मूल्य में परिवर्तन:		
(i)	- प्राप्त	258.50	145.56
(ii)	- अप्राप्त	260.45	(844.61)
	उचित मूल्य में परिवर्तन पर कुल निवल हानि/(अभिलाभ)	**518.95**	**(699.05)**

32.1 इस टिप्पणी में उचित मूल्य के परिवर्तन अर्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न परिवर्तन से भिन्न हैं।

33. वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर:		
(i)	ऋण*	3,617.79	987.09
(ii)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2.05	10.11
(iii)	चुकौती आश्वासन पत्र	(123.44)	(6.23)
(iv)	निवेश	-	0.25
	वित्तीय लिखतों पर कुल क्षतिग्रस्तता	**3,496.40**	**991.22**

* इसमें ऋण समाधान के अंतर्गत अर्जित निवेश पर ₹2,860.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,463.55 करोड़) का अपलेखन एवं क्षतिग्रस्तता और ₹3,017.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,610.28 करोड़) की क्षतिग्रस्तता हानि छूट का तदनुरूपी प्रत्यावर्तन शामिल है।

33.1 वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता के ब्यौरे के लिए टिप्पणी 40.1 देखें।

34. कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
(i)	वेतन एवं मजदूरी	141.31	129.98
(ii)	भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	15.19	14.79
(iii)	कार्मिक कल्याण व्यय	32.28	43.81
(iv)	कार्मिकों के आवासीय आवास के लिए किराया	5.84	5.24
	कुल कार्मिक हितलाभ व्यय	**194.62**	**193.82**

34.1 विभिन्न कार्मिक हितलाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में इंड एएस 19 'कार्मिक हितलाभ' के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी 44 में प्रदान किए गए हैं।

35. निगमित सामाजिक दायित्व

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन विनियमावली, 2021 ('संशोधन') को अधिसूचित किया है और कंपनी संशोधन अधिनियम, 2019 एवं कंपनी संशोधन अधिनियम, 2020 के माध्यम से कंपनी अधिनियम की धारा 135 में किए गए संशोधनों के लिए प्रभावी तारीख के रूप में 22 जनवरी, 2021 को भी अधिसूचित किया है।

उक्त अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधन के अनुसार, सीएसआर की किसी अप्रयुक्त राशि को, किसी चल रही परियोजना के लिए सीएसआर राशि को छोड़कर, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित कर दिया जाएगा। किसी चल रही परियोजना के अनुसरण में व्यय न की गई किसी राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, ऐसा न होने पर वह तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में उसे अंतरित करेगा।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

इसके अतिरिक्त, यदि कंपनी क़ानून के अंतर्गत अपेक्षा से अधिक राशि व्यय करती है, तो अतिरिक्त राशि को अगले तीन वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली राशि के निमित्त समायोजित किया जा सकता है।

चूंकि अधिसूचना को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रभावी बनाया गया है, कंपनी वर्तमान वित्तीय वर्ष से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन कर रही है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2020 तक सीएसआर की अव्ययित राशि को संशोधन पूर्व फ्रेमवर्क के अनुसार निपटान करने का कार्य जारी रहेगा।

35.1 संशोधन पूर्व फ्रेमवर्क के अनुसार (अर्थात 31 मार्च, 2020 तक) और संशोधन पश्चात फ्रेमवर्क के अनुसार (अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए) वर्ष के दौरान सीएसआर की गतिविधियों पर कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21			वित्तीय वर्ष 2019-20
		31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए	कुल	
(i)	प्रारंभिक अव्ययित राशि	217.59	-	217.59	178.88
(ii)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु व्यय करने के लिए अपेक्षित राशि	-	148.45	148.45	135.86
(iii)	बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली उपर्युक्त (ii) में से अनुमोदित राशि	-	148.45	148.45	135.86
(iv)	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	74.16	187.84	262.00	97.15
(v)	अव्ययित/(अधिक)	143.43*	(39.39)$	104.04	217.59

* विभिन्न परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत, जहां सहमत शर्तों के अनुसार संवितरण किया जा रहा है।

$ तीन उत्तरगामी वित्तीय वर्षों में व्यय किए जाने वाले सीएसआर बजट के निमित्त समायोजित किया जाएगा

35.2 वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की गई राशि का गतिविधि-वार विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21			वित्तीय वर्ष 2019-20		
		भुगतान या निपटान की गई	भुगतान नहीं किया गया है	कुल	भुगतान या निपटान की गई	भुगतान नहीं किया गया है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपर्युक्त (i) से भिन्न प्रयोजनों पर						
(iiक)	स्वच्छता/ अपशिष्ट प्रबंधन/ पेयजल	11.69	-	11.69	11.88	-	11.88
(iiख)	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	15.91	-	15.91	23.20	-	23.20
(iiग)	पर्यावरणीय संपोषणीयता (सोलर एप्लीकेशन/ वनीकरण/ ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	8.17	-	8.17	21.49	-	21.49
(iiघ)	खेल	0.15	-	0.15	-	-	-
(iiङ.)	अन्य#	221.23	-	221.23	36.55	-	36.55
(iiच)	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक उपरिव्यय जो सीएसआर पर व्यय करने के लिए अपेक्षित कुल राशि के 5% तक सीमित है	4.85	-	4.85	4.03	-	4.03
(iii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (35.1(ii) +35.2(ii))	262.00	-	262.00	97.15	-	97.15
(iv)	घटाएं: व्यय की गई अतिरिक्त राशि (अगले वर्ष में अग्रेनीत करने के लिए)	39.39	-	39.39	-	-	-
(v)	व्यय की गई राशि जिसे लाभ और हानि के एकल विवरण में प्रभारित किया गया है (iii - iv)	222.61	-	222.61	97.15	-	97.15

आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, ₹200 करोड़ का किया गया अंशदान शामिल है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

36. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागत	4.43	4.99
(ii)	मरम्मत एवं अनुरक्षण	4.63	5.40
(iii)	संचार लागत	2.09	1.61
(iv)	मुद्रण और लेखन सामग्री	0.92	1.64
(v)	विज्ञापन एवं प्रचार	8.30	13.62
(vi)	निदेशक शुल्क, भत्ता एवं व्यय	0.20	0.17
(vii)	लेखापरीक्षक शुल्क एवं व्यय (टिप्पणी 36.1 देखें)	1.19	1.26
(viii)	विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	8.11	6.73
(ix)	बीमा	0.27	0.18
(x)	यात्रा एवं वाहन	11.09	18.35
(xi)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विमान्यता पर निवल हानि/(अभिलाभ)	1.12	0.96
(xii)	अन्य व्यय	28.45	34.00
	कुल अन्य व्यय	**70.80**	**88.91**

36.1 लेखा परीक्षक शुल्क एवं व्यय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
	सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया शुल्क:		
(i)	- लेखापरीक्षक के रूप में	0.46	0.46
(ii)	- कराधान के मामलों के लिए	0.12	0.12
(iii)	- कंपनी विधि मामलों के लिए (इसमें सीमित समीक्षा शुल्क शामिल है)	0.28	0.30
(iv)	- अन्य सेवाओं के लिए	0.24	0.33
(v)	- लेखापरीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में गैर वसूलीयोग्य जीएसटी क्रेडिट	0.09	0.05
	कुल लेखापरीक्षक शुल्क और व्यय	**1.19**	**1.26**

37. 'आयकर' से संबंधित प्रकटीकरण

37.1 लाभ एवं हानि के एकल विवरण में मान्य किया गया आयकर व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
कर व्यय:		
वर्तमान वर्ष	2,613.09	1,406.73
पिछले वर्ष*	178.94	17.75
(क) कुल कर व्यय	**2,792.03**	**1,424.48**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति एवं वापसी	(1,028.73)	(20.29)
कर की दरों में बदलाव या नए कर लगाने से संबंधित	-	1,133.21
(ख) कुल आस्थगित कर व्यय	**(1,028.73)**	**1,112.92**
कुल आयकर व्यय (क+ख)	**1,763.30**	**2,537.40**

* कंपनी ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 1996-97 से लेकर निर्धारण वर्ष 2015-16 तक से संबंधित आयकर मुकदमों के समाधान का विकल्प चुना है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ और हानि के एकल विवरण में पिछले वर्षों के लिए कर व्यय के रूप में ₹131.38 करोड़ की राशि प्रभारित की गई है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

37.2 अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया आयकर व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
आस्थगित कर व्यय		
(क) मदें जिनको लाभ एवं हानि के रूप में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन: मापन	(1.13)	(0.08)
(ख) मदें जिनको लाभ एवं हानि के रूप में पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		
नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं हानि का प्रभावी अंश	(6.96)	(4.23)
हेजिंग रिजर्व की लागत	(7.82)	-
कुल आस्थगित कर व्यय (क+ख)	**(15.91)**	**(4.31)**

37.3 कर व्यय तथा लेखांकन लाभ का मिलान

कर व्यय (आय) और कर पूर्व लाभ जिसे कॉर्पोरेट कर दर से गुणा किया गया है, का मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
कर पूर्व लाभ	**10,207.31**	**8,192.54**
कंपनी की लागू कर दर	25.168%	25.168%
कंपनी की लागू कर दर के प्रयोग द्वारा कर	**2,568.98**	**2,061.90**
निम्नलिखित का कर प्रभाव:		
गैर-कटौती योग्य कर व्यय	8.09	96.52
कर से छूट प्राप्त आय	-	(324.55)
धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती	(637.95)	(339.80)
अन्य	(354.76)	(107.63)
पिछले वर्ष की कर देयता	178.94	17.75
कर की दर में परिवर्तन*	-	1,133.21
लाभ एवं हानि के स्टैंडअलोन विवरण में कुल कर व्यय	**1,763.30**	**2,537.40**

* पिछले वित्तीय वर्ष में लागू कर दर को 34.944% से परिवर्तित करके 25.168% किए जाने के कारण, जो कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा शुरू किया गया है।

37.4 कटौती योग्य अस्थायी अंतर/ अप्रयुक्त कर हानियां/ अग्रेनीत अप्रयुक्त कर क्रेडिट

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक (₹ करोड़ में)	समाप्ति की तारीख	31 मार्च, 2020 तक (₹ करोड़ में)	समाप्ति की तारीख
कटौती योग्य अस्थायी अंतर/ अप्रयुक्त कर हानियां/ अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिनके लिए एकल तुलन-पत्र में कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्य नहीं की गई है	1.25	31.03.2024	1.25	31.03.2024
	2.54	31.03.2025	2.54	31.03.2025
	0.03	31.03.2028	-	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

37.5 आस्थगित कर शेष में मूवमेंट:

वित्तीय वर्ष 2020-21

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2020 को निवल शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31.03.2021 को निवल शेष
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति				
(i) आयकर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान के आधार पर कटौतीयोग्य व्यय के लिए प्रावधान	20.42	2.71	1.13	24.26
(ii) ऋणकर्ताओं को ऋण पर अपरिशोधित आय	51.99	6.72	-	58.71
(iii) आरबीडीडी से अधिक वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	3,390.19	720.49	-	4,110.68
(iv) मूल्यहास एवं परिशोधन	1.49	0.86	-	2.35
(v) डेरिवेटिव का उचित मूल्य (निवल)	10.88	(6.99)	14.78	18.67
(vi) अन्य	20.60	3.78	-	24.38
(ख) (आस्थगित कर देयताएं)				
(i) पट्टा आय	(47.99)	47.99	-	-
(ii) अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(365.07)	204.61	-	(160.46)
(iii) ऋण देयताओं पर अपरिशोधित व्यय	(80.04)	(1.76)	-	(81.80)
(iv) अन्य	(50.35)	50.32	-	(0.03)
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**2,952.12**	**1,028.73**	**15.91**	**3,996.76**

वित्तीय वर्ष 2019-20

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2019 को निवल शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31.03.2020 को निवल शेष
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति				
(i) आयकर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान के आधार पर कटौतीयोग्य व्यय के लिए प्रावधान	26.77	(6.43)	0.08	20.42
(ii) ऋणकर्ताओं को ऋण पर अपरिशोधित आय	64.03	(12.04)	-	51.99
(iii) आरबीडीडी से अधिक वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	4,416.17	(1,025.98)	-	3,390.19
(iv) मूल्यहास एवं परिशोधन	0.98	0.51	-	1.49
(v) डेरिवेटिव का उचित मूल्य (निवल)	31.56	(24.91)	4.23	10.88
(vi) अन्य	-	20.60	-	20.60
(ख) (आस्थगित कर देयताएं)				
(i) पट्टा आय	(66.64)	18.65	-	(47.99)
(ii) अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(271.19)	(93.88)	-	(365.07)
(iii) ऋण देयताओं पर अपरिशोधित व्यय	(98.65)	18.61	-	(80.04)
(iv) अन्य	(42.30)	(8.05)	-	(50.35)
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**4,060.73**	**(1,112.92)**	**4.31**	**2,952.12**

38. इंड एएस 33 'प्रति शेयर अर्जन' के अनुसार प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
(क)	**न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त अवधि के लिए लाभ (मूल और तनुकृत) (₹ करोड़ में):**		
(i)	जारी प्रचालनों से	8,444.01	5,655.14
(ii)	बंद प्रचालनों से	-	-
(iii)	जारी एवं बंद प्रचालनों से	8,444.01	5,655.14
(ख)	**डीनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मूल एवं तनुकृत)**	2,64,00,81,408	2,64,00,81,408
(ग)	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (मूल एवं तनुकृत), अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक (₹):**		
(i)	जारी प्रचालनों से	31.98	21.42
(ii)	बंद प्रचालनों से	-	-
(iii)	जारी एवं बंद प्रचालनों से	31.98	21.42

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

39. पूंजी प्रबंधन

कंपनी पूंजी आधार का अनुरक्षण करती है जो कंपनी की जोखिम प्रोफाइल, विनियामक एवं कारोबारी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। कंपनी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से निधियां प्राप्त करती है जिससे अन्य बातों के साथ निवेशक आधार में विविधता तथा पूंजी की इष्टतम लागत का मार्ग प्रशस्त होता है। निधियों के स्रोतों के संबंध में विवरण के लिए टिप्पणी 17, 18 और 19 देखें और इक्विटी के संबंध में विवरण के लिए इक्विटी में परिवर्तन का एकल विवरण देखें।

जैसा कि आरबीआई के मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा अस्वीकारकर्ता कंपनी और जमा स्वीकारकर्ता कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश 2016, यथा संशोधित (इसके बाद इसे 'आरबीआई मास्टर निर्देश' कहा गया है) में निहित है, कंपनी को टीयर-1 और टीयर-2 पूंजी के पूंजी अनुपात का अनुरक्षण करना है जो तुलन-पत्र में उसकी सकल जोखिम भारित परिसंपत्तियों तथा तुलन-पत्र से भिन्न मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15% से कम नहीं होना चाहिए। इसमें से टीयर-1 पूंजी 10% से कम नहीं होगी। कंपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में पूंजी के निर्धारित स्तरों के अनुरक्षण की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करती है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी अन्य बातों के साथ निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर के निर्गम, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों के वापस क्रय आदि के संबंध में 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का पूंजी पुनर्गठन' पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करती है।

39.1 जोखिम भारित परिसंपत्ति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) तथा कंपनी के अन्य प्रमुख वित्तीय पैरामीटर इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
सीआरएआर - टीयर I पूंजी	15.46%	12.45%
सीआरएआर - टीयर II पूंजी	3.37%	4.51%
कुल सीआरएआर	18.83%	16.96%
निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	52,393.12	45,164.13
ऋण इक्विटी अनुपात*	6.20	6.72

* ऋण प्रतिभूतियों, ऋणों और सबॉर्डिनेटिड देयताओं के बकाया मूलधन का उपयोग करके गणना की गई।

39.2 जुटाए गए सबॉर्डिनेटिड ऋण/स्थायी ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
टीयर II पूंजी के रूप में जुटाए गए सबॉर्डिनेटिड ऋण की राशि	-	-
स्थायी ऋण लिखतों के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि	-	-

39.3 लाभांश वितरण नीति

कंपनी की सुपरिभाषित लाभांश वितरण नीति है। लाभांश वितरण नीति विविध कारकों पर ध्यान देती है जिसमें समय-समय पर यथालागू दिशा-निर्देशों के अधीन सरकारी दिशा-निर्देश, भावी पूंजी व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति तथा लाभांश पर कर सहित लागू कर शामिल हैं, परंतु यह इतने तक ही सीमित नहीं है।

निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग (दीपम), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन कर पश्चात लाभ के 30% या नेट वर्थ के 5%, जो भी अधिक हो, के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, लेकिन यह विभिन्न वित्तीय मानदंडों जैसे कि नेट वर्थ, कैपेक्स/व्यापार विस्तार की जरूरतों; कंपनी की सहायक/सहयोगी कंपनियों में अतिरिक्त निवेश आदि के विश्लेषण के बाद विद्युत मंत्रालय को कम लाभांश का प्रस्ताव कर सकती है। वर्ष के दौरान भुगतान/अनुशंसित किए गए लाभांश के विवरण के लिए टिप्पणी 24.2 और टिप्पणी 24.3 देखें।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

40. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी को विभिन्न जोखिमों का खतरा है जो उस परिवेश में अंतर्निहित हैं जिसमें यह प्रचालन करती है। कंपनी विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में है। प्रधान जोखिम जो कंपनी के व्यवसाय मॉडल में अंतर्निहित है तथा वित्तीय लिखतों के उपयोग से उत्पन्न होते हैं, में क्रेडिट जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम तथा बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम एवं कीमत जोखिम) शामिल हैं।

निम्नलिखित सारणी व्यापक रूप से ऐसे जोखिमों के स्रोतों का वर्णन करती है जिनका कंपनी को खतरा है तथा इसमें जोखिमों के प्रबंधन के तरीके तथा वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रभाव का भी उल्लेख है:

टिप्पणी	जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न एक्सपोजर	मापन	जोखिम प्रबंधन
40.1	क्रेडिट जोखिम	ऋण, निवेश, नकदी और नकदी समकक्ष, अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	काल प्रभाव विश्लेषण	विस्तृत आकलन प्रक्रिया, क्रेडिट सीमा तथा सरकारी गारंटी सहित कोलेटरल
40.2	लिक्विडिटी जोखिम	ऋण प्रतिभूतियां, ऋण, सबॉर्डिनेटिड देयताएं तथा अन्य वित्तीय देयताएं	नकदी प्रवाह की भविष्यवाणी	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों तथा ऋण की सुविधाओं की उपलब्धता
40.3	बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा जोखिम	मान्यताप्राप्त वित्तीय देयताएं जो भारतीय रुपए (आईएनआर) में वर्णित नहीं हैं	संवेदनशीलता विश्लेषण	मुद्रा जोखिम से हेजिंग के लिए डेरिवेटिव संविदाएं
40.4	बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम	ऋण प्रतिभूतियां, ऋण, सबॉर्डिनेटिड देयताएं तथा परिवर्तनशील दरों पर ऋण	ब्याज दर अंतर विश्लेषण	ब्याज दर की विविध शर्तों के साथ ऋण व्यवस्थाओं का अनुसरण, डेरिवेटिव संविदा जैसे कि ब्याज दर, स्वैप आदि।
40.5	बाजार जोखिम - कीमत जोखिम	उद्धृत इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	कार्यनीतिक निवेशों पर फोकस के साथ पोर्टफोलियो का विविधीकरण

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए, कंपनी ने एक एकीकृत उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक मॉनीटरिंग की जाती है और कुशलता से प्रबंधन किया जाता है। आरबीआई की 16 मई 2019 की अधिसूचना डीएनबीआर(पीडी) सीसी.सं.099/03.10.001/2018-19 के अनुसार; कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की वृद्धि के लिए निदेशक मंडल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, मापन और शमन की प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण अर्थात उपर्युक्त प्रत्येक जोखिम की पहचान, मापन और प्रबंधन के लिए कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं का बाद के पैराग्राफों में वर्णन किया गया है।

40.1 क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहने पर कंपनी को वित्तीय हानि पहुंचाएगा। कंपनी के लिए क्रेडिट जोखिम उत्पन्न करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
न्यूनतम क्रेडिट जोखिम		
नकदी और नकदी समतुल्य(क)	3,717.62	182.52
नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक शेष(ख)	1,044.58	16.47
ऋण (बकाया मूलधन)(ग)	3,02,100.27	2,84,211.50
निवेश (इक्विटी निवेश को छोड़कर)(क)	324.81	978.91
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां(ख)	5,336.77	5,339.12
साधारण क्रेडिट जोखिम		
ऋण (बकाया मूलधन)(ग)	47,520.56	32,821.38
उच्च क्रेडिट जोखिम		
ऋण (बकाया मूलधन)(ग)	21,150.16	27,871.70
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां(ख)	22.46	20.41

टिप्पणियां:

(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य और अन्य बैंक शेष पर क्रेडिट जोखिम सीमित है क्योंकि ये वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों, उच्च श्रेणी के निजी क्षेत्र के बैंकों और म्यूचुअल फंड हाउसों के पास रहते हैं, जो कंपनी की नीति में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। कंपनी ने संबंधित बैंकों/म्यूचुअल फंड हाउसों के साथ विभिन्न प्रकार के लिखतों में निधियों के परिनियोजन के लिए जोखिम सीमा भी निर्धारित की है।
अपने निवेशों के लिए, कंपनी समय-समय पर ऐसे निवेशों की मॉनीटरिंग करके और वहन मूल्य निकालने के लिए मूल्यांकन की उचित तकनीकों को लागू करके क्रेडिट जोखिम के अपने जोखिम का प्रबंधन करती है।

(ख) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन उन पक्षकारों की क्रेडिट योग्यता के बारे में कंपनी के ज्ञान के आधार पर किया जाता है और ऐसी राशियों की प्रतिलब्धता की मॉनीटरिंग द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कंपनी 31.03.2021 तक अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर ₹22.46 करोड़ की क्षतिग्रस्तता हानि छूट वहन करती है (31.03.2020 तक ₹20.41 करोड़)।

(ग) कंपनी को प्राथमिक रूप से ऋण संबंधी अपने प्रचालनों के माध्यम से क्रेडिट जोखिम का खतरा है। इसे नीचे दिए गए पैराग्राफ में समझाया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

40.1.1 ऋण प्रचालनों के लिए क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रमुख नीतियां एवं प्रक्रियाएं स्थापित की हैं जिसमें क्रेडिट नीतियां तैयार करना, क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर के लिए कंपनी के एप्टाइट का मार्गदर्शन करना, क्रेडिट जोखिम की समीक्षा एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना तथा निष्पादन एवं पोर्टफोलियो के प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना शामिल है। कंपनी की सभी प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित हैं।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन में दो प्रमुख क्षेत्र अर्थात परियोजना मूल्यांकन एवं परियोजना मॉनीटरिंग शामिल हैं। कंपनी द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति के अनुसरण में कंपनी ऋणकर्ताओं का चयन करती है, जो अन्य बातों के साथ ऋणकर्ता/परियोजना के वर्गीकरण के लिए विचार किए जाने वाले कारकों को परिभाषित करती है। कंपनी की ग्राहक चयन प्रक्रिया परियोजना को प्रमोट करने वाली संस्था की लाभप्रदता सहित परियोजना की लाभप्रदता का मूल्यांकन करती है। ब्याज दर तथा अधिकतम अनुमत एक्सपोजर अन्य बातों के साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए आंतरिक वर्गीकरण पर आधारित है।

(i) परियोजना आकलन

किसी परियोजना को वित्तपोषित करने से पूर्व क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए कंपनी सुव्यवस्थित, संस्थानिक परियोजना आकलन प्रक्रिया का अनुसरण करती है।

(क) निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए आकलन

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, दो चरणीय आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है। शुरू में विस्तृत आकलन के लिए चयन हेतु परियोजना की प्रथम दृष्टया तत्परता का निर्धारण करने के लिए प्रारंभिक आकलन किया जाता है। प्रारंभिक आकलन के आधार पर चयनित परियोजनाओं के लिए विस्तृत आकलन किया जाता है।

कंपनी द्वारा परियोजना की लाभप्रदता के मूल्यांकन के साथ इक्विटी का योगदान करने तथा परियोजना को पूर्ण करने के लिए उसके प्रमोटर की सामर्थ्य का भी आकलन किया जाता है। कंपनी एकीकृत रेटिंग पद्धति का पालन करती है जिसके द्वारा परियोजना ग्रेडिंग और प्रमोटर ग्रेडिंग के अंकों के भारित औसत का उपयोग करके एकीकृत रेटिंग (आईआर) की गणना की जाती है। परियोजना की एकीकृत रेटिंग के आधार पर, निबंधन एवं शर्तें (सुरक्षा पैकेज और ब्याज दर सहित) निर्धारित की जाती हैं।

(ख) राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए आकलन

विस्तृत आकलन के लिए राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करने के लिए चयन किया जाता है कि क्या यह तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ तथा राज्य की एकीकृत विद्युत विकास एवं विस्तार योजनाओं से संगत है।

कंपनी प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन को कवर करने वाले विशिष्ट पैरामीटरों के निमित्त विद्युत संस्था के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर राज्य विद्युत उत्पादन विद्युत संस्था को विभिन्न जोखिम रेटिंग ग्रेड में वर्गीकृत करती है। पारेषण संस्थाओं के संबंध में, कंपनी अपनी नीति के अनुसार अपनी सहायक कंपनी आरईसीएल के वर्गीकरण को अपनाती है। एकीकृत विद्युत संस्था सहित राज्य विद्युत वितरण संस्था के संबंध में, कंपनी की वर्गीकरण नीति कंपनी की रेटिंग संरचना के अंतर्गत रेटिंग/ ग्रेडिंग के साथ ऐसी रेटिंग/ ग्रेडिंग को संरेखित करके विद्युत मंत्रालय (एमओपी) की एकीकृत रेटिंग अपनाने का प्रावधान करती है।

क्रेडिट एक्सपोजर सीमा, प्रतिभूति की आवश्यकताओं तथा राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को प्रदान किए गए ऋणों के मूल्य के निर्धारण के लिए ऐसी श्रेणियों/वर्गीकरणों का उपयोग किया जाता है। कंपनी ने एकल ऋणकर्ता के लिए एक्सपोजर तथा राज्य के भीतर एक्सपोजर की मॉनीटरिंग के लिए भी तंत्र स्थापित किया है।

विस्तृत परियोजना आकलन में विभिन्न पहलुओं जैसे कि परियोजना इनपुट, सांविधिक एवं गैर सांविधिक अनापत्तियों, संविदाओं, परियोजना लिंकेज, वित्तीय मॉडल/प्रक्षेपण, प्रतिफलों की गणना, संवेदनशीलता विश्लेषण आदि को शामिल करते हुए तकनीकी एवं वित्तीय आकलन शामिल होता है।

उपर्युक्त विस्तृत विश्लेषण के बाद, परियोजना एवं एंटिटी की समग्र लाभप्रदता का मूल्यांकन किया जाता है और पूर्व प्रतिबद्धता, पूर्व संवितरण आदि के रूप में विभिन्न शर्तें निर्धारित की जाती हैं ताकि निधियों (ऋण एवं इक्विटी दोनों), सभी भौतिक इनपुट, सभी संविदाओं की उपयुक्तता, परियोजना से संबंधित करारों/ संविदाओं/ सांविधिक एवं गैर सांविधिक अनापत्तियों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन आदि का सुनिश्चय हो सके और सामान्य तौर पर परियोजना की ऋण ग्राह्यता एवं ऋण के समय से चुकौती के लिए ऋणदाता के रूप में कंपनी के ब्याज के संरक्षण का सुनिश्चय हो सके। ऋण के आकार के अनुरूप क्रेडिट की सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए कंपनी के पास एक प्राधिकार/प्रत्यायोजन संरचना है।

(ii) प्रतिभूति एवं प्रसंविदाएं

कंपनी परियोजना के निर्माण तथा सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख) पश्चात अवधि के दौरान जोखिमों का शमन करने के लिए प्रतिभूति के उपायों/प्रसंविदाओं का पैकेज निर्धारित करती है। जोखिम एप्टाइट की क्षमता और परियोजना के आकलन के आधार पर, कंपनी निम्नलिखित उपायों के समूह को अपनाती है:

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(क) प्राथमिक प्रतिभूति - परियोजना परिसंपत्तियों या राज्य सरकार की गारंटियों पर प्रभार

(ख) कोलेटरल प्रतिभूतियां - कॉर्पोरेट गारंटी, प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी, शेयरों की गिरवी, समूह/ अन्य कंपनियों की परिसंपत्ति/ राजस्व पर प्रभार

(ग) भुगतान सुरक्षा तंत्र - एस्क्रो खाता/लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रस्ट एवं प्रतिधारण खाता (टीआरए)

(घ) अन्य प्रसंविदाएं - सभी परियोजना संविदाओं को देना, दस्तावेज, कंपनी के पक्ष में बीमा नीतियां, अप्फ्रंट इक्विटी आवश्यकता, ऋण चुकौती आरक्षित खाता (डीएसआरए), ऋण इक्विटी अनुपात, शेयरधारकों के करार, वित्तीय क्लोज़र आदि।

(iii) परियोजना मॉनीटरिंग

कंपनी के पास व्यापक परियोजना/ऋण मॉनीटरिंग दिशा-निर्देश है जो परियोजना निर्माण एवं कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग एवं ट्रैकिंग, चालू हो चुकी परियोजनाओं की प्रगति से संबंधित पहलुओं को कैप्चर करता है; जोखिमों की पहचान करता है जहां समय एवं लागत आधिक्य है तथा संवितरण में परिणामी फिसलन को न्यूनतम करने के लिए दखल देने की आवश्यकता होती है।

राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, प्रगति मॉनीटरिंग रिपोर्टों, स्थल के दौरों, ऋणकर्ताओं के साथ चर्चा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना/रिपोर्टों आदि के माध्यम से ऋणकर्ताओं से परियोजना की प्रगति के बारे में नियमित रूप से प्राप्त ब्यौरों के आधार पर मॉनीटरिंग की जाती है।

निजी क्षेत्र के लिए, जहां कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था है, कंपनी ऋणदाता इंजीनियर (एलई) और ऋणदाता वित्तीय सलाहकार (एलएफए) तैनात करती है, जो विभिन्न ऋणदाताओं तथा कंसोर्शियम के सदस्यों की ओर से कार्य करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियां हैं। एलई समय-समय पर साइट का दौरा करते हैं, प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं, ऋणकर्ताओं के साथ चर्चा करते हैं और परियोजना की प्रगति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। एलएफए आवधिक आधार पर परियोजना में निधियों के उपयोग तथा निधि प्रवाह का विवरण प्रस्तुत करते हैं। जिन मामलों में कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था नहीं है, एलई और एलएफए की सेवाओं से संबंधित कार्यों का समन्वय संबंधित प्रमुख ऋणदाता के साथ किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कुछ परियोजनाओं की समेकित आवधिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें महत्वपूर्ण अवलोकन/मुद्दे शामिल होते हैं जैसे कि सरोकार के क्षेत्र, विलंब के कारण, परियोजना को प्रभावित करने वाले मुद्दे, कार्यान्वयन आदि तथा कंपनी द्वारा उनकी नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।

कंपनी विलंब और/या ऋणकर्ताओं की डिफॉल्ट तथा उनकी वसूलनीयता की लगातार मॉनीटरिंग करती है। ऋणकर्ता के खाते में डिफॉल्ट होने पर, कंपनी आवश्यक कार्रवाई शुरू करती है जिसमें आरबीआई को विशेष वर्णन लेखा (एसएमए) की रिपोर्टिंग, बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय रिपॉजिटरी (सीआरआईएलसी) आदि को रिपोर्टिंग, सभी अतिदेय की वसूली द्वारा लेखा को नियमित करना, देयों की वसूली के लिए गारंटियों/प्रतिभूतियों का उपयोग करना, ऋण करार के अनुसार ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना, ऋण लेखा का पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ समाधान योजना तैयार करना, स्वामित्व में परिवर्तन, निगमित दिवाला समाधान तंत्र (सीआईआरपी), अन्य एंटिटियों/निवेशकों को एक्सपोजर की बिक्री, अन्य वसूली तंत्र जैसे कि ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), एसएआरएफएईएसआई, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) (आईबीसी-2016) आदि के समक्ष कानूनी कार्रवाई के लिए मामले को संदर्भित करना तथा विनियामक/विधिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य कदम शामिल हो सकते हैं, परंतु यह इतने तक ही सीमित नहीं है।

40.1.2 क्रेडिट जोखिम मापन - क्षतिग्रस्तता का मूल्यांकन

(i) ऋणों की चरणबद्धता

इंड एएस 109 शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के आधार पर क्षतिग्रस्तता के मापन के लिए 3 चरणीय मॉडल रेखांकित करता है। अपने ऋणकर्ताओं को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी निम्नलिखित आधार का उपयोग करती है:

- वित्तीय परिसंपत्ति जो शुरूआती मान्यता पर क्रेडिट की दृष्टि से क्षतिग्रस्त नहीं है, को 'चरण I' में वर्गीकृत किया जाता है।

- यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) की पहचान की जाती है, तो वित्तीय परिसंपत्ति को 'चरण II' में हस्तांतरित किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल में होने वाली डिफॉल्ट के जोखिम में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि क्या शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में सारवान रूप से वृद्धि हुई है। इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार, कंपनी ने खंडन योग्य अनुमान को लागू किया है जो क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि को निर्धारित करने के लिए 30 दिन से अधिक समय से बकाया को पैरामीटर के रूप में मानता है।

- यदि वित्तीय परिसंपत्ति क्रेडिट की दृष्टि से क्षतिग्रस्त है, तो उसे 'चरण III' की श्रेणी में हस्तांतरित किया जाता है।

चरण III की वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद (एनसीएलटी के माध्यम से स्वामित्व और/या समाधान में परिवर्तन को छोड़कर), वित्तीय परिसंपत्ति को अपग्रेड किया जाता है और समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख से दो तिमाहियों के लिए चरण II के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(ii) **डिफॉल्ट**

इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार, कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को डिफॉल्ट के रूप में परिभाषित करने के लिए खंडन योग्य अनुमान पर विचार करती है, अर्थात जब ऋण खाता अपने संविदात्मक भुगतानों पर 90 दिन से अधिक समय से बकाया हो। क्रेडिट क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियां डिफॉल्ट की परिभाषा के साथ संरेखित हैं।

(iii) **अनुमानित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) का मापन**

कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुमानित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) नीति के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षतिग्रस्तता हानि छूट को मान्य करती है। 12 माह या आजीवन आधार पर ईसीएल का मापन किया जाता है जो इस बात पर निर्भर होता है कि क्या शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना (पीडी), लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) और डिफॉल्ट पर एक्सपोजर (ईएडी) का परिणाम है। कंपनी ने इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार ईसीएल के मूल्यांकन के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड को नियुक्त किया है। ईसीएल की गणना की संक्षिप्त पद्धति इस प्रकार है:

(क) डिफॉल्ट की संभावना (पीडी)

पीडी किसी निश्चित समय सीमा में डिफॉल्ट की संभावना का अनुमान है। इसका अनुमान किसी समय पर लगाया जाता है। 12 माह के पीडी का मूल्यांकन करने के लिए अगले 12 माह में डिफॉल्ट करने की ऋण की संभावना का सुनिश्चय किया जाता है और इसी तरह आजीवन पीडी का मूल्यांकन करने के लिए डिफॉल्ट करने वाले ऋण के शेष जीवनकाल में उसकी संभावना का सुनिश्चय किया जाता है।

चरण I लेखा के लिए, 12 माह के पीडी का उपयोग किया जाता है।

चरण II के क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले लेखा के लिए आजीवन पीडी का उपयोग किया जाता है।

चरण III के क्षतिग्रस्त क्रेडिट लेखा के लिए 100% पीडी लिया जाता है।

12 महीने के पीडी के लिए: ईसीएल के मूल्यांकन के लिए बाहरी रेटिंग ग्रेड (आईसीआरए के रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स के एक भाग के रूप में प्रकाशित) से जुड़े पीडी का उपयोग किया गया है। राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, इसे कंपनी की आंतरिक रेटिंग के साथ मैपिंग के आधार पर निकाला गया है। जबकि निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, इसे विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित नवीनतम बाहरी रेटिंग के साथ मैपिंग के आधार पर निकाला गया है। निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए बाहरी रेटिंग की अनुपलब्धता के मामले में, एजेंसी द्वारा विकसित प्रॉक्सी जोखिम स्कोरिंग मॉडल के माध्यम से 12 महीने के पीडी की गणना की गई है। उक्त मॉडल मात्रात्मक वित्तीय अनुपातों जैसे कि गियरिंग (ऋण/इक्विटी), नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, ब्याज कवरेज अनुपात, ऋण से ईबीआईटीडीए अनुपात और गुणात्मक पैरामीटरों जैसे कि प्लांट लोड फैक्टर, एलएएफ और एसीएस एआरआर गैप का उपयोग करता है।

आजीवन पीडी के लिए: रेटिंग ग्रेड के आजीवन पीडी की गणना के लिए मार्कोव चेन मॉडल का उपयोग किया गया है।

(ख) लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी)

एलजीडी हानि संबंधी कारक है जिसे कंपनी तब अनुभव कर सकती है जब डिफॉल्ट होता है।

राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए, एलजीडी को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद और राजकोषीय घाटे को ध्यान में रखते हुए जोखिम श्रेणी के आधार पर निर्दिष्ट किया गया है।

निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, उत्पादन परियोजनाओं के मामले में एलजीडी का मूल्यांकन प्रति यूनिट परियोजना लागत, पूर्णता का प्रतिशत, परियोजना क्षमता जैसे कारकों के आधार पर और पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के मामले में परिसंपत्तियों के बही मूल्य, पूर्णता का प्रतिशत आदि के आधार पर किया गया है। इसके बाद सीईआरसी द्वारा प्रकाशित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर दबाव कारक और मूल्यहास को लागू करके उक्त मूल्यांकित मूल्यों को कम किया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य प्रकार की परियोजनाओं के मामले में चरणवार औसत एलजीडी लागू किया गया था।

चरण III के ऋणकर्ताओं के मामले में, प्रचालन परियोजनाओं के लिए रियायती अनुमानित नकदी प्रवाह विश्लेषण के आधार पर और परिसमापन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए परिसंपत्ति मूल्यांकन के आधार पर एलजीडी का मूल्यांकन किया गया है।

(ग) डिफॉल्ट पर एक्सपोजर (ईएडी)

यह बकाया एक्सपोजर है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है। ईएडी में ऋण के संबंध में बकाया मूलधन तथा ब्याज शामिल होता है।

(घ) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं

- कंपनी आधार तारीख के रूप में शुरूआती मान्यता की तारीख पर विचार करती है, जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

- चूंकि कंपनी को अपने किसी ऋणकर्ता को किसी संस्वीकृत पंरतु अनाहरित सीमा को निरस्त करने का अधिकार है, इसलिए रिपोर्टिंग की तारीख को ईएडी को बकाया शेष के रूप में माना जाता है।

(ड.) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का मूल्यांकन तथा ईसीएल की गणना दोनों अग्रदर्शी सूचना में शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, ईसीएल मूल्यांकन में कंपनी की सहायता के लिए नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रयुक्त क्रेडिट रेटिंग मॉडल विभिन्न वित्तीय अनुपातों, परियोजना के पूरा होने के विस्तार और तनावपूर्ण एवं अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों की संभावना को भी ध्यान में रखते हुए ऋणकर्ता को सौंपी जाने वाली क्रेडिट रेटिंग के निर्धारण में अग्रगामी सूचना पर भी विचार करते हैं। पीडी में स्थूल आर्थिक समायोजनों का समावेश मार्च 2020 में कोविड-19 के संबंध में आईसीएआई द्वारा प्रकाशित दिशा-निर्देशों को भी शामिल करता है। स्थूल आर्थिक पैरामीटरों जैसे आईआईपी (औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक), बिजली की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर, पैसे की आपूर्ति की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर आदि के सह-संबंध पर सबसे खराब, बेस और बेस्ट केस परिदृश्यों के लिए पीएफसी पोर्टफोलियो के जीएनपीए अनुपात के साथ विचार किया गया है और इसके बाद बेस पीडी टर्म संरचना में एक भारित शॉक फैक्टर जोड़ा गया। इसलिए पीडी मूल्य में पोर्टफोलियो के विशेष प्रकृति के जोखिम के साथ-साथ स्थूल आर्थिक जोखिम कारकों के प्रभाव भी शामिल होंगे।

40.1.3 क्रेडिट जोखिम विश्लेषण

(i) **क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर**

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त ऋणों के लिए क्रेडिट जोखिम का सकल एक्सपोजर उनकी वहन राशि के बराबर होता है।

ऋणों से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम के संबंध में कंपनी के एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 10 'ऋण' देखें।

जारी की गई वित्तीय गारंटी के लिए, क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ऐसी अधिकतम राशि है जिसे कंपनी को भुगतान करना होगा यदि गारंटियां आहूत की जाती हैं। अप्रतिसंहार्य ऋण प्रतिबद्धताओं के लिए, क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर प्रतिबद्धता की सुविधाओं की पूर्ण राशि है। गारंटी तथा बकाया संवितरण प्रतिबद्धताओं के एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 46 देखें।

(ii) **क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण**

क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम से तात्पर्य उसके स्वामित्व, सेक्टर, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी एकल कंपनी या कंपनियों के समूह के लिए बड़े ऋण/निवेश जोखिम से जुड़े जोखिम से है, जो अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता को ऋणदाता के मुख्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता के साथ आर्थिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तनों द्वारा समान रूप से प्रभावित करेगा।

निम्नलिखित सारणी जोखिम की समान विशेषताओं के आधार पर समग्र ऋण पोर्टफोलियो के जोखिम संकेंद्रण के विश्लेषण का वर्णन करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य क्षेत्र (अर्थात राज्य सरकार और/या केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन एंटिटी) को ऋण	3,11,386.55	1,335.17	2,87,513.78	256.89
निजी क्षेत्र को ऋण	59,384.44	15,262.62	57,390.80	15,707.14
कुल	**3,70,770.99**	**16,597.79**	**3,44,904.58**	**15,964.03**

* चुकौती आश्वासन-पत्र पर ₹57.03 करोड़ (31.03.2020 तक ₹180.47 करोड़) के क्षतिग्रस्तता हानि छूट सहित।

राज्य क्षेत्र को दिए गए ऋण विविध प्रकार के हैं क्योंकि ये विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन एंटिटियों को दिए जाते हैं। कंपनी यह मानती है कि मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र में डिफॉल्ट/हानि की कम घटना तथा कुछ ऋणों में सरकारी गारंटी की उपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र को ऋण देने की तुलना में इन ऋणों में क्रेडिट जोखिम कम है। इन परियोजनाओं में सरकारी हित मौजूद होने से भी देय राशि की वसूली न होने का जोखिम कम हो जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

इसके अतिरिक्त, कंपनी का एक ऋण पोर्टफोलियो है जिसमें विविध भौगोलिक क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन (नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय), पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के ऋण शामिल है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*
योजनाओं के अनुसार संकेंद्रण				
उत्पादन	1,89,577.54	12,775.90	1,48,651.44	13,288.17
नवीकरणीय ऊर्जा	37,474.49	2,016.49	19,210.17	453.98
पारेषण	29,344.59	1,194.83	46,255.36	1,023.20
वितरण	1,12,298.51	572.90	50,075.05	63.95
अन्य	2,075.85	37.67	80,712.56	1,134.73
कुल	**3,70,770.99**	**16,597.79**	**3,44,904.58**	**15,964.03**

* चुकौती आश्वासन-पत्र पर ₹57.03 करोड़ (31.03.2020 तक ₹180.47 करोड़) के क्षतिग्रस्तता हानि छूट सहित।

क्रेडिट संकेंद्रण के लागू मानदंडों के अनुसरण में विभिन्न परियोजनाओं एवं ऋणकर्ताओं के संबंध में कंपनी के जोखिम की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है।

(iii) ऋण और एक्सपोजर के संकेंद्रण संबंधी विवरण:

(क) अग्रिमों का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल अग्रिम (बकाया मूलधन) (₹ करोड़ में)	2,31,514.64	2,06,588.74
कंपनी के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	62.44%	59.90%

(ख) एक्सपोजर का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	3,17,648.56	2,86,228.18
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर कंपनी के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत	52.42%	54.90%

(ग) चरण III के खातों का संकेंद्रण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
चरण III के शीर्ष चार खातों का बकाया मूलधन	10,939.56	13,883.24

(iv) चरण-वार बकाया मूलधन और क्षतिग्रस्तता हानि छूट का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक			31.03.2020 तक		
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	क्षतिग्रस्तता हानि छूट कवरेज (%)	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	क्षतिग्रस्तता हानि छूट कवरेज (%)
चरण I	3,02,100.27	1,236.19	0.41	2,84,211.50	441.67	0.15
चरण II	47,520.56	1,945.24	4.09	32,821.38	773.90	2.36
चरण III	21,150.16	13,416.36	63.43	27,871.70	14,748.46	52.92
कुल	**3,70,770.99**	**16,597.79**	**4.48**	**3,44,904.58**	**15,964.03**	**4.63**

* चुकौती आश्वासन-पत्र पर ₹57.03 करोड़ (31.03.2020 तक ₹180.47 करोड़) के क्षतिग्रस्तता हानि छूट सहित।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(v) निम्नलिखित सारणियों में रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत के बीच ऋणों में परिवर्तन और समतुल्य क्षतिग्रस्तता हानि छूट की व्याख्या की गई है:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2020-21	चरण I		चरण II		चरण III		कुल	
विवरण	**मूलधन**	**क्षतिग्रस्तता हानि छूट***	**मूलधन**	**क्षतिग्रस्तता हानि छूट***	**मूलधन**	**क्षतिग्रस्तता हानि छूट***	**मूलधन**	**क्षतिग्रस्तता हानि छूट***
प्रारंभिक शेष	2,84,211.50	441.67	32,821.37	773.90	27,871.70	14,748.46	3,44,904.58	15,964.03
चरण I में हस्तांतरित	26,498.71	198.33	(25,837.68)	(127.94)	(661.03)	(70.39)	-	-
चरण II में हस्तांतरित	(37,317.79)	(37.93)	40,425.43	316.05	(3,107.64)	(278.12)	-	-
चरण III में हस्तांतरित	(151.59)	(3.28)	-	-	151.59	3.28	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/ईसीएल में निवल परिवर्तन	5,745.50	417.94	(958.63)	976.38	51.36	1,806.06	4,838.23	3,200.38
उत्पन्न की गई नई वित्तीय परिसंपत्तियां	48,620.96	239.42	1,657.09	6.89	-	-	50,278.05	246.31
विमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां (ऋण चुकाया गया)	(25,440.44)	(17.28)	(587.02)	(0.04)	(201.68)	(43.42)	(26,229.14)	(60.75)
अवधि के दौरान विमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां (बट्टे खाते में डालना)	(66.59)	(2.67)	-	-	(286.39)	(286.39)	(352.98)	(289.06)
अवधि के दौरान विमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्त निवेश)	-	-	-	-	(2,667.74)	(2,463.13)	(2,667.74)	(2,463.13)
अंतिम शेष	**3,02,100.27**	**1,236.19**	**47,520.56**	**1,945.24**	**21,150.16**	**13,416.36**	**3,70,770.99**	**16,597.79**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2019-20	चरण I		चरण II		चरण III		कुल	
विवरण	**मूलधन**	**क्षतिग्रस्तता हानि छूट***	**मूलधन**	**क्षतिग्रस्तता हानि छूट***	**मूलधन**	**क्षतिग्रस्तता हानि छूट***	**मूलधन**	**क्षतिग्रस्तता हानि छूट***
प्रारंभिक शेष	2,75,658.63	863.03	9,467.99	303.07	29,540.31	15,201.65	3,14,666.93	16,367.75
चरण I में हस्तांतरित	6,252.50	471.50	(5,324.44)	(0.51)	(928.06)	(470.99)	-	-
चरण II में हस्तांतरित	(29,742.96)	(55.06)	29,742.96	55.06	-	-	-	-
चरण III में हस्तांतरित	-	-	(924.31)	(301.68)	924.31	301.68	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/ईसीएल में निवल परिवर्तन	5,369.59	(173.63)	(1,280.50)	717.73	46.40	567.78	4,135.47	1,111.88
उत्पन्न की गई नई वित्तीय परिसंपत्तियां	41,482.62	81.98	1,691.92	0.34	75.00	30.80	43,249.54	113.11
विमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां (ऋण चुकाया गया)	(14,112.42)	(275.39)	(552.24)	(0.12)	(836.20)	(7.33)	(15,500.87)	(282.84)
अवधि के दौरान विमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां (बट्टे खाते में डालना)	(636.64)	(410.93)	-	-	(732.28)	(674.55)	(1,368.92)	(1,085.48)
अवधि के दौरान विमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्त निवेश)	(59.82)	(59.82)	-	-	(217.74)	(200.57)	(277.57)	(260.40)
अंतिम शेष	**2,84,211.50**	**441.67**	**32,821.37**	**773.90**	**27,871.70**	**14,748.46**	**3,44,904.58**	**15,964.03**

* चुकौती आश्वासन-पत्र पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट सहित

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(vi) चरण III के खातों का मूवमेंट:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	सकल ऋणों में निवल चरण III खाते (%)	2.09	3.80
(ii)	निवल ऋणों में निवल चरण III खाते (%)	2.16	3.97
		वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
(iii)	चरण III का मूवमेंट (सकल)		
	(क) प्रारंभिक शेष	27,871.70	29,540.31
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	205.11	1,045.69
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	(6,926.65)	(2,714.30)
	(घ) अंतिम शेष	21,150.16	27,871.70
(iv)	निवल चरण III का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	13,123.24	14,338.65
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	131.53	88.50
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	(5,520.97)	(1,303.91)
	(घ) अंतिम शेष	7,733.80	13,123.24
(v)	चरण III पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	14,748.46	15,201.66
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,809.86	957.21
	(ग) अधिक प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	(3,141.96)	(1,410.39)
	(घ) अंतिम शेष	13,416.36	14,748.46

(vii) सकल ऋणों के अनुपात में सकल चरण III का प्रतिशत - क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
विद्युत क्षेत्र	5.70%	8.08%

40.1.4 ऋण परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालना

जब वसूली की कोई तर्कसंगत उम्मीद नहीं होती है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पूर्ण या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाल देती है। वसूली की कोई तर्कसंगत उम्मीद न होने के संकेतकों में प्रवर्तन की गतिविधि की समाप्ति शामिल है या जहां कंपनी की वसूली विधि कोलेटरल पर रोक लगा रही है और कोलेटरल का मूल्य इतना है कि पूर्ण वसूली की कोई तर्कसंगत उम्मीद नहीं है।

40.1.5 परिशोधित लागत व्यवसाय से बिक्री पर नीति

कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम में वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री का सहारा नहीं लेती है। तथापि, कंपनी की एक अनुमोदित नीति है कि वह पुनर्गठन, स्वामित्व में परिवर्तन, निपटान या अन्यथा द्वारा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए आगे बढ़ सकती है। इसके बाद इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार विमान्य करने के लिए परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है।

40.1.6 उन खातों के संबंध में प्रकटीकरण जो 90 दिन से अधिक अतिदेय हैं, लेकिन जिन्हें क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं माना गया है (उन खातों को छोड़कर जिन्हें आरबीआई के कोविड-19 राहत पैकेज के अंतर्गत राहत की अनुमति दी गई है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
ऋणकर्ताओं की संख्या	2	1
बकाया ऋण की राशि (₹ करोड़ में)	1,767.16	1,116.65

चूंकि, ऋणकर्ता(ओं) ने माननीय उच्च न्यायालय से अन्तःकालीन आदेश प्राप्त किया था। कंपनी के पास इन ऋण खातों के संबंध में पर्याप्त क्षतिग्रस्तता हानि छूट है और उन्हें चरण II में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन ऋण खातों पर 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रोद्भवन के आधार पर ब्याज आय को मान्य नहीं किया गया है (31.03.2020 को समाप्त पिछली छमाही के दौरान भी प्रोद्भवन आधार पर ऋण पर ब्याज आय को मान्य नहीं किया गया था)।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

40.1.7 एनबीएफसी द्वारा इंड एएस के कार्यान्वयन पर आरबीआई के 13.03.2020 के परिपत्र के अनुसार, क्रेडिट क्षतिग्रस्तता ऋण और पुनर्गठित ऋण जिन्हें आरबीआई के मानदंडों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया होगा, पर विधिवत विचार करते हुए एनपीए अनुपात इस प्रकार है:

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
सकल एनपीए से सकल ऋण	5.99%	8.39%
निवल एनपीए से निवल ऋण	2.45%	4.30%

40.1.8 भारतीय रिज़र्व बैंक के आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार क्षतिग्रस्तता छूट का विवरण

31.03.2021 तक

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
निष्पादक परिसंपत्ति						
मानक	चरण 1	3,05,410.67	1,193.00	3,04,217.67	1,586.86	(393.86)
	चरण 2	49,037.04	1,901.40	47,135.64	2,226.57	(325.17)
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-जोड़		**3,54,447.71**	**3,094.40**	**3,51,353.31**	**3,813.43**	**(719.03)**
गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 1	321.79	29.33	292.46	32.17	(2.84)
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	170.10	40.24	129.86	17.01	23.23
अवमानक के लिए उप-जोड़		491.89	69.57	422.32	49.18	20.39
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 1	115.49	0.05	115.44	22.59	(22.55)
1 से 3 वर्ष	चरण 1	313.92	0.50	313.42	94.35	(93.85)
3 वर्ष से अधिक	चरण 1	316.45	0.11	316.34	154.45	(154.34)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31.03.2021 तक

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	13,863.97	7,703.23	6,160.75	6,357.63	1,345.59
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	5,874.82	4,431.62	1,443.19	4,650.66	(219.04)
संदिग्ध के लिए उप-जोड़		20,484.65	12,135.51	8,349.14	11,279.68	855.81
हानि	चरण 3	1,241.27	1,241.27	-	1,241.27	-
एनपीए के लिए उप-जोड़		22,217.85	13,446.35	8,771.50	12,570.14	876.21
अन्य मदें (जिनका एक्सपोजर आकस्मिक देयता का हिस्सा है) जैसे कि गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं आदि जो इंड एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन आईआरएसीपी के वर्तमान मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	-	13.20	(13.20)	-	13.20
	चरण 2	-	43.83	(43.83)	-	43.83
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-जोड़		**-**	**57.03**	**(57.03)**	**-**	**57.03**
कुल	**चरण 1**	**3,06,478.32**	**1,236.19**	**3,05,242.13**	**1,890.43**	**(654.24)**
	चरण 2	**49,037.04**	**1,945.24**	**47,091.81**	**2,226.57**	**(281.33)**
	चरण 3	**21,150.16**	**13,416.36**	**7,733.80**	**12,266.57**	**1,149.79**
	कुल	**3,76,665.52**	**16,597.79**	**3,60,067.74**	**16,383.57**	**214.22**

31.03.2020 तक

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
निष्पादक परिसंपत्ति						
मानक	चरण 1	2,87,255.52	441.06	2,86,814.45	1,322.84	(881.78)
	चरण 2	33,713.58	773.89	32,939.69	238.46	535.43
	चरण 3	5,203.08	2,137.83	3,065.25	1,822.31	315.52
उप-जोड़		**3,26,172.17**	**3,352.78**	**3,22,819.39**	**3,383.61**	**(30.83)**
गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 1	755.11	0.08	755.03	73.78	(73.70)
	चरण 2	6.00	0.01	5.99	0.59	(0.58)
	चरण 3	923.18	520.69	402.49	275.41	245.29
अवमानक के लिए उप-जोड़		**1,684.30**	**520.78**	**1,163.52**	**349.78**	**171.01**
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 1	7.60	0.02	7.57	1.48	(1.46)
1 से 3 वर्ष	चरण 1	313.73	0.01	313.72	91.81	(91.80)
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	3,755.54	1,274.46	2,481.08	828.34	446.11
1 से 3 वर्ष	चरण 3	11,702.63	5,995.02	5,707.62	5,919.65	75.37
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	5,018.92	3,399.22	1,619.70	3,578.09	(178.87)
संदिग्ध के लिए उप-जोड़		**20,798.42**	**10,668.73**	**10,129.69**	**10,419.37**	**249.36**
हानि	चरण 3	1,241.27	1,241.27	-	1,241.27	-
एनपीए के लिए उप-जोड़		**23,723.99**	**12,430.78**	**11,293.21**	**12,010.41**	**420.37**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31.03.2020 तक

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
अन्य मदें (जिनका एक्सपोजर आकस्मिक देयता का हिस्सा है) जैसे कि गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं आदि जो इंड एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन आईआरएसीपी के वर्तमान मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	-	0.49	(0.49)	-	0.49
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	179.98	(179.98)	-	179.98
उप-जोड़		**-**	**180.47**	**(180.47)**	**-**	**180.47**
कुल	**चरण 1**	**2,88,331.96**	**441.67**	**2,87,890.29**	**1,489.91**	**(1,048.24)**
	चरण 2	**33,719.58**	**773.90**	**32,945.68**	**239.05**	**534.85**
	चरण 3	**27,844.62**	**14,748.46**	**13,096.16**	**13,665.06**	**1,083.40**
	कुल	**3,49,896.16**	**15,964.03**	**3,33,932.13**	**15,394.02**	**570.01**

40.2 लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम ऐसा जोखिम है जहां कंपनी के पास अपनी बाध्यताओं के देय होने पर उनको वहन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं। यह जोखिम नकदी प्रवाह जो सभी वित्तीय प्रचालनों में अत:निहित होते हैं तथा कंपनी विशिष्ट एवं बाजारव्यापी घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, के समय में असंतुलन से उत्पन्न होता है।

लिक्विडिटी जोखिम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए कंपनी की प्रतिष्ठा पर किसी आंच के बगैर या अस्वीकार्य क्षति वहन किए बगैर देयताओं के परिपक्व होने पर उनको कवर करने हेतु पर्याप्त नकदी प्रवाह अनुरक्षित करने के लिए कंपनी प्रयास करती है और वित्तपोषण के विभिन्न लिखतों के माध्यम से संसाधन जुटाकर विविध निधि आधार अनुरक्षित करने का भी प्रयास करती है। नकदी की वर्तमान स्थिति, वित्तपोषण की प्रत्याशित भावी आवश्यकताओं, अर्जन की वर्तमान और भावी क्षमता और निधियों के उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी की नकदी स्थिति की पर्याप्तता का निर्धारण किया जाता है।

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी दैनिक लिक्विडिटी का प्रबंधन करती है कि देय होने पर वित्तीय बाध्यताओं को वहन करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त लिक्विडिटी हो। दीर्घावधि की लिक्विडिटी का प्रबंधन दीर्घ अवधि में निधि की स्थिति तथा बाजार के कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क के अनुसार है और उल्लंघन, यदि कोई हो, के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करना होता है। कंपनी ने अपने ऋणों को चुकता करने में कभी डिफॉल्ट नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त, लिक्विडिटी की समग्र मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण के लिए निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में कंपनी में एक परिसंपत्ति लिक्विडिटी समिति (एएलसीओ) है। एएलसीओ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता या नकदी प्रवाह में असंतुलन का विश्लेषण करके लिक्विडिटी जोखिम की जांच पड़ताल करता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित लिक्विडिटी विवरण के रूप में असंतुलन का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें संचयी अधिशेष या निधियों की कमी का ब्यौरा परिपक्वता सीढ़ी के अनुसरण में बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के निमित्त नकदी प्रवाहों का वितरण करके तैयार किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(i) निम्नलिखित सारणी में गैर रियायत आधार पर संविदात्मक मूलधन एवं ब्याज की शेष परिपक्वता के अनुसार वित्तीय देयताओं (ऋण प्रतिभूतियां, ऋण और सबॉर्डिनेटिड देयताएं) की मदों के परिपक्वता पैटर्न का विश्लेषण किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण*	1 वर्ष तक	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2021 तक				
घरेलू ऋण				
मूलधन	40,237.18	1,21,261.97	1,13,894.40	2,75,393.55
ब्याज	20,451.25	54,751.33	37,843.56	1,13,046.14
विदेशी मुद्रा ऋण				
मूलधन	2,091.66	21,970.46	25,773.68	49,835.80
ब्याज	1,476.91	5,322.99	3,938.05	10,737.95
कुल	**64,257.00**	**2,03,306.75**	**1,81,449.69**	**4,49,013.44**

(₹ करोड़ में)

विवरण*	1 वर्ष तक	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2020 तक				
घरेलू ऋण				
मूलधन	47,537.27	1,18,287.12	90,071.03	2,55.895.42
ब्याज	19,835.83	52,269.69	33,404.89	1,05,510.41
विदेशी मुद्रा ऋण				
मूलधन	3,298.38	21,725.55	22,676.86	47,700.79
ब्याज	1,579.04	5,475.58	4,384.43	11,439.05
कुल	**72,250.52**	**1,97,757.94**	**1,50,537.21**	**4,20,545.67**

* उपर्युक्त सारणी में, उपयोग की शीघ्रातिशीघ्र तारीख को ध्यान में रखते हुए पुट एंड कॉल आप्शन वाले बॉण्डों को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक पेपर एवं जीरो कूपन बॉण्डों को परिपक्वता मूल्य पर दर्शाया गया है।

(ii) निम्नलिखित सारणी में डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं के परिपक्वता पैटर्न का विश्लेषण किया गया है*:

(₹ करोड़ में)

विवरण*	1 वर्ष तक	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2021 तक				
फॉरवर्ड	40.53	-	-	40.53
ऑप्शन/स्वैप	15.48	438.03	-	453.51
कुल	**56.01**	**438.03**	**-**	**494.04**
31.03.2020 तक				
फॉरवर्ड	20.23	-	-	20.23
ऑप्शन/स्वैप	36.17	543.42	-	579.59
कुल	**56.40**	**543.42**	**-**	**599.82**

* उपर्युक्त सारणी काउंटरपार्टी बैंकों से प्राप्त एमटीएम के आधार पर कंपनी की डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं के लिए कंपनी के नकदी विश्लेषण का ब्यौरा प्रदान करती है। परिपक्वता बकेट संबंधित डेरिवेटिव लिखत के शेष कार्यकाल के अनुसार है।

(iii) लिक्विडिटी की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी बैंकों से नकदी क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लाइन ऑफ क्रेडिट तथा कार्यकारी पूंजी मांग ऋण प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की घरेलू क्रेडिट रेटिंग सर्वोच्च अर्थात एएए है जिससे अल्पावधि के भीतर घरेलू बाजार से निधियां जुटाना संभव होता है। कंपनी को निम्नलिखित अनाहरित ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
सीसी/ ओडी/ एलओसी/ डब्ल्यूसीडीएल सीमा	8,098.00	5,270.00

(iv) कंपनी एनबीएफसी के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित उच्च गुणवत्तापूर्ण नकदी परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) के रूप में पर्याप्त नकदी बफर भी रखती है। इस संबंध में प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 55.6 देखें।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

40.3 बाजार जोखिम – विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है जहां विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण व्यावहारिक मुद्रा से भिन्न मुद्रा में वर्णित वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

(i) मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में वर्णित ऋणों पर कंपनी को विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है। कंपनी के विदेशी मुद्रा में वर्णित ऋणों की वहन राशि निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	संबंधित मुद्रा में करोड़	(₹ करोड़ में)	संबंधित मुद्रा में करोड़	(₹ करोड़ में)
अमरीकी डालर ऋण	630.91	46,374.92	571.05	43,049.43
– हेज्ड	280.00	20,581.32	205.00	15,454.11
– अनहेज्ड	350.91	25,793.60	366.05	27,595.32
यूरो ऋण	0.97	83.69	1.12	92.91
– हेज्ड	-	-	-	-
– अनहेज्ड	0.97	83.69	1.12	92.91
जेपीवाई ऋण	5,089.20	3,377.19	6,544.80	4,558.45
– हेज्ड	-	-	1,456.68	1,014.57
– अनहेज्ड#	5,089.20	3,377.19	5,088.12	3,543.88
कुल		**49,835.80**		**47,700.79**
– हेज्ड		**20,581.32**		**16,468.68**
– अनहेज्ड		**29,254.48**		**31,232.11**

इसमें 31.03.2021 तक ₹940.86 करोड़ के लिए यूएसडी/आईएनआर एक्सपोजर को शामिल करते हुए फॉरवर्ड के माध्यम से आंशिक रूप से हेज्ड जेपीवाई ऋण शामिल हैं (31.03.2020 तक ₹964.94 करोड़)।

(ii) विदेशी मुद्रा जोखिम मॉनीटरिंग एवं प्रबंधन

कंपनी ने विदेशी मुद्रा के ऋणों से संबद्ध जोखिमों का प्रबंधन एवं बचाव करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंध (सीआरएम) नीति लागू की है जो संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए संरचना एवं संगठन निर्धारित करती है।

कंपनी विनिमय दर के जोखिम से संरक्षण के लिए विभिन्न डेरिवेटिव लेनदेन अर्थात मूलधन केवल स्वैप, ऑप्शन और फॉरवर्ड संविदाएं करती है। सीआरएम नीति के अनुसार जोखिमों की रिपोर्टिंग एवं मॉनीटरिंग के लिए प्रणाली लागू की गई है जिसमें कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों से बनी जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) विदेशी मुद्रा विनिमय दर की मॉनीटरिंग करती है। ये डेरिवेटिव लेनदेन बचाव के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए। नीति प्रबंधन को सूचित करने के लिए मुद्रा जोखिम की पहचान करने, मापने एवं मॉनीटरिंग करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां एवं नियंत्रण विहित करती है। मुद्रा जोखिम प्रबंधन के अंग के रूप में बचाव अनुपात, अरक्षित एक्सपोजर, बाजार में अंक की स्थिति, बैंकों के साथ एक्सपोजर सीमा आदि जैसे पैरामीटरों की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है।

(iii) विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी विदेशी मुद्रा के बकाया ऋणों के अनहेज्ड पोर्टफोलियो पर आईएनआर के निमित्त विदेशी मुद्रा विनिमय दर में 5% परिवर्तन के लिए कुल इक्विटी पर प्रभाव अभिलाभ/(हानि) प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

विदेशी मुद्रा देयताएं	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि
	विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण			
अमरीकी डालर	1,289.68	(1,289.68)	1,379.77	(1,379.77)
यूरो	4.18	(4.18)	4.65	(4.65)
जेपीवाई	168.86	(168.86)	177.19	(177.19)
कुल	**1,462.72**	**(1,462.72)**	**1,561.61**	**(1,561.61)**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

40.4 बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम

40.4.1 ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है जहां ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दरों में परिवर्तन की दिशा तथा परिसंपत्तियों या देयताओं के तेजी से पुन: मूल्य निर्धारण के आधार पर प्रभाव लाभप्रद या प्रतिकूल हो सकता है।

(i) प्रतिफल को अभीष्ठ करते हुए बाजार जोखिम एक्सपोजर को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) अंतराल विश्लेषण के माध्यम से अर्थात दर संवेदी परिसंपत्तियों तथा दर संवेदी देयताओं के बीच असंतुलन का विश्लेषण करके ब्याज दर जोखिम की जांच-पड़ताल करती है। अंतराल विश्लेषण के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण का उपयोग किया जाता है जिसमें दर संवेदी परिसंपत्तियों एवं दर संवेदी देयताओं के बीच अंतर मापा जाता है जो परिपक्वता की तारीख या पुन: मूल्य निर्धारण की तारीख, जो भी पहले हो, के आधार पर वितरित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए कंपनी बाजार में प्रचलित स्थितियों, ऋण की लागत, लब्धि, विस्तार, प्रतियोगी दर आदि के आधार पर आवधिक आधार पर अपने ब्याज दरों की समीक्षा करती है। कंपनी द्वारा अपनी ब्याज दर एवं क्रेडिट नीतियों के माध्यम से परिसंपत्ति मिश्रण का प्रबंधन किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ रीसेट की अवधियां, पुनर्भुगतान की अवधियां, पुनर्भुगतान प्रीमियम आदि शामिल होती हैं। लागत, बाजार की क्षुधा, टाइमिंग, बाजार परिदृश्य, एएलएम अंतराल स्थिति आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखकर देयताओं का प्रबंधन किया जाता है।

(ii) ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण
आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम पर अर्जन (ईएआर) ब्याज जोखिम प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण फोकल बिंदु है। ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए ब्याज दरों के मूवमेंट के प्रभाव को अंतराल विवरण से प्राप्त जोखिम पर अर्जन पर मापा गया है। स्थिर तुलन-पत्र मानते हुए एक वर्ष की अवधि में ब्याज दरों में 25 बेसिस वृद्धि/कमी को ध्यान में रखकर प्रभाव तैयार किया गया है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि यदि दरों में 25 बीपीएस की वृद्धि/कमी होती है, तो ईएआर पर प्रभाव (+/-) ₹58.00 करोड़ होगा। (31.03.2020 तक (+/-) ₹73.08 करोड़)।

यह विश्लेषण मानता है कि दर संवेदी परिसंपत्ति और दर संवेदी देयताओं का एक समय ही पुन: मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण दर संवेदी परिसंपत्तियों एवं दर संवेदी देयताओं की शीघ्रातिशीघ्र/प्रथम पुन: मूल्य निर्धारण तारीख पर विचार करता है।

टिप्पणी: 25 बेसिस बिंदु की वृद्धि या कटौती ब्याज दरों में तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तन के बारे में प्रबंधन के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करती है।

40.4.2 ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी के पास परिवर्तनीय ब्याज दर के ऋण हैं जिनकी ब्याज दरें ब्याज दर बेंचमार्क पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, इन ऋणों पर नकदी प्रवाह की परिवर्तनशीलता की हेजिंग करने के लिए, कंपनी ने प्रमुख शर्तों (मूलधन राशि, भुगतान की तारीखें, पुनर्मूल्यांकन की तारीखें, मुद्रा) के साथ कई ब्याज दर स्वैप किया है जो उस ऋण से मेल खाते हैं जिस पर वह एक निश्चित दर का भुगतान करती है और परिवर्तनीय दर प्राप्त करती है। कंपनी के ऋणों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण ब्याज दर बेंचमार्क 6 महीने का यूएसडी/जेपीवाई लिबोर (लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट) है।

विदेशी मुद्रा ऋण का विवरण निम्नलिखित है जो 6 महीने के यूएसडी लिबोर के लिए जून 2023 और जेपीवाई लिबोर के लिए दिसंबर 2021 के बाद योजना के अनुसार लिबोर ट्रांजिशन के आधार पर प्रभावित हो सकता है:

बेंचमार्क	संबंधित मुद्रा में राशि (मिलियन में)
6 महीने का यूएसडी लिबोर	यूएसडी 909
6 महीने का जेपीवाई लिबोर	जेपीवाई 36,336

कंपनी लिबोर ट्रांजिशन योजना का प्रबंधन कर रही है। महत्वपूर्ण परिवर्तन अस्थिर दर के लिबोर संदर्भित ऋण एवं संबंधित स्वैप और हेज नियुक्ति के समरूपी अपडेट की संविदात्मक शर्तों में संशोधन होगा। कंपनी ने ब्याज दर बेंचमार्क से जुड़े अपने सभी सुविधा समझौते में लिबोर ट्रांजिशन से संबंधित खंड शामिल किए हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी उपलब्ध वैकल्पिक बेंचमार्क और कॉमर्शियल पर चर्चा करने के लिए अन्य प्रतिपक्षकारों के साथ चर्चा कर रही है, लेकिन आईबीओआर (इंटरबैंक ऑफर रेट) के सुधारों के लिए आवश्यक परिवर्तनों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है।

हेजिंग लिखतों की नाममात्र राशि जो लिबोर ट्रांजिशन के कारण अर्थात जून 2023 के बाद प्रभावित हो सकती है, यूएसडी ब्याज दर स्वैप - 900 मिलियन अमेरिकी डालर है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

40.5 बाजार जोखिम - कीमत जोखिम

(i) कंपनी को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश से उत्पन्न कीमत जोखिम का खतरा है। कंपनी के इससे जुड़े एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 11 'निवेश' देखें।

(ii) संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी ग्रुप के बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5% वृद्धि या ह्रास के लिए लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	वृद्धि	(ह्रास)	वृद्धि	(ह्रास)
लाभ एवं हानि पर प्रभाव	3.00	(3.00)	1.59	(1.59)
ओसीआई पर प्रभाव	42.10	(42.10)	35.80	(35.80)

41. हेज लेखांकन

एफवीटीपीएल पर डेरिवेटिव का मापन किया जाता है, जब तक कि हेज लेखांकन संबंध के अंतर्गत नामित न हो। कंपनी ने नकदी प्रवाह हेज के अंतर्गत कुछ डेरिवेटिव अनुबंधों को अभिहित किया है। ब्याज दर डेरिवेटिव से भिन्न डेरिवेटिव के लिए, कंपनी ऑप्शन के समय मूल्य को छोड़कर ऑप्शन अनुबंधों के केवल आंतरिक मूल्य को हेज्ड मद के रूप में अभिहित करती है। ऑप्शन के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में ऑप्शन के समय मूल्य को हेजिंग लिखत के कार्यकाल में व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

(i) हेज की प्रभावशीलता

हेजिंग संबंध की शुरुआत में, और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से हेज की प्रभावशीलता निर्धारित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हेज्ड मद और हेजिंग लिखत के बीच आर्थिक संबंध मौजूद है। कंपनी प्रभावशीलता परीक्षण की निम्नलिखित कार्यनीतियों का उपयोग करती है:

(क) ऑप्शन से भिन्न डेरिवेटिव के लिए जो हेज्ड मद की शर्तों से बिल्कुल मेल खाते हैं, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण शर्त मिलान पद्धति का उपयोग करते हुए गुणात्मक कारकों पर आधारित होते हैं (जहां हेजिंग लिखत और हेज्ड मद की प्रमुख शर्तें समान होती हैं)।

(ख) ऑप्शन संरचनाओं के लिए, कंपनी समाश्रयण विश्लेषण आधारित डॉलर ऑफसेट पद्धति का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज्ड मद के मूल्य में परिवर्तन के संबंध का विश्लेषण करती है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(ii) नकदी प्रवाह हेज के रूप में अभिहित हेजिंग लिखतों का विवरण:

क्र. सं.	विवरण	नाममात्र राशि (₹ करोड़ में)	वहन राशि		परिपक्वता की तारीख	भारित औसत दर/ स्ट्राइक कीमत[1]
			परिसंपत्ति (₹ करोड़ में)	देयताएं (₹ करोड़ में)		
31.03.2021 तक						
1	मुद्रा डेरिवेटिव	55.13	0.09	-	17.06.2021	73.6705
		9.38	0.02	-	21.06.2021	73.6890
		26.57	0.06	-	30.06.2021	73.7625
		1,837.62	81.33	-	28.06.2022	4.53%
		1,837.62	44.40	-	26.09.2023	4.12%
		735.05	-	1.58	13.10.2023	3.67%
		2,205.14	-	16.08	05.11.2023	3.48%
		2,940.19	-	9.17	14.06.2024	3.95%
		2,205.14	72.87	-	13.09.2024	4.43%
		1,837.61	-	25.09	20.12.2024	3.88%
	उप-जोड़	**13,689.45**	**198.77**	**51.92**		
2	ब्याज दर डेरिवेटिव	1,837.62	-	43.96	28.06.2022	1.76%
		1,837.62	-	134.36	26.09.2023	3.15%
		735.05	0.78	-	13.04.2024	0.50%
		2,205.14	1.25	-	05.05.2024	0.55%
		1,837.61	2.07	-	20.06.2024	0.58%
	उप-जोड़	**8,453.04**	**4.10**	**178.32**		
3	**कुल (1+2)**	**22,142.49**	**202.87**	**230.24**		

क्र. सं.	विवरण	नाममात्र राशि (₹ करोड़ में)	वहन राशि		परिपक्वता की तारीख	भारित औसत दर/ स्ट्राइक कीमत[1]
			परिसंपत्ति (₹ करोड़ में)	देयताएं (₹ करोड़ में)		
31.03.2020 तक						
1	मुद्रा डेरिवेटिव	1,884.65	120.04	-	26.09.2023	4.12%
		1,884.65	141.60	-	28.06.2022	4.53%
		2,261.58	166.47	-	13.09.2024	4.43%
	उप-जोड़	**6,030.88**	**428.11**	**-**		
2	ब्याज दर डेरिवेटिव	1,884.65	-	183.34	26.09.2023	3.15%
		1,884.65	-	50.23	28.06.2022	1.76%
	उप-जोड़	**3,769.30**	**-**	**233.57**		
3	**कुल (1+2)**	**9,800.18**	**428.11**	**233.57**		

(1) पीओएस/ ऑप्शन/ आईआरएस के मामले में - भारित औसत दर का संकेत दिया गया है और फॉरवर्ड के मामले में डील दर का संकेत दिया गया है।

(iii) हेजिंग लिखत की नाममात्र राशि के समय की रूपरेखा*

(₹ करोड़ में)

विवरण (डेरिवेटिव सहित)	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
मुद्रा डेरिवेटिव		
1 वर्ष तक	91.08	-
1-5 वर्ष	13,598.37	6,030.88
5 वर्ष से अधिक	-	-
उप-जोड़ (क)	**13,689.45**	
ब्याज दर डेरिवेटिव		
1 वर्ष तक	-	-
1-5 वर्ष	8,453.04	3,769.30
5 वर्ष से अधिक	-	-
उप-जोड़ (ख)	**8,453.04**	**3,769.30**
कुल (क + ख)	**22,142.49**	**9,800.18**

* उपर्युक्त सारणी में परिपक्वता बकेट संबंधित डेरिवेटिव लिखत का शेष कार्यकाल के अनुसार हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(iv) नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत पर अभिलाभ/(हानि) के प्रभावी हिस्से और हेजिंग रिजर्व की लागत का मिलान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2019-20	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(क)	रिजर्व का प्रारंभिक शेष (कर को घटाकर)	82.30	(174.96)	(8.02)	(42.13)
(ख)	लाभ एवं हानि में मान्य की गई हेज प्रभावशीलता	-	-	-	-
(ग)	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य की गई राशि	(621.69)	1.18	552.41	(175.13)
(घ)	ओसीआई से लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत राशि	495.35(क)	66.46(ख)	430.10(क)	6.08(ख)
(ड.)	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य की गई निवल राशि (ग + घ)	(126.34)	67.64	122.31	(169.05)
(च)	उपर्युक्त (ड.) पर आस्थगित कर	31.80	(17.02)	(32.01)	36.22
(छ)	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य की गई निवल राशि (कर का निवल) (ड. + च)	(94.54)	50.62	90.30	(132.83)
(ज)	रिजर्व का अंतिम शेष (कर का निवल) (क + ज)	(12.24)	(124.34)	82.30	(174.96)

(क) लाइन मद 'निवल परिवर्तन/ लेनदेन विनिमय लाभ/ हानि' का हिस्सा है और

(ख) लाभ और हानि के एकल विवरण में लाइन मद 'वित्त लागत' का हिस्सा है।

42. उचित मूल्य का मापन

(i) कंपनी की कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को रिपोर्टिंग की प्रत्येक अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। निम्नलिखित सारणी सूचना प्रदान करती है कि कैसे इन वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य निर्धारित किए जाते हैं (विशेष रूप से प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक एवं इनपुट)।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय परिसंपत्ति/वित्तीय देयता - आवर्ती उचित मूल्य	उचित मूल्य		उचित मूल्य पदानुक्रम (टिप्पणी 5.1 देखें)	मूल्यन तकनीक(कें) और मुख्य इनपुट
		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक		
1	यूनियन बैंक (विलय पूर्व आंध्रा बैंक) के बॉण्डों में निवेश	-	810.05	स्तर 3	हालांकि ये बॉण्ड एनएसई में सूचीबद्ध हैं, लेकिन कोई ट्रेडिंग न होने के कारण, स्तर 1 के अनुसार उचित मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। समान किस्म के बॉण्डों के लिए बाजार ब्याज दर के अभाव में कंपनी ने वर्तमान बाजार दर के रूप में कूपन दर पर विचार किया था और तदनुसार रियायती नकदी प्रवाह विधि का उपयोग करके उचित मूल्य की गणना की थी।
2	**उद्धृत इक्विटी निवेश**				
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड	93.30	46.50	स्तर 1	उद्धृत बाजार कीमत
	- कोल इंडिया लिमिटेड	182.03	195.57		
	- एनएचपीसी लिमिटेड	524.39	467.78		
	- सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड	42.31	-		
	- रतनइंडिया पावर लिमिटेड	59.96	31.74		
3	**गैर उद्धृत इक्विटी निवेश**				
	- पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00	स्तर 3	उचित मूल्य की गणना शून्य के रूप में की गई है क्योंकि पीएफसी को अनुमान है कि निवेशककंपनी के वित्तीय विवरण के आधार पर निवेश से कोई सारवान राशि वसूल नहीं की जा सकती है।
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00		पुनर्गठन के अनुसार आबंटित, जिसका मूल्य विवेकपूर्ण आधार पर ₹1 है।
4	**अधिमानी शेयरों में निवेश**				
	- रतनइंडिया पावर लिमिटेड-ओसीसीआरपीएस	96.19	100.58	स्तर 3	करार की शर्तों के अनुसार रियायती भावी नकदी प्रवाह का उपयोग करके उचित मूल्य
	- सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड- सीसीपीएस	0.00	-		पुनर्गठन के अनुसार आबंटित, जिसका मूल्य विवेकपूर्ण आधार पर ₹1 है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय परिसंपत्ति/वित्तीय देयता - आवर्ती उचित मूल्य	उचित मूल्य 31.03.2021 तक	उचित मूल्य 31.03.2020 तक	उचित मूल्य पदानुक्रम (टिप्पणी 5.1 देखें)	मूल्यन तकनीक(कें) और मुख्य इनपुट
5	**डिबेंचर में निवेश**				
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला 1 - ओसीडी	40.88	-	स्तर 3	करार की शर्तों के अनुसार रियायती भावी नकदी प्रवाह का उपयोग करके उचित मूल्य
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला 2 - ओसीडी	16.47	-		
	- सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड - ओसीडी	94.28	-		
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला 3 - ओसीडी	0.00	-		पुनर्गठित चुकौती अनुसूची की अनुपलब्धता के कारण उचित मूल्य ₹1 है।
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - श्रृंखला क - ओसीडी	0.00	-		
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - श्रृंखला ख - ओसीडी	0.00	-		
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - श्रृंखला एआई - ओसीडी	0.00	-		
6	केएसके के स्माल इज ब्यूटीफुल निधियों की यूनिटें	0.00	6.12	स्तर 3	उचित मूल्य शून्य है क्योंकि निधि का परिसमापन चल रहा है और वसूली योग्य मूल्य अनिश्चित है।
7	**डेरिवेटिव वित्तीय लिखत**				
	-परिसंपत्तियां	1,251.4	1,863.42	स्तर 2	इन संविदाओं का उचित मूल्य काउंटरपार्टी बैंकों से प्राप्त किया जाता है, जिन्हें मूल्यन विधियों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जो उन इनपुट का उपयोग करता है जो संविदाओं के लिए अवलोकनीय होते हैं, जैसे ब्याज दरें एवं आय कर्व, अंतर्निहित अस्थिरता आदि।
	-देयताएं	494.04	599.82		

(ii) इस अवधि में स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(iii) स्तर 3 के इनपुट के माध्यम से निर्धारित उचित मूल्य वाले वित्तीय लिखतों का मिलान:

निम्नलिखित सारणियां स्तर 3 इनपुट के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई की वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रारंभिक एवं अंतिम राशियों का मिलान दर्शाती हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	यूनियन बैंक (विलय पूर्व आंध्रा बैंक) के बॉण्ड में निवेश	केएसके के एसआईबी फंड की यूनिटों में निवेश	अधिमानी शेयरों में निवेश	डिबेंचर में निवेश
वित्तीय वर्ष 2020-21				
प्रारंभिक शेष	**810.05**	**-**	**100.58**	**-**
वर्ष के दौरान किया गया निवेश	-	-	-	157.06
निवल ब्याज आय	77.55	-	-	13.38
निपटान	(887.60)	-	-	(18.81)
स्तर 3 में अंतरण	-	6.12	-	-
स्तर 3 से अंतरण	-	-	-	-
उचित मूल्य अभिलाभ/(हानि)		(6.12)	(4.39)	-
अंतिम शेष	-	-	96.19	151.63
अवधि के अंत में धारित शेष पर अप्राप्त अभिलाभ/(हानि)	-	(6.12)	(4.39)	-
वित्तीय वर्ष 2019-20				
प्रारंभिक शेष	**809.84**	**-**	**-**	**-**
वर्ष के दौरान किया गया निवेश	-	-	94.73	-
निवल ब्याज आय	87.81	-	-	-
निपटान	(87.60)	-	-	-
उचित मूल्य अभिलाभ/(हानि)	-	-	5.85	-
अंतिम शेष	810.05	-	100.58	-
अवधि के अंत में धारित शेष पर अप्राप्त अभिलाभ/(हानि)	10.05	-	5.85	-

(iv) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं का उचित मूल्य:

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित सामान्यत: स्वीकृत मूल्य निर्धारण मॉडल के अनुसरण में निर्धारित किया गया है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इनपुट रियायती दर है जो ऐसे मामलों को छोड़कर जहां उद्धृत बाजार मूल्य उपलब्ध हैं, काउंटरपार्टियों के क्रेडिट जोखिम को दर्शाता है। इन उचित मूल्यों की गणना केवल प्रकटीकरण के उद्देश्यों के लिए की गई थी।

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति/देयता	उचित मूल्य का अनुक्रम	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य
ऋण	स्तर 3	3,60,124.77	3,63,723.47	3,34,112.60	3,33,405.61
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	स्तर 2	5,336.77	5,346.27	5,339.12	5,343.52
ऋण प्रतिभूतियां[क]	स्तर 1/2	2,42,811.54	2,53,736.40	2,21,847.67	2,24,795.43
अन्य ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न ऋण[ख]	स्तर 2	80,837.60	79,334.36	79,116.06	85,042.31
सबॉर्डिनेटिड देयताएं	स्तर 2	9,310.20	10,215.26	9,310.95	10,138.66

(क) स्तर 1 के उचित मूल्य अनुक्रम के साथ सूचीबद्ध लिखत शामिल हैं।
रॉयटर्स के अनुसार समापन मूल्य के अनुसार विदेशी मुद्रा नोट (जीएमटीएन निर्गम) का उचित मूल्य निर्धारित किया जा रहा है।
(ख) इसमें लिबोर से जुड़े विदेशी मुद्रा ऋण और सममूल्य पर बहुपक्षीय एजेंसियों के ऋण शामिल हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं (उन्हें छोड़कर जिनको उपर्युक्त सारणी में दर्शाया गया है) के उचित मूल्य के समीप पहुंचने के लिए उनकी वहन राशि पर विचार किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

43. संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण

43.1 संबंधित पक्षकार

सहायक कंपनियां:			
1	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	2	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (पीईसीएपी) (30.06.2020 के आदेश द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार से हटा दिया गया)
3	आरईसी लिमिटेड (आरईसीएल) (पूर्ववर्ती रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	4	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से) (एमसीए के 05.02.2021 के आदेश द्वारा आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ समामेलित)
5	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)		
संयुक्त उद्यम:			
1	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	2	क्रिघटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
3	ईईएसएल एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	4	एडिना एक्विजीशन लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
5	एनेस्को एनर्जी सर्विसिज (साउथ) लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	6	एडिना लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
7	ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	8	एडिना आस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
9	एडिना पावर सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	10	स्टेनबेक लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
11	एडिना यूके लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	12	एडिना पावर लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
13	अरमौरा होल्डिंग लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	14	एडिना मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
15	ईपीएसएल ट्राइजेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	16	कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से) (29.10.2020 को शामिल)
सहयोगी कंपनी:			
1	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	2	साखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
3	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	4	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
5	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	6	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	8	देवघर मेगा पावर लिमिटेड
9	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	10	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
11	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	12	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)
13	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)	14	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)
15	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (समापन के लिए अनुमोदन के अधीन)		
पीएफसीसीएल के माध्यम से			
16	वापी II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (23.06.2020 को अंतरित)	17	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड
18	शोंगटोंग करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी के नाम को हटाने की प्रक्रिया चल रही है)	19	बिजावर - विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) योजना/ आईटीपी को बंद करने/ अधिसूचना रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है, हालांकि, विद्युत मंत्रालय से औपचारिक राजपत्र अधिसूचना की प्रतीक्षा है)
20	कोप्पल-नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड	21	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)
22	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (13.05.2020 को निगमित)	23	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड (13.05.2020 को निगमित)
24	बीकानेर II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड (12.05.2020 को निगमित किया गया और 23.05.2021 को बेचा गया)	25	खेतड़ी-नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (15.05.2020 को निगमित)
26	सीकर II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (17.05.2020 को निगमित)		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

आरईसीएल के माध्यम से			
27	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	28	डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्डों से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)
29	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	30	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
31	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	32	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (11.06.2020 को निगमित)
33	रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (26.06.2020 को निगमित और 09.03.2021 को स्थानांतरित)	34	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज I लिमिटेड (04.08.2020 को निगमित)
35	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज II लिमिटेड (20.08.2020 को निगमित)	36	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (28.05.2020 को निगमित)
37	गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (02.06.2020 को निगमित)	38	फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड (02.06.2020 को निगमित)
39	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.06.2020 को निगमित)	40	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (08.06.2020 को निगमित)
कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		**पदनाम**	
1	श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों (12.06.2019 से 31.05.2020 तक निदेशक, (परियोजना)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.06.2020 से)	
2	श्री राजीव शर्मा (31.05.2020 को सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	
3	श्री पी.के. सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक) एवं अतिरिक्त प्रभार निदेशक (परियोजना)	
4	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (01.07.2020 से)	निदेशक (वित्त)	
5	श्री एन.बी. गुप्ता (30.06.2020 को सेवानिवृत्त)	निदेशक (वित्त)	
6	श्री तन्मय कुमार (04.11.2020 से)	सरकारी नामिती निदेशक	
7	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (04.11.2020 तक)	सरकारी नामिती निदेशक	
8	श्री रामचंद्र मिश्रा	अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	
9	श्रीमती गौरी चौधरी (03.11.2020 तक)	अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	
10	श्री मनोहर बलवानी	मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव	
कंपनी के नियंत्रणाधीन ट्रस्ट/निधियां			
1	पीएफसी कार्मिक भविष्य निधि	2	पीएफसी कार्मिक उपदान निधि
3	पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007	4	पीएफसी अधिवर्षिता मेडिकल निधि
अन्य			
1	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	2	एनएचपीसी लिमिटेड (04.11.2020 से)
3	एसजेवीएन लिमिटेड (04.11.2020 से)	4	खोलोंग्छु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड (04.11.2020 से)
5	पुनात्सांगछु I, भूटान में जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (04.11.2020 से)	6	पुनात्सांगछु II, भूटान में जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (04.11.2020 से)
7	मांगदेछु, भूटान में जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (04.11.2020 से)		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

43.2 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान
सहायक कंपनियां		
सहायक कंपनियों को ऋण (ब्याज सहित) - आरईसीएल	3,000.49	-
सहायक कंपनियों को अग्रिम (ब्याज सहित) - पीएफसीसीएल	2.13	0.78
सहायक कंपनियों को अग्रिम (ब्याज सहित) की चुकौती	-	1.00
सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश - पीएफसीसीएल	-	75.00
- आरईसीएल	1,143.44	1,143.44
कार्मिक हितलाभ का आवंटन - पीएफसीसीएल	1.04	0.95
निदेशकों का बैठक शुल्क - आरईसीएल	0.10	0.02
संयुक्त उद्यम		
ईईएसएल से प्राप्त लाभांश	-	2.37
अन्य	0.21	0.74
सहयोगी कंपनियां		
सहयोगी कंपनियों से अग्रिम (ब्याज सहित) की वसूली	33.21	14.92
सहयोगी कंपनियों को अग्रिम पर ब्याज आय	15.70	20.51
सहयोगी कंपनियों से प्राप्त अग्रिम	6.81	8.65
सहयोगी कंपनियों से अग्रिम पर ब्याज व्यय	2.88	5.07
कंपनी के नियंत्रणाधीन ट्रस्ट/निधि		
वर्ष के दौरान किए गए अंशदान	8.25	7.71
बॉण्ड पर वित्त लागत	0.34	-
प्रमुख प्रबंधीय कार्मिक		
(i) अल्पावधि कार्मिक हितलाभ	3.42	3.90
(ii) नियोजन पश्चात हितलाभ	0.38	0.44
(iii) अन्य दीर्घावधि हितलाभ	0.45	0.33
उप-जोड़ (i+ii+iii)	**4.25**	**4.67**
ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान/वसूली	0.30	0.10
निदेशक बैठक शुल्क	0.19	0.16
बॉण्ड पर वित्त लागत	0.04	-
बॉण्डों का मोचन (सब्स्क्रिप्शन का निवल)	0.36	-
अन्य		
प्राप्त लाभांश - पीटीसी इंडिया लिमिटेड	9.00	4.80
निदेशक बैठक शुल्क	0.02	0.02

43.3 संबंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
ऋणों एवं अग्रिमों के निमित्त वसूली योग्य राशि (ब्याज सहित)		
सहयोगी कंपनियां	166.19	154.28
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.57	0.51
सहायक कंपनियां	3,003.39	0.78
ऋणों एवं अग्रिमों के लिए देय राशि (ब्याज सहित)		
सहयोगी कंपनियां	176.86	168.43
ऋण प्रतिभूतियां		
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.04	0.42
कंपनी के नियंत्रणाधीन ट्रस्ट/निधि	3.70	3.70

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

43.4 समान सरकार के नियंत्रणाधीन एंटिटियों (सरकार से संबंधित एंटिटियों) के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने उसी सरकार के नियंत्रण/संयुक्त नियंत्रण के अंतर्गत संबंधित एंटिटियों के साथ लेनदेन किया था, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है:

भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
नेयवेली यूपी पावर लिमिटेड	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	कोल इंडिया लिमिटेड
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एनएचपीसी लिमिटेड
एनटीपीसी लिमिटेड	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड	रत्नागिरी गैस एंड पावर (पी) लिमिटेड

उसी सरकार के नियंत्रणाधीन एंटिटियों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन:

(₹ करोड़ में)

लेनदेन का स्वरूप	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान
प्राप्त लाभांश	51.77	62.67
ऋणों का संवितरण	3,034.61	3,333.33
प्राप्त ब्याज	3,920.30	4,459.12
प्राप्त मूलधन की चुकौती	15,789.64	5,554.11

केंद्र सरकार के साथ सारवान लेनदेन के संबंध में टिप्पणी 12, 18, 20.1, 20.3 और 51 देखें।

सरकार से संबंधित एंटिटियों के साथ उपर्युक्त लेनदेन में ऐसे लेनदेन शामिल हैं जो व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य सीपीएसयू के साथ अन्य लेनदेन जैसे कि टेलीफोन व्यय, हवाई यात्रा तथा डिपॉजिट आदि भी किया है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए इनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है। सभी लेनदेन को बाजार की शर्तों पर अग्रेनीत किया गया है।

43.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की प्रमुख निबंधन एवं शर्तें

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन ऐसी शर्तों से समतुल्य शर्तों पर किया जाता है जो निकटस्थ लेनदेन में प्रचलित होती हैं।

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक तथा स्टाफ ऋण कंपनी की सेवा नियमावली के अनुरूप हैं।

(iii) प्रारंभिक व्यय को वहन करने के लिए कंपनी अपनी सहयोगी कंपनियों को अग्रिम देती है जिनको एसपीवी के रूप में निगमित किया गया है। कंपनी की नीति के अनुसार सावधि ऋणों पर लागू दर से ऐसे अग्रिमों पर ब्याज दर लगाई जाती है।

(iv) ट्रस्टों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया ब्याज और/या लाभांश कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों और/या इक्विटी शेयरों में उनके निवेश के कारण है और ऐसी प्रतिभूतियों पर भुगतान किया गया ब्याज और/या लाभांश सभी धारकों पर समान रूप से लागू होता है।

(v) वर्ष के अंत में ग्रुप की कंपनियों के बकाया शेष अप्रतिभूत हैं।

44. कार्मिक हितलाभ

44.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

(क) पेंशन

कंपनी कार्मिकों के टीयर-I एनपीएस खाते (पेंशन खाता) में पूर्व निर्धारित दरों पर कार्मिकों के निमित्त अपने पेंशन दायित्व के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के कॉर्पोरेट क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत निश्चित अंशदान का भुगतान करती है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(ख) भविष्य निधि

कंपनी निर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट को भविष्य निधि के लिए नियत अंशदान का भुगतान करती है, जो निधियों का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से सदस्यों को प्रतिफल की न्यूनतम दर का सुनिश्चय करना है। तथापि, प्रतिफल की निर्धारित दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी कमी की कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की जानी है। कंपनी का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए कोई अग्रेतर प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के अंशदान के लिए लाभ एवं हानि के एकल विवरण में वर्ष के लिए ₹13.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12.90 करोड़) की राशि को व्यय के रूप में मान्य किया गया है।

44.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(क) उपदान

कंपनी की एक स्पष्ट उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट करता है। यथा संशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कार्मिक जिसने 5 वर्ष या अधिक अवधि तक लगातार सेवा की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, दिव्यांगता या मृत्यु पर अधिकतम ₹0.20 करोड़ के अधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन पर उपदान के लिए हकदार है। इसके लिए देयता को बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर मान्य किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(क) परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	28.67	28.43
(ख) योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	26.88	25.67
(ग) निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता (क-ख)	1.79	2.76

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

	विवरण	परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य समाप्त वर्ष के लिए		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य समाप्त वर्ष के लिए		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
I.	प्रारंभिक शेष	28.43	26.50	25.67	25.75	2.76	0.75
	लाभ एवं हानि में शामिल						
	वर्तमान सेवा लागत	1.85	1.78	-	-	1.85	1.78
	पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
	ब्याज लागत/आय	1.92	2.07	1.74	2.01	0.18	0.06
II.	लाभ एवं हानि में मान्य कुल राशि	3.77	3.85	1.74	2.01	2.03	1.84
	ओसीआई में शामिल						
	पुन: मापन हानि/(अभिलाभ):						
	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	(0.81)	2.34	-	-	(0.81)	2.34
	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	0.12	(1.44)	-	-	0.12	(1.44)
	जनांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	-	-	-	-	-	-
	ब्याज आय को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	(0.45)	(0.03)	0.45	0.03
III.	ओसीआई में मान्य की गई कुल राशि	(0.69)	0.90	(0.45)	(0.03)	(0.24)	0.93
IV.	प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-	-	-	-	-
V.	नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	2.76	0.76	(2.76)	(0.76)
VI.	प्रदत्त हितलाभ	(2.84)	(2.82)	(2.84)	(2.82)	-	-
VII.	अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)	28.67	28.43	26.88	25.67	1.79	2.76

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)

अधिवर्षिता प्राप्त कार्मिकों, अधिवर्षिता प्राप्त एवं मृत कार्मिकों के परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कंपनी की एक सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) है। पीआरएमएस के लिए देयता को बीमांकक मूल्यन के आधार पर मान्य किया जाता है।

इस योजना का प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट को पात्र कार्मिकों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय का वहन करने के लिए पर्याप्त निधि सुनिश्चित करनी होती है। तथापि, कंपनी द्वारा किसी कमी की प्रतिपूर्ति की जानी होती है। कंपनी का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए किसी अग्रेतर प्रावधान पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(क) परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	48.37	42.00
(ख) योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	43.40	37.07
(ग) निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता (क-ख)	4.97	4.93

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

	विवरण	परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य समाप्त वर्ष के लिए		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य समाप्त वर्ष के लिए		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
I.	**प्रारंभिक शेष**	42.00	35.14	37.07	28.51	4.93	6.63
	लाभ एवं हानि में शामिल						
	वर्तमान सेवा लागत	2.16	1.78	-	-	2.16	1.78
	पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
	ब्याज लागत/आय	2.85	2.75	2.51	2.22	0.34	0.53
II.	**लाभ एवं हानि में मान्य कुल राशि**	5.01	4.53	2.51	2.22	2.50	2.31
	ओसीआई में शामिल						
	पुन: मापन हानि/(अभिलाभ):						
	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	(2.53)	2.35	-	-	(2.53)	2.35
	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	5.30	1.79	-	-	5.30	1.79
	जनांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	-	-	-	-	-	-
	ब्याज आय को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	(0.37)	0.92	0.37	(0.92)
III.	**ओसीआई में मान्य की गई कुल राशि**	**2.77**	**4.14**	**(0.37)**	**0.92**	**3.14**	**3.22**
IV.	**प्रतिभागियों द्वारा अंशदान**	-	-	0.04	0.03	(0.04)	(0.03)
V.	**नियोक्ता द्वारा अंशदान**	-	-	5.49	6.95	(5.49)	(6.95)
VI.	**प्रदत्त हितलाभ**	(1.41)	(1.81)	(1.34)	(1.56)	(0.07)	(0.25)
VII.	**अंतिम शेष** (I+II+III+IV+V+VI)	48.37	42.00	43.40	37.07	4.97	4.93

(ग) आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

किसी कार्मिक की स्थायी दिव्यांगता/मृत्यु के मामले में मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए कंपनी की एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना गैर वित्तपोषित है तथा बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर देयता का निर्धारण किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4.53	2.89

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

परिभाषित हितलाभ बाध्यता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण		समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	
		31.03.2021	31.03.2020
I.	**प्रारंभिक शेष**	2.89	1.69
	लाभ एवं हानि में शामिल		
	वर्तमान सेवा लागत	0.36	0.31
	पिछली सेवा लागत	-	-
	ब्याज लागत/आय	0.20	0.14
II.	**लाभ एवं हानि में मान्य कुल राशि**	**0.56**	**0.45**
	ओसीआई में शामिल		
	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	(0.10)	0.21
	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	1.47	0.74
	जनांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	-	-
	ब्याज आय को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
III.	**ओसीआई में मान्य की गई कुल राशि**	**1.37**	**0.95**
IV.	**प्रतिभागियों द्वारा अंशदान**	-	-
V.	**नियोक्ताओं द्वारा अंशदान**	-	-
VI.	**प्रदत्त हितलाभ**	(0.29)	(0.20)
VII.	**अंतिम शेष** (I+II+III+IV+V+VI)	**4.53**	**2.89**

(घ) जोखिम एक्सपोजर

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी को विविध जोखिमों का खतरा है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) निवेश जोखिम

अधिकांश योजनागत परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च ग्रेड की अन्य नियत आय प्रतिभूतियों तथा म्युचुअल फंड में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों में परिवर्तन तथा अन्य बाजार एवं स्थूल आर्थिक कारकों के कारण अस्थिरता के अधीन है। परिसंपत्ति देयता मिलान का भी जोखिम है अर्थात योजनागत परिसंपत्तियों के लिए नकदी प्रवाह योजनागत देयता के लिए नकदी प्रवाह से मेल नहीं खाता है।

(ii) रियायती दर में परिवर्तन

रियायती दर का उपयोग करके परिभाषित हितलाभ की योजनागत देयताओं के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकारी बॉण्डों की लब्धियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। रियायती दर में कटौती (वृद्धि) से योजनागत देयताओं के वर्तमान मूल्यों में वृद्धि (कटौती) होगी, हालांकि यह योजनागत निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से प्रतितुलित होगा।

(iii) मृत्यु दर जोखिम

योजना के प्रतिभागियों के नियोजन के दौरान तथा उनके नियोजन के पश्चात भी मृत्यु के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में परिभाषित हितलाभ योजनाओं की देयता के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है। योजना के प्रतिभागियों के जीवित रहने की प्रत्याशा में वृद्धि/कमी से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन वृद्धि जोखिम

योजना के प्रतिभागियों के भावी वेतन के संदर्भ में परिभाषित हितलाभ योजनाओं की देयता के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है। इस प्रकार, योजना के प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(v) कार्मिकों की टर्नओवर दर/निकासी दर

यदि भविष्य में वास्तविक कार्मिक निकासी दर अपेक्षा से अधिक या कम हो जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप देयता में वृद्धि/कमी हो सकती है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(ङ.) योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी की योजनागत परिसंपत्तियों का मूल्य इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
नकदी और नकदी समतुल्य	0.59	1.46
राज्य/केंद्र सरकार की ऋण प्रतिभूतियां	37.01	31.33
कॉर्पोरेट बॉण्ड/डिबेंचर	31.67	27.71
अन्य	1.01	0.80
कुल	**70.28**	**61.30**

कंपनी के अपने वित्तीय लिखतों (कॉर्पोरेट बॉण्ड) के संबंध में 31.03.2021 तक ₹0.50 करोड़ (31.03.2020 तक ₹0.50 करोड़) की राशि योजनागत परिसंपत्तियों के मूल्य में शामिल की गई है।

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल ₹3.43 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹5.13 करोड़)।

(च) बीमांकिकी की महत्वपूर्ण मान्यताएं

31.03.2021 तक ट्रांसवैल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा योजनागत परिसंपत्तियों का सर्वाधिक अद्यतन बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य तैयार किया गया। प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके परिभाषित हितलाभ बाध्यता तथा संबंधित मौजूदा सेवा लागत का वर्तमान मूल्य मापा गया। बिमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त प्रधान मान्यताएं इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
योजनागत परिसंपत्तियों, यदि वित्तपोषित हैं, पर रियायत दर एवं अपेक्षित प्रतिफल	7.08%	6.76%	7.08%	6.76%	7.08%	6.76%
वेतन वृद्धि दर/चिकित्सा महंगाई दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम
निकासी दर	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%

(छ) संवेदनशीलता विश्लेषण

अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए संगत बीमांकिक मान्यताओं में से एक में रिपोर्टिंग तारीख को तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तनों से परिभाषित हितलाभ बाध्यता नीचे दर्शायी गई राशि के अनुसार प्रभावित होगी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि	ह्रास
रियायत दर (0.50% मूवमेंट)				
- उपदान	(1.24)	1.27	(1.13)	1.22
- पीआरएमएस	(3.67)	4.13	(3.19)	3.59
- ईआरएस	(0.16)	0.18	(0.10)	0.12
वेतन वृद्धि/चिकित्सा महंगाई दर (0.50% मूवमेंट)				
- उपदान	0.16	(0.16)	0.31	(0.29)
- पीआरएमएस	3.95	(3.63)	3.43	(3.15)
- ईआरएस	0.17	(0.15)	0.11	(0.09)
चिकित्सा लागत (10% मूवमेंट)				
- पीआरएमएस	5.29	(4.41)	4.59	(3.83)

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित हितलाभ बाध्यता में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है क्योंकि इस बात की संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे से अलग रहकर होंगे क्योंकि कुछ मान्यताएं आपस में जुड़ी हो सकती हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

कंपनी इस बात की सक्रियता से मॉनीटरिंग करती है कि कैसे निवेशों की अवधि तथा अपेक्षित लब्धि कार्मिक हितलाभ बाध्यताओं से उत्पन्न अपेक्षित नकदी बर्हिप्रवाहों से मैच कर रही है। निवेशों में इतनी विविधता है कि किसी एकल निवेश में विफलता से परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर सारवान प्रभाव नहीं होगा। अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा पिछली अवधियों में प्रयुक्त प्रक्रिया से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ज) भावी वर्षों में परिभाषित हितलाभ योजनाओं का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1 वर्ष तक	1.91	1.68	1.60	1.85	0.54	0.31
1 से 5 वर्ष	8.84	7.76	10.76	12.45	2.17	1.27
5 वर्ष से अधिक	49.61	49.85	51.09	54.92	5.07	3.14
कुल	**60.36**	**59.29**	**63.45**	**69.22**	**7.78**	**4.72**

उपर्युक्त सारणी अपेक्षित नकदी प्रवाहों के आधार पर तैयार की गई है।

(झ) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाओं में अपेक्षित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
अनुमानित अंशदान	3.58	4.60	7.55	7.09

(झ) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ योजना बाध्यता की भारित औसत अवधि 15.94 वर्ष (31.03.2020 तक 16.02 वर्ष) है।

44.3 अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ

(क) छुट्टी

कंपनी कार्मिकों के खाते में अर्जित अवकाश हितलाभ तथा अर्धवेतनिक अवकाश हितलाभ प्रदान करती है, जो क्रमश: 15 दिन और 10 दिन की दर से छमाही आधार पर अर्जित होता है। सेवा के दौरान किसी भी समय अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश संचित किया जा सकता है। अर्धवेतनिक अवकाश के संचय की कोई सीमा नहीं है। 10 वर्ष की सेवा के बाद अलग होने पर या अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश प्लस अर्धवेतनिक अवकाश का एक साथ अधिकतम 300 दिन के अधीन नकदीकरण किया जा सकता है। तथापि, सेवा से अलग होने पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के लिए ₹8.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.73 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा लाभ एवं हानि के एकल विवरण में डेबिट किया गया है।

(ख) अन्य कार्मिक हितलाभ

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के लिए ₹2.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3.53 करोड़) के सेटलमेंट भत्ता एवं दीर्घ सेवा अवॉर्ड के लिए प्रावधान किया गया है तथा लाभ एवं हानि के एकल विवरण में डेबिट किया गया है।

44.4 प्रतिनियुक्ति/अनुसमर्थन आधार पर कंपनी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में काम करने वाले कार्मिकों के संबंध में कार्मिक हितलाभों (अर्थात उपदान, पीआरएमएस, सेवांत लाभ, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य कार्मिक लाभ) को कार्मिक लागत के नियत प्रतिशत के आधार पर आवंटित किया जा रहा है।

45. पट्टे

कार्यालय परिसर के रूप में उपयोग की गई कंपनी पट्टे पर धारित भूमि के संबंध में 'राइट-टू-यूज परिसंपत्ति' और 'पट्टा देयता' का विवरण:

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

45.1 नीचे दी गई सारणी वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं के मूवमेंट को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
प्रारंभिक शेष	8.81	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	8.81
अवधि के दौरान उपार्जित वित्त लागत	0.77	0.77
पट्टा देयताओं पर भुगतान	(0.77)	(0.77)
अंतिम शेष	8.81	8.81

45.2 नीचे दी गई सारणी रियायत विहीन पट्टे की देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
1 वर्ष तक	0.77	0.77
1-5 वर्ष	3.09	3.09
5 वर्ष से अधिक	56.29	57.83

45.3 वर्ष 2020-21 के दौरान, लाभ और हानि के एकल विवरण में अल्पावधि/निम्न मूल्य पट्टों से संबंधित ₹6.49 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.78 करोड़) के व्यय को प्रभारित किया गया है। उपर्युक्त राशि में कार्मिकों के आवासीय आवास, आधिकारिक उपयोग के लिए स्थान, किराए पर ईडीपी उपकरण और अन्य कार्यालय उपकरण लेने आदि से संबंधित पट्टे शामिल हैं। ये पट्टे आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होते हैं और रद्द करने योग्य होते हैं।

राइट-टू-यूज परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह ₹7.14 करोड़ है। (पिछले वर्ष ₹6.62 करोड़)

46. आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
आकस्मिक देयताएं				
(i)		गारंटी[क]	44.65	81.02
(ii)		कंपनी के निमित्त दावे जिनको ऋण के रूप में नहीं माना गया है	-	-
iii)		संस्वीकृत ऋणों के निमित्त चुकौती आश्वासन-पत्र के रूप में ऋणकर्ताओं को संवितरण की बकाया प्रतिबद्धताएं	3,913.01	870.49
(iv)[ख]	-	पिछले वर्षों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा की गई अतिरिक्त मांगें जिनका विरोध किया जा रहा है	62.23	88.14
	-	इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने अपीलीय अधिकरणों द्वारा कंपनी को प्रदान की गई राहत के विरुद्ध अपील की है। इसका भी विरोध किया जा रहा है	-	302.10
(v)	-	पिछले वर्षों के संबंध में सेवाकर विभाग द्वारा की गई सेवाकर मांग या कारण बताओ नोटिस जिनका विरोध किया जा रहा है	22.51	20.56
	-	इसके अतिरिक्त सेवा कर विभाग ने आयुक्त (सीई एवं एसटी) के उस आदेश के निमित्त सीईएसटीएटी के समक्ष अपील की है जिन्होंने सेवाकर की मांग को निरस्त कर दिया था। इसका भी विरोध किया जा रहा है।	50.07	46.31

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
प्रतिबद्धताएं			
(i)	ऐसी संविदाओं की अनुमानित राशि जो पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी है तथा जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	335.65	430.40
(ii)	अमूर्त परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताएं	-	-
(iii)	अन्य प्रतिबद्धताएं - 31.03.2020 तक की अवधि के संबंध में सीएसआर की अव्ययित राशि	143.43	217.59
	कुल	**4,571.55**	**2,056.61**

टिप्पणियां:

(क) ऋणकर्ता कंपनी के पक्ष में कंपनी द्वारा प्रदान की गई डिफॉल्ट भुगतान गारंटी। गारंटी के निमित्त प्रदत्त/देय राशि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है।

(ख) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आयकर मुकदमा सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित है। कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से कर निर्धारण वर्ष 2015-16 तक से संबंधित अन्य सभी आयकर मुकदमे प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत समाधान की प्रक्रिया में हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ और हानि के एकल विवरण में पिछले वर्षों के लिए कर व्यय के रूप में ₹131.38 करोड़ की राशि प्रभारित की गई है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

47. कंपनी पर किसी सूक्ष्य एवं लघु उद्यम का ऐसा कोई देय नहीं है, जो 31.03.2021 तक 45 दिन से अधिक बकाया है (31.03.2020 तक शून्य)। इसका निर्धारण उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक ऐसे पक्षों की स्थिति को कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर चिन्हित किया जा सकता है।

48. इंड एएस 108 – 'प्रचालनगत सेगमेंट' की अपेक्षानुसार व्यवसाय/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में कंपनी के प्रचालनों में केवल एक व्यवसाय सेगमेंट – विद्युत क्षेत्र की एंटिटियों को ऋण शामिल है। सभी गतिविधियां मुख्य व्यवसाय के आस-पास घूमती हैं। अत: ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जो इंड एएस 108 के अनुसार सूचित करने योग्य है।

49. लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में संशोधन:

कंपनियों पर लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को समाप्त किए जाने के बाद लाभांश के वितरण पर अतिरिक्त आयकर नीति को हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिक स्पष्टता लाने और कंपनी की प्रथा के साथ संरेखित करने के लिए लेखांकन की कुछ नीतियों को फिर से तैयार भी किया गया है। लेखांकन की नीतियों में किए गए ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

50. ऐसी राशि जिसके परिसंपत्ति एवं देयता के अंतर्गत प्रत्येक लाइन मद के लिए 12 माह के भीतर और इसके बाद वसूल/ निस्तारित होने की आशा है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक			31.03.2020 तक		
	12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल	12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल
परिसंपत्तियां						
1 वित्तीय परिसंपत्तियां						
(क) नकदी और नकदी समतुल्य	3,717.62	-	3,717.62	182.52	-	182.52
(ख) नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक शेष	1,044.58	-	1,044.58	16.47	-	16.47
(ग) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	5.33	1,246.12	1,251.45	63.94	1,799.48	1,863.42
(घ) ऋण	55,541.19	3,04,583.58	3,60,124.77	57,818.46	2,76,294.14	3,34.112.6
(ड.) निवेश	882.65	15,090.85	15,973.50	663.35	15,809.97	16,473.32
(च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	138.30	5,198.47	5,336.77	103.88	5,235.24	5,339.12
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**61,329.67**	**3,26,119.02**	**3,87,448.69**	**58,848.62**	**2,99,138.83**	**3,57,987.45**
2 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां						
(क) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	260.64	260.64	133.19	518.12	651.31
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	3,996.76	3,996.76	-	2,952.12	2,952.12
(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	37.21	37.21	-	31.35	31.35
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.24	0.24	-	0.41	0.41
(ड.) राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां	-	35.30	35.30	-	35.75	35.75
(च) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	112.55	192.68	305.23	84.75	44.12	128.87
कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**112.55**	**4,522.83**	**4,635.38**	**217.94**	**3,581.87**	**3,799.81**
कुल परिसंपत्तियां (1+2)	**61,442.22**	**3,30,641.85**	**3,92,084.07**	**59,066.56**	**3,02,720.70**	**3,61,787.26**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक			31.03.2020 तक		
	12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल	12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल
देयताएं						
1 वित्तीय देयताएं						
(क) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	56.01	438.03	494.04	56.40	543.42	599.82
(ख) ऋण प्रतिभूतियां	38,118.69	2,04,692.85	2,42,811.54	37,152.92	1,84,694.75	2,21,847.7
(ग) ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	11,220.79	69,616.81	80,837.60	17,902.17	61,213.89	79,116.06
(घ) सबॉर्डिनेटिड देयताएं	101.80	9,208.40	9,310.20	103.04	9,207.91	9,310.95
(ड.) अन्य वित्तीय देयताएं	683.31	5,144.74	5,828.05	316.07	5,059.09	5,375.16
कुल वित्तीय देयताएं (1)	**50,180.60**	**2,89,100.83**	**3,39,281.43**	**55,530.60**	**2,60,719.06**	**3,16,249.66**
2 गैर-वित्तीय देयताएं						
(क) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	-	43.24	43.24	0.11	-	0.11
(ख) प्रावधान	99.61	55.54	155.15	219.38	44.91	264.29
(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	181.19	29.94	211.13	2.93	106.14	109.07
कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)	**280.80**	**128.72**	**409.52**	**222.42**	**151.05**	**373.47**
कुल देयताएं (1+2)	**50,461.40**	**2,89,229.55**	**3,39,690.95**	**55,753.02**	**2,60,870.11**	**3,16,623.13**

51. भारत सरकार की योजनाएं जो कंपनी द्वारा कार्यान्वित जा रही हैं - एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के साथ इसमें सम्मिलित)

कंपनी को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन में आईपीडीएस योजना के प्रचालन एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। आईपीडीएस योजना में नोडल एजेंसी की भूमिका का उल्लेख किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत पात्र विद्युत संस्थाज के लिए बाहर से ऋण/अनुदान लाना शामिल है। कंपनी ऐसी मद में राशि प्राप्त करती है और योजना के अनुसरण में उसे संवितरित करती है। जब भारत सरकार से निधियां प्राप्त होती हैं, तो जब तक लाभार्थियों को भुगतान निर्मोचित नहीं किया जाता है, तब तक राशि को अन्य वित्तीय देयताओं के अंतर्गत दिखाया जाता है।

कंपनी मॉनीटरिंग समिति द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत या अवॉर्ड लागत, जो भी कम हो, के कुल 0.50% की दर से नोडल एजेंसी शुल्क (जो योजना के अनुसार चरणों में अर्जित होगा) के लिए पात्र है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नोडल एजेंसी शुल्क से आय की कुल राशि ₹4.65 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी को उक्त योजना के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय से व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹6.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹28.04 करोड़) भी प्राप्त हुए हैं।

आईपीडीएस योजना का अनुमानित परिव्यय ₹32,612 करोड़ है जिसमें संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹25,354 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है और 31.03.2021 तक पात्र विद्युत संस्थाओं को निर्देशित भारत सरकार अनुदान की राशि ₹15,782.44 करोड़ (31.03.2020 तक ₹12,702.45 करोड़) है।

कंपनी को पूर्ववर्ती आर-एपीडीआरपी योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन और संबद्ध सेवा (पात्र ऋणकर्ताओं को आगे ऋण देने के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशियों की बैक-टू-बैक व्यवस्था) के लिए भी नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था, जिसे आईपीडीएस योजना में शामिल कर लिया गया है। ₹32,612 करोड़ के परिव्यय के अतिरिक्त ₹22,727 करोड़ की बजटीय सहायता सहित ₹44,011 करोड़ की आर-एपीडीआरपी योजना लागत, जो सीसीईए द्वारा पहले से ही अनुमोदित है, को आईपीडीएस में अग्रेनीत किया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

52.

(क) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

दो संघ राज्य क्षेत्रों - जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद, दिनांक 23.10.2019 के विच्छिन्नता आदेश के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा यूनिटों का पुनर्गठन किया गया है। करारों के परिशिष्टों को नए पुनर्गठित विभागों के साथ अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस तरह के दस्तावेजों का निष्पादन लंबित रहने के दौरान, मौजूदा ऋण करार के अनुरूप मौजूदा ऋण को चुकाया/पुनर्भुगतान जा रहा है।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 02.06.2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। तथापि, औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संबंधित विद्युत विद्युत संस्थाओं को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अभी तक अंतरण नहीं हुआ है।

विद्युत संस्थाओं में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अंतरण का विधिवत रूप से उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अंतिम अंतरण योजना के अधिसूचित हो जाने पर नई/नाम परिवर्तित विद्युत संस्थाओं के साथ सभी बकाया ऋणों के संबंध में प्रलेखन की औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तब तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान के लिए मांग को विद्युत संस्थाओं के अनुसार अलग किया जा रहा है और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में विद्युत संस्थाओं द्वारा संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

53. आरबीआई के मास्टर दिशा-निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थागत दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा अस्वीकारकर्ता कंपनी तथा जमा स्वीकारकर्ता कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण

53.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन - परिसंपत्तियों एवं देयताओं की मदों का परिपक्वता पैटर्न:

नीचे दी गई सारणी में, परिपक्वता की तारीख को ध्यान में रखे बिना 5 वर्ष के बकेट में चरण III की परिसंपत्तियों से संबंधित क्षतिग्रस्तता हानि छूट को घटाकर मूलधन के नकदी प्रवाहों पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपयोग की शीघ्रातिशीघ्र तारीख को ध्यान में रखते हुए पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्डों को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक पेपर एवं जीरो कूपन बॉण्डों को परिपक्वता मूल्य पर दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

31.03.2021 तक बकेट	जमा/निवेश	अग्रिम	घरेलू ऋण	विदेशी मुद्रा मद	
				परिसंपत्ति	देयताएं
1 से 7 दिन	2,308.02	1,000.00	2,008.04	-	-
8 से 14 दिन	-	2,130.70	-	-	-
15 दिन से 30/31 दिन	1,392.13	3,933.99	2,000.00	-	5.26
1 माह से अधिक और 2 माह तक	799.72	3,729.18	600	-	-
2 माह से अधिक और 3 माह तक	-	1,328.74	3,796.65	-	6.32
3 माह से अधिक और 6 माह तक	-	7,340.85	15,228.15	-	1,102.57
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	-	14,139.88	16,604.34	-	977.51
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	-	57,861.78	66,122.35	-	12,012.31
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	-	61,587.27	55,139.62	-	9,958.15
5 वर्ष से अधिक	15,173.78	2,04,302.25	1,13,894.40	-	25,773.68
कुल	**19,673.65**	**3,57,354.63**	**2,75,393.55**	**-**	**49,835.80**

(₹ करोड़ में)

31.03.2020 तक बकेट*	जमा/निवेश	अग्रिम	घरेलू ऋण	विदेशी मुद्रा मद	
				परिसंपत्ति	देयताएं
30/31 दिन तक	-	1,529.70	8,046.86	-	5.40
1 माह से अधिक और 2 माह तक	1,519.90	492.70	5,988.50	-	-
2 माह से अधिक और 3 माह तक	-	416.63	10,845.00	-	6.09
3 माह से अधिक और 6 माह तक	-	3,511.49	17,351.67	-	1,130.79
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	-	18,837.19	5,305.25	-	2,156.10
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	-	59,187.06	57,474.09	-	11,493.88
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	-	56,046.51	60,813.03	-	10,231.67
5 वर्ष से अधिक	14,953.42	1,90,314.82	90,071.03	-	22,676.86
कुल	**16,473.32**	**3,30,336.11**	**2,55,895.42**	**-**	**47,700.79**

* 31.03.2020 तक लागू प्रारूप के अनुसार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

53.2 एक्सपोजर

53.2.1 कंपनी ने अचल संपदा क्षेत्र में कोई कारोबार नहीं किया है।

53.2.2 पूंजी बाजार संबंधी एक्सपोजर:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक राशि	31.03.2020 तक राशि
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसके कॉरपस का निवेश अनन्य रूप से कॉर्पोरेट ऋण (पूर्णत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश सहित) में में निवेश न किया गया हो;	15,896.71	15,589.12
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के निमित्त या स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	-	-
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए उस सीमा तक अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों की कोलेटरल प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं अर्थात जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों से अग्रिम राशि पूरी तरह कवर नहीं होती है;	-	-
(v)	शेयर दलालों को दिए गए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटियां;	-	-
(vi)	कंपनियों को संस्वीकृत ऋण जो शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा पर संस्वीकृत किए गए हों अथवा जो संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर का योगदान पूरा करने के लिए स्पष्ट आधार पर दिए गए हों;	2,705.94	2,628.55
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के निमित्त कंपनियों को दिए गए ब्रिज ऋण;	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत दोनों) से संबंधित सभी एक्सपोजर	-	6.12
	पूंजी बाजार से संबंधित कुल जोखिम	**18,602.65**	**18,223.79**

53.2.3 मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का ब्यौरा:

कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है।

53.2.4 आरबीआई के 12.02.2010 के परिपत्र सीसी सं. 168 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में आरबीआई ने कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया है। केंद्र सरकार/राज्य सरकार की एंटिटियों के संबंध में, आरबीआई ने 31.03.2022 तक क्रेडिट/निवेश के मानदंडों के संकेंद्रण की प्रयोज्यता से कंपनी को छूट प्रदान की है। कंपनी ने इन एंटिटियों के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ऋण संकेंद्रण मानदंडों का पालन करना जारी रखा है।

आईएफसी के रूप में, निजी क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए कुल अनुमत ऋण जोखिम एकल ऋणकर्ता के मामले में स्वामित्व वाली निधियों का 25%, ऋणकर्ताओं के एकल समूह के मामले में 40% है तथा ऋण प्रदान करने एवं निवेश करने के लिए एकसाथ ऋण जोखिम स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के क्रमश: 30% और 50% तक हो सकता है।

53.2.5 कंपनी द्वारा पार की गई एकल ऋणकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह ऋणकर्ता सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एकल ऋणकर्ता/समूह ऋणकर्ता के निमित्त लागू विवेकपूर्ण जोखिम सीमा को पार नहीं किया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

53.3 विनियामकों से प्राप्त पंजीकरणों का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विविनियामक	विवरण	पंजीकरण का ब्यौरा
1	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	L65910DL1986GOI024862
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	पंजीकरण संख्या	B- 14.00004
3	लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड	एलईआई संख्या	3358003Q6D9LIJJZ1614
4	भारतीय केंद्रीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित रजिस्ट्री	पंजीकरण संख्या	F0084

53.4 वर्ष के दौरान आरबीआई और अन्य विनियामकों द्वारा लगाई गई पेनल्टी का प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एनएसई और बीएसई ने निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में गैर अनुपालन के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया है। एनएसई और बीएसई को अपने उत्तर में कंपनी ने बताया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के कारण तथा कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 86 के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में शेष स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को गति देने के लिए कंपनी ने विद्युत मंत्रालय के समक्ष मामले को प्रस्तुत किया है। पिछले वर्ष के दौरान भी, एनएसई और बीएसई ने इसी कारण से कंपनी पर जुर्माना लगाया था। बीएसई ने 24 सितंबर, 2020 और 19 अप्रैल, 2021 के अपने ई-मेल के माध्यम से उपर्युक्त अवधियों के लिए लगाई गई पेनल्टी को माफ कर दिया है।

53.5 क्रेडिट रेटिंग

53.5.1 दिनांक 31.03.2021 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का माइग्रेशन:

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
1	क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
2	आईसीआरए	आईसीआरए एएए	आईसीआरए ए1+
3	केयर	केयर एएए	केयर ए1+

53.5.2 दिनांक 31.03.2021 तक कंपनी को आवंटित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग:

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
1.	फिच रेटिंग्स	बीबीबी-
2.	मूडीज	बीए3

53.5.3 उपर्युक्त के संबंध में, वर्ष के दौरान रेटिंग का कोई माइग्रेशन नहीं हुआ है।

53.6 लाभ और हानि के एकल विवरण में डेबिट किए गए प्रावधान, आकस्मिकताएं और क्षतिग्रस्तता हानि छूट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
1	ऋण, ऋण समाधान के अंतर्गत अर्जित निवेश और चुकौती आश्वासन-पत्र के लिए क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	3,494.35	980.86
2	अन्य प्राप्य राशियों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	2.05	10.11
3	अन्य पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	0.25
4	आयकर के लिए किया गया प्रावधान	2,792.03	1,424.48

* ऋण समाधान के अंतर्गत अर्जित निवेश पर ₹2,860.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,463.55 करोड़) का अपलेखन एवं क्षतिग्रस्तता तथा ₹3,017.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,610.28 करोड़) की क्षतिग्रस्तता हानि छूट के तद्नुरूपी प्रत्यावर्तन सहित।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

53.7 रिजर्व से आहरण द्वारा गिरावट

इक्विटी में परिवर्तन के एकल विवरण और टिप्पणी 24 का संदर्भ लिया जा सकता है।

53.8 अन्य

(क) कंपनी इंड एएस - 110 'समेकित वित्तीय विवरण' के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है।

(ख) विदेशों में संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों के रूप में कंपनी की कोई प्रवासी परिसंपत्ति नहीं है।

(ग) कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई ऐसा एसपीवी नहीं हैं जिसका तुलन-पत्र असंतुलित हो, जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित करने की आवश्यकता है।

53.9 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ग्राहकों की शिकायतें

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने ऋणकर्ताओं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई है (पिछले वर्ष शून्य)।

54. कंपनी पर लागू भारतीय रिज़र्व बैंक के 01.09.2016 के मास्टर निर्देश के अनुलग्नक IV में निर्दिष्ट सूचना/विवरण, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक राशि		31.03.2020 तक राशि	
देयता पक्ष	बकाया	अतिदेय	बकाया	अतिदेय
(1) कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण एवं अग्रिम जिसमें उस पर अर्जित किंतु भुगतान न किया गया ब्याज शामिल है:				
(क) बॉण्ड: प्रतिभूत	15,617.62	0.00	15,157.24	0.00
अप्रतिभूत	2,33,619.99	0.00	2,16,267.03	0.00
(ख) (i) रुपया सावधि ऋण	61,332.50	0.00	57,409.63	0.00
(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	19,013.86	0.00	19,872.75	0.00
(ग) वाणिज्यिक पेपर	3,080.23	0.00	-	0.00
(घ) अल्पावधि ऋण	683.23	0.00	2,038.40	0.00

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति पक्ष	31.03.2021 तक बकाया राशि	31.03.2020 तक बकाया राशि
(2) कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण एवं अग्रिम जिसमें उस पर अर्जित किंतु भुगतान न किया गया ब्याज शामिल है:		
(क) प्रतिभूत	1,91,256.29	2,12,693.81
(ख) अप्रतिभूत	1,79,559.82	1,32,235.76
(ग) घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	16,410.98	15,658.97
(घ) ऋण एवं अग्रिम (प्रावधान को घटाकर)	3,54,405.13	3,29,270.60

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति पक्ष	31.03.2021 तक बकाया राशि	31.03.2020 तक बकाया राशि
(3) पट्टा परिसंपत्तियों एवं लीज्ड स्टॉक और एएफसी गतिविधियों के निमित्त गिनी जाने वाली अन्य परिसंपत्तियों का ब्यौरा (प्रावधान को घटाकर):		
(i) विविध देयताओं के अंतर्गत पट्टा किराया सहित पट्टा परिसंपत्तियां:		
(क) वित्तीय पट्टा	94.00	99.18
(ख) प्रचालन पट्टा	0.00	0.00

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति पक्ष	31.03.2021 तक बकाया राशि	31.03.2020 तक बकाया राशि
(4) निवेशों का ब्यौरा (प्रावधान को घटाकर)		
वर्तमान निवेश		
1 उद्धृत		
(i) शेयर		
(क) इक्विटी	706.42	663.35
दीर्घावधि निवेश		
1 उद्धृत		
(i) शेयर		
(क) इक्विटी	14,696.07	14,578.74
(ii) डिबेंचर एवं बॉण्ड	-	810.05
2 अनुद्धृत		
(i) शेयर		
(क) इक्विटी	246.20	246.20
(ख) अधिमानी	173.18	168.86
(ii) डिबेंचर एवं बॉण्ड	151.63	-
(iii) एसआईबी फंड की यूनिटें	-	6.12

(5) उपर्युक्त (2) और (3) में यथा वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणकर्ता समूहवार वर्गीकरण: (प्रावधान के लागू मानदंडों के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	प्रावधान की निवल राशि (31.03.2021 तक)			प्रावधान की निवल राशि (31.03.2020 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1 संबंधित पक्षकार						
(क) सहायक कंपनियां एवं सहयोगी कंपनियां	-	3,168.51	3,168.51	-	155.05	155.05
(ख) अन्य संबंधित पक्षकार	0.57	-	0.57	0.51	-	0.51
2 संबंधित पक्षकारों से अन्य	1,91.349.72	1,76.391.31	3,67.741.03	2,12.792.48	1,32.080.71	3,44.873.19
कुल	**1,91.350.29**	**1,79.559.82**	**3,70.910.11**	**2,12.792.99**	**1,32.235.76**	**3,45.028.75**

(6) शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घावधि) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	ब्रेक अप मूल्य$	बही मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	ब्रेक अप मूल्य$	बही मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)
1 संबंधित पक्षकार				
(क) सहायक कंपनियां	22,825.70	14,500.65	18,685.88	14,500.45
(ख) समान समूह में कंपनियां	290.37	246.05	289.35	246.25
2 संबंधित पक्षकारों से अन्य	1,226.80	1,226.80	1,726.62	1,726.62
कुल	**24,342.87**	**15,973.50**	**20,701.85**	**16,473.32**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(7) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण		राशि (31.03.2021 तक)	राशि (31.03.2020 तक)
(i)	सकल चरण III परिसंपत्ति		
	(क) संबंधित पक्षकारों से अन्य	21,150.16	27,871.70
(ii)	निवल चरण III परिसंपत्ति		
	(क) संबंधित पक्षकारों से अन्य	7,733.80	13,123.24
(iii)	ऋण के बदले में अधिग्रहीत परिसंपत्तियां (निवेश का सकल मूल्य)	467.96	200.60

$ नकारात्मक ब्रेक-अप मूल्य के स्थिति में, शून्य मूल्य पर विचार किया गया है।

55. आरबीआई के मास्टर निर्देश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण जमा अस्वीकारकर्ता कंपनी और जमा स्वीकारकर्ता कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और लिक्विडिटी कवरेज अनुपात पर दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण

55.1 महत्वपूर्ण काउंटरपार्टी (ऋण) पर आधारित वित्तपोषण संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	महत्वपूर्ण काउंटरपार्टियों की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
31.03.2021 तक	7	52,897.08	15.57%
31.03.2020 तक	8	81,440.48	25.72%

* महत्वपूर्ण काउंटरपार्टी/ महत्वपूर्ण लिखत/ उत्पाद को कुल देयताओं के 1% से अधिक के लिए संचित रूप में लेखांकन करने वाले एकल काउंटरपार्टी या संबंधित या संबद्ध काउंटरपार्टियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है।

55.2 शीर्ष 10 ऋण (राशि ₹ करोड़ में और कुल ऋण का %)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण*	31.03.2021 तक	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋण का %
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आरटीएल	10,999.98	3.38%
2	केनरा बैंक से आरटीएल	8,250.00	2.54%
3	राष्ट्रीय लघु बचत योजना निधि (एनएसएसएफ) से आरटीएल	7,500.00	2.31%
4	बैंक ऑफ बड़ौदा से आरटीएल	6,300.00	1.94%
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आरटीएल	6,100.00	1.88%
6	3 95 यूएसडी बॉण्ड 2030	5,512.85	1.70%
7	7 41 करयोग्य बॉण्ड श्रृंखला 197	5,000.00	1.54%
8	7 62 करयोग्य बॉण्ड श्रृंखला 171	5,000.00	1.54%
9	8 41 करयोग्य बॉण्ड श्रृंखला 131 सी	5,000.00	1.54%
10	8 65 करयोग्य बॉण्ड श्रृंखला 126	5,000.00	1.54%

* बैंकों से बॉण्ड निर्गम/ सावधि ऋणों के आकार के आधार पर

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण*	31.03.2020 तक राशि (₹ करोड़ में)	कुल ऋण का %
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आरटीएल	8,999.98	2.97%
2	राष्ट्रीय लघु बचत योजना निधि (एनएसएसएफ) से आरटीएल	7,500.00	2.47%
3	केनरा बैंक से आरटीएल	6,000.00	1.98%
4	3 95 यूएसडी बॉण्ड 2030	5,674.87	1.87%
5	7 41 करयोग्य बॉण्ड श्रृंखला 197	5,000.00	1.65%
6	7 62 करयोग्य बॉण्ड श्रृंखला 171	5,000.00	1.65%
7	8 41 करयोग्य बॉण्ड श्रृंखला 131 सी	5,000.00	1.65%
8	8 65 करयोग्य बॉण्ड श्रृंखला 126	5,000.00	1.65%
9	7 93 करयोग्य बॉण्ड श्रृंखला 193	4,710.50	1.55%
10	4 50 यूएसडी बॉण्ड 2029	4,539.90	1.50%

55.3 महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद पर आधारित वित्तपोषण संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1	**ऋण प्रतिभूतियां**				
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	119.56	0.04%	278.63	0.09%
	- कर मुक्त बॉण्ड	12,275.11	3.61%	12,275.11	3.88%
	- 54 ईसी पूंजी अभिलाभ कर छूट बॉण्ड	2,564.18	0.75%	1,918.54	0.61%
	- करयोग्य बॉण्ड	1,86,226.10	54.82%	1,72,930.24	54.62%
	- विदेशी मुद्रा नोट्स	30,871.97	9.09%	27,892.78	8.81%
	- वाणिज्यिक पेपर	3,080.23	0.91%	-	0.00%
	उप-जोड़ (1)	**2,35.137.15**	**69.22%**	**2,15.295.30**	**68.00%**
2	**ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से अन्य)**				
	- विदेशी मुद्रा ऋण	150.65	0.04%	172.38	0.05%
	- सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण	18,813.18	5.54%	19,635.63	6.20%
	- रुपया सावधि ऋण	53,598.98	15.78%	49,598.98	15.66%
	- रुपया सावधि ऋण - भारत सरकार	7,500.00	2.21%	7,500.00	2.37%
	- सावधि जमा के निमित्त ऋण	683.04	0.20%	-	0.00%
	- कार्यकारी पूंजी मांग ऋण/ओवरड्राफ्ट/नकदी क्रेडिट/लाइन ऑफ क्रेडिट	-	0.00%	2,038.36	0.64%
	उप-जोड़ (2)	**80,745.85**	**23.77%**	**78,945.35**	**24.93%**
3	**सबॉर्डिनेटिड देयताएं**	9,211.50	2.71%	9,211.50	2.91%
	उप-जोड़ (3)	**9,211.50**	**2.71%**	**9,211.50**	**2.91%**
	कुल (1+2+3)	**3,25.094.50**	**95.70%**	**3,03.452.15**	**95.84%**

55.4 स्टॉक अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	कुल सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
	31.03.2021 तक			
1	गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता 1 वर्ष से कम)	-	-	-
2	वाणिज्यिक पेपर	0.95%	0.91%	0.79%
3	अन्य अल्पावधि देयताएं	0.21%	0.20%	0.17%
	31.03.2020 तक			
1	गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता 1 वर्ष से कम)	-	-	-
2	वाणिज्यिक पेपर	-	-	-
3	अन्य अल्पावधि देयताएं	0.67%	0.64%	0.56%

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

55.5 कंपनी में लिक्विडिटी जोखिम के प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचे के लिए टिप्पणी 40.2 देखें।

55.6 लिक्विडिटी कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 को समाप्त तिमाही		31.03.2020 को समाप्त तिमाही	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्तापूर्ण लिक्विड परिसंपत्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण लिक्विड परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए) (क)	1,393.57	1,393.57	733.75	733.75
नकदी बहिर्वाह					
2	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	-	-	8.15	9.37
3	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण बाध्यताएं	4,008.29	4,609.54	2,940.22	3,381.25
4	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण बाध्यताएं	2,990.66	3,439.26	2,155.96	2,479.35
5	कुल नकदी बहिर्वाह	6,998.95	8,048.80	5,104.33	5,869.97
नकदी अंतर्वाह					
6	पूर्णत: निष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	6,717.70	5,038.28	8,787.09	6,590.32
7	अन्य नकदी अंतर्वाह	297.85	223.39	4.01	3.01
8	**कुल नकदी अंतर्वाह**	**7,015.55**	**5,261.67**	**8,791.10**	**6,593.33**
			कुल समायोजित मूल्य		**कुल समायोजित मूल्य**
9	**कुल एचक्यूएलए**		**1,393.57**		**733.75**
10	**कुल निवल नकदी बहिर्वाह**				
	(कुल भारित नकदी बहिर्वाह) - न्यूनतम (कुल भारित नकदी बहिर्वाह या कुल भारित नकदी अंतर्वाह का 75%)		2,787.14		1,467.49
11	**लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (%)**		**50.00%**		**50.00%**

(क) कंपनी के पास पर्याप्त एचक्यूएलए है। तथापि, उपर्युक्त प्रकटीकरण के लिए, 50% के एलसीआर स्तर को पूरा करने के लिए आवश्यक एचक्यूएलए राशि पर विचार किया गया है।

55.7 आरबीआई ने 4.11.2019 के परिपत्र के माध्यम से एनबीएफसी के लिए लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन को शामिल करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें आरबीआई ने ₹5,000 करोड़ से अधिक के परिसंपत्ति आकार वाले जमा अस्वीकारकर्ता सभी एनबीएफसी(यों) पर लागू लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शुरुआत की। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करते हुए एलसीआर के संदर्भ में लिक्विडिटी बफर को बनाए रखना है कि उनके पास अगले 30 दिन तक चलने वाले किसी भी तीव्र लिक्विडिटी दबाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण लिक्विड परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) है। दिशा-निर्देश के अनुसार, एलसीआर को अगले 30 कैलेंडर दिन में कुल निवल नकदी बहिर्वाह (दबावग्रस्त अंतर्वाह को घटाकर दबावग्रस्त बहिर्वाह) से विभाजित करके उच्च गुणवत्तापूर्ण लिक्विड परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) के स्टॉक द्वारा दर्शाया जाता है। आरबीआई द्वारा एचक्यूएलए को लिक्विड परिसंपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे दबाव की स्थितियों में निधियां प्राप्त करने के लिए मूल्य के थोड़ी हानि या किसी हानि के बिना आसानी से बेचा जा सकता है या तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है या संपार्श्विक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

कंपनी ने 01.12.2020 से 50% के न्यूनतम एलसीआर की निर्धारित आवश्यकता के निमित्त एलसीआर की आवश्यकता का अनुपालन किया है, जिसे 01 दिसंबर 2024 तक उत्तरोत्तर 100% के आवश्यक स्तर तक बढ़ाया गया है। कंपनी द्वारा एचक्यूएलए को चालू खाते में बैंकों में शेष राशि एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सावधि जमा और पात्र प्रतिभूतियों के रूप में अनुरक्षित किया जा रहा है। कंपनी एलसीआर का रखरखाव केवल आईएनआर में कर रही है; इसलिए कोई मुद्रा बेमेल नहीं है। 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के लिए, 01.12.2020 और 31.12.2020 को मूल्यों के साधारण औसत के रूप में डेटा प्रस्तुत किया गया है। 31.03.2021 को समाप्त तिमाही के लिए, तिमाही के प्रत्येक माह की अंतिम कैलेंडर तारीख के अनुसार, मासिक अवलोकनों के साधारण औसत के रूप में डेटा प्रस्तुत किया गया है।

56. मास्टर निर्देश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि अस्वीकारकर्ता कंपनी और जमाराशि स्वीकारकर्ता कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी 9.1 से 9.4, 10.3, 39.1, 39.2, 40.1.3(iii), 40.1.3(vi), 53, 54 और टिप्पणी 55 में किया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

57. कंपनी पर कोविड-19 का प्रभाव

भारत वर्तमान में संक्रमित मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। परिणामी लॉकडाउन आर्थिक गतिविधियों के लिए कम प्रतिबंधात्मक हैं और सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में संकेंद्रित हैं।

कंपनी का सुदृढ़ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए अपने कार्मिकों को दूरस्थ प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुरक्षित रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है।

कंपनी ने 27.03.2020, 17.04.2020 और 23.05.2020 के कोविड-19 विविनियामक पैकेज के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र ऋणकर्ताओं को 01.03.2020 से 31.08.2020 के बीच देय किश्तों के भुगतान पर अधिस्थगन की पेशकश की है।

कोविड-19 पैकेज घोषणा के भाग के रूप में, भारत सरकार ने कंपनी और इसकी सहायक कंपनी अर्थात आरईसी लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण के रूप में राज्य वितरण कंपनियों को लिक्विडिटी इंजेक्शन की भी घोषणा की है। कंपनी ने 31.05.2021 तक इस लिक्विडिटी पैकेज के भाग के रूप में वितरण कंपनियों को ₹63,369.54 करोड़ और ₹38,089.15 करोड़ की राशि क्रमशः संस्वीकृत और संवितरित की है।

ऋण के विविध स्रोतों तक पहुंच के कारण कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी की स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा है। कंपनी वित्तपोषण की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार तैयार है। इसके पास पर्याप्त लिक्विडिटी के साथ-साथ विभिन्न बैंकों से पर्याप्त अनाहरित लाइन ऑफ क्रेडिट है। कंपनी की उच्च ऋण योग्यता और ऋणदाताओं के साथ अच्छे संबंधों को ध्यान में रखते हुए, यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से निधियां जुटा सकती है।

कंपनी का यह मानना है कि वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी के साथ, व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधि का पुनरुत्थान होना तय है, जिससे विद्युत की मांग और उत्पादन में वृद्धि होगी।

उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रबंधन का यह मानना है कि अपने व्यवसाय के संचालन को जारी रखने, अपनी वित्तीय स्थिति को बनाए रखने और सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर इस प्रकोप का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, कंपनी पर इस महामारी का प्रभाव, अन्य बातों के साथ-साथ, कोविड-19 की अवधि से संबंधित भावी घटनाक्रमों और विद्युत क्षेत्र एवं एनबीएफसी पर इसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार और विनियामक निकायों द्वारा किसी अगली कार्रवाई पर निर्भर करेगा। कंपनी भावी आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न होने वाले किसी सारवान परिवर्तन और अपने व्यवसाय पर इसके संभावित प्रभाव की बारीकी से मॉनिटर करना जारी रखेगी।

58. आरबीआई के 17.04.2020 के परिपत्र डीओआरआर.एनओबीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 के अनुसार आरबीआई के कोविड-19 विविनियामक पैकेज के संदर्भ में अधिस्थगन और परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
1	एसएमए/अतिदेय श्रेणी में राशि, जहां अधिस्थगन/स्थगन की अवधि बढ़ाई गई थी - एसएमए 1 के लिए	शून्य	594.72
2	राशि जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण का हितलाभ दिया जाता है	शून्य	शून्य
3	वित्तीय वर्ष की 2020 की चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष की 2021 की पहली तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	शून्य	शून्य
4	संबंधित लेखा अवधि के दौरान स्लिपेज और अवशिष्ट प्रावधान के निमित्त समायोजित प्रावधान	शून्य	शून्य

59. आरबीआई के 07.04.2021 के परिपत्र के अनुसार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित ऋण देने वाली सभी संस्थाएं, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अधिस्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया था या लाभ नहीं उठाया गया था, स्थगन अवधि के दौरान अर्थात 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान ऋणकर्ताओं से लिए गए 'ब्याज पर ब्याज' को वापस/समायोजित करेंगी। कंपनी ने ब्याज पर इस तरह के ब्याज की गणना के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर ब्याज पर ब्याज को वापस/समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाई है। कंपनी ने ऐसी राशि की गणना की है और वापसी/समायोजन के लिए आवश्यक लेखांकन किया है। तदनुसार, 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए ब्याज आय को ₹291.32 करोड़ कम किया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

60. 'बड़ी एंटिटियों द्वारा ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम द्वारा निधि जुटाना' पर सेबी के 26.11.2018 के परिपत्र सेबी/एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर/पी2018/144 के संदर्भ में कंपनी एक 'बड़ा कॉर्पोरेट' है। उक्त परिपत्र के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
कंपनी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
सीआईएन	L65910DL1986GOI024862	
वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को कंपनी के बकाया ऋण (₹ करोड़ में) (सेबी के 26.11.2018 के परिपत्र सेबी/एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर/पी/2018/144 के अनुसार)	2,71,495.44	3,01,413.79
पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम के साथ उच्चतम क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल, आईसीआरए और केयर द्वारा एएए	
स्टॉक एक्सचेंज का नाम जिसमें फ्रेमवर्क के अंतर्गत आवश्यक ऋण में कमी के मामले में जुर्माने का भुगतान किया जाएगा	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)	
वित्तीय वर्ष के लिए दर्ज रिपोर्ट	**2020-21**	**2019-20**
वृद्धिशील ऋणों का विवरण: (₹ करोड़ में)		
वित्तीय वर्ष के दौरान लिए गए वृद्धिशील ऋण (क)	66,732.37	59,542.04
ऋण प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से लिया जाने वाला अनिवार्य ऋण (ख) = (क का 25%)	16,683.09	14,885.51
वित्तीय वर्ष में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से लिए गए वास्तविक ऋण	46,332.37	36,353.60
ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य ऋण में कमी, यदि कोई हो (घ) = (ख)-(ग)	शून्य	शून्य
कमी के कारण	लागू नहीं	लागू नहीं

61. जहां कहीं आवश्यक हुआ है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि उनको तुलनीय बनाया जा सके।

62. आंकड़ों को दो दशमलव के साथ रुपए के निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
सीजीएम एवं कंपनी सचिव

हस्ता/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज
भागीदार
सदस्य संख्या: 098606

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्य संख्या: 082069

तारीख: 15 जून, 2021
स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण हेतु

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद इसमें "धारक कंपनी" कहा गया है) तथा इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ "ग्रुप" कहा गया है), इसके सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटियों के संलग्न समेकित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31.03.2021 तक समेकित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण, उस समय समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण तथा लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश सहित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (इसके बाद इसमें "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के अलग-अलग इंड-एएस वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने तथा अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, पूर्वोक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित रूप से आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और भारत में लेखांकन के आम तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप 31.03.2021 तक ग्रुप, इसके सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के समेकित कार्यों, उस समय समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तनों और समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रदान करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में भी किया गया है। नैतिकता की आवश्यकताओं जो अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संगत हैं, के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा की गई आचार संहिता के अनुसरण में हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसरण में नैतिकता की अपनी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

मामले का बल

हम समूह पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 57 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रबंधन का यह मानना है कि इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि महामारी का समूह की सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। फिर भी, भविष्य में महामारी के विकास की दृष्टि में प्रभाव अनिश्चित है और भविष्य के वर्षों में क्षतिग्रस्तता छूट को प्रभावित कर सकता है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले

लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले ऐसे मामले हैं जो, हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि के इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में इन मामलों पर संपूर्णता में तथा उन पर अपनी राय बनाने में ध्यान दिया गया और हम इन मामलों पर अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए नीचे उल्लिखित मामलों को लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक का उत्तर
1	**वित्तीय लिखतों की क्रेडिट क्षतिग्रस्तता - ऋण परिसंपत्तियां** धारक कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का अनुसरण करती है जिसमें क्रेडिट जोखिम और क्षतिग्रस्तता के साक्ष्य के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों को विअन्य चरणों में वर्गीकृत करने के मानदंड/फ्रेमवर्क के संबंध में कुछ दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के आधार पर क्षतिग्रस्तता के लिए बाहरी एजेंसी द्वारा छूट का मूल्यांकन किया जाता है। क्षतिग्रस्तता हानि मापन के अंतर्गत डिफॉल्ट की संभावनाओं (पीडी), निश्चित डिफॉल्ट हानि (एलजीडी) और डिफॉल्ट पर एक्सपोजर (ईएडी) का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये मॉडल क्षतिग्रस्तता हानि के मापन के लिए प्रमुख चालक हैं। प्रबंधन द्वारा क्षतिग्रस्तता छूट के आकलन के लिए अंतर्निहित प्रमुख संकेतकों का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां हमने अधिक मात्रा में प्रबंधन के निर्णय की पहचान की है, इस प्रकार हैं:	**हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं में शामिल हैं:** • धारक कंपनी ने ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य का अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की है। हमने क्षतिग्रस्तता छूट के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ साझा किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता के साथ अन्य विनियामक अद्यतनों के साथ मानदंड/फ्रेमवर्क का सत्यापन किया। • लेखापरीक्षा की मानक प्रक्रियाओं को लागू करके वसूलियों का सत्यापन किया जाता है। ऋण शेष की पुष्टि की जाती है और नियंत्रण के प्रमुख मापदंडों के साथ ऋणकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है। • हमने ईसीएल मूल्यांकन की अंतर्निहित मान्यताओं और व्यापक कार्यप्रणाली की समीक्षा की है और अपने इनपुट साझा किए हैं। • तीसरे पक्षकार द्वारा क्षतिग्रस्तता छूट के लिए किए गए अध्ययन में घटक और गणना परीक्षण जांच हैं, प्रबंधन के साथ चर्चा की गई है और हमारे द्वारा भरोसा किया गया है। इस तरह के तीसरे पक्षकार द्वारा गोपनीय माने जाने वाले अध्ययन के कुछ मापदंडों को साझा नहीं करने के मद्देनजर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया सीमित है।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक का उत्तर
	क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) - कंपनी ने इंड एएस में परिभाषित संकेतक के आधार पर एसआईसीआर को वर्गीकृत किया है, डिफॉल्ट की संभावनाओं (पीडी), निश्चित डिफॉल्ट क्षति (एलजीडी) और व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किए गए चरण 3 के वहन मूल्य का अनुमान लगाना। यदि कुछ अनुमानों का, भावी नकदी प्रवाह और परिसंपत्ति मूल्यांकन के आधार पर व्यक्तिगत क्षतिग्रस्तता का उचित रूप से अनुमान नहीं लगाया जाता है, तो ऋणकर्ताओं को दिए गए ऋणों और अग्रिमों का वहन मूल्य वास्तविकता में गलत हो सकता है। इन मामलों का प्रभाव यह है कि हमने, अपने जोखिम मूल्यांकन के भाग के रूप में, निर्धारित किया कि ईसीएल के मूल्य में उच्च स्तर का अनुमान और अनिश्चितता है। एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों में कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हमारी लेखापरीक्षा में ऋण परिसंपत्तियों के क्षतिग्रस्तता को लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले के रूप में माना गया है।	हमने क्रेडिट क्षतिग्रस्तता प्रभार एवं मान्य किए गए प्रावधान तथा संबद्ध प्रकटीकरणों को स्वीकार्य एवं संतोषप्रद के रूप में माना।
2	**डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यन** कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार धारक कंपनी मुद्रा और ब्याज दर के अपने जोखिम को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव अनुबंध करती है। डेरिवेटिव अनुबंधों को या तो एफवीटीपीएल में या नकदी प्रवाह हेज (हेज एकाउंटिंग) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीपीएल में वर्गीकृत डेरिवेटिव्स पर मार्क टू मार्केट अभिलाभ/हानि को लाभ एवं हानि में मान्य किया जाता है और हेज एकाउंटिंग के डेरिवेटिव्स को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है। हमने सारवान एक्सपोजर तथा इस तथ्य के कारण लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले के रूप में डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों तथा हेज एकाउंटिंग के मूल्यन पर विचार किया है कि संविदाकारी बैंक द्वारा इन आवश्यकताओं/ मान्यताओं/ अनुमान के अनुचित उपयोग से आय विवरण पर सारवान प्रभाव पड़ सकता है।	**हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं में शामिल हैं:** जोखिम प्रबंधन के लिए प्रबंधन की धारणा पर चर्चा करना एवं समझना और कंपनी की नीति का अध्ययन करना। इंड एएस 109 के संदर्भ में डेरिवेटिव के उचित मूल्य का सत्यापन। डेरिवेटिव लिखतों के वर्गीकरण पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन। धारक कंपनी काउंटरपार्टी बैंकों से डेरिवेटिव का उचित मूल्य प्राप्त करती है। हमारी प्रक्रिया में 31.03.2021 तक बकाया विअन्य वित्तीय डेरिवेटिव अनुबंधों के विवरण और उनके उचित मूल्य का मूल्यांकन शामिल है। इसके अतिरिक्त, हमने नकदी प्रवाह हेज के अंतर्गत डेरिवेटिव अनुबंधों के मामले में लाभ और हानि खाते और अन्य व्यापक आय में डेरिवेटिव अनुबंधों के मार्क टू मार्केट के आधार पर लाभ या हानि के लेखांकन का सत्यापन किया। हमें काउंटरपार्टी बैंकों से प्राप्त उचित मूल्य पर डेरिवेटिव अनुबंधों को मापने में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण नहीं मिला।
3	**कोविड-19 महामारी के आलोक में कार्यान्वित की गई वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया** कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कई राज्यों में सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध की वजह से लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं को कंपनी के परिसर में भौतिक रूप से पूरा नहीं किया जा सका। चूंकि लेखापरीक्षा साक्ष्य तक व्यक्तिगत रूप से/भौतिक रूप से पहुंच बाधित थी, इसलिए वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपेक्षित दस्तावेज/सूचना प्रदान करने की व्यवस्था करके वैधानिक लेखापरीक्षा की गई थी। हमने ऐसी वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को लेखापरीक्षा के एक प्रमुख मामले के रूप में पहचान की है।	वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में, धारक कंपनी ने हमें कंपनी के ई-मेल और रिमोट सिक्योर नेटवर्क के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी/ रिकॉर्ड/ दस्तावेज/ स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए हैं: क) कंपनी के ई-मेल या रिमोट सिक्योर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराए गए आवश्यक रिकॉर्ड/ दस्तावेज/ विलेख, प्रमाण-पत्र और संबंधित रिकॉर्ड की स्कैन की गई प्रतिलिपियां; और ख) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर संवाद और चर्चा, ई-मेल और इसी तरह के संचार चैनलों के माध्यम से पूछताछ के माध्यम से। प्रबंधन द्वारा यह भी दर्शाया गया है कि हमारे परीक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किए गए डेटा और सूचना सही, पूर्ण, विश्वसनीय हैं और किसी मैनुअल संशोधन के बिना सीधे कंपनी की लेखांकन प्रणाली से उत्पन्न किए गए हैं, रिकॉर्ड और फाइलों से निकाले गए हैं ताकि इसकी अखंडता, प्रामाणिकता, पठनीयता और पूर्णता बनी रहे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों/निरीक्षण रिपोर्टों की हमारी समीक्षा के आधार पर, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऐसी वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया पर्याप्त नहीं होगी।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से अन्य सूचना

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में निदेशक की रिपोर्ट में शामिल सूचना शामिल है, जिसमें निदेशक की रिपोर्ट के अनुबंध, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट और कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण और हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपर्युक्त संदर्भित सूचना हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के क्रम में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर दी गई अन्य सूचना के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ने और ऐसा करते समय यह विचार करने की है कि क्या अन्य सूचना समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान से वास्तव में असंगत है या अन्यथा वास्तव में गलत बताई गई प्रतीत होती है।

यदि हम अन्य सूचना को पढ़ने पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उसको मामले से अवगत कराना होगा जिसे अभिशासित करने और उचित कार्रवाई करने, यदि आवश्यक हो, की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रबंधन तथा समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के अभिशासन का दायित्व संभालने वाले अधिकारियों के दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की आवश्यकताओं के अनुसार धारक कंपनी का निदेशक मंडल यथा संशोधित इंड एएस कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के साथ अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लागू भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसरण में इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो इसके सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं सहित ग्रुप की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन (अन्य व्यापक आय), इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करता है। ग्रुप में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने एवं पता लगाने के लिए ग्रुप एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, उसे लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, जिसका उपयोग उपर्युक्त के अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा, इंड एएस समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने तथा ऐसे वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए उन्हें कारगर रूप से परिचालित करने में किया जा सके, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत विवरण से मुक्त और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हों।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, ग्रुप में शामिल कंपनियों तथा इसके सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संबंधित निदेशक मंडल सतत सरोकार के रूप में जारी रखने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, सतत सरोकार और लेखांकन के सतत सरोकार आधार का उपयोग करने से संबंधित मामलों के लिए ग्रुप तथा इसके सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की सामर्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन अन्यथा ग्रुप को बंद करने या प्रचालनों को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने के अतिरिक्त कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

ग्रुप में शामिल कंपनियों तथा इसके सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था का संबंधित निदेशक मंडल ग्रुप तथा इसके सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलाकर इंड एएस समेकित वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं और क्या जालसाजी या त्रुटि के कारण लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई मुद्दा है जिसमें हमारी राय शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसरण में संचालित लेखापरीक्षा हमेशा किसी सारवान मिथ्या वर्णन का पता लगाएगी जब यह मौजूद होगा। मिथ्या वर्णन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं तथा तब सारवान माने जाते हैं जब उनसे तर्कसंगत रूप से व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में यह आशा की जा सकती है कि वे इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुसरण में लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद का पालन करते हैं। हम:

- इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या वर्णन के जोखिमों की भी पहचान करते हैं एवं इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या इन जोखिमों के लिए धोखाधड़ी या त्रुटि, डिजाइन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी सारवान मिथ्या वर्णन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या ग्रुप और इसके सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं ने पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है और ऐसे नियंत्रणों का कारगर रूप से प्रचालन किया जा रहा है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन के अनुमानों एवं संबद्ध प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- धारक कंपनी के प्रबंधन के लेखांकन के सतत सरोकार आधार के उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है जिससे सतत सरोकार के रूप में जारी रखने के लिए ग्रुप तथा इसके सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की सामर्थ्य पर सारवान संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, तो इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटीकरण पर हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकृष्ट करना होता है अथवा यदि ऐसा प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं होता है, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाओं या परिस्थितियों के कारण ग्रुप तथा इसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था का सतत सरोकार के रूप में कार्य करना बंद हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह भी मूल्यांकन करते हैं कि क्या समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाओं को ऐसे रूप से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए ग्रुप तथा इसके सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के भीतर एंटिटियों या कारोबारी गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए वे जिम्मेदार बने रहेंगे। हम केवल लेखापरीक्षा पर अपनी राय के लिए जिम्मेदार बने रहेंगे।

हम धारक कंपनी के अभिशासन की जिम्मेदारी वहन करने वाले अधिकारियों के साथ अन्य बातों के अतिरिक्त लेखापरीक्षा के नियोजित कार्य क्षेत्र एवं समय तथा आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी जिसकी हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में संचार करते हैं।

हम अभिशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता और उनके साथ सभी संबंधों एवं अन्य मामलों और जहां लागू है, संबंधित सुरक्षोपायों के बारे में संचार करने के संबंध में नैतिकता की संगत आवश्यकताओं का पालन किया है, जिनके बारे में तर्कसंगत रूप से विचार किया जा सकता है कि उनका हमारी स्वतंत्रता से सरोकार है।

अभिशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से हम ऐसे मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाए या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्धारण करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में कोई मामला संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से तर्कसंगत रूप से ऐसे संचार के जनहित में लाभों पर भारी पड़ने की आशा होगी।

अन्य मामले

1. हमने एक सहायक कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की, जिसकी वित्तीय सूचना में 31.03.2021 तक ₹4,00,866.87 करोड़ की कुल परिसंपत्तियां, ₹35,003.07 करोड़ का कुल राजस्व और ₹538.47 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए दर्शाया गया है, जिस पर समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण में विचार किया गया है। अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा इन इंड एएस वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें सौंपी है और समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इस सहायक कंपनी के संबंध में शामिल की गई राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, तथा अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, पूरी तरह अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

2. हमने एक सहायक कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की, जिसके गैर लेखापरीक्षित इंड एएस वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना में 31.03.2021 तक ₹131.53 करोड़ की कुल परिसंपत्तियां, ₹74.90 करोड़ का कुल राजस्व और ₹25.90 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए दर्शाया गया है, जिस पर समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण में विचार किया गया है। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में एक संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी और पंद्रह सहयोगी कंपनियों के संबंध में गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/अन्य वित्तीय सूचना भी शामिल है, जिनके वित्तीय विवरण 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रुप के ₹6.24 करोड़ के निवल लाभ के शेयर को दर्शाते हैं, जिस पर समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है।

   ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना गैर लेखापरीक्षित हैं और हमें प्रबंधन द्वारा सौंपे गए हैं और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उक्त सहयोगी कंपनियों, सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था से संबंधित है, पूरी तरह ऐसे गैर लेखापरीक्षित इंड एएस वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारी राय में एवं प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार ये इंड एएस वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

3. धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर ग्रुप ने इंड एएस 109 के अंतर्गत अपेक्षित ऋण परिसंपत्तियों और असंवितरित चुकौती आश्वासन-पत्र के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानि को मान्य किया गया है। चूंकि गणना के मापदंडों के लिए कुछ तकनीकी और पेशेवर विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने और सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने उक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा अपेक्षित क्रेडिट हानि के बारे में प्रदान की गई गणना पर भरोसा किया है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर नीचे दी गई हमारी रिपोर्ट उपर्युक्त मामलों के संदर्भ में, जहां तक विशेषज्ञ द्वारा किए गए कार्य, अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए इंड एएस वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर हमारी निर्भरता का प्रश्न है, संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

(1) जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यक है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगी कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों एवं अन्य वित्तीय सूचना पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने पर, जैसा कि अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लिखित है, हम रिपोर्ट करते हैं, लागू सीमा तक, कि:

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य थे।

(ख) हमारी राय में, उक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कानूनी रूप से अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक कि यह अन्य लेखापरीक्षकों की इन बहियों और रिपोर्टों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण और नकदी प्रवाह का समेकित विवरण समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ रखी गई संगत लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण प्रासंगिक नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं।

(ङ) सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों पर अधिनियम की धारा 164 की उप धारा (2) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(च) ग्रुप की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की प्रभावशीलता के संबंध में 'अनुलग्नक क' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों पर अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं है। तदनुसार, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों एवं सहयोगी कंपनियों पर अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण ग्रुप, इसके सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण करते हैं - समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 52 देखें;

(ii) डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर ग्रुप, इसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटियों की कोई सारवान पूर्वाभासी क्षति नहीं थी।

(iii) धारक कंपनी तथा इसकी सहयोगी कंपनियों, सहायक कंपनियों एवं भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित करने के लिए अपेक्षित राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी	**कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N	फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N
हस्ता/-	हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज	**सीए नरेश कुमार**
भागीदार	भागीदार
सदस्य संख्या: 098606	सदस्य संख्या: 082069
यूडीआईएन: 21098606AAAACS8032	यूडीआईएन: 21082069AAAABE8065

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 15 जून, 2021

अनुलग्नक क

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - क

(31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1(च) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31.03.2021 को समाप्त वर्ष और वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद धारक कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया है) के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के क्रम में, हमने धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, जो उस तारीख को भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था का संबंधित निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्थापित आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय का सुचारु और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू किए। इनमें संबद्ध कंपनियों की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और अनुवेदन, लेखांकन के रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, उसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने की है। हमने आईसीएआई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी की गई मार्गदर्शन टिप्पणी ("मार्गदर्शन टिप्पणी") और लेखापरीक्षा पर मानक, जो अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 10 के अंतर्गत निर्धारित समझे गए, के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणियों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम नैतिकता की आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षा करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय विवरण स्थापित एवं अनुरक्षित हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सारवान मामलों में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम जो सारवान कमजोरी मौजूद है, का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा यह विश्वास है कि हमें लेखापरीक्षा के संदर्भ में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और नीचे अन्य मामले संबंधी पैराग्राफ में वर्णित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, वे समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा संबंधी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने और लेखांकन के आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की जाती है। इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से संबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेनेदेन का रिकॉर्ड लेखांकन के आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति की अपेक्षा के अनुसार रखा गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनाधिकृत अर्जन, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्रदान किया जा सके, जिनका समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

नियंत्रणों के विफल होने या प्रबंधन द्वारा अनुचित उल्लंघन होने की आशंका सहित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सारवान गलत विवरण हो सकती है और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों से संबंधित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के निष्कर्ष इस

जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, जो भारत में निगमित कंपनियां है, में सभी सारवान दृष्टि से, इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी किए गए मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग की कसौटियों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31.03.2021 तक इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

अन्य मामले

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 3 (i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, जहां तक यह एक सहायक कंपनी पर लागू है, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की समरूपी रिपोर्टों पर आधारित है और एक सहायक कंपनी, पंद्रह सहयोगी कंपनियों एवं एक संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संबंध में, ऐसी संस्था के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट के अभाव में, हमने धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण पर भरोसा किया है। हमारी राय में, ग्रुप, इसके सहयोगी कंपनियों एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के लिए इसको सारवान नहीं समझा गया है।

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी	**कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N	फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N
हस्ता/-	हस्ता/-
सीए मनोज भारद्वाज	**सीए नरेश कुमार**
भागीदार	भागीदार
सदस्य संख्या: 098606	सदस्य संख्या: 082069
यूडीआईएन: 21098606AAAACS8032	यूडीआईएन: 21082069AAAABE8065

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 15 जून, 2021

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसरण में 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। बताया जाता है कि उन्होंने 15 जून, 2021 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अनुलग्नक-क में उल्लिखित कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की, लेकिन अनुलग्नक-ख में उल्लिखित कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी दस्तावेजों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की वर्णात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण निकलकर नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके या उसमें कुछ जोड़ा जा सके।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(डी. के. शेखर)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा), नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
तारीख:13 अगस्त, 2021

अनुलग्नक क

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटियों की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई है

सहायक कंपनियां

1. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
2. आरईसी लिमिटेड

सहयोगी कंपनियां

1. चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
2. दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
3. कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
4. मंडार ट्रांसमिशन लिमिटेड

अनुलग्नक ख

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटियों की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है

सहायक कंपनियां

1. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

संयुक्त उद्यम

2. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड

सहयोगी कंपनियां

1. कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
2. उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
3. कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
4. कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
5. छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
6. साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
7. घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
8. तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड
9. देवघर मेगा पावर लिमिटेड
10. चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
11. ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
12. देवघर इंफ्रा लिमिटेड
13. बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड
14. बिहार मेगा पावर लिमिटेड
15. झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड
16. बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
17. फतेहगढ़ भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड
18. गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड
19. कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड
20. एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड
21. एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड
22. राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
23. सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड
24. कोप्पल-नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड
25. करुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
26. सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
27. खेतड़ी-नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड
28. अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड
29. भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
30. टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
31. शोंगटोंग करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड
32. बीजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड

31 मार्च, 2021 तक समेकित तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
परिसंपत्तियां				
1	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) नकदी और नकदी समतुल्य	8	4,927.74	1,905.21
	(ख) नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से अन्य बैंक शेष	9	3,274.82	2,282.96
	(ग) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	10	3,562.67	5,182.27
	(घ) व्यापार की प्राप्य राशियां	11	167.61	135.66
	(ड.) ऋण	12	7,22,386.84	6,46,196.11
	(च) निवेश (इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित से अन्य)	13ए	2,950.48	3,853.72
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	14	29,779.87	27,463.77
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**7,67,050.03**	**6,87,019.70**
2	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	525.32	1,138.33
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	43	6,461.03	5,005.31
	(ग) निवेश संपत्ति	16	0.01	0.01
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	17	297.75	186.79
	(ड.) कार्य प्रगति पर पूंजी	17	335.67	287.62
	(च) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	17	0.77	0.77
	(छ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	17	6.39	9.23
	(ज) राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां	18	37.17	42.07
	(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	19	411.43	263.94
	(ञ) इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित निवेश	13बी	548.35	549.90
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**8,623.89**	**7,483.97**
3	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	20	33.16	16.93
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		**7,75,707.08**	**6,94,520.60**
देयताएं और इक्विटी				
देयताएं				
1	**वित्तीय देयताएं**			
	(क) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	10	1,340.35	1,925.55
	(ख) व्यापार की देय राशियां	21		
	(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया देय		0.01	0.15
	(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया देय		70.42	53.07
	(ग) ऋण प्रतिभूतियां	22	4,80,080.65	4,41,765.90
	(घ) ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से अन्य)	23	1,63,344.42	1,40,664.60
	(ड.) सबॉर्डिनेटिड देयताएं	24	16,257.09	14,130.60
	(च) अन्य वित्तीय देयताएं	25	32,074.60	29,179.16
	कुल वित्तीय देयताएं (1)		**6,93,167.54**	**6,27,719.03**

31 मार्च, 2021 तक समेकित तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
2	**गैर-वित्तीय देयताएं**			
	(क) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	15	140.68	67.40
	(ख) प्रावधान	26	263.27	374.32
	(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	27	345.26	193.80
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)		**749.21**	**635.52**
3	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे संबद्ध देयताएं**	20	0.08	0.68
	कुल देयताएं (1+2+3)		**6,93,916.83**	**6,28,355.23**
4	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	28	2,640.08	2,640.08
	(ख) अन्य इक्विटी	29	58,127.40	46,759.72
	कंपनी के स्वामियों को आरोप्य इक्विटी (क+ख)		60,767.48	49,399.80
	(ग) गैर-नियंत्रक ब्याज	30	21,022.77	16,765.57
	कुल इक्विटी (4)		81,790.25	66,165.37
	कुल देयताएं एवं इक्विटी (1+2+3+4)		**7,75,707.08**	**6,94,520.60**

इसके साथ संलग्न टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

हस्ता/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
(सीए मनोज भारद्वाज)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

हस्ता/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता संख्या: 082069

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 15 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
	(i) ब्याज आय	31	70,845.42	61,628.35
	(ii) लाभांश आय	32	88.74	105.65
	(iii) शुल्क एवं कमीशन आय	33	490.36	161.91
	(iv) अन्य प्रचालन आय	34	231.42	293.53
I.	**प्रचालनों से कुल राजस्व**		**71,655.94**	**62,189.44**
II.	अन्य आय	35	44.57	85.92
III.	**कुल आय** (I+II)		**71,700.51**	**62,275.36**
	व्यय			
	(i) वित्त लागतें	36	44,683.52	40,844.65
	(ii) निवल परिवर्तन/ लेनदेन विनिमय हानि/ (अभिलाभ)	37	166.20	4,991.32
	(iii) शुल्क एवं कमीशन व्यय	38	24.23	36.20
	(iv) उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल हानि/(अभिलाभ)	39	53.39	(673.20)
	(v) वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	40	5,942.29	1,910.83
	(vi) प्रदान की गई सेवाओं की लागत		101.23	85.18
	(vii) कार्मिक हितलाभ व्यय	41	370.82	399.72
	(viii) मूल्यहास, परिशोधन और क्षतिग्रस्तता	17/18	25.46	24.43
	(ix) निगमित सामाजिक दायित्व व्यय		370.22	356.44
	(x) अन्य व्यय	42	185.44	228.55
IV.	**कुल व्यय**		**51,816.02**	**48,204.12**
V.	असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ/ (हानि) (III-IV)		**19,884.49**	**14,071.24**
VI.	असाधारण मदें		-	-
VII.	संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में लाभ/ (हानि) का शेयर		6.24	21.43
VIII.	**कर पूर्व लाभ/ (हानि)** (V-VI+VII)		**19,890.73**	**14,092.67**
	कर व्यय	43		
	(1) वर्तमान कर			
	- वर्तमान वर्ष		5,321.55	3,004.98
	- पिछले वर्ष		401.96	83.02
	(2) आस्थगित कर		(1,548.98)	1,527.42
IX.	**कुल कर व्यय**		**4,174.53**	**4,615.42**
X.	**चालू प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)** (VIII-IX)		**15,716.20**	**9,477.25**
XI.	**बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)**		-	-
XII.	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (चालू एवं बंद प्रचालनों के लिए)** (X+XI)		**15,716.20**	**9,477.25**
XIII.	**अन्य व्यापक आय**			
(क)	(i) **मदें जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**			
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन: मापन		(18.52)	(7.96)
	- इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)		303.78	(416.31)
	- इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यम में अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर		(0.12)	(0.25)
	(ii) **ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**			
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन: मापन		4.72	0.80
	- इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)		(6.01)	12.39
	उप-जोड़ (क)		**283.85**	**(411.33)**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(ख)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुन: वर्गीकृत किया जाएगा			
	- नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं (हानि) का प्रभावी अंश		53.17	(348.86)
	- हेजिंग रिज़र्व की लागत		297.94	(273.61)
	- इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर		1.29	(3.94)
	(ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुन: वर्गीकृत किया जाएगा			
	- नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं (हानि) का प्रभावी अंश		(13.38)	80.27
	- हेजिंग रिज़र्व की लागत		(74.98)	68.86
	उप-जोड़ (ख)		**264.04**	**(477.28)**
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		**547.89**	**(888.61)**
XIV.	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय** (XII+XIII)		**16,264.09**	**8,588.64**
	वर्ष के लिए निम्नलिखित को आरोप्य लाभ			
	- कंपनी के स्वामी		11,747.83	7,122.13
	- गैर-नियंत्रक ब्याज		3,968.37	2,355.12
			15,716.20	**9,477.25**
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय			
	- कंपनी के स्वामी		331.07	(626.28)
	- गैर-नियंत्रक ब्याज		216.82	(262.33)
			547.89	**(888.61)**
	वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय			
	- कंपनी के स्वामी		12,078.90	6,495.85
	- गैर-नियंत्रक ब्याज		4,185.19	2,092.79
			16,264.09	**8,588.64**
XV.	**प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10 का अंकित मूल्य) मूल एवं तनुकृत अर्जन**	44		
	(1) चालू प्रचालनों के लिए (₹ में)		44.50	26.98
	(2) बंद प्रचालनों के लिए (₹ में)		-	-
	(3) चालू एवं बंद प्रचालनों के लिए (₹ में)		44.50	26.98

इसके साथ संलग्न टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

हस्ता/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
(सीए मनोज भारद्वाज)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

हस्ता/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता संख्या: 082069

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 15 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	इस अवधि के दौरान परिवर्तन	अंतिम शेष
वित्तीय वर्ष 2019-20	2,640.08	-	2,640.08
वित्तीय वर्ष 2020-21	2,640.08	-	2,640.08

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष													अन्य व्यापक आय				मूल कंपनी के स्वामियों को आरोप्य	गैर-नियंत्रित ब्याज		कुल
	पूंजी रिज़र्व - सामान्य नियंत्रण	पूंजी रिज़र्व - संयुक्त उद्यम में शेयरधारिता में परिवर्तन	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viiक) (ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर का लेखा	ब्याज विभेद आरक्षित निधि - केएफडब्ल्यू ऋण	सामान्य रिज़र्व	क्षतिग्रस्तता रिज़र्व	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	नकदी प्रवाह हेजिंग में लिखतों पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश	हेजिंग रिज़र्व की लागत	इक्विटी विधि के उपयोग के माध्यम से संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों की अन्य व्यापक आय का शेयर		इक्विटी शेयर धारकों के प्रति	उपकरणों की ओर पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी	
31.03.2019 तक शेष	**(13,461.00)**	**-**	**2,020.80**	**5,337.53**	**599.85**	**25,465.49**	**2,708.07**	**3,953.74**	**(1,172.29)**	**60.00**	**10,191.77**	**-**	**9,029.56**	**(204.45)**	**(50.14)**	**-**	**2.22**	**44,841.17**	**16,363.02**	**-**	**60,844.18**
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,122.13	-	-	-	-	7,122.13	2,355.12		9,477.25
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.14)	-	-	-	-	(6.14)	(1.02)		(7.16)
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.20)	(348.59)	(161.51)	(107.77)	(2.07)	(620.14)	(261.31)		(881.45)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,115.79**	**(348.59)**	**(161.51)**	**(107.77)**	**(2.07)**	**6,495.85**	**2,092.79**	**-**	**8,588.64**
लाभांश	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	(2,508.08)	-	-	-	-	(2,508.08)	(1,028.97)		(3,537.05)
लाभांश संवितरण कर	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	(514.99)	-	-	-	-	(514.99)	(211.28)	-	(726.27)
प्रतिधारित आय में/से अंतरण	-	-	1,645.79	481.94	-	2,151.40	25.87	-	-	-	-	417.55	(4,722.54)	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिज़र्व में/से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	(2,733.94)	-	-	-	2,733.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रति आरक्षित निधि का उपयोग	-	-	-	(1,730.03)	-	-	-	-	-	-	1,730.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान परिवर्धन/विलोपन (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,173.89)	1.40	0.03	-	(1.37)	-	-	-	-	(1,173.84)	(452.23)		(1,626.06)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष													अन्य व्यापक आय				मूल कंपनी के स्वामियों को आरोप्य	गैर-नियंत्रित ब्याज		कुल
	पूंजी रिज़र्व - सामान्य नियंत्रण	पूंजी रिज़र्व - संयुक्त उद्यम में शेयरधारिता में परिवर्तन	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viiक) (ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर का लेखा	ब्याज विभेद आरक्षित निधि - केएफडब्ल्यू ऋण	सामान्य रिज़र्व	क्षतिग्रस्तता रिज़र्व	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	नकदी प्रवाह हेजिंग में लिखतों पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश	हेजिंग रिज़र्व की लागत	इक्विटी विधि के उपयोग के माध्यम से संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों की अन्य व्यापक आय का शेयर		इक्विटी शेयर धारकों के प्रति	उपकरणों की ओर पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी	
ईईएसएल की हिस्सेदारी में वृद्धि पर लाभ	-	2.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.47	2.23		4.70
ओसीआई में मापे गए इक्विटी लिखत की बिक्री पर लाभ/हानि का पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(295.33)	295.33	-	-	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन													(22.86)					(22.86)			(22.86)
31.03.2020 तक	**(13,461.00)**	**2.47**	**3,666.61**	**4,089.44**	**599.85**	**27,616.89**	**-**	**3,953.74**	**(2,346.18)**	**61.40**	**14,655.76**	**417.55**	**8,080.18**	**(257.72)**	**(211.65)**		**(107.77)**	**0.15**	**46,759.72**	**16,765.57**	**63,525.29**
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,747.83	-	-	-	-	11,747.83	3,968.37		15,716.20
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.75)	-	-	-	-	(8.75)	(5.05)		(13.80)
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.74	11.15	106.35	0.58	339.82	221.87		561.69
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,739.08**	**221.74**	**11.15**	**106.35**	**0.58**	**12,078.90**	**4,185.19**	**-**	**16,264.09**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,112.07)	-	-	-	-	(2,112.07)	(1,028.97)		(3,141.04)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय में/से अंतरण	-	-	2,569.38	761.49	-	3,883.87	-	-	-	-	516.40	-	(7,731.14)			-	-	0.00	-		0.00
सामान्य रिज़र्व में/से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रति आरक्षित निधि का उपयोग	-	-	-	(3,450.69)	-	-	-	-	-	-	3,868.24	(417.55)	-	-	-	-	-	0.00	-		0.00

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष													अन्य व्यापक आय				मूल कंपनी के स्वामियों को आरोप्य	गैर-नियंत्रित ब्याज		कुल
	पूंजी रिज़र्व - सामान्य नियंत्रण	पूंजी रिज़र्व - संयुक्त उद्यम में शेयरधारिता में परिवर्तन	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viiक) (ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर का लेखा	ब्याज विभेद आरक्षित निधि - केएफडब्ल्यू ऋण	सामान्य रिज़र्व	क्षतिग्रस्तता रिज़र्व	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	नकदी प्रवाह हेजिंग में लिखतों पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश	हेजिंग रिज़र्व की लागत	इक्विटी विधि के उपयोग के माध्यम से संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों की अन्य व्यापक आय का शेयर		इक्विटी शेयर धारकों के प्रति	उपकरणों की ओर पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी	
अवधि के दौरान परिवर्धन/ विलोपन (निवल)	-	-	-	7.30	-	332.38	-	-	1,410.17	1.25	-	-	(340.93)	-	-	-	-	1,410.18	542.90		1,953.08
ईईएसएल की हिस्सेदारी में वृद्धि पर लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में मापे गए इक्विटी लिखत की बिक्री पर लाभ/हानि का पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.73	(134.73)	-	-	-	-	-	-	-
स्थायी ऋण लिखतों का निर्गमन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558.40	558.40
स्थायी ऋण लिखतों पर व्यय जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.37)	-	-	-	-	(0.37)	(0.33)	-	(0.70))
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.86)	-	-	-	-	(8.96)	-	-	(8.96)
31.03.2021 तक शेष	**(13,461.00)**	**2.47**	**6,235.99**	**1,407.54**	**599.85**	**31,833.14**	**-**	**3,953.74**	**(936.01)**	**62.65**	**19,040.40**	**-**	**9,760.52**	**(170.71)**	**(200.50)**	**(1.42)**	**0.73**	**58,127.40**	**20,464.37**	**558.40**	**79,150.16**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

हस्ता/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
(सीए मनोज भारद्वाज)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता संख्या: 082069

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 15 जून, 2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष
I.	**प्रचालनरत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**			
	कर पूर्व लाभ	**19,890.73**		**14,092.67**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:			
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विमान्यता पर हानि (निवल)	5.81		2.66
	निवेशों की बिक्री पर हानि/(अभिलाभ)	-		(3.16)
	मूल्यह्रास और परिशोधन	25.45		24.43
	जीरो कूपन बॉण्डों और कमर्शियल पेपर पर ब्याज व्यय	126.31		898.53
	अप्राप्त विदेशी मुद्रा परिवर्तन हानि/(अभिलाभ)	819.96		5,250.80
	उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	(29.40)		(657.73)
	ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर का प्रभाव	12.49		59.05
	वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	5,943.36		1,910.83
	ब्याज सब्सिडी निधि पर ब्याज	1.41		1.35
	आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ब्याज के लिए प्रावधान	24.90		0.20
	प्रतिलेखित आधिक्य देयताएं	(0.15)		(0.48)
	सेवानिवृत्ति हितलाभ आदि के लिए प्रावधान	50.16		44.44
	ऋणों/ ऋण प्रतिभूतियों/ सबॉर्डिनेटिड देयताओं पर प्रभावी ब्याज दर	234.47		(125.75)
	आयकर रीफंड पर ब्याज	(9.67)		(0.66)
	इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का शेयर	(6.24)		(21.43)
	कार्यकारी पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**27,089.59**		**21,475.75**
	वृद्धि/कमी:			
	ऋण (निवल)	(83,336.45)		(73,762.52)
	अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	(3,015.58)		8,730.00
	डेरिवेटिव	615.91		(912.65)
	अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान	4,579.10		5,631.91
	असाधारण मदों से पूर्व नकदी प्रवाह	**(54,067.43)**		**(38,837.51)**
	असाधारण मदें	-		0.00
	कर पूर्व प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**(54,067.43)**		**(38,837.51)**
	प्रदत्त आयकर	(5,381.03)		(3,385.85)
	आयकर रीफंड	305.85		75.70
	प्रचालनरत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(59,142.61)**	**(42,147.66)**
II.	**निवेश की गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निस्तारण से आय	0.97		1.02
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का क्रय (सीडब्ल्यूआईपी एवं पूंजी अग्रिम सहित)	(92.78)		(130.52)
	पूंजीकृत वित्त लागत	(22.04)		-
	अन्य निवेश में वृद्धि/कमी	1,854.91		56.30
	निवेश की गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**1,741.06**	**(73.20)**
III.	**वित्तपोषण की गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	बॉण्डों का निर्गम (प्रीमियम सहित) (मोचनों को घटाकर)	29,233.11		27,537.63
	दीर्घावधि ऋण जुटाव (पुनर्भुगतान को घटाकर)	19,838.32		16,045.23
	विदेशी मुद्रा ऋण जुटाव (पुनर्भुगतान को घटाकर)	5,533.01		27,911.51
	सबॉर्डिनेटिड देयताओं का जुटाव (मोचनों को घटाकर)	1,999.50		0.00
	कमर्शियल पेपर का जुटाव (पुनर्भुगतान को घटाकर)	195.00		(15,270.30)
	कार्यकारी पूंजी मांग ऋण/ ओडी/ सीसी/ लाइन ऑफ क्रेडिट का जुटाव (पुनर्भुगतान को घटाकर)	6,076.34		(8,563.96)
	पूरी तरह से इक्विटी की प्रकृति के शाश्वत ऋण लिखतों का निर्गम (निर्गम व्यय को घटाकर)	557.46		-
	अदावी बॉण्ड (निवल)	133.76		0.59
	अदावी लाभांश (निवल)	0.42		0.32
	पट्टा देयता पर भुगतान	(0.73)		(0.64)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
	अंतरिम लाभांश का भुगतान	(3,142.11)		(3,534.68)	
	कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान	-		(726.27)	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह		**60,424.08**		**43,399.43**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी		3,022.53		**1,178.57**
	जोड़ें: वित्तीय वर्ष के शुरू में नकदी एवं नकदी समतुल्य		1,905.21		726.64
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**4,927.74**		**1,905.21**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य का ब्यौरा:				
i)	बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति का)				
	चालू खातों में	970.90		1,380.56	
	सावधि जमा खातों में	3,956.72	4,927.62	524.59	1,905.15
ii)	डाक व्यय एवं इंप्रेस्ट सहित चेक, ड्राफ्ट ऑन हैंड		0.12		**0.06**
	वर्ष के अंत में कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य		**4,927.74**		**1,905.21**

नकदी प्रवाह का उपर्युक्त विवरण इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है।

वर्ष के दौरान, ग्रुप ने निगमित सामाजिक दायित्व के निमित्त ₹412.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹356.44 करोड़) की राशि व्यय की है।

वित्तपोषण की गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं (बकाया मूलधन) का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	बॉण्ड/डिबेंचर*	सावधि ऋण**	विदेशी मुद्रा ऋण	कमर्शियल पेपर	डब्ल्यूसीडीएल आदि	सबॉर्डिनेटिड ऋण	कुल
01.04.2020 तक प्रारंभिक शेष	3,48,194.98	70,953.53	63,584.37	17,690.92	13,357.17	13,862.70	5,27,643.69
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	27,537.63	16,045.23	27,911.51	(15,270.30)	(8,563.96)	0.00	47,660.11
निम्नलिखित के कारण गैर-नकदी परिवर्तन:							
समायोजन	150.71	-	-	504.39	-	-	655.10
विनिमय दरों में परिवर्तन			7,556.60				7,556.60
31.03.2020 तक अंतिम शेष	**3,75,883.33**	**86,998.76**	**99,052.48**	**2,925.00**	**4,793.21**	**13,862.70**	**5,83,515.50**
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	29,233.11	19,838.32	5,533.01	195.00	6,076.34	1,999.50	62,875.28
निम्नलिखित के कारण गैर नकदी परिवर्तन:							
समायोजन	130.74	0.48	164.55	(39.77)	0.01	-	256.01
विनिमय दरों में परिवर्तन			(2,098.71)				(2,098.71)
31.03.2021 तक अंतिम शेष	**4,05,247.18**	**1,06,837.56**	**1,02,651.33**	**3,080.23**	**10,869.56**	**15,862.20**	**6,44,548.08**

*विदेशी मुद्रा नोट्स नकदी प्रवाह के विवरण में विदेशी मुद्रा ऋण के भाग हैं।
**विदेशी मुद्रा ऋण तथा सबॉर्डिनेटिड विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह के विवरण में विदेशी मुद्रा ऋण के भाग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

हस्ता/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
(सीए मनोज भारद्वाज)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

हस्ता/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता संख्या: 082069

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 15 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

1. ग्रुप संबंधी सूचना

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी या कंपनी) का निगमन वर्ष 1986 में भारत में हुआ। पीएफसी भारत में स्थापित है और यह शेयरों द्वारा लिमिटेड है, इसका पंजीकृत कार्यालय 'ऊर्जानिधि' 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 में है।

पीएफसी सरकारी कंपनी है जो विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा प्रणालीगत दृष्टि से जमा अस्वीकारकर्ता महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के यहां पंजीकृत है।

पीएफसी के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में पीएफसी एवं इसकी सहायक कंपनियों (सामूहिक रूप से ग्रुप कहा गया है), इसकी सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा टिप्पणी 5 में सूचीबद्ध इसकी संयुक्त एंटिटियों में ग्रुप के अधिकार शामिल हैं। ग्रुप मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। अन्य व्यवसायों में भारत सरकार (जीओआई) के आदेश के अनुसार विद्युत क्षेत्र को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना और अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) एवं स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के विकास में सहायता प्रदान करना शामिल है।

2. अनुपालन का विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा अन्य लागू विनियामक मानदंडों/दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं। समेकित तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रभाग III की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है।

3. ये समेकित वित्तीय विवरण जारी करने हेतु पीएफसी के निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा 15 जून, 2021 को अनुमोदित किए गए हैं।

4. ऐसे मानक/संशोधन जो जारी किए गए हैं लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31.03.2021 तक, ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू होती है।

5. समेकित वित्तीय विवरण कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एंटिटी और सहयोगी कंपनियों के लेखाओं के समेकन को निम्नानुसार दर्शाते हैं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निगमन का देश/व्यवसाय का प्रधान स्थान	स्वामित्व अधिकार का अनुपात 31.03.2021 तक	स्वामित्व अधिकार का अनुपात 31.03.2020 तक	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति
सहायक कंपनियां					
1	आरईसी लिमिटेड* (आरईसीएल)	भारत	52.63%	52.63%	लेखापरीक्षित
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)*	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित
3	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	-	100%	(टिप्पणी 5.1 देखें)
संयुक्त उद्यम					
1	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	भारत	24.97%	24.97%	गैर लेखापरीक्षित
	आरईसीएल ग्रुप शेयर के माध्यम से पीएफसी का शेयर		22.18%	22.18%	
			47.15%	47.15%	
सहयोगी कंपनियां					
1	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित
2	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित
3	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित
4	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित
5	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित
6	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित
7	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित
8	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित
9	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निगमन का देश/व्यवसाय का प्रधान स्थान	स्वामित्व अधिकार का अनुपात		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति
			31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	
10	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित
11	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित
12	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित
13	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित
14	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित
15	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	भारत	100%	100%	गैर लेखापरीक्षित

*पीएफसी के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इन सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों (जिसमें उनकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं) का उपयोग किया गया है।

5.1 पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) का नाम कंपनी रजिस्ट्रार से हटा दिया गया है और उक्त सहायक कंपनी को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के 30.06.2020 के नोटिस संख्या आरओसी/दिल्ली/248(2)/एसटीके-7/10148 के माध्यम से भंग कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी ने उक्त सहायक कंपनी में ₹0.05 करोड़ के अपने इक्विटी निवेश को बट्टे खाते में डाल दिया है।

5.2 समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जहां कहीं भी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों के गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का उपयोग किया गया है, उन कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त किए गए हैं और बाद के वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन किया गया है और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में लाइन मद 'अन्य समायोजन' के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सहायक कंपनी अर्थात पीएफसीसीएल को छोड़कर, ऐसी सभी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षा के दौरान पीएफसीसीएल के सांविधिक लेखापरीक्षक ने कुछ लेनदेन में कुछ अनियमितताओं का संदेह किया है जो धोखाधड़ी की प्रकृति की हो सकती है। कंपनी के आचार नियमों के अनुसार इसकी जांच की जा रही है। पीएफसीसीएल के निदेशक मंडल ने 11.12.2020 को हुई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों को अपनाया और उसे इस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया गया।

6. ग्रुप की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त ग्रुप की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दी गई हैं:

6.1 तैयारी और मापन का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का उपयोग करके गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए गए हैं। परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐतिहासिक लागत पर या परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर किया गया है।

उचित मूल्य वह मूल्य होता है जो मापन की तारीख को बाजार के प्रतिभागियों के बीच किसी क्रमबद्ध लेनदेन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होगा या किसी देयता के अंतरण पर भुगतान किया जाएगा, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह मूल्य मूल्यांकन की दूसरी तकनीक का उपयोग करके सीधे अवलोकनीय या अनुमानित है।

उचित मूल्य के मापों को इंड एएस की आवश्यकता के अनुसार स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया गया है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है:

- स्तर 1 के इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं जिसे एंटिटी मापन की तारीख को प्राप्त कर सकती है;
- स्तर 2 के इनपुट स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों से अन्य हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकनीय हैं; और
- स्तर 3 के इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए गैर अवलोकनीय इनपुट हैं।

6.2 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों (सामूहिक रूप से 'ग्रुप' कहा गया है) के वित्तीय विवरणों को शामिल किया गया है। ग्रुप ने संयुक्त उद्यम एंटिटी और सहयोगी कंपनियों में निवेश किया है जिनको इन समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी विधि (उसे छोड़कर जब निवेश को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है) का उपयोग करके लेखांकित किया गया है।

समेकन के प्रयोजनार्थ सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी की समान रिपोर्टिंग तारीख तक के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(i) सहायक कंपनियां:

सहायक कंपनी ऐसी एंटिटी होती है जिसके ऊपर कंपनी का नियंत्रण होता है। कंपनी किसी एंटिटी को तब नियंत्रित करती है जब एंटिटी के साथ कंपनी की भागीदारी से उसके पास परिवर्तनीय प्रतिफल का अधिकार होता है और एंटिटी की संगत गतिविधियों का निर्देशन करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की सामर्थ्य होती है। सहायक कंपनियां उस तारीख से पूर्णत: समेकित

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

हैं जब कंपनी नियंत्रण प्राप्त करती है (सामान्य नियंत्रण के अधीन व्यवसाय संयोजन को छोड़कर)।

कंपनी परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय एवं व्यय की समान मदों को एकसाथ जोड़कर पंक्ति दर पंक्ति आधार पर अपनी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संयोजित करती है। प्रत्येक सहायक कंपनी में कंपनी के निवेश की वहन राशि तथा प्रत्येक सहायक कंपनी में कंपनी की इक्विटी के अंश का उन्मूलन किया गया है। कंपनी एवं सहायक कंपनियों के बीच अंतर कंपनी लेनदेन, शेषों, लेनदेन पर अप्राप्त अभिलाभों का उन्मूलन किया गया है। अप्राप्त क्षतियों का भी उन्मूलन किया जाता है, जब तक कि लेनदेन अंतरित परिसंपत्ति के क्षतिग्रस्तता का साक्ष्य प्रदान नहीं करता है।

गैर-नियंत्रक ब्याज (एनसीआई) सहायक कंपनियों में आय, अन्य व्यापक आय तथा निवल परिसंपत्तियों के ऐसे अनुपात को दर्शाते हैं जिनको कंपनी के शेयरधारकों पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। गैर-नियंत्रण ब्याज को शुरू में अधिग्रहिती की अभिज्ञेय निवल परिसंपत्तियों की स्वीकृत राशियों के अनुपातिक शेयर पर मापा गया है। अधिग्रहण के बाद, गैर-नियंत्रक ब्याज की वहन राशि आरंभिक स्वीकृति पर अधिकार की राशि तथा इक्विटी में परवर्ती परिवर्तनों के गैर-नियंत्रक ब्याज का शेयर है।

समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान लेनदेन तथा अन्य घटनाओं के लिए लगातार एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं और यथासंभव उसी रूप से प्रस्तुत किए गए हैं जिस तरह कंपनी के एकल वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, केवल उसे छोड़कर जिसका अन्यथा उल्लेख किया गया है। जहां आवश्यक समझा गया है, उनकी लेखांकन नीतियों को ग्रुप की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए वित्तीय विवरणों में समायोजन किए गए हैं।

यदि कंपनी किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देती है, तो यह सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा किसी संबद्ध एनसीआई तथा इक्विटी के अन्य घटकों को अमान्य कर देती है। पिछली सहायक कंपनी में किसी प्रतिधारित अधिकार को नियंत्रण खोने की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी परिणामी अभिलाभ या हानि को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

(ii) संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी कंपनी:

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके माध्यम से पक्षकारों जिनका व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण है, को व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था के नियंत्रण की संविदात्मक रूप से सहमत हिस्सेदारी है, जो तभी मौजूद होता है जब संगत गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए नियंत्रण में हिस्सा रखने वाले पक्षकारों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

सहयोगी कंपनी ऐसी एंटिटी होती है जिसके ऊपर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशिती के वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी करने की शक्ति है परंतु यह इन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों के परिणामों और परिसंपत्तियों एवं देयताओं को इन समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन की इक्विटी विधि का उपयोग करके समाविष्ट किया गया है, केवल उसे छोड़कर जब निवेश या उसके किसी भाग को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें यह बिक्री की लागत को घटाकर उनकी वहन राशि एवं उचित मूल्य के कम स्तर पर मापा गया है। इक्विटी विधि के अंतर्गत, किसी संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी में निवेश को शुरू में लागत पर समेकित तुलन-पत्र में मान्य किया गया है और इसके बाद संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी के लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय में ग्रुप के शेयर को मान्य करने के लिए समायोजित किया गया है। किसी संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी से प्राप्त वितरण से निवेश की वहन राशि घट जाती है।

संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण या सहयोगी कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव खोने पर, कंपनी किसी प्रतिधारित अधिकार को उसके उचित मूल्य पर मापती है और मान्य करती है। संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव खोने पर संयुक्त उद्यम या सहयोगी की वहन राशि और प्रतिधारित अधिकार के उचित मूल्य एवं निस्तारण से आय को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया गया है।

6.3 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में हाथ में नकदी और मांग जमा शामिल है। ग्रुप सभी अल्पावधि शेषों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तारीख से तीन माह या कम है), उच्च लिक्विड निवेश जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं, और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं, को नकदी समतुल्य समझता है।

6.4 डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

(i) ग्रुप ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिमों से जुड़े अपने एक्सपोजर का प्रबंधन करने के लिए कई तरह के डेरिवेटिव वित्तीय लिखत करार करता है।

(ii) हेज एकाउंटिंग के अंतर्गत, एंटिटी डेरिवेटिव अनुबंधों को नकदी प्रवाह हेज या उचित मूल्य हेज के रूप में अभिहित कर सकती है। ग्रुप ने कुछ डेरिवेटिव अनुबंधों को नकदी प्रवाह हेज के अंतर्गत अभिहित किया है।

(iii) हेज एकाउंटिंग हेतु अर्हक होने के लिए, हेजिंग संबंध को निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

- हेज्ड मद और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध है।
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव मूल्य के ऐसे परिवर्तनों पर हावी नहीं होता है जो उस आर्थिक संबंध से उत्पन्न होते हैं।
- हेजिंग संबंध का हेज अनुपात वही होता है जो हेज्ड मद की मात्रा, जिसे कंपनी वास्तव में हेज करती है, और हेजिंग लिखत की मात्रा, जिसे कंपनी वास्तव में हेज्ड मद की मात्रा को हेज करने के लिए उपयोग करती है, से उत्पन्न होता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(iv) नकदी प्रवाह हेज़

डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तनों के प्रभावी अंश जो नकदी प्रवाह हेज के रूप में नामित किए जाते हैं और अर्हक हैं, को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है। निष्प्रभावी अंश से संबंधित अभिलाभ या हानि को लाभ और हानि के समेकित विवरण में तत्काल मान्य किया जाता है। अन्य व्यापक आय में मान्य राशियां (जो प्रभावी अंश हैं) ऐसी अवधियों में लाभ और हानि के समेकित विवरण में पुन: वर्गीकृत की जाती हैं जब हेज्ड मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

जब हेज्ड लिखत की अवधि समाप्त हो जाती है या कालातीत हो जाती है या प्रयुक्त हो जाती है या जब यह हेज लेखांकन के लिए अर्हक नहीं होती है, तो हेज लेखांकन बंद हो जाता है।

(v) डेरिवेटिव, हेज संबंध के अंतर्गत नामित डेरिवेटिव को छोड़कर, को शुरू में तारीख जब डेरिवेटिव के करार किए जाते हैं, को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य के अनुसार पुन: मापा जाता है। परिणामी अभिलाभ या हानि को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

6.5 वित्तीय लिखत

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है, जब ग्रुप वित्तीय लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

शुरूआती मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य प्लस/माइनस लेनदेन लागत पर मान्य किया जाता है जो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या निर्गम पर आरोप्य है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मामले में जो लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मान्य की जाती हैं, उसकी लेनदेन लागत को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

6.5.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी नियमित बिक्री या क्रय को निस्तारण की तारीख के आधार पर मान्य एवं विमान्य किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों का नियमित क्रय या बिक्री ऐसी बिक्री या क्रय है जिसके लिए बाजार स्थल में विनियम या अभिसमय द्वारा स्थापित समय-सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी करने की आवश्यकता होती है।

शुरूआती मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में पूर्णत: मापा जाता है।

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों (इक्विटी लिखतों से अन्य) का वर्गीकरण एवं मापन

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

इसके बाद निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

- परिसंपत्ति किसी व्यवसाय के भीतर धारित की गई है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से परिसंपत्ति का धारण करना है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जो बकाया मूलधन पर केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) होते हैं।

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि

प्रभावी ब्याज दर विधि वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत की गणना करने तथा अपेक्षित जीवनकाल में ब्याज आय आवंटित करने की विधि है। ईआईआर विधि का उपयोग करते समय ग्रुप सामान्यत: किसी शुल्क, लेनदेन लागत तथा अन्य प्रीमियम या डिस्काउंट जो किसी वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न भाग है, को परिशोधित करता है।

एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज दर आधार पर लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में आय को मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्ति की शुरूआती मान्यता पर ईआईआर का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रत्येक रीसेट पर ईआईआर को अपडेट किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की शर्तों पर पुन: वार्ता होने पर बाजार संचालित से अन्य ब्याज दर मूवमेंट, संशोधन से पूर्व परिगणित पिछले ईआईआर का उपयोग करके मापे गए किसी अभिलाभ/हानि को उस अवधि में लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है जिसके दौरान ऐसे पुन: नेगोसिएशन होते हैं।

(ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है:

- संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य प्राप्त किया जाता है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) होते हैं।

उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और रिज़र्व में संचित किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ग) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल पर मापा जाता है, जब तक कि उसे लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर मापा न गया हो।

व्यवसाय मॉडल

व्यवसाय मॉडल का आकलन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के वर्गीकरण का मूलाधार है। ग्रुप व्यवसाय मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करता है जो यह दर्शाता है कि नकदी प्रवाह उत्पन्न करने के किसी विशेष व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों का एक साथ कैसे प्रबंधन किया जाता है। ग्रुप के व्यवसाय मॉडल का मूल्यांकन लिखत-दर-लिखत आधार के बजाय उच्च स्तर के एकत्रीकरण पर किया जाता है।

ग्रुप मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में ऋण देने के व्यवसाय में है और ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए ऐसे ऋणों का प्रबंधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए ग्रुप द्वारा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी धारित की जा सकती हैं।

(ii) इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण, मापन और अमान्य करना

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में इक्विटी निवेश से अन्य सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। ट्रेडिंग के लिए धारित किए गए इक्विटी लिखतों को एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी लिखतों के लिए ग्रुप शुरूआती मान्यता पर उसे एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अप्रतिसंहार्य चुनाव करता है। ग्रुप लिखत दर लिखत आधार पर ऐसा चुनाव करता है।

एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश को शुरू में उचित मूल्य प्लस लेनदेन लागत पर मापा जाता है। उसके बाद उसे उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को समेकित अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और समेकित रिज़र्व में संचित किया जाता है। निवेश की बिक्री पर भी समेकित ओसीआई से लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में राशियों की कोई रीसाइक्लिंग नहीं होती है। तथापि, ग्रुप समेकित इक्विटी के भीतर संचयी अभिलाभ/हानि का अंतरण करता है।

एफवीटीपीएल की श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखतों को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

(क) शुरूआती मान्यता के बाद, ग्रुप इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को मान्य करता है। ग्रुप ईसीएल प्रभार या पलटाव (जहां निवल राशि विशिष्ट अवधि के लिए ऋणात्मक शेष है) को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में ''वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता'' के रूप में दर्शाता है।

ईसीएल की मान्यता एवं मापन के लिए क्षतिग्रस्तता की आवश्यकताओं को एफवीटीओसीआई पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति पर समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है, सिवाय इसके कि ईसीएल को अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया है और समेकित तुलन-पत्र में वहन राशि से कटौती नहीं की गई है।

(ख) चुकौती आश्वासन-पत्र (एलओसी) के अंतर्गत ऋण परिसंपत्तियों एवं प्रतिबद्धताओं की क्षतिग्रस्तता:

ग्रुप आजीवन ईसीएल के समान राशि पर ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन करता है, यदि क्रेडिट क्षतिग्रस्तता होती है या शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) हुई है। यदि शुरूआती मान्यता की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं होता है, तो ग्रुप 12 माह के ईसीएल के बराबर राशि पर ईसीएल मापता है। इस बात का मूल्यांकन करते समय कि शुरूआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर है, ग्रुप तर्कसंगत एवं समर्थनीय सूचना पर विचार करता है जो अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध होती है। यदि ग्रुप पिछली अवधि में आजीवन ईसीएल के रूप में हानि छूट का मापन करता है परंतु पूर्ववर्ती अवधि में निर्धारित करता है कि क्रेडिट की गुणवत्ता में सुधार के कारण शुरूआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर नहीं है, तो ग्रुप पुन: 12 माह के ईसीएल के आधार पर हानि छूट का मापन करता है।

ईसीएल ऋण परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्त क्रेडिट के लिए व्यक्तिगत आधार पर मापा जाता है तथा अन्य ऋण परिसंपत्तियों पर यह सामान्यत: सजातीय समूहों का उपयोग करके सामूहिक आधार पर मापा जाता है।

ग्रुप ऋण परिसंपत्तियों की तरह समान आधार पर एलओसी के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं पर क्षतिग्रस्तता का मापन करता है।

(ग) आरईसीएल द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों को केवल उस समय आंशिक रूप से या पूर्णत: बट्टे खाते डाला जाता है जब वह वसूली नहीं करता है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता

ग्रुप किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्य करता है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब यह किसी दूसरे पक्षकार को परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी सारवान जोखिमों एवं रीवार्डों के साथ वित्तीय परिसंपत्ति को अंतरित कर देता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की पूर्णत: विमान्यता पर, परिसंपत्ति की वहन राशि एवं प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल की राशि तथा संचयी अभिलाभ या हानि जिसे समेकित अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया था और समेकित इक्विटी में संचित किया गया था, के बीच अंतर को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है यदि ऐसे अभिलाभ या हानि को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निस्तारण पर लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में अन्यथा मान्य किया गया है।

6.5.2 वित्तीय देयताएं

(i) डेरिवेटिव तथा वित्तीय गारंटी संविदाओं से अन्य सभी वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयता की शुरूआती मान्यता पर ईआईआर का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में रीसेट की संबंधित तारीख को परिवर्तनशील ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए ईआईआर को अपडेट किया जाता है।

(ii) वित्तीय गारंटी

ग्रुप द्वारा जारी की गई वित्तीय गारंटी को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है और यदि एफवीटीपीएल पर नामित नहीं है, तो बाद में निम्नलिखित के उच्चतर स्तर पर मापा जाता है:

- गारंटी के फलस्वरूप उत्पन्न किसी वित्तीय बाध्यता के निस्तारण के लिए अपेक्षित व्यय का सर्वोत्तम अनुमान; और
- उपयुक्त होने पर लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य आय की संचयी राशि को घटाकर शुरू में मान्य की गई राशि।

(iii) वित्तीय देयताओं की विमान्यता

ग्रुप वित्तीय देयताओं को तब और केवल तभी विमान्य करता है जब ग्रुप की बाध्यताएं उन्मुक्त, रद्द या समाप्त हो जाती हैं। विमान्य वित्तीय देयता की वहन राशि और प्रदत्त एवं देय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

6.5.3 वित्तीय लिखतों का प्रतितुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का प्रतितुलन किया जाता है और निवल राशि तुलन-पत्र में सूचित की जाती है यदि मान्य राशियों के प्रतितुलन के लिए वर्तमान में कोई प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार होता है तथा परिसंपत्तियों की एकसाथ वसूली तथा देयताओं के निस्तारण के लिए निवल आधार पर निस्तारण का उद्देश्य होता है।

6.5.4 एंबेडेड डेरिवेटिव

एंबेडेड डेरिवेटिव हाइब्रिड लिखत का एक घटक है जिसमें इस प्रभाव के साथ गैर डेरिवेटिव होस्ट अनुबंध भी शामिल होता है कि संयुक्त लिखत के कुछ नकदी प्रवाह एकल डेरिवेटिव के समान भिन्न होते हैं। एंबेडेड डेरिवेटिव ऐसे कुछ या सभी नकदी प्रवाह का कारण बनता है जिनको अन्यथा निर्दिष्ट ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, या अन्य चर के अनुसार अनुबंध द्वारा संशोधित करने की आवश्यकता होगी, परंतु यह कि गैर-वित्तीय चर के मामले में, यह अनुबंध के किसी पक्षकार विशिष्ट नहीं होता है।

सभी होस्ट अनुबंधों में अंतःस्थापित डेरिवेटिव को अलग-अलग डेरिवेटिव के रूप में लेखांकित किया जाता है और उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएं और जोखिम होस्ट अनुबंधों के जोखिमों से निकटता से संबंधित नहीं होते हैं या यदि एंबेडेड डेरिवेटिव फीचर एक्सपोजर का लाभ उठाते हैं और होस्ट अनुबंधों को व्यापार के लिए धारित नहीं किया जाता है अथवा लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित नहीं किया जाता है। इन एंबेडेड डेरिवेटिव को लाभ या हानि में मान्य उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि प्रभावी हेजिंग लिखत के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

6.6 निवेश संपत्ति

(i) निवेश संपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिनमें अनिश्चित भावी उपयोग हैं। निवेश संपत्तियों को शुरू में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। शुरूआती मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर व्यक्त किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण की लागत शामिल है यदि पूंजीकरण की कसौटियां पूरी होती हैं और आशयित उपयोग के लिए कार्यसाधक स्थिति में परिसंपत्तियों को लाने की लागत पर सीधे आरोपित करने योग्य हैं। क्रय मूल्य तैयार करने में किसी ट्रेड डिस्काउंट एवं रीबेट की कटौती की जाती है।

उत्तरवर्ती लागतों को उपयुक्तता के अनुसार केवल तभी परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है जब इस बात की संभावना होती है कि मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ एक साल के बाद ग्रुप को प्रवाहित होंगे। सभी अन्य मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत को व्यय के अनुसार लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

(ii) उत्तरवर्ती मापन (मूल्यह्रास तथा उपयोगी जीवनकाल)

ग्रुप के पास निवेश संपत्ति के रूप में केवल भूमि है, जिस पर मूल्यह्रास नहीं होता है।

(iii) विमान्यता

निवेश संपत्ति को निस्तारण पर या उस समय पर विमान्य किया जाता है जब निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थाई रूप से हटा दिया जाता है और निस्तारण से किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती है। संपत्ति की विमान्यता से उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि (निस्तारण की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को लाभ और हानि के समेकित विवरण में उस अवधि में शामिल किया जाता है जिसमें संपत्ति को विमान्य किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

6.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा मूल्यहास

(i) शुरू में पीपीई की मदों को लागत पर मान्य किया जाता है। इसके बाद फ्रीहोल्ड भूमि जिसके लिए मूल्यहास नहीं किया जाता है, को छोड़कर, संचित मूल्यहास एवं संचित क्षतिग्रस्तता को घटाकर लागत पर मापन किया जाता है। सक्रिय उपयोग से निवृत्त तथा निस्तारण के लिए धारित पीपीई की मद को उसके बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य के निचले स्तर पर व्यक्त किया जाता है।

(ii) लीजहोल्ड परिसरों के सुधार पर व्यय की राशि को लागत में मान्य किया जाता है तथा इसे पीपीई के अंतर्गत 'लीजहोल्ड सुधार' के रूप में दर्शाया जाता है।

(iii) उपयोग में रखी गई परिसंपत्तियों के मामले में, अंतिम निस्तारण के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनुमोदित बिलों या संविदाओं के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य जहां अंतिम बिल अभी तक प्राप्त/अनुमोदित नहीं हुआ है, के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

(iv) पीपीई की किसी मद के प्रतिस्थापित पार्ट की लागत को मद की वहन राशि में मान्य किया जाता है यदि ऐसी संभावना होती है कि भाग में शामिल भावी आर्थिक लाभ ग्रुप को प्रवाहित होंगे तथा उसकी लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है। प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि विमान्य की जाती है। पीपीई की अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को व्यय के अनुसार लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

(v) निर्माणाधीन पीपीई को लागत पर अग्रेनीत किया जाता है तथा कोई मान्य क्षतिग्रस्तता घटाया जाता है। पीपीई की ऐसी मदों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयुक्त श्रेणियों में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे पूर्ण और आशयित उपयोग के लिए तैयार हो जाती हैं। अन्य परिसंपत्तियों की तरह इन परिसंपत्तियों का मूल्यहास तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने आशयित उपयोग के लिए तैयार हो जाती हैं।

(vi) निम्नलिखित को छोड़कर, अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में हासित मूल्य विधि* के अनुसार उनके अवशिष्ट मूल्य# को घटाकर परिसंपत्ति की लागत को बट्टे खाते में डालने के लिए मूल्यहास मान्य किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित जीवनकाल के समान है:

पीपीई की प्रकृति	पीपीई का जीवनकाल
सेल फोन	2 वर्ष (पीएफसी और पीएफसीसीएल के मामले में)
लीजहोल्ड सुधार (1)	पट्टा अवधि या उनका उपयोगी जीवनकाल, जो भी कम हो (पीएफसीसीएल के मामले में)

#पीपीई की मूल लागत के 5% के रूप में अवशिष्ट मूल्य निर्धारित किया जाता है।
*आरईसीएल द्वारा सीधी रेखा विधि का उपयोग करके मूल्यहास प्रदान किया जाता है
(1)लीजहोल्ड के सुधारों को सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है

(vii) पीपीई की किसी मद को निस्तारण पर या परिसंपत्ति का उपयोग जारी रखने से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होने की आशा न होने पर विमान्य किया जाता है। पीपीई की किसी मद की विमान्यता पर उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण बिक्री की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

(viii) ₹5,000/- तक की लागत वाले पीपीई की प्रत्येक मद का क्रय के वर्ष में पूर्णतः मूल्यहास किया जाता है।

(ix) रिपोर्टिंग की तारीख को निर्माणाधीन पीपीई की लागत का प्रकटीकरण 'प्रगति पर पूंजी कार्य' के रूप में किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण की लागत शामिल है यदि पूंजीकरण की कसौटियां पूरी होती हैं और आशयित उपयोग के लिए कार्यसाधक स्थिति में परिसंपत्तियों को लाने की लागत पर सीधे आरोपित करने योग्य हैं। क्रय मूल्य तैयार करने में किसी ट्रेड डिस्काउंट एवं रीबेट की कटौती की जाती है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया है, को 'पूंजी अग्रिम' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

6.8 अमूर्त परिसंपत्तियां एवं परिशोधन

(i) निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों जिनकी अलग से खरीद की जाती है, को लागत पर मान्य किया जाता है। लागत में परिसंपत्ति के आशयित उपयोग के लिए उसे तैयार करने के लिए कोई सीधे आरोप्य आवश्यक आनुषंगिक व्यय शामिल होता है। परवर्ती मापन लागत पर किया जाता है जिसमें से संचित परिशोधन एवं संचित क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, घटाई जाती है। परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में सीधी रेखा आधार पर मान्य किया जाता है।

(ii) किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार रहने तक विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अग्रेनीत किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया हैं, को 'पूंजी अग्रिम' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

(iii) परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल कंपनी द्वारा 5 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। पीएफसीसीएल के मामले में, अनुमानित जीवनकाल 36 माह है।

(iv) निस्तारण पर या जब उपयोग अथवा निस्तारण से किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती है तब अमूर्त परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की विमान्यता से उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण निस्तारण की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

6.9 बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां/निस्तारण ग्रुप

गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि प्रधान रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से, न कि चालू उपयोग से वसूल होगी और बिक्री की अत्यधिक संभावना होती है। बिक्री को तब अत्यधिक संभावित माना जाता है जब ऐसी परिसंपत्ति को ग्रुप द्वारा बेचने का निर्णय लिया गया हो; अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं; एक कीमत पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है और बिक्री पर सहमति हो गई है या वर्गीकरण की तारीख के एक वर्ष के भीतर सहमति होने की आशा है। ऐसी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को वहन राशि से कम कीमत या बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य पर मापा जाता है।

गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्यहास या परिशोधन नहीं किया जाता है, जबकि उन्हें बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिक्री के लिए धारित गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को समेकित तुलन-पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

जहां ग्रुप किसी बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध होता है जिसमें एंटिटी का नियंत्रण खोना शामिल है, तो यह एंटिटी में निवेश (अर्थात उस एंटिटी की सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करता है।

6.10 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

(i) प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब किसी पिछली घटना के फलस्वरूप ग्रुप की कोई मौजूदा कानूनी या रचनात्मक बाध्यता होती है, यदि इस बात की संभावना होती है कि ग्रुप से बाध्यता का निस्तारण करने की अपेक्षा होगी और बाध्यता की राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

(ii) प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि बाध्यता से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूदा बाध्यता के निस्तारण के लिए अपेक्षित प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान होती है।

(iii) जब कुछ या सभी आर्थिक लाभों का निस्तारण करने की आवश्यकता होती है, तो तीसरे पक्षकार से प्रावधान प्राप्त होने की आशा होती है, प्राप्य प्रावधान को परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है यदि आभासिक रूप में निश्चित होता है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी तथा प्राप्य प्रावधान की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

(iv) जहां यह संभावना होती है कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह अपेक्षित होगा अथवा विश्वसनीय रूप से राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेखाओं पर टिप्पणियों में फुटकर देयता के रूप में बाध्यता का प्रकटीकरण किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना कम न हो।

(v) आकस्मिक परिसंपत्तियों को समेकित वित्तीय विवरणों में मान्य नहीं किया जाता है। तथापि, समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण किया जाता है, जब आर्थिक लाभ के अंतर्वाह की संभावना होती है।

6.11 आय एवं व्यय की मान्यता

(i) बाद में परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों पर मापी गई ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके मान्य किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) ऐसी दर है जो शुरूआती मान्यता पर उस परिसंपत्ति की निवल वहन राशि के अनुसार वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित जीवनकाल में अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को सटीक रूप में डिस्काउंट करती है।

(ii) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, आरईसीएल के ऋणकर्ताओं से वसूली को (i) आरईसीएल की लागत और व्यय (ii) ब्याज कर सहित विलंबित और पीनल ब्याज, यदि कोई हो (iii) ब्याज कर सहित अतिदेय ब्याज, यदि कोई हो और (iv) मूलधन के पुनर्भुगतान के क्रम में विनियोजित किया जाता है तथा सबसे पुराने को पहले समायोजित किया जा रहा है, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों और रीकॉल्ड ऋणों को छोड़कर, जहां अन्य लागतों, व्ययों, विलंबित एवं पीनल ब्याज और ब्याज कर सहित अतिदेय ब्याज, यदि कोई हो, की पूरी वसूली के बाद ही मूल राशि को विनियोजित किया जाता है। एकबारगी समाधान (ओटीएस)/इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के अंतर्गत वसूली को पहले बकाया मूलधन के लिए विनियोजित किया जाता है और उसके बाद शेष वसूली को ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हो, के लिए विनियोजित किया जाता है।

(iii) इसके बाद लाभ एवं हानि के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य पर मापे गए ब्याज को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर मान्य किया जाता है और ब्याज आय के अंतर्गत अलग से प्रकटीकरण किया जाता है।

(iv) ऋणकर्ताओं द्वारा ब्याज के समय से भुगतान के लिए रीबेट को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में समय से संपूर्ण देय राशि की प्राप्ति पर मान्य किया जाता है और समतुल्य ब्याज आय के निमित्त दर्शाया जाता है।

(v) ग्रुप यह निर्धारित करने के लिए भारतीय लेखा मानक 115 द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उपयोग करता है कि कितना और कब राजस्व को मान्य किया जाता है, राजस्व की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता आदि क्या है। इसी के अनुसार, राजस्व को पांच स्तरीय दृष्टिकोण के माध्यम से मान्य किया जाता है:

(क) ग्राहक के साथ अनुबंध(धों) की पहचान करें;

(ख) अनुबंध में निष्पादन के अलग दायित्वों की पहचान करें;

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ग) लेनदेन की कीमत निर्धारित करें;

(घ) लेनदेन की कीमत को निष्पादन के दायित्वों पर आवंटित करें; और

(ङ) निष्पादन का दायित्व पूरा होने पर राजस्व को मान्य करें।

छूटों और अन्य अप्रत्यक्ष करों को घटाकर प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर राजस्व को मापा जाता है।

लागत प्लस अनुबंधों में - अनुबंध के अनुसार व्यय के लिए पात्र संविदात्मक मदों प्लस आनुपातिक मार्जिन को शामिल करके राजस्व को मान्य किया जाता है;

निश्चित कीमत अनुबंधों में - अनुबंध के पूरा होने के चरण के आधार पर राजस्व को मान्य किया जाता है। ग्रुप ने यह मूल्यांकन किया है कि पूर्णता के चरण को निष्पादन के दायित्व को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल समय और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समाप्त हो चुके समय के अनुपात के रूप में निर्धारित किया जाता है, जो इंड एएस 115 के अंतर्गत निष्पादन के इन दायित्वों के पूर्ण समाधान की दिशा में प्रगति का उपयुक्त मापदंड है।

यदि परिस्थितियां बदलती हैं, तो पूरा करने के लिए राजस्व के अनुमानों, लागत या प्रगति की सीमा को संशोधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागत में को परिणामी वृद्धि या कमी को उस अवधि में लाभ या हानि में दर्शाया जाता है जिसमें संशोधन को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के बारे में प्रबंधन को ज्ञात होता है।

(vi) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार शुरू की गई स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) तथा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास के क्रम में परामर्श सेवाओं से राजस्व को पूर्ण संविदा विधि के आधार पर मान्य किया जाता है अर्थात जब सफल बोलीदाता को परियोजना के लिए सृजित आईटीपी/यूएमपीपी का हस्तांतरण किया जाता है, जो शेयर खरीद समझौते से प्रमाणित होता है। इन परियोजनाओं के विकास पर व्यय की गई राशि जो सीधी लागत के रूप में वसूल नहीं की जाती है, प्रबंधन द्वारा निर्णीत सहमत प्रभार दर पर जनशक्ति प्रभारों की बिलिंग के माध्यम से वसूल की जाती है।

(vii) स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) तथा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेजों से बिक्री आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब यह प्राप्त होती है।

(viii) विद्युत तथा कोल फ्लेक्सिबिलिटी योजना की अल्प/मध्यम अवधि बोली से आय को उस समय मान्य किया जाता है जब सफल बोलीदाता को कार्यादेश-पत्र (एलओए) जारी किया जाता है।

(ix) निवेश से लाभांश आय को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के लिए ग्रुप का अधिकार स्थापित हो जाता है और लाभांश की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

(x) बाद में लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से मान्य किया जाता है।

(xi) बाद में परिशोधित लागत पर मापे गए ऋणों पर ब्याज व्यय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके मान्य किया जाता है।

(xii) अन्य आय एवं व्यय को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(xiii) ₹1,00,000/- तक के प्रीपेड व्यय को शुरूआती मान्यता पर व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

6.12 शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

6.13 ऋण लागतें

ऋण लागतों में ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल होती हैं जिन्हें ग्रुप निधियां ऋण लेने के क्रम में व्यय करता है। ऋण की लागतों, जो अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण और/या निर्माण पर तब तक सीधे आरोप्य हैं जब तक कि ऐसी अर्हक परिसंपत्ति आशयित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार नहीं हो जाती है, को पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक परिसंपत्ति ऐसी परिसंपत्ति होती है जो आशयित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

ऋण की सभी अन्य लागतों को प्रभावी ब्याज दर विधि के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में प्रभारित किया जाता है।

6.14 कार्मिक हितलाभ

(i) परिभाषित अंशदान योजना

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ग्रुप के प्रदत्त/देय अंशदान को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब कार्मिक ऐसी सेवा प्रदान कर चुके होते हैं जिसके आधार पर वे अंशदान के लिए हकदार बनते हैं।

(ii) परिभाषित हितलाभ योजना

कार्मिकों को उपदान तथा सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभों जैसे सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ, आर्थिक पुनर्वास हितलाभ तथा स्थापन भत्ता के लिए ग्रुप की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकिक मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके किया जाता है। उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुन: मापन पर बीमांकिक अभिलाभ/हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है। पिछली सेवा लागत को योजना संशोधन की अवधि में लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

(iii) अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ

छुट्टी नकदीकरण, सेवा पुरस्कार योजना के लिए ग्रुप की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकिक मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके किया जाता है। इन बाध्यताओं को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) अल्पावधि कार्मिक हितलाभ

अल्पावधि कार्मिक हितलाभों जैसे वेतन एवं वेज को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में उस सेवा के बदले में भुगतान किए जाने के लिए अनुमानित हितलाभों की गैर बट्टाकृत राशि पर उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

(v) कार्मिकों को रियायती दर पर ऋण

कार्मिकों को रियायती दर पर प्रदान किए गए ऋणों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के आरंभिक उचित मूल्य तथा लेनदेन मूल्य में अंतर को ऋण के निर्गम पर आस्थगित कार्मिक लागत के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे ऋण की अनुमानित शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की अनुमानित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में परिवर्तन की तारीख को अपरिशोधित आस्थगित कार्मिक लागत को पुरोगामी आधार पर ऋण की अद्यतन अपेक्षित शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

6.15 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल होते हैं। इसे लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है, सिवाय इसके कि जब यह ऐसी मद से संबंधित होता है जो समेकित अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में या सीधे इक्विटी में मान्य की जाती है तथा ऐसे मामले में कर को भी ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्य किया जाता है।

(i) वर्तमान कर

वर्तमान कर लागू की गई या सारवान रूप से लागू की गई तथा रिपोर्टिंग तारीख को यथालागू कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में किसी समायोजन का उपयोग करके वर्ष के लिए करयोग्य आय पर देय अपेक्षित कर है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन किया जाता है जब मान्य राशि के प्रतितुलन के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय कोई अधिकार होता है और निवल आधार पर परिसंपत्ति एवं देयता का निस्तारण करने का इरादा होता है।

(ii) आस्थगित कर

समेकित वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर को परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशियों तथा करयोग्य आय की गणना में प्रयुक्त समतुल्य कर आधारों के बीच अस्थायी अंतरों पर मान्य किया जाता है। परिसंपत्तियों/देयताओं की वहन राशि की वसूली या निस्तारण की अनुमानित विधि के आधार पर रिपोर्टिंग तारीख तक अधिनियमित या सारवान रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर कर दरों पर आस्थगित कर मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन किया जाता है जब देयताओं के निमित्त वर्तमान कर परिसंपत्तियों को अलग करने के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार होता है तथा वे समान कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं।

आस्थगित कर देयता को सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक मान्य किया जाता है जहां तक इस बात की संभावना होती है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके निमित्त उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है तथा उस सीमा तक घटाया जाता है जहां तक अब ऐसी संभावना नहीं रहती है कि संबंधित कर लाभ वसूल किए जाएंगे।

6.16 पट्टाकरण

पट्टा अनुबंधों की मान्यता, मापन और प्रस्तुति के लिए, ग्रुप इंड एएस 116 'पट्टा' के सिद्धांतों को लागू करता है।

(i) पट्टेदार के रूप में ग्रुप

अनुबंध की शुरुआत में ग्रुप यह निर्धारित करता है कि अनुबंध पट्टा है या नहीं। अनुबंध पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में कुछ समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, ग्रुप यह आकलन करता है कि क्या (क) ग्रुप को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ वास्तव में प्राप्त हैं, और (ख) ग्रुप को चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

पट्टा अनुबंध की शुरुआत में ग्रुप लागत पर राइट-ऑफ-यूज (आरओयू) परिसंपत्ति और संबंधित पट्टा देयता की पहचान करता है, बारह माह से कम अवधि (अल्पावधि) और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर जिन्हें पट्टे की अवधि में एक सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

पट्टे की कुछ व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले लीज को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल होते हैं। यदि तर्कसंगत रूप से यह निश्चित होता है कि उनका उपयोग किया जाएगा, तो आरओयू की परिसंपत्तियों और पट्टे की देयताओं में ये विकल्प शामिल होते हैं।

राइट-ऑफ-यूज (आरओयू) परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है, जिसमें पट्टा आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान प्लस किसी पट्टा प्रोत्साहन को घटाकर किसी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है। बाद में उन्हें किसी भी संचित मूल्यह्रास और संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को घटाकर लागत पर मापा जाता है। सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास पट्टा शुरू होने की तारीख से पट्टे की छोटी अवधि या राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो पट्टों के अधिवास वाले देश में ग्रुप की वृद्धिशील ऋण दरों का उपयोग करके पट्टा भुगतानों में छूट दी जाती है।

यदि ग्रुप इस संबंध में अपना मूल्यांकन बदलता है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति के विकल्प का उपयोग करेगा, तो पट्टा देयताओं को संबंधित राइट-ऑफ-यूज (आरओयू) परिसंपत्ति में तदनुरूप समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है।

पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को तुलन-पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। पट्टा देयता पर ब्याज व्यय को लाभ और हानि के समेकित विवरण में वित्त लागत के घटक के रूप में राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास से अलग प्रस्तुत किया जाता है। पट्टे के भुगतानों को वित्तपोषण की प्रयुक्त गतिविधियों में नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) पट्टाकर्ता के रूप में ग्रुप

जिन पट्टों के लिए ग्रुप पट्टाकर्ता है, उन्हें वित्त या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिन अनुबंधों में पट्टे के सभी जोखिम और रीवॉर्ड पट्टाकर्ता को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित किए जाते हैं, उन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य पट्टों को प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन पट्टों के लिए, किराए की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि में सीधी रेखा आधार पर मान्य किया जाता है।

वित्त पट्टा के अंतर्गत पट्टेदार से देय राशि को पट्टा में ग्रुप के निवल निवेश की समान राशि पर प्राप्य के रूप में मान्य किया जाता है। रिपोर्टिंग तारीख को पट्टा के संबंध में ग्रुप के बकाया निवल निवेश पर प्रतिफल की लगातार आवधिक दर को दर्शाने के लिए लेखांकन अवधि में पट्टा पर वित्त आय आवंटित की जाती है।

6.17 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं परिवर्तन

ग्रुप की फंक्शनल मुद्रा भारतीय रुपया है। विदेशी मुद्रा के लेनदेन को लेनदेन की तारीख को विनिमय दरों का उपयोग करके व्यावहारिक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में वर्णित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम तारीख को प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके रूपांतरित किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय दर में अंतरों को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। तथापि, 01 अप्रैल, 2018 से पूर्व समेकित वित्तीय विवरणों में मान्य की गई दीर्घावधि मौद्रिक मदों के लिए विनिमय दर में ऐसे अंतरों को ''विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा'' में संचित किया जाता है और ऐसी दीर्घावधि मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

6.18 सामान्य नियंत्रण के अधीन व्यवसाय संयोजन

सामान्य नियंत्रण के अधीन एंटिटियों या व्यवसायों वाला व्यवसाय संयोजन ऐसा व्यवसाय संयोजन है जिसमें संयोजन की सभी एंटिटी या व्यवसाय अंतत: उसी पक्षकार या पक्षकारों द्वारा व्यवसाय संयोजन के पहले और बाद में भी नियंत्रित होते हैं तथा यह नियंत्रण अस्थायी नहीं होता है।

ब्याज की पूलिंग विधि का उपयोग करके सामान्य नियंत्रण के अधीन एंटिटियों या व्यवसायों वाले व्यवसाय संयोजनों को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है:

- संयोजक एंटिटियों की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उनकी वहन राशियों पर दर्शाया जाता है।
- उचित मूल्यों को दर्शाने या नई परिसंपत्तियों अथवा देयताओं को मान्य करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। केवल लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समायोजन किए जाते हैं।
- पिछली अवधियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में वित्तीय सूचना को ऐसे पुन: वर्णित किया गया है जैसे कि व्यवसाय संयोजन वित्तीय विवरणों में पूर्वगामी अवधि आरंभ होने से पहले हुआ है, संयोजन की वास्तविक तारीख जो भी हो।

अंतरणकर्ता के समेकित वित्तीय विवरणों में उल्लिखित अवधारित अर्जन के शेष को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित तदनुरूपी शेष के साथ जोड़ा गया है। रिज़र्व की पहचान को कायम रखा जाता है तथा अंतरक के रिज़र्व अंतरिती के रिज़र्व बन जाते हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशि प्लस नकदी या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में किसी अतिरिक्त विवेचन और अंतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि के बीच अंतर, यदि कोई हो, को पूंजी रिज़र्व में अंतरित किया जाता है तथा अन्य पूंजी रिज़र्व से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

6.19 पिछली अवधि की सारवान त्रुटियां

पिछली अवधि की सारवान त्रुटियों को प्रस्तुत पिछली अवधियों जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों का पुन: वर्णन करके उत्तरभावी प्रभाव से ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत शीघ्रातिशीघ्र अवधि से पहले होती है, तो प्रस्तुत शीघ्रातिशीघ्र अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देयताओं एवं इक्विटी के प्रारंभिक शेषों का पुन: वर्णन किया जाता है।

6.20 इक्विटी के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारकों को लाभांश और अन्य भुगतान

अंतिम लाभांशों को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है तथा अंतरिम लाभांशों को ग्रुप में संबंधित कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है।

इक्विटी के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारकों को भुगतान करने की देयता को उस अवधि में मान्य किया जाता है जब ऐसे भुगतान कंपनी द्वारा भुगतान के लिए अधिकृत किए जाते हैं।

6.21 प्रति शेयर अर्जन

ग्रुप के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि में वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर प्रति शेयर बुनियादी अर्जन की गणना की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों के भारित औसत को सभी तनुकरण योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

7. अनुमानों तथा प्रबंधन के निर्णय का उपयोग

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से फुटकर देयताओं सहित परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि के बारे में निर्णय लेने, अनुमान व्यक्त करने तथा धारणाएं अपनाने की आवश्यकता होती है, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट नहीं होती हैं। अनुमान तथा अंतर्निहित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव तथा संगत कारकों पर आधारित होती हैं और सतत आधार पर इनकी समीक्षा की जाती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अन्य हो सकते हैं।

लेखांकन के अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है यदि संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है अथवा संशोधन की अवधि तथा भावी अवधियों में मान्य किया जाता है यदि यदि वर्तमान एवं भावी दोनों अवधियों को प्रभावित करता है।

7.1 प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय

समेकित वित्तीय विवरणों की समझ बढ़ाने के लिए लेखांकन नीतियों का उपयोग करने में, अनुमान से जुड़े निर्णयों के अतिरिक्त (टिप्पणी सं. 7.2), महत्वपूर्ण निर्णयों, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना इस प्रकार है:

(i) विशेष रिज़र्व पर आस्थगित कर देयता

कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल ने अपने-अपने निदेशक मंडल से यह संकल्प प्राप्त किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व से आहरण करने का कोई इरादा नहीं है और इसका पलटाव करना संभव नहीं है। तदनुसार, उक्त रिज़र्व पर किसी आस्थगित कर देयता का सृजन नहीं किया गया है।

(ii) क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय की गैर मान्यता

समझ के रूप में, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर उनके प्राप्त होने और प्रोद्भवन के आधार पर या उस समय मान्य किया जाता है जब अपेक्षित प्राप्ति बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।

(iii) क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर लेनदेन लागत का परिशोधन

अपरिशोधित लेनदेन लागत की बकाया राशि को लाभ और हानि के विवरण में ऋण परिसंपत्ति के वर्गीकरण पर क्रेडिट क्षतिग्रस्त के रूप में क्रेडिट किया जाता है।

(iv) निवेशों का वर्गीकरण

सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम (जेवी) या सहयोगी कंपनी में निवेश के रूप में कंपनी में किसी निवेश के वर्गीकरण के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर नियंत्रण के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है।

(क) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) को 2009 में एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), आरईसी लिमिटेड (आरईसीएल) और पीएफसी के संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में निगमित किया गया। ईईएसएल के जेवी करार के अनुसरण में, संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों की सीमा के बिना लाभांश, मतदान के अधिकारों आदि सहित समान अधिकार एवं विशेषाधिकार हैं जो कुछ आरक्षित मामलों पर उनके सकारात्मक मताधिकार के माध्यम से सारवान प्रतिभागी अधिकार प्रदान करते हैं, जो इंड एएस 110 'समेकित वित्तीय विवरण' की आवश्यकताओं के अनुसार प्रासंगिक गतिविधियों की प्रकृति में हैं। इसलिए, संयुक्त

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

नियंत्रणाधीन कंपनी होने के कारण ईईएसएल को वित्तीय विवरण के समेकन के प्रयोजनार्थ संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में माना गया है।

(ख) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी), आरईसीएल की पारेषण परियोजनाओं (एसपीवी) तथा पीएफसीसीएल की स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) का प्रबंधन भारत सरकार के आदेश के अनुसार हो रहा है और उनकी संगत गतिविधियों का एकपक्षीय रूप में निर्देशन करने के लिए ग्रुप के पास व्यावहारिक सामर्थ्य नहीं है। इसलिए संबंधित कंपनियों के पास उनकी 100% प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी होने के बावजूद ग्रुप संबंधित यूएमपीपी, आईटीपी और एसपीवी में अपने निवेश को सहयोगी कंपनियों में निवेश के रूप में मानता है जिनके पास महत्वपूर्ण प्रभाव है।

(ग) ऋणकर्ता कंपनियों में बोर्ड पद या इक्विटी हिस्सेदारी रखने के कारण, ऐसी कंपनियों में पीएफसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकार रक्षात्मक प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार, वित्तीय विवरणों के लिए ऋणकर्ता कंपनियों को सहयोगी कंपनी के रूप में नहीं माना जाता है।

(v) कम मूल्य के पट्टे

यदि पट्टादार इंड एएस 116 'पट्टे' की मान्यता और मापन की आवश्यकताओं को उन पट्टों पर लागू न करने का विकल्प चुनता है जहां अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की होती है, तो मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। कम मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, ग्रुप ने इंड एएस 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' में परिभाषित परिसंपत्तियों की प्रकृति और अहमियत की अवधारणा तथा इंड एएस के संकल्पनात्मक फ्रेमवर्क पर विचार किया है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं।

(vi) विविध देयताएं - ब्याज पूंजीकरण

क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर अप्राप्त आय, जिसका प्रतिनिधित्व संकल्प के अंतर्गत प्राप्त वित्तपोषित ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल)/ ऋण/ इक्विटी लिखतों द्वारा किया जाता है, 'फुटकर देयता खाता (ब्याज पूंजीकरण)' नामक एक अलग खाते में अंतरित की जाती है और इसे एफआईटीएल के पुनर्भुगतान या ऋण/ इक्विटी लिखतों की बिक्री/ मोचन पर लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है।

(vii) वित्तीय परिसंपत्तियों के क्षतिग्रस्तता हानि छूट के लिए संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों के क्षतिग्रस्तता हानि छूट की गणना के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए अनेक बाहरी एवं आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में कटौती कर सकते हैं। ग्रुप उपलब्ध जानकारी के आधार पर डिफॉल्ट, और क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि (एसआईसीआर) की पहचान करने के साथ-साथ समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहन में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है।

(viii) सहायक कंपनियों, शाखाओं के अवितरित लाभों/हानियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों के संबंध में आस्थगित कर देयता/आस्थगित कर परिसंपत्ति

सहायक कंपनियों, शाखाओं के अवितरित लाभों/हानियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों के संबंध में ग्रुप के निवेश के संबंध में आस्थगित कर देयता/आस्थगित कर परिसंपत्ति के लेखांकन में निर्णय की आवश्यकता होती है। सहायक कंपनियों के अवितरित लाभों/हानियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों के संबंध में कंपनी अस्थायी अंतरों के पलटाव के समय को नियंत्रित करने में समर्थ है तथा पूर्वाभासी भविष्य में अस्थायी अंतरों को पलटा नहीं जाएगा। तदनुसार, ग्रुप सहायक कंपनियों में निवेश तथा संयुक्त उद्यमों में अधिकारों से संबद्ध सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देयता को मान्य नहीं करता है।

7.2 अनिश्चितता का अनुमान लगाने की मान्यताएं और मुख्य स्रोत

ऐसे अनुमानों एवं मान्यताओं के बारे में सूचना नीचे प्रदान की गई है जिनका परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय की मान्यता और मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है:

(i) परिभाषित हितलाभ बाध्यता (डीबीओ)

डीबीओ के बारे में ग्रुप का अनुमान अनेक अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित होता है जैसे कि मुद्रास्फीति की मानक दरें, नश्वरता, डिस्काउंट दर तथा भावी वेतन वृद्धि के पूर्वानुमान। जैसा कि टिप्पणी 50 में दिया गया है, इन मान्यताओं में विचलन से डीबीओ की राशि तथा वार्षिक परिभाषित हितलाभ व्यय महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो सकता है।

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता जांच (अपेक्षित क्रेडिट हानि)

वित्तीय परिसंपत्तियों जिसमें परिशोधित लागत पर मापे गए ऋण, पट्टा परिसंपत्तियां, एलओसी और गारंटियां शामिल हैं, के क्षतिग्रस्तता हानि छूट के मापन के लिए सांख्यिकीय मॉडलों, भविष्य में अपेक्षित आर्थिक स्थिति, अनुमानित नकदी प्रवाह और

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्रेडिट व्यवहार (जैसे कि क्रेडिट जोखिम स्कोर के लिए प्रयुक्त इनपुट और भार, ऋणकर्ताओं के डिफॉल्ट करने की संभावना और परिणामी नुकसान) का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों से वसूल किए जाने के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह का आकलन करने में ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति, परियोजना की वर्तमान स्थिति, प्रतिभूतियों/कॉलेटरल आदि के निवल वसूली योग्य मूल्य का आकलन किया जाता है।

चूंकि ये अनुमान विभिन्न धारणाओं पर आधारित होते हैं, इसलिए वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया टिप्पणी संख्या 46.1 देखें।

(iii) उचित मूल्य का मापन

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। ग्रुप उचित मूल्य के मापन के लिए मूल्यांकन की उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करती है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाते समय ग्रुप उद्धृत मूल्यों तथा बाजार द्वारा पालनीय डेटा का उस हद तक उपयोग करता है जिस हद तक यह उपलब्ध होता है। इसके उपलब्ध न होने की स्थिति में, परिसंपत्तियों/देयताओं के उचित मूल्य की गणना के लिए गैर अवलोकनीय इनपुटों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न परिसंपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों, इनपुटों के बारे में सूचना तथा अन्य विवरणों का प्रकटीकरण टिप्पणी 48 में किया गया है।

(iv) आयकर

कर की अनिश्चित स्थितियों के लिए भुगतान करने/वसूल करने के लिए अनुमानित राशि सहित आयकर के प्रावधान के निर्धारण में और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए भविष्य में अनुमानित लाभप्रदता के संबंध में भी अनुमान शामिल होते हैं। विवरण के लिए टिप्पणी 43 देखें।

(v) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

ग्रुप परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यहास/परिशोधन के योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के बारे में अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएं तकनीकी एवं आर्थिक अप्रचलन से संबंधित होती हैं जिससे परिसंपत्तियों की उपयोगिता परिवर्तित हो सकती है। पीपीई और अमूर्त संपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल और वहन मूल्यों के विवरण के लिए टिप्पणी 17 देखें।

(vi) वित्तीय स्थिति पर कोविड-19 का प्रभाव

वर्तमान में, ग्रुप के समेकित वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। तथापि, ग्रुप के वित्तीय विवरणों पर इस महामारी का प्रभाव कितना होगा, यह अन्य बातों के साथ-साथ, कोविड-19 की अवधि एवं गंभीरता से संबंधित भावी घटनाक्रमों और विद्युत क्षेत्र पर एवं एनबीएफसी पर इसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार और विनियामक निकायों द्वारा किसी अगली कार्रवाई पर निर्भर करेगा। ग्रुप अनिश्चित भावी आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न होने वाले किसी सारवान परिवर्तन और अपने वित्तीय विवरणों पर इसके संभावित प्रभाव की बारीकी से मॉनिटर करना भी जारी रखेगा।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

8. नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति का)		
	- चालू खाते में	970.90	1,380.56
	- सावधि जमा खाते में	3,956.72	524.59
(ii)	डाक व्यय एवं इम्प्रेस्ट सहित उपलब्ध चेक ड्राफ्ट	0.12	0.06
	कुल नकदी और नकदी समतुल्य	**4,927.74**	**1,905.21**

9. नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	निम्नलिखित के लिए बैंकों में निश्चित किया गया शेष एवं सावधि जमा:		
	- सावधि जमा	683.32	-
	- अदत्त लाभांश (टिप्पणी 9.2 देखें)	9.69	8.23
	- अदत्त बॉण्ड/बॉण्ड पर ब्याज आदि (टिप्पणी 9.2 देखें)	146.36	12.99
	- आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि (टिप्पणी 25.4 देखें)	211.00	0.00
	- मार्जिन धन के रूप में/प्रतिभूति जमा के प्रति धारित	0.25	-
	- आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि	1,323.55	1,850.70
(ii)	न्यायालय के अनुपालन में जमा	0.56	0.53
(iii)	बैंकों में शेष जो प्रतिभूतियों का आवंटन न होने पर उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है	856.62	400.19
(iv)	बैंकों में सावधि जमा- तीन माह से अधिक परंतु 12 माह से कम	6.66	9.04
(v)	अन्य सावधि जमा	36.81	1.28
	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से अन्य कुल बैंक शेष	**3,274.82**	**2,282.96**

9.1 उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधियों के अंत में प्रस्तुत नकदी और 'नकदी समतुल्य में शामिल से अन्य बैंक शेष' के संबंध में प्रत्यावर्तन संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है।

9.2 निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा करने के लिए कोई राशि देय नहीं है।

10. डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव संविदा की है। जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए रखे गए डेरिवेटिव में ऐसे हेज जिन्हें हेज एकाउंटिंग की आवश्यकताओं के अंतर्गत प्रभावी हेज के रूप में अभिहित किया गया है या ऐसे हेज जो आर्थिक हेज हैं, शामिल हैं। नीचे दी गई सारणी परिसंपत्ति या देयता के रूप में दर्ज डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के उचित मूल्यों को उनकी आनुमानिक राशियों के साथ दर्शाती है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

भाग–I

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक			31.03.2020 तक		
		आनुमानिक राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	आनुमानिक राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	**मुद्रा डेरिवेटिव**						
	– स्पॉट और फॉरवर्ड	2,417.38	5.33	40.53	5,937.27	210.49	20.23
	– मुद्रा स्वैप	14,615.29	980.06	121.08	15,156.06	1,833.15	-
	– विकल्प	32,463.34	1,928.55	95.17	28,389.78	2,716.58	-
	कुल मुद्रा डेरिवेटिव	**49,496.01**	**2,913.94**	**256.78**	**49,483.11**	**4,760.22**	**20.23**
(ii)	**ब्याज दर डेरिवेटिव**						
	– फॉरवर्ड दर करार और ब्याज दर स्वैप	43,621.27	648.73	805.24	46,573.66	422.05	1,165.65
	कुल ब्याज दर डेरिवेटिव	**43,621.27**	**648.73**	**805.24**	**46,573.66**	**422.05**	**1,165.65**
(iii)	**अन्य डेरिवेटिव**						
	– रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप	4,547.00	-	278.33	4,347.00	-	739.67
	कुल अन्य डेरिवेटिव	**4,547.00**	**-**	**278.33**	4,347.00	-	739.67
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i) + (ii) + (iii)	**97,664.28**	**3,562.67**	**1,340.35**	**1,00,403.77**	**5,182.27**	**1,925.55**

भाग – II: हेजिंग एवं जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनार्थ धारित उपर्युक्त (भाग I) में शामिल डेरिवेटिव निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक			31.03.2020 तक		
		आनुमानिक राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	आनुमानिक राशि	उचित मूल्य परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	**नकदी प्रवाह हेजिंग (अभिहित)**						
	– मुद्रा डेरिवेटिव	38,765.58	1,957.56	216.25	27,902.90	2,189.79	303.14
	– ब्याज दर डेरिवेटिव	21,508.88	4.10	496.50	13,267.92	5.24	368.02
	कुल नकदी प्रवाह हेजिंग (अभिहित)	**60,274.46**	**1,961.66**	**712.75**	**41,170.82**	**2,195.03**	**671.16**
(ii)	**अनामित डेरिवेटिव**	37,389.82	1,601.01	627.60	59,232.95	2,987.24	1,254.39
	कुल अनामित डेरिवेटिव	**37,389.82**	**1,601.01**	**627.60**	**59,232.95**	**2,987.24**	**1,254.39**
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i) + (ii)	**97,664.28**	**3,562.67**	**1,340.35**	**1,00,403.77**	**5,182.27**	**1,925.55**

10.1 फॉरवर्ड दर करार/ब्याज दर स्वैप का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन	43,621.27	46,573.66
(ii)	हानियां जो होंगी यदि काउंटरपार्टी करारों के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहते हैं	648.73	422.05
(iii)	स्वैप करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कॉलेटरल	-	-
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण	नीचे टिप्पणी[क] देखें	
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य (काउंटरपार्टी बैंकों से प्राप्त)	(156.51)	(743.60)

[क] ग्रुप ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में केवल श्रेणी-I के अधिकृत डीलर बैंकों के साथ स्वैप करार किया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

10.2 ग्रुप 31.03.2021 तक एक्सचेंज में व्यापारित किसी डेरिवेटिव का धारक नहीं है (31.03.2020 तक शून्य)।

10.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार			31.03.2020 की स्थिति के अनुसार		
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव [क]	अन्य डेरिवेटिव (रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप)[ग]	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव [क]	अन्य डेरिवेटिव (रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप)[ग]
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि)						
	हेजिंग के लिए [ख] [घ]	49,496.01	43,621.27	4,547.00	49,483.11	46,573.66	4,347.00
(ii)	बाजार से बाजार की स्थितियां (एमटीएम)						
	(क) परिसंपत्ति (+एमटीएम)[घ]	2,913.94	648.73	-	4,760.22	422.05	-
	(ख) देयता (-एमटीएम)	256.78	805.24	278.33	20.23	1,165.65	739.67
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	7,792.89	1,064.50	632.05	8,623.90	803.76	602.05
(iv)	अनहेज्ड एक्सपोजर[ख]	54,470.11	3,444.15	-	50,534.31	6,522.56	-

[क] ब्याज दर डेरिवेटिव में रुपया देयताओं पर डेरिवेटिव और ऐसे डेरिवेटिव भी शामिल हैं जो लागत में कमी करने की कार्यनीति के रूप में रखे गए हैं।
[ख] क्रॉस करेंसी एक्सपोजर के संबंध में एक मुद्रा जोड़ी के कुछ हेज शामिल हैं।
[ग] इसमें लागत में कमी करने की कार्यनीति के रूप में रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल है।
[घ] इसमें ₹0.56 करोड़ के सकारात्मक एमटीएम के साथ ब्याज भुगतान के निमित्त ₹373.95 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के समतुल्य 51 मिलियन अमरीकी डालर के मुद्रा डेरिवेटिव शामिल हैं।

10.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए क्रमशः टिप्पणी 46.3 और 46.4 तथा हेज लेखांकन से संबंधित प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 47 देखें।

11. व्यापार की प्राप्य राशियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	व्यापार की प्राप्य राशियां		
	- अच्छा माना गया - प्रतिभूत (सकल)	27.54	26.59
	- अच्छा माना गया - अप्रतिभूत (सकल)	124.45	86.27
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(19.12)	(13.66)
	- जिससे क्रेडिट जोखिम (सकल) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	55.32	52.01
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(20.58)	(15.55)
	- क्षतिग्रस्त क्रेडिट (सकल)	54.26	40.04
	घटाएं: क्षतिग्रस्त क्रेडिट पर क्षतिग्रस्तता क्षति छूट	(54.26)	(40.04)
	कुल व्यापार प्राप्य	**167.61**	**135.66**

11.1 व्यापार की प्राप्तियों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट के विवरण के लिए टिप्पणी 46.1.13 देखें।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

12. ऋण

कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने नीचे प्रस्तुत 'पट्टाकरण' को छोड़कर, जिसे इंड एएस 116 'पट्टा' के अनुसार मापा गया है, सभी ऋणों को इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की आवश्यकताओं के अनुसार परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक(घ)	31.03.2020 तक
(क)	**ऋणकर्ताओं को ऋण***		
(i)	- रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)	7,38,012.54	6,52,971.18
(ii)	- विदेशी मुद्रा ऋण	240.99	240.99
(iii)	- क्रेता लाइन ऑफ क्रेडिट	2,185.02	2,031.28
(iv)	- कार्यकारी पूंजी ऋण	4,038.98	11,417.96
(v)	- पट्टाकरण	223.77	223.77
(vi)	- आहूत डिफॉल्ट भुगतान गारंटी के लिए प्राप्य राशि	487.84	444.09
(vii)	- ऋणों पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	5,876.97	5,327.77
(viii)	- ऋणों पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	1,240.75	1,499.41
(ix)	- ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	(174.23)	(180.74)
	ऋणकर्ताओं को सकल ऋण*	**7,52,132.63**	**6,73,975.71**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(29,745.79)	(27,779.60)
	ऋणकर्ताओं को निवल ऋण*	**7,22,386.84**	**6,46,196.11**
(ख)	**प्रतिभूतिवार वर्गीकरण**		
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	4,52,447.33	4,62,325.24
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
(iii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर	2,15,707.48	1,32,352.12
(iv)	अप्रतिभूत	83,977.82	79,298.35
	सकल प्रतिभूतिवार वर्गीकरण	**7,52,132.63**	**6,73,975.71**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(29,745.79)	(27,779.60)
	निवल प्रतिभूतिवार वर्गीकरण	**7,22,386.84**	**6,46,196.11**
(ग)	**I भारत में ऋण**		
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	6,53,770.87	5,78,351.25
(ii)	निजी क्षेत्र	98,361.76	95,624.46
	भारत में सकल ऋण	**7,52,132.63**	**6,73,975.71**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(29,745.79)	(27,779.60)
	भारत में निवल ऋण	**7,22,386.84**	**6,46,196.11**
(ग)	**II भारत के बाहर ऋण**	-	-
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-
	भारत के बाहर निवल ऋण	**-**	**-**
	भारत में और भारत के बाहर निवल ऋण	**7,22,386.84**	**6,46,196.11**

*प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखे गए ऋणों के विवरण के लिए टिप्पणी 22.8 से 22.16 और 23.11 देखें।

12.1 ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि

वर्ष के दौरान, पीएफसी ने ऋणकर्ताओं को पत्र भेजे हैं, जिसमें 31.03.2021 तक शेष राशि की पुष्टि करने के लिए कहा गया है, उन मामलों को छोड़कर जहां ऋण वापस ले लिया गया है या अदालत/एनसीएलटी के समक्ष लंबित है। उक्त शेष के 98.94% की पुष्टि प्राप्त हो गई है। ₹3,752.05 करोड़ के शेष ऋणों, जिसके लिए शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, में से 20.99% ऋण मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा, 78.24% ऋण सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण द्वारा प्रतिभूत हैं तथा 0.77% ऋण अप्रतिभूत हैं।

सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में, 31.03.2021 तक कुल ऋण परिसंपत्तियों में से 92% के लिए ऋणकर्ताओं से शेष ऋण की पुष्टि प्राप्त हुई है। ₹29,124.35 करोड़ की शेष ऋण परिसंपत्तियों, जिसके लिए शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, में से 71% ऋणों को परिसंपत्तियां रेहन रखकर, 10% को सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण द्वारा प्रतिभूत किया गया है तथा 19% ऋण अप्रतिभूत हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

12.2 पीएफसी के संबंध में पट्टा परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण:

रिपोर्टिंग की तारीख को पट्टे पर उठाई गई परिसंपत्तियों में सकल निवेश तथा प्राप्य न्यूनतम मूल्य का वर्तमान मूल्य और अनार्जित वित्तीय आय का मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण [(क)]	31.03.2021 तक(घ)	31.03.2020 तक
(i) प्राप्य भावी गैर रियायती पट्टा भुगतानों का जोड़ (सकल निवेश)[(ख)]	254.33	280.04
(ii) प्राप्य पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य (निवेश निवेश)[(ग)]	223.77	223.77
कुल अनार्जित वित्त आय (i)-(ii)[(ख)]	**30.56**	**56.27**
प्राप्य भावी गैर रियायती पट्टा भुगतानों के जोड़ (सकल निवेश) की परिपक्वता प्रोफाइल:		
0-1 वर्ष	25.70	25.70
1-2 वर्ष	25.70	25.70
2-3 वर्ष	25.70	25.70
3-4 वर्ष	25.70	25.70
4-5 वर्ष	25.70	25.70
5 वर्ष से अधिक	125.83	151.54
कुल सकल निवेश	**254.33**	**280.04**

[(क)] आरएस इंडिया विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक पट्टादार के पवन टरबाइन जनरेटर के वित्तपोषण के लिए वित्त पट्टा मूल शर्तों के अनुसार, पट्टा किराया 01.01.2012 से शुरू होकर 25 वर्ष की अवधि में वसूल किया जाना था, जिसमें 18 वर्ष प्राथमिक अवधि के रूप में और अधिकतम 7 वर्ष माध्यमिक अवधि के रूप में शामिल हैं। यह खाता 03.10.2017 से क्षतिग्रस्त क्रेडिट है।

[(ख)] 31.03.2021 तक ₹63.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹48.82 करोड़) का अतिदेय ब्याज शामिल नहीं है।

[(ग)] 31.03.2021 तक ₹39.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹28.28 करोड़) का अतिदेय मूलधन शामिल है।

[(घ)] वर्ष के दौरान, पीएफसी ने पट्टादार आरएस इंडिया विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एकमुश्त समझौता (ओटीएस) किया है, जिसमें निपटान राशि किश्तों में प्राप्त की जानी है, जो कि जून 2021 में देय है। समाधान योजना में निर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए 31.03.2021 तक निपटान के अंतर्गत प्राप्त राशि को अभी तक विनियोजित नहीं किया गया है, जिसके अनुसार समाधान योजना में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार भुगतान में डिफॉल्ट होने पर, भुगतान किए गए सभी धन जब्त कर लिए जाएगा और इसे उनकी देय राशि के लिए ऋणदाताओं को विनियोजित किया जाएगा अर्थात उनके स्वीकृत दावे को बकाया निवल भुगतान के रूप में बहाल किया जाएगा।

12.3 पीएफसी और सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड द्वारा वर्ष के दौरान कार्यान्वित समाधान योजनाओं का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ऋणकर्ता का नाम	समाधान योजना का विवरण	समाधान की तारीख से पूर्व बकाया मूलधन	समाधान की तारीख तक प्रदान किया गया क्षतिग्रस्तता छूट	बट्टे खाते में डाली गई राशि (निवेश पर क्षतिग्रस्तता सहित)	समाधान योजना के अंतर्गत ग्रुप द्वारा प्राप्त लिखत*
1	एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	स्वामित्व में बदलाव के बिना पुनर्गठन	1,483.01	117.63	122.88	पुनर्गठन के बाद ऋणकर्ता कंपनी के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी)
2	सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड	स्वामित्व में बदलाव के बिना पुनर्गठन	915.11	518.62	448.23	पुनर्गठन के बाद ऋणकर्ता कंपनी के इक्विटी शेयर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) और ऋणकर्ता की समूह कंपनी के अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर (सीसीपीएस)
3	आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड	स्वामित्व में बदलाव के बिना पुनर्गठन	7,406.74	3,077.92	2,907.20	पुनर्गठन के बाद ऋणकर्ता कंपनी के इक्विटी शेयर और वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी)
4	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	एकमुश्त निपटान सहित समग्र समाधान योजना	207.05	66.59	66.59	शून्य
5	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एकमुश्त निपटान	386.23	287.99	286.39	शून्य
6	फैकॉर पावर लिमिटेड	आईबीसी के अंतर्गत एनसीएलटी की कार्यवाही के माध्यम से निपटान किया गया	510.98	198.93	181.86	आईबीसी के अंतर्गत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार एनसीडी प्राप्त हुए थे
	कुल		**10,909.12**	**4,267.68**	**4,013.15**	

*समाधान योजना के अंतर्गत प्राप्त लिखतों के अधिक विवरण के लिए टिप्पणी 13ए देखें।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

12.4 उपर्युक्त प्रस्तावों के अतिरिक्त, पीएफसी ने ऋणकर्ता कृष्णा गोदावरी पावर यूटिलिटीज लिमिटेड के साथ एकमुश्त समझौता (ओटीएस) भी किया है, जिस पर ₹76.63 करोड़ का ऋण बकाया है। माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा पारित संकल्प योजना के अनुमोदन के अनुसार, निपटान राशि किश्तों में प्राप्त की जा रही है। समाधान योजना में निर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए 31.03.2021 तक निपटान के अंतर्गत प्राप्त राशि का विनियोजन किया जाना बाकी है।

12.5 ग्रुप द्वारा क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर और प्रबंधन के विवरण के लिए टिप्पणी 46.1 देखें।

13क. निवेश (उससे अन्य जो इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित किए गए हैं)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक					
		परिशोधित लागत (1)	एफवीटीओसीआई पर अभिहित (2)	एफवीटीपीएल (3)	उप-जोड़ (4)=(2)+(3)	अन्य (5)	कुल (1)+(4)+(5)
(i)	ऋण प्रतिभूतियां	259.63		-	-		259.63
(ii)	इक्विटी लिखत		1,272.16	83.56	1,355.72		1,355.72
(iii)	अधिमानी शेयर	103.08		139.18	139.18		242.26
(iv)	डिबेंचर	149.10		294.69	294.69		443.79
(v)	सरकारी प्रतिभूतियां	649.08			-		649.08
(vi)	अन्य		-		-		-
	कुल निवेश (उससे अन्य जो इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित किए गए हैं)	**1,160.89**	**1,272.16**	**517.43**	**1,789.59**	**-**	**2,950.48**
	भूगोलवार निवेश						
(i)	भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii)	भारत में निवेश	1,160.89	1,272.16	517.43	1,789.59	-	2,950.48
	सकल भूगोलवार निवेश	**1,160.89**	**1,272.16**	**517.43**	**1,789.59**	**-**	**2,950.48**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-	-	-	-	-
	निवल भूगोलवार निवेश	**1,160.89**	**1,272.16**	**517.43**	**1,789.59**	**-**	**2,950.48**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 तक					
		परिशोधित लागत (1)	एफवीटीओसीआई पर अभिहित (2)	एफवीटीपीएल (3)	उप-जोड़ (4)=(2)+(3)	अन्य (5)	कुल (1)+(4)+(5)
(i)	ऋण प्रतिभूतियां	32.10		2,310.67	2,310.67		2,342.77
(ii)	इक्विटी लिखत		1,217.27	44.24	1,261.51		1,261.51
(iii)	अधिमानी शेयर	91.21		145.99	145.99		237.20
(iv)	डिबेंचर	-		-	-		-
(v)	सरकारी प्रतिभूतियां	-			-		-
(vi)	अन्य		12.24		12.24		12.24
	कुल	**123.31**	**1,229.51**	**2,500.90**	**3,730.41**	**-**	**3,853.72**
	भूगोलवार निवेश						
(i)	भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii)	भारत में निवेश	123.31	1,229.51	2,500.90	3,730.41	-	3,853.72
	सकल भूगोलवार निवेश	**123.31**	**1,229.51**	**2,500.90**	**3,730.41**	**-**	**3,853.72**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-			-		-
	निवल भूगोलवार निवेश	**123.31**	**1,229.51**	**2,500.90**	**3,730.41**	**-**	**3,853.72**

एफवीटीओसीआई - अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य, एफवीटीपीएल - लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित पर मापा गया	31.03.2021 तक			31.03.2020 तक		
			संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां							
	- 5.22% जीसेक 2025	परिशोधित लागत	50,00,000	100	50.99	-	-	-
	- 7.27% जीसेक 2026	परिशोधित लागत	50,00,000	100	55.98	-	-	-
	- 7.17% जीसेक 2028	परिशोधित लागत	50,00,000	100	54.64	-	-	-
	- 5.77% जीसेक 2030	परिशोधित लागत	50,00,000	100	49.95	-	-	-
	- 6.20% राजस्थान एसडीएल 2027	परिशोधित लागत	20,00,000	100	20.36	-	-	-
	- 7.20% महाराष्ट्र एसडीएल 2027	परिशोधित लागत	20,00,000	100	21.53	-	-	-
	- 6.60% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2030	परिशोधित लागत	50,00,000	100	51.28	-	-	-
	- 6.48% कर्नाटक एसडीएल 2031	परिशोधित लागत	40,00,000	100	41.26	-	-	-
	- 7.29% कर्नाटक एसडीएल 2039	परिशोधित लागत	1,00,00,000	100	100.97	-	-	-
	- 7.24% कर्नाटक एसडीएल 2037	परिशोधित लागत	50,00,000	100	50.30	-	-	-
	- 8.44% झारखंड एसडीएल 2029	परिशोधित लागत	30,00,000	100	32.53	-	-	-
	- 8.57% राजस्थान एसडीएल 2028	परिशोधित लागत	10,00,000	100	11.02	-	-	-
	- 6.95% तमिलनाडु एसडीएल 2031	परिशोधित लागत	25,00,000	100	25.02	-	-	-
	- 6.60% उत्तर प्रदेश एसडीएल 2030	परिशोधित लागत	20,00,000	100	19.74	-	-	-
	- 6.85% राजस्थान एसडीएल 2031	परिशोधित लागत	30,00,000	100	29.95	-	-	-
	- 8.35% केरल एसडीएल 2029	परिशोधित लागत	10,00,000	100	10.86	-	-	-
	- 8.60% गुजरात एसडीएल 2028	परिशोधित लागत	20,00,000	100	22.70	-	-	-
	कुल सरकारी प्रतिभूतियां				**649.08**			**-**
(ii)	ऋण प्रतिभूतियां							
	- 11.15% इंडियन बैंक के शाश्वत बॉण्ड	एफवीटीपीएल	-	-	-	5,000	10,00,000	500.31
	- 11.25% बैंक ऑफ बड़ौदा के शाश्वत बॉण्ड	एफवीटीपीएल	-	-	-	5,000	10,00,000	500.00
	- 11.25% सिंडीकेट बैंक के शाश्वत बॉण्ड	एफवीटीपीएल	-	-	-	5,000	10,00,000	500.31
	- 10.95% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाश्वत बॉण्ड	एफवीटीपीएल	-	-	-	8,000	10,00,000	810.05
	- 5.78% चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिशोधित लागत	150	10,00,000	15.63	-	-	-
	- 6.11% भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिशोधित लागत	100	10,00,000	10.52	-	-	-
	- 7.30% एनएमडीसी लिमिटेड	परिशोधित लागत	200	10,00,000	21.71	-	-	-
	- 7.30% पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिशोधित लागत	200	10,00,000	22.65	-	-	-
	- 8.69% दामोदर वैली कॉर्पोरेशन	परिशोधित लागत	200	10,00,000	21.88	-	-	-
	- 7.05% महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	परिशोधित लागत	850	10,00,000	88.18	-	-	-
	- 6.65% भारतीय खाद्य निगम	परिशोधित लागत	200	10,00,000	20.62	-	-	-
	- 7.19% टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	परिशोधित लागत	250	10,00,000	26.33	-	-	-
	- 7.39% आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के कर मुक्त 15 वर्षीय एसआरएनसीबी	परिशोधित लागत	86,798	1,000	8.81	86,798	1,000	8.81
	- 7.35% भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड का कर मुक्त	परिशोधित लागत	42,855	1,000	4.60	42,855	1,000	4.60
	- 7.39% भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड का कर मुक्त	परिशोधित लागत	35,463	1,000	3.67	35,463	1,000	3.67

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित पर मापा गया	31.03.2021 तक			31.03.2020 तक		
			संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि
	- 7.49% भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का कर मुक्त	परिशोधित लागत	61,308	1,000	6.22	61,308	1,000	6.22
	- 7.35% भारतीय रेलवे वित्त निगम का कर मुक्त	परिशोधित लागत	22,338	1,000	2.31	22,338	1,000	2.31
	- 7.35% राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का कर मुक्त	परिशोधित लागत	14,028	1,000	1.41	14,028	1,000	1.40
	- 8.76% आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) का कर मुक्त	परिशोधित लागत	50,000	1,000	5.09	50,000	1,000	5.09
	कुल ऋण प्रतिभूतियां				**259.63**			**2,342.77**
(iii)	**इक्विटी लिखत**							
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड	अभिहित - एफवीटीओसीआई	1,20,00,000	10	93.30	1,20,00,000	10	46.50
	- कोल इंडिया लिमिटेड	अभिहित - एफवीटीओसीआई	1,39,64,530	10	182.03	1,39,64,530	10	195.57
	- एनएचपीसी लिमिटेड (टिप्पणी 13.2 देखें)	अभिहित - एफवीटीओसीआई	38,97,75,446	10	953.00	40,97,75,446	10	817.50
	- पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	अभिहित - एफवीटीओसीआई	32,20,000	10	-	32,20,000	10	-
	- सुजलोन एनर्जी लिमिटेड (टिप्पणी 12.3 देखें)	अभिहित - एफवीटीओसीआई	8,46,15,798	2	42.31	-	-	-
	- आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	अभिहित - एफवीटीओसीआई	3,47,429	10	1.52	3,47,429	10	0.69
	- इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (टिप्पणी 13.2 देखें)	अभिहित - एफवीटीओसीआई	-	-	-	1,22,71,211	1	157.01
	- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	अभिहित - एफवीटीओसीआई	1,60,00,000	10	-	1,60,00,000	10	-
	- रतनइंडिया पावर लिमिटेड	एफवीटीपीएल	32,76,95,820	10	83.56	32,76,95,820	10	44.24
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड (टिप्पणी 12.3 देखें)	एफवीटीपीएल	58,57,06,587	1	-	-	-	-
	कुल इक्विटी लिखत				**1,355.72**			**1,261.51**
(iv)	**अधिमानी शेयर**							
	- रायपुर एनर्जेन लिमिटेड - आरपीएस	परिशोधित लागत	59,82,371	100	10.35	59,82,371	100	9.29
	- रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड - सीआरपीएस (पिछले वर्ष में ₹1 पर मूल्यांकित)	परिशोधित लागत	-	-	-	15,24,88,000	10	0.00
	- रतनइंडिया पावर लिमिटेड - आरपीएस	परिशोधित लागत	10,16,70,764	10	92.73	10,16,70,764	10	81.92
	- रतनइंडिया पावर लिमिटेड - ओसीसीआरपीएस (टिप्पणी 48.3 देखें)	एफवीटीपीएल	15,32,97,013	10	139.18	15,32,97,013	10	145.99
	- सुजलॉन ग्लोबल सर्विसिज लिमिटेड - सीसीपीएस (टिप्पणी 12.3 देखें)	एफवीटीपीएल	38,161	1,00,000	0.00	-	-	-
	कुल प्रीफरेंस शेयर				**242.26**			**237.20**
(v)	**डिबेंचर (टिप्पणी 48.3 देखें)**							
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - ओसीडी श्रृंखला 1 (टिप्पणी 12.3 देखें)	एफवीटीपीएल	31,86,17,853	10	140.21	-	-	-
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - ओसीडी श्रृंखला 2 (टिप्पणी 12.3 देखें)	एफवीटीपीएल	13,69,00,996	10	60.20	-	-	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	निम्नलिखित पर मापा गया	31.03.2021 तक			31.03.2020 तक		
			संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	राशि
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - ओसीडी श्रृंखला 3 (टिप्पणी 12.3 देखें)	एफवीटीपीएल	2,55,14,666	10	0.00	-	-	-
	- सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड - ओसीडी (टिप्पणी 12.3 देखें)	एफवीटीपीएल	34,791	1,00,000	94.28	-	-	-
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - ओसीडी श्रृंखला ए (टिप्पणी 12.3 देखें)	एफवीटीपीएल	63,31,99,420	100	0.00	-	-	-
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - ओसीडी श्रृंखला बी (टिप्पणी 12.3 देखें)	एफवीटीपीएल	1,97,74,516	100	0.00	-	-	-
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - ओसीडी श्रृंखला एआई (टिप्पणी 12.3 देखें)	एफवीटीपीएल	3,37,46,560	100	0.00	-	-	-
	- फेरो एलॉय कॉर्पोरेशन लिमिटेड - एनसीडी (टिप्पणी 12.3 देखें)	परिशोधित लागत	2,52,91,783	1,00,000	149.10	-	-	-
	कुल डिबेंचर (टिप्पणी 48.3 देखें)				**443.79**			**-**
(vi)	**अन्य**							
	- स्माल इज ब्यूटीफुल फंड की यूनिटें	अभिहित - एफवीटीओसीआई	1,23,04,700	10	-	1,23,04,400	10	12.24
	कुल - स्माल इज ब्यूटीफुल फंड की यूनिटें				**-**			**12.24**
	कुल निवेश (उससे अन्य जो इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित किए गए हैं)				**2,950.48**			**3,853.72**

एसआरएनसीबी - प्रतिभूत मोचनीय गैर परिवर्तनीय बॉण्ड, आरपीएस - मोचनीय अधिमानी शेयर, सीआरपीएस - संचयी मोचनीय प्रीफरेंस शेयर, ओसीसीआरपीएस - वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी मोचनीय अधिमानी शेयर, सीसीपीएस - अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय शेयर, ओसीडी - वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, एनसीडी - गैर परिवर्तनीय डिबेंचर

13ख. इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए लेखांकित निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	**संयुक्त उद्यम**		
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 46,36,00,000 इक्विटी शेयर; पिछले वर्ष ₹10 प्रत्येक के 46,36,00,000 इक्विटी शेयर	547.85	549.40
(ii)	**सहयोगी कंपनी (टिप्पणी 13.1 देखें)**		
	- अल्ट्रामेगा विद्युत परियोजनाएं/स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं ₹10 प्रत्येक के 8,20,000 इक्विटी शेयर; पिछले वर्ष ₹10 प्रत्येक के 8,20,000 इक्विटी शेयर	0.50	0.50
	उप-जोड़	**548.35**	**549.90**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-
	इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए लेखांकित कुल निवेश	**548.35**	**549.90**

13.1 इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए लेखांकित सहयोगी कंपनियों में निवेश का वहन मूल्य:

ये सहयोगी कंपनी पीएफसीसीएल जो पारेषण योजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया का समन्वयक है, द्वारा निगमित स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) (नीचे क्र.सं. (xvi)-(xviii) के संबंध में बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोलीदाताओं को सौंपने के उद्देश्य से अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) (नीचे क्र.सं. (i)-(xv) के विकास के लिए भारत सरकार के अधिदेश से एसपीवी के रूप में निगमित कंपनियां (यूएमपीपी) हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निवेशक कंपनी का नाम	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड[(1)]	-	-
(ii)	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड[(2)]	-	-
(iii)	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड[(1)]	-	-
(iv)	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	-	-
(v)	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0.08	0.08
(vi)	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	0.05	0.05
(vii)	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	0.05	0.05
(viii)	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड[(1)]	-	-
(ix)	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0.04	0.04
(x)	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	0.05	0.05
(xi)	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	0.04	0.04
(xii)	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.05	0.05
(xiii)	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	0.05	0.05
(xiv)	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0.05	0.05
(xv)	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	0.04	0.04
(xvi)	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड[(1)]	-	-
(xvii)	शोंगटोंग करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड[(1)]	-	-
(xviii)	बीजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड[(2)]	-	-
	कुल वहन मूल्य	**0.50**	**0.50**

[(1)] हटा देने की प्रक्रिया के अधीन
[(2)] बंद करने के अनुमोदन के अधीन

13.2 प्रारंभिक मान्यता पर, ग्रुप की कंपनियों ने कुछ इक्विटी लिखतों में निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन के बाद अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया। ग्रुप का मुख्य प्रचालन विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ एवं हानि के समेकित विवरण को सुरक्षित करने के लिए, संबंधित कंपनियों के प्रबंधन का यह विश्वास है कि एफवीटीपीएल पर उनके वर्गीकरण की तुलना में एफवीटीओसीआई वर्गीकरण अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान विमान्य किए गए एफवीटीओसीआई लिखतों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

निवेश का विवरण	विमान्य किए गए शेयरों की संख्या	विमान्यता की तारीख तक उचित मूल्य	विमान्यता पर संचयी अभिलाभ/(हानि)
वित्तीय वर्ष 2020-21			
एनएचपीसी लिमिटेड[(1)]	2,00,00,000	50.54	6.98
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड[(2)]	1,22,71,211	249.92	248.69
वित्तीय वर्ष 2019-20			
एनएचपीसी लिमिटेड[(1)]	1,00,00,000	26.33	4.55
जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड	27,50,00,000	-	(254.51)
श्री महेश्वर हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएमएचपीसीएल)	13,18,46,779	-	-
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	2,28,789	4.23	4.21
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	10,20,00,000	-	(102)

[(1)] ये इक्विटी शेयर बाजार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान ट्रांच में बेचे गए। विमान्यता की संबंधित तारीख को मूल्य के आधार पर उचित मूल्य एवं अभिलाभ की गणना की गई है तथा सकल आधार पर प्रस्तुत किया गया है।
[(2)] वर्ष के दौरान, आरईसीएल ने बाजार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के 1,22,71,211 इक्विटी शेयरों को ₹249.92 करोड़ में बेचा है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

ऐसे निवेशों की मान्यता रद्द होने के बाद, ग्रुप ने वर्ष के दौरान इक्विटी के भीतर ऐसे शेयरों पर संचयी लाभ/हानि को (ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिज़र्व से प्रतिधारित आय में) अंतरित किया है। अधिक जानकारी के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण देखें।

13.3 निवेशों के उचित मूल्यन के विवरण के लिए टिप्पणी 48 देखें।

14. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

ग्रुप ने इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	भारत सरकार के चुकता बॉण्डों के कारण वसूली योग्य	29,352.69	26,970.02
(ii)	सहयोगी कंपनियों को अग्रिम*	166.18	154.27
(iii)	कार्मिकों को अग्रिम	0.92	0.90
(iv)	कार्मिकों को ऋण	139.23	129.58
(v)	अन्य	232.22	260.64
	घटाएं: अन्य पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट (टिप्पणी 14.2 देखें)	(111.37)	(51.64)
	कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**29,779.87**	**27,463.77**

*नकदी में वसूली योग्य

14.1 केएमपी को दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	केएमपी को दिए गए ऋण और अग्रिम (अर्जित ब्याज सहित)	0.85	0.84

14.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
(i)	प्रारंभिक शेष	51.64	40.45
(ii)	वर्ष के दौरान मूवमेंट	59.73	11.19
	अंतिम शेष	**111.37**	**51.64**

15. वर्तमान कर परिसंपत्तियां/देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	456.62	747.84
(ii)	विवाद के अधीन आयकर मांग पर जमा किया गया कर	68.70	390.49
	कुल वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	**525.32**	**1,138.33**
(i)	अग्रिम कर को घटाकर आयकर के लिए प्रावधान	140.43	-
(i)	विवाद के अधीन आयकर मांग के लिए प्रावधान	0.25	67.40
	कुल वर्तमान कर देयताएं (निवल)	**140.68**	**67.40**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

16. निवेश संपत्ति*

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	अंतिम शेष
वित्तीय वर्ष 2019-20	0.01	-	-	0.01
वित्तीय वर्ष 2020-21	0.01	-	-	0.01

*पीएफ़सी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड से संबंधित है

16.1 पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने अनिश्चित भावी उपयोग के लिए धारित भूमि को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया है और उस पर कोई किराया आय अर्जित नहीं कर रहा है।

16.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
वहन मूल्य	0.01	0.01
उचित मूल्य	0.90	0.61

16.3 पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड कम से कम वार्षिक आधार पर अपनी निवेश संपत्तियों का स्वतंत्र मूल्यन प्राप्त करता है। उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य समान संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान मूल्य है। जहां ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है, कंपनी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना पर विचार करती है, जिसमें शामिल हैं:

- सक्रिय बाजारों में अन्य प्रकृति की समान संपत्तियों के वर्तमान मूल्य या कम सक्रिय बाजारों में समान संपत्तियों के वर्तमान मूल्य जिसे उन अंतरों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

- क्षेत्राधिकार जिसमें निवेश संपत्ति स्थित है, में वर्तमान सर्किल रेट।

निवेश संपत्ति के उचित मूल्य एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किए गए हैं तथा प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान संपत्तियों के सर्किल रेट और वर्तमान मूल्य हैं। निवेश संपत्ति के लिए परिणामी उचित मूल्य के सभी अनुमान स्तर 3 में शामिल किए गए हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

17. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजी कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी), विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण									पूंजी कार्य प्रगति पर	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	लीजहोल्ड भूमि	भवन	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहन	लीजहोल्ड में सुधार	कुल	अचल संपत्ति	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल वहन राशि												
01.04.2019 तक प्रारंभिक शेष	**113.77**	**1.59**	**56.66**	**40.19**	**38.26**	**23.29**	**0.49**	**4.14**	**278.39**	**196.94**	**1.59**	**27.17**
वृद्धियां/समायोजन	-	-	-	6.25	8.92	6.45	0.02	-	21.64	74.89	-	4.38
पूंजीकृत ऋण लागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.62	-	-
कटौतियां/समायोजन	-	1.59	-	4.32	4.11	2.02	(0.01)	-	12.03	(8.17)	0.82	7.22
31.03.2020 तक अंतिम शेष	**113.77**	**-**	**56.66**	**42.12**	**43.07**	**27.72**	**0.52**	**4.14**	**288.00**	**287.62**	**0.77**	**24.33**
वृद्धियां/समायोजन	-	-	98.66	12.71	12.25	13.05	-	-	136.67	131.70	-	0.17
पूंजीकृत ऋण लागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.04	-	-
कटौतियां/समायोजन	-	-	-	6.66	10.42	1.48	-	2.48	21.04	105.69	-	0.01
31.03.2021 तक अंतिम शेष	**113.77**	**-**	**155.32**	**48.17**	**44.90**	**39.29**	**0.52**	**1.66**	**403.63**	**335.67**	**0.77**	**24.49**
संचित मूल्यहास/परिशोधन												
01.04.2019 तक प्रारंभिक शेष	**-**	**0.31**	**20.38**	**29.42**	**24.86**	**14.88**	**0.38**	**1.71**	**91.94**	**-**	**-**	**17.99**
अवधि के लिए	-	-	1.12	5.63	6.48	2.28	0.03	0.80	16.34	-	-	4.32
बेची गई/बही से बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर पलटाव	-	0.31	-	3.71	2.51	0.54	-	-	7.07	-	-	7.21
31.03.2020 तक अंतिम शेष	**-**	**-**	**21.50**	**31.34**	**28.83**	**16.62**	**0.41**	**2.51**	**101.21**	**-**	**-**	**15.10**
अवधि के लिए	-	-	1.36	6.52	7.35	2.91	0.03	0.72	18.89	-	-	3.01
बेची गई/बही से बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर पलटाव	-	-	-	5.31	6.81	0.40	-	1.70	14.22	-	-	0.01
31.03.2021 तक अंतिम शेष	**-**	**-**	**22.86**	**32.55**	**29.37**	**19.13**	**0.44**	**1.53**	**105.88**	**-**	**-**	**18.10**
निवल वहन राशि												
31.03.2020 तक	113.77	-	35.16	10.78	14.24	11.10	0.11	1.63	186.79	287.62	0.77	9.23
31.03.2021 तक	**113.77**	**-**	**132.46**	**15.62**	**15.53**	**20.16**	**0.08**	**0.13**	**297.75**	**335.67**	**0.77**	**6.39**

*इंड एएस 116 को अपनाने के अनुसरण में, 01.04.2019 से राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

17.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और मूल्यहास टिप्पणी 6.7 (vi) में निहित लेखांकन नीति के अनुरूप है।

17.2 कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, अवशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यहास विधि की समीक्षा करती है और अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उत्तरभावी प्रभाव से लेखांकित किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

श्रेणी	भवन	ईडीपी उपकरण		कार्यालय उपकरण	सेल फोन	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	अमूर्त परिसंपत्ति
		सर्वर और नेटवर्क	अंतिम प्रयोक्ता डिवाइस अर्थात डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि					
उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में)	60	6	3	5	2	10	8	5
मूल लागत के % के रूप में अवशिष्ट मूल्य	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-

17.3 पीएफसी एवं इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के प्रबंधन की राय में, इंड एएस 36 के अनुसरण में कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों पर कोई क्षतिग्रस्तता नहीं है। तदनुसार, इंड एएस 36 'परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता' के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार क्षतिग्रस्तता हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

17.4 पीएफसी लिमिटेड के मामले में प्रतिभूति के रूप में रेहन रखी गई परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
सकल वहन मूल्य	4.12	4.12
निवल वहन मूल्य	3.45	3.49

ऋणों के निमित्त उपर्युक्त परिसंपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखे गए ब्यौरे के लिए टिप्पणी 22.8 और 22.9 देखें।

पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में प्रतिभूति के रूप में रेहन रखी गई परिसंपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
सकल वहन मूल्य	3.30	3.45
निवल वहन मूल्य	2.31	2.41

17.5 पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, 31.03.2021 तक आरईसी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख के पंजीकरण से संबंधित औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	भूमि	भवन	भूमि	भवन
सकल वहन मूल्य	-	4.59	68.31	4.59
निवल वहन मूल्य	-	2.07	68.31	2.14

17.6 यद्यपि पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट ऋण नहीं दिया है, आरईसी लिमिटेड ने इंड एएस 23 'ऋण लागत' के अनुसरण में आरईसी लिमिटेड के लिए ऋण की 8% (पिछले वर्ष 8.04%) औसत दर पर सामान्य ऋण के कारण ऋण की कुछ लागतों को पूंजीकृत किया है। लागू लेखांकन मार्गदर्शन के अनुरूप, आरईसी लिमिटेड ने उस अवधि के लिए ऋण लागत का पूंजीकरण नहीं किया है, जिसके दौरान कोविड-19 द्वारा उत्पन्न व्यवधानों के कारण निर्माण कार्य निलंबित कर दिया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

17.7 अपनी निष्क्रिय परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत शामिल कुछ आवासीय भवन इकाइयों को ₹0.10 करोड़ के वहन मूल्य के साथ बेचने का फैसला किया है, जिसके लिए 31 मार्च, 2021 के बाद निपटान की अगली कार्रवाई की गई है। तद्नुसार, इंड एएस 105 के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार, ऐसी कार्रवाइयों की शुरुआत की तारीख के बाद इन परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित गैर मौजूदा परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। आशा है कि यह प्रक्रिया वर्ष 2021-22 के दौरान ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पूरी हो जाएगी।

18. राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	लीजहोल्ड भूमि का प्रारंभिक शेष	42.07	-
(ii)	परिवर्धन	0.24	45.84
(iii)	घटाएं: निपटान/समायोजन	(1.58)	-
(iv)	घटाएं: मूल्यहास*	(3.56)	(3.77)
	लीजहोल्ड भूमि का अंतिम शेष	**37.17**	**42.07**

*इंड एएस 116 'पट्टा' की आवश्यकता के अनुसार राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों पर मूल्यहास व्यय को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मूल्यहास, परिशोधन और क्षतिग्रस्तता व्यय के अंतर्गत शामिल किया गया है।

19. अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	प्रीपेड व्यय	9.79	3.40
(ii)	आस्थगित कार्मिक लागतें	61.50	62.13
(iii)	पूंजी अग्रिम	158.97	93.75
(iv)	अधिक व्यय - सीएसआर व्यय	43.42	-
(v)	अन्य परिसंपत्तियां	137.75	104.66
	कुल अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	**411.43**	**263.94**

20. बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां*

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(क)	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां**		
(i)	सहयोगी कंपनियों में निवेश (टिप्पणी 20.1 देखें)	0.66	0.23
(ii)	सहयोगी कंपनियों को ऋण (टिप्पणी 20.2 देखें)	32.50	16.70
	कुल (क)	**33.16**	**16.93**
(ख)	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे संबद्ध देयताएं**		
(i)	सहयोगी कंपनियों को देय (टिप्पणी 20.3 देखें)	0.08	0.68
	कुल (ख)	**0.08**	**0.68**
	निपटान ग्रुप - निवल परिसंपत्तियां (क-ख)	**33.08**	**16.25**

*पीएफसी की सहायक कंपनियों - आरईसी लिमिटेड और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से संबंधित है

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

20.1 सहयोगी कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
सहयोगी कंपनियों के इक्विटी लिखतों में निवेश (₹ 10 प्रत्येक के पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर)			
(i)	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
(ii)	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
(iii)	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
(iv)	मंडार ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
(v)	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
(vi)	फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड	0.05	-
(vii)	गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
(viii)	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
(ix)	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज I लिमिटेड	0.05	-
(x)	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज II लिमिटेड	0.05	-
(xi)	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
(xii)	सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
(xiii)	वापी II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	-	0.01
(xiv)	कोप्पल नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.01
(xv)	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.01
(xvi)	सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
(xvii)	खेतड़ी नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
(xviii)	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
(xix)	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
(xx)	बीकानेर-II भिवाडी ट्रांसको लिमिटेड*	-	-
	कुल	**0.66**	**0.23**

*वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ये सहयोगी कंपनियां सफल बोलीदाताओं को बेच दी गई हैं।

20.2 सहयोगी कंपनियों को ऋण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.53	2.49
(ii)	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.47	2.18
(iii)	मंडार ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.21	2.43
(iv)	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.27	2.23
(v)	फतेहगढ़ भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.91	-
(vi)	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.11	-
(vii)	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज II लिमिटेड	1.09	-
(viii)	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज I लिमिटेड	1.07	-
(ix)	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.77	-
(x)	गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.02	-
(xi)	वापी II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	3.71
(xii)	कोप्पल नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.27	1.81
(xiii)	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.08	1.85
(xiv)	सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.38	-
(xv)	खेतड़ी नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.68	-
(xvi)	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.71	-
(xvii)	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.93	-
	कुल	**32.50**	**16.70**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

20.3 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे संबद्ध देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	बीदर कर्नाटक लाइन	-	0.10
(ii)	गडग कर्नाटक पार्ट ए लाइन	-	0.10
(iii)	सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट ए लाइन	-	0.11
(iv)	सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट बी लाइन	-	0.06
(v)	सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट सी लाइन	-	0.16
(vi)	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.03	-
(vii)	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
(viii)	राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन	-	0.15
(ix)	लकाडिया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	-	-
	कुल	**0.08**	**0.68**

20.4 पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के संबंध में, प्रबंधन ने विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन एंटिटियों को बेचने के लिए इन एंटिटियों का निगमन किया था। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि उनकी बिक्री को छोड़कर इन संस्थाओं को प्रबंधन को लाभ होगा, अत: इन सभी निवेशों (संबंधित परिसंपत्तियों एवं देयताओं के साथ) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

21. व्यापार की देय राशियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	व्यापार की देय राशियां		
(i)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कुल बकाया देय	0.01	0.15
(ii)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय	70.42	53.07
	व्यापार की कुल देय राशि	**70.43**	**53.22**

22. ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की आवश्यकताओं के अनुसरण में ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	**बॉण्ड/डिबेंचर**		
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (टिप्पणी 22.1 देखें)	130.63	295.09
	- कर मुक्त बॉण्ड (टिप्पणी 22.2 देखें)	24,878.08	24,878.08
	- 54 ईसी पूंजी अभिलाभ कर छूट बॉण्ड (टिप्पणी 22.3 देखें)	19,829.15	23,894.68
	- करयोग्य बॉण्ड (टिप्पणी 22.4 देखें)	3,59,552.70	3,26,415.29
	- विदेशी मुद्रा नोट्स (टिप्पणी 22.5 देखें)	57,333.68	50,508.56
(ii)	वाणिज्यिक पेपर (टिप्पणी 22.6 देखें)	3,080.23	2,925.00
(iii)	उपर्युक्त पर अर्जित परंतु अदेय ब्याज	15,436.98	13,687.09
(iv)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेनदेन लागत	(1,017.42)	(1,238.08)
(v)	बॉण्ड आवेदन धन (टिप्पणी 22.7 देखें)	856.62	400.19
	कुल ऋण प्रतिभूतियां	**4,80,080.65**	**4,41,765.90**
भूगोलवार ऋण प्रतिभूतियां		4,23,030.17	3,91,726.07
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	4,23,030.17	3,91,726.07
(ii)	भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियां	57,050.48	50,039.83
	कुल भूगोलवार ऋण प्रतिभूतियां	**4,80,080.65**	**4,41,765.90**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

22.1 बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021	31.03.2020	मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
पीएफसी के मामले में							
1	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86 डी श्रृंखला	8.72%	2.40	2.40	30.03.2027	22.8	आबंटन की तारीख से पंद्रह वर्ष बाद पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
2	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86 सी श्रृंखला	8.72%	0.87	0.87	30.03.2027	22.8	आबंटन की तारीख से पंद्रह वर्ष बाद पड़ने वाली किसी तारीख को वार्षिक आधार पर संचयी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय
3	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला III	8.75%	2.86	2.86	21.11.2026	22.8	आबंटन की तारीख से पंद्रह वर्ष बाद पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
4	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला IV	8.75%	7.77	7.77	21.11.2026	22.8	आबंटन की तारीख से पंद्रह वर्ष बाद पड़ने वाली किसी तारीख को वार्षिक आधार पर संचयी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय
5	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला III	8.50%	5.27	5.27	31.03.2026	22.9	आवंटन की तारीख से पंद्रह वर्ष में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
6	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला IV	8.50%	19.33	19.33	30.03.2026	22.9	आवंटन की तारीख से पंद्रह वर्ष में पड़ने वाली किसी तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय
7	इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला I	8.43%	7.39	7.39	30.03.2022	22.8	आवंटन की तारीख से दस वर्ष में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
8	इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला II	8.43%	15.47	15.47	30.03.2022	22.8	वार्षिक रूप से संचयी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आवंटन की तारीख से दस वर्ष में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
9	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला I	8.50%	21.85	21.85	21.11.2021	22.8	आवंटन की तारीख से दस वर्ष में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
10	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला II	8.50%	36.35	36.34	21.11.2021	22.8	आवंटन की तारीख से दस वर्ष में पड़ने वाली किसी तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय।
11	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला।	8.30%	-	49.96	31.03.2021	22.9	आवंटन की तारीख से दस वर्ष में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय।
12	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला II	8.30%	-	109.12	31.03.2021	22.9	आवंटन की तारीख से दस वर्ष में पड़ने वाली किसी तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय।
	उप-जोड़ (क)		**119.56**	**278.63**			
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में							
1	श्रृंखला-II (2011-12) संचयी	9.15%	2.83	2.83	15.02.2027		आवंटन की तारीख से पंद्रह वर्ष में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
2	श्रृंखला-II (2011-12) वार्षिक	9.15%	1.13	1.13	15.02.2027		आवंटन की तारीख से पंद्रह वर्ष में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
3	श्रृंखला-II (2011-12) संचयी	8.95%	5.73	5.73	15.02.2022		आबंटन की तारीख से दस वर्ष में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
4	श्रृंखला-II (2011-12) वार्षिक	8.95%	1.38	1.38	15.02.2022		आबंटन की तारीख से दस वर्ष में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021	31.03.2020	मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
5	श्रृंखला-I (2010-11)	8.10%	-	1.61	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान चुकाया गया		आवंटन की तारीख से दस वर्ष में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
6	श्रृंखला-I (2010-11)	8.20%	-	3.78			
	उप-जोड़ (ख)		**11.07**	**16.46**			
	कुल (क + ख)		**130.63**	**295.09**			

22.2 बकाया कर मुक्त बॉण्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
पीएफसी के मामले में							
1	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) - श्रृंखला 3-ए	7.35%	213.57	213.57	17.10.2035	22.10	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) - श्रृंखला 3-बी	7.60%	155.48	155.48	17.10.2035		
3	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 3-ए	8.67%	1,067.38	1,067.38	16.11.2033		
4	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 3-बी	8.92%	861.96	861.96	16.11.2033		
5	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) - श्रृंखला 2-ए	7.27%	131.33	131.33	17.10.2030		
6	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) - श्रृंखला 2-बी	7.52%	45.18	45.18	17.10.2030		
7	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 2-ए	8.54%	932.70	932.70	16.11.2028		
8	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 2-बी	8.79%	353.32	353.32	16.11.2028		
9	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107-बी	8.46%	1,011.10	1,011.10	30.08.2028		
10	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	7.04%	10.25	10.25	28.03.2028		
11	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	7.54%	58.96	58.96	28.03.2028		
12	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच-I श्रृंखला 2	7.36%	162.72	162.72	04.01.2028	22.8	
13	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच-I श्रृंखला 2	7.86%	194.28	194.28	04.01.2028		
14	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95बी	7.38%	100.00	100.00	29.11.2027		
15	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94बी	7.38%	25.00	25.00	22.11.2027		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का विवरण
			31.03.2021	31.03.2020			
16	कर मुक्त बॉण्ड (2011-12) पब्लिक इश्यू	8.30%	1,280.58	1,280.58	01.02.2027	22.10	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
17	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80-बी	8.16%	209.34	209.34	25.11.2026		
18	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79-बी	7.75%	217.99	217.99	15.10.2026		
19	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला (2015-16) श्रृंखला 1ए	7.11%	75.09	75.09	17.10.2025		
20	कर मुक्त बॉण्ड (2015-16) - श्रृंखला 1बी	7.36%	79.35	79.35	17.10.2025		
21	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 136	7.16%	300.00	300.00	17.07.2025		
22	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 1ए	8.18%	325.07	325.07	16.11.2023		
23	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 1बी	8.43%	335.47	335.47	16.11.2023		
24	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107ए	8.01%	113.00	113.00	30.08.2023		
25	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	6.88%	52.90	52.90	28.03.2023		
26	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच II	7.38%	43.25	43.25	28.03.2023		
27	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच I श्रृंखला 1	7.19%	197.09	197.09	04.01.2023	22.8	
28	कर मुक्त बॉण्ड (2012-13) ट्रांच I श्रृंखला 1	7.69%	145.66	145.66	04.01.2023		
29	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95ए	7.22%	30.00	30.00	29.11.2022		
30	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94ए	7.21%	255.00	255.00	22.11.2022		
31	कर मुक्त बॉण्ड (2011-12) पब्लिक इश्यू	8.20%	2,752.55	2,752.55	01.02.2022		
32	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80ए	8.09%	334.31	334.31	25.11.2021		
33	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79ए	7.51%	205.23	205.23	15.10.2021		
	उप-जोड़ (क)		**12,275.11**	**12,275.11**			

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021	31.03.2020	मोचन का ब्यौरा
	पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में				
1	श्रृंखला 2015-16 ट्रांच-1	6.89% से 7.43%	696.56	696.56	सममूल्य पर मोचनीय। ₹105.93 करोड़ की राशि के बॉण्ड 05.11.2025 को मोचनीय हैं, ₹172.90 करोड़ की राशि के बॉण्ड 05.11.2030 को मोचनीय हैं और ₹417.73 करोड़ की राशि के बॉण्ड 05.11.2035 को मोचनीय हैं, जिसमें वार्षिक ब्याज दरें 6.89% से 7.43% तक देय हैं।
2	श्रृंखला 2015-16 श्रृंखला 5ए	7.17%	300.00	300.00	7.17% सममूल्य पर 23.07.2025 को मोचनीय
3	श्रृंखला 2013-14 ट्रांच-2	8.19% से 8.88%	1,057.40	1,057.40	सममूल्य पर मोचनीय। ₹419.32 करोड़ की राशि के बॉण्ड 22.03.2024 को मोचनीय हैं, ₹528.42 करोड़ की राशि के बॉण्ड 23.03.2029 को मोचनीय हैं और ₹109.66 करोड़ की राशि के बॉण्ड 24.03.2034 को मोचनीय हैं, जिसमें वार्षिक ब्याज दरें 8.19% से 8.88% तक देय हैं।
4	श्रृंखला 2013-14 ट्रांच-1	8.01% से 8.71%	3,410.60	3,410.60	सममूल्य पर मोचनीय। ₹575.06 करोड़ की राशि के बॉण्ड 25.09.2023 को मोचनीय हैं, ₹2,780.26 करोड़ की राशि के बॉण्ड 25.09.2028 को मोचनीय हैं और ₹55.28 करोड़ की राशि के बॉण्ड 26.09.2033 को मोचनीय हैं, जिसमें वार्षिक ब्याज दरें 8.01% से 8.71% तक देय हैं।
5	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4ए और 4बी	8.18% से 8.54%	150.00	150.00	सममूल्य पर मोचनीय। ₹105.00 करोड़ की राशि के बॉण्ड 11.10.2023 को मोचनीय हैं और ₹45.00 करोड़ की राशि के बॉण्ड 11.10.2028 को मोचनीय हैं, जिसमें वार्षिक ब्याज दरें 8.18% से 8.54% तक देय हैं।
6	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3ए और 3बी	8.01% से 8.46%	1,350.00	1,350.00	सममूल्य पर मोचनीय। ₹209.00 करोड़ की राशि के बॉण्ड 29.08.2023 को मोचनीय हैं और ₹1,141.00 करोड़ की राशि के बॉण्ड 29.08.2028 को मोचनीय हैं, जिसमें वार्षिक ब्याज दरें 8.01% से 8.46% तक देय हैं।
7	श्रृंखला 2012-13 ट्रांच-2	6.88% से 7.54%	131.06	131.06	सममूल्य पर मोचनीय। ₹81.35 करोड़ की राशि के बॉण्ड 27.03.2023 को मोचनीय हैं और ₹49.71 करोड़ की राशि के बॉण्ड 27.03.2028 को मोचनीय हैं, जिसमें वार्षिक ब्याज दरें 6.88% से 7.54% तक देय हैं।
8	श्रृंखला 2012-13 ट्रांच-1	7.22% से 7.88%	2,007.35	2,007.35	सममूल्य पर मोचनीय। ₹1,165.31 करोड़ की राशि के बॉण्ड 19.12.2022 को मोचनीय हैं और ₹842.04 करोड़ की राशि के बॉण्ड 20.12.2027 को मोचनीय हैं, जिसमें वार्षिक ब्याज दरें 7.22% से 7.88% तक देय हैं।
9	श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2ए और 2बी	7.21% से 7.38%	500.00	500.00	सममूल्य पर मोचनीय। ₹255.00 करोड़ की राशि के बॉण्ड 21.11.2022 को मोचनीय हैं और ₹245.00 करोड़ की राशि के बॉण्ड 22.11.2027 को मोचनीय हैं, जिसमें वार्षिक ब्याज दरें 7.21% से 7.38% तक देय हैं।
10	श्रृंखला 2011-12	7.93% से 8.32%	3,000.00	3,000.00	सममूल्य पर मोचनीय। ₹839.67 करोड़ की राशि के बॉण्ड 28.03.2022 को मोचनीय हैं और ₹2,160.33 करोड़ की राशि के बॉण्ड 29.03.2027 को मोचनीय हैं, जिसमें वार्षिक ब्याज दरें 7.93% से 8.32% तक देय हैं।
	उप-जोड़ (ख)		**12,602.97**	**12,602.97**	
	कुल (क + ख)		**24,878.08**	**24,878.08**	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

22.3 बकाया 54 ईसी पूंजी अभिलाभ कर छूट बॉण्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का ब्यौरा
पीएफसी के मामले में						
1	श्रृंखला IV (वित्तीय वर्ष 2020-21)	5.00%	597.93	-	22.10	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
2	श्रृंखला IV (वित्तीय वर्ष 2020-21)	5.75%	339.86	-		वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
3	श्रृंखला III (वित्तीय वर्ष 2019-20)	5.75%	1,134.44	1,134.44		वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
4	श्रृंखला II (वित्तीय वर्ष 2018-19)	5.75%	491.95	491.95		वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
5	श्रृंखला I (वित्तीय वर्ष 2017-18)	5.25%	-	292.15		वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान चुकाया गया
	उप-जोड़ (क)		**2,564.18**	**1,918.54**		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में						
1	श्रृंखला XIV (वित्तीय वर्ष 2020-21)	5.75% और 5%	4,455.48	-	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
2	श्रृंखला XIII (वित्तीय वर्ष 2019-20)	5.75%	6,157.72	5,759.14	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
3	श्रृंखला XII (वित्तीय वर्ष 2018-19)	5.75%	6,651.77	6,651.77	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
4	श्रृंखला XI (वित्तीय वर्ष 2017-18)	5.25%	-	9,565.23	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
	उप-जोड़ (ख)		**17,264.97**	**21,976.14**		
	कुल (क + ख)		**19,829.15**	**23,894.68**		

22.4 बकाया करयोग्य बॉण्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021	31.03.2020	मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का ब्यौरा
पीएफसी के मामले में							
1	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VI श्रेणी I-II	6.78%	3.50	-	22.01.2036	22.10	
2	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VI श्रेणी III-IV	6.97%	53.36	-	22.01.2036		
3	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VII श्रेणी I-II	6.95%	50.05	-	22.01.2036		
4	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला VII श्रेणी III-IV	7.15%	1,330.05	-	22.01.2036		
5	श्रृंखला 209	7.34%	1,711.00	-	29.09.2035		
6	श्रृंखला 205बी	7.20%	1,605.70	-	10.08.2035		
7	श्रृंखला 190	8.25%	4,016.00	4,016.00	06.09.2034		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021	31.03.2020	मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का ब्यौरा
8	श्रृंखला 189	8.15%	4,035.00	4,035.00	08.08.2034	22.10	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
9	श्रृंखला 186	8.79%	2,578.90	2,578.90	30.04.2034		
10	श्रृंखला 180	8.75%	2,654.00	2,654.00	22.02.2034		
11	श्रृंखला 179-बी	8.64%	528.40	528.40	19.11.2033		
12	श्रृंखला 204बी	6.88%	1,300.00	-	11.04.2031		
13	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला III श्रेणी I-II	6.63%	0.50	-	22.01.2031		
14	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला III श्रेणी III-IV	6.82%	28.74	-	22.01.2031		
15	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला IV श्रेणी I-II	6.80%	33.67	-	22.01.2031		
16	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला IV श्रेणी III-IV	7.00%	1,635.53	-	22.01.2031		
17	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला (10 वर्षीय जीसेक V श्रेणी I-II लिंक)	6.58%	10.35	-	22.01.2031		
18	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I (10 वर्षीय जीसेक V श्रेणी III-IV लिंक)	6.83%	1,250.73	-	22.01.2031		
19	श्रृंखला 207	7.04%	1,097.40	-	16.12.2030		
20	श्रृंखला 207आर1	7.04%	2,549.10	-	16.12.2030		
21	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	15.12.2030		
22	श्रृंखला 205ए	7.05%	1,610.10	-	09.08.2030		
23	श्रृंखला 202सी	7.79%	1,936.00	-	22.07.2030		
24	श्रृंखला 201	7.68%	3,101.30	-	15.07.2030		
25	श्रृंखला 66-सी	8.85%	633.00	633.00	15.06.2030		
26	श्रृंखला 203बी	7.75%	3,318.00	-	11.06.2030		
27	श्रृंखला 197	7.41%	5,000.00	5,000.00	15.05.2030		
28	श्रृंखला 200	7.40%	2,920.00	-	08.05.2030		
29	श्रृंखला 195	7.86%	1,100.00	1,100.00	12.04.2030		
30	श्रृंखला 196	7.41%	2,500.00	2,500.00	25.02.2030		
31	श्रृंखला 196आर1	7.41%	1,500.00	-	25.02.2030		
32	श्रृंखला 193	7.93%	4,710.50	4,710.50	31.12.2029		
33	श्रृंखला 118 ऑप्शन बी III	9.39%	460.00	460.00	27.08.2029		
34	श्रृंखला 187 ए	8.85%	1,982.10	1,982.10	27.05.2029		
35	श्रृंखला 179-ए	8.67%	1,007.40	1,007.40	19.11.2028		
36	श्रृंखला 178	8.95%	3,000.00	3,000.00	10.10.2028		
37	श्रृंखला 177	7.85%	3,855.00	3,855.00	03.04.2028		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021	31.03.2020	मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का ब्यौरा
38	श्रृंखला 103	8.94%	2,807.00	2,807.00	25.03.2028		
39	श्रृंखला 102 ए (III)	8.90%	403.00	403.00	18.03.2028		
40	श्रृंखला 101 बी	9.00%	1,370.00	1,370.00	11.03.2028		
41	श्रृंखला 172	7.74%	850.00	850.00	29.01.2028		
42	श्रृंखला 171	7.62%	5,000.00	5,000.00	15.12.2027		
43	श्रृंखला 170-बी	7.65%	2,001.00	2,001.00	22.11.2027		
44	श्रृंखला 169-बी	7.30%	1,500.00	1,500.00	07.08.2027		
45	श्रृंखला 168-बी	7.44%	1,540.00	1,540.00	12.06.2027		
46	श्रृंखला 155	7.23%	2,635.00	2,635.00	05.01.2027		
47	श्रृंखला 152	7.55%	4,000.00	4,000.00	25.09.2026		
48	श्रृंखला 151-बी	7.56%	210.00	210.00	16.09.2026		
49	श्रृंखला - 77-बी	9.45%	2,568.00	2,568.00	01.09.2026		
50	श्रृंखला 150-बी	7.63%	1,675.00	1,675.00	14.08.2026		
51	श्रृंखला - 76-बी	9.46%	1,105.00	1,105.00	01.08.2026		
52	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला II श्रेणी I-II	5.65%	27.05	-	22.01.2026	22.10	
53	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला II श्रेणी III-IV	5.80%	3.50	-	22.01.2026		
54	श्रृंखला 202बी	7.17%	810.00	-	22.05.2025		
55	श्रृंखला 147	8.03%	1,000.00	1,000.00	02.05.2026		परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
56	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	15.12.2025		
57	श्रृंखला 141-बी	8.40%	1,000.00	1,000.00	18.09.2025		
58	श्रृंखला 208	6.50%	2,806.00	-	17.09.2025		
59	श्रृंखला 66-बी	8.75%	1,532.00	1,532.00	15.06.2025		
60	श्रृंखला 65 III	8.70%	1,337.50	1,337.50	14.05.2025		
61	श्रृंखला 199बी	7.16%	1,320.00	-	24.04.2025		
62	श्रृंखला 130-सी	8.39%	925.00	925.00	19.04.2025		
63	श्रृंखला 204ए	5.77%	900.00	-	11.04.2025		
64	श्रृंखला 64	8.95%	492.00	492.00	31.03.2025		
65	श्रृंखला 131-सी	8.41%	5,000.00	5,000.00	27.03.2025		
66	श्रृंखला 63-III	8.90%	184.00	184.00	15.03.2025		
67	श्रृंखला 128	8.20%	1,600.00	1,600.00	10.03.2025		
68	श्रृंखला 62-बी	8.80%	1,172.60	1,172.60	15.01.2025		
69	श्रृंखला 126	8.65%	5,000.00	5,000.00	04.01.2025		
70	श्रृंखला 125	8.65%	2,826.00	2,826.00	28.12.2024		
71	श्रृंखला 61	8.50%	351.00	351.00	15.12.2024		
72	श्रृंखला 124 सी	8.48%	1,000.00	1,000.00	09.12.2024		
73	श्रृंखला 192	7.42%	3,000.00	3,000.00	19.11.2024		
74	श्रृंखला 120 ऑप्शन ए	8.98%	961.00	961.00	08.10.2024		
75	श्रृंखला ऑप्शन 120 बी	8.98%	950.00	950.00	08.10.2024		
76	श्रृंखला 118 ऑप्शन बी II	9.39%	460.00	460.00	27.08.2024		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का ब्यौरा
			31.03.2021	31.03.2020			
77	श्रृंखला 117 ऑप्शन बी	9.37%	855.00	855.00	19.08.2024		
78	श्रृंखला 57-सी	8.60%	866.50	866.50	07.08.2024		
79	प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच I श्रृंखला I श्रेणी III-IV	4.80%	1.95	-	22.01.2024		
80	श्रृंखला 206	5.47%	3,000.00	-	19.08.2023		
81	श्रृंखला 203ए	6.72%	2,206.00	-	11.06.2023		
82	श्रृंखला 188	8.10%	691.10	691.10	04.06.2024		
83	श्रृंखला 202बी	6.75%	2,145.00	-	22.05.2023		
84	श्रृंखला 198	6.98%	3,160.00	-	20.04.2023		
85	श्रृंखला 199ए	6.83%	1,970.00	-	24.04.2023		
86	श्रृंखला 85 डी	9.26%	736.00	736.00	15.04.2023		
87	श्रृंखला 194	7.04%	1,400.00	1,400.00	14.04.2023		
88	श्रृंखला 102 ए (II)	8.90%	403.00	403.00	18.03.2023		
89	श्रृंखला 100 बी	8.84%	1,310.00	1,310.00	04.03.2023		
90	जीरो कूपन अप्रतिभूत करयोग्य बॉण्ड 2022-XIX श्रृंखला	-	654.92	605.94	30.12.2022		
91	श्रृंखला 176-बी	7.99%	1,295.00	1,295.00	20.12.2022		
92	श्रृंखला 170-ए	7.35%	800.00	800.00	22.11.2022		
93	श्रृंखला 191	7.35%	3,735.00	3,735.00	15.10.2022		
94	श्रृंखला 92 सी	9.29%	-	640.00	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान चुकाया गया	22.10	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
95	श्रृंखला 181	8.45%	2,155.00	2,155.00	11.08.2022		
96	श्रृंखला 169-ए	7.10%	3,395.00	3,395.00	08.08.2022		
97	श्रृंखला 168-ए	7.28%	1,950.00	1,950.00	12.06.2022		
98	श्रृंखला 187 ए	8.20%	1,605.00	1,605.00	27.05.2022		
99	श्रृंखला 88 सी	9.48%	184.70	184.70	15.04.2022		
100	श्रृंखला 183	8.18%	3,751.20	3,751.20	19.03.2022		
101	श्रृंखला 154	7.27%	1,101.00	1,101.00	22.12.2021		
102	श्रृंखला 124 बी	8.55%	1,200.00	1,200.00	09.12.2021		
103	श्रृंखला 123 सी	8.66%	200.00	200.00	27.11.2021		
104	श्रृंखला 153	7.40%	1,830.00	1,830.00	30.09.2021		
105	श्रृंखला 151-ए	7.47%	2,260.00	2,260.00	16.09.2021		
106	श्रृंखला 150-ए	7.50%	2,660.00	2,660.00	16.08.2021		
107	श्रृंखला - 76-ए	9.36%	2,589.40	2,589.40	01.08.2021		
108	श्रृंखला 115 III	9.20%	700.00	700.00	07.07.2021		
109	श्रृंखला 75-सी	9.61%	2,084.70	2,084.70	29.06.2021		
110	श्रृंखला 74	9.70%	1,693.20	1,693.20	09.06.2021		
111	श्रृंखला 28	8.85%	600.00	600.00	31.05.2021		
112	श्रृंखला 146	8.05%	300.00	300.00	27.04.2021		
113	श्रृंखला 73	9.18%	1,000.00	1,000.00	15.04.2021		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021	31.03.2020	मोचन की तारीख	प्रतिभूति के लिए, टिप्पणी देखें	मोचन का ब्यौरा
114	श्रृंखला 175	7.75%	600.00	600.00	15.04.2021		
115	श्रृंखला 173-बी	7.73%	1,325.00	1,325.00	05.04.2021		
116	श्रृंखला 173-ए	7.73%	-	505.00			
117	श्रृंखला 112-सी	9.70%	-	270.00			
118	श्रृंखला 72-बी	8.99%	-	1,219.00			
119	श्रृंखला 71	9.05%	-	192.70	वित्तीय वर्ष 2020-21 में चुकाया गया		
120	श्रृंखला 70	8.78%	-	1,549.00			
121	श्रृंखला 141-ए	8.46%	-	1,000.00			
122	श्रृंखला 163	7.50%	-	2,435.00			
123	श्रृंखला 182	8.20%	-	3,500.00			
124	श्रृंखला 140-बी	8.36%	-	1,250.00			
125	श्रृंखला 138	8.45%	-	1,000.00			
126	श्रृंखला 137	8.53%	-	2,700.00			परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
127	श्रृंखला 68-बी	8.70%	-	1,424.00			
128	श्रृंखला 167	7.30%	-	1,560.00			
129	श्रृंखला 165	7.42%	-	3,605.00			
130	श्रृंखला 66-ए	8.65%	-	500.00			
131	श्रृंखला 166	7.46%	-	1,180.00	वित्तीय वर्ष 2020-21 में चुकाया गया		
132	श्रृंखला 149	8.04%	-	100.00			
133	श्रृंखला 159	7.05%	-	2,551.00			
134	श्रृंखला 65-II	8.70%	-	1,337.50			
135	श्रृंखला 131-बी	8.38%	-	1,350.00			
136	श्रृंखला 130-बी	8.42%	-	200.00			
137	श्रृंखला 85 सी	9.30%	-	79.50			
138	श्रृंखला 157	6.83%	-	2,000.00			
	उप-जोड़ (क)		**1,86,226.10**	**1,72,930.24**			

22.4.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, पीएफसी ने ₹1,000 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर ट्रांच-1 के अंतर्गत प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) की 44,289,857 संख्या के पब्लिक इश्यू के माध्यम से ₹4,428.99 करोड़ की राशि जुटाई है। ये बॉण्ड बीएसई पर सूचीबद्ध हैं। एनसीडी के उक्त पब्लिक इश्यू के लिए डिबेंचर ट्रस्टी बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड है।

पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021	31.03.2020	मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
1	श्रृंखला 208	7.40%	3,613.80	-	15.03.2036	
2	श्रृंखला 207	7.02%	4,589.90	-	31.01.2036	
3	श्रृंखला 183	8.29%	3,028.00	3,028.00	16.09.2034	
4	श्रृंखला 182	8.18%	5,063.00	5,063.00	22.08.2034	
5	श्रृंखला 201बी	6.90%	1,300.00	-	31.03.2031	
6	श्रृंखला 204ए	6.90%	2,500.00	-	31.01.2031	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
7	श्रृंखला 203ए	6.80%	5,000.00	-	20.12.2030	
8	श्रृंखला 202ए	7.25%	3,500.00	-	30.09.2030	
9	श्रृंखला 198बी	7.79%	1,569.00	-	21.05.2030	
10	श्रृंखला 197	7.55%	3,740.00	-	11.05.2030	
11	श्रृंखला 189	7.92%	3,054.90	3,054.90	31.03.2030	
12	श्रृंखला 188	7.89%	1,100.00	1,100.00	31.03.2030	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021	31.03.2020	मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
13	श्रृंखला 192	7.50%	2,382.00	2,382.00	28.02.2030	
14	श्रृंखला 184 ए	8.25%	580.40	290.20	26.09.2029	
15	श्रृंखला 180 बी	8.30%	2,070.90	2,070.90	25.06.2029	
16	श्रृंखला 178	8.80%	1,097.00	1,097.00	14.05.2029	
17	श्रृंखला 176	8.85%	1,600.70	1,600.70	16.04.2029	
18	श्रृंखला 169	8.37%	2,554.00	2,554.00	07.12.2028	
19	श्रृंखला 168	8.56%	2,552.40	2,552.40	29.11.2028	
20	श्रृंखला 163	8.63%	2,500.00	2,500.00	25.08.2028	
21	श्रृंखला 162	8.55%	2,500.00	2,500.00	09.08.2028	
22	श्रृंखला 156	7.70%	3,533.00	3,533.00	10.12.2027	
23	श्रृंखला 147	7.95%	2,745.00	2,745.00	12.03.2027	
24	श्रृंखला 142	7.54%	3,000.00	3,000.00	30.12.2026	
25	श्रृंखला 205बी	5.94%	2,100.00	-	31.01.2026	
26	श्रृंखला 204बी	5.81%	2,000.00	-	31.12.2025	
27	श्रृंखला 203बी	5.85%	2,082.00	-	20.12.2025	
28	श्रृंखला 140	7.52%	2,777.00	2,100.00	07.11.2026	
29	श्रृंखला 136	8.11%	2,585.00	2,585.00	07.10.2025	
30	श्रृंखला 95-II	8.75%	1,800.00	1,800.00	14.07.2025	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
31	श्रृंखला 94	8.75%	1,250.00	1,250.00	09.06.2025	
32	श्रृंखला 133	8.30%	2,396.00	2,396.00	10.04.2025	
33	श्रृंखला 201ए	5.90%	900.00	-	31.03.2025	
34	श्रृंखला 190ए	6.88%	2,500.00	2,500.00	20.03.2025	
35	श्रृंखला 131	8.35%	2,285.00	2,285.00	21.02.2025	
36	श्रृंखला 130	8.27%	2,325.00	2,325.00	06.02.2025	
37	श्रृंखला 129	8.23%	1,925.00	1,925.00	23.01.2025	
38	श्रृंखला 128	8.57%	2,250.00	2,250.00	21.12.2024	
39	श्रृंखला 186 बी	7.40%	1,500.00	1,500.00	26.11.2024	
40	श्रृंखला 191 बी	6.99%	1,100.00	1,100.00	30.09.2024	
41	श्रृंखला 123 III बी	9.34%	1,955.00	1,955.00	23.08.2024	
42	श्रृंखला 180 ए	8.10%	1,018.00	1,018.00	25.06.2024	
43	श्रृंखला 209	5.79%	1,550.00	-	20.03.2024	
44	श्रृंखला 205-ए	4.99%	2,135.00	-	31.01.2024	
45	श्रृंखला 202 बी	5.69%	2,474.00	-	30.09.2023	
46	श्रृंखला 184 बी एसटीआरपी-डी**	7.55%	298.00	298.00	26.09.2023	
47	श्रृंखला 200 पीपी-एमएलडी*	5.36%	500.00	-	30.06.2023	
48	श्रृंखला 191 ए	6.80%	1,100.00	1,100.00	30.06.2023	
49	श्रृंखला 195	6.92%	2,985.00	-	22.04.2023	
50	श्रृंखला 114	8.82%	4,300.00	4,300.00	12.04.2023	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021	31.03.2020	मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
51	श्रृंखला 188 ए	7.12%	1,400.00	1,400.00	31.03.2023	
52	श्रृंखला 159	7.99%	950.00	950.00	23.02.2023	
53	श्रृंखला 187	7.24%	2,090.00	2,090.00	31.12.2022	
54	श्रृंखला 185	7.09%	2,759.00	2,759.00	13.12.2022	
55	श्रृंखला 155	7.45%	1,912.00	1,912.00	30.11.2022	
56	श्रृंखला 111-II	9.02%	2,211.20	2,211.20	19.11.2022	
57	श्रृंखला 152	7.09%	1,225.00	1,225.00	17.10.2022	
58	श्रृंखला 184 बी एसटीआरपी-सी	7.55%	300.00	300.00	26.09.2022	
59	श्रृंखला 150	7.03%	2,670.00	2,670.00	07.09.2022	
60	श्रृंखला 186 ए	6.90%	2,500.00	2,500.00	30.06.2022	
61	श्रृंखला 107	9.35%	2,378.20	2,378.20	15.06.2022	
62	श्रृंखला 179	8.15%	1,000.00	1,000.00	10.06.2022	
63	श्रृंखला 167	8.45%	2,571.80	2,571.80	22.03.2022	
64	श्रृंखला 198 ए	6.60%	2,596.00	-	21.03.2022	
65	श्रृंखला 173	8.35%	2,500.00	2,500.00	11.03.2022	
66	श्रृंखला 132	8.27%	700.00	700.00	09.03.2022	
67	श्रृंखला 145	7.46%	625.00	625.00	28.02.2022	
68	श्रृंखला 165	8.83%	2,171.00	2,171.00	21.01.2022	
69	श्रृंखला 193	6.99%	1,115.00	1,115.00	31.12.2021	
70	श्रृंखला 190 बी	6.32%	2,489.40	2,489.40	31.12.2021	
71	श्रृंखला 177	8.50%	1,245.00	1,245.00	20.12.2021	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
72	श्रृंखला 141	7.14%	1,020.00	1,020.00	09.12.2021	
73	श्रृंखला 127	8.44%	1,550.00	1,550.00	04.12.2021	
74	श्रृंखला 105	9.75%	3,922.20	3,922.20	11.11.2021	
75	श्रृंखला 139	7.24%	2,500.00	2,500.00	21.10.2021	
76	श्रृंखला 184 बी एसटीआरपी-बी	7.55%	300.00	300.00	26.09.2021	
77	श्रृंखला 101-III	9.48%	3,171.80	3,171.80	10.08.2021	
78	श्रृंखला 123 I	9.40%	1,515.00	1,515.00	17.07.2021	
79	श्रृंखला 100	9.63%	1,500.00	1,500.00	15.07.2021	
80	श्रृंखला 174	8.15%	2,720.00	2,720.00	18.06.2021	
81	श्रृंखला 161-बी	7.73%	800.00	800.00	15.06.2021	
82	श्रृंखला 154	7.18%	600.00	600.00	21.05.2021	
83	श्रृंखला 157	7.60%	1,055.00	1,055.00	17.04.2021	
84	श्रृंखला 158	7.70%	-	2,465.00	15.03.2021	
85	श्रृंखला 98	9.18%	-	3,000.00	15.03.2021	
86	जेडसीबी श्रृंखला II	-	-	250.29	03.02.2021	
87	श्रृंखला 153	6.99%	-	2,850.00	31.12.2020	
88	जेडसीबी श्रृंखला I	-	-	1,114.56	15.12.2020	
89	श्रृंखला 97	8.80%	-	2,120.50	वित्तीय वर्ष 2020-21 में चुकाया गया	
90	श्रृंखला 96	8.80%	-	1,150.00		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021	31.03.2020	मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
91	श्रृंखला 184 बी एसटीआरपी-ए	7.55%	-	300.00	वित्तीय वर्ष 2020-21 में चुकाया गया	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
92	श्रृंखला 149	6.87%	-	2,485.00		
93	श्रृंखला 135	8.36%	-	2,750.00		
94	श्रृंखला 144	7.13%	-	835.00		
95	श्रृंखला 172	8.57%	-	1,790.00		
96	श्रृंखला 134	8.37%	-	2,675.00		
97	श्रृंखला 143	6.83%	-	1,275.00		
98	श्रृंखला 148	7.42%	-	1,200.00		
	उप-जोड़ (ख)		**1,73.326.60**	**1,53.485.05**		
	कुल (क + ख)		**3,59.552.70**	**3,26.415.29**		

*पीपी-एमएलडी - मूलधन संरक्षित बाजार संबद्ध डिबेंचर
**एसटीआरपीपी - अलग से हस्तांतरणीय मोचनीय मूलधन भाग

22.5 बकाया विदेशी मुद्रा नोट्स का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021	31.03.2020	मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
पीएफसी के मामले में						
1	3.35% यूएसडी बॉण्ड 2031	3.35%	3,675.23	-	16.05.2031	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	3.95% यूएसडी बॉण्ड 2030	3.95%	5,512.85	5,653.94	23.04.2030	
3	3.90% यूएसडी बॉण्ड 2029	3.90%	3,307.71	3,392.36	16.09.2029	
4	4.50% यूएसडी बॉण्ड 2029	4.50%	4,410.28	4,523.15	18.06.2029	
5	6.15% यूएसडी बॉण्ड 2028	6.15%	3,675.24	3,769.29	06.12.2028	
6	5.25% यूएसडी बॉण्ड 2028	5.25%	2,205.14	2,261.58	10.08.2028	
7	3.75% यूएसडी ग्रीन बॉण्ड 2027	3.75%	2,940.19	3,015.44	06.12.2027	
8	3.25% यूएसडी बॉण्ड 2024	3.25%	2,205.14	2,261.58	16.09.2024	
9	3.75% यूएसडी बॉण्ड 2024	3.75%	2,940.19	3,015.44	18.06.2024	
	उप-जोड़ (क)		**30,871.97**	**27,892.78**		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में						
1	4.625% अमरीकी डॉलर 300 मिलियन बॉण्ड	4.625%	2,205.14	2,261.58	22.03.2028	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	3.875% अमरीकी डॉलर 450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड	3.875%	3,307.71	3,392.37	07.07.2027	
3	2.25% अमरीकी डॉलर 500 मिलियन बॉण्ड	2.250%	3,675.24	-	01.09.2026	
4	3.50% अमरीकी डॉलर 500 मिलियन बॉण्ड	3.500%	3,675.24	3,769.30	12.12.2024	
5	3.375% अमरीकी डॉलर 650 मिलियन बॉण्ड	3.375%	4,777.81	4,900.08	25.07.2024	
6	5.250% अमरीकी डॉलर 700 मिलियन बॉण्ड	5.250%	5,145.33	5,277.01	13.11.2023	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
			31.03.2021	31.03.2020		
7	4.75% अमरीकी डॉलर 500 मिलियन बॉण्ड	4.750%	3,675.24	-	19.05.2023	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
8	3.068% अमरीकी डॉलर 400 मिलियन बॉण्ड	3.068%	-	3,015.44	वित्तीय वर्ष 2020-21 में चुकाया गया	
	उप-जोड़ (ख)		**26,461.71**	**22,615.78**		
	कुल (क + ख)		**57,333.68**	**50,508.56**		

22.6 बकाया कमर्शियल पेपर का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कमर्शियल पेपर श्रृंखला	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
			31.03.2021	31.03.2020		
	पीएफसी के मामले में					
1	सीपी - 115	4.03%	3,120.00	-	30.07.2021	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
	घटाएं: अपरिशोधित वित्तीय प्रभार		39.77	-		
	उप-जोड़ (क)		**3,080.23**	**-**		
	पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में					
1	63वीं श्रृंखला	7.90%		675.00	वित्तीय वर्ष 2020-21 में चुकाया गया	
2	64वीं श्रृंखला	5.48%		2,250.00		
	उप-जोड़ (ख)		**-**	**2,925.00**		
	कुल (क + ख)		**3,080.23**	**2,925.00**		

22.7 बकाया बॉण्ड एप्लीकेशन धन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	कूपन दर (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन का ब्यौरा
			31.03.2021	31.03.2020	
	पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में				
1	54 ईसी पूंजी अभिलाभ कर छूट बॉण्ड	5.00%	856.62	400.19	आवंटन की मानित तारीख से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर मोचनीय
	कुल		**856.62**	**400.19**	

पीएफसी के मामले में प्रतिभूतियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

22.8 इन बॉण्ड श्रृंखला को गिंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ वर्तमान और भविष्य की प्राप्य राशियों (उन प्राप्य राशियों को छोड़कर जो विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों के लिए प्रभारित की गई हैं, जिसका प्रतिभूति विवरण टिप्पणी 22.9 में निहित है) पर प्रथम समभाव प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

22.9 इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) श्रृंखला I, II, III और IV को जंगपुरा, नई दिल्ली में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ 31.03.2021 तक कंपनी के ₹710.26 करोड़ के विशिष्ट बही ऋण पर प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

22.10 54 ईसी पूंजी अभिलाभ कर छूट बॉण्ड, करयोग्य प्रतिभूत पब्लिक इश्यू (2020-21) ट्रांच-I सभी श्रृंखला एवं सभी श्रेणी, और अन्य सभी कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला को कंपनी की कुल प्राप्य राशियों/बही ऋणों (उन प्राप्य राशियों को छोड़कर जो वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों के लिए विशेष रूप से प्रभारित की जाती हैं, जिसका प्रतिभूति विवरण टिप्पणी 22.9 में निहित है), पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है जो ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय और अन्य सभी धन जो लेनदेन दस्तावेजों के अंतर्गत/ के अनुसार कंपनी द्वारा बॉण्डधारकों और/या अन्य को देय/ चुकाने योग्य हैं, सहित बॉण्डों के भुगतान/ पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में प्रतिभूतियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

22.11 आरईसी लिमिटेड द्वारा जारी किए गए तथा तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार बकाया सभी प्रतिभूत बॉण्डों के लिए कुछ अचल परिसंपत्तियों पर रेहन और/या आरईसी लिमिटेड की प्राप्य राशियों पर प्रभार के रूप में 100% सुरक्षा कवर अनुरक्षित किया गया है।

22.12 संस्थानिक बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 123-I और 123-IIIबी को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लिमिटेड के पक्ष में निर्गमकर्ता की निर्दिष्ट अचल संपत्ति तथा बही ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभार द्वारा सुरक्षित किया गया है जिनको अन्य ऋणदाता/ट्रस्टी पर प्रभारित किया गया है तथा हर समय बकाया बॉण्डों के सकल अंकित मूल्य की राशि तथा उस पर देय ब्याज की राशि पर एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड न्यास विलेख के अनुसरण में निर्गमकर्ता और ट्रस्टी के बीच सहमति हो सकती है।

22.13 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्डों को विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड था) के पक्ष में एमएसईडीसीएल की ₹4,998.66 करोड़ की प्राप्य राशि को रेहन रखकर तथा शॉप नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, माइलापुर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

22.14 वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए कर मुक्त बॉण्डों को एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में आरईसी लिमिटेड के बही ऋणों (ऐसे ऋणों से अन्य जो ऋणदाता/अन्य ट्रस्टी को अनन्य रूप से प्रभारित/उद्दिष्ट किए गए हैं) पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

22.15 वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2015-16 के दौरान जारी किए गए 54 ईसी पूंजी अभिलाभ कर छूट बॉण्डों तथा कर मुक्त बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला XI, XII और XIII को एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में (क) ग्राम सुभनपुरा, जिला वडोदरा में स्थित उप प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584 पी में परिसरों की गिरवी और (ख) प्राप्य राशियों (ऐसी प्राप्य राशियों से अन्य जो ऋणदाता/अन्य ट्रस्टी को अनन्य रूप से प्रभारित/उद्दिष्ट की गई हैं) के रेहन पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

22.16 54 ईसी पूंजी अभिलाभ कर छूट बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला XIV को एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्य राशियों (ऐसी प्राप्य राशियों से भिन्न जो ऋणदाता/ अन्य ट्रस्टियों को अनन्य रूप से प्रभारित/ उद्दिष्ट की गई हैं) के रेहन पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

22.17 प्राप्य राशियों और प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) के वहन मूल्य के लिए टिप्पणी 12 और 17 देखें।

23. ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से अन्य)

कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर ऋणों (ऋण प्रतिभूतियों को छोड़कर) को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(क)	सावधि ऋण		
(i)	बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से		
	- विदेशी मुद्रा ऋण (टिप्पणी संख्या 23.1 और 23.3 देखें)	7,088.19	8,924.03
	- सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण (टिप्पणी संख्या 23.2 और 23.3 देखें)	38,229.46	39,619.89
	- रुपया सावधि ऋण (टिप्पणी 23.4 देखें)	89,337.56	69,498.76
(ii)	अन्य पक्षकारों से		
	- रुपया सावधि ऋण - भारत सरकार (टिप्पणी 23.6 देखें)	17,500.00	17,500.00
(ख)	अन्य ऋण		
(i)	- सावधि जमा के निमित्त ऋण (टिप्पणी 23.7 देखें)	683.04	-
(ii)	- कार्यकारी पूंजी मांग ऋण/ओवरड्राफ्ट/नकदी क्रेडिट/लाइन ऑफ क्रेडिट (टिप्पणी 23.8 देखें)	10,186.52	4,793.22
(ग)	उपर्युक्त पर अर्जित परंतु अदेय ब्याज	680.87	767.95
(घ)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेनदेन लागत	361.22	439.25
	कुल ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से अन्य)	**1,63.344.42**	**1,40.664.60**
(i)	कुल भूगोलवार ऋण		
(i)	भारत में ऋण	1,23.631.61	99,417.29
(ii)	भारत के बाहर ऋण	39,712.81	41,247.31
	कुल भूगोलवार ऋण	**1,63.344.42**	**1,40.664.60**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

23.1 बकाया अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021	31.03.2020	मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
पीएफसी के मामले में					
1	केएफडब्ल्यू। (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	46.79	48.26	अर्ध वार्षिक किश्तें 30.12.2035 तक	अर्धवार्षिक किश्तों में मोचनीय
2	एडीबी (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	66.96	79.46	अर्ध वार्षिक किश्तें 15.10.2028 तक	
3	क्रेडिट नेशनल (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	36.90	44.66	अर्ध वार्षिक किश्तें 30.06.2028 तक	
	उप-जोड़ (क)	**150.65**	**172.38**		
	पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में				
1	जेआईसीए ऋण	50.06	99.46	0.75% जेआईसीए-I ऋण 20.03.2021 तक छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान के योग्य, अगली किश्त 20.09.2020 को देय हो रही है तथा 0.65% जेआईसीए-II ऋण 20.03.2023 तक छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य, अगली किश्त 20.09.2020 को देय है	
2	2.89% केएफडब्ल्यू-II ऋण	-	64.60	30.12.2020 को ऋण चुकता कर दिया गया	
3	1.86% केएफडब्ल्यू-III ऋण	317.22	393.41	5.26 मिलियन यूरो की समान छमाही किश्तों में 30.03.2024 तक पुनर्भुगतान योग्य, अगली किश्त 30.06.2020 को देय है	
4	6 मिलियन यूएसडी लिबोर + 0.13% केएफडब्ल्यू-IV ऋण	1,241.16	1,220.98	12.00 मिलियन यूरो की समान छमाही किश्तों में 15.11.2030 तक चुकाने योग्य, पहली किश्त 15.11.2021 को देय है	
5	200 मिलियन अमरीकी डॉलर	1,470.09	-	20.12.2021	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
6	100 मिलियन अमरीकी डॉलर	735.05	-	30.12.2021	
7	75 मिलियन अमरीकी डॉलर	551.29	-	15.11.2021	
8	200 मिलियन अमरीकी डॉलर	1,470.09	-	30.12.2021	
9	75 मिलियन अमरीकी डॉलर	551.29	-	20.05.2021	
10	75 मिलियन अमरीकी डॉलर	551.29	-	22.04.2021	
11	135 मिलियन अमरीकी डॉलर	-	1,017.71	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान चुकाया गया	
12	100 मिलियन अमरीकी डॉलर	-	753.86		
13	140 मिलियन अमरीकी डॉलर	-	1,055.40		
14	100 मिलियन अमरीकी डॉलर	-	753.86		
15	100 मिलियन अमरीकी डॉलर	-	753.86		
16	200 मिलियन अमरीकी डॉलर	-	1,507.72		
17	150 मिलियन अमरीकी डॉलर	-	1,130.79		
	उप-जोड़ (ख)	**6,937.54**	**8,751.65**		
	कुल (क + ख)	**7,088.19**	**8,924.03**		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

23.2 बकाया अप्रतिभूत सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
		31.03.2021	31.03.2020		
पीएफसी के मामले में					
1	एसएलएन 30	735.05	-	13.10.2025	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
2	एसएलएन 30	2205.14	-	05.11.2025	
3	एसएलएन 29	1,837.62	1,884.65	20.12.2024	
4	एसएलएन 27	1,089.02	1,143.01	01.02.2024	
5	एसएलएन 26	1,837.62	1,884.65	26.09.2023	
6	एसएलएन 23	1,837.62	1,884.65	22.03.2023	
7	एसएलएन 22	1,837.62	1,884.65	28.02.2023	
8	एसएलएन 21	2,205.14	2,261.57	12.12.2022	
9	एसएलएन 28 यूएसडी	1,837.62	1,884.65	28.06.2022	
10	एसएलएन 28 जेपीवाई	356.30	373.97	28.06.2022	
11	एसएलएन 17	1,102.57	3,392.36	24.09.2021	28.09.2020, 26.03.2021 और 24.09.2021 को देय होने वाली तीन समान किश्तों में मोचनीय
12	एसएलएन 18	1,931.86	3,041.47	04.11.2022	06.11.2020, 08.11.2021 और 04.11.2022 को देय होने वाली तीन समान किश्तों में मोचनीय
	उप-जोड़ (क)	**18,813.18**	**19,635.63**		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में					
1	300 मिलियन अमरीकी डॉलर	2,205.14	-	02.06.2030	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
2	425 मिलियन अमरीकी डॉलर	3,123.95	-	16.03.2026	
3	170 मिलियन अमरीकी डॉलर	1,249.58	-	06.10.2025	100 मिलियन अमरीकी डॉलर 26.03.2025 को चुकाने योग्य और 70 मिलियन अमरीकी डॉलर 06.10.2025 को चुकाने योग्य
4	10,519 मिलियन येन	698.04	-	25.09.2025	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
5	75 मिलियन अमरीकी डॉलर	551.29	565.39	30.03.2025	
6	72.07 मिलियन अमरीकी डॉलर	391.79	380.80	30.03.2025	
7	100 मिलियन अमरीकी डॉलर	735.05	753.86	01.07.2024	
8	150 मिलियन अमरीकी डॉलर	1,102.57	1,130.79	29.03.2024	
9	250 मिलियन अमरीकी डॉलर	1,837.62	1,884.65	27.03.2024	
10	10,327.12 मिलियन येन	685.31	719.28	31.08.2023	
11	250 मिलियन अमरीकी डॉलर	1,837.62	1,884.65	08.08.2023	
12	150 मिलियन अमरीकी डॉलर	1,102.57	1,130.79	11.09.2022	
13	200 मिलियन अमरीकी डॉलर	1,470.09	1,507.72	28.07.2022	
14	230 मिलियन अमरीकी डॉलर	1,690.61	1,733.88	19.01.2022	
15	100 मिलियन अमरीकी डॉलर	735.05	753.86	05.10.2021	
16	240 मिलियन अमरीकी डॉलर	-	1,809.26	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान चुकाया गया	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान चुकाया गया
17	160 मिलियन अमरीकी डॉलर	-	1,206.17		
18	300 मिलियन अमरीकी डॉलर	-	2,261.58		
19	300 मिलियन अमरीकी डॉलर	-	2,261.58		
	उप-जोड़ (ख)	**19,416.28**	**19,984.26**		
	कुल (क + ख)	**38,229.46**	**39,619.89**		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

23.3 पीएफसी लिमिटेड के मामले में 31.03.2021 तक उपर्युक्त टिप्पणी संख्या 23.1 और 23.2 में उल्लिखित विदेशी मुद्रा ऋणों को 6 माह में 60 बीपीएस से 150 बीपीएस यूएसडी/जेपीवाई लिबोर (लंदन इंटर बैंक द्वारा प्रस्तुत दर) की ब्याज दर पर जुटाया गया है।

पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में टिप्पणी संख्या 23.2 में उल्लिखित विदेशी मुद्रा ऋणों को 1/3/6 माह के यूएसडी/जेपीवाई लिबोर (लंदन इंटर बैंक की प्रस्ताव दर), 6 माह के एसओआर (स्वैप ऑफर रेट) सहित बाहरी बेंचमार्क पर 20 बीपीएस से 210 बीपीएस की ब्याज दरों पर जुटाया गया है।

23.4 बकाया रुपया सावधि ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
		31.03.2021	31.03.2020		
पीएफसी के मामले में					
1	इंडियन बैंक	500.00	500.00	02.01.2027	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
2	इंडियन बैंक	1,800.00	1,800.00	29.06.2026	ऋण को ₹150 करोड़ प्रत्येक की 12 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 29.09.2023 से होगी और यह 29.06.2026 को समाप्त होगा
3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,800.00	-	30.09.2025	ऋण को ₹450 करोड़ प्रत्येक की 04 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 30.09.2022 से होगी और यह 30.09.2025 को समाप्त होगा
4	पंजाब नेशनल बैंक	225.00	225.00	30.09.2025	ऋण को ₹56.25 करोड़ प्रत्येक की 04 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 30.09.2022 से होगी और यह 30.09.2025 को समाप्त होगा
5	इंडियन बैंक	1,500.00	-	28.09.2025	ऋण को ₹187.50 करोड़ प्रत्येक की 08 छमाही किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 28.03.2022 से होगी और यह 30.09.2025 को समाप्त होगा
6	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5,000.00	-	10.07.2025	ऋण को 10.07.2022 से शुरू होकर 10.07.2025 तक 7 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसमें ₹715 करोड़ प्रत्येक की 6 किश्तें और इसके बाद ₹710 करोड़ की अंतिम किश्त शामिल हैं
7	बैंक ऑफ इंडिया	1,000.00	1,000.00	02.03.2025	ऋण को ₹500 करोड़ प्रत्येक की 2 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 02.03.2024 से होगी और यह 02.03.2025 को समाप्त होगा।
8	पंजाब नेशनल बैंक	1,500.00	1,500.00	25.02.2025	मूलधन की अदायगी पर 2 वर्ष की स्थगन अवधि है तथा संवितरण की तारीख से 2 वर्ष की स्थगन अवधि की समाप्ति के बाद ऋण को ₹375 करोड़ प्रत्येक की 04 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है, जिसकी शुरूआत 25.02.2022 से होगी और यह 25.02.2025 को समाप्त होगा।
9	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	400.00	500.00	30.09.2024	ऋण को ₹100 करोड़ प्रत्येक की 5 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 30.09.2020 से होगी और यह 30.09.2024 को समाप्त होगा

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
		31.03.2021	31.03.2020		
10	केनरा बैंक	1,000.00	1,000.00	29.06.2024	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
11	केनरा बैंक	500.00	500.00	24.06.2024	
12	केनरा बैंक	500.00	500.00	21.06.2024	
13	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	600.00	800.00	15.03.2024	ऋण को ₹200 करोड़ प्रत्येक की 5 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 15.03.2020 से होगी और यह 15.03.2024 को समाप्त होगा।
14	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	750.00	750.00	11.03.2024	ऋण स्थगन: प्रथम संवितरण की तारीख से 2 वर्ष (8 तिमाही) मूलधन को 12 संरचित त्रैमासिक किश्तों यानी 9वीं से 12वीं तिमाही तक ₹18.75 करोड़ प्रत्येक की 4 किश्तों, 13वीं से 16वीं तिमाही तक ₹56.25 करोड़ प्रत्येक की 4 किश्तों और इसके बाद 17वीं से 20वीं तिमाही तक ₹112.50 करोड़ प्रत्येक की 4 किश्तों में चुकाया जाएगा
15	केनरा बैंक	1,000.00	1,000.00	20.02.2024	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
16	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,400.00	-	15.10.2023	ऋण को ₹175 करोड़ प्रत्येक की 8 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 15.01.2022 से होगी और यह 15.10.2023 को समाप्त होगा
17	कर्नाटका बैंक	500.00	500.00	31.07.2022	ऋण को ₹100 करोड़ प्रत्येक की 5 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 31.07.2021 से होगी और यह 31.07.2022 को समाप्त होगा
	कुल प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण	**19975.00**	**10575.00**		

(ii) अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
		31.03.2021	31.03.2020		
पीएफसी के मामले में					
1	केनरा बैंक	2,000.00	-	22.09.2026	ऋण को ₹100 करोड़ प्रत्येक की 20 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 22.12.2021 से होगी और यह 22.09.2026 को समाप्त होगा
2	बैंक ऑफ इंडिया	1,000.00	-	11.09.2026	ऋण को ₹250 करोड़ प्रत्येक की 4 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 11.09.2023 से होगी और यह 11.09.2026 को समाप्त होगा
3	केनरा बैंक	500.00	500.00	23.03.2026	ऋण को ₹50 करोड़ प्रत्येक की 10 छमाही किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 23.09.2021 से होगी और यह 23.03.2026 को समाप्त होगा

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
		31.03.2021	31.03.2020		
4	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	500.00	-	30.06.2025	ऋण को ₹250 करोड़ प्रत्येक की 2 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 30.06.2023 से होगी और यह 30.06.2025 को समाप्त होगा
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,500.00	2,500.00	23.03.2025	ऋण को ₹625 करोड़ प्रत्येक की 4 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 23.03.2022 से होगी और यह 23.03.2025 को समाप्त होगा।
6	पंजाब नेशनल बैंक	1,000.00	1,000.00	20.03.2025	ऋण को ₹333.33 करोड़ प्रत्येक की 3 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 20.03.2023 से होगी और यह 20.03.2025 को समाप्त होगा।
7	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	800.00	800.00	15.01.2025	ऋण को ₹100 करोड़ प्रत्येक की 8 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 15.04.2023 से होगी और यह 15.01.2025 को समाप्त होगा।
8	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3,000.00	3,000.00	19.12.2024	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
9	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,900.00	2,000.00	15.04.2024	ऋण को 15.04.2020 से शुरू होकर 15.04.2024 तक 5 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसमें ₹100 करोड़ प्रत्येक की 2 किश्तें और इसके बाद ₹600 करोड़ की 3 किश्तें शामिल हैं
10	केनरा बैंक	1,750.00	1,750.00	20.03.2024	ऋण को ₹218.75 करोड़ प्रत्येक की 8 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 20.06.2022 से होगी और यह 20.03.2024 को समाप्त होगा।
11	बैंक ऑफ इंडिया	2,000.00	2,000.00	21.01.2024	
12	केनरा बैंक	500.00	500.00	15.01.2024	
13	केनरा बैंक	500.00	500.00	28.12.2023	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
14	पंजाब नेशनल बैंक	995.00	995.00	24.12.2023	
15	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	750.00	750.00	05.10.2023	
16	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2,999.98	5,999.98	27.09.2023	30.03.2021 को ₹3,000 करोड़ चुका दिए गए और शेष राशि का भुगतान कार्यावधि के अंत में किया जाना है।
17	बैंक ऑफ बड़ौदा	3,000.00	-	15.07.2023	ऋण को 15.10.2021 से शुरू होकर 15.07.2023 तक 8 तिमाही किश्तों में चुकता करना है जिसमें ₹250 करोड़ प्रत्येक की 4 किश्तें और इसके बाद ₹500 करोड़ प्रत्येक की 4 किश्तें शामिल हैं
18	यूको बैंक	200.00	-	26.05.2023	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में) 31.03.2021	31.03.2020	मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
19	यूको बैंक	500.00	500.00	31.03.2023	
20	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	2,000.00	-	31.05.2022	
21	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,429.00	1,429.00	31.03.2022	
22	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1,000.00	-	30.12.2021	
23	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1,000.00	-	27.11.2021	
24	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	800.00	800.00	14.09.2021	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
25	यूको बैंक	1,000.00	1,000.00	23.08.2021	
26	इंडियन ओवरसीज बैंक	-	400.00	वित्तीय वर्ष 2020-21 में चुकाया गया	
27	इंडियन ओवरसीज बैंक	-	400.00		
28	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	-	271.00		
29	बैंक ऑफ बड़ौदा	-	700.00		
30	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	-	750.00		
31	केनरा बैंक	-	1,500.00		
32	बैंक ऑफ इंडिया	-	1,000.00	वित्तीय वर्ष 2020-21 में चुकाया गया	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
33	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-	1,979.00		
34	बैंक ऑफ बड़ौदा	-	2,000.00		
35	पंजाब नेशनल बैंक	-	2,000.00		
36	पंजाब नेशनल बैंक	-	2,000.00		
	उप-जोड़ (क)	**33,623.98**	**39,023.98**		
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में					
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	2,000.00	2,500.00		₹958.50 करोड़ 12.12.2021 को पुनर्भुगतान योग्य हैं और ₹1041.50 करोड़ 12.12.2022 को पुनर्भुगतान योग्य हैं
2	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	4,650.00	2,000.00		₹1,000 करोड़ 24.02.2022 को पुनर्भुगतान योग्य हैं और ₹650 करोड़ 30.09.2022 को पुनर्भुगतान योग्य हैं, ₹1500 करोड़ 19.06.2023 को पुनर्भुगतान योग्य हैं, ₹300 करोड़ 29.09.2023 को पुनर्भुगतान योग्य हैं, ₹350 करोड़ 11.10.2023 को पुनर्भुगतान योग्य हैं, ₹350 करोड़ 05.11.2023 को पुनर्भुगतान योग्य हैं और ₹500 करोड़ 15.01.2024 को पुनर्भुगतान योग्य हैं।
3	पंजाब नेशनल बैंक	4,396.84	2,399.87		₹1,999.98 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य हैं, पहली किश्त 05.09.2021 को पुनर्भुगतान योग्य है, ₹399.87 करोड़ 8 अर्ध-वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य हैं, पहली किश्त 01.10.2021 को देय है और ₹1,996.99 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य हैं, पहली किश्त 27.08.2023 को देय है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
		31.03.2021	31.03.2020		
4	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	10,839.90	7,299.92		₹1,839.97 करोड़ 4 वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य हैं, पहली किश्त 15.09.2021 को पुनर्भुगतान योग्य है, ₹3,999.93 करोड़ 2 वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य हैं, पहली किश्त 15.10.2021 को देय है और ₹5,000 करोड़ 7 छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य हैं, पहली किश्त 14.07.2022 को देय है।
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3,399.34	2,199.99		₹1,499.70 करोड़ 6 छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य हैं, पहली किश्त 25.06.2022 को देय है और ₹1,899.64 करोड़ 6 छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य हैं, पहली किश्त 20.02.2023 को देय है।
6	केनरा बैंक	1,000.00	2,500.00		₹150 करोड़ 28.02.2023 को पुनर्भुगतान योग्य हैं, ₹425 करोड़ 29.02.2024 को पुनर्भुगतान योग्य हैं और ₹425 करोड़ 28.02.2025 को पुनर्भुगतान योग्य हैं
7	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	5,800.00	1,000.00		₹1,000 करोड़ 04.06.2022 को पुनर्भुगतान योग्य हैं और ₹800 करोड़ 25.06.2023 को पुनर्भुगतान योग्य हैं, ₹1,500 करोड़ 23.02.2024 को पुनर्भुगतान योग्य हैं, ₹500 करोड़ 15.03.2024 को पुनर्भुगतान योग्य हैं, ₹1,000 करोड़ 26.03.2026 को पुनर्भुगतान योग्य हैं और ₹1000 करोड़ 30.03.2026 को पुनर्भुगतान योग्य हैं
8	एचएसबीसी बैंक	1,652.50	-		₹565 करोड़ 19.05.2025 को पुनर्भुगतान योग्य हैं, ₹187.5 करोड़ 18.12.2025 को पुनर्भुगतान योग्य हैं और ₹900 करोड़ 25.03.2026 को पुनर्भुगतान योग्य हैं
9	ड्यूश बैंक	500.00	-		₹500 करोड़ 18.12.2023 को पुनर्भुगतान योग्य हैं
10	जेपी मोर्गन	1,500.00	-		₹1,500 करोड़ 26.03.2024 को पुनर्भुगतान योग्य हैं
	उप-जोड़ (ख)	**35,738.58**	**19,899.78**		
	कुल रुपया सावधि ऋण (अप्रतिभूत)	**69,362.56**	**58,923.76**		
	कुल रुपया सावधि ऋण (अप्रतिभूत एवं प्रतिभूत)	**89,337.56**	**69,498.76**		

23.5 पीएफसी लिमिटेड के मामले में 31.03.2021 तक उपर्युक्त टिप्पणी 23.4 में उल्लिखित ऋण संबंधित बैंक की बेंचमार्क दर प्लस 5 से 320 बीपीएस पर लिए गए हैं।

पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में उपर्युक्त टिप्पणी 23.4 में उल्लिखित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकार से 5.15% से लेकर 8.29% तक की ब्याज दरों पर लिए गए सावधि ऋण मासिक/तिमाही/छमाही अंतराल पर देय हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

23.6 बकाया अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण - भारत सरकार का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
		31.03.2021	31.03.2020		
पीएफसी के मामले में					
1	राष्ट्रीय लघु बचत निधि योजना (एनएसएसएफ) (कूपन दर - 8.11% प्रतिवर्ष)	7,500.00	7,500.00	27.12.2028	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में					
1	राष्ट्रीय लघु बचत निधि योजना (एनएसएसएफ) (कूपन दर - 8.29% प्रतिवर्ष)	5,000.00	5,000.00	04.10.2029	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
2	राष्ट्रीय लघु बचत निधि योजना (एनएसएसएफ) (कूपन दर - 8.16% प्रतिवर्ष)	5,000.00	5,000.00	13.12.2028	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
	कुल अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण - भारत सरकार	**17,500.00**	**17,500.00**		

23.7 सावधि जमा के निमित्त बकाया ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
		31.03.2021	31.03.2020		
पीएफसी के मामले में					
1	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	683.04	-	02.04.2021	परिपक्वता तारीख को सममूल्य पर मोचित
सावधि जमा के निमित्त कुल ऋण		**683.04**	-		

23.8 बकाया अप्रतिभूत डब्ल्यूसीडीएल/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		मोचन की तारीख	मोचन का ब्यौरा
		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक		
पीएफसी के मामले में					
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (डब्ल्यूसीएल)	-	1,200.00	वित्तीय वर्ष 2020-21 में चुकाया गया	कार्यावधि के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान
2	पंजाब नेशनल बैंक (डब्ल्यूसीडीएल)	-	600.00		
3	पंजाब नेशनल बैंक (ओडी)	-	238.36		रनिंग सुविधा
पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में					
1	बैंकों से मांग पर पुनर्भुगतान योग्य अल्पावधि ऋण/ ऋण	10,186.52	2,754.86		रनिंग सुविधा
	कुल डब्ल्यूसीडीएल/ ओडी/ सीसी/ लाइन ऑफ क्रेडिट	**10,186.52**	**4,793.22**		

23.9 निदेशकों द्वारा एक भी ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।

23.10 उपर्युक्त अवधियों के दौरान ऋणों एवं ब्याज को चुकता करने में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है।

23.11 प्रतिभूत रुपया सावधि ऋणों के निमित्त प्रतिभूति के रूप में रक्षित प्राप्य राशि के वहन मूल्य के लिए टिप्पणी 12 देखें। प्रतिभूत रुपया सावधि ऋणों को कंपनी की प्राप्य राशियों पर ऋणकर्ता बैंक के पक्ष में प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है जो प्रतिभूति दस्तावेज के अंतर्गत/अनुपालन में ऋणकर्ता बैंक और/या अन्यों को कंपनी द्वारा देय/चुकौती योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा सभी अन्य निधियों सहित सावधि ऋण के भुगतान/पुनर्भुगतान तक सीमित है, ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन्हें कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड था) के पक्ष में पहले प्रभारित किया जा चुका है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

24. सबॉर्डिनेटिड देयताएं

कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर सबॉर्डिनेटिड देयताओं को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	सबॉर्डिनेटिड देयताएं		
(i)	सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड (टिप्पणी 24.1 देखें)	15,862.20	13,862.70
(ii)	उपर्युक्त पर अर्जित परंतु अदेय ब्याज	401.28	273.61
(iii)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेनदेन लागत	6.39	5.71
	कुल सबॉर्डिनेटिड देयताएं	**16,257.09**	**14,130.60**
	भूगोलवार सबॉर्डिनेटिड देयताएं		
(i)	भारत में सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड	16,257.09	14,130.60
(ii)	भारत के बाहर सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड	-	-
	कुल भूगोलवार सबॉर्डिनेटिड देयताएं	**16,257.09**	**14,130.60**

24.1 सबॉर्डिनेटिड बॉण्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
1	सबॉर्डिनेटिड टीयर II ऋण बॉण्ड - 8.19% बॉण्ड श्रृंखला 105 - पीएफसी लिमिटेड	800.00	800.00
2	सबॉर्डिनेटिड टीयर II ऋण बॉण्ड - 9.65% बॉण्ड श्रृंखला 111 - पीएफसी लिमिटेड	1,000.00	1,000.00
3	सबॉर्डिनेटिड टीयर II ऋण बॉण्ड - 9.70% बॉण्ड श्रृंखला 114 - पीएफसी लिमिटेड	2,000.00	2,000.00
4	सबॉर्डिनेटिड टीयर II ऋण बॉण्ड - 9.25% बॉण्ड श्रृंखला 184ए - पीएफसी लिमिटेड	2,000.00	2,000.00
5	सबॉर्डिनेटिड टीयर II ऋण बॉण्ड - 9.10% बॉण्ड श्रृंखला 184बी - पीएफसी लिमिटेड	2,411.50	2,411.50
6	सबॉर्डिनेटिड टीयर II ऋण बॉण्ड - 9.98% बॉण्ड श्रृंखला 185 - पीएफसी लिमिटेड	1,000.00	1,000.00
7	सबॉर्डिनेटिड टीयर II ऋण बॉण्ड - 7.96% बॉण्ड श्रृंखला 199 - आरईसी लिमिटेड	1,999.50	-
8	सबॉर्डिनेटिड टीयर II ऋण बॉण्ड - 8.97% बॉण्ड श्रृंखला 175 - आरईसी लिमिटेड	2,151.20	2,151.20
9	सबॉर्डिनेटिड टीयर II ऋण बॉण्ड - 8.06% बॉण्ड श्रृंखला 115 - आरईसी लिमिटेड	2,500.00	2,500.00
	कुल	**15,862.20**	**13,862.70**

25. अन्य वित्तीय देयताएं

ग्रुप ने नीचे प्रस्तुत 'पट्टा देयता' को छोड़कर अन्य वित्तीय देयताओं को इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' की आवश्यकताओं के अनुसार परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है, जिसे इंड एएस 116 'पट्टा' के अनुसार मापा गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	भारत सरकार के चुकता बॉण्डों के कारण देय (टिप्पणी 25.1 देखें)	29,352.64	26,831.04
(ii)	सहयोगी कंपनियों से प्राप्त अग्रिम*	176.86	168.42
(iii)	अदावी लाभांश (टिप्पणी 25.2 देखें)	9.69	8.23
(iv)	अदत्त - बॉण्ड तथा उन पर अर्जित ब्याज (टिप्पणी 25.2 देखें)		
	- अदावी बॉण्ड	50.30	39.66
	- बॉण्डों पर अदावी ब्याज	167.87	33.13
(v)	अन्य		
	- बॉण्डों पर पुनर्भुगतान योग्य आवेदन शुल्क तथा उन पर अर्जित ब्याज	0.69	0.83
	- सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए ब्याज सब्सिडी निधि तथा भारत सरकार की अन्य निधियां	1,346.91	1,838.08
	- एपीडीआरपी/आईपीडीएस योजना के अंतर्गत देय (टिप्पणी 25.4 देखें)	211.00	-
	- वित्तपोषित कार्मिक हितलाभों के लिए देय	9.00	0.38
	- पट्टा देयता (टिप्पणी 51.1 देखें)	9.43	13.97
	- अन्य देयताएं	740.21	245.42
	कुल अन्य वित्तीय देयताएं	**32,074.60**	**29,179.16**

*नकदी में देय

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

25.1 भारत सरकार के चुकता बॉण्डों (अप्रतिभूत करयोग्य बॉण्डों) का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
1	आरईसी - भारत सरकार-I श्रृंखला	1,837.00	1,837.00
2	आरईसी - भारत सरकार-II श्रृंखला	1,410.00	1,410.00
3	आरईसी - भारत सरकार-III श्रृंखला	753.00	753.00
4	आरईसी - भारत सरकार-IV श्रृंखला	3,000.00	3,000.00
5	आरईसी - भारत सरकार-V श्रृंखला	3,600.00	3,600.00
6	आरईसी - भारत सरकार-VI श्रृंखला	2,027.00	2,027.00
7	आरईसी - भारत सरकार-VII श्रृंखला	1,200.00	1,200.00
8	आरईसी - भारत सरकार-VIII श्रृंखला	4,000.00	4,000.00
9	आरईसी - भारत सरकार-IX श्रृंखला	1,500.00	1,500.00
10	आरईसी - भारत सरकार-X श्रृंखला	532.30	532.30
11	आरईसी - भारत सरकार-XI श्रृंखला	1,750.00	1,750.00
12	आरईसी - भारत सरकार-XII श्रृंखला	1,000.00	-
13	आरईसी - भारत सरकार-XIII श्रृंखला	1,000.00	-
14	आरईसी - भारत सरकार-XIV श्रृंखला	500.00	-
15	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 156-भारत सरकार से पूर्णत: चुकता बॉण्ड	200.00	200.00
16	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 158-भारत सरकार से पूर्णत: चुकता बॉण्ड	1,335.00	1,335.00
17	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 160-भारत सरकार से पूर्णत: चुकता बॉण्ड	1,465.00	1,465.00
18	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 164-भारत सरकार से पूर्णत: चुकता बॉण्ड	2,000.00	2,000.00
19	उपर्युक्त पर अर्जित ब्याज	243.34	221.74
	भारत सरकार द्वारा सर्विस कुल बॉण्ड (अप्रतिभूत करयोग्य बॉण्ड)	**29,352.64**	**26,831.04**

25.2 अदावी लाभांशों, अदावी बॉण्डों तथा उन पर ब्याज में ऐसी राशियां शामिल हैं जिनका लिखतों के धारकों/निवेशकों द्वारा दावा नहीं किया गया है या विधिक औपचारिकताओं आदि के लंबित होने के कारण रोकी गई हैं। उपर्युक्त में से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए पात्र राशि अंतरित की गई है।

25.3 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी निधि

पीएफसी और आरईसीएल ने वास्तविक चुकौती अनुसूची, स्थगन अवधि तथा चुकता करने की अवधि को ध्यान में रखे बगैर भारत सरकार के 23.09.1997 के अर्धशासकीय पत्र सं.32024/17/97 - पीएफसी तथा 07.03.2003 के कार्यालय ज्ञापन सं.32024/23/2001 - पीएफसी के अनुसरण में सांकेतिक ब्याज दरों पर परिकलित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी का दावा किया। प्राप्त तथा ऋणकर्ताओं को हस्तांतरित की जाने वाली ब्याज सब्सिडी की राशि को ब्याज सब्सिडी निधि लेखा के रूप में प्रतिधारित किया गया है। दावा के समय और वास्तविक संवितरण के समय विचारित सांकेतिक दर तथा अवधि के बीच अंतर के प्रभाव का सुनिश्चय संबंधित योजनाओं की समाप्ति बाद ही किया जा सकता है।

क. पीएफसी के संबंध में

ब्याज सब्सिडी निधि शीर्ष के अंतर्गत अन्य वित्तीय देयताओं के रूप में प्रदर्शित शेष जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि को दर्शाता है, में निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	प्रारंभिक शेष	17.31	15.96
	जोड़ें: अवधि के दौरान प्राप्त	-	-
	अवधि के दौरान जमा किया गया ब्याज	1.41	1.35
	परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण ऋणकर्ता द्वारा रीफंड	-	-
	घटाएं: विद्युत मंत्रालय को रीफंड की गई ब्याज सब्सिडी:		
	9वीं एवं 10वीं योजना के निमित्त अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	-	-
	परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण	-	-
	अंतिम शेष	**18.72**	**17.31**

*वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ऋणकर्ताओं को हस्तांरित की गई ब्याज सब्सिडी ₹0.37 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹1.13 करोड़)।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

ख. सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

31.03.2021 तक ₹0.71 करोड़ (31.03.2020 तक ₹0.69 करोड़) की राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को दर्शाती है, जो त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के निमित्त ऋणकर्ताओं को हस्तांतरित की जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का प्रारंभिक शेष	0.69	0.63
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.02	0.06
घटाएं: ऋणकर्ता को हस्तांतरित की गई ब्याज सब्सिडी	-	-
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतिम शेष	0.71	0.69

25.4 पीएफसी को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन में आईपीडीएस योजना के प्रचालन एवं कार्यान्वयन के लिए भी नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। आईपीडीएस योजना में नोडल एजेंसी की भूमिका का उल्लेख किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत पात्र विद्युत संस्थाओं के लिए बाहर से ऋण/अनुदान लाना शामिल है। कंपनी ऐसी मद में राशि प्राप्त करती है और योजना के अनुसरण में उसे संवितरित करती है। जब भारत सरकार से निधि प्राप्त होती है, तो लाभार्थियों को भुगतान निर्मोचित करने तक राशि को अन्य वित्तीय देयताओं के अंतर्गत दिखाया जाता है। आईपीडीएस योजना के अधिक विवरण के लिए, टिप्पणी 55.1 देखें।

25.5 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के कार्यान्वयन के लिए आरईसीएल को एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों को संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों को अलग बैंक खाते में रखा जाता है। इस योजना के लिए वितरित न की गई निधियों (तत्कालीन आरजीजीवीवाई योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों सहित) तथा उन पर अर्जित ब्याज को लाइन मद 'अन्य वित्तीय देयताएं' शीर्ष के अंतर्गत 'सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए ब्याज सब्सिडी निधि तथा अन्य भारत सरकार निधि' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज में मूवमेंट का वर्णन नीचे किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	31.96	42.57
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	30.48	50.10
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार रीफंड की गई राशि	33.48	60.71
अंतिम शेष	**28.96**	**31.96**

26. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	कार्मिक हितलाभ के लिए (टिप्पणी 50 देखें)		
	- उपदान	1.79	2.76
	- छुट्टी नकदीकरण	79.76	73.20
	- कार्मिकों का आर्थिक पुनर्वास	8.66	7.14
	- बोनस/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	86.09	84.00
	- कार्मिक कल्याण व्यय के लिए प्रावधान	20.85	18.37
(ii)	क्षतिग्रस्तता हानि छूट - चुकौती आश्वासन-पत्र (टिप्पणी 26.1 देखें)	66.12	188.85
	कुल प्रावधान	**263.27**	**374.32**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

26.1 चुकौती आश्वासन-पत्र पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
प्रारंभिक शेष	188.85	186.71
वर्ष के दौरान सृजन	13.47	8.87
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	136.20	6.73
अंतिम शेष	**66.12**	**188.85**

26.2 ऋणकर्ताओं की ओर से बैंकों को जारी किए गए चुकौती आश्वासन-पत्र के संबंध में ग्रुप का ₹6,530.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,830.15 करोड़) का एक्सपोजर।

27. अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	अपरिशोधित शुल्क - अवितरित ऋण परिसंपत्तियां	217.36	151.91
(ii)	फुटकर देयताएं (ब्याज पूंजीकरण)	37.09	6.57
(iii)	देय सांविधिक राशि	87.92	31.18
(iv)	अन्य	1.72	-
(v)	सरकारी योजनाओं के लिए सरकार से प्राप्त अग्रिम	1.17	4.14
	कुल अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	**345.26**	**193.80**

28. इक्विटी शेयर पूंजी

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(क)	**अधिकृत पूंजी**				
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	1,10,00,00,00,000	11,000.00	1,10,00,00,00,000	11,000.00
	अधिमानी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	2,00,00,00,000	200.00	2,00,00,00,000	200.00
(ख)	**निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्णत: प्रदत्त पूंजी**				
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
(ग)	**इक्विटी शेयर पूंजी का मिलान**				
	प्रारंभिक इक्विटी शेयर पूंजी	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08
	अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
	अंतिम इक्विटी शेयर पूंजी	2,64,00,81,408	2,640.08	2,64,00,81,408	2,640.08

28.1 इक्विटी शेयरों से संबद्ध अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

कंपनी ने प्रति शेयर ₹10 के सममूल्य वाले इक्विटी शेयर जारी किए थे। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और वे शेयरधारकों की बैठक में अपने शेयरधारण के अनुपात के अनुसार वोट देने के हकदार हैं।

28.2 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी का %	शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी का %
(i)	भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर)	1,47,82,91,778	55.99%	1,47,82,91,778	55.99%
(ii)	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	23,81,25,247	9.02%	24,41,49,623	9.25%
(iii)	भारतीय जीवन बीमा निगम	15,75,97,304	5.97%	15,51,78,214	5.88%

28.3 अवधि एवं राशि सहित शेयर की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प और संविदा/प्रतिबद्धता के अंतर्गत निर्गम के लिए आरक्षित शेयर: शून्य

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

28.4 पिछले 5 वर्ष की अवधि के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1:1 के अनुपात में 132,00,40,704 बोनस शेयर जारी किए हैं तथा किसी शेयर का पुन: क्रय नहीं किया है।

28.5 सुदूर ऐसी तारीख से आरंभ करते अवरोही क्रम में परिवर्तन की शीघ्रातिशीघ्र तारीख के साथ जारी किए गए इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय किसी प्रतिभूति की अवधियां : शून्य

28.6 अदत्त मांग राशि (निदेशकों एवं अधिकारियों द्वारा अदत्त मांग राशि के सकल मूल्य को दर्शाते हुए): शून्य

28.7 जब्त शेयर (मूलत: प्रदत्त राशि): शून्य

28.8 पूंजी प्रबंधन: टिप्पणी 45 देखें।

29. अन्य इक्विटी*

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	पूंजी रिज़र्व - सामान्य नियंत्रण (टिप्पणी 30.1(i) देखें)	13,461.00	13,461.00
(ii)	पूंजी रिज़र्व - संयुक्त उद्यम में शेयरधारिता में परिवर्तन	2.47	2.47
(iii)	प्रतिभूति प्रीमियम (टिप्पणी 30.1(ii) देखें)	3,953.74	3,953.74
(iv)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा (टिप्पणी 30.1(iii) देखें)	936.01	2,346.18
(v)	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iसी के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व (टिप्पणी 30.1(iv) देखें)	6,235.99	3,666.61
(vi)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक)(ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिज़र्व (टिप्पणी 30.1(v) देखें)	1,407.54	4,089.44
(vii)	आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष रिज़र्व	599.85	599.85
(viii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व (टिप्पणी 30.1 (vi) देखें)	31,833.14	27,616.89
(ix)	ब्याज विभेदक रिज़र्व - केएफडब्ल्यू ऋण (टिप्पणी 30.1(vii) देखें)	62.65	61.40
(x)	सामान्य रिज़र्व (टिप्पणी 30.1(viii) देखें)	19,040.40	14,655.76
(xi)	क्षतिग्रस्तता रिज़र्व (टिप्पणी 30.1(ix) देखें)	-	417.55
(xii)	प्रतिधारित अर्जन (टिप्पणी (x) देखें)	9,760.52	8,080.18
(xiii)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिज़र्व (टिप्पणी (xi) देखें)	170.71	257.72
(xiv)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से नकदी प्रवाह हेज में हेज लिखतों पर अभिलाभ एवं हानि के प्रभावी अंश के लिए रिज़र्व (टिप्पणी (xii) देखें)	200.50	211.65
(xv)	हेजिंग रिज़र्व की लागत (टिप्पणी 30.1 (xiii) देखें)	1.42	107.77
(xvi)	संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में अन्य व्यापक आय का शेयर	0.73	0.15
	कुल अन्य इक्विटी	**58,127.40**	**46,759.72**

*अवधि के दौरान मूवमेंट के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण देखें।

29.1 रिज़र्व की प्रकृति एवं प्रयोजन

(i) पूंजी रिज़र्व - सामान्य नियंत्रण

पीएफसी द्वारा 28 मार्च, 2019 को आरईसी लिमिटेड के अधिग्रहण के फलस्वरूप, आरईसी लिमिटेड की ₹1,039.50 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी में पीएफसी के शेयर तथा भुगतान किए गए ₹14,500.50 करोड़ की राशि (अधिग्रहण की तारीख को ₹0.50 करोड़ का मौजूदा निवेश सहित) के बीच अंतर को पूंजी रिर्जव - सामान्य नियंत्रण के रूप में मान्य किया गया है।

(ii) प्रतिभूति प्रीमियम

यह इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम की राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जो इक्विटी शेयरों के निर्गम पर किए गए व्यय को घटाकर है। इस राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

(iii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा

यह दीर्घ अवधि के विदेशी मुद्रा ऋणों (31 मार्च, 2018 को मौजूद) पर अपरिशोधित विदेशी मुद्रा परिवर्तन अभिलाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है और इसे संबंधित ऋणों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I सी के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व

यह लाभ एवं हानि लेखा में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार वर्ष के लिए कर पश्चात तथा किसी लाभांश की घोषणा के पूर्व निवल लाभ के 20% की दर से प्रतिधारित अर्जन से अंतरण का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए उद्देश्य को छोड़कर आरक्षित निधि से किसी भी विनियोजन की अनुमति नहीं है और इसके अतिरिक्त इस तरह के किसी भी विनियोजन को भी ऐसी वापसी की तारीख से 21 दिन के भीतर आरबीआई को सूचित करना आवश्यक है।

(v) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक)(ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिज़र्व

इसे पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड को आयकर कटौती का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए सृजित किया गया है। इस प्रकार अनुरक्षित रिज़र्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋणों या उसके भाग के समायोजन के लिए किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक) (ग) के अनुसार, कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिज़र्व के संबंध में कटौती का लाभ उठाने के लिए पात्र है, जो आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(vi) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व

इसका अनुरक्षण पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड को कर लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अनुसार, कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड लंबी अवधि की वित्त गतिविधि से प्राप्त लाभ के 20% से अनधिक कटौती के लिए पात्र है, बशर्ते ऐसी राशि को विशेष आरक्षित खाते में स्थानांतरित और अनुरक्षित किया जाए।

(vii) ब्याज विभेदक रिज़र्व - केएफडब्ल्यू ऋण

यह ऋण करार के अनुसार केएफडब्ल्यू ऋण पर देय ब्याज और प्रदत्त ब्याज के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। केएफडब्ल्यू से विदेशी मुद्रा के ऋण की शर्तों के अनुसरण में ऋण शेष के पुन: कथन पर विनिमय अभिलाभ/हानि को इस रिज़र्व से समायोजित किया जाता है। कंपनी को केएफडब्ल्यू ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद रिज़र्व में असमायोजित शेष का पुनर्भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। केएफडब्ल्यू ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद रिज़र्व में किसी असमायोजित शेष का प्रयोग केएफडब्ल्यू से परामर्श के बाद कंपनी द्वारा अग्रेतर ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

(viii) सामान्य रिज़र्व

सामान्य रिज़र्व में लाभांश की घोषणा से पहले ग्रुप के लाभ से विनियोजित राशि शामिल है (जैसा कि पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आवश्यक था)। इसमें ऐसे रिज़र्व के उपयोग/प्रत्यावर्तन पर सांविधिक रिज़र्व से हस्तांतरित राशि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, ग्रुप आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व की पूर्ण पात्र कटौती का लाभ उठाने के लिए सामान्य रिज़र्व में लाभ को विनियोजित करता है।

(ix) क्षतिग्रस्तता रिज़र्व

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रुप को अपने कर पश्चात निवल लाभ से अंतर को क्षतिग्रस्तता रिज़र्व में विनियोजित करना होता है, जहां इंड एएस 109 के अंतर्गत क्षतिग्रस्तता छूट आरबीआई द्वारा जारी किए गए आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंड के अंतर्गत आवश्यक प्रावधान (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) से कम है। ग्रुप रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को आवश्यकता की समीक्षा करता है। दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, वर्तमान वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2020 तक क्षतिग्रस्तता रिज़र्व के अंतर्गत पड़े ₹793.29 करोड़ (मूल कंपनी के स्वामियों को आरोप्य ₹417.55 करोड़) की राशि को सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरित कर दी गई है।

(x) प्रतिधारित अर्जन

यह लाभ और अन्य व्यापक आय के निर्दिष्ट मदों का प्रतिनिधित्व करता है जिसे ग्रुप द्वारा अन्य रिज़र्व में और से हस्तांतरण एवं लाभांश वितरण के बाद अर्जित प्रतिधारित आय में सीधे मान्य किया जाता है।

(xi) अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिज़र्व

ग्रुप ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों में कुछ निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तनों को मान्य करने का चुनाव किया। यह अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी लिखतों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी अभिलाभों एवं हानियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है, तब रिज़र्व में राशि को बाद में प्रतिधारित अर्जन में, न कि लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में अंतरित किया जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांशों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की आंशिक लागत की वसूली का प्रतिनिधित्व न करे।

(xii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं हानि के प्रभावी अंश के लिए रिज़र्व

ग्रुप 'नकदी प्रवाह हेज' संबंध में हेजिंग लिखतों के अंतर्भूत मूल्य को निर्दिष्ट करता है। इस तरह के रिज़र्व में मान्य की गई राशि को उस समय लाभ या हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है जब हेज्ड मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(xiii) हेजिंग रिज़र्व की लागत

हेजिंग लिखतों के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को 'हेजिंग रिज़र्व की लागत' के रूप में इक्विटी के एक अलग घटक में संचित किया जाता है और व्यवस्थित आधार पर लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में परिशोधित किया जाता है।

29.2 ₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों पर पीएफसी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21			वित्तीय वर्ष 2019-20		
		शेयर पूंजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)	शेयर पूंजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	अंतरिम लाभांश	80%	8.00	2,112.07	95%	9.50	2,508.08
	कुल लाभांश	80%	8.00	2,112.07	95%	9.50	2,508.08

29.3 तुलन-पत्र की तारीख के बाद घटित घटनाएं

निदेशक मंडल ने 15.06.2021 को आयोजित अपनी बैठक में आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 20% अर्थात ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर ₹2/- की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

30. गैर-नियंत्रक ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	अवधि के शुरू में शेष	**16,765.57**	**16,363.02**
(i)	अवधि के लिए निवल लाभ का शेयर	3,968.37	2,355.12
(ii)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन: मापन	5.05	1.02
(iii)	अन्य व्यापक आय/(व्यय) का शेयर	221.87	261.31
	कुल व्यापक आय का शेयर	**4,185.19**	**2,092.79**
(i)	गैर-नियंत्रक ब्याज में प्रदत्त लाभांश	1,028.97	1,028.97
(ii)	गैर-नियंत्रक ब्याज के लिए प्रदत्त लाभांश वितरण कर	-	211.28
(iii)	अन्य	542.57	450.00
	अवधि के अंत में शेष - इक्विटी शेयरधारकों के लिए	**20,464.37**	**16,765.57**
	ऐसे लिखतों के लिए जिनकी प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी जैसी है (टिप्पणी 30.1 देखें)	558.40	-
	कुल गैर-नियंत्रक ब्याज	**21,022.77**	**16,765.57**

30.1 वर्ष के दौरान, पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने प्रत्येक ₹10 लाख के अंकित मूल्य के स्थायी ऋण लिखत जारी किए हैं, जिनकी कोई परिपक्वता तारीख नहीं है और 10 वर्ष के बाद केवल कंपनी के विकल्प पर पुनर्भुगतान योग्य हैं। प्रतिभूतियों के धारकों के दावे (क) निर्गमकर्ता द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के धारकों के दावों से बेहतर होंगे; और (ख) निर्गमकर्ता के अन्य सभी लेनदारों के दावों से सबॉर्डिनेटिड होंगे। यदि 10 वर्ष के बाद मांग नहीं की जाती हैं, तो इन लिखतों में स्टेप अप का प्रावधान होता है। आरईसी लिमिटेड के विवेक पर कूपन का भुगतान रद्द या निलंबित किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का कूपन संचयी नहीं है, सिवाय इसके कि जहां निर्गमकर्ता कूपन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कूपन के भुगतान को स्थगित कर सकता है, यदि (i) निर्गमकर्ता का जोखिम परिसंपत्तियों में पूंजी का अनुपात (''सीआरएआर'') आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है; या (ii) इस तरह के भुगतान के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से नीचे चला जाता है या नीचे बना रहता है।

चूंकि ये प्रतिभूतियां शाश्वत प्रकृति की हैं और ग्रुप के पास कूपन के भुगतान पर कोई मोचन दायित्व और विवेकाधिकार नहीं है, इसलिए इन्हें इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि इस तरह की इक्विटी मूल कंपनी अर्थात पीएफसी लिमिटेड पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरोप्य नहीं है, इसलिए इसे गैर नियंत्रित ब्याज के अंतर्गत शामिल किया गया है।

30.2 पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में जारी किए गए पूर्णत: इक्विटी प्रकृति के लिखतों (स्थायी ऋण लिखतों) का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	कूपन दर	बॉण्ड की संख्या	आवंटन की तारीख	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	श्रृंखला 206	7.97%	5,584.00	22.01.2021	558.40	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

31. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(क)	**परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	ऋणों पर ब्याज	70,360.77	61,491.76
	घटाएं: समय पर भुगतान के लिए ऋणकर्ताओं को रिबेट	331.33	401.99
(ii)	बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	455.25	231.22
(iii)	अन्य ब्याज आय	70.55	47.21
(ख)	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों पर**		
(i)	निवेश पर ब्याज	286.23	257.56
(ii)	अन्य आय	3.95	2.59
	कुल ब्याज आय (क+ख)	**70,845.42**	**61,628.35**

32. लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(क)	**एफवीटीओसीआई में निर्दिष्ट इक्विटी निवेशों पर लाभांश**		
(i)	वर्ष के अंत में धारित निवेश	87.76	103.75
(ii)	वर्ष के दौरान विमान्य किए गए निवेश	0.98	0.66
	उप-जोड़	**88.74**	**104.41**
(ख)	**म्यूचुअल फंड पर लाभांश**	-	1.24
	कुल लाभांश आय	**88.74**	**105.65**

33. शुल्क एवं कमीशन आय

सेवाओं की प्रकृति के आधार पर, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से ग्रुप का राजस्व इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i)	ऋणों पर पूर्व भुगतान प्रीमियम	365.60	92.34
(ii)	ऋणों पर शुल्क आधारित आय	86.44	50.05
(iii)	भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए शुल्क (टिप्पणी 55 देखें)	38.32	19.52
	कुल शुल्क एवं कमीशन आय	**490.36**	**161.91**

34. अन्य प्रचालन आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i)	सेवाओं की बिक्री (टिप्पणी 6.11 देखें)	231.42	293.37
(iii)	अन्य	-	0.16
	कुल अन्य प्रचालन आय	**231.42**	**293.53**

35. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i)	प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं	0.15	0.48
(iii)	विविध आय	44.42	85.44
	कुल अन्य आय	**44.57**	**85.92**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

36. वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर		
(i)	**ऋणों पर ब्याज**		
	- सावधि ऋण एवं अन्य	8,249.79	7,684.82
	- पट्टा देयता पर ब्याज (टिप्पणी 51.1 देखें)	1.35	1.22
(ii)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
	- बॉण्ड/डिबेंचर	33,682.96	30,710.91
	- कमर्शियल पेपर	164.74	896.99
(iii)	**सबॉर्डिनेटिड देयताओं पर ब्याज**	1,244.19	1,246.87
(iv)	**अन्य ब्याज व्यय**		
	- ब्याज सब्सिडी निधि पर ब्याज	1.41	1.35
	- आवेदन शुल्क पर ब्याज - बॉण्ड	0.04	0.06
	- सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिमों पर ब्याज	2.88	5.07
	- आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ब्याज	24.90	0.38
	- अन्य	6.77	4.73
	घटाएं: पूंजीकृत वित्त लागत	(22.04)	(15.79)
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत वित्तीय देयताओं पर		
(v)	**- स्वैप प्रीमियम (निवल)**	1,326.53	308.04
	कुल वित्त लागत	**44,683.52**	**40,844.65**

37. निवल परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि/(अभिलाभ)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	निम्नलिखित के कारण निवल परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि/(अभिलाभ)		
(i)	01.04.2018 को या उसके बाद मान्य की गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (एलटीएफसीएमआई) का परिवर्तन	(1,062.15)	3,632.64
(ii)	31.03.2018 तक मान्य की गई एलटीएफसीएमआई पर सृजित विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा का परिशोधन	1,228.35	1,358.68
	निवल परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि/(अभिलाभ)	**166.20**	**4,991.32**

37.1 ग्रुप की विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदों को वर्ष के अंत में प्रचलित दर पर निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है:

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
अमरीकी डॉलर/रुपया	73.5047	75.3859
यूरो/रुपया	86.0990	83.0496
जापानी येन/रुपया	0.6636	0.6965
एसजीडी/आईएनआर	54.3581	52.8342

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

38. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i)	एजेंसी शुल्क	4.29	2.99
(ii)	गारंटी, सूचीबद्धता एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	3.09	16.37
(iii)	क्रेडिट रेटिंग शुल्क	12.69	9.28
(iv)	अन्य वित्त प्रभार	4.16	7.56
	कुल शुल्क एवं कमीशन व्यय	**24.23**	**36.20**

39. उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल हानि/(अभिलाभ)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर:		
(i)	- डरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन	(3.15)	(648.54)
(ii)	- निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(26.26)	(9.19)
(iii)	- म्युचुअल निधि में अधिक निधि के अल्पावधि निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	(23.98)	(15.47)
	उचित मूल्य में परिवर्तन पर कुल निवल हानि/(अभिलाभ)	**(53.39)**	**(673.20)**
	उचित मूल्य में परिवर्तन:		
(i)	- प्राप्त	(819.41)	205.63
(ii)	- अप्राप्त	766.02	(878.83)
	उचित मूल्य में परिवर्तन पर कुल निवल हानि/(अभिलाभ)	**(53.39)**	**(673.20)**

39.1 इस टिप्पणी में उचित मूल्य के परिवर्तन अर्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न परिवर्तन से अन्य हैं।

40. वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर:		
(i)	ऋण	5,980.05	1,872.00
(ii)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	85.68	45.07
(iii)	चुकौती आश्वासन-पत्र	(123.44)	(6.24)
	वित्तीय लिखतों पर कुल क्षतिग्रस्तता	**5,942.29**	**1,910.83**

40.1 वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता के ब्यौरे के लिए टिप्पणी 46.1 देखें।

41. कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i)	वेतन एवं मजदूरी	271.52	285.99
(ii)	भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	30.55	36.65
(iii)	कार्मिक कल्याण व्यय	60.72	70.26
(iv)	कार्मिकों के आवासीय आवास के लिए किराया	8.03	6.82
	कुल कार्मिक हितलाभ व्यय	**370.82**	**399.72**

41.1 विभिन्न कार्मिक हितलाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में इंड एएस 19 'कार्मिक हितलाभ' के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी 50 में प्रदान किए गए हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

42. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागत	21.67	20.90
(ii)	मरम्मत एवं अनुरक्षण	17.63	18.34
(iii)	संचार लागत	4.59	5.14
(iv)	मुद्रण और लेखन सामग्री	1.98	4.65
(v)	विज्ञापन एवं प्रचार	14.23	20.06
(vi)	निदेशक शुल्क, भत्ता एवं व्यय	0.21	0.36
(vii)	लेखापरीक्षक शुल्क और व्यय	2.78	2.92
(viii)	विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	19.44	19.32
(ix)	बीमा	0.37	0.31
(x)	यात्रा एवं वाहन	20.73	35.45
(xi)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विमान्यता पर निवल हानि/(अभिलाभ)	5.15	2.65
(xii)	अन्य व्यय	76.66	98.45
	कुल अन्य व्यय	**185.44**	**228.55**

43. आयकर से संबंधित प्रकटीकरण

43.1 लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
कर व्यय		
वर्तमान वर्ष	5,321.55	3,004.98
पिछले वर्ष	401.96	83.02
(क) कुल कर व्यय	**5,723.51**	**3,088.00**
(ख) कुल आस्थगित कर व्यय	**(1,548.98)**	**1,527.42**
कुल आयकर व्यय (क+ख)	**4,174.53**	**4,615.42**

वर्ष के दौरान, पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल ने भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के माध्यम से शुरू की गई योजना के अनुसार पात्र आयकर विवादों के निपटान का विकल्प चुना है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले वर्षों के कर व्यय के रूप में ₹339.68 करोड़ की राशि प्रभारित की गई है।

43.2 समेकित अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
(क)	**मदें जिनको लाभ या हानि के रूप में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**		
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन: मापन	4.72	0.80
	- इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)	(6.01)	12.39
(ख)	**मदें जिनको लाभ या हानि के रूप में पुन: वर्गीकृत किया जाएगा**		
	- नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं (हानि) का प्रभावी अंश	(13.38)	80.27
	- हेजिंग रिजर्व की लागत	(74.98)	68.86
(ग)	**कुल आयकर व्यय (क+ख)**	**(89.65)**	**162.32**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

43.3 कर व्यय तथा लेखांकन लाभ का मिलान

कर व्यय (आय) और कर पूर्व लाभ जिसे कॉर्पोरेट कर दर से गुणा किया गया है, का मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
कर पूर्व लाभ	**19,890.73**	**14,092.67**
लागू कर दर	25.168%	25.168%
लागू कर दर का उपयोग करके कर	**5,006.10**	**3,546.84**
निम्नलिखित का कर प्रभाव:		
गैर कटौती योग्य कर व्यय	127.40	119.18
कर से छूट प्राप्त आय	(8.62)	(334.29)
धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती	(1,283.04)	(722.94)
अन्य	(354.71)	(175.86)
पिछले वर्ष की कर देयता	401.96	83.02
कर की दर में परिवर्तन*	-	1,795.36
उन्मूलन का प्रभाव	285.44	304.11
लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में कुल कर व्यय	**4,174.53**	**4,615.42**

*पिछले वित्तीय वर्ष में लागू कर दर को 34.944% से परिवर्तित करके 25.168% किए जाने के कारण, जो कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा शुरू किया गया है।

43.4 पीएफसी के संबंध में कटौती योग्य अस्थायी अंतर/ अप्रयुक्त कर हानियां/ अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिसे अग्रेनीत किया गया है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	समाप्ति की तारीख	31.03.2020 तक	समाप्ति की तारीख
कटौती योग्य अस्थायी अंतर/ अप्रयुक्त कर हानियां/ अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिसके लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्य नहीं की गई है	1.25	31.03.2024	1.25	31.03.2024
	2.54	31.03.2025	2.54	31.03.2025
	0.03	31.03.2028	-	-

43.5 आस्थगित कर शेष में मूवमेंट

वित्तीय वर्ष 2020-21

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	01.04.2020 तक निवल शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	31.03.2021 तक निवल शेष
(क)	**आस्थगित कर परिसंपत्ति**				
(i)	आयकर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान के आधार पर कटौती योग्य व्यय के लिए प्रावधान	41.54	3.86	(4.88)	40.52
(ii)	ऋणकर्ताओं को ऋण पर अपरिशोधित आय	(12.04)	6.72	-	(5.32)
(iii)	वित्तीय परिसंपत्तियों पर आरबीडीडी से अधिक क्षतिग्रस्तता हानि छूट	5,681.92	1,193.92	-	6,875.84
(iv)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	0.58	0.88	-	1.46
(v)	डेरिवेटिव का उचित मूल्य (निवल)	450.53	(315.69)	(88.37)	46.47
(vi)	अन्य	20.64	3.74	-	24.38
(ख)	**(आस्थगित कर देयताएं)**				
(i)	पट्टा आय	(47.99)	47.99	-	-
(ii)	अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(814.02)	500.30	-	(313.72)
(iii)	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं	(253.46)	44.36	-	(209.10)
(iv)	अन्य	(62.39)	62.89	-	0.50
	निवल आस्थगित कर (देयताएं)/परिसंपत्तियां	**5,005.31**	**1,548.98**	**(93.25)**	**6,461.03**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय वर्ष 2019-20

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	01.04.2019 तक निवल शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	31.03.2020 तक निवल शेष
(क)	**आस्थगित कर परिसंपत्ति**				
(i)	आयकर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान के आधार पर कटौती योग्य व्यय के लिए प्रावधान	41.22	(12.15)	12.47	41.54
(ii)	ऋणकर्ताओं को ऋण पर अपरिशोधित आय	-	(12.04)	-	(12.04)
(iii)	वित्तीय परिसंपत्तियों पर आरबीडीडी से अधिक क्षतिग्रस्तता हानि छूट	7,393.96	(1,712.04)	-	5,681.92
(iv)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	(1.45)	2.03	-	0.58
(v)	डेरिवेटिव का उचित मूल्य (निवल)	19.52	281.88	149.13	450.53
(vi)	अन्य	-	20.64	-	20.64
(ख)	**(आस्थगित कर देयताएं)**				
(i)	पट्टा आय	(66.64)	18.65	-	(47.99)
(ii)	अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(538.45)	(275.57)	-	(814.02)
(iii)	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं	(371.51)	118.05	-	(253.46)
(iv)	अन्य	(106.91)	43.13	0.72	(62.39)
	निवल आस्थगित कर (देयताएं)/परिसंपत्तियां	**6,369.74**	**(1,527.42)**	**162.32**	**5,005.31**

44. इंड एएस 33 ''प्रति शेयर अर्जन'' के अनुसार प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
(क)	न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त अवधि के लिए लाभ (मूल और तनुकृत) (₹ करोड़ में):		
(i)	चालू प्रचालनों से	11,747.83	7,122.13
(ii)	बंद प्रचालनों से	-	-
(iii)	चालू एवं बंद प्रचालनों से	11,747.83	7,122.13
(ख)	डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मूल और तनुकृत)	2,64,00,81,408	2,64,00,81,408
(ग)	प्रति इक्विटी शेयर आय (मूल और तनुकृत), अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक (₹):		
(i)	चालू प्रचालनों के लिए	44.50	26.98
(ii)	बंद प्रचालनों के लिए	-	-
(iii)	चालू एवं बंद प्रचालनों के लिए	44.50	26.98

45. पूंजी प्रबंधन

ग्रुप एक पूंजी आधार का अनुरक्षण करती है जो ग्रुप की जोखिम प्रोफाइल, विविनियामक एवं कारोबारी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। ग्रुप घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से निधियां प्राप्त करती है जिससे अन्य बातों के साथ निवेशक आधार में विविधता तथा पूंजी की इष्टतम लागत का मार्ग प्रशस्त होता है। निधियों के स्रोतों के संबंध में विवरण के लिए टिप्पणी 22, 23 और 24 देखें और इक्विटी के संबंध में विवरण के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण देखें।

जैसा कि आरबीआई के मास्टर निर्देश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण जमा अस्वीकारकर्ता कंपनी और जमा स्वीकारकर्ता कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 (इसके बाद इसे ''आरबीआई मास्टर निर्देश'' कहा गया है) में निहित है, एनबीएफसी को टीयर 1 और टीयर 2 पूंजी से युक्त एक पूंजी अनुपात का अनुरक्षण करना होता है जो तुलन-पत्र में उसकी सकल जोखिम भारित परिसंपत्तियों तथा तुलन-पत्र से अन्य मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15% से कम नहीं होना चाहिए। इसमें से टीयर-1 पूंजी 10% से कम नहीं होगी। कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण जमा अस्वीकारकर्ता कंपनी (एनडीएसआई) एनबीएफसी के रूप में आरबीआई के यहां पंजीकृत हैं। दोनों कंपनियां जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में पूंजी के निर्धारित स्तरों के अनुरक्षण की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करती हैं। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड अन्य बातों के साथ निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर के निर्गम, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों के वापस क्रय आदि के संबंध में ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का पूंजी पुनर्गठन'' पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करती हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात (सीआरएआर) इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	पीएफसी	आरईसीएल	पीएफसी	आरईसीएल
सीआरएआर - टीयर I पूंजी	15.46%	16.31%	12.45%	13.17%
सीआरएआर - टीयर II पूंजी	3.37%	3.41%	4.51%	2.89%
कुल सीआरएआर	**18.83%**	**19.72%**	**16.96%**	**16.06%**

लाभांश वितरण नीति

ग्रुप की कंपनियों की सुनिश्चित लाभांश वितरण नीति है। लाभांश वितरण नीति अनेक कारकों पर ध्यान देती है जिसमें समय-समय पर यथालागू दिशा-निर्देशों के अधीन सरकारी दिशानिर्देश, भावी पूंजी व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति तथा लाभांश पर कर सहित लागू कर शामिल हैं, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग (दीपम), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, एंटिटी को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन कर पश्चात लाभ के 30% या निवल मूल्य के 5%, जो भी अधिक हो, के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना होता है। यद्यपि संबंधित कंपनियां इन दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती हैं, लेकिन वे विभिन्न वित्तीय मानदंडों जैसे कि निवल मूल्य, कैपेक्स/व्यापार विस्तार की जरूरतों; संबंधित कंपनियों की सहायक/सहयोगी कंपनियों में अतिरिक्त निवेश आदि के विश्लेषण के बाद कम लाभांश का प्रस्ताव कर सकती हैं। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए/प्रस्तावित लाभांश के विवरण के लिए, टिप्पणी 29.2 और टिप्पणी 29.3 देखें।

46. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

ग्रुप को अनेक जोखिमों का खतरा है जो उस परिवेश में अंतर्निहित हैं जिसमें यह प्रचालन करता है। ग्रुप मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में है। प्रधान जोखिम जो समूह के व्यवसाय मॉडल में अंतर्निहित है तथा वित्तीय लिखतों के उपयोग से उत्पन्न होते हैं, में क्रेडिट जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम तथा बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम एवं कीमत जोखिम) शामिल हैं।

निम्नलिखित सारणी व्यापक रूप से ऐसे जोखिमों के स्रोतों का वर्णन करती है जिनका ग्रुप को खतरा है तथा इसमें जोखिमों के प्रबंधन के तरीके तथा समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रभाव का भी उल्लेख है:

क्र. सं.	जोखिम	माप से उत्पन्न एक्सपोजर	माप	जोखिम प्रबंधन
46.1	क्रेडिट जोखिम	ऋण, वित्तीय परिसंपत्तियां, निवेश, व्यापार से प्राप्य राशि, नकदी एवं नकदी समतुल्य	काल प्रभाव विश्लेषण	विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया, क्रेडिट सीमा, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण तथा सरकारी गारंटी सहित कोलेटरल
46.2	लिक्विडिटी जोखिम	ऋण प्रतिभूतियां, ऋण, सबॉर्डिनेटिड देयताएं तथा अन्य वित्तीय देयताएं	नकदी प्रवाह की भविष्यवाणी	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों तथा ऋण की सुविधाओं की उपलब्धता
46.3	बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा जोखिम	मान्य वित्तीय देयताएं जो भारतीय रुपए (आईएनआर) में नहीं हैं	संवेदनशीलता विश्लेषण, नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	मुद्रा जोखिम से हेजिंग के लिए डेरिवेटिव संविदाएं
46.4	बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम	ऋण प्रतिभूतियां, ऋण, परिवर्तनीय ब्याज दरों पर सबॉर्डिनेटिड देयताएं और ऋण	ब्याज दर अंतर विश्लेषण, संवेदनशीलता विश्लेषण	ब्याज दर की विविध शर्तों के साथ ऋण व्यवस्थाओं का अनुसरण, डेरिवेटिव संविदा जैसे कि ब्याज दर, स्वैप आदि।
46.5	बाजार जोखिम - मूल्य जोखिम	उद्धृत इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	कार्यनीतिक निवेशों पर फोकस के साथ पोर्टफोलियो का विविधीकरण

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए, ग्रुप की कंपनियों में एक तंत्र स्थापित किया है ताकि सुनिश्चित हो कि इन जोखिमों की ध्यान से मॉनिटर की जाती है और दक्षता के साथ प्रबंधन किया जाता है। आरबीआई की 16.05.2019 की अधिसूचना डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.099/03.10.001/2018-19 के अनुसार; संबंधित कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए, पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल के निदेशक मंडल ने संबंधित मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, मापन और शमन की प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण अर्थात उपर्युक्त प्रत्येक जोखिम की पहचान, मापन और प्रबंधन के लिए उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं का बाद के पैराग्राफों में वर्णन किया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

46.1 क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय लिखत का काउंटरपार्टी अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहने पर ग्रुप को वित्तीय हानि पहुंचाएगा। ग्रुप के लिए क्रेडिट जोखिम उत्पन्न करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
निम्न क्रेडिट जोखिम		
नकदी और नकदी समतुल्य[क]	4,927.74	1,905.21
नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से अन्य बैंक शेष[क]	3,274.82	2,282.96
ऋण (बकाया मूलधन)[ग]	6,55,373.44	5,82,949.37
व्यापार प्राप्य[ख]	151.99	112.86
निवेश (इक्विटी निवेश को छोड़कर)[क]	1,594.76	2,579.97
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां[ख]	29,779.87	27,463.77
साधारण क्रेडिट जोखिम		
ऋण (बकाया मूलधन)[ग]	50,408.61	35,252.65
व्यापार प्राप्य [ख]	55.32	52.01
उच्च क्रेडिट जोखिम		
ऋण (बकाया मूलधन)[ग]	39,407.09	49,127.25
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां[ख]	111.37	51.64
व्यापार प्राप्य[ख]	54.26	40.04

(क) नकदी एवं नकदी समकक्ष और अन्य बैंक शेष पर क्रेडिट जोखिम सीमित है क्योंकि ये पूरे देश में विविध जमा आधार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक अनुसूचित बैंकों, निजी क्षेत्र के उच्च श्रेणी के बैंकों और म्यूचुअल निधि हाउसों के पास रहते हैं। ग्रुप की कंपनियां संबंधित बैंकों/म्यूचुअल निधि हाउसों के साथ विभिन्न प्रकार के लिखतों में निधियां लगाकर जमा आधार में विविधता लाती हैं।

निवेश पर ऋण जोखिम के एक्सपोजर का प्रबंधन निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाकर, ऐसे निवेशों की समय-समय पर मॉनीटरिंग करके और वहन मूल्य पर पहुंचने के लिए उपयुक्त मूल्यांकन तकनीकों को लागू करके किया जाता है।

(ख) ऋणकर्ताओं की क्रेडिट के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करके व्यापार की प्राप्य राशियों तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम का उपशमन किया जाता है और ऐसी राशियों की वसूलनीयता की मॉनीटरिंग करके प्रबंधन किया जाता है। ग्रुप ऐसी व्यापार प्राप्य राशियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर अनुमानित क्षतिग्रस्तता हानि भत्ता वहन करता है।

(ग) ग्रुप को प्राथमिक रूप से ऋण देने के अपने प्रचालनों के माध्यम से क्रेडिट जोखिम का खतरा है। इसे नीचे दिए गए पैराग्राफ में समझाया गया है (टिप्पणी 46.1.1 – टिप्पणी 46.1.13)।

46.1.1 ऋण प्रचालनों के लिए क्रेडिट जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण

क. पीएफसी के संबंध में

पीएफसी ने क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रमुख नीतियां एवं प्रक्रियाएं स्थापित की हैं जिसमें क्रेडिट नीतियां तैयार करना, क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर के लिए पीएफसी के एप्टाइट का मार्गदर्शन करना, क्रेडिट जोखिम की समीक्षा एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना तथा निष्पादन एवं पोर्टफोलियो के प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना शामिल है। कंपनी की सभी प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित हैं।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन में दो प्रमुख क्षेत्र अर्थात परियोजना मूल्यांकन एवं परियोजना मॉनीटरिंग शामिल हैं। पीएफसी द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति के अनुसरण में पीएफसी ऋणकर्ताओं का चयन करती है, जो अन्य बातों के साथ ऋणकर्ता/परियोजना के वर्गीकरण के लिए विचार किए जाने वाले कारकों को परिभाषित करती है। पीएफसी की ग्राहक चयन प्रक्रिया परियोजना को प्रमोट करने वाली एंटिटी की लाभप्रदता सहित परियोजना की लाभप्रदता का मूल्यांकन करती है। ब्याज दर तथा अधिकतम अनुमत एक्सपोजर अन्य बातों के साथ पीएफसी द्वारा प्रदान किए गए आंतरिक वर्गीकरण पर आधारित है।

(i) परियोजना मूल्यांकन

किसी परियोजना को वित्तपोषित करने से पूर्व क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए पीएफसी सुव्यवस्थित, संस्थानिक परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है।

(क) निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए दो चरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है। शुरू में विस्तृत मूल्यांकन के लिए चुनने हेतु परियोजना की प्रथम दृष्टया तत्परता का निर्धारण करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित परियोजनाओं के लिए विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

परियोजना की लाभप्रदता के मूल्यांकन के साथ पीएफसी इक्विटी का योगदान करने तथा परियोजना को पूर्ण करने के लिए उसके प्रमोटर की सामर्थ्य का भी मूल्यांकन करती है। पीएफसी एकीकृत रेटिंग पद्धति का पालन करती है जिसके द्वारा परियोजना ग्रेडिंग और प्रमोटर ग्रेडिंग के अंकों के भारित औसत का उपयोग करके एकीकृत रेटिंग (आईआर) की गणना की जाती है। परियोजना की एकीकृत रेटिंग के आधार पर, निबंधन एवं शर्तें (सुरक्षा पैकेज और ब्याज दर सहित) निर्धारित की जाती हैं।

(ख) राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन

विस्तृत मूल्यांकन के लिए राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करने के लिए चयन किया जाता है कि क्या यह तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ तथा राज्य की एकीकृत विद्युत विकास एवं विस्तार योजनाओं से संगत है।

पीएफसी प्रचालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन को शामिल करते हुए विशिष्ट पैरामीटरों के निमित्त विद्युत संस्था के निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण संस्था को विभिन्न जोखिम रेटिंग ग्रेड में वर्गीकृत करती है। पारेषण संस्थाओं के संबंध में, पीएफसी अपनी नीति के अनुसार अपनी सहायक कंपनी आरईसीएल के वर्गीकरण को अपनाती है। एकीकृत विद्युत संस्थाओं सहित राज्य विद्युत वितरण संस्थाओं के संबंध में, पीएफसी की वर्गीकरण नीति पीएफसी की रेटिंग संरचना के अंतर्गत रेटिंग/ग्रेडिंग के साथ ऐसी रेटिंग/ग्रेडिंग को संरेखित करके विद्युत मंत्रालय (एमओपी) की एकीकृत रेटिंग अपनाने का प्रावधान करती है।

क्रेडिट एक्सपोजर सीमा, प्रतिभूति की आवश्यकताओं तथा राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को प्रदान किए गए ऋणों के मूल्य के निर्धारण के लिए ऐसी श्रेणियों/वर्गीकरणों का उपयोग किया जाता है। पीएफसी ने एकल ऋणकर्ता के लिए एक्सपोजर तथा राज्य के भीतर एक्सपोजर की मॉनीटरिंग के लिए भी तंत्र स्थापित किया है।

विस्तृत परियोजना मूल्यांकन में विभिन्न पहलुओं जैसे कि परियोजना इनपुट, सांविधिक एवं गैर-सांविधिक स्वीकृतियों, संविदाओं, परियोजना लिंकेज, वित्तीय मॉडल/ प्रक्षेपण, प्रतिफलों की गणना, संवेदनशीलता विश्लेषण आदि को शामिल करते हुए तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन शामिल होता है।

उपर्युक्त विस्तृत विश्लेषण के बाद, परियोजना एवं संस्था की समग्र लाभप्रदता का मूल्यांकन किया जाता है और पूर्व प्रतिबद्धता, पूर्व संवितरण आदि के रूप में विभिन्न शर्तें निर्धारित की जाती हैं ताकि निधियों (ऋण एवं इक्विटी दोनों), सभी भौतिक इनपुट, सभी संविदाओं की उपयुक्तता, परियोजना से संबंधित करारों/ संविदाओं/ सांविधिक एवं गैर-सांविधिक अनापत्तियों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन आदि का सुनिश्चय हो सके और सामान्यत: परियोजना की ऋण ग्राह्यता एवं ऋण के समय से चुकौती के लिए ऋणदाता के रूप में पीएफसी के ब्याज के संरक्षण का सुनिश्य हो सके। ऋण के आकार के अनुरूप क्रेडिट की सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए पीएफसी के पास एक प्राधिकार/ प्रत्यायोजन संरचना है।

(ii) प्रतिभूति एवं प्रसंविदाएं

पीएफसी परियोजना के निर्माण तथा सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख) पश्चात अवधि के दौरान जोखिमों का शमन करने के लिए प्रतिभूति के उपायों/प्रसंविदाओं का पैकेज निर्धारित करती है। जोखिम लेने की क्षमता और परियोजना के मूल्यांकन के आधार पर, पीएफसी निम्नलिखित उपायों के संयोजन को अपनाती है:

(क) प्राथमिक सुरक्षा - परियोजना परिसंपत्ति या राज्य सरकार की गारंटी पर शुल्क

(ख) कोलेटरल प्रतिभूतियां - कॉर्पोरेट गारंटी, प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी, शेयरों की गिरवी, समूह/ अन्य कंपनियों की परिसंपत्ति/ राजस्व पर प्रभार

(ग) भुगतान सुरक्षा तंत्र - एस्क्रो खाता/क्रेडिट पत्र, ट्रस्ट और रिटेंशन खाता (टीआरए)

(घ) अन्य प्रसंविदाएं - कंपनी के पक्ष में सभी परियोजना अनुबंधों, दस्तावेजों, बीमा पॉलिसियों का समनुदेशन, अग्रिम इक्विटी आवश्यकता, ऋण चुकौती आरक्षित खाता (डीएसआरए), ऋण इक्विटी अनुपात, शेयरधारकों के करार, वित्तीय क्लोज़र, आदि।

(iii) परियोजना मॉनीटरिंग

पीएफसी के पास व्यापक परियोजना/ऋण मॉनीटरिंग दिशानिर्देश है जो परियोजना निर्माण एवं कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग एवं ट्रैकिंग, चालू हो चुकी परियोजनाओं की प्रगति से संबंधित पहलुओं को कैप्चर करता है; जोखिमों की पहचान करता है जहां समय एवं लागत आधिक्य तथा संवितरण में परिणामी स्लिपेज को न्यूनतम करने के लिए दखल देने की आवश्यकता होती है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, प्रगति मॉनीटरिंग रिपोर्टों, स्थल के दौरों, ऋणकर्ताओं के साथ चर्चा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना/रिपोर्टों आदि के माध्यम से ऋणकर्ताओं से परियोजना की प्रगति के बारे में नियमित रूप से प्राप्त ब्यौरों के आधार पर मॉनीटरिंग की जाती है।

निजी क्षेत्र के लिए, जहां पीएफसी प्रमुख वित्तीय संस्था है, पीएफसी ऋणदाता इंजीनियर (एलई) और ऋणदाता वित्तीय सलाहकार (एलएफए) तैनात करती है, जो विभिन्न ऋणदाताओं तथा कंसोर्शियम के सदस्यों की ओर से कार्य करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियां हैं। एलई समय-समय पर साइट का दौरा करते हैं, प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं, ऋणकर्ताओं के साथ चर्चा करते हैं और परियोजना की प्रगति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। एलएफए आवधिक आधार पर परियोजना में निधियों के उपयोग तथा निधि प्रवाह का विवरण प्रस्तुत करते हैं। जिन मामलों में परएफसी प्रमुख वित्तीय संस्था नहीं है, एलई और एलएफए की सेवाओं से संबंधित कार्यों का समन्वय संबंधित प्रमुख ऋणदाता के साथ किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कुछ परियोजनाओं की समेकित आवधिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें महत्वपूर्ण अवलोकन/मुद्दे शामिल होते हैं जैसे सरोकार के क्षेत्र, विलंब के कारण, परियोजना को प्रभावित करने वाले मुद्दे, कार्यान्वयन आदि तथा नियमित आधार पर पीएफसी द्वारा समीक्षा की जाती है।

पीएफसी विलंब और/या ऋणकर्ताओं की डिफॉल्ट तथा उनकी वसूलनीयता की लगातार मॉनीटरिंग करता है। ऋणकर्ता के लेखा में डिफॉल्ट होने पर, पीएफसी आवश्यक कार्रवाई शुरू करती है जिसमें आरबीआई को विशेष वर्णन लेखा (एसएमए) की रिपोर्टिंग, बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय रिपॉजिटरी (सीआरआईएलसी) आदि को रिपोर्टिंग, सभी अतिदेय की वसूली द्वारा लेखा को नियमित करना, देयों की वसूली के लिए गारंटियों/प्रतिभूतियों का उपयोग करना, ऋण करार के अनुसार ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना, ऋण लेखा का पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ समाधान योजना तैयार करना, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान तंत्र (सीआईआरपी), अन्य संस्थाओं/निवेशकों को एक्सपोजर की बिक्री, अन्य वसूली तंत्र जैसे ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), एसएआरएफएइएसआई, राष्ट्रीय पीएफसी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) (आईबीसी-2016) आदि के समक्ष कानूनी कार्रवाई के लिए मामले को संदर्भित करना तथा विनियामक/विधिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य कदम शामिल हो सकते हैं, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

ख. सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

विभिन्न स्तरों पर क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन किया जाता है जिसमें मूल्यांकन, संवितरण तथा संवितरण पश्चात मॉनीटरिंग चरण शामिल हैं। आरईसीएल के पास एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश और व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है। क्रेडिट जोखिम के उपशमन के लिए आरईसीएल क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने हेतु व्यवस्थित संस्थानिक एवं परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करता है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन प्रणाली, जोखिमों की पहचान तथा उपयुक्त संरचना एवं क्रेडिट जोखिम उपशमन के उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नियमित आधार पर परियोजना जोखिम की समीक्षा की जाती है तथा परियोजना जोखिम वर्गीकरण फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम के विभिन्न पैरामीटरों तथा परियोजना के एक्सपोजर के आधार पर अधिक/ साधारण/ कम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(i) आरईसीएल के पास ''एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश'' है जिसमें क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम की ग्रेडिंग, कोलेटरल की आवश्यकता, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की मॉनीटरिंग आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विधिक जोखिम के प्रभावी प्रलेखन एवं उपशमन के सुनिश्चय के लिए स्वतंत्र ऋणदाता विधिक अधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा परियोजनाओं के लिए, जहां आरईसीएल प्रमुख वित्तीय संस्था है, आरईसीएल ऋणदाता स्वतंत्र इंजीनियर (एलआईई), ऋणदाता वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता बीमा सलाहकार (एलआईए) तैनात करता है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जो विभिन्न ऋणदाताओं तथा कंसोर्शियम के सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईए स्थल का आवधिक दौरा करता है और ऋणकर्ता के साथ चर्चा तथा संगत दस्तावेजों के निरीक्षण/समीक्षा के बाद परियोजना की प्रगति की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। एलएफए आवधिक आधार पर परियोजना में निधियों के उपयोग तथा निधि प्रवाह का विवरण प्रस्तुत करते हैं। जिन मामलों में आरईसीएल प्रमुख वित्तीय संस्था नहीं है, एलआईई और एलएफए की सेवाओं से संबंधित कार्यों का समन्वय प्रमुख ऋणकर्ता के साथ किया जा रहा है।

आरईसीएल वित्तपोषित की जा रही नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करता है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई/परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों को समाहित करता है। परियोजना की प्रगति, ईपीसी/गैर ईपीसी अनुबंधों और चालानों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा की

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

मॉनीटरिंग सहित दिन-प्रतिदिन की विभिन्न परियोजना निष्पादन गतिविधियों की बारीकी से मॉनीटरिंग करने के लिए पीएमए को परियोजना स्थल पर तैनात किया जाता है। पीएमए मूल उपकरण विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता, संयुक्त कार्य ठेकेदार के बिलों का सत्यापन भी करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश प्रदान करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मानकों की शुचिता को ध्यान में रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक उचित अध्यवसाय भी किया जाता है।

दबावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन लेखा (टीआरए) की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए आरईसी/ऋणदाताओं द्वारा मामला दर मामला आधार पर समवर्ती लेखापरीक्षकों/विशेषीकृत मॉनीटरिंग के लिए एजेंसियों/नकदी प्रवाह मॉनीटरिंग एजेंसियों को नियुक्त किया जा रहा है।

(iii) क्रेडिट की सुविधाओं के अनुमोदन एवं नवीकरण के लिए आरईसीएल में एक प्राधिकार संरचना है। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक समिति/ ऋण समिति/ निदेशक मंडल के स्तर पर व्यवसाय प्रस्ताव के आकार के अनुपात में परिशोधन की सीमाएं स्थापित की गई हैं।

(iv) उपयुक्त ब्याज दर और प्रतिभूति पैकेज प्रभारित करके आरईसीएल ने डिफॉल्ट की जोखिम की मात्रा के अनुसरण में अपने एक्सपोजर को वर्गीकृत करने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।

(v) जोखिम प्रबंध समिति तथा बोर्ड को ऋण पोर्टफोलियो की क्रेडिट गुणवत्ता पर नियमित रिपोर्टें प्रदान की जाती हैं, जिसके लिए उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है।

(vi) क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी आरईसीएल में सर्वोत्तम प्रथा को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ कौशल उपलब्ध कराने के साथ व्यवसाय यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा-निर्देशों, नीति तथा मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा के लिए समय-समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।

(vii) संबंधित व्यवसाय यूनिट द्वारा ऋणकर्ताओं को सुविधाओं की प्रतिबद्धता करने से पूर्व नामित सीमा के निमित्त व्यक्तिगत एवं ग्रुप के क्रेडिट एक्सपोजर का मूल्यांकन किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की संस्वीकृति भी समान समीक्षा प्रक्रिया के अधीन होती है।

(viii) आरईसीएल ऋणकर्ताओं एवं अन्य समकक्षों के विलंब और/या डिफॉल्ट तथा उनकी वसूलनीयता की लगातार मॉनीटरिंग करती है। ऋणकर्ता के लेखा में डिफॉल्ट होने पर, आरईसीएल डिफॉल्ट को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम शुरू करता है जिसमें आरबीआई को विशेष वर्णित लेखा (एसएमए) की रिपोर्टिंग, बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय रिपॉजिटरी (सीआआईएलसी) आदि को क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग, टीआरए लेखा की मॉनीटरिंग, ऋण करार के अनुसार ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना, ऋण लेखा का पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ समाधान योजना तैयार करना, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान तंत्र (सीआईआरपी), अन्य संस्थाओं/निवेशकों को एक्सपोजर की बिक्री तथा देयों को वसूल करने के लिए गारंटियों/प्रतिभूतियों को मंगाना सहित अन्य वसूली तंत्र शामिल हो सकते हैं परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

46.1.2 क्रेडिट जोखिम मापन - क्षतिग्रस्तता का आकलन

इंड एएस 109 शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के आधार पर क्षतिग्रस्तता के मापन के लिए 3 चरणीय मॉडल रेखांकित करता है। अपने ऋणकर्ताओं को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करने के लिए, ग्रुप निम्नलिखित आधार का उपयोग करता है:

- वित्तीय परिसंपत्ति जो शुरूआती मान्यता पर क्रेडिट की दृष्टि से क्षतिग्रस्त नहीं है, को 'चरण I' में वर्गीकृत किया जाता है।
- यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) की पहचान की जाती है, तो वित्तीय परिसंपत्ति को 'चरण II' में हस्तांतरित किया जाता है।
- यदि वित्तीय परिसंपत्ति क्रेडिट की दृष्टि से क्षतिग्रस्त है, तो उसे 'चरण III' की श्रेणी में हस्तांतरित किया जाता है।

क. पीएफसी के संबंध में

पीएफसी लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करके क्षतिग्रस्तता हानि छूट को मान्य करता है।

I. **डिफॉल्ट:** इंड एएस 109 के अनुसार, पीएफसी एक वित्तीय परिसंपत्ति को डिफॉल्ट के रूप में परिभाषित करने के लिए खंडन योग्य अनुमान पर विचार करती है, अर्थात जब ऋण खाता अपने संविदात्मक भुगतानों पर 90 दिन से अधिक समय से बकाया हो। क्रेडिट अपसामान्य वित्तीय परिसंपत्तियां डिफॉल्ट की परिभाषा के साथ संरेखित हैं।

II. **एसआईसीआर:** वित्तीय लिखत के शेष जीवनकाल में होने वाली डिफॉल्ट के जोखिम में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि क्या शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में सारवान रूप से वृद्धि हुई है। इंड एएस 109 के अनुसार, पीएफसी ने खंडन योग्य अनुमान को लागू किया है जो क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि को निर्धारित करने के लिए 30 दिन से अधिक समय से बकाया को पैरामीटर के रूप में मानता है।

चरण III की वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद (एनसीएलटी के माध्यम से स्वामित्व और/या समाधान में परिवर्तन को छोड़कर), वित्तीय परिसंपत्ति

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

को अपग्रेड किया जाता है और समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख से दो तिमाहियों के लिए चरण II के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

III. अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

पीएफसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) नीति के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षतिग्रस्तता हानि छूट को मान्य करती है। 12 माह या आजीवन आधार पर ईसीएल का मापन किया जाता है जो इस बात पर निर्भर होता है कि क्या शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना (पीडी), लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) और डिफॉल्ट पर एक्सपोजर (ईएडी) का उत्पाद है। पीएफसी ने इंड एएस 109 के अनुसार ईसीएल के मूल्यांकन के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड को नियुक्त किया है। ईसीएल की गणना की संक्षिप्त पद्धति इस प्रकार है:

(i) डिफॉल्ट की संभावना (पीडी)

पीडी किसी निश्चित समय सीमा में डिफॉल्ट की संभावना का अनुमान है। इसका अनुमान किसी समय पर लगाया जाता है। 12 माह के पीडी का मूल्यांकन करने के लिए अगले 12 माह में डिफॉल्ट करने की ऋण की संभावना का सुनिश्चय किया जाता है और इसी तरह आजीवन पीडी का मूल्यांकन करने के लिए डिफॉल्ट करने वाले ऋण के शेष जीवनकाल में उसकी संभावना का सुनिश्चय किया जाता है।

चरण I लेखा के लिए, 12 माह के पीडी का उपयोग किया जाता है।

चरण II के क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले लेखा के लिए आजीवन पीडी का उपयोग किया जाता है।

चरण III के क्षतिग्रस्त क्रेडिट लेखा के लिए 100% पीडी लिया जाता है।

12 माह के पीडी के लिए: ईसीएल के मूल्यांकन के लिए बाहरी रेटिंग ग्रेड (आईसीआरए के रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स के एक भाग के रूप में प्रकाशित) से जुड़े पीडी का उपयोग किया गया है। राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, इसे कंपनी की आंतरिक रेटिंग के साथ मैपिंग के आधार पर निकाला गया है। जबकि निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, इसे विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित नवीनतम बाहरी रेटिंग के साथ मैपिंग के आधार पर निकाला गया है। निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए बाहरी रेटिंग की अनुपलब्धता के मामले में, एजेंसी द्वारा विकसित प्रॉक्सी जोखिम स्कोरिंग मॉडल के माध्यम से 12 माह के पीडी की गणना की गई है। उक्त मॉडल गियरिंग (ऋण/इक्विटी), जैसे वित्तीय अनुपातों का उपयोग करता है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, ब्याज कवरेज अनुपात, ऋण से ईबीआईटीडीए अनुपात और गुणात्मक मानदंडों जैसे कि प्लांट लोड फैक्टर, एलएएफ और एसीएस एआरआर गैप का उपयोग करता है।

आजीवन पीडी के लिए: रेटिंग ग्रेड के आजीवन पीडी की गणना के लिए मार्कोव चेन मॉडल का उपयोग किया गया है।

(ii) लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी)

एलजीडी हानि संबंधी कारक है जिसे कंपनी तब अनुभव कर सकती है जब डिफॉल्ट होता है।

राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए, एलजीडी को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद और राजकोषीय घाटे को ध्यान में रखते हुए जोखिम श्रेणी के आधार पर निर्दिष्ट किया गया है।

निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, उत्पादन परियोजनाओं के मामले में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पूरा होने का प्रतिशत, परियोजना क्षमता और पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के मामले में परिसंपत्तियों का बही मूल्य तथा पूरा होने का प्रतिशत जैसे कारकों के आधार पर एलजीडी का मूल्यांकन किया गया है। इसके बाद सीईआरसी द्वारा प्रकाशित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर दबाव कारक और मूल्यह्रास को लागू करके उक्त मूल्यांकित मूल्यों को कम किया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य प्रकार की परियोजनाओं के मामले में चरणवार औसत एलजीडी लागू किया गया था। चरण III के ऋणकर्ताओं के मामले में, प्रचालन परियोजनाओं के लिए रियायती अनुमानित नकदी प्रवाह विश्लेषण के आधार पर और परिसमापन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए परिसंपत्ति मूल्यांकन के आधार पर एलजीडी का मूल्यांकन किया गया है।

(iii) डिफॉल्ट पर एक्सपोजर (ईएडी)

यह बकाया एक्सपोजर है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है। ईएडी में ऋण के संबंध में बकाया मूलधन तथा ब्याज शामिल होता है।

(iv) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं

- पीएफसी आधार तारीख के रूप में शुरूआती मान्यता की तारीख पर विचार करती है, जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण किया जाता है।
- चूंकि पीएफसी को अपने किसी ऋणकर्ता को किसी संस्वीकृत परंतु अनाहरित सीमा को निरस्त करने का अधिकार है, इसलिए रिपोर्टिंग की तारीख को ईएडी को बकाया शेष के रूप में माना जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(v) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का मूल्यांकन तथा ईसीएल की गणना दोनों अग्रदर्शी सूचना में शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, ईसीएल मूल्यांकन में कंपनी की सहायता के लिए नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रयुक्त क्रेडिट रेटिंग मॉडल विभिन्न वित्तीय अनुपातों, परियोजना के पूरा होने के विस्तार और तनावपूर्ण एवं अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों की संभावना को भी ध्यान में रखते हुए ऋणकर्ता को सौंपी जाने वाली क्रेडिट रेटिंग के निर्धारण में अग्रगामी सूचना पर भी विचार करते हैं। पीडी में स्थूल आर्थिक समायोजनों का समावेश मार्च 2020 में कोविड-19 के संबंध में आईसीएआई द्वारा प्रकाशित दिशा-निर्देशों को भी शामिल करता है। स्थूल आर्थिक पैरामीटरों जैसे आईआईपी (औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक), बिजली की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर, पैसे की आपूर्ति की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर आदि के सह-संबंध पर सबसे खराब, बेस और बेस्ट केस परिदृश्यों के लिए पीएफसी पोर्टफोलियो के जीएनपीए अनुपात के साथ विचार किया गया है और इसके बाद बेस पीडी टर्म संरचना में एक भारित शॉक कारक जोड़ा गया। इसलिए पीडी मूल्य में पोर्टफोलियो के विशेष प्रकृति के जोखिम के साथ-साथ स्थूल आर्थिक जोखिम कारकों के प्रभाव भी शामिल होंगे।

ख. सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

आरईसीएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसरण में इंड एएस 109 के अनुसार ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट प्रदान की जाती है, जो क्रेडिट की गुणवत्ता में सुधार/गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मानकों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापती है। आरईसीएल के प्रबंधन को मॉडल आउटपुट, यदि कोई हो, के ऊपर रखने की नीति विधिवत रूप से प्रलेखित और आरईसीएल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित है। अनुमानित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) का मूल्यांकन आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) नामक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाता है।

I. आरईसीएल में राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत संस्थाओं के लिए ग्रेडिंग की एक आंतरिक प्रणाली है। तथापि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए, आरईसीएल विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग को अपडेट होने पर अपनाता है। रेटिंग ट्रांज़िशन मैट्रिक्स के अंग के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ इन रेटिंग्स की मैपिंग की जाती है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए, आरईसीएल विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग या ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का उपयोग करता है। प्रॉक्सी जोखिम स्कोर मॉडल निम्नलिखित पैरामीटरों पर विचार करता है:

- *मात्रात्मक कारक*
  - ऋण/ईबीआईटीडीए (30% वेटेज)
  - प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल (15% वेटेज)
  - ब्याज कवरेज (25% वेटेज)
  - गियरिंग (ऋण/इक्विटी) (30% वेटेज)
- *गुणात्मक कारक*
  - तिमाहीवार प्रचालनात्मक पैरामीटर जैसे पीपीए, पीएलएफ, एसीएस - एआरआर गैप, और एलएएफ
  - वास्तविक डिफॉल्ट तारीखें
  - परियोजना की स्थिति

II. क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर)

जब किसी वित्तीय लिखत पर भुगतान उसके संविदात्मक भुगतानों पर 30 दिन से अधिक समय बाद तक देय रहता है, तो आरईसीएल यह मानता है कि वित्तीय लिखत के क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

III. डिफॉल्ट और क्षतिग्रस्त क्रेडिट परिसंपत्ति की परिभाषा

आरईसीएल किसी वित्तीय लिखत को डिफॉल्टपूर्ण के रूप में परिभाषित करता है, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त क्रेडिट की परिभाषा के साथ संरेखित है, जब ऋण खाता अपने संविदात्मक भुगतानों पर 30 दिन से अधिक समय बाद तक ऐसी किसी अवधि तक देय रहता है जो आरईसीएल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र के अनुरूप अनुमत की जाती है।

IV. ईसीएल का मापन - इनपुट का स्पष्टीकरण, मान्यताएं तथा अनुमान की तकनीकें

अनुमानित क्रेडिट हानि डिफॉल्ट की संभावना (पीडी), डिफॉल्ट पर एक्सपोजर (ईएडी) तथा निश्चित डिफॉल्ट हानि (एलजीडी) की देन है जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

- पीडी अगले 12 माह में या लिखत के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता के डिफॉल्ट करने की संभावना को दर्शाता है।
- ईएडी ऐसी राशियों को दर्शाता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया चुकौती आश्वासन-पत्र शामिल हैं, जिनका आरईसीएल डिफॉल्ट के समय धारक होने की आशा करता है।
- एलजीडी डिफॉल्ट होने की स्थिति में पीएफसी की हानि की अपेक्षा को दर्शाता है। एलजीडी को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो डिफॉल्ट के मामले में वसूली के बाद वास्तव में खो जाएगी।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

V. डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) का निर्धारण

आरईसीएल ने वार्षिक ट्रांजिशन मैट्रिक्स आधारित पीडी पर पहुंचने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित उपलब्ध वार्षिक रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि/परिपक्वता प्रोफाइल अर्थात आजीवन पीडी के अनुसार विभिन्न रेटिंग ग्रेडों की डिफॉल्ट की आजीवन संभावना पर पहुंचने के लिए इस औसत वार्षिक संक्रमण परिवर्तन मैट्रिक्स का बहिर्वेशन किया गया।

VI. लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) गणना मॉडल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान तथा उद्योग बेंचमार्किंग के आधार पर आरईसीएल ने एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में जिन कारकों की समीक्षा की गई है उनमें प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर, आरईसीएल ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन कारकों को बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में, एलजीडी पर पहुंचने के लिए, समाधान प्रक्रिया के परिणाम पर मूल्यांकन आदि सहित उपयुक्त अनुमानों का उपयोग करके परिसंपत्तियों का वसूली योग्य मूल्य निकाला गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, कंपनी ने राज्य के समर्थन को ध्यान में रखा है और यह माना है कि केंद्र सरकार/राज्य सरकारें राज्य की विद्युत संस्थाओं के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम आगे आएंगी, जैसा कि अतीत में देखा गया है।

VII. चरण III की परिसंपत्तियों के मामले में एलजीडी का संरेखण

चरण III की परिसंपत्तियां, जहां चरण III के ऋण लेखा के लिए आरईसीएल तथा पीएफसी (ग्रुप की कंपनियां) कंसोर्शियम में हैं, आरईसीएल निम्नलिखित आधार पर एलजीडी पर विचार करता है:

(क) ऐसे मामलों में जहां आरईसी या आरईसीएल प्रमुख ऋणदाता है, प्रमुख ऋणदाता द्वारा परिकलित एलजीडी प्रतिशत अपनाया जाता है।

(ख) ऐसे मामलों में न तो आरईसीएल और न ही पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, आरईसीएल तथा पीएफसी द्वारा तैयार किए गए एलजीडी के उच्चतर प्रतिशत अपनाया जाता है।

VIII. ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं

(क) आरईसीएल आधार तारीख के रूप में शुरूआती मान्यता की तारीख पर विचार करती है, जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण किया जाता है।

(ख) ईएडी ऐसी राशियों को दर्शाता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया चुकौती आश्वासन-पत्र शामिल हैं, जिनका आरईसीएल डिफॉल्ट के समय धारक होने की आशा करता है।

IX. क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

विभिन्न क्रेडिट रेटिंग वाले ऋणकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

बाहरी/मैप की गई क्रेडिट रेटिंग	31.03.2021 तक				31.03.2020 तक			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एएए	27,188.09	-	-	27,188.09	37,832.86	-	-	37,832.86
एए	95,722.23	-	-	95,722.23	82,131.73	-	-	82,131.73
ए	92,972.07	1,421.82	-	94,393.89	71,840.30	-	-	71,840.30
बीबीबी	29,817.62	-	-	29,817.62	28,629.56	-	-	28,629.56
बीबी	61,131.32	-	-	61,131.32	60,555.15	36.22	-	60,591.37
बी	17,049.99	69.68	-	17,119.67	9,876.29	23.37	-	9,899.66
सी	28,532.47	-	-	28,532.47	2,215.02	29.68	-	2,244.70
डी	1,874.55	1,396.55	18,256.93	21,528.03	-	2,342.00	21,255.55	23,597.55
सरकारी ऋण	4,602.77	-	-	4,602.77	6,616.62	-	-	6,616.62
सकल वहन राशि	**3,58,891.11**	**2,888.05**	**18,256.93**	**3,80,036.09**	**2,99,697.53**	**2,431.27**	**21,255.55**	**3,23,384.35**
हानि भत्ता	1,282.46	141.43	11,791.31	13,215.20	488.46	963.83	10,552.13	12,004.42
वहन राशि	**3,57,608.65**	**2,746.62**	**6,465.62**	**3,66,820.89**	**2,99,209.07**	**1,467.44**	**10,703.42**	**3,11,379.93**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

X. कोलेटरल तथा अन्य क्रेडिट संवर्धन

आरईसीएल क्रेडिट जोखिम के उपशमन के लिए कई प्रकार की नीतियों एवं प्रथाओं का उपयोग करता है। इनमें से सबसे आम संवितरित निधियों के लिए कोलेटरल स्वीकार करना है। कोलेटरल की विशिष्ट श्रेणियों की स्वीकार्यता या क्रेडिट जोखिम उपशमन पर आरईसीएल की आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों एवं अग्रिमों के लिए कोलेटरल के मुख्य प्रकार निम्नानुसार हैं:

- अचल संपत्तियों का मोर्टगेज
- चल संपत्ति का हाइपोथीकेशन
- परियोजना संविदा दस्तावेजों का आवंटन
- लिखतों का रेहन जिसके माध्यम से परियोजना में प्रमोटर का अंशदान शामिल किया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता का रेहन
- प्रमोटरों की कॉर्पोरेट एवं निजी गारंटी

46.1.3 क्रेडिट जोखिम विश्लेषण

क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

तुलन-पत्र में मान्य ऋणों के लिए क्रेडिट जोखिम का सकल एक्सपोजर उनकी वहन राशि के बराबर होता है। ऋणों से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम के संबंध में ग्रुप के एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 12 'ऋण' देखें।

जारी की गई वित्तीय गारंटी के लिए क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ऐसी अधिकतम राशि है जिसे ग्रुप को भुगतान करना होगा यदि गारंटियां आहूत की जाती हैं। अप्रतिसंहार्य ऋण प्रतिबद्धताओं के लिए क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर प्रतिबद्धता की सुविधाओं की पूर्ण राशि है। 31.03.2021 तक वित्तीय गारंटियों और बकाया संवितरण प्रतिबद्धताओं के संबंध में ग्रुप का एक्सपोजर ₹ 6,530.95 करोड़ (31.03.2020 तक ₹1,821.78 करोड़) है।

46.1.4 क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण

क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम से तात्पर्य उसके स्वामित्व, सेक्टर, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी एकल कंपनी या कंपनियों के ग्रुप के लिए बड़े ऋण/निवेश जोखिम से जुड़े जोखिम से है, जो अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता को ऋणदाता के मुख्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता के साथ आर्थिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तनों द्वारा समान रूप से प्रभावित करेगा।

निम्नलिखित सारणी जोखिम की समान विशेषताओं के आधार पर पीएफसी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल के समग्र ऋण पोर्टफोलियो के जोखिम संकेंद्रण के विश्लेषण का वर्णन करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूटा*
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य क्षेत्र (अर्थात राज्य सरकार और/या केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन एंटिटियों) को ऋण	6,47,197.74	2,272.49	5,71,332.27	554.49
निजी क्षेत्र को ऋण	97,991.40	27,539.42	95,997.00	27,413.96
कुल	**7,45,189.14**	**29,811.91**	**6,67,329.27**	**27,968.45**

* चुकौती आश्वासन-पत्र (एलओसी) पर ₹66.12 करोड़ के क्षतिग्रस्तता हानि छूट सहित। (31.03.2020 तक ₹188.85 करोड़)।

राज्य क्षेत्र को दिए गए ऋण विविध प्रकार के हैं क्योंकि ये विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाली कई एंटिटियों को दिए जाते हैं। कंपनियां यह मानती है कि मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र में डिफॉल्ट/हानि की कम घटना तथा कुछ ऋणों में सरकारी गारंटी की उपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र को ऋण देने की तुलना में इन ऋणों में क्रेडिट जोखिम कम है। इन परियोजनाओं में सरकारी हित मौजूद होने से भी देय राशि की वसूली न होने का जोखिम कम हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनियों का एक ऋण पोर्टफोलियो है जिसमें विविध भौगोलिक क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन (नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय), पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं को ऋण शामिल है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*
योजना द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	3,41,944.76	24,810.36	2,94,713.46	24,411.14
नवीकरणीय ऊर्जा	53,976.04	2,134.37	28,373.82	615.29
पारेषण	90,528.86	1,697.34	95,914.32	1,527.09
वितरण	2,52,132.27	1,130.80	1,60,998.49	278.21
अन्य	6,607.21	39.04	87,329.18	1,136.72
कुल	**7,45,189.14**	**29,811.91**	**6,67,329.27**	**27,968.45**

* चुकौती आश्वासन-पत्र पर ₹66.12 करोड़ (31.03.2020 तक ₹188.85 करोड़) के क्षतिग्रस्तता हानि छूट सहित।

ग्रुप की कंपनियों पर क्रेडिट संकेंद्रण के लागू मानदंडों के अनुसरण में विभिन्न परियोजनाओं एवं ऋणकर्ताओं के संबंध में एक्सपोजर की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है।

46.1.5 पीएफसी एवं सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में बकाया मूलधन और क्षतिग्रस्तता हानि छूट का चरणवार विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक			31.03.2020 तक		
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	%	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूटा*	%
चरण I	6,55,373.44	2,517.57	0.38	5,82,949.37	930.13	0.16
चरण II	50,408.61	2,086.67	4.14	35,252.65	1,737.73	4.93
चरण III	39,407.09	25,207.67	63.97	49,127.25	25,300.59	51.50
कुल	**7,45,189.14**	**29,811.91**	**4.00**	**6,67,329.27**	**27,968.45**	**4.19**

* चुकौती आश्वासन-पत्र पर ₹66.12 करोड़ (31.03.2020 तक ₹188.85 करोड़) के क्षतिग्रस्तता हानि छूट सहित।

46.1.6 बकाया मूलधन और क्षतिग्रस्तता हानि छूट के मूवमेंट का चरणवार विवरण:

निम्नलिखित सारणियों में रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत के बीच पीएफसी एवं सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में ऋणों में परिवर्तन और समतुल्य क्षतिग्रस्तता हानि छूट की व्याख्या की गई है:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2020-21	चरण I		चरण II		चरण III		कुल	
विवरण	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*	मूलधन	क्षतिग्रस्तता हानि छूट*
प्रारंभिक शेष	**5,82,949.37**	**930.13**	**35,252.65**	**1,737.73**	**49,127.25**	**25,300.59**	**6,67,329.27**	**27,968.45**
चरण-I में हस्तांतरित	29,007.95	552.11	(25,890.73)	(129.76)	(3,117.21)	(422.35)	-	-
चरण-II में हस्तांतरित	(38,926.86)	(39.83)	42,034.50	317.95	(3,107.64)	(278.12)	-	-
चरण-III में हस्तांतरित	(151.59)	(3.28)	(36.22)	(0.38)	187.81	3.66	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/ईसीएल में निवल परिवर्तन	5,745.50	541.86	(958.63)	1,154.53	51.36	3,843.74	4,838.23	5,540.13
उत्पन्न नई वित्तीय परिसंपत्तियां	1,38,527.28	653.24	1,921.09	7.36	2.00	0.20	1,40,450.37	660.80
विमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां (ऋण चुकाया गया)	(25,440.44)	(17.28)	(587.02)	(0.04)	(201.68)	(43.42)	(26,229.14)	(60.74)
अवधि के दौरान विमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां (बट्टे खाते में डालना)	(66.59)	(2.67)	(905.44)	(905.44)	(533.49)	(533.49)	(1,505.52)	(1,441.60)
अवधि के दौरान विमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्त निवेश)	(36,271.19)	(96.69)	(421.58)	(95.28)	(3,001.30)	(2,663.15)	(39,694.07)	(2,855.12)
अंतिम शेष	**6,55,373.44**	**2,517.57**	**50,408.61**	**2,086.67**	**39,407.09**	**25,207.67**	**7,45,189.14**	**29,811.91**

*एलओसी पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट सहित

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2019-20	चरण I		चरण II		चरण III		कुल	
विवरण	**मूलधन**	**क्षतिग्रस्तता हानि छूट***	**मूलधन**	**क्षतिग्रस्तता हानि छूट***	**मूलधन**	**क्षतिग्रस्तता हानि छूट***	**मूलधन**	**क्षतिग्रस्तता हानि छूट***
प्रारंभिक शेष	**5,32,107.25**	**1,388.28**	**13,880.61**	**1,576.79**	**49,888.75**	**24,900.60**	**5,95,876.61**	**27,865.68**
चरण-I में हस्तांतरित	7,809.96	579.38	(6,874.07)	(106.43)	(935.90)	(472.95)	(0.01)	-
चरण-II में हस्तांतरित	(29,768.07)	(56.70)	29,835.95	73.67	(67.89)	(16.97)	(0.01)	-
चरण-III में हस्तांतरित	(1,476.62)	(12.99)	(1,485.30)	(526.81)	2,961.92	539.80	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/ईसीएल में निवल परिवर्तन	5,369.59	(411.99)	(1,280.50)	703.83	46.38	1,675.87	4,135.47	1,967.71
उत्पन्न नई वित्तीय परिसंपत्तियां	1,17,102.08	224.26	1,739.43	17.00	75.00	30.80	1,18,916.51	272.06
विमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां (ऋण चुकाया गया)	(47,498.37)	(309.35)	(563.46)	(0.34)	(1,512.57)	(103.02)	(49,574.40)	(412.71)
अवधि के दौरान विमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां (बट्टे खाते में डालना)	(636.64)	(410.93)	-	-	(1,110.70)	(1,052.96)	(1,747.34)	(1,463.89)
अवधि के दौरान विमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्त निवेश)	(59.82)	(59.82)	-	-	(217.74)	(200.57)	(277.56)	(260.39)
अंतिम शेष	**5,82,949.37**	**930.13**	**35,252.65**	**1,737.73**	**49,127.25**	**25,300.59**	**6,67,329.27**	**27,968.45**

*एलओसी पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट सहित

46.1.7 चरण III लेखाओं का मूवमेंट:

निम्नलिखित सारणियों में रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत के बीच पीएफसी एवं सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में क्षतिग्रस्त क्रेडिट परिसंपत्तियों में परिवर्तन और समतुल्य क्षतिग्रस्तता हानि छूट की व्याख्या की गई है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i)	सकल ऋणों के अनुपात में निवल चरण III लेखे (%)	1.91%	3.57%
(ii)	निवल ऋणों के अनुपात में निवल चरण III खाते (%)	1.97%	3.71%
(iii)	चरण III का मूवमेंट (सकल)	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**
	(क) प्रारंभिक शेष	49,127.26	49,888.75
	(ख) वर्ष के दौरान संवर्धन	243.33	3,083.31
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती/बट्टे खाते में डालना	(9,963.49)	(3,844.80)
	(घ) अंतिम शेष	**39,407.09**	**49,127.26**
(iv)	निवल चरण III का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	23,826.66	24,988.15
	(ख) वर्ष के दौरान संवर्धन	166.12	779.90
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती/बट्टे खाते में डालना	(9,793.36)	(1,941.38)
	(घ) अंतिम शेष	**14,199.42**	**23,826.67**
(v)	चरण III पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	25,300.59	24,900.60
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3,848.12	2,303.41
	(ग) अधिक प्रावधानों का बट्टा खाता / प्रतिलेखन	(3,941.04)	(1,903.42)
	(घ) अंतिम शेष	**25,207.67**	**25,300.59**

46.1.8 ऋण परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालना

जब वसूली की कोई तर्कसंगत आशा नहीं होती है, तो ग्रुप की कंपनियां वित्तीय परिसंपत्तियों को पूर्ण या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाल देती है। वसूली की कोई तर्कसंगत आशा न होने के संकेतकों में प्रवर्तन की गतिविधि की समाप्ति शामिल है या जहां कंपनी की वसूली विधि कोलेटरल पर रोक लगा रही है और कोलेटरल का मूल्य इतना है कि पूर्ण वसूली की कोई तर्कसंगत आशा नहीं है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

46.1.9 परिशोधित लागत व्यवसाय की बिक्री हेतु नीति

पीएफसी और आरईसीएल व्यवसाय के सामान्य क्रम में वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री का सहारा नहीं लेती है। तथापि, संबंधित कंपनियों की एक अनुमोदित नीति है कि वे पुनर्गठन, स्वामित्व में परिवर्तन, निपटान या अन्यथा द्वारा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए आगे बढ़ सकती हैं। इसके बाद इंड एएस 109 के अनुसार विमान्य करने के लिए परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है।

आरईसीएल ने निम्नलिखित को छोड़कर, क्षतिग्रस्त क्रेडिट परिसंपत्तियों की बिक्री/खरीद का कोई लेनदेन नहीं किया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
बेचे गए लेखाओं की संख्या	1	1.00
कुल बकाया (₹ करोड़ में)	510.98	236.80
प्राप्त कुल प्रतिफल (₹ करोड़ में)	329.13	124.13

46.1.10 उन लेखों के संबंध में प्रकटीकरण जो 90 दिन से अधिक अतिदेय हैं, लेकिन जिन्हें क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं माना गया है (उन लेखों को छोड़कर जिन्हें आरबीआई के कोविड-19 राहत पैकेज के अंतर्गत राहत की अनुमति दी गई है)

विवरण	पीएफसी के संबंध में		आरईसी के संबंध में	
	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
ऋणकर्ताओं की संख्या	2	1	-	1
बकाया ऋण की राशि (₹ करोड़ में)	1,767.16	1,116.65	-	2,342.00

क. पीएफसी के संबंध में

इन ऋणकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त किया था। कंपनी के पास इन ऋण लेखों के संबंध में पर्याप्त क्षतिग्रस्तता हानि छूट है और उन्हें चरण II में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान इन ऋण लेखों पर प्रोद्भवन आधार पर ब्याज आय को मान्य नहीं किया गया है। 31.03.2020 को समाप्त पिछली छमाही के दौरान भी प्रोद्भवन आधार पर ऋण पर ब्याज आय को मान्य नहीं किया गया था।

ख. सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

वर्ष के दौरान, ऋणकर्ताओं में से एक अर्थात मैसर्स आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के ऋण का पुनर्गठन किया गया है और अब पुनर्गठित कार्यक्रम के अनुसार देय राशि का भुगतान कर रहा है। 31.03.2020 तक माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण इसे क्षतिग्रस्त क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया।

46.1.11 एनबीएफसी द्वारा इंड एएस के कार्यान्वयन पर आरबीआई के 13.03.2020 के परिपत्र के अनुसार, एनपीए अनुपात निम्नानुसार है:

क. पीएफसी के संबंध में

एनबीएफसी द्वारा इंड एएस के कार्यान्वयन पर आरबीआई के 13.03.2020 के परिपत्र के अनुसार, क्षतिग्रस्त क्रेडिट ऋण और पुनर्गठित ऋण पर विधिवत विचार करते हुए एनपीए अनुपात जिन्हें आरबीआई के मानदंडों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया होगा, निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
सकल एनपीए से सकल ऋण	5.99%	8.39%
निवल एनपीए से निवल ऋण	2.45%	4.30%

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

ख. सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

यदि ऋणों को अन्यथा आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, तो 31.03.2021 तक सकल ऋण में सकल एनपीए का अनुपात 5.04% (पिछले वर्ष 6.60%) होता और निवल ऋण में निवल एनपीए का अनुपात 1.99% (पिछले वर्ष 3.46%) होता।

46.1.12 भारतीय रिज़र्व बैंक के आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार क्षतिग्रस्तता छूट का विवरण

क. पीएफसी के संबंध में

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2021 तक					
	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 के प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
निष्पादक परिसंपत्ति						
मानक	चरण 1	3,05,410.67	1,193.00	3,04,217.67	1,586.86	(393.86)
	चरण 2	49,037.04	1,901.40	47,135.64	2,226.57	(325.17)
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-जोड़		**3,54,447.71**	**3,094.40**	**3,51,353.31**	**3,813.43**	**(719.03)**
गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 1	321.79	29.33	292.46	32.17	(2.84)
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	170.10	40.24	129.86	17.01	23.23
अवमानक के लिए उप-कुल		**491.89**	**69.57**	**422.32**	**49.18**	**20.39**
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 1	115.49	0.05	115.44	22.59	(22.55)
1 से 3 वर्ष	चरण 1	313.92	0.50	313.42	94.35	(93.85)
3 वर्ष से अधिक	चरण 1	316.45	0.11	316.34	154.45	(154.34)
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	13,863.97	7,703.23	6,160.75	6,357.63	1,345.59
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	5,874.82	4,431.62	1,443.19	4,650.66	(219.04)
संदिग्ध के लिए उप जोड़		**20,484.65**	**12,135.51**	**8,349.14**	**11,279.68**	**855.81**
हानि	चरण 3	1,241.27	1,241.27	-	1,241.27	-
एनपीए के लिए उप जोड़		**22,217.85**	**13,446.35**	**8,771.50**	**12,570.14**	**876.21**
अन्य मदें (जिनका एक्सपोजर आकस्मिक देयता का भाग है) जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं आदि जो इंड एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन आईआरएसीपी के वर्तमान मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	-	13.20	(13.20)	-	13.20
	चरण 2	-	43.83	(43.83)	-	43.83
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप-जोड़		**-**	**57.03**	**(57.03)**	**-**	**57.03**
कुल	**चरण 1**	**3,06,478.32**	**1,236.19**	**3,05,242.13**	**1,890.43**	**(654.24)**
	चरण 2	**49,037.04**	**1,945.24**	**47,091.81**	**2,226.57**	**(281.33)**
	चरण 3	**21,150.16**	**13,416.36**	**7,733.80**	**12,266.57**	**1,149.79**
	कुल	**3,76,665.52**	**16,597.79**	**3,60,067.74**	**16,383.57**	**214.22**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2020 तक					
	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 के प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
निष्पादक परिसंपत्ति						
मानक	चरण 1	2,87,255.52	441.06	2,86,814.45	1,322.84	(881.78)
	चरण 2	33,713.58	773.89	32,939.69	238.46	535.43
	चरण 3	5,203.08	2,137.83	3,065.25	1,822.31	315.52
उप-जोड़		**3,26,172.17**	**3,352.78**	**3,22,819.39**	**3,383.61**	**(30.83)**
गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 1	755.11	0.08	755.03	73.78	(73.70)
	चरण 2	6.00	0.01	5.99	0.59	(0.58)
	चरण 3	923.18	520.69	402.49	275.41	245.29
अवमानक के लिए उप-कुल		**1,684.30**	**520.78**	**1,163.52**	**349.78**	**171.01**
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 1	7.60	0.02	7.57	1.48	(1.46)
1 से 3 वर्ष	चरण 1	313.73	0.01	313.72	91.81	(91.80)
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	3,755.54	1,274.46	2,481.08	828.34	446.11
1 से 3 वर्ष	चरण 3	11,702.63	5,995.02	5,707.62	5,919.65	75.37
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	5,018.92	3,399.22	1,619.70	3,578.09	(178.87)
संदिग्ध के लिए उप-जोड़		**20,798.42**	**10,668.73**	**10,129.69**	**10,419.37**	**249.36**
हानि	चरण 3	1,241.27	1,241.27	-	1,241.27	-
एनपीए के लिए उप-जोड़		**23,723.99**	**12,430.78**	**11,293.21**	**12,010.41**	**420.37**
अन्य मदें (जिनका एक्सपोजर आकस्मिक देयता का भाग है) जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं आदि जो इंड एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन आईआरएसीपी के वर्तमान मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	-	0.49	(0.49)	-	0.49
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	179.98	(179.98)	-	179.98
उप-जोड़		**-**	**180.47**	**(180.47)**	**-**	**180.47**
कुल	**चरण 1**	**2,88,331.96**	**441.67**	**2,87,890.29**	**1,489.91**	**(1,048.24)**
	चरण 2	**33,719.58**	**773.90**	**32,945.68**	**239.05**	**534.85**
	चरण 3	**27,844.62**	**14,748.46**	**13,096.16**	**13,665.06**	**1,083.40**
	कुल	**3,49,896.16**	**15,964.03**	**3,33,932.13**	**15,394.02**	**570.01**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

ख. सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2021 तक					
	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 के प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
निष्पादक परिसंपत्ति						
मानक	चरण 1	3,57,285.43	1,273.37	3,56,012.06	2,304.84	(1,031.47)
	चरण 2	2,925.24	141.43	2,783.81	145.62	(4.19)
उप-जोड़		**3,60,210.67**	**1,414.80**	**3,58,795.87**	**2,450.46**	**(1,035.66)**
गैर निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 3	36.31	3.63	32.68	3.63	-
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	560.99	303.81	257.18	301.24	2.57
1 से 3 वर्ष	चरण 3	13,786.04	8,514.57	5,271.46	6,913.49	1,601.08
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	3,856.37	2,952.08	904.29	2,665.23	286.85
संदिग्ध के लिए उप जोड़		**18,203.40**	**11,770.46**	**6,432.93**	**9,879.96**	**1,890.50**
हानि	चरण 3	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उप जोड़		18,256.93	11,791.31	6,465.61	9,900.81	1,890.50
अन्य मदें (जिनका एक्सपोजर आकस्मिक देयता का भाग है) जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं आदि जो इंड एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन आईआरएसीपी के वर्तमान मानदंडों - चुकौती आश्वासन-पत्र के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	2,617.94	9.09	2,608.85	-	9.09
उप-जोड़		**2,617.94**	**9.09**	**2,608.85**	**-**	**9.09**
कुल	**चरण 1**	**3,59,903.37**	**1,282.46**	**3,58,620.91**	**2,304.84**	**(1022.38)**
	चरण 2	**2,925.24**	**141.43**	**2,783.81**	**145.62**	**(4.19)**
	चरण 3	**18,256.93**	**11,791.31**	**6,465.61**	**9,900.81**	**1,890.50**
	कुल	**3,81,085.54**	**13,215.20**	**3,67,870.33**	**12,351.27**	**863.93**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2020 तक					
	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत यथा अपेक्षित हानि छूट (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 के प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
निष्पादक परिसंपत्ति						
मानक	चरण 1	3,00,392.16	480.08	2,99,912.08	1,779.27	(1,299.19)
	चरण 2	2,431.83	963.83	1,468.00	702.28	261.55
उप-जोड़		**3,02,823.99**	**1,443.91**	**3,01,380.08**	**2,481.55**	**(1,037.64)**
गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	चरण 3	2,037.61	468.91	1,568.70	203.76	265.15
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	3,973.02	1,646.55	2,326.47	1,282.92	363.63
1 से 3 वर्ष	चरण 3	11,276.57	5,724.26	5,552.30	6,024.78	(300.52)
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	3,951.13	2,695.19	1,255.94	2,787.48	(92.29)
संदिग्ध के लिए उप-जोड़		**19,200.72**	**10,066.00**	**9,134.71**	**10,095.18**	**(29.18)**
हानि	चरण 3	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उप-जोड़		**21,255.55**	**10,552.13**	**10,703.41**	**10,316.16**	**235.97**
अन्य मदें (जिनका एक्सपोजर आकस्मिक देयता का भाग है) जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं आदि जो इंड एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन आईआरएसीपी के वर्तमान मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	959.67	8.38	951.29	-	8.38
उप-जोड़		**959.67**	**8.38**	**951.29**	**-**	**8.38**
कुल	**चरण 1**	**3,01,351.83**	**488.46**	**3,00,863.37**	**1,779.27**	**(1,290.81)**
	चरण 2	**2,431.83**	**963.83**	**1,468.00**	**702.28**	**261.55**
	चरण 3	**21,255.55**	**10,552.13**	**10,703.41**	**10,316.16**	**235.97**
	कुल	**3,25,039.21**	**12,004.42**	**3,13,034.78**	**12,797.71**	**(793.29)**

46.1.13 व्यापार से प्राप्य राशियों के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि

क. सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

आरईसीएल ईसीएल विधि के अंतर्गत सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आरईसीएल की सहायक कंपनियों में से एक आरईसीपीडीसीएल के व्यापार से प्राप्य राशियों के संबंध में आजीवन क्रेडिट हानि प्रदान करता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 वर्ष-2 वर्ष	2 वर्ष-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2021 तक					
सकल वहन मूल्य	124.45	22.85	32.47	46.80	226.57
अनुमानित हानि दर	15.36%	19.04%	49.98%	100.00%	38.18%
अनुमानित ऋण हानि (प्रावधान)	19.12	4.35	16.23	46.80	86.50
वहन राशि (क्षतिग्रस्तता को घटाकर)	105.33	18.50	16.24	-	140.07
31.03.2020 तक					
सकल वहन मूल्य	71.77	50.03	16.48	33.60	171.88
अनुमानित हानि दर	15.61%	23.85%	36.89%	100.00%	36.54%
अनुमानित ऋण हानि (प्रावधान)	11.20	11.93	6.08	33.60	62.81
वहन राशि (क्षतिग्रस्तता को घटाकर)	60.57	38.10	10.40	-	109.07

आरईसीपीडीसीएल ने 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया व्यापार प्राप्य राशियों पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि मानी है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

ख. सहायक कंपनी पीएफसीसीएल के संबंध में

पीएफसीसीएल की व्यापार प्राप्य राशि मुख्य रूप से राज्य सरकार की एंटिटियों से वसूली योग्य राशि है। यह मानता है कि मुख्य रूप से डिफॉल्ट/हानि के कम पूर्ववृत्त के कारण राज्य क्षेत्र के मामले में क्रेडिट जोखिम कम है। इसके अतिरिक्त, सरकारी हित की मौजूदगी वसूली न होने के जोखिम को कम कर देती है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, पीएफसीसीएल वित्तीय परिसंपत्तियों पर, विशेष रूप से संबंधित पक्षकारों के अतिरिक्त अन्य व्यापार प्राप्य राशियों पर अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को मान्य करता है। ईसीएल को 2 वर्ष से अधिक के लिए देय व्यापार प्राप्य राशियों पर 100% और एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष से कम के लिए देय व्यापार प्राप्य राशियों पर 50% के रूप में मान्य किया जाता है।

व्यापार प्राप्य राशियों का काल प्रभाव विश्लेषण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	0 से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2021 तक सकल वहन राशि	16.67	4.92	13.41	35.00
31.03.2020 तक सकल वहन राशि	25.79	1.58	5.65	33.02

अनुमानित क्रेडिट हानि छूट में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
वर्ष के शुरू में शेष	6.44	6.71
- क्षतिग्रस्तता भत्ता रीवर्सल	-	0.27
- क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता	1.02	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	7.46	6.44

46.2 लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम ऐसा जोखिम है जहां ग्रुप के पास अपनी बाध्यताओं के देय होने पर उनको वहन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं। यह जोखिम नकदी प्रवाह जो सभी वित्तीय प्रचालनों में अत:निहित होते हैं तथा कंपनी विशिष्ट एवं बाजारव्यापी घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, के समय में असंतुलन से उत्पन्न होता है।

46.2.1 निम्नलिखित सारणी में गैर रियायत आधार पर संविदात्मक मूलधन एवं ब्याज की शेष परिपक्वता के अनुसार वित्तीय देयताओं (ऋण प्रतिभूतियां, ऋण और सबॉर्डिनेटिड देयताओं) की मदों के परिपक्वता पैटर्न का विश्लेषण किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष तक	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2021 तक				
घरेलू ऋण				
मूलधन	93,922.81	2,44,250.38	2,03,858.39	5,42,031.58
ब्याज	39,155.67	1,02,683.51	69,460.04	2,11,299.22
विदेशी मुद्रा ऋण				
मूलधन	10,050.05	55,538.09	37,063.19	1,02,651.33
ब्याज	2,964.78	9,290.91	5,134.49	17,390.18
कुल	**1,46,093.31**	**4,11,762.89**	**3,15,516.11**	**8,73,372.31**
31.03.2020 तक				
घरेलू ऋण				
मूलधन	91,623.66	2,32,563.84	1,60,419.57	4,84,607.07
ब्याज	36,793.50	94,529.63	57,820.02	1,89,143.15
विदेशी मुद्रा ऋण				
मूलधन	20,006.83	50,127.26	28,918.39	99,052.48
ब्याज	3,072.86	9,078.12	5,044.54	17,195.52
कुल	**1,51,496.85**	**3,86,298.85**	**2,52,202.52**	**7,89,998.22**

उपर्युक्त सारणी में, उपयोग की शीघ्रातिशीघ्र तारीख को ध्यान में रखते हुए पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्डों को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक पेपर एवं जीरो कूपन बॉण्डों को परिपक्वता मूल्य पर दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

46.2.2 निम्नलिखित सारणी में डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं के परिपक्वता पैटर्न का विश्लेषण किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष तक	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2021 तक				
फॉरवर्ड	40.53	0.00	0.00	40.53
ऑप्शन/स्वैप	88.61	847.95	363.26	1,299.82
कुल	**129.14**	**847.95**	**363.26**	**1,340.35**
31.03.2020 तक				
फॉरवर्ड	20.23	-	-	20.23
ऑप्शन/स्वैप	94.80	1,146.00	664.52	1,905.32
कुल	**115.03**	**1,146.00**	**664.52**	**1,925.55**

उपर्युक्त सारणी काउंटरपार्टियों से प्राप्त एमटीएम के आधार पर ग्रुप की डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं के लिए इसके नकदी विश्लेषण का विवरण प्रदान करती है। परिपक्वता बकेट संबंधित डेरिवेटिव लिखत की शेष कार्यावधि के अनुसार है।

46.2.3 लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन

क. पीएफसी के संबंध में

लिक्विडिटी जोखिम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए पीएफसी की प्रतिष्ठा पर किसी आंच के बिना या अस्वीकार्य क्षति वहन किए बिना देयताओं के परिपक्व होने पर उनको कवर करने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह अनुरक्षित करने के लिए पीएफसी प्रयास करता है और वित्तपोषण के विभिन्न लिखतों के माध्यम से संसाधन जुटाकर विविध निधि आधार अनुरक्षित करने का भी प्रयास करता है। नकदी की वर्तमान स्थिति, वित्तपोषण की प्रत्याशित भावी आवश्यकताओं, अर्जन की वर्तमान और भावी क्षमता और निधियों के उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखते हुए पीएफसी की नकदी स्थिति की पर्याप्तता का निर्धारण किया जाता है।

पीएफसी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी दैनिक लिक्विडिटी का प्रबंधन करता है कि देय होने पर वित्तीय बाध्यताओं को वहन करने के लिए पीएफसी के पास पर्याप्त लिक्विडिटी हो। दीर्घ अवधि की लिक्विडिटी का प्रबंधन दीर्घ अवधि में निधि की स्थिति तथा बाजार के कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार है और उल्लंघन, यदि कोई हो, के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करना होता है। पीएफसी ने अपने ऋणों को चुकता करने में कभी डिफॉल्ट नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त, लिक्विडिटी की समग्र मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण के लिए निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में पीएफसी में एक परिसंपत्ति लिक्विडिटी समिति (एएलसीओ) है। एएलसीओ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता या नकदी प्रवाह में असंतुलन का विश्लेषण करके लिक्विडिटी जोखिम की जांच पड़ताल करता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित लिक्विडिटी विवरण के रूप में असंतुलन का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें संचयी अधिशेष या निधियों की कमी का ब्यौरा परिपक्वता सीढ़ी के अनुसरण में बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के विरूद्ध नकदी प्रवाहों का वितरण करके तैयार किया जाता है।

ख. सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

आरईसीएल कार्यनीतियों के मिश्रण के माध्यम से अपने लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करता है जिसमें प्रक्षेपित संवितरण तथा परिपक्व बाध्यताओं के आधार पर भविष्य में संसाधन जुटाना शामिल है। आरईसीएल ने प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंध प्रणाली स्थापित की है तथा एक परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ) का गठन भी किया है जो लिक्विडिटी अंतराल विश्लेषण की सहायता से लिक्विडिटी जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

पूर्वानुमान एवं वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर मॉनीटरिंग द्वारा आरईसीएल पर्याप्त बैंक शेष, अल्पावधि के निवेशों जो नकदी में तुरंत परिवर्तनीय होते हैं, तथा पर्याप्त ऋण एवं ओवरड्राफ्ट की सुविधाओं का अनुरक्षित करता है।

ग. सहायक कंपनी पीएफसीसीएल के संबंध में

पीएफसीसीएल ने 31.03.2021 और 31.03.2020 को समाप्त वर्ष की पूरी अवधि के दौरान धनात्मक नकदी शेष के साथ सजग लिक्विडिटी कार्यनीति अपनाई।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

46.2.4 वित्तपोषण की व्यवस्थाएं

क. पीएफसी के संबंध में

लिक्विडिटी की अप्रत्याशित आवश्यकता को पूरा करने के लिए पीएफसी की बैंकों से नकदी क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लाइन ऑफ क्रेडिट तथा कार्यकारी पूंजी मांग ऋण तक पहुंच है। इसके अतिरिक्त, पीएफसी की घरेलू क्रेडिट रेटिंग सर्वोच्च अर्थात एएए है जिससे अल्पावधि के भीतर घरेलू बाजार से निधियां जुटाना संभव होता है।

पीएफसी को निम्नलिखित अनाहरित ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
सीसी/ ओडी/ एलओसी/ डब्ल्यूसीडीएल सीमा	8,098.00	5,270.00

ख. सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

कंपनी की सहायक कंपनी आरईसीएल की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऋण की निम्नलिखित अनाहरित सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
एक वर्ष के भीतर कालातीत होना (नकदी क्रेडिट एवं अन्य सुविधाएं)- अस्थायी दर	5,547.28	8,780.00
एक वर्ष के बाद कालातीत होना (ऋण/ऋण लेना)- अस्थायी दर	-	497.82

46.2.5 लिक्विडिटी कवरेज अनुपात

आरबीआई ने 4.11.2019 के परिपत्र के माध्यम से एनबीएफसी के लिए लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन को शामिल करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें आरबीआई ने ₹5,000 करोड़ से अधिक के परिसंपत्ति आकार वाले जमा स्वीकार न करने सभी एनबीएफसी पर लागू नकदी कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शुरुआत की। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करते हुए एलसीआर के संदर्भ में लिक्विडिटी बफर को बनाए रखना है कि उनके पास अगले 30 दिन तक चलने वाले किसी भी तीव्र लिक्विडिटी दबाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण लिक्विड परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) है। दिशा-निर्देश के अनुसार, एलसीआर को अगले 30 कैलेंडर दिन में कुल निवल नकदी बहिर्वाह (दबावग्रस्त अंतर्वाह को घटाकर दबावग्रस्त बहिर्वाह) से विभाजित करके एचक्यूएलए के स्टॉक द्वारा दर्शाया जाता है। पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल ने उक्त मानदंडों का अनुपालन किया है और एचक्यूएलए के रूप में पर्याप्त लिक्विडिटी बफर बनाए रखा है (अर्थात रखा गया एचक्यूएलए एलसीआर का 50% है)।

46.3 बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है जहां विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण व्यावहारिक मुद्रा से अन्य मुद्रा में वर्णित वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

46.3.1 कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल को मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में वर्णित ऋणों पर विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है। इन कंपनियों के विदेशी मुद्रा में वर्णित ऋणों की वहन राशि निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	संबंधित मुद्रा में करोड़	(₹ करोड़ में)	संबंधित मुद्रा में करोड़	(₹ करोड़ में)
अमरीकी डॉलर ऋण	**1,320.30**	**97,047.96**	**1,230.25**	**92,743.53**
हेज्ड	630.00	46,307.97	612.00	46,136.17
अनहेज्ड	690.30	50,739.99	618.25	46,607.36
यूरो ऋण	**4.66**	**400.99**	**6.64**	**550.95**
हेज्ड	1.14	98.12	2.97	246.69
अनहेज्ड	3.52	302.87	3.67	304.26
जेपीवाई ऋण*	**7,249.24**	**4,810.59**	**7,720.32**	**5,377.20**
हेज्ड	2,084.60	1,383.34	2,519.05	1,754.51
अनहेज्ड	5,164.64	3,427.25	5,201.27	3,622.69
एसजीडी ऋण	**7.21**	**391.79**	**7.21**	**380.80**
हेज्ड	7.21	391.79	7.21	380.80
अनहेज्ड	-	-	-	-
कुल		**1,02,651.33**		**99,052.48**
हेज्ड		48,181.22		48,518.17
अनहेज्ड		54,470.11		50,534.31

* इसमें 31.03.2021 तक ₹940.86 करोड़ के लिए यूएसडी/आईएनआर एक्सपोजर को शामिल करते हुए वायदा के माध्यम से आंशिक रूप से हेज्ड किए गए जेपीवाई ऋण शामिल हैं (31.03.2020 तक ₹964.94 करोड़)।

46.3.2 विदेशी मुद्रा जोखिम मॉनीटरिंग एवं प्रबंधन

क. पीएफसी के संबंध में

पीएफसी ने विदेशी मुद्रा ऋणों से संबद्ध जोखिमों का प्रबंधन एवं बचाव करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंध (सीआरएम) नीति लागू की है जो संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए संरचना एवं संगठन निर्धारित करती है।

पीएफसी विनिमय दर के जोखिम से संरक्षण के लिए विभिन्न डेरिवेटिव लेनदेन अर्थात मूलधन केवल स्वैप, ऑप्शन और फॉरवर्ड संविदाएं करती है। सीआरएम नीति के अनुसार जोखिमों की रिपोर्टिंग एवं मॉनीटरिंग के लिए प्रणाली लागू की गई है जिसमें पीएफसी के वरिष्ठ कार्यपालकों से बनी जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) विदेशी मुद्रा विनिमय दर की मॉनीटरिंग करती है। ये डेरिवेटिव लेनदेन बचाव के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए। नीति प्रबंधन को सूचित करने के लिए मुद्रा जोखिम की पहचान करने, मापने एवं मॉनीटरिंग करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां एवं नियंत्रण विहित करती है। मुद्रा जोखिम प्रबंधन के अंग के रूप में बचाव अनुपात, अरक्षित एक्सपोजर, बाजार में अंक की स्थिति, बैंकों के साथ एक्सपोजर सीमा आदि जैसे पैरामीटरों की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है।

ख. सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

आरईसीएल की बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम प्रबंध नीति है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ विदेशी मुद्रा के ऋणों से संबद्ध जोखिमों का प्रबंध करना है। कंपनी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम के प्रति अपने एक्सपोजर को हेज्ड करने के लिए विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, वायदा अनुबंधों, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के संयोजन का उपयोग करती है।

इस समय सीएमडी की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता जोखिम प्रबंधन समिति (एएलसीओ) कार्य कर रही है जिसके सदस्यों में फंक्शनल निदेशकगण, वित्त एवं प्रचालनात्मक प्रभागों से कार्यपालक निदेशकगण तथा महाप्रबंधकगण शामिल हैं। एएलसीओ विभिन्न डेरिवेटिव लिखतों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर एवं ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी विभिन्न लिखतों जैसे विदेशी मुद्रा वायदा संविदा, मुद्रा विकल्प, मूलधन केवल स्वैप तथा वायदा दर करार के माध्यम से विनिमय दर को शामिल करने के लिए विभिन्न डेरिवेटिव लेनदेन करती है। ये डेरिवेटिव लेनदेन बचाव के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

46.3.3 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दी गई सारणी विदेशी मुद्रा के बकाया ऋणों के अरक्षित पोर्टफोलियो पर आईएनआर के निमित्त विदेशी मुद्रा विनिमय दर में 5% परिवर्तन के लिए ग्रुप के कुल इक्विटी पर प्रभाव (अभिलाभ/(हानि) को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विदेशी मुद्रा देयताए	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि
अमरीकी डॉलर	2,223.07	(2,223.07)	2,091.12	(2,091.12)
यूरो	12.38	(12.38)	12.56	(12.56)
जेपीवाई	170.73	(170.73)	180.14	(180.14)
कुल	**2,406.18**	**(2,406.18)**	**2,283.82**	**(2,283.82)**

46.4 बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है जहां ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

क. पीएफसी के संबंध में

(i) प्रतिफल को अभीष्ठ करते हुए बाजार जोखिम एक्सपोजर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। ब्याज दरों में परिवर्तन की दिशा तथा परिसंपत्तियों या देयताओं के तेजी से पुन: मूल्य निर्धारण के आधार पर प्रभाव लाभप्रद या प्रतिकूल हो सकता है।

परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) अंतराल विश्लेषण के माध्यम से अर्थात दर संवेदी परिसंपत्तियों तथा दर संवेदी देयताओं के बीच असंतुलन का विश्लेषण करके ब्याज दर जोखिम की जांच-पड़ताल करती है। अंतराल विश्लेषण के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण का उपयोग किया जाता है जिसमें दर संवेदी परिसंपत्तियों एवं दर संवेदी देयताओं के बीच अंतर मापा जाता है जो परिपक्वता की तारीख या पुन: मूल्य निर्धारण की तारीख, जो भी पहले हो, के आधार पर वितरित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए पीएफसी बाजार में प्रचलित स्थितियों, ऋण की लागत, लब्धि, विस्तार, प्रतियोगी दर आदि के आधार पर आवधिक आधार पर अपने ब्याज दरों की समीक्षा करती है। पीएफसी द्वारा अपनी ब्याज दर एवं क्रेडिट नीतियों के माध्यम से परिसंपत्ति मिश्रण का प्रबंधन किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ रीसेट की अवधियां, पुनर्भुगतान की अवधियां, पुनर्भुगतान प्रीमियम आदि शामिल होती हैं। लागत, बाजार की क्षुधा, टाइमिंग, बाजार परिदृश्य, एएलएम अंतराल स्थिति आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखकर देयताओं का प्रबंधन किया जाता है।

(ii) **ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण**

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम पर अर्जन (ईएआर) ब्याज जोखिम प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण फोकल बिंदु है। ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए ब्याज दरों के मूवमेंट के प्रभाव को अंतराल विवरण से प्राप्त जोखिम पर अर्जन पर मापा गया है। स्थिर तुलन-पत्र मानते हुए एक वर्ष की अवधि में ब्याज दरों में 25 बेसिस वृद्धि/कमी को ध्यान में रखकर प्रभाव तैयार किया गया है। यह विश्ललेषण दर्शाता है कि यदि दरों में 25 बीपीएस की वृद्धि/कमी होती है, तो ईएआर पर प्रभाव (+/-) ₹58.00 करोड़ होगा। (31.03.2020 तक (+/-) ₹73.08 करोड़)।

यह विश्लेषण मानता है कि दर संवेदी परिसंपत्ति और दर संवेदी देयताओं का एक समय ही पुन: मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण दर संवेदी परिसंपत्तियों एवं दर संवेदी देयताओं की शीघ्रातिशीघ्र/प्रथम पुन: मूल्य निर्धारण तारीख पर विचार करता है।

टिप्पणी: 25 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि या कटौती ब्याज दरों में तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तन के बारे में प्रबंधन के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करती है।

(iii) **ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के संबंध में प्रकटीकरण**

पीएफसी के पास परिवर्तनीय ब्याज दर के ऋण हैं जिनकी ब्याज दर ब्याज दर बेंचमार्क पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, इन ऋणों पर नकदी प्रवाह की परिवर्तनशीलता की हेजिंग करने के लिए, पीएफसी ने प्रमुख शर्तों (मूल राशि, भुगतान की तारीखों, पुनर्मूल्यांकन की तारीखों, मुद्रा) के साथ कई ब्याज दर स्वैप किया है जो उस ऋण से मेल खाते हैं जिस पर वह एक निश्चित दर का भुगतान करती है और परिवर्तनीय दर प्राप्त करती है। पीएफसी के ऋणों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण ब्याज दर बेंचमार्क 6 माह का यूएसडी/जेपीवाई लिबोर (लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट) है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

विदेशी मुद्रा ऋण का विवरण निम्नलिखित है जो 6 माह के यूएसडी लिबोर के लिए जून 2023 और जेपीवाई लिबोर के लिए दिसंबर 2021 के बाद योजना के अनुसार लिबोर ट्रांजिशन के आधार पर प्रभावित हो सकता है:

बेंचमार्क	संबंधित मुद्रा में राशि (मिलियन)
6 माह यूएसडी लिबोर	यूएसडी 909
6 माह जेपीवाई लिबोर	जेपीवाई 36,336

पीएफसी लिबोर ट्रांजिशन प्लान का प्रबंधन कर रही है। महत्वपूर्ण परिवर्तन अस्थिर दर के लिबोर संदर्भित ऋण एवं संबंधित स्वैप और हेज नियुक्ति के समरूपी अपडेट की संविदात्मक शर्तों में संशोधन होगा। कंपनी ने ब्याज दर बेंचमार्क से जुड़े अपने सभी सुविधा समझौते में लिबोर ट्रांजिशन से संबंधित खंड शामिल किए हैं। इसके अतिरिक्त, पीएफसी उपलब्ध वैकल्पिक बेंचमार्क और कॉमर्शियल पर चर्चा करने के लिए अन्य काउंटरपार्टी के साथ चर्चा कर रही है, लेकिन आईबीओआर (इंटरबैंक ऑफर रेट) के सुधारों के लिए आवश्यक परिवर्तनों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। हेजिंग लिखतों की नाममात्र राशि जो लिबोर ट्रांजिशन के कारण अर्थात जून 2023 के बाद प्रभावित हो सकती है, यूएसडी ब्याज दर स्वैप - 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

ख. सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

(i) आरईसीएल ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप अनुबंध, वायदा ब्याज दर अनुबंध जैसे विभिन्न डेरिवेटिव अनुबंधों के माध्यम से अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करता है। आरईसीएल विभिन्न मुद्राओं में ब्याज के अंतर से लाभ उठाने के लिए लागत कम करने की कार्यनीति के रूप में क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करता है।

निम्नलिखित सारणी 31.03.2021 तक रक्षित/अरक्षित श्रेणी के अंतर्गत विभाजन के साथ परिवर्तनशील दर वाली देयताओं पर ब्याज दर जोखिम के संबंध में आरईसीएल के समग्र एक्सपोजर को दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा और ₹ करोड़ में आईएनआर समतुल्य)

मुद्रा	31.03.2021 तक			31.03.2020 तक		
	परिवर्तनशील ब्याज दर एक्सपोजर	डेरिवेटिव के माध्यम से हेज किया गया	हेज रहित एक्सपोजर	परिवर्तनशील ब्याज दर एक्सपोजर	डेरिवेटिव के माध्यम से हेज किया गया	हेज रहित एक्सपोजर
आईएनआर ऋण	35,738.58	-	35,738.58	19,899.78	-	19,899.78
अमरीकी डॉलर	276.88	163.00	113.89	324.20	283.00	41.20
आईएनआर समतुल्य	20,352.38	11,981.27	8,371.11	24,439.81	21,334.21	3,105.60
जापानी येन	2,084.61	1,032.71	1,051.90	1,032.71	1,032.71	-
आईएनआर समतुल्य	1,383.35	685.31	698.04	719.28	719.28	-
एसजीडी	7.21	7.21	-	7.21	7.21	-
आईएनआर समतुल्य	391.79	391.79	-	380.83	380.83	-
कुल आईएनआर समतुल्य	**57,866.10**	**13,058.37**	**44,807.73**	**45,439.70**	**22,434.32**	**23,005.38**

आरईसीएल के ऋणों पर अर्ध नियत दर अर्थात 1/3/10 वर्ष में रिसेट के लिए ऋणकर्ता को विकल्प प्रदान करने के साथ ब्याज की नियत दर प्रभारित की जाती है। आरईसीएल बाजार में प्रचलित स्थितियों, ऋण की लागत, लब्धि, स्प्रेड, प्रतियोगियों की दरों, संस्वीकृतियों एवं संवितरणों आदि के आधार पर आवधिक आधार पर ऋण की अपनी दरों की समीक्षा करती है। भुगतान पूर्व जोखिमों के प्रबंधन के लिए आरईसीएल ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में ऋणकर्ताओं से पूर्व भुगतान प्रीमियम प्रभारित करती है। ब्याज दर संवेदनशीलता अंतराल विवरण का विश्लेषण करके और नियत एवं परिवर्तनशील ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों एवं देयताओं के सृजन का मूल्यांकन करके ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है।

आरईसीएल को निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम का खतरा है जो अर्ध नियत दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
रुपया ऋण	3,63,580.03	3,12,065.92

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ii) संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी अनहेज्ड एक्सपोजर पर आरईसीएल की परिवर्तनशील दरों वाली परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर ब्याज दर में 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि या ह्रास के लिए पीएल एंड एल (अभिलाभ/(हानि) पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	वृद्धि	(ह्रास)	वृद्धि	(ह्रास)
परिवर्तनशील दर वाली ऋण देयताएं	(167.65)	167.65	(86.08)	86.08
परिवर्तनशील/अर्ध नियत दर वाली ऋण परिसंपत्तियां	1,360.37	(1,360.37)	1,167.63	(1,167.63)

* सभी अन्य परिवर्तनशील राशियों को अचल रखते हुए

उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि पूरे वर्ष के लिए बकाया बनी रहती है। 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि या कटौती ब्याज दरों में तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तन के बारे में प्रबंधन के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करती है।

(iii) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) के संबंध में प्रकटीकरण

आरईसीएल के पास परिवर्तनीय ब्याज दर के ऋण हैं जिनकी ब्याज दरें विभिन्न बेंचमार्कों से संबद्ध है। विदेशी मुद्रा ऋण के लिए ब्याज दर के इस तरह के बेंचमार्कों में 1/3/6 माह का यूएसडी/जेपीवाई लिबोर (लंदन इंटर-बैंक द्वारा प्रस्तुत रेट) और 6 माह का एसओआर (स्वैप ऑफर रेट) शामिल हैं। ऐसे ऋणों का सारांश नीचे दिया गया है:

बेंचमार्क	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (मिलियन यूएसडी समतुल्य)
1 माह यूएसडी लिबोर	1,690.61	230.00
3 माह यूएसडी लिबोर	5,512.85	750.00
6 माह यूएसडी लिबोर	13,148.92	1,788.85
6 माह जेपीवाई लिबोर	1,383.35	188.20
6 माह एसओआर	391.79	53.30
कुल	**22,127.52**	**3,010.35**

जैसा कि यूके वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) द्वारा 05.03.2021 को घोषित किया गया है, जेपीवाई लिबोर 31.12.2021 के बाद प्रकाशित होना बंद हो जाएगा और 1 माह, 3 माह और 6 माह का यूएसडी लिबोर 30.06.2023 के बाद प्रकाशित होना बंद हो जाएगा। चूंकि एसओआर (सिंगापुर स्वैप ऑफर रेट) को यूएसडी लिबोर के साथ भी बेंचमार्क किया गया है, यह भी 30.06.2023 से गैर प्रतिनिधित्व बन जाएगा।

(क) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से सीधे प्रभावित एक्सपोजर

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से सीधे तौर पर प्रभावित एक्सपोजर की कुल राशि ₹13,468.66 करोड़ है। इसमें से, ऐसी देयताओं से जुड़े और हेज एकाउंटिंग के अंतर्गत लेखांकित डेरिवेटिव एक्सपोजर की नाममात्र राशि ₹4,752.33 करोड़ है।

(ख) बेंचमार्क की वैकल्पिक दरों में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रबंधन

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के अनुसार, लिबोर को वैकल्पिक जोखिम मुक्त दरों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) यूएसडी लिबोर का स्थान लेगा, जबकि टीओएनए (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट) जेपीवाई लिबोर का स्थान लेगा। आईएसडीए (इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन), जो वैश्विक डेरिवेटिव सौदों को नियंत्रित करने वाला वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वैधानिक निकाय है, द्वारा परंपरा में प्राप्त सभी अनुबंधों को नए बेंचमार्क में स्थानांतरित करने के लिए आईएसडीए 2020 आईबीओआर फॉलबैक प्रोटोकॉल (आमतौर पर फॉलबैक प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित) लाया गया है। आरईसीएल फॉलबैक प्रोटोकॉल के मुताबिक चल रहा है जिसके अंतर्गत विभिन्न लिबोर बेंचमार्क के लिए फॉलबैक सभी काउंटरपार्टियों के साथ मौजूदा डेरिवेटिव व्यापारों पर स्वत: लागू हो जाएंगे।

(ग) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रभावित एक्सपोजर के लिए महत्वपूर्ण अनुमान

इंड एएस 109 ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से सीधे प्रभावित सभी हेजिंग संबंधों के अस्थायी अपवाद प्रदान करता है। यद्यपि अंतर्निहित ऋण के लिए बेंचमार्कों पर अभी तक ऋणदाताओं के साथ सहमति नहीं हुई है, यह माना गया है कि अंतर्निहित ऋण एवं डेरिवेटिव अनुबंध की वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में कोई बदलाव नहीं होगा और इस तरह के सुधार से हेज की प्रभावशीलता में कोई बदलाव नहीं है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

46.5 बाजार जोखिम - कीमत जोखिम

ग्रुप को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश से उत्पन्न कीमत जोखिम का खतरा है। समूह के इससे जुड़े एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 13 क 'निवेश' देखें।

संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी ग्रुप के बाहर ग्रुप के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5% वृद्धि या ह्रास के लिए लाभ एवं हानि के समेकित विवरण पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	वृद्धि	(ह्रास)	वृद्धि	(ह्रास)
लाभ एवं हानि पर प्रभाव	4.18	(4.18)	2.22	(2.22)
ओसीआई पर प्रभाव	63.61	(63.61)	61.48	(61.48)

47. हेज लेखांकन

एफवीटीपीएल पर डेरिवेटिव का मापन किया जाता है, जब तक कि हेज लेखांकन संबंध के अंतर्गत नामित न हो। ग्रुप ने नकदी प्रवाह हेज के अंतर्गत कुछ डेरिवेटिव अनुबंधों को अभिहीत किया है। ब्याज दर डेरिवेटिव से अन्य डेरिवेटिव के लिए, ग्रुप ऑप्शन के समय मूल्य को छोड़कर ऑप्शन अनुबंधों के केवल आंतरिक मूल्य को हेज्ड मद के रूप में अभिहीत करती है। ऑप्शन के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है और हेजिंग रिज़र्व की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में ऑप्शन के समय मूल्य को हेजिंग लिखत के कार्यकाल में व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

नीचे दी गई सारणी पीएफसी और सहायक कंपनी आरईसीएल के लिए नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत और हेजिंग रिज़र्व की लागत पर लाभ/(हानि) के प्रभावी अंश में मूवमेंट प्रदान करती है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
(क)	रिजर्व का प्रारंभिक शेष (कर का निवल)	(523.49)	(50.15)
(ख)	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य की गई राशि	(1,685.62)	321.98
(ग)	ओसीआई से पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत राशि (परिशोधन सहित)	2,036.73	(944.45)
(घ)	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य की गई निवल राशि (ख+ग)	351.11	(622.47)
(ड.)	उपर्युक्त (घ) पर आस्थगित कर	(88.36)	149.13
(छ)	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य की गई निवल राशि (कर का निवल) (घ+ड)	262.75	(473.34)
(ज)	रिजर्व का अंतिम शेष (कर का निवल) (क+च)	(260.74)	(523.49)
	- इक्विटी के स्वामियों पर आरोप्य	(201.92)	(319.42)
	- एनसीआई पर आरोप्य	(58.82)	(204.07)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्य की गई हेज अप्रभाविता - शून्य (पिछले वर्ष ₹0.13 करोड़)।

क. पीएफसी के संबंध में

(i) हेज की प्रभावशीलता

हेजिंग संबंध की शुरुआत में, और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से हेज की प्रभावशीलता निर्धारित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हेज्ड मद और हेजिंग लिखत के बीच आर्थिक संबंध मौजूद है। कंपनी प्रभावशीलता परीक्षण की निम्नलिखित कार्यनीतियों का उपयोग करती है:

(क) ऑप्शन से अन्य डेरिवेटिव के लिए जो हेज्ड मद की शर्तों से बिल्कुल मेल खाते हैं, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण शर्त मिलान विधि का उपयोग करते हुए गुणात्मक कारकों पर आधारित होते हैं (जहां हेजिंग लिखत और हेज्ड मद की प्रमुख शर्तें समान होती हैं)।

(ख) ऑप्शन संरचनाओं के लिए, कंपनी समाश्रयण विश्लेषण आधारित डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज्ड मद के मूल्य में परिवर्तन के संबंध का विश्लेषण करती है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ii) नकदी प्रवाह हेज के रूप में अभिहित हेजिंग लिखतों का विवरण:

क्र. सं.	विवरण	नाममात्र राशि (₹ करोड़ में)	वहन राशि		परिपक्वता की तारीख	भारित औसत दर/ स्ट्राइक कीमत[1]
			परिसंपत्ति (₹ करोड़ में)	देयताएं (₹ करोड़ में)		
31.03.2021 तक						
1.	मुद्रा डेरिवेटिव	55.13	0.09	-	17.06.2021	73.6705
		9.38	0.02	-	21.06.2021	73.6890
		26.57	0.06	-	30.06.2021	73.7625
		1,837.62	81.33	-	28.06.2022	4.53%
		1,837.62	44.40	-	26.09.2023	4.12%
		735.05	-	1.58	13.10.2023	3.67%
		2,205.14	-	16.08	05.11.2023	3.48%
		2,940.19	-	9.17	14.06.2024	3.95%
		2,205.14	72.87	-	13.09.2024	4.43%
		1,837.61	-	25.09	20.12.2024	3.88%
	उप-जोड़	**13,689.45**	**198.77**	**51.92**		
2.	ब्याज दर डेरिवेटिव	1,837.62	-	43.96	28.06.2022	1.76%
		1,837.62	-	134.36	26.09.2023	3.15%
		735.05	0.78	-	13.04.2024	0.50%
		2,205.14	1.25	-	05.05.2024	0.55%
		1,837.61	2.07	-	20.06.2024	0.58%
	उप-जोड़	**8,453.04**	**4.10**	**178.32**		
3.	**कुल (1+2)**	**22,142.49**	**202.87**	**230.24**		
31.03.2020 तक						
1.	मुद्रा डेरिवेटिव	1,884.65	120.04	-	26.09.2023	4.12%
		1,884.65	141.60	-	28.06.2022	4.53%
		2,261.58	166.47	-	13.09.2024	4.43%
	उप-जोड़	**6,030.88**	**428.11**	**-**		
2.	ब्याज दर डेरिवेटिव	1,884.65	-	183.34	26.09.2023	3.15%
		1,884.65	-	50.23	28.06.2022	1.76%
	उप-जोड़	**3,769.30**	**-**	**233.57**		
3.	**कुल (1+2)**	**9,800.18**	**428.11**	**233.57**		

[1] पीओएस/ ऑप्शन/ आईआरएस के मामले में – भारित औसत दर का संकेत दिया गया है और फॉरवर्ड के मामले में सौदा दर का संकेत दिया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(iii) हेजिंग लिखत की नाममात्र राशि के समय की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विवरण (डेरिवेटिव सहित)	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
मुद्रा डेरिवेटिव		
1 वर्ष तक	91.08	-
1 - 5 वर्ष	13,598.37	6,030.88
5 वर्ष से अधिक	-	-
उप-जोड़ (क)	**13,689.45**	**6,030.88**
ब्याज दर डेरिवेटिव		
1 वर्ष तक	-	-
1 - 5 वर्ष	8,453.04	3,769.30
5 वर्ष से अधिक	-	-
उप-जोड़ (ख)	**8,453.04**	**3,769.30**
कुल (क+ख)	**22,142.49**	**9,800.18**

उपर्युक्त सारणी में परिपक्वता बकेट संबंधित डेरिवेटिव लिखत की शेष कार्यावधि के अनुसार हैं।

(ख) सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

हेजिंग संबंध की शुरुआत में, और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से हेज की अप्रभाविता निर्धारित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हेज्ड मद और हेजिंग लिखत के बीच आर्थिक संबंध मौजूद है। कंपनी प्रभावशीलता परीक्षण की निम्नलिखित कार्यनीतियों का उपयोग करती है:

- क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के लिए जो हेज्ड मद की शर्तों से बिल्कुल मेल खाते हैं, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण शर्त मिलान विधि का उपयोग करने वाले गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं।
- अन्य ब्याज दर स्वैप (देर से अभिधान के मामलों में) के लिए, आरईसीएल काल्पनिक डेरिवेटिव का उपयोग करने वाली डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करता है। डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेज्ड जोखिम पर आरोप्य हेज्ड मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन के साथ हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की तुलना की जाती है।
- ऑप्शन संरचनाओं के लिए, आरईसीएल समाश्रयण विश्लेषण आधारित डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज्ड मद के व्यवहार का विश्लेषण करता है।

आरईसीएल ने हेजिंग संबंधों के लिए अंतर्निहित जोखिम के रूप में 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है और हेजिंग लिखतों की आनुमानिक राशि हेज्ड मद के समान है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ii) तुलन-पत्र पर हेज एकाउंटिंग के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

हेज और जोखिमों के प्रकार	आनुमानिक राशि (मिलियन में)	हेजिंग लिखत की वहन राशि		परिपक्वता तारीख	हेजिंग अनुपात	औसत भारित स्ट्राइक कीमत/दर	हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज की प्रभावशीलता की पहचान करने के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त हेज्ड मद के मूल्य में परिवर्तन
		परिसंपत्तियां	देयताएं					
31.03.2021 तक								
नकदी प्रवाह हेज								
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम								
सीगल संरचना	यूएसडी 2595	1,458.96	43.25	अप्रैल 2021 - अक्तूबर 2025	1:1	73.32	(611.68)	611.68
	जेपीवाई 20,846.12	198.23	-	अगस्त 2023 - सितंबर 2025	1:1	0.66	(131.87)	131.87
कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	77.74	-	मार्च 2024	1:1	71.94	(93.51)	93.51
क्रॉस करेंसी स्वैप	यूएसडी 1350	-	244.37	दिसंबर 2021 - मार्च 2025	1:1	2.92% और 72.93	(73.78)	73.78
	जेपीवाई 10,327.12	-	4.06	अगस्त 2023	1:1	0.42% और 0.62	(0.08)	0.08
	एसजीडी 72.08	23.86	-	मार्च 2025	1:1	1.44%	21.54	(21.54)
मूलधन केवल स्वैप	यूएसडी 375	-	121.08	मार्च 2025 - जून 2030	1:1	7541.00%	(174.62)	174.62
ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 260	-	69.74	मार्च 2024 - जुलाई 2024	1:1	2.32%	(1.12)	1.12
31.03.2020 तक								
नकदी प्रवाह हेज								
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम								
सीगल संरचना	यूएसडी 1410.00	1,494.84	-	मई 2020 - मार्च 2025	1:1	71.88	213.14	(213.14)
	जेपीवाई 10,327.10	167.37	-	अगस्त 2023	1:1	0.62	10.3	(10.3)
कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250.00	97.16	-	मार्च 2024	1:1	71.94	81.36	(81.36)
क्रॉस करेंसी स्वैप	यूएसडी 1,000.00	-	297.86	दिसंबर 2020 - मार्च 2025	1:1	3.67%	(175.35)	175.22
	जेपीवाई 10,327.10	-	5.28	अगस्त 2023	1:1	0.42%	(1.29)	1.29
	एसजीडी 72.08	2.32	-	मार्च 2025	1:1	1.18%	2.32	(2.32)
ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 1,260	5.24	134.45	जुलाई 2020 - जुलाई 2024	1:1	2.35%	(185.91)	185.91

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

48. उचित मूल्य का मापन

48.1 ग्रुप की कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को रिपोर्टिंग की प्रत्येक अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। निम्नलिखित सारणी सूचना प्रदान करती है कि कैसे इन वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य निर्धारित किए जाते हैं (विशेष रूप से प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक एवं इनपुट)।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय परिसंपत्ति/वित्तीय देयता - आवर्ती उचित मूल्य	उचित मूल्य		उचित मूल्य पदानुक्रम (टिप्पणी 6.1 देखें)	मूल्यांकन तकनीक और मुख्य इनपुट
		31.03.2021	31.03.2020		
1	**ऋण प्रतिभूतियों में निवेश (स्थायी बॉण्ड)**				
	- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-	810.05	स्तर 3	उचित मूल्य की गणना रियायती नकदी प्रवाह विधि का उपयोग करके की गई है
	- इंडियन बैंक	-	500.31		
	- बैंक ऑफ बड़ौदा	-	500.00		
	- सिंडीकेट बैंक	-	500.31		
2	**उद्धृत इक्विटी निवेश**				
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड	93.30	46.50	स्तर 1	उद्धृत बाजार कीमत
	- कोल इंडिया लिमिटेड	182.03	195.57		
	- एनएचपीसी लिमिटेड	953.00	817.50		
	- सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड	42.31	-		
	- आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	1.52	0.69		
	- इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	-	157.01		
	- रतनइंडिया पावर लिमिटेड	83.56	44.24		
3	**गैर उद्धृत इक्विटी निवेश**				
	- पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	-	-	स्तर 3	उचित मूल्य की गणना शून्य के रूप में की गई है क्योंकि पीएफसी का अनुमान है कि निवेशक कंपनी के वित्तीय विवरणों के आधार पर निवेश से कोई महत्वपूर्ण राशि प्राप्त नहीं की जा सकती है।
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड	-	-		पुनर्गठन के अनुसार आवंटित, विवेकपूर्ण आधार पर ₹1 पर मूल्यांकित
	- युनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स)।	-	-		उचित मूल्य की गणना शून्य के रूप में की गई है क्योंकि 2014 में यूसीएक्स को बंद कर दिया गया था, जिससे सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय परिसंपत्ति/वित्तीय देयता - आवर्ती उचित मूल्य	उचित मूल्य		उचित मूल्य पदानुक्रम (टिप्पणी 6.1 देखें)	मूल्यांकन तकनीक और मुख्य इनपुट
		31.03.2021	31.03.2020		
4	**अधिमानी शेयरों में निवेश**				
	- रतनइंडिया पावर लिमिटेड-ओसीसीआरपीएस	139.18	145.99	स्तर 3	करार की शर्तों के अनुसार रियायती भावी नकदी प्रवाह का उपयोग करते हुए उचित मूल्य
	- सुजलॉन ग्लोबल सर्विसिज लिमिटेड-सीसीपीएस	-	-		पुनर्गठन के अनुसार आवंटित, विवेकपूर्ण आधार पर ₹1 पर मूल्यांकित
5	**डिबेंचर में निवेश**				
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला 1 - ओसीडी	140.21	-	स्तर 3	करार की शर्तों के अनुसार रियायती भावी नकदी प्रवाह का उपयोग करके उचित मूल्य
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला 2 - ओसीडी	60.20	-		
	- सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड - ओसीडी	94.28	-		
	- एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड - श्रृंखला 3 - ओसीडी	-	-		स्ट्रक्चर्ड चुकौती अनुसूची की अनुपलब्धता के कारण ₹1 पर उचित मूल्य निर्धारित किया गया। डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य के नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं।
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - श्रृंखला ए - ओसीडी	-	-		
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - श्रृंखला बी - ओसीडी	-	-		
	- आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड - श्रृंखला एआई - ओसीडी	-	-		
6	**केएसके के स्माल इज ब्यूटीफुल निधि की यूनिटें**	-	12.24	स्तर 3	उचित मूल्य शून्य है क्योंकि निधि का परिसमापन चल रहा है और वसूली योग्य मूल्य अनिश्चित है।
7	**डेरिवेटिव वित्तीय लिखत**				
	परिसंपत्तियां	3,562.67	5,182.27	स्तर 2	इन संविदाओं का उचित मूल्य काउंटरपार्टी बैंकों से प्राप्त किया जाता है, जो मूल्यांकन विधि का उपयोग करके इसका निर्धारण करते हैं जिसमें ऐसे इनपुट का उपयोग किया जाता है जो संविदाओं के लिए पालनीय होते हैं, जैसे ब्याज दर एवं लब्धि कर्व, अस्पष्ट अस्थिरताएं आदि।
	देयता	1,340.35	1925.55		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

48.2 इस अवधि में स्तर 1 और स्तर 2 के उचित मूल्य पदानुक्रम के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ।

48.3 स्तर 3 के इनपुट के माध्यम से निर्धारित उचित मूल्य वाले वित्तीय लिखतों का मिलान:

निम्नलिखित सारणी स्तर 3 के इनपुट के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई ग्रुप की वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रारंभिक एवं अंतिम राशियों का मिलान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बॉण्ड लिखतों में निवेश	अधिमानी शेयरों में निवेश	ओसीडी में निवेश	उद्यम पूंजी निधि में निवेश	गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर में निवेश
वित्तीय वर्ष 2020-21					
प्रारंभिक शेष	2,310.67	145.99			
वर्ष के दौरान किया गया निवेश			306.62		
निपटान	(2,555.54)	-	(47.03)	-	-
स्तर 3 में अंतरण	-	-	-	12.27	-
स्तर 3 से अंतरण	-	-	-	-	-
ब्याज आय	244.87	6.26	35.10	-	-
उचित मूल्य अभिलाभ/(हानि)	-	(13.07)	-	(12.27)	-
अंतिम शेष	0.00	139.18	294.69	-	-
अवधि के अंत में धारित शेष पर अप्राप्त अभिलाभ/(हानि)	-	6.18	12.42	(12.27)	(16.00)
वित्तीय वर्ष 2019-20					
प्रारंभिक शेष	2,366.71		-	-	-
वर्ष के दौरान किया गया निवेश		127.15	-	-	-
निपटान	(312.10)		-	-	-
ब्याज आय	256.06	1.50	-	-	-
उचित मूल्य अभिलाभ/(हानि)	-	17.34	-	-	-
अंतिम शेष	**2,310.67**	**145.99**	**-**	**-**	**-**
अवधि के अंत में धारित शेष पर अप्राप्त अभिलाभ/(हानि)	10.67	18.84			(16.00)

48.4 परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं का उचित मूल्य:

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति/देयता	उचित मूल्य का अनुक्रम	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य
ऋण	स्तर 3	7,22,386.84	7,27,567.67	6,46,196.11	6,44,517.94
निवेश	स्तर 3	1,160.89	1,173.94	123.31	130.41
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	स्तर 2	29,779.87	29,791.25	27,463.77	27,469.30
ऋण प्रतिभूतियां(क)	स्तर 1/2	4,80,080.65	4,89,419.90	4,41,765.90	4,36,863.38
अन्य ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न ऋण(ख)	स्तर 2	1,63,344.42	1,61,896.67	1,40,664.60	1,47,031.59
सबॉर्डिनेटिड देयताएं	स्तर 2	16,257.09	17,825.47	14,130.60	15,167.54

(क) स्तर 1 के उचित मूल्य अनुक्रम के साथ सूचीबद्ध लिखत शामिल हैं।
(ख) रॉयटर्स के अनुसार समापन मूल्य के अनुसार विदेशी मुद्रा नोट (जीएमटीएन निर्गम) का उचित मूल्य निर्धारित किया जा रहा है।
(ग) इसमें लिबोर से जुड़े विदेशी मुद्रा ऋण और सममूल्य पर बहुपक्षीय एजेंसियों के ऋण शामिल हैं।

(i) निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित सामान्यत: स्वीकृत मूल्य निर्धारण मॉडल के अनुसरण में निर्धारित किया गया है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इनपुट रियायती दर है जो ऐसे मामलों को छोड़कर जहां उद्धृत बाजार मूल्य उपलब्ध हैं, समकक्ष पक्षकारों के क्रेडिट जोखिम को दर्शाता है। इन उचित मूल्यों की गणना केवल प्रकटीकरण के उद्देश्यों के लिए की गई थी।

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं (उन्हें छोड़कर जिनको उपर्युक्त सारणी में दर्शाया गया है) के उचित मूल्य के समीप पहुंचने के लिए उनकी वहन राशि पर विचार किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

49. संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण

49.1 संबंधित पक्षकार:

सहयोगी कंपनियां:	
1	बिहार मेगा पावर लिमिटेड
2	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
3	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
4	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
5	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड
6	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
8	देवघर मेगा पावर लिमिटेड
9	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड
10	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
11	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (समापन के लिए अनुमोदन के अधीन)
12	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)
13	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)
14	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)
15	देवघर इंफ्रा लिमिटेड
16	करुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
17	वापी II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (23.06.2020 को स्थानांतरित)
18	बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (राष्ट्रीय परेषण समिति (एनसीटी) योजना/ आईटीपी को बंद करने/ अधिसूचना रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है, हालांकि, विद्युत मंत्रालय से औपचारिक राजपत्र अधिसूचना की प्रतीक्षा है)
19	शोंगटोंग करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी के नाम को हटाने की प्रक्रिया चल रही है)
20	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)
21	कोप्पल-नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड
22	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड (13.05.2020 को निगमित)
23	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (13.05.2020 को निगमित)
24	खेतड़ी-II नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (15.05.2020 को निगमित)
25	बीकानेर-II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड (12.05.2020 को निगमित किया गया और 25.03.2021 को बेचा गया)
26	सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (17.05.2020 को निगमित)
27	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
28	डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड (नाम हटाने की प्रक्रिया के अधीन)
29	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
30	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
31	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड
32	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (11.06.2020 को निगमित)
33	रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (26.06.2020 को निगमित और 09.03.2021 को स्थानांतरित)
34	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड (04.08.2020 को निगमित)
35	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड (20.08.2020 को निगमित)
36	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (28.05.2020 को निगमित)
37	गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (02.06.2020 को निगमित)
38	फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड (02.06.2020 को निगमित)
39	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (06.06.2020 को निगमित)
40	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (08.06.2020 को निगमित)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

संयुक्त उद्यम			
1	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	2	क्रिघटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
3	ईईएसएल एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	4	एडिना एक्जिीशन लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
5	एनेस्को एनर्जी सर्विसिज (साउथ) लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	6	एडिना लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
7	इपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	8	एडिना आस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
9	एडिना पावर सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	10	स्टेनबेक लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
11	एडिना यूके लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	12	एडिना पावर लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
13	अरमौरा होल्डिंग लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	14	एडिना मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
15	ईपीएसएल ट्राइजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	16	कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से) (29.10.2020 को निगमित)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		पदनाम
पीएफसी के संबंध में,		
1	श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों (निदेशक (परियोजना) 12.06.2019 से 31.05.2020 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.06.2020 से)
2	श्री राजीव शर्मा (31.05.2020 को सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
3	श्री पी.के. सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक) एवं अतिरिक्त प्रभार निदेशक (परियोजना)
4	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (01.07.2020 से)	निदेशक (वित्त)
5	श्री एन.बी. गुप्ता (30.06.2020 को सेवानिवृत्त)	निदेशक (वित्त)
6	श्री तन्मय कुमार (04.11.2020 से)	सरकारी नामिती निदेशक
7	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (04.11.2020 तक)	सरकारी नामिती निदेशक
8	श्री राम चंद्र मिश्रा	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
9	श्रीमती गौरी चौधरी (03.11.2020 तक)	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
10	श्री मनोहर बलवानी	मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में		
1	श्री संजय मल्होत्रा (09.11.2020 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री अजीत कुमार अग्रवाल (31.05.2020 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.06.2020 से 08.11.2020 तक) तथा निदेशक (तकनीकी)
4	श्री अजॉय चौधरी (01.06.2020 से)	निदेशक (वित्त)
5	श्री पी.के सिंह	पीएफसी नामिती निदेशक (गैर-कार्यपालक निदेशक)
6	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (05.11.2020 तक)	सरकारी नामिती निदेशक
7	श्री तन्मय कुमार (05.11.2020 से)	सरकारी नामिती निदेशक
8	श्री जे.एस. अमिताभ	कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव
सहायक कंपनी पीएफसीसीएल के संबंध में		
1	श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों (12.06.2019 से 31.05.2020 तक निदेशक)	अध्यक्ष (01.06.2020 से)
2	श्री राजीव शर्मा (31.05.2020 को सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष
3	श्री पी.के. सिंह	निदेशक
4	श्री एन.बी. गुप्ता (30.06.2020 को सेवानिवृत्त)	निदेशक
5	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (01.07.2020 से)	निदेशक
6	श्री मनोज कुमार राणा	मुख्य महाप्रबंधक (प्रभारी), मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियों का उपयोग करते हुए
7	श्री योगेश जुनेजा (04.08.2020 तक)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
8	श्री मनीष कुमार अग्रवाल	कंपनी सचिव

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

पीएफसी के नियंत्रण के अधीन ट्रस्ट/निधि			
1	पीएफसी कार्मिक भविष्य निधि	2	पीएफसी कार्मिक उपदान निधि
3	पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007	4	पीएफसी अधिवर्षिता मेडिकल निधि
सहायक कंपनी आरईसीएल के ट्रस्ट/ निधि/ सोसाइटी			
1	आरईसी सेवानिवृत्त कार्मिक चिकित्सा ट्रस्ट		
2	आरईसी कार्मिक अधिवर्षिता ट्रस्ट		
3	आरईसी उपदान निधि		
4	आरईसी लिमिटेड अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट		
5	आरईसी फाउंडेशन		
अन्य			
1	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	2	एनएचपीसी लिमिटेड (04.11.2020 से)
3	एसजेवीएन लिमिटेड (04.11.2020 से)	4	खोलोंग्छु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड (04.11.2020 से)
5	पुनात्सांगछु-I, भूटान में जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (04.11.2020 से)	6	पुनात्सांगछु-II, भूटान में जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (04.11.2020 से)
7	मांगदेछु, भूटान में जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (04.11.2020 से)		

49.2 संबद्ध पक्षकारों के साथ लेनदेन निम्नानुसार है:

ग्रुप के समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक कंपनियों के साथ अंतर समूह संबद्ध पक्षकार लेनदेन का उन्मूलन किया जाता है। अतः समूह संबद्ध पक्षकार लेनदेन में इसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान
संयुक्त उद्यम		
अन्य	0.21	0.74
सहयोगी कंपनी		
सहयोगी कंपनियों को अग्रिम	1.29	3.59
सहयोगी कंपनियों से अग्रिम (ब्याज सहित) की वसूली	33.21	14.92
सहयोगी कंपनियों को अग्रिम पर ब्याज आय	17.23	21.12
सहयोगी कंपनियों से प्राप्त अग्रिम	6.81	8.65
सहयोगी कंपनियों से अग्रिम पर ब्याज व्यय	2.88	5.07
सहयोगी कंपनियों के स्थानांतरण पर आय	21.84	59.92
अन्य	14.55	5.95
ग्रुप के ट्रस्ट/ निधि/ फाउंडेशन		
वर्ष के दौरान किए गए अंशदान	9.75	39.49
बॉण्ड पर वित्त लागत	1.46	9.13
अन्य	90.00	152.49

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
अल्पावधि कार्मिक हितलाभ (i)	7.51	6.15
नियोजन पश्चात हितलाभ (ii)	0.58	0.64
अन्य दीर्घावधि हितलाभ (iii)	0.45	0.33
उप जोड़ (i+ii+iii)	**8.54**	**7.12**
ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान/वसूली	0.30	0.11
निदेशक बैठक शुल्क	0.19	0.33
बॉण्ड पर वित्त लागत	0.05	0.03
बॉण्डों का मोचन (सब्स्क्रिप्शन का निवल)	0.36	-
अन्य		
प्राप्त लाभांश	9.00	4.80
निदेशक बैठक शुल्क	0.02	0.02

49.3 संबंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष निम्नानुसार है:

ग्रुप के समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक कंपनियों के साथ अंतर समूह संबंधित पक्षकार बकाया शेष का उन्मूलन किया जाता है। अत: संबंधित पक्षकार के साथ ग्रुप के बकाया शेष में इसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
ऋणों, अग्रिमों एवं अन्य के लिए वसूली योग्य राशि (ब्याज सहित)		
सहयोगी कंपनी	198.70	171.02
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.85	0.84
समूह के नियंत्रण के अधीन ट्रस्ट/फंड	1.54	4.21
ऋणों, अग्रिमों एवं अन्य के लिए देय राशि (ब्याज सहित)		
सहयोगी कंपनी	176.94	169.11
ऋण प्रतिभूतियां		
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.31	0.64
कंपनी के नियंत्रण के अधीन ट्रस्ट/फंड	74.70	66.08

49.4 समान सरकार के नियंत्रणाधीन एंटिटियों (सरकार से संबंधित एंटिटियों) के संबंध में प्रकटीकरण

ग्रुप की कंपनियां केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) हैं। सरकार से संबंधित एंटिटियों जिनके साथ ग्रुप ने लेनदेन किया है, की सूची में निम्नलिखित शामिल हैं परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है:

भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
नेयवेली यूपी पावर लिमिटेड	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	कोल इंडिया लिमिटेड
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड
एनटीपीसी लिमिटेड	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबॉरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
भिलाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भिलाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	एमएसटीसी लिमिटेड
एनएचपीसी लिमिटेड	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
रत्नागिरी गैस एंड पावर (प्राइवेट) लिमिटेड	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

समान सरकार के नियंत्रणाधीन एंटिटियों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान
ऋणों का संवितरण	5,871.88	4,770.51
प्राप्त ब्याज	6,098.30	6,598.77

केंद्र सरकार के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन के संबंध में टिप्पणी 55, 14 और 25 देखें।

सरकार से संबंधित एंटिटियों के साथ उपर्युक्त लेनदेन में ऐसे लेनदेन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। ग्रुप ने अन्य सीपीएसयू के साथ अन्य लेनदेन जैसे टेलीफोन व्यय, हवाई यात्रा तथा डिपॉजिट आदि भी किया है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए इनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है। सभी लेनदेन को बाजार की शर्तों पर अग्रनीत किया जाता है।

49.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की निबंधन एवं शर्तें

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन ऐसी शर्तों से समतुल्य शर्तों पर किया जाता है जो निकटस्थ लेनदेन में प्रचलित होती हैं।

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक तथा स्टाफ ऋण संबंधित कंपनी के सेवा नियमावली के अनुरूप हैं।

(iii) प्रारंभिक व्यय को वहन करने के लिए ग्रुप में शामिल कंपनी अपनी सहयोगी कंपनियों को अग्रिम देती है जिनको एसपीवी के रूप में निगमित किया गया है। संबंधित कंपनी की नीति के अनुसार सावधि ऋणों पर लागू दर से ऐसे अग्रिमों पर ब्याज दर लगाई जाती है।

(iv) ट्रस्टों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया ब्याज और/या लाभांश संबंधित कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों और/या इक्विटी शेयरों में उनके निवेश के कारण है और ऐसी प्रतिभूतियों पर भुगतान किया गया ब्याज और/या लाभांश सभी धारकों पर समान रूप से लागू होता है।

(v) वर्ष के अंत में ग्रुप की कंपनियों के बकाया शेष अप्रतिभूत हैं।

50. कार्मिक हितलाभ

50.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं:

(क) पेंशन

ग्रुप की कंपनियां कार्मिकों के एनपीएस खाते (पेंशन खाता) में पूर्व निर्धारित दरों पर कार्मिकों के प्रति अपने पेंशन दायित्व के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निश्चित अंशदान का भुगतान करती हैं।

(ख) भविष्य निधि

ग्रुप की कंपनियां निर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट को भविष्य निधि के लिए नियत अंशदान का भुगतान करती हैं, जो निधियों का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। इन ट्रस्टों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से सदस्यों को प्रतिफल की न्यूनतम दर का सुनिश्चय करना है। तथापि, प्रतिफल की निर्धारित दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी कमी की ग्रुप की कंपनियों द्वारा क्षतिपूर्ति की जानी है। ग्रुप की कंपनियों का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए किसी अग्रेतर प्रावधान पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

ग्रुप ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में ₹26.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹28.32 करोड़) के व्यय को मान्य किया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

50.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(क) उपदान

ग्रुप की कंपनियों की एक स्पष्ट उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट करता है। यथा संशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कार्मिक जिसने 5 वर्ष या अधिक अवधि तक लगातार सेवा की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, दिव्यांगता या मृत्यु पर अधिकतम ₹0.20 करोड़ के अधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन पर उपदान के लिए हकदार है। इसके लिए देयता को बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर मान्य किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(क) परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	61.11	65.25
(ख) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	57.13	61.14
(ग) निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता (क-ख)	3.98	4.11

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

	विवरण	परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
I.	**प्रारंभिक शेष**	**65.25**	**68.91**	**61.14**	**69.90**	**4.11**	**(0.99)**
	लाभ या हानि में शामिल						
	वर्तमान सेवा लागत	3.78	4.05	-	-	3.78	4.05
	पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
	ब्याज लागत/आय	4.20	5.02	4.12	5.41	0.08	(0.39)
II.	**लाभ या हानि में मान्य की गई कुल राशि**	**7.98**	**9.07**	**4.12**	**5.41**	**3.86**	**3.66**
	ओसीआई में शामिल						
	पुन: मापन हानि/(अभिलाभ)	-	-	-	-	-	-
	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	(1.30)	4.16	-	-	(1.30)	4.16
	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	0.70	(2.33)	-	-	0.70	(2.33)
	जनांकिक मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-	-	-
	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर विवरणी	-	-	(0.78)	(0.44)	0.78	0.44
III.	**ओसीआई में मान्य की गई कुल राशि**	**(0.60)**	**1.83**	**(0.78)**	**(0.44)**	**0.18**	**2.27**
IV.	प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-	-	-	-	-
V.	नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	4.18	0.82	(4.18)	(0.82)
VI.	प्रदत्त हितलाभ	(11.52)	(14.56)	(11.53)	(14.55)	0.01	(0.01)
VII.	**अंतिम शेष** (I+II+III+IV+V+VI)	**61.11**	**65.25**	**57.13**	**61.14**	**3.98**	**4.11**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)

अधिवर्षिता प्राप्त एवं मृत कार्मिकों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रुप की कंपनियों की एक सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) है। पीआरएमएस के लिए देयता को बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर मान्य किया जाता है।

इस योजना का प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट को पात्र कार्मिकों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय को वहन करने के लिए पर्याप्त निधि सुनिश्चित करनी होती है। तथापि, संबंधित कंपनी द्वारा किसी कमी की प्रतिपूर्ति की जानी होती है। ग्रुप की कंपनियों का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए किसी अग्रेतर प्रावधान पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(क) परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	200.06	178.42
(ख) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	187.46	177.71
(ग) निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता (क-ख)	12.6	0.71

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

	विवरण	परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
I.	**प्रारंभिक शेष**	**178.42**	**164.91**	**177.71**	**126.50**	**0.71**	**38.41**
	लाभ या हानि में शामिल						
	वर्तमान सेवा लागत	5.06	4.58	-	-	5.06	4.58
	पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	0	-
	ब्याज लागत/आय	11.79	12.48	11.96	9.77	(0.17)	2.71
II.	**लाभ या हानि में मान्य कुल राशि**	**16.85**	**17.06**	**11.96**	**9.77**	**4.89**	**7.29**
	ओसीआई में शामिल						
	पुन: मापन हानि/(अभिलाभ)						
	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	(7.73)	21.20	-	-	(7.73)	21.20
	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	25.24	(13.53)	-	-	25.24	(13.53)
	जनांकिक मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-	-	-
	ब्याज आय को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों पर विवरणी	-	-	1.27	4.24	(1.27)	(4.24)
III.	**ओसीआई में मान्य की गई कुल राशि**	**17.51**	**7.67**	**1.27**	**4.24**	**16.24**	**3.43**
IV.	प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-	0.04	31.81	(0.04)	(31.81)
V.	नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	5.57	6.95	(5.57)	(6.95)
VI.	प्रदत्त हितलाभ	(12.72)	(11.22)	(9.09)	(1.56)	(3.63)	(9.66)
VII.	**अंतिम शेष** (I+II+III+IV+V+VI)	**200.06**	**178.42**	**187.46**	**177.71**	**12.6**	**0.71**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(ग) आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

किसी कार्मिक की स्थायी दिव्यांगता/मृत्यु के मामले में मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए ग्रुप की कंपनियों की एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना गैर वित्तपोषित है तथा बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर देयता का निर्धारण किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	8.66	7.14

परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	
		31.03.2021	31.03.2020
I.	**प्रारंभिक शेष**	**7.14**	**5.38**
	लाभ या हानि में शामिल		
	वर्तमान सेवा लागत	0.56	0.47
	पिछली सेवा लागत	-	-
	ब्याज लागत/आय	0.45	0.40
II.	**लाभ या हानि में मान्य कुल राशि**	**1.01**	**0.87**
	ओसीआई में शामिल		
	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	(0.08)	0.55
	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	2.2	1.73
	जनांकिक मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
	ब्याज आय को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों पर विवरणी	-	-
III.	**ओसीआई में मान्य की गई कुल राशि**	**2.12**	**2.28**
IV.	प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-
V.	नियोक्त ाओं द्वारा अंशदान	-	-
VI.	प्रदत्त हितलाभ	(1.61)	(1.39)
VII.	**अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI)**	**8.66**	**7.14**

(घ) जोखिम एक्सपोजर

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के माध्यम से ग्रुप की कंपनियों को अनेक जोखिमों का खतरा है जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) निवेश जोखिम/परिसंपत्ति अस्थिरता जोखिम

अधिकांश योजनागत परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च ग्रेड की अन्य नियत आय प्रतिभूतियों तथा म्युचुअल फंड में हैं। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों में परिवर्तन तथा अन्य बाजार एवं स्थूल आर्थिक कारकों के कारण अस्थिरता के अधीन है। परिसंपत्ति देयता मिलान का भी जोखिम है अर्थात योजनागत परिसंपत्तियों के लिए नकदी प्रवाह योजनागत देयता के लिए नकदी प्रवाह से मेल नहीं खाता है।

(ii) रियायती दर में परिवर्तन

रियायती दर का उपयोग करके परिभाषित हितलाभ की योजनागत देयताओं के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकारी बॉण्डों की लब्धियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। रियायती दर में कटौती (वृद्धि) से योजनागत देयताओं के वर्तमान मूल्यों में वृद्धि (कटौती) होगी, हालांकि यह योजनागत निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से प्रतितुलित होगा।

(iii) मृत्यु दर जोखिम/दीर्घायु जोखिम

योजना के प्रतिभागियों के नियोजन के दौरान तथा उनके नियोजन के पश्चात भी मृत्यु के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में परिभाषित हितलाभ योजनाओं की देयता के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है। योजना के प्रतिभागियों के जीवित रहने की प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(iv) वेतन वृद्धि जोखिम

योजना के प्रतिभागियों के भावी वेतन के संदर्भ में परिभाषित हितलाभ योजनाओं की देयता के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है। इस प्रकार, योजना के प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(v) कार्मिकों की टर्नओवर दर/निकासी दर

यदि भविष्य में वास्तविक कार्मिक निकासी दर अपेक्षा से अधिक या कम हो जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप देयता में वृद्धि/कमी हो सकती है।

(ड.) योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए योजनागत परिसंपत्तियों का मूल्य इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
नकदी और नकदी समतुल्य	2.50	5.79
राज्य/केंद्र सरकार की ऋण प्रतिभूतियां	37.01	31.33
कॉर्पोरेट बॉण्ड/डिबेंचर	173.83	164.95
अन्य	31.25	35.34
कुल	**244.59**	**237.41**

-योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल ₹16.57 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹18.99 करोड़)।

(च) महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताएं

31.03.2021 तक ट्रांसवैल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा पीएफसी और आरईसीएल के लिए योजनागत परिसंपत्तियों का सर्वाधिक अद्यतन बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य तैयार किया गया। प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य तथा संबंधित वर्तमान सेवाओं तथा पिछली सेवाओं की लागत मापी गई।

बिमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त प्रधान मान्यताएं इस प्रकार हैं:

क. पीएफसी के संबंध में

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
योजना परिसंपत्तियों, यदि वित्तपोषित हैं, पर रियायती दर एवं अनुमानित विवरणी	7.08%	6.76%	7.08%	6.76%	7.08%	6.76%
वेतन वृद्धि दर/चिकित्सा महंगाई दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) सर्वश्रेष्ठ	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2012-14) अंतिम
निकासी दर	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%

ख. सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
प्रयुक्त विधि	पीयूसीएम					
योजना परिसंपत्तियों पर रियायती दर एवं अनुमानित विवरणी	6.99%	6.72%	6.99%	6.72%	6.99%	6.72%
भावी वेतन वृद्धि/चिकित्सा व्यय में वृद्धि	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
कार्मिकों का अनुमानित औसत शेष कार्यकाल (वर्ष)	16.03	15.41	16.03	15.41	16.03	15.41

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(छ) संवेदनशीलता विश्लेषण

अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए संगत बीमांकिक मान्यताओं में से एक में रिपोर्टिंग तारीख को तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तनों से पीएफसी और आरईसीएल की परिभाषित हितलाभ बाध्यता नीचे दर्शायी गई राशि के अनुसार प्रभावित होगी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि	ह्रास
रियायत दर (0.50% मूवमेंट)				
उपदान	(2.14)	2.24	(1.90)	2.16
पीआरएमएस	(14.81)	15.79	(13.21)	14.07
ईआरएस	(0.31)	0.35	(0.25)	0.29
वेतन वृद्धि/चिकित्सा महंगाई दर (0.50% मूवमेंट)				
उपदान	0.3	(0.29)	0.45	(0.40)
पीआरएमएस	14.78	(14.07)	13.17	(12.54)
ईआरएस	0.32	(0.29)	0.27	(0.23)
चिकित्सा लागत (10% मूवमेंट)				
पीआरएमएस	20.85	(19.33)	18.58	(17.25)

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित हितलाभ बाध्यता में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है क्योंकि इस बात की संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे से अलग रहकर होंगे क्योंकि कुछ मान्यताएं आपस में जुड़ी हो सकती हैं।

ग्रुप इस बात की सक्रियता से मॉनीटरिंग करता है कि कैसे निवेशों की अवधि तथा अनुमानित लब्धि कार्मिक हितलाभ बाध्यताओं से उत्पन्न अनुमानित नकदी बहिर्वाहों से मैच कर रहा है। निवेशों में इतनी विविधता है कि किसी एकल निवेश में विफलता से परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर सारवान प्रभाव नहीं होगा। अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए ग्रुप द्वारा पिछली अवधियों में प्रयुक्त प्रक्रिया से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ज) भावी वर्षों में परिभाषित हितलाभ योजनाओं का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
1 वर्ष तक	9.78	13.63	13.8	11.74	1.73	1.57
1 से 5 वर्ष	29.65	23.71	83.36	60.16	5.17	4.10
5 वर्ष से अधिक	80.71	82.53	336.11	286.01	8.26	8.49
कुल	**120.14**	**119.87**	**433.27**	**357.91**	**15.16**	**14.16**

उपर्युक्त सारणी अनुमानित नकदी प्रवाहों के आधार पर तैयार की गई है।

(झ) रोजगार पश्चात लाभ योजनाओं में अनुमानित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस	
	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
अनुमानित अंशदान	7.56	7.89	18.46	7.09

(ञ) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पीएफसी के लिए परिभाषित हितलाभ योजना बाध्यता की भारित औसत अवधि 15.94 वर्ष (31.03.2020 तक 16.02 वर्ष) और सहायक कंपनी आरईसीएल के लिए 12.54 वर्ष (31.03.2020 तक 12.57 वर्ष) है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

50.3 अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ

(क) अवकाश

ग्रुप की कंपनियां कार्मिकों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्ध वेतनिक अवकाश हितलाभ प्रदान करती हैं, जो क्रमश: 15 दिन और 10 दिन की दर से छमाही आधार पर प्रोद्भूत होता है। सेवा के दौरान किसी भी समय अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश संचित किया जा सकता है। अर्ध वेतनिक अवकाश के संचय की कोई सीमा नहीं है। 10 वर्ष की सेवा के बाद अलग होने पर या अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश प्लस अर्ध वेतनिक अवकाश का एक साथ अधिकतम 300 दिन के अधीन नकदीकरण किया जा सकता है। तथापि, सेवा से अलग होने पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के लिए ₹13.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹19.73 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में डेबिट किया गया है।

(ख) अन्य कार्मिक हितलाभ

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के लिए ₹3.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.46 करोड़) के सेटलमेंट भत्ता एवं दीर्घ सेवा अवॉर्ड के लिए प्रावधान किया गया है तथा लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में डेबिट किया गया है।

(ग) आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कार्मिकों को वफादारी प्रोत्साहन तीन साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद ही देय है, केवल मृत्यु के कारण अलग होने के मामले को छोड़कर। अलग होने वाले कार्मिक को देय राशि का भुगतान अलग होने के समय निर्मोचित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ₹0.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.15 करोड़) के व्यय को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में डेबिट किया गया है।

50.4 प्रतिनियुक्ति/अनुसमर्थन आधार पर पीएफसी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी पीएफसीसीएल में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में कार्मिक हितलाभों (अर्थात उपदान, पीआरएमएस, सेवांत लाभ, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य कार्मिक हितलाभ) को कार्मिक लागत के नियत प्रतिशत के आधार पर आवंटित किया जा रहा है।

51. पट्टे

'राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति' और 'पट्टा देयता' का विवरण:

51.1 नीचे दी गई सारणी वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं के मूवमेंट को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
प्रारंभिक शेष	13.97	2.76
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	14.52
अवधि के दौरान अर्जित वित्त लागत	1.35	1.22
पट्टा देयताओं का भुगतान	(4.55)	(4.53)
पट्टा देयताओं का पुनर्मूल्यांकन	(1.34)	-
अंतिम शेष	**9.43**	**13.97**

51.2 नीचे दी गई सारणी रियायत विहीन पट्टे की देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के संबंध में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
1 वर्ष तक	1.52	4.70
1-5 वर्ष	3.13	5.24
5 वर्ष से अधिक	56.29	57.83

51.3 वर्ष 2020-21 के दौरान, लाभ और हानि के समेकित विवरण में अल्पावधि/निम्न मूल्य पट्टों से संबंधित ₹22.60 करोड़ के व्यय (पिछले वर्ष ₹19.03 करोड़) को प्रभारित किया गया है। उपर्युक्त राशि में कार्मिकों के आवासीय आवास, आधिकारिक उपयोग के लिए स्थान, किराए पर ईडीपी उपकरण और अन्य कार्यालय उपकरण लेने आदि से संबंधित पट्टे शामिल हैं। ये पट्टे आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होते हैं और रद्द करने योग्य होते हैं।

51.4 राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह ₹26.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹23.80 करोड़) है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

52. आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
आकस्मिक देयताएं			
(i)	गारंटी[क]	44.65	81.02
(ii)	ग्रुप के निमित्त दावे जिनको ऋण के रूप में नहीं माना गया है	29.67	0.22
iii)	संस्वीकृत ऋणों के निमित्त चुकौती आश्वासन-पत्र के रूप में ऋणकर्ताओं को संवितरण की बकाया प्रतिबद्धताएं	3,913.01	870.49
(iv)[ख]	- पिछले वर्षों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा की गई अतिरिक्त मांगें जिनका विरोध किया जा रहा है।	87.64	202.13
	- इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा ग्रुप में कंपनियों को प्रदान की गई राहत के निमित्त अपील की है जिनका भी विरोध किया जा रहा है	0.30	340.40
(v)	- पिछले वर्षों के संबंध में सेवाकर विभाग द्वारा की गई सेवा का मांग या कारण बताओ नोटिस जिनका विरोध किया जा रहा है।	22.51	20.56
	- इसके अतिरिक्त सेवाकर विभाग ने आयुक्त (सीई एवं एसटी) के उस आदेश के विरुद्ध सीईएसटीएटी के समक्ष अपील की है जिन्होंने सेवाकर की मांग को निरस्त कर दिया था। इसका भी विरोध किया जा रहा है।	50.07	46.31
(vi)	बैंक गारंटी	40.80	33.50
प्रतिबद्धताएं			
(i)	ऐसी संविदाओं की अनुमानित राशि जो पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी है तथा जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	561.60	745.47
(ii)	अमूर्त परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताएं	0.16	-
(iii)	अन्य प्रतिबद्धताएं - 31.03.2020 तक की अवधि के संबंध में सीएसआर की अव्ययित राशि	405.21	510.26
	कुल	**5,155.62**	**2,850.36**

(क) गारंटियों में ऋणकर्ता कंपनी के पक्ष में पीएफसी द्वारा प्रदान की गई डिफॉल्ट भुगतान गारंटी शामिल है। गारंटी के निमित्त प्रदत्त/देय राशि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है।

(ख) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए पीएफसी का आयकर मुकदमा सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित है। कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से लेकर कर निर्धारण वर्ष 2015-16 तक से संबंधित अन्य सभी आयकर मुकदमे प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत समाधान की प्रक्रिया में हैं।

53. ग्रुप की अपूर्ण रूप से स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों का विवरण जिनमें सारवान गैर नियंत्रण अधिकार (एनसीआई) है:

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	एनसीआई द्वारा धारित स्वामित्व अधिकार का अनुपात		गैर नियंत्रित अधिकार को आवंटित टीसीआई (₹ करोड़ में)		संचित गैर नियंत्रित अधिकार (₹ करोड़ में)	
	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
आरईसी लिमिटेड	47.37%	47.37%	4,185.19	2,092.79	21,022.77*	16,765.57

* इसमें पीएफसी की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड द्वारा जारी की गई ₹558.40 करोड़ की इक्विटी प्रकृति के लिखत शामिल हैं (टिप्पणी 30.1 देखें)।

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने 05.02.2021 के आदेश के माध्यम से नियत तारीख 01.04.2020 के साथ आरईसी लिमिटेड की दो पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों - आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (अंतरिती कंपनी) के साथ आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (अंतरक कंपनी) के समामेलन की योजना को अपना अनुमोदन प्रदान किया है। ऐसी योजना के अनुसरण में, आरईसीपीडीसीएल ने आरईसीटीपीसीएल के ₹10 प्रत्येक के 50,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के प्रति कंपनी को ₹10 प्रत्येक के 35,500 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

54. ग्रुप की सहायक कंपनियों जिनके पास सारवान गैर-नियंत्रक अधिकार हैं (इंट्रा ग्रुप उन्मूलन से पहले), के लिए संक्षिप्त वित्तीय सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण (आरईसीएल)	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
वित्तीय परिसंपत्तियां	3,97,259.16	3,43,715.01
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	3,593.66	3,305.54
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां	14.05	9.53
वित्तीय देयताएं	3,56,853.53	3,11,442.65
गैर-वित्तीय देयताएं	249.33	190.32
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे संबद्ध देयताएं	0.08	0.68
कंपनी के स्वामियों को आरोप्य इक्विटी	22,741.16	18,630.86
पूर्णत: इक्विटी प्रकृति के लिखतों के प्रति गैर-नियंत्रक अधिकार (टिप्पणी 30.1 देखें)	558.40	-
इक्विटी शेयरधारकों के प्रति गैर नियंत्रित अधिकार	20,464.37	16,765.57
कुल गैर-नियंत्रक अधिकार	**21,022.77**	**16,765.57**

(₹ करोड़ में)

विवरण (आरईसीएल)	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
कुल राजस्व	35,575.40	29,981.20
कुल व्यय	24,793.84	22,960.36
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	8,378.24	4,972.27
कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य लाभ/(हानि)	4,409.87	2,617.15
गैर-नियंत्रण अधिकारों पर आरोप्य लाभ/(हानि)	3,968.37	2,355.12
कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य अन्य व्यापक आय	240.94	(291.52)
गैर-नियंत्रण अधिकारों पर आरोप्य अन्य व्यापक आय	216.82	(262.33)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	457.76	(553.85)
कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य कुल व्यापक आय	4,650.81	2,325.63
गैर-नियंत्रण अधिकारों पर आरोप्य कुल व्यापक आय	4,185.19	2,092.79
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	8,836.00	4,418.42
अन्य नियंत्रण अधिकारों को प्रदत्त लाभांश	1,028.97	1,028.97
प्रचालन की गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह (बहिर्वाह)	(43,512.33)	(32,441.57)
निवेश की गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह (बहिर्वाह)	860.52	(148.91)
वित्तपोषण की गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह (बहिर्वाह)	42,113.34	33,926.20
निवल नकदी प्रवाह (बहिर्वाह)	(538.47)	1,335.72

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

55. भारत सरकार की योजनाएं जो ग्रुप में लागू की जा रही हैं

क. पीएफसी के संबंध में

55.1 एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के साथ इसमें सम्मिलित)

कंपनी को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन में आईपीडीएस योजना के प्रचालन एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। कंपनी मॉनीटरिंग समिति द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत या अवॉर्ड लागत, जो भी कम हो, के कुल 0.50% की दर से नोडल एजेंसी शुल्क (जो योजना के अनुसार चरणों में प्रोद्भूत होगा) के लिए पात्र है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नोडल एजेंसी शुल्क से आय की कुल राशि ₹4.65 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी को उक्त योजना के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय से व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹6.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹28.04 करोड़) भी प्राप्त हुए हैं।

आईपीडीएस योजना का अनुमानित परिव्यय ₹32,612 करोड़ है जिसमें संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹25,354 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है और 31.03.2021 तक पात्र विद्युत संस्थाओं को भारत सरकार के अनुदान की वितरित राशि ₹15,782.44 करोड़ (31.03.2020 तक ₹12,702.45 करोड़) है।

कंपनी को पूर्ववर्ती आर-एपीडीआरपी योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन और संबद्ध सेवा (पात्र ऋणकर्ताओं को आगे ऋण देने के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशियों की बैक-टू-बैक व्यवस्था) के लिए भी नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था, जिसे आईपीडीएस योजना में शामिल कर लिया गया है। ₹32,612 करोड़ के परिव्यय के अतिरिक्त ₹22,727 करोड़ की बजटीय सहायता सहित ₹44,011 करोड़ की आर-एपीडीआरपी योजना लागत, जो सीसीईए द्वारा पहले से ही अनुमोदित है, को आईपीडीएस में अग्रेनीत किया गया है।

ख. सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

55.2 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

देश में सभी घरों को बिजली पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य नामक योजना शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विद्युत विहीन परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को आखिरी मील तक संपर्क एवं विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य योजना का पूंजी परिव्यय ₹16,320 करोड़ है जिसमें कार्यान्वयन की संपूर्ण अवधि के दौरान ₹12,320 करोड़ की सकल बजटीय सहायता शामिल है। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य योजना के प्रचालन के लिए आरईसीएल को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

55.3 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60% (विशेष राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है और निर्धारित माइलस्टोन की प्राप्ति पर 15% (विशेष राज्यों के लिए 5%) तक का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सभी के लिए 24 घंटे बिजली' की प्राप्ति को सुगम बनाती है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति को सुगम बनाने हेतु कृषि और गैर कृषि फीडर को अलग करना;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर/ फीडर/ उपभोक्ता के लिए मीटर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं वर्धन;

(iii) सूक्ष्म-ग्रिड तथा ऑफ-ग्रिड वितरण नेटवर्क;

(iv) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 12वीं और 13वीं योजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण घटक जिसका डीडीयूजीजेवाई में विलय किया गया।

उपर्युक्त योजना के घटक (1) और (2) का अनुमानित परिव्यय ₹43,033 करोड़ होगा जिसमें कार्यान्वयन की संपूर्ण अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹33,453 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। 12वीं और 13वीं योजना में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित आरजीजीवीवाई योजना को एक अलग ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में इस योजना में मिला दिया गया है।

55.4 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) जो ब्याज सब्सिडी योजना है, वित्तीय वर्ष 2012-13 से क्रियाशील हुई है। यह योजना वितरण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना वितरण क्षेत्र में विभिन्न पूंजी कार्यों के लिए सार्वजनिक एवं निजी वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों पर सुधार के उपायों से संबद्ध ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। एनईएफ 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के निमित्त ऋण संवितरण के लिए 14 वर्ष में ₹8,466 करोड़ तक कुल ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगा (इसमें ऋणकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य आनुषंगिक व्यय शामिल हैं)। आरईसीएल को पूरे देश में एनईएफ योजना के प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

55.5 जम्मू एवं कश्मीर प्रधानमंत्री विकास योजना (पीएमडीपी)

जम्मू एवं कश्मीर सरकार, विद्युत विकास विभाग द्वारा नामांकन के आधार पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पीएमडीपी के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली वास्तविक लागत के अनुसार वितरण कार्य के निष्पादन के लिए संपन्न किए जाने वाले सभी सामग्री एवं सेवा कार्यों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रापण, आपूर्ति, उत्थापन, परीक्षण और अधिष्ठापन के लिए आरईसीएल की सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में नियुक्त किया गया है।

55.6 11 केवी के फीडर की मॉनीटरिंग

विद्युत मंत्रालय ने 11 केवी फीडर की मॉनीटरिंग योजना को लागू करने के लिए आरईसीएल की सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल को नियुक्त किया है। इस योजना में 66, 33/11 केवी के उप केंद्रों से 11 केवी के सभी आउट गोइंग ग्रामीण फीडरों के विभिन्न आवश्यक पैरामीटरों की डाटा लॉगिंग के माध्यम से 11 केवी के ग्रामीण फीडर की स्वचालित मॉनीटरिंग प्रणाली हेतु एक आत्मनिर्भर स्वतंत्र वेब आधारित प्रणाली का विकास करना तथा विद्युत आपूर्ति की मॉनीटरिंग, एलर्ट, मीटर डाटा विश्लेषण, सूचना प्रसार एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा के लिए रियल टाइम आधार पर सार्वजनिक पोर्टल सहित विभिन्न स्टेकधारकों के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराना शामिल है।

ग. सहायक कंपनी पीएफसीसीएल के संबंध में

55.7 विद्युत मंत्रालय के 30.03.2016 के दिशानिर्देश के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विद्युत की अल्पावधि आवश्यकताओं को सुगम बनाने के लिए पीएफसी की सहायक कंपनी पीएफसीसीएल को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक बोलीदाता को प्रति मेगावाट ₹500 का अनुमानित शुल्क तथा अधिकतम क्षमता जिसके लिए बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने का इच्छुक है, के लिए लागू कर पीएफसीसीएल के पास जमा करना है। गतिविधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक बोलीदाता को आवंटित मात्रा के लिए पीएफसीसीएल को केवल सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को शुल्कों का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि बोलीदाता को लौटाई जाएगी।

56. राज्य विद्युत बोर्डों के विभाजन के बाद प्रलेखन की स्थिति

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कुछ तत्कालीन राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) जिनके निमित्त ऋण बकाया थे या जिनकी ओर से गारंटियां ली गईं, को पुनर्गठित किया गया तथा अतीत में नई एंटिटियों का गठन किया गया। परिणामत: तत्कालीन एसईबी की देयताएं नई एंटिटियों को हस्तांतरित हो गई हैं।

56.1 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के दो संघ राज्य क्षेत्रों - जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में विभाजन के बाद, दिनांक 23.10.19 के विच्छिन्नता आदेश के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा यूनिटों का पुनर्गठन किया गया है। करारों के परिशिष्टों को नए पुनर्गठित विभागों के साथ अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस तरह के दस्तावेजों का निष्पादन लंबित रहने के दौरान, मौजूदा ऋण करार के अनुरूप मौजूदा ऋण को चुकाया जा रहा है।

56.2 आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

पीएफसी के संबंध में

तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद, 02.06.2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। तथापि, औपचारिक गजट अधिसूचना के माध्यम से संबंधित विद्युत संस्थाओं को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अभी तक अंतरण नहीं हुआ है।

विद्युत संस्थाओं में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अंतरण का विधिवत रूप से उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा गजट अधिसूचना के माध्यम से अंतिम अंतरण योजना के अधिसूचित हो जाने पर नई/नाम परिवर्तित विद्युत संस्थाओं के साथ सभी बकाया ऋणों के संबंध में प्रलेखन की औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तब तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान के लिए मांग को विद्युत संस्थाओं के अनुसार अलग किया जा रहा है और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में विद्युत संस्थाओं द्वारा संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

56.2.1 जहां तत्कालीन एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजेनको को विभाजन से पूर्व ऋण संस्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखन नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नवगठित विद्युत संस्थाओं के नाम में पुन: संस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखन की औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और तद्नुसार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के पास प्रभार पंजीकृत किए गए हैं।

56.2.2 जहां विभाजन से पूर्व तत्कालीन एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल के नाम में ऋण संस्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखन की औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और आहरण किए गए हैं, इन योजनाओं में परिवर्तित/नवगठित विद्युत संस्थाओं के नाम से वचन-पत्र प्राप्त किया गया है और नई/नाम परिवर्तित विद्युत संस्थाओं के नाम में ऋणकर्ता के नाम को परिवर्तित करके नवगठित विद्युत संस्था को संवितरण किए गए हैं।

56.2.3 जहां विभाजन से पूर्व तत्कालीन एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल के नाम में ऋण संस्वीकृत किया गया है तथा सरकारी गारंटी के साथ प्रलेखन की औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और आहरण किए गए हैं, इन योजनाओं के लिए गजट अधिसूचना पर अग्रेतर प्रलेखन किया जाएगा।

56.2.4 विद्युत संस्थाओं में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अंतरण का विधिवत रूप से उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा गजट अधिसूचना के माध्यम से अंतिम अंतरण योजना के अधिसूचित हो जाने पर नई/नाम परिवर्तित विद्युत संस्थाओं के साथ सभी बकाया ऋणों के संबंध में प्रलेखन की औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तब तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान के लिए मांग

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

को विद्युत संस्थाओं के अनुसार अलग किया जा रहा है और तेलंगाना एवं आंध्रप्रदेश में विद्युत संस्थाओं द्वारा संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

57. ग्रुप पर कोविड-19 का प्रभाव

भारत वर्तमान में संक्रमित मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। परिणामी लॉकडाउन आर्थिक गतिविधियों के लिए कम प्रतिबंधात्मक हैं और सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में संकेंद्रित हैं।

ग्रुप की मजबूत आईटी अवसंरचना और डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी कामकाज की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए अपने कार्मिकों को दूरस्थ प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुरक्षित रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है।

दिनांक 27.03.2020, 17.04.2020 और 23.05.2020 के कोविड-19 नियामक पैकेज के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने पात्र ऋणकर्ताओं को 01.03.2020 से 31.08.2020 के बीच देय किश्तों के भुगतान पर अधिस्थगन की पेशकश की है।

कोविड-19 पैकेज घोषणा के भाग के रूप में, भारत सरकार ने ग्रुप और इसकी सहायक कंपनी अर्थात आरईसी लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण के रूप में राज्य वितरण कंपनियों को लिक्विडिटी इंजेक्शन की भी घोषणा की है। कंपनी ने मई, 2021 तक इस लिक्विडिटी पैकेज के भाग के रूप में वितरण कंपनियों को ₹1,30,452.54 करोड़ और ₹78,855.15 करोड़ की राशि क्रमशः संस्वीकृत और संवितरित की है।

ऋण के विविध स्रोतों तक पहुंच के कारण ग्रुप की कंपनियों ने अपनी लिक्विडिटी की स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा है। वह वित्तपोषण की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार तैयार है। ग्रुप की कंपनियों के पास पर्याप्त नकदी के साथ-साथ विभिन्न बैंकों से पर्याप्त अनाहरित लाइन ऑफ क्रेडिट है। ग्रुप की उच्च ऋण योग्यता और ऋणदाताओं के साथ अच्छे संबंधों को ध्यान में रखते हुए, यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से निधियां जुटा सकता है।

ग्रुप का यह मानना है कि वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी के साथ, व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधि का पुनरुत्थान होना तय है, जिससे बिजली की मांग और उत्पादन में वृद्धि होगी।

उपर्युक्त के मद्देनजर, ग्रुप का यह मानना है कि अपने व्यवसाय के संचालन को जारी रखने, अपनी वित्तीय स्थिति को बनाए रखने और सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर इस महामारी का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, ग्रुप पर इस महामारी का प्रभाव, अन्य बातों के साथ-साथ, कोविड-19 की अवधि से संबंधित भावी घटनाक्रमों और बिजली क्षेत्र एवं एनबीएफसी पर इसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार और विनियामक निकायों द्वारा किसी अगली कार्रवाई पर निर्भर करेगा। ग्रुप भावी आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न होने वाले किसी सारवान परिवर्तन और अपने व्यवसाय पर इसके संभावित प्रभाव की बारीकी से मॉनीटरिंग करना जारी रखेगा।

58. आरबीआई के 07.04.2021 के परिपत्र के अनुसार, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों सहित सभी ऋणदाता संस्थाएं, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि अधिस्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया था या लाभ नहीं उठाया गया था, अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्थात 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान ऋणकर्ताओं से लिए गए मब्याज पर ब्याजफ को रीफंड/समायोजित करेंगी। पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल ने ब्याज पर इस तरह के ब्याज की गणना के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर ब्याज पर ब्याज को रीफंड करने/समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां लागू की हैं। ग्रुप ने ऐसी राशि की गणना की है और रीफंड/समायोजन के लिए आवश्यक लेखांकन किया है। तदनुसार, लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए ब्याज आय को ₹420.57 करोड़ कम किया गया है।

59. इंड एएस 108 प्रचालन सेगमेंट द्वारा अनुमानित व्यवसाय/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में

ग्रुप के संचालन में मुख्य रूप से एक व्यवसाय सेगमेंट शामिल है अर्थात विद्युत क्षेत्र की एंटिटियों को ऋण देना। सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के आस-पास घूमती हैं। तदनुसार, ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जो इंड एएस 108 के अनुसार सूचित करने योग्य है। इंड एएस 108 'प्रचालन सेगमेंट' में यथा परिभाषित प्रबंधन दृष्टिकोण के आधार पर मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता एक व्यवसाय सेगमेंट के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर ग्रुप के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

59.1 ग्रुप का कोई भौगोलिक सेगमेंट नहीं है क्योंकि इसके प्रचालन मुख्य रूप से देश के भीतर किए जाते हैं।

59.2 प्रमुख सेवाओं से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के प्रचालन से ग्रुप के राजस्व का विश्लेषण निम्नानुसार है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
ब्याज आय	1	1.00
ऋणों पर	70,029.44	61,089.77
अन्य	815.98	538.58
लाभांश आय	88.74	105.65
शुल्क एवं कमीशन आय	490.36	161.91
अन्य प्रचालन आय	231.42	293.53

59.3 प्रमुख ऋणकर्ताओं के बारे में सूचना

वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2019-20 दोनों के लिए एक भी एकल ऋणकर्ता ने संबंधित कंपनी के राजस्व में 10% या अधिक का योगदान नहीं किया।

60. ऐसी राशि जिसके परिसंपत्ति एवं देयता के अंतर्गत प्रत्येक लाइन मद के लिए 12 माह के भीतर और इसके बाद वसूल/ निस्तारित होने की आशा है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक			31.03.2020 तक		
		12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल	12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल
	परिसंपत्तियां						
1	**वित्तीय परिसंपत्तियां**						
	(क) नकदी और नकदी समतुल्य	4,927.74	-	4,927.74	1,905.21	-	1,905.21
	(ख) नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से अन्य बैंक शेष	3,273.60	1.22	3,274.82	2,282.96	-	2,282.96
	(ग) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	264.27	3298.40	3,562.67	1,244.54	3,937.73	5,182.27
	(घ) व्यापार की प्राप्य राशियां	167.61	0.00	167.61	135.66	-	135.66
	(ड.) ऋण	89,118.68	6,33,268.16	7,22,386.84	86,807.57	5,59,388.54	6,46,196.11
	(च) निवेश	920.76	2,029.73	2,950.48	2,164.80	1,688.92	3,853.72
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	425.72	29,354.15	29,779.87	578.68	26,885.09	27,463.77
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**99,098.37**	**6,67,951.66**	**7,67,050.03**	**95,119.42**	**5,91,900.28**	**6,87,019.70**
2	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**						
	(क) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	23.16	502.16	525.32	142.98	995.35	1,138.33
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	6,461.03	6,461.03	-	5,005.31	5,005.31
	(ग) निवेश संपत्ति	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	297.75	297.75	-	186.79	186.79
	(ड.) प्रगति पर पूंजी कार्य	-	335.67	335.67	-	287.62	287.62
	(च) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.77	0.77	-	0.77	0.77
	(छ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	6.39	6.39	-	9.23	9.23
	(ज) राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियां	-	37.17	37.17	-	42.07	42.07
	(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	209.91	201.52	411.43	168.84	95.1	263.94
	(ञ) इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित निवेश	-	548.35	548.35	-	549.9	549.90
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**233.07**	**8,390.82**	**8,623.89**	**311.82**	**7,172.15**	**7,483.97**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 तक			31.03.2020 तक		
		12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल	12 माह के भीतर	12 माह से अधिक	कुल
3	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	33.16	-	33.16	16.93	-	16.93
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	**99,364.60**	**6,76,342.48**	**7,75,707.08**	**95,448.17**	**5,99,072.43**	**6,94,520.60**
देयताएं							
1	**वित्तीय देयताएं**						
	(क) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	129.14	1,211.21	1,340.35	115.03	1,810.52	1,925.55
	(ख) व्यापार की देय राशियां	70.43	-	70.43	53.22		53.22
	(ग) ऋण प्रतिभूतियां	83,174.52	3,96,906.13	4,80,080.65	85,726.03	3,56,039.87	4,41,765.90
	(घ) ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से अन्य)	35,729.82	1,27,614.60	1,63,344.42	37,281.65	1,03,382.95	1,40,664.60
	(ड.) सबॉर्डिनेटिड देयताएं	401.29	15,855.80	16,257.09	273.62	13,856.98	14,130.60
	(च) अन्य वित्तीय देयताएं	2,817.26	29,257.34	32,074.60	2,509.77	26,669.39	29,179.16
	कुल वित्तीय देयताएं (1)	**1,22,322.46**	**5,70,845.08**	**6,93,167.54**	**1,25,959.32**	**5,01,759.71**	**6,27,719.03**
2	**गैर-वित्तीय देयताएं**						
	(क) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	24.84	115.84	140.68	67.40	-	67.40
	(ख) प्रावधान	165.70	97.57	263.27	290.28	84.04	374.32
	(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	282.96	62.30	345.26	82.37	111.43	193.80
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)	**473.50**	**275.71**	**749.21**	**440.05**	**195.47**	**635.52**
3	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे संबद्ध देयताएं	0.08	-	0.08	0.68	-	0.68
	कुल देयताएं (1+2+3)	**1,22,796.04**	**5,71,120.79**	**6,93,916.83**	**1,26,400.05**	**5,01,955.18**	**6,28,355.23**

61. इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए लेखांकित कंपनी की संयुक्त उद्यम एंटिटी:

संयुक्त उद्यम एंटिटी (ईईएसएल) में ग्रुप की हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एकल वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है। ईईएसएल की निवल संपत्ति में समूह की हिस्सेदारी की गणना करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एकल वित्तीय कार्य-निष्पादन को 31.03.2020 को समेकित निवल मूल्य में हिस्सेदारी के लिए समायोजित किया गया है।

संयुक्त उद्यम एंटिटी से संबंधित प्रासंगिक प्रकटीकरण बाद के पैराग्राफों में प्रस्तुत किए गए हैं:

61.1 ईईएसएल की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक*	31.03.2020 तक#
वित्तीय परिसंपत्तियां		
नकदी और नकदी समतुल्य	211.55	348.82
उपर्युक्त से अन्य बैंक शेष	526.60	304.93
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3,726.53	3,240.85
उप-जोड़ (वित्तीय परिसंपत्तियां)	**4,464.68**	**3,894.60**
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	5,098.02	5,377.34
कुल परिसंपत्तियां	**9,562.70**	**9,271.94**
वित्तीय देयताएं	8,215.53	7,770.81
गैर-वित्तीय देयताएं	213.33	324.06
कुल देयताएं	**8,428.86**	**8,094.87**
निवल परिसंपत्तियां	**1,133.84**	**1,177.07**

* प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एकल वित्तीय विवरण के आधार पर। # लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के आधार पर

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

61.2 ईईएसएल के वित्तीय निष्पादन का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21*	वित्तीय वर्ष 2019-20#
(क)	आय		
	प्रचालनों से राजस्व	1,471.85	2,487.77
	अन्य आय	58.43	76.13
	कुल (क)	**1,530.28**	**2,563.90**
(ख)	व्यय		
	वित्तीय लागत	328.50	367.31
	मूल्यहास, परिशोधन और क्षतिग्रस्तता	533.05	464.45
	स्टॉक-इन-ट्रेड का क्रय	245.98	1076.98
	कार्मिक हितलाभ	45.77	146.57
	अन्य व्यय	333.02	481.00
	कुल (ख)	**1,486.32**	**2,536.31**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21*	वित्तीय वर्ष 2019-20#
(ग)	इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/(हानि) का शेयर	-	0.00
(घ)	कर पूर्व लाभ (क-ख+ग)	43.96	27.59
(ड.)	कर व्यय	11.09	(4.43)
(च)	अवधि के लिए लाभ (ग-घ)	32.87	32.02
(छ)	अन्य व्यापक आय/(हानि)	(0.29)	6.95
(ज)	कुल व्यापक आय (च+छ)	32.58	38.97
	ईईएसएल से प्राप्त लाभांश	-	4.47

* प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एकल वित्तीय विवरण के आधार पर।

लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के आधार पर

61.3 ईईएसएल की निवल परिसंपत्तियों में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
स्वामियों पर आरोप्य प्रारंभिक इक्विटी	1,165.30	828.82
लेखापरीक्षित बनाम गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में अंतर के लिए समायोजन	(35.88)	(4.64)
जारी शेयर पूंजी	-	308.12
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (गैर लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर)	32.58	44.44
घटाएं: भुगतान किया गया लाभांश (डीडीटी सहित)	-	(11.44)
स्वामियों पर आरोप्य अंतिम इक्विटी	1,162.00	1,165.30

61.4 ईईएसएल की वहन राशि का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
स्वामियों पर आरोप्य नेटवर्थ	1,162.00	1,165.30
ग्रुप के शेयर का प्रतिशत	47.15%	47.15%
नेटवर्थ में ग्रुप का शेयर	547.88	549.40

ईईएसएल के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

62. व्यक्तिगत रूप से सभी असारवान सहयोगी कंपनियों के अधिकार का सकल विवरण जिनको इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
चालू प्रचालनों से लाभ या हानि	0.00	(0.20)
बंद प्रचालनों से कर पश्चात लाभ या हानि	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-
कुल व्यापक आय	**0.00**	**(0.20)**

63. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार समेकित एंटिटियों के संबंध में प्रकटीकरण

63.1 निवल परिसंपत्तियों में शेयर अर्थात कुल परिसंपत्तियां माइनस कुल देयताएं

(₹ करोड़ में)

एंटिटी का नाम	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	64.06%	52,393.12	68.26%	45,164.13
सहायक कंपनियां-भारतीय				
आरईसी लिमिटेड	52.82%	43,205.53	53.50%	35,396.43
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	0.11%	88.18	0.09%	60.07
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी) (टिप्पणी 5.1 देखें)	-	-	0.00%	0.05
संयुक्त उद्यम-भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	0.67%	547.85	0.83%	549.40
सहयोगी कंपनियां-भारतीय				
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	-
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	-
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	-
उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	-
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0.00%	0.08	0.00%	0.08
साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	-
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.04
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.04
देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.00%	**0.05**	**0.00%**	**0.05**
बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0.00%	**0.05**	**0.00%**	**0.05**
झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.04
समायोजन या उन्मूलनों का प्रभाव	(17.66)%	(14,444.96)	(22.68)%	(15,005.21)
कुल	**100.00%**	**81,790.25**	**100.00%**	**66,165.37**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

63.2 लाभ एवं हानि में शेयर

(₹ करोड़ में)

एंटिटी का नाम	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	समेकित लाभ और हानि के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ और हानि के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	53.73%	8,444.01	59.67%	5,655.14
सहायक कंपनियां-भारतीय				
आरईसी लिमिटेड	53.31%	8,378.24	52.47%	4,972.27
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीएल)	0.18%	28.11	0.61%	58.15
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी) (टिप्पणी 5.1 देखें)	-	-	0.00%	(0.05)
संयुक्त उद्यम-भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	0.04%	6.24	0.23%	21.63
सहयोगी कंपनियां-भारतीय	0.00%	-	0.00%	(0.20)
समायोजन या उन्मूलनों का प्रभाव	(7.26)%	(1,140.40)	(12.98)%	(1,229.69)
कुल	**100.00%**	**15,716.20**	**100.00%**	**9,477.25**

63.3 अन्य व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

एंटिटी का नाम	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	16.46%	90.20	37.66%	(334.63)
सहायक कंपनियां-भारतीय				
आरईसी लिमिटेड	83.55%	457.76	62.33%	(553.85)
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीएल)	0.00%	-	0.00%	0.00
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी) (टिप्पणी 5.1 देखें)	-	-	0.00%	0.00
संयुक्त उद्यम-भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	0.21%	1.17	0.47%	(4.19)
सहयोगी कंपनियां-भारतीय	0.00%	-	0.00%	-
समायोजन या उन्मूलनों का प्रभाव	(0.23)%	(1.24)	(0.46)%	4.06
कुल	**100.00%**	**547.89**	**100.00%**	**(888.61)**

63.4 कुल व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

एंटिटी का नाम	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	52.47%	8,534.21	61.95%	5,320.51
सहायक कंपनियां-भारतीय				
आरईसी लिमिटेड	54.33%	8,836.00	51.44%	4,418.42
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीएल)	0.17%	28.11	0.68%	58.15
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी) (टिप्पणी 5.1 देखें)	-	-	0.00%	(0.05)
संयुक्त उद्यम-भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड	0.05%	7.41	0.20%	17.44
सहयोगी कंपनियां-भारतीय	0.00%	-	0.00%	(0.20)
समायोजन या उन्मूलनों का प्रभाव	(7.02)%	(1,141.64)	(14.27)%	(1,225.63)
कुल	**100.00%**	**16,264.09**	**100.00%**	**8,588.64**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

64. समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक सीमा तक और सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में उपलब्ध जानकारी की सीमा तक समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है।

65. जहां कहीं आवश्यक हुआ है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि उनको तुलनीय बनाया जा सके।

66. आंकड़ों को दो दशमलव के साथ रुपए के निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

हस्ता/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

हस्ता/-
(सीए मनोज भारद्वाज)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

कृते ढास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

हस्ता/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता संख्या: 082069

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 15 जून, 2021

फार्म एओसी-1

सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

भाग "क" : सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

(क)	सहायक कंपनियां[1]	आरईसी लिमिटेड	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
1	समाप्त वर्ष के लिए सूचना[2]	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2021
2	अधिग्रहण/निगमन की तारीख	28.03.2019	25.03.2008	28.03.2019
3	शेयर पूंजी	1,974.92	0.05	0.09
4	आरक्षित एवं आधिक्य	40,893.05	88.13	297.90
5	इक्विटी की प्रकृति के लिखत	558.40	-	-
6	कुल परिसंपत्तियां	4,00,233.19	131.53	662.79
7	कुल देयताएं	3,56,806.82	43.35	364.80
8	निवेश	1,909.77	-	91.06
9	टर्नओवर[3]	34,815.56	67.85	184.69
10	कराधान पूर्व लाभ	10,756.13	37.99	32.62
11	कराधान के लिए प्रावधान	2,394.35	9.88	7.00
12	कराधान पश्चात लाभ	8,361.78	28.11	25.62
13	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य
14	शेयरधारण का %	52.63%	100.00%	100.00%

टिप्पणियां:

1. कंपनी की कोई विदेशी सहायक कंपनी नहीं है।
2. सभी सहायक कंपनियों की रिपोर्टिंग अवधि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के समान है।
3. टर्नओवर को प्रचालनों से राजस्व के रूप में विचार किया जाता है।
4. ऐसी सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी तक प्रचालन शुरू नहीं किया है - शून्य
5. ऐसी सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या बिक्री की गई है - पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड

भाग "ख" : सहयोगी कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

ख.	संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों के नाम	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तारीख	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों के शेयर			विवरण दें कि कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव है	कारण बताएं कि संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी समेकित क्यों नहीं हैं	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता पर आरोप्य नेटवर्थ	वर्ष के लिए लाभ/हानि	
			शेयरों की संख्या	संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों में निवेश की राशि	समूह की धारिता के % की सीमा				समेकन में विचारित	समेकन में विचार नहीं किया गया
संयुक्त उद्यम										
1	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)[3]	31.03.2020	46,36,00,000	463.60	47.15%	प्रमोटर होने के नाते1/शेयरधारिता करार के आधार पर	लागू नहीं	532.48	6.24	-
सहयोगी कंपनी[2]										
1	साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%	एसपीवी का प्रबंधन भारत सरकार (जीओआई) के आदेश के अनुसार किया जाता है। और कंपनी के पास इन एसपीवी की प्रासंगिक गतिविधियों को एकपक्षीय रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता नहीं है। इसलिए उनकी 100% प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का धारक होने के बावजूद, कंपनी इन एसपीवी में निवेश को सहयोगी कंपनियों में निवेश के रूप में मानती है जिनके पास महत्वपूर्ण प्रभाव है।	लागू नहीं	0.05	-	-
2	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
3	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	-	-	-
4	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	-	-	-
5	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
6	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	-	-	-
7	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
8	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(0.08)	0.00	-
9	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
10	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.08	-	-
11	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	0.00	-
12	बिहार मेगा पावर लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	0.00	-
13	देवघर इंफ्रा लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	-	-
14	देवघर मेगा पावर लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	0.00	-
15	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड[3]	31.03.2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	-	-	-
16	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-2021	50,000	0.05	100%		टिप्पणी 7 देखें	0.07	-	0.02
17	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-2021	50,000	0.05	100%			(2.15)	-	(0.01)
18	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-2021	50,000	0.05	100%			(2.09)	-	(0.01)
19	फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड	31-मार्च-2021	50,000	0.05	100%			(0.67)	-	(0.72)
20	गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-2021	50,000	0.05	100%			0.05	-	(0.00)
21	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड[3]	31-मार्च-2020	50,000	0.05	100%			-	-	(0.10)
22	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-2021	50,000	0.05	100%			(1.92)	-	(0.01)
23	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-2021	50,000	0.05	100%			(1.87)	-	(0.01)
24	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज I लिमिटेड[3]	31-मार्च-2020	50,000	0.05	100%			-	-	(0.87)
25	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज II लिमिटेड[3]	31-मार्च-2020	50,000	0.05	100%			-	-	(0.88)
26	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-2021	50,000	0.05	100%			0.10	-	0.05
27	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-2021	50,000	0.05	100%			(0.54)	-	(0.59)
28	कोप्पल नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-2020	10,000	0.01	100%			0.00	-	(0.01)
29	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-2020	10,000	0.01	100%			0.00	-	(0.01)

(₹ करोड़ में)

ख.	संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों के नाम	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तारीख	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों के शेयर			विवरण दें कि कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव है	कारण बताएं कि संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी समेकित क्यों नहीं हैं	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता पर आरोप्य नेटवर्थ	वर्ष के लिए लाभ/हानि	
			शेयरों की संख्या	संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों में निवेश की राशि	समूह की धारिता के % की सीमा				समेकन में विचारित	समेकन में विचार नहीं किया गया
30	सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	टिप्पणी 4	10,000	0.01	100%		टिप्पणी 7 देखें	0.01	-	(0.01)
31	खेतड़ी नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड		10,000	0.01	100%			0.01	-	(0.01)
32	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड		10,000	0.01	100%			0.01	-	(0.01)
33	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड		10,000	0.01	100%			0.01	-	(0.01)
34	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	31-मार्च-2020	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	-	-	(0.01)
35	शोंगटोंग करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-2020	10,000	0.01	100%		लागू नहीं	-	-	(0.01)
36	बीजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	31-मार्च-2020	10,000	0.01	100%		लागू नहीं	0.01	-	(0.01)

टिप्पणियां:

1. पीएफसी, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल और आरईसीएल द्वारा ईईएसएल को संयुक्त रूप से प्रमोट किया गया है।
2. सभी एसपीवी प्रचालन पूर्व चरण में हैं तथा अभी तक प्रचालन शुरू नहीं हुआ है।
3. 31.03.2021 तक लाभ/हानि की राशि प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एकल वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
4. इन सहयोगी कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान शामिल किया गया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा का कार्य चल रहा है।
5. 31.03.2021 तक तीन एसपीवी अर्थात चिनाब घाटी एचईपी में पाकलदुल एचईपी - कनेक्टिविटी सिस्टम, चरण-I के अंतर्गत खावड़ा पी.एस. में 3जीडब्ल्यू आरई इंजेक्शन, नंगलबीब्रा में नया 220/132 केवी सबस्टेशन तथा सबस्टेशन और लाइनों (यूपीपीटीसीएल) के लिए टीबीसीबी के कार्यान्वयन एवं डेवलपर के चयन हेतु कंसल्टेंट एवं बीपीसी के निगमन की प्रक्रिया चल रही है और अभी तक प्रचालन शुरू नहीं हुआ है।
6. वर्ष के दौरान वापी II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड, बीकानेर II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड और रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड को बेचा/अंतरित किया गया है।
7. सहयोगी कंपनियों को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लागत या उचित बाजार मूल्य (बिक्री से कम लागत) जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया गया है। तद्नुसार समेकित वित्तीय विवरणों में लाभ/(हानि) पर विचार नहीं किया गया है।
8. टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और शोंगटोंग करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड नामक सहयोगी कंपनियों को विद्युत मंत्रालय द्वारा विमुक्त किया गया और बाद में क्षतिग्रस्तता के लिए निवेश प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान एमसीए से कंपनी का नाम हटाने के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुमति प्राप्त की गई है।
9. बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड नामक सहयोगी कंपनी को राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) द्वारा विमुक्त करने के लिए अनुशंसित किया गया और बाद में क्षतिग्रस्तता के लिए निवेश प्रदान किया गया। एमसीए से कंपनी का नाम हटाने के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुमति प्रतीक्षित है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
मनोहर बलवानी
मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

हस्ता/-
(परमिंदर चोपड़ा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08530587

हस्ता/-
(आर. एस. ढिल्लों)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00278074

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000458N

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000112N

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 15 जून, 2021

हस्ता/-
(सीए मनोज भारद्वाज)
भागीदार
सदस्यता संख्या: 098606

हस्ता/-
सीए नरेश कुमार
भागीदार
सदस्यता संख्या: 082069

टिप्पणियां

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय:

'ऊर्जानिधि',
1, बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
टेलीफोन नं. (91) (11) 23456000
वेबसाइट: http://www.pfcindia.com

सहायक कंपनियां *(31.03.2021 तक)*

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
आरईसी लिमिटेड
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
साखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
देवघर मेगा पावर लिमिटेड
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
देवघर इंफ्रा लिमिटेड
बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड
बिहार मेगा पावर लिमिटेड
झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड
टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*
बीजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड*
शोंगटोंग करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड*
कोप्पल-नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड*
करुर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड*
भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
खेतड़ी नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड*
सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड*#
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड^@
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड^
मंडार ट्रांसमिशन लिमिटेड^
डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड^
चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड^
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड^
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड^
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड^
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड^
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड^
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड^
फतेहगढ़ भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड^
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड^
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड^

* पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से
^आरईसी लिमिटेड के माध्यम से
#8 जून 2021 को अंतरित
@16 जुलाई, 2021 से नाम बदलकर आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड कर दिया गया है

शेयर सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बीएसई (पूर्ववर्ती बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड)

डिपॉजिटरी

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड

कंपनी सचिव

श्री मनोहर बलवानी

लेखापरीक्षक

दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवालयी लेखापरीक्षक

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर बी,
प्लॉट नं. 31 और 32,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद, तेलंगाना, भारत
टेलीफोन नं.: +91 40 67162222
ई-मेल: einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट: www.kfintech.com

बैंकर

भारतीय रिजर्व बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक

50,000+ करोड़

नेटवर्थ

विश्व में 33वां स्थान

एसेट्स फोर्ब्स ग्लोबल 2021

33वां स्थान

फॉर्च्यून इंडिया 2020 की 500 कंपनियों में

उज्ज्वल भविष्य के लिए वित्तपोषण

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(एक महारत्न पीएसयू)

पंजीकृत कार्यालय: 'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001
टेली.: 011-2345 6000, फैक्स: 011-2341 2545, वेबसाइट: www.pfcindia.com
सीआईएन: L65910DL1986GOI024862

/pfclindia | /pfclindia | /pfclindia

/Concept, content and design at AICL (hello@aicl.in)